त्रयोदश माला, खंड 29, अंक 12

बुधवार, 4 दिसम्बर, 2002
13 अग्रहायण, 1924 (शक)

लोक सभा वाद - विवाद

(हिन्दी संस्करण)

ग्यारहवां सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

No. 54
Date 13/6/2003

(खण्ड 29 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

शारदा प्रसाद
प्रधान मुख्य सम्पादक

विद्या सागर शर्मा
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

राजकुमार
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।

विषय सूची

त्रयोदश माला, खंड 29, ग्यारहवां सत्र, 2002/1924 (शक)
अंक 12, बुधवार, 4 दिसम्बर, 2002/13 अग्रहायण, 1924 (शक)

विषय		कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या	222 से 224, 232, 235 और 236	1-44
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	225 से 231, 233, 234 और 237 से 241	44-74
अतारांकित प्रश्न संख्या	2443 से 2638	74-299
सभा पटल पर रखे गए पत्र		299-312
राज्य सभा से संदेश		312-313
सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति		
दसवां प्रतिवेदन		313
वक्फ बोर्डों के कार्यकरण संबंधी संयुक्त संसदीय समिति		
पांचवां प्रतिवेदन		313
औद्योगिक विकास बैंक (उपक्रम का अंतरण और निरसन) विधेयक—पुरःस्थापित		314-348
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति		
उनतीसवां प्रतिवेदन		332
नियम 377 के अधीन मामले		349-357
(एक)	मध्य प्रदेश में रानी अवंती बाई बांध की दाईं नहर के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता	
	श्री रामानन्द सिंह	349
(दो)	राजस्थान में सूखा पीड़ित लोगों को पर्याप्त राहत सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
	श्री गिरधारी लाल भार्गव	349-350
(तीन)	राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में "एयर टू ग्राउंड" परियोजना के अन्तर्गत जिन लोगों की भूमि का अर्जन किया गया है उन्हें मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता	
	श्री निहाल चन्द चौहान	350

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय कॉलम

(चार) झारखण्ड के सभी जिला मुख्यालयों और झारखण्ड की राजधानी में बिरसा मुण्डा तथा सिडो मुर्मू की बड़े आकार की मूर्तियां स्थापित करने के लिए झारखण्ड सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री सालखन मुर्मू 350-351

(पांच) मध्य प्रदेश में जबलपुर–पाटन–बम्हौरी–तिगड्डा राज्य राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री रामनरेश त्रिपाठी 351

(छह) बिहार में बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए और वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री राजो सिंह 351-352

(सात) कर्नाटक और निचले तटीय राज्यों के बीच कावेरी नदी के जल के बंटवारे के संबंध में तत्कालीन मैसूर स्टेट और ब्रिटिश सरकार के बीच 1892 और 1924 में किए गए समझौतों को निरस्त किए जाने की आवश्यकता

श्री जी. एस. बसवराज 352

(आठ) वेस्टर्न कोल्ड फील्डस लिमिटेड, चन्द्रपुर, महाराष्ट्र से ले जाए जाने वाले कोयले को वास्तविक उपयोगकर्त्ताओं के पास पहुंचाया जाना सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री नरेश पुगलिया 353

(नौ) केरल के शोरानूर में "बल्ब लाइन" रेलवे स्टेशन का शीघ्र निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री एस. अजय कुमार 353-354

(दस) बच्चों पर बनी फिल्मों को नियमित आधार पर दिखाने और इस उद्देश्य के लिए आवश्यक अनुदान दिए जाने की आवश्यकता

श्री राम नायडू दग्गुबाटि 354

(ग्यारह) देश में केन्द्रीय पुलिस बलों की सेवा शर्तों में सुधार किए जाने की आवश्यकता

श्री राममूर्ती सिंह वर्मा 354-355

(बारह) हिंगोली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल लाइन की दूसरी तरफ की भूमि की सिंचाई के संबंध में किसानों के सामने आ रही समस्याओं पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता

श्री शिवाजी माने 355

(तेरह) हावड़ा और आगरा के बीच चलने वाली चम्बल एक्सप्रेस को प्रतिदिन चलाए जाने तथा इसे दिल्ली तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री राम सजीवन 355-356

विषय कॉलम

(चौदह) बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 101 के समुचित रखरखाव के लिए पर्याप्त धनराशि दिए जाने की आवश्यकता

श्री प्रभुनाथ सिंह 356-357

(पन्द्रह) तमिलनाडु में इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत आवंटित किए जाने वाले भवनों की संख्या बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री एम. चिन्नासामी 357

नियम 193 के अधीन चर्चा 358-472

देश में किसानों के सामने आ रही समस्याएं 358

श्री बसुदेव आचार्य 358-366

श्री महेश्वर सिंह 366-374

श्री एच. डी. देवगौड़ा 374-390

श्री जे. एस. बराड़ 390-399

श्री उत्तमराव ढिकले 399-403

कुंवर अखिलेश सिंह 403-412

श्री वी. धनंजय कुमार 412-419

श्री हन्नान मोल्लाह 419-424

श्री रतन लाल कटारिया 424-430

श्री ए. ब्रह्मनैया 430-434

श्रीमती रमा पायलट 435-441

श्री आदि शंकर 442-446

श्री एन. जनार्दन रेड्डी 446-451

श्री मंजय लाल 451-454

श्री एस. मुरूगेसन 454-457

श्रीमती कान्ति सिंह 457-460

श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे 460-461

श्री राजो सिंह 461-465

श्री प्रसन्न आचार्य 465-470

श्री राममूर्ती सिंह वर्मा 470-472

लोक सभा

बुधवार, 4 दिसम्बर, 2002/13 अग्रहायण, 1924 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

(**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*)

[अनुवाद]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

'रेबीज'/'टायफायड' के टीके

*222. **श्री लक्ष्मण सेठ** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में 'रेबीज' और 'टायफायड' के ऐसे टीकों का उपयोग किया जा रहा है जिनके उपयोग की अवधि समाप्त हो चुकी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि कैंसर फैलाने वाली 'क्लोरैम्फेनीकोल' जो विकसित देशों में प्रतिबंधित है, अभी भी देश में रोगियों को दी जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री शत्रुघ्न सिन्हा) : (क) से (घ) एक विवरण लोक सभा के पटल पर रखा है।

विवरण

रेबीज की रोकथाम करने के लिए देश में दो तरह की वैक्सीन नामतः न्यूरल टिशू वैक्सीन तथा टिशू कल्चर एंटी रेबीज वैक्सीन का उत्पादन किया जा रहा है। टिशू कल्चर एंटी रेबीज वैक्सीन के प्रयोग को तरजीह देने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, न्यूरल टिशू वैक्सीन के प्रयोग को धीरे-धीरे समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।

टायफायड की तीन तरह की वैक्सीन नामतः व्होल सैल-किल्ड टायफायड वैक्सीन (परम्परागत टायफायड वैक्सीन), टी.वाई. 21 ए टायफायड वैक्सीन, बाईपाली संक्राइड टायफायड वैक्सीन हैं।

व्होल सैल किल्ड टायफायड वैक्सीन के उत्पादन के लिए, जिसे कुछ समय के लिए रोक दिया गया था, रक्षा कार्मिकों के लिए इसकी आवश्यकता हेतु केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली तथा हैफकिन बायो-फार्मास्युटिकल कारपोरेशन, मुम्बई को अनुमति दी जा चुकी है।

न्यूरल टिशू वैक्सीनों तथा व्होल सैल किल्ड टायफायड वैक्सीनों को भारतीय भेषजसंहिता में आधिकारिक रूप से शामिल कर लिया गया है।

विकसित देशों में क्लोरैमफेनिकाल पर रोक लगाने की कोई सूचना नहीं है। क्लोरैमफेनिकाल तथा इसकी खुराक के विभिन्न रूपों जैसे घोल, इंजेक्शन, आईड्रप्स तथा कैप्सूलों का देश में प्रयोग करने की अनुमति है। यह औषध विश्व स्वास्थ्य संगठन की अनिवार्य औषध सूची में भी शामिल है।

श्री लक्ष्मण सेठ : महोदय, माननीय मंत्री द्वारा दिए गए विवरण से पता चलता है कि रेबीज की रोकथाम हेतु न्यूरल टिशू वैक्सीन (एनटीवी) का इस्तेमाल किया जाता है। परन्तु, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह सिफारिश की है कि इस औषधि का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए और इस औषधि की बजाय टिशू कल्चर एंटी रेबीज वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाए। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या एनटीवी का इस्तेमाल स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है और क्या सरकार का इस औषधि पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

श्री शत्रुघ्न सिन्हा : स्पीकर सर, डब्ल्यूएचओ के सुझावानुसार 1992 में इसे फेज-आउट करने की बात कही गई थी। अभी जिसे इन्होंने न्यूरल कहा उसे शीप-ब्रेन-वैक्सीन कहते हैं, जो अभी भी बन रहा है, लेकिन हम इसे फेज-आउट कर रहे हैं क्योंकि इसमें कौस्ट-फैक्टर शामिल है। मिसाल के तौर पर अगर इसकी कीमत 250 रुपये है तो जो टिशू कल्चर वैक्सीन है, जिसका माननीय सदस्य ने जिक्र किया, वह अगर कोनूर में बन रही है तो करीब तीन गुना ज्यादा

कौस्टली है और अगर हमारे यहां कसौली में बन रही है तो पांच–छह गुना ज्यादा कौस्टली है। कहा जाता है कि टोटल एनीमल बाइट्स एक साल में करीब 2.5 मिलियन होते हैं और उनमें से करीब 1.4 मिलियन ट्रीट होते हैं। मैं समझता हूं कि इसकी जानकारी सदन को देना ठीक है। करीब–करीब प्वाइंट फाइव मिलियन जो उसमें ट्रीट हो रहे हैं वे शीप–ब्रेन–वैक्सीन से ट्रीट हो रहे हैं, जबकि टिशू कल्चर वैक्सीन से 1.4 मिलियन में से .9 मिलियन ही ट्रीट हो रहे हैं। हम इसे चूंकि फ्री सप्लाई नहीं कर रहे हैं और स्टेट्स हमसे इसे मांगते हैं तथा कुछ स्टेट्स जिन्हें लगता है कि कीमत ज्यादा है वे कभी–कभी हमसे मांगते भी नहीं हैं, स्टेट्स लोगों को फ्री देते हैं लेकिन चूंकि कौस्ट इसमें शामिल है इसलिए कई स्टेट्स ऐसे हैं जिनके लिए यह अफोर्डेबल नहीं है। इसलिए वे टिशू कल्चर के स्थान पर न्यूरेल कल्चर पर जाना चाहते हैं। जो शीप–ब्रेन–वैक्सीन है उसका मैथर्ड भी ठीक नहीं है और इफैक्टिवनेस के मामले में भी टिशू–कल्चर–वैक्सीन से कम प्रभावी है। न्यूरल में 10 सूइयां लगती हैं जबकि टिशू कल्चर में पांच सूइयां लगती हैं। मुझे लगता है कि जब इंट्रा–डौमिनल आ जाएगा तो उसमें जो अभी लग रहे हैं उसकी खुराक पांच गुना कम लगेगी। जाहिर है कि उसकी कीमत बहुत कम हो जाएगी और वह एट–पार विद द न्यूरल हो जाएगा यानी शीप–ब्रेन–वैक्सीन हो जाएगी तो और लोगों को भी सहूलियत हो सकेगी।

[अनुवाद]

श्री लक्ष्मण सेठ : महोदय, माननीय मंत्री के विवरण से यह पता चलता है कि इस औषधि की लागत के कारण इस पर पूरा प्रतिबंध नहीं लगाया जा रहा है और सरकार इस पर विभिन्न चरणों में प्रतिबंध लगा रही है।

परन्तु मैंने मंत्री जी से पूछा है कि क्या यह हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।

दूसरे, क्लोरैमफेनिकाल के इस्तेमाल के संबंध में, माननीय मंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस पर प्रतिबंध नहीं लगाया है। परन्तु, हमारी जानकारी के अनुसार, विकसित देशों में इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। अतः विशिष्टतया माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि ऐसी कितनी औषधियां हैं जिन पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने प्रतिबंध लगाया है और जिनका हमारे देश में इस्तेमाल किया जा रहा है? मैं यह नहीं जानता हूं कि क्या सरकार लागत अथवा औषधियों की कमी अथवा भैषजयीय कारकों के कारण अच्छी गुणवत्ता वाली औषधियां उपलब्ध करने की स्थिति में नहीं है। अतः, मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि ऐसी कितनी औषधियां हैं, जिन पर विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है, जिनका हमारे देश में इस्तेमाल किया जा रहा है और क्यों?

[हिन्दी]

श्री शत्रुघन सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य के पहले सप्लीमेंटरी के जवाब में कहना चाहूंगा कि उन्होंने जो हार्मफुल एफेक्ट की बात कही है, किसी न किसी दवाई से कुछ न कुछ साइड एफेक्ट्स जरूर होते हैं लेकिन ऐसी बात नहीं है कि इसके बहुत जबर्दस्त साइड एफेक्ट्स आए हों। डब्ल्यूएचओ ने खुद यह सुझाव दिया इसे फेज आउट किया जाए। इसलिए हम इसे फेज आउट कर रहे हैं। कॉस्ट इफैक्टिवनैस से जो इंट्रा–डॉमिनल आएंगे वे शीप ब्रेन वैक्सीन से एट पार हो जाएंगे। जाहिर है इससे दाम बहुत कम होंगे और स्टेट्स उनकी खरीदारी करेगी। फिर वह धीरे–धीरे बिल्कुल बंद हो जाएगी तब तक हम उसे कंटिन्यू कर रहे हैं। जहां तक दूसरे सवाल की बात है, विश्व स्वास्थ्य संगठन किसी औषधि पर प्रतिबंध नहीं लगाता है। उन्होंने ड्रग्स की बात की है। पहले जिस ड्रग का नाम लिया है मैं फिर कहना चाहूंगा कि वह किसी हालत में बैन नहीं है। मेरे पास अभी भी डब्ल्यूएचओ की उन ड्रग्स के नाम हैं, जिनका माननीय सदस्य ने जिक्र किया और मैं उन्हें दिखा सकता हूं। उसमें साफ लिखा है। माननीय सदस्य ने जिस दवाई का जिक्र किया, वह बैन नहीं है। अब रही बात कि वे कौन–कौन सी दवाइयां हैं, मुझे इस समय शायद वे डिटेल्स नहीं मिल रही हैं लेकिन मैं बता सकता हूं कि कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो बैन हैं।...*(व्यवधान)* मेरे पास वे डिटेल्स आ गई हैं, मैं उन्हें बता देता हूं।...*(व्यवधान)* मैं डाक्टर नहीं हूं। मैं मेहनत कर रहा हूं और जानकारी हासिल कर रहा हूं। मैं आप लोगों में से एक हूं। महोदय, मैं उनमें से एक हूं। मैं आपका भाई हूं और कोशिश कर रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी कोशिश कर रहे हैं। आप सब उनकी मदद करिए।

श्री रामदास आठवले : मंत्री जी डाक्टर तो नहीं हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आठवले जी, क्या आप डाक्टर हैं? आप बैठिए।

श्री शत्रुघ्न सिन्हा : मेरे इतने अच्छे–अच्छे भाई लोग हैं, फिर किस बात की चिन्ता? मैं मेहनत कर रहा हूं और आपका सहयोग, साथ और आशीर्वाद हासिल कर रहा हूं।

[अनुवाद]

अब तक देश में 74 औषधियों के फार्म्यूलेशन के विपणन पर प्रतिबंध लगाया गया है। ऐसी सात औषधियों, जिनका कुछ देशों में विपणन बंद कर दिया गया है, को इस शर्त के साथ विपणन करने की अनुमति प्रदान की गई है कि उनके लेबल पर चेतावनी का विवरण और प्रतिकूल प्रभाव के संकेत दिए जाएं और कुछ मामलों में यह पैकेज में अंतर्विष्ट किया जाए। ये सात औषधियां : (1) एनाल्जिन, (2) हाइड्रोक्सीक्वीनोलिन, (3) नाइट्रोफुटन, 4–5–6 जो भी हैं।

श्री पी. एच. पांडियन : धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय।

मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या 'बेरालगन', एक दर्दनाशक औषधि जिस पर संयुक्त राज्य अमरीका में प्रतिबंध लगाया गया है, के इस्तेमाल पर भारत में रोक लगाई गई है?

बिल गेट्स ने जिनेवा में जीएवीआई नामक एक संगठन की स्थापना की है। मैं यह जानना चाहूंगा क्या भारत को जीएवीआई, बिल गेट्स फाउंडेशन से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है? यदि हां, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि देश के विभिन्न भागों में जीएवीआई से राज्यवार कितनी धनराशि आवंटित की गई? मुझे विशेष रूप से यह बताया गया कि विशेषकर आंध्र प्रदेश राज्य को जीएवीआई से भारी वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आंध्र प्रदेश को उपलब्ध कराई गई राशि के बराबर राशि तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल सहित सभी राज्यों को वितरित की गई है?

[हिन्दी]

श्री शत्रुघ्न सिन्हा : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य मेरा क्यों इम्तिहान ले रहे हैं। इन्होंने पहला सवाल बरालगन के बारे में पूछा है।

[अनुवाद]

अमेरिका में इस ब्रांड नाम का उपयोग नहीं किया जा रहा है।

जहां तक दूसरे अनुपूरक प्रश्न का संबंध है, यह प्रश्न से संबंधित नहीं है। इसके बारे में माननीय सदस्य अलग सूचना दे सकते हैं क्योंकि यह प्रश्न से संबंधित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आप बिल्कुल सही कह रहे हैं।

डा. वी. सरोजा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री द्वारा दिए गए विवरण में यह उल्लेख किया गया कि इस टीके में हानिकारक प्रभाव को देखते हुए एनटीवी को चरणबद्ध ढंग से बंद करने का निर्णय किया गया है। क्या सरकार इस औषधि के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए आगे आएगी? हमारे देश में टिश्यू कल्चर एंटी रेबिक वैक्सीन की भारी कमी है। अतः, मैं इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में जानना चाहूंगा।

श्री शत्रुघ्न सिन्हा : महोदय, जहां तक टिशू कल्चर वैक्सीन का संबंध है, हमने इसकी स्थिति में सुधार कर लिया है। इकाइयों के संबंध में मुझे विश्वास है कि यह संख्या एक लाख इकाइयों से पचास लाख इकाइयों तक पहुंच गई है।

[हिन्दी]

जहां तक माननीय सदस्या बैन की बात कर रही हैं, इसके बारे में कहना चाहूंगा कि हम बैन नहीं कर रहे हैं, इसको फेज आउट कर रहे हैं जिसके बारे में मैंने कारणों का जिक्र किया है, उसके आधार पर किया गया है। 1992 से ये एक लाख यूनिट्स से 50 लाख यूनिट्स कर दिया गया है। दूसरे सप्लीमेंटरी में माननीय सदस्य ने शीप ब्रेन वैक्सीन का जिक्र किया है कि क्या तमाम एन्युअल बाइट्स के लोगों को दवाई दी जा रही है, तो मैं बताना चाहूंगा कि यदि तमाम लोगों को शीप ब्रेन वैक्सीन दी जाएगी तो इस पर 35 करोड़ रुपया खर्च आएगा लेकिन अगर तमाम लोगों को टीशू कल्चर दी जाएगी तो 250 करोड़ रुपये लागत आएगी। इसका इकौनोमिक ग़ाइस इफैक्ट और प्राइस कॉस्ट से सीधा और गहरा ताल्लुक है।

[अनुवाद]

जहां तक प्रश्न के सटीक उत्तर का संबंध है, हम इस समय इस पर प्रतिबंध नहीं लगा रहे हैं परन्तु इसे चरणबद्ध तरीके से हटाने की कोशिश कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती प्रभा राव : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने प्रश्न के उत्तर के दूसरे पैरा में बताया है कि होल सैल

किल्ड टाइफाइड वैक्सीन के उत्पादन को कुछ समय के लिए रोक दिया गया था लेकिन रक्षा कर्मियों के लिए इसकी आवश्यकता हेतु केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान ने इसके उत्पादन की फिर से अनुमति दे दी है। जब इसका उत्पादन एक बार रोक दिया गया तो इसका मतलब है कि इसमें कुछ नुक्स होगा। मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि रक्षा कर्मियों के लिए क्यों इस्तेमाल किया गया?

श्री शत्रुघ्न सिन्हा : अध्यक्ष जी, मैं इनका आभारी हूं कि इन्होंने यह सवाल किया है। यह सही है कि कई साल पहले टाइफाइड वैक्सीन बंद हो गई थी जिसका कारण आप सबको मालूम है। प्रश्न पूछा गया कि आखिर रक्षा कर्मियों के लिए वैक्सीन क्यों दी जा रही है। पहली बात तो यह है कि इसकी एफीकेसी 60 प्रतिशत के लगभग थी। जब देखा गया कि यह इतनी इफैक्टिव नहीं थी, साइड इफैक्ट्स थे, बीमार पड़ जाते थे, दर्द होता था, इसलिए इस दवाई को आउट कर दिया गया। हमारी पब्लिक हैल्थ स्ट्रटेजी में यह इम्युनाइजेशन के थ्रू वैक्सीन नहीं है। हमारी पब्लिक हैल्थ स्ट्रेटेजी है कि हाइजीन रखे, सैनिटेशन वाटर ठीक हों, क्लीन वाटर हो और हाथ वगैरा साफ रखें।...*(व्यवधान)* अध्यक्ष जी, मैं उसी लाइन पर आ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : उस कागज का सदन से कुछ संबंध नहीं है, आप बोलिए।

श्री शत्रुघ्न सिन्हा : हमने इसे रक्षाकर्मियों को इसलिए दिया है क्योंकि उन्हें बहुत कठिन परिस्थितियों में, विशेष हालात में रहना पड़ता है और यह उन्हीं का निवेदन था कि आप हमें यह दें। हालांकि इसकी एफीकेसी 60 परसेंट है। यह उनकी मांग थी, क्योंकि उन्हें यहां से वहां कभी भी, कहीं भी मूव करना पड़ता है। अचानक उन्हें ट्रांसफर करना पड़ता है। इसलिए हमने रक्षाकर्मियों के अनुरोध पर उन्हें देना स्वीकार किया।

श्रीमती प्रभा राव : क्या सुरक्षाकर्मियों के ऊपर इसका बुरा असर नहीं होता है। उन्होंने मांगा और आपने दे दिया।

श्री शत्रुघ्न सिन्हा : बुरे असर की बात नहीं हो रही है। इसकी एफीकेसी 60 परसेंट है। ऐसा नहीं है कि टायफाइड इंजेक्शन लेने से किसी की मृत्यु हो गई हो या कोई अपाहिज हो गया हो। आर्मी कहती है कि हमें फ्रीक्वैन्टली ट्रैवल करना पड़ता है, जगह-जगह का पानी पीना पड़ता है, जगह-जगह की मिट्टी, जगह-जगह की हवा में रहना पड़ता है। हालांकि यह वाटर बोर्न डिसीज है, लेकिन उन्हें जगह-जगह जाना पड़ता है। इसलिए उनके कहने पर उनकी खातिर हमने उन्हें दिया। यदि इस मामले में आपका कोई सुझाव हो या माननीय सदस्या खुद अपने लिए चाहती हों या कुछ सुझाव देना चाहती हैं तो वे बता सकती हैं।

[अनुवाद]

श्री के. मलयसामी : अध्यक्ष महोदय, पूरे देश भर में भारी संख्या में मियाद समाप्त हुई, अप्रचलित और प्रतिबंधित औषधियों का इस्तेमाल किया जाता है। इसी प्रकार सिद्ध, आयुर्वेद, यूनानी आदि जैसी अन्य प्रणालियों के अंतर्गत भी ऐसी औषधियां हैं जो मानव जीवन और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक और खतरनाक हैं। आपके पास ऐसी व्यवस्था है जिसमें यदि कोई आपको किसी मामले की रिपोर्ट देता है तो आप ऐसे मामले की संज्ञेयता लेकर कार्यवाही नहीं करते हैं। पूरे देश में ऐसी व्यवस्था चल रही है। इसके अलावा क्या आपके पास प्रतिबंधित औषधियों के दुरुपयोग और उपयोग की रोकथाम की निगरानी करने हेतु कोई प्रभावी और त्रुटिरहित प्रणाली है? इस प्रकार की बुराई की पूरी तरह रोकथाम के लिए आपके पास क्या प्रणाली है?

श्री शत्रुघ्न सिन्हा : सबसे पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि सम्भवतः देश की सर्वोच्च सुरक्षा व्यवस्था सहित ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसे सचमुच में त्रुटि रहित कहा जा सकता है।

[हिन्दी]

हमारी बहुत कोशिश होती है। हमारा मॉनीटरिंग सिस्टम है। पहली बात यह है कि इसके लिए फुल प्रूफ मैथड नहीं है। जहां तक स्पूरियस ड्रग्स और बैंड ड्रग्स का मामला है, इन पर हम काफी निगरानी रख रहे हैं, काफी कुछ काम कर रहे हैं। हम सदन को बताना चाहते हैं कि इस मामले में हम सारे मुख्य मंत्रियों और हैल्थ मिनिस्टर्स को शामिल करेंगे और हमारी कोशिश यह भी है कि हमारे क़ानून के प्रावधान को और मजबूत किया जाए।

एक माननीय सदस्य : डायलाग मार रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं उनके वाक्य को कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं कर रहा हूं।

श्री शत्रुघ्न सिन्हा : मैं भी उनकी बातों को गम्भीरता से नहीं ले रहा हूं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : वह बैठकर बात कर रहे हैं।

श्री शत्रुघ्न सिन्हा : एक्चुअली डायलाग की दुनिया में रहते–रहते उन्हें हर चीज डायलाग रही है।

[अनुवाद]

श्री ए. सी. जोस : आप उनका निर्देशन करें।

श्री शत्रुघ्न सिन्हा : वे अच्छे निदेशक हैं।

अध्यक्ष महोदय : वे यह चाहते हें कि मैं आपको अच्छा संवाद देने का निदेश दूं। वे यही चाहते हैं।

श्री शत्रुघ्न सिन्हा : आप एक अच्छे निदेशक हैं। आप अभी मेरा निर्देशन कर रहे हैं।

जहां तक औषधियों का संबंध है, समग्र रूप से समीक्षा के बाद ही इसकी अनुमति दी जा सकती है।

[हिन्दी]

हमारी जानकारी में हम ऐसी कोई ड्रग्स इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। यदि ऐसी कोई ड्रग है तो हम उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं और निगरानी रखे हुए हैं। स्पूरियस ड्रग्स के मामले में हम बहुत मजबूत और सख्त कदम उठा रहे हैं। मैंने इसमें तमाम राज्यों को शामिल किया है, तमाम मुख्य मंत्रियों को लिखा है। हमने यहां मीटिंग भी की है। मेरे ख्याल से फुल प्रूफ तो नहीं होगा, लेकिन हमारे माध्यम बहुत मजबूत जरूर होंगे और इनका अच्छा रिजल्ट निकलेगा।

[अनुवाद]

केन्द्रीय सड़क निधि का अन्यत्र उपयोग

***223. श्री ए. नरेन्द्र : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सड़क निधि से राज्यों को राज्य–वार कुल कितनी राशि आवंटित की गई है;

(ख) इस धनराशि से राज्य सरकारों द्वारा शुरू किए गए कार्यों का राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राज्य सरकारों के लिए आवंटित प्रमुख धनराशि को राज्य राजमार्गों और जिलों की प्रमुख सड़कों के निर्माण/मरम्मत पर खर्च किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार तथ्य क्या हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा धनराशि का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने और शुरू की गई परियोजनाओं को समयानुसार पूरा करने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत राज्यवार जमा राशि अनुबंध–I में दी गई है।

(ख) केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत राज्यीय राजमार्गों, प्रमुख जिला सड़कों, राष्ट्रीय राजमार्गों और ग्रामीण सड़कों से भिन्न अन्य महत्वपूर्ण सड़कों के सुधार से संबंधित प्रस्तावों पर विचार किया जाता है। केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में अनुमोदित कार्यों की संख्या और इन कार्यों का मूल्य अनुबंध–II में दिया गया है।

(ग) राज्य सरकारों के लिए जारी की गई केन्द्रीय सड़क निधि राज्यीय राजमार्गों, प्रमुख जिला सड़कों और अन्य महत्वपूर्ण सड़कों के सुधार के लिए होती है। इसलिए इन वर्गों की सड़कों के लिए धनराशि के अन्यत्र प्रयोग का प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) प्रारंभ में वर्ष 2000–2001 में केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत वार्षिक जमा राशि की 1/3 राशि, संबंधित राज्यों को अनुमोदित कार्यों पर उपभोग के लिए जारी की गई थी। राज्य सरकारों को निष्पादन और वित्तीय प्रगति रिपोर्ट के साथ उपभोग की गई धनराशि के लिए उपभोग प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होता है। आगे धनराशि, उपभोग प्रमाण–पत्र और प्रगति रिपोर्ट के आधार पर ही जारी की जाती है। इसका प्रयोजन

यह सुनिश्चित करना है कि आवंटित धनराशि का उपयोग अनुमोदित कार्यों के लिए ही हो। कार्य को समय पर पूरा करने के लिए इस मामले को समय–समय पर राज्य सरकारों के साथ उठाया जाता है।

अनुबंध-I

गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत राज्यों के लिए जमा राशि

(लाख रु.)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वर्ष			
		1999–2000	2000–2001	2001–2002	2002–2003
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	223.90	8161.00	8088.00	8145.08
2.	अरुणाचल प्रदेश	78.89	1113.00	1080.00	1086.08
3.	असम	26.52	1508.00	1473.00	1540.08
4.	बिहार	0.00	2569.00	2612.00	3390.08
5.	छत्तीसगढ़	0.00	2303.00	2256.00	1728.08
6.	गोवा	0.00	393.00	380.00	409.08
7.	गुजरात	304.99	7008.00	6784.00	6813.08
8.	हरियाणा	0.00	3140.00	3205.00	3575.08
9.	हिमाचल प्रदेश	0.00	1045.00	1025.00	1075.08
10.	जम्मू–कश्मीर	0.00	3084.00	2973.00	3105.08
11.	झारखंड	0.00	1822.00	1785.00	1125.08
12.	कर्नाटक	16.01	5750.00	5550.00	5813.08
13.	केरल	12.19	2768.00	2615.00	2771.08
14.	मध्य प्रदेश	287.02	6251.00	6191.00	6659.08
15.	महाराष्ट्र	961.14	10880.00	10318.00	10141.08
16.	मणिपुर	26.24	332.00	318.00	324.08
17.	मेघालय	8.11	447.00	434.00	429.08
18.	मिजोरम	3.94	302.00	290.00	296.08
19.	नागालैंड	4.92	256.00	241.00	247.00
20.	उड़ीसा	16.14	2910.00	2861.00	2982.08

1	2	3	4	5	6
21.	पंजाब	12.56	4299.00	4116.00	4043.08
22.	राजस्थान	138.02	7582.00	7584.00	7671.08
23.	सिक्किम	14.56	112.00	107.00	110.00
24.	तमिलनाडु	130.54	6703.00	6643.00	6722.08
25.	त्रिपुरा	3.94	193.00	187.00	193.00
26.	उत्तर प्रदेश	264.27	8795.00	8851.00	9643.08
27.	उत्तरांचल	0.00	1102.00	1076.00	759.08
28.	पश्चिम बंगाल	95.10	3573.00	3627.00	3688.08
	उप–जोड़ (क)	2629.00	94401.00	92670.00	94484.00
29.	अंदमान और निकोबार प्रशा.	0.00	174.00	178.00	183.00
30.	चंडीगढ़	0.00	301.00	238.00	221.00
31.	दिल्ली	0.00	3189.00	2673.00	2705.00
32.	दादरा और नागर हवेली	13.15	121.00	130.00	76.00
33.	दमन और दीव	7.77	89.00	87.00	107.00
34.	लक्षद्वीप	0.00	7.00	8.00	5.00
35.	पांडिचेरी	105.00	218.00	219.00	219.00
	उप–जोड़ (ख)	125.92	4099.00	3533.00	3516.00
	कुल जोड़ (क + ख)	2754.92	98500.00	96203.00	98000.00

अनुबंध-II

केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत अनुमोदित कार्यों के ब्यौरे

(लाख रु.)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	कार्यों की संख्या	अनुमोदित लागत
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	58	25294.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	13	4172.64
3.	असम	31	5309.57
4.	बिहार	29	5100.00
5.	छत्तीसगढ़	16	7539.00
6.	गोवा	4	761.84
7.	गुजरात	342	21596.00
8.	हरियाणा	35	7137.47
9.	हिमाचल प्रदेश	10	2673.69
10.	जम्मू–कश्मीर	25	7837.17

1	2	3	4
11.	झारखंड	5	2675.00
12.	कर्नाटक	201	16542.94
13.	केरल	5	3807.62
14.	मध्य प्रदेश	44	18914.00
15.	महाराष्ट्र	57	21679.12
16.	मणिपुर	6	1170.16
17.	मेघालय	13	1896.16
18.	मिजोरम	5	2000.99
19.	नागालैंड	4	716.23
20.	उड़ीसा	101	9889.45
21.	पंजाब	76	16067.42
22.	राजस्थान	188	25516.00
23.	सिक्किम	8	191.00
24.	तमिलनाडु	255	15550.00
25.	त्रिपुरा	3	496.48
26.	उत्तरांचल	22	2938.88
27.	उत्तर प्रदेश	30	19622.05
28.	पश्चिमी बंगाल	8	9664.99
	उप–जोड़ (क)	1594	256759.87
29.	अंदमान और निकोबार प्रशासन	1	242.53
30.	चंडीगढ़	4	693.48
31.	दादरा और नागर हवेली	8	261.32
32.	दमन और दीव		
33.	दिल्ली	5	1936.17
34.	लक्षद्वीप		
35.	पांडिचेरी	2	469.95
	उप–जोड़ (ख)	20	3603.45
	कुल जोड़ क + ख	1614	260363.32

श्री ए. नरेन्द्र : महोदय, आपने मुझे प्रश्न पूछने का अवसर दिया अतः मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं।

मुझे यह बताया गया है कि केन्द्रीय सड़क निधि से राज्यों को जारी की गई धनराशि के लगभग 50 प्रतिशत राशि का राज्यों ने इस्तेमाल कर लिया है।

मेरे अनुपूरक प्रश्न के भाग (क) में यह है कि इसमें विभिन्न राज्यों द्वारा राशि का कम उपयोग किए जाने संबंधी ब्यौरे हैं। मैं इसके कारणों के बारे में जानना चाहूंगा।

मेरे पहले अनुपूरक प्रश्न का भाग (ख) यह है कि : केन्द्र सरकार केन्द्रीय सड़क निधि से राज्यों के लिए राशि आवंटित करती है और राज्य सरकारों को जारी करती है। मैं यह जानना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार राज्यों द्वारा निधियों के समुचित उपयोग को कैसे सुनिश्चित करती है। राज्य सरकारों विशेषकर आंध्र प्रदेश द्वारा क्या तंत्र विकसित किया गया है?

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी : महोदय, सर्वप्रथम, मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि केन्द्रीय सड़क निधि व्यापक क्षेत्र है जिसमें राष्ट्रीय राजमार्गों, ग्रामीण सड़कों के लिए राशि शामिल है। आज का चर्चाधीन विषय राज्य राजमार्गों, प्रमुख जिला सड़कों और ग्रामीण सड़कों के अलावा अन्य महत्वपूर्ण सड़कों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा किए जा रहे वित्त पोषण के बारे में है।

महोदय, दो प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न कम उपयोग के बारे में है। निश्चित रूप से थोड़ा कम उपयोग हो रहा है। मेरे पास इसके आंकड़े हैं। यह एक लम्बी सूची है। अब यदि माननीय किसी राज्य विशेष से संबंधित आंकड़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके आंकड़े दे सकता हूं। अब इन्होंने आंध्र प्रदेश राज्य के बारे में पूछा है। वहां आमतौर पर राशि का कम उपयोग हुआ है। इसका यह कारण है कि नवम्बर–दिसम्बर, 2000 में जब इस सरकार ने इस प्रणाली को शुरू किया था तो उस समयम इस प्रयोजनार्थ 1,000 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए थे। नवम्बर–दिसम्बर माह के दौरान हमने इस राशि का एक–तिहाई हिस्सा ही आवंटित किया था। यह मार्ग निदेश दिए गए थे कि आप पहले इस राशि का उपयोग आरम्भ कीजिए और जब यह राशि पूरी तरह व्यय हो जाएगी तो हम उस राशि का पुनर्भुगतान करेंगे। हमने उपयोग की गई राशि की दोगुनी राशि की स्वीकृति प्रदान की अर्थात् 1,000 करोड़ रुपये में से हमने 333 करोड़ रुपये वितरित किए और राज्यों के लिए 666 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की।

आरम्भ में राज्य इसके लिए तैयार नहीं थे क्योंकि यह पहली बार शुरू किया गया, यद्यपि पहले भी केन्द्रीय सड़क निधि कार्यरत रहा है। परन्तु उस समय राशि बहुत थोड़ी थी। विगत में, प्रतिवर्ष 77 करोड़ रुपये अथवा इससे अधिक राशि दी गई। अब हम 1,000 करोड़ रुपये की बात कर रहे हैं। अतः आरम्भ में राज्यों के समक्ष कुछ समस्याएं थीं।

धनराशि के अल्प उपयोग का दूसरा कारण यह है कि आरम्भ में राज्य सरकारें इस राशि का उपयोग नहीं कर रही थीं क्योंकि राज्य सरकारों के समक्ष वित्तीय समस्या थी। उन्होंने इस राशि का अन्यत्र उपयोग किया और बाद में नकदी की समस्या उत्पन्न हो गई। अतः सड़क निर्माण के लिए राशि उपलब्ध नहीं कराई गई। यह स्थिति कुछ समय तक बनी रही। इसके बाद हमने मार्ग निदेश जारी किए, हमने निगरानी शुरू की, हमने जांच शुरू की और इसके बाद धीरे–धीरे कार्य होने लगा।

वर्तमान में, गत तीन वर्षों के लिए आज तक की स्थिति के अनुसार इस निधि के अंतर्गत कुल वास्तविक राशि 2927 करोड़ रुपये है। हमने 2600 करोड़ रुपये मूल्य के कार्य को स्वीकृति प्रदान कर दी है अर्थात् केवल 300 करोड़ रुपये से कम राशि के कार्य हेतु राज्यों को स्वीकृति प्रदान की गई और यह राशि उपलब्ध करा दी गई है। परन्तु राज्य सरकारों ने केवल 1,073 करोड़ रुपये का उपयोग किया है। इसका यह मतलब है कि लगभग 3000 करोड़ रुपये में से लगभग 1000 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया। यह स्थिति है।

महोदय, जैसा कि मैंने कहा है कि दो कारण हैं। कुछ राज्यों ने बहुत अच्छा कार्य किया है। उदाहरणार्थ मिजोरम में 99 प्रतिशत उपयोग किया गया। कुछ ऐसे राज्य हैं जिनमें लगभग केवल 10 प्रतिशत अथवा 11 प्रतिशत राशि का उपयोग किया गया। इस मामले में तेजी लाने के लिए मैंने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है और इस मामले में प्रगति भी हुई है।

जहां तक आंध्र प्रदेश का संबंध है, वहां 51.64 प्रतिशत उपयोग किया गया। कुल स्वीकृत राशि 243 करोड़ रुपये है और कुल प्रयुक्त राशि लगभग 125 करोड़ रुपये है जो कि लगभग 51.64 प्रतिशत है।

दूसरे, उन्होंने निगरानी प्रणाली के बारे में पूछा है। हम दो पद्धतियों से निगरानी कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा है कि हमने निधि का एक–तिहाई भाग आवंटित किया है। हम सड़क के नाम के अंतर्गत राज्य सरकारों को विशिष्ट सड़कों के लिए अपेक्षित राशि आवंटित करते हैं। हमने इस राशि को सड़क विशेष के लिए जारी किया है। राज्य सरकार राशि को उस निश्चित सड़क के लिए ही व्यय करने हेतु बाध्य है। तत्पश्चात् उन्हें किसी जिम्मेवार अधिकारी द्वारा भेजी गई राशि के उपयोग के बारे में यह बताते हुए सूचित करना होगा कि यह राशि निश्चित सड़क के लिए उपयोग की गई है। इसके बाद ही हम दूसरी किस्त जारी करते हैं और दूसरी सड़कों के लिए स्वीकृति प्रदान करते हैं। हम यही प्रणाली अपना रहे हैं।

श्री ए. नरेन्द्र : महोदय, मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न है : राज्यों में भारी संख्या में सड़कें खराब हालत में हैं और इनका विस्तार और रख–रखाव किए जाने की आवश्यकता है। परन्तु रख–रखाव और अन्य कार्य धनाभाव के कारण शुरू नहीं किए जा रहे हैं। यदि ऐसा है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार का प्रस्ताव कम से कम उन राज्यों, जो बेहतर कार्य कर रहे हैं, को आवंटन बढ़ाने का है और यदि नहीं, तो राज्यों में सड़कों की हालत सुधारने का क्या समाधान होगा?

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी : महोदय, सर्वप्रथम मैं माननीय सदस्य को यह सूचित करना चाहता हूं कि स्वतंत्रता के बाद पहली बार इस प्रकार का कार्यक्रम शुरू किया किया गया है। हम राज्य सड़कों के लिए लगभग 3500 करोड़ रुपये उपलब्ध करा रहे हैं। केन्द्रीय सड़क निधि में से ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ग्रामीण सड़कों के लिए 2500 करोड़ रुपये और इस निधि से राज्य सड़कों के लिए 1000 करोड़ से भी अधिक रुपये प्रदान किए जा रहे हैं। अतः, केवल इसी सरकार ने देश में सड़कों के सुधार पर सोचना आरम्भ किया है। हमारे पास विभिन्न प्रकार की 33 लाख किलोमीटर लम्बी सड़कें हैं जिनमें से 58000 किलोमीटर लम्बे राष्ट्रीय राजमार्गों का सीधे केन्द्र सरकार द्वारा रख–रखाव किया जाता है और शेष का रख–रखाव राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। चूंकि राज्यों के पास इस प्रकार की कोई निधि नहीं है, अतः वर्तमान सरकार ने यह अभूतपूर्व कदम उठाया है और राज्यों में प्रमुख सड़कों और राज्य राजमार्गों के रख–रखाव के लिए अब प्रतिवर्ष 3500 करोड़ रुपये से भी अधिक की राशि उपलब्ध कराई गई है। हम प्रतिवर्ष 1000 करोड़ रुपये आवंटित कर रहे हैं। यह तीसरा वर्ष है। हमने 2900 करोड़ रुपये से अधिक अर्थात् लगभग 3000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

अतः, विगत में सभी राज्यों को ग्रामीण सड़कों सहित सभी कार्यों के लिये प्रतिवर्ष उपलब्ध कराई जा रही केवल 27 करोड़ रुपये की तुलना में राज्यों को उपलब्ध कराई जा रही यह राशि अत्यधिक है। अब हम प्रतिवर्ष 3500 करोड़ रुपये दे रहे हैं। अतः, यदि इस राशि का समुचित उपयोग किया जाएगा तो कुछ समय में सभी राज्यों की सड़कों में वास्तव में सुधार हो जाएगा।

अतिरिक्त धनराशि प्रदान करने के संबंध में, इस सरकार ने डीजल और पेट्रोल पर उपकर लगाने का साहस दिखाया है और इस प्रकार से हमें अतिरिक्त राशि मिल रही है। यदि सभा चाहती है कि ऐसी और निधि सृजित की जाए तो ऐसे कुछ और सुझाव दिए जा सकते हैं।

श्री ए. पी. अब्दुल्लाकुट्टी : महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। केरल में राष्ट्रीय राजमार्गों विशेषकर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 की स्थिति बहुत खराब है। इसका समुचित रख–रखाव नहीं हो रहा है। यहां पर समुचित विकास कार्य नहीं हुआ है। इस लापरवाही के कारण राष्ट्रीय राजमार्गों पर प्रतिदिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। कल मेरे निर्वाचन क्षेत्र के समीप एक मोटर दुर्घटना के कारण एशिया नेट टी.वी. के एक संवाददाता श्री सुरेन्द्रन नीलेश्वरम की मृत्यु हो गई। क्या माननीय मंत्री को राष्ट्रीय राजमार्गों के हालत की जानकारी है और राष्ट्रीय राजमार्गों विशेषकर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 की हालत को सुधारने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी : महोदय, वस्तुतः यह प्रश्न इसके अंतर्गत नहीं आता। यदि आप मुझे निदेश दें तो मैं इसका उत्तर दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, यह इसके अंतर्गत नहीं आता है।

श्री के. एच. मुनियप्पा : महोदय, माननीय मंत्री ने कर्नाटक हेतु केन्द्रीय सड़क निधि के लिए 165 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है और उपलब्ध भी कराई है। पिछली बार जब श्री धरम सिंह, कर्नाटक के लोक कार्य विभाग के मंत्री यहां आए थे तो उस समय उन्होंने चेन्नई की ओर एक महत्वपूर्ण सड़क, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 के लिए अनुरोध किया और अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। यद्यपि यह मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है तथापि यह अत्यधिक गम्भीर मामला है। मेरा माननीय मंत्री से यह निवेदन है कि इस सड़क पर औसतन प्रतिदिन एक दुर्घटना होती है। गत वर्ष 270 दुर्घटनाएं हुईं और इस वर्ष यह संख्या 365 तक पहुंच जाएगी। हम चार लेनों वाले मार्ग की मांग कर रहे हैं। यह सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 चेन्नई और तिरुपति को जोड़ता है। यह बहुत महत्वपूर्ण सड़क है। इसका प्रस्ताव भी है।

महोदय, मैं जानता हूं कि यह मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है जो कि केन्द्रीय सड़क निधि के बारे में है। मैंने इस मामले पर पहले ही माननीय मंत्री को अभ्यावेदन दिया है और मैंने उनका ध्यान इस महत्वपूर्ण मामले की ओर दिलाते हुए अनुरोध किया है और अब मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता है और वे कृपया इस पर कार्यवाही शुरू करें। यह मेरा अनुरोध है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री इसे नोट कर लें। मुझे बस यही कहना है।

डा. जयन्त रंगपी : महोदय, विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों और ऐसे क्षेत्रों में जहां वर्षा अधिक होती है, रख–रखाव की लागत हमारे देश में अन्य क्षेत्रों में सड़कों के रख–रखाव की लागत की तुलना में अधिक है। इसी कारण से पूर्वोत्तर के पर्वतीय क्षेत्रों, विशेषकर करबी अंगलांग और नार्थ काचेर हिल के पर्वतीय क्षेत्रों की सड़कों चाहे वह राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग अथवा जिला राजमार्ग हो, की हालत बहुत खराब है। जबकि इन क्षेत्रों को भी अन्य क्षेत्रों के समतुल्य निधि उपलब्ध कराई जाती है, फिर भी वर्षा, क्षेत्र के प्रभाव के कारण सड़कों के रख–रखाव की लागत बहुत अधिक है। इन बातों के मद्देनजर महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने इन पर्वतीय क्षेत्रों जहां वर्षा अधिक होती है और विशेषकर करबी अंगलांग हिस्से के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 36 सहित, असम के पर्वतीय जिलों–करबी अंगलांग और नार्थ काचेर की सड़कों के लिए विशेष प्रावधान पर विचार किया है?

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी : महोदय, जहां तक पर्वतीय क्षेत्र, दुर्गम क्षेत्र का संबंध है, इंडियन रोड कांग्रेस ने लागत पहलू सहित कतिपय विनिर्दिष्टयां निर्धारित की हैं और प्रति किलोमीटर सड़क की मरम्मत, रख–रखाव अथवा सुधार की लागत बहुत अधिक है। पूर्वोत्तर में, जिन क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, के लिए हम सुधार हेतु 70 लाख से 80 लाख रुपये प्रति किलोमीटर प्रदान कर रहे हैं। अतः, हम इस पर ध्यान देते हैं।

जहां तक विशेष प्रावधान का संबंध है, माननीय सदस्य

यह जानते हैं कि मैं भी पर्वतीय क्षेत्र का हूं और मैं वहां की समस्याओं के बारे में जानता हूं। अतः, हम उन्हें वह सब कुछ दे रहे हैं जो इस प्रणाली के भीतर सम्भव है। उदाहरणार्थ, केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत, हमने पूर्वोत्तर क्षेत्र में राज्य सरकारों को अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराई हैं। हमने उन्हें अतिरिक्त मामलों में स्वीकृति प्रदान की हैं। हम यह सभी कार्य अनुमत सीमा के भीतर करते हैं, हमने इन दुर्गम क्षेत्रों का ध्यान रखा है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया गया है।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : महोदय, मैं आरम्भ में ही यह बताना चाहती हूं कि केन्द्रीय सड़क निधि अपने–आपमें अनुचित निधि है क्योंकि इसमें से धनराशि उन्हीं क्षेत्रों के लिए दी जाती है जहां आवागमन अधिक है और अन्य क्षेत्रों के लिए धनराशि नहीं दी जाती है क्योंकि यह क्षेत्र में यातायात के आधार पर दी जाती है। इसमें और समस्या भारी मात्रा में अप्रयुक्त निधि की है। अतः, मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहती हूं कि क्या वे ऐसे राज्यों को पुरस्कृत करेंगे जो निधियों का पूर्णतया उपयोग करते हैं और अप्रयुक्त निधियों को उन राज्यों को आवंटित करेंगे जो निधियों का उपयोग करने में सक्षम हैं?

दूसरे, मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगी कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाएंगे–वैसे मैंने इस विषय पर पहले भी चर्चा की है–कि सड़क निधि की राशि राज्य के सभी क्षेत्रों में समान रूप से वितरित की जाए। कुछ शक्तिशाली लोग, जो या तो मंत्री अथवा मुख्य मंत्री अथवा ऐसे लोग होते हैं जो अपना दबाव डाल सकते हैं, राज्य की समूची सड़क निधि को, दूसरों की कीमत पर, राज्य में अपने ही निर्वाचन क्षेत्र में लगाने की कोशिश करते हैं। अतः, मैं मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि इसका उपयोग करते समय क्या उनके पास ऐसी कोई प्रणाली है जिससे सड़क निधि का राज्य के भीतर ही समान वितरण हो सके? श्री येरननायडू जैसे व्यक्ति को निधि का एक बड़ा हिस्सा मिलेगा क्योंकि वह पार्टी का नेता है परन्तु अन्य लोगों को उतना हिस्सा नहीं मिलेगा। सभी जगह ऐसा ही हो रहा है। अतः मैं माननीय मंत्री से पूछती हूं कि क्या उनके पास सड़क निधि का राज्य में ही समान वितरण करने, अप्रयुक्त निधियों का उपयोग करने और राज्यों में भी इसका समान वितरण सुनिश्चित करने की कोई पद्धति है?

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी : महोदय, सर्वप्रथम, मैं अंतिम मुद्दे पर टिप्पणी करना चाहता हूं। उन्होंने श्री येरननायडू की बात की है। माननीय सदस्य भी बहुत शक्तिशाली हैं। मैं निजी तौर पर जानता हूं कि वे कितनी शक्तिशाली हैं...*(व्यवधान)*

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : इस प्रकार शोर–शराबे के बावजूद मुझे कुछ हासिल नहीं होता है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : वे वास्तव में प्रशंसा कर रहे हैं।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : इसलिए, मैं कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद सुरक्षा की मांग कर रही हूं।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी : महोदय, उन्होंने बहुत उचित प्रश्न उठाया है। मैं आपको स्पष्ट कर दूंगा कि हम क्या कर रहे हैं। उन्होंने दो प्रश्न पूछे हैं। पहला प्रश्न तो यह है कि क्या हम उन राज्यों, जो निधियों का अल्प उपयोग करते हैं से निधियां वापस लेकर उन राज्यों को देते हैं जो निधियों का बेहतर उपयोग कर रहे हैं। महोदय, सैद्धान्तिक रूप से यह बात सही हो सकती है, परन्तु जैसा कि मैंने कहा है कि यह हमारे प्रयोग का तीसरा ही वर्ष है और हमें राज्यों को अपनी स्थिति सुधारने का समय देना चाहिए। हमारी व्यवस्था के अनुसार उन राज्यों जो निधियों का समुचित उपयोग नहीं कर रहे हैं, को राशि नहीं मिलेगी। अतः, अब राज्य भी इस बात को समझने लगे हैं कि यदि वे इस राशि का समुचित रूप से उपयोग नहीं करेंगे तो उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पहले दो वर्षों में उपयोग बहुत कम रहा। केवल इसी वर्ष इसमें थोड़ा सुधार आया है। अतः मेरा यह निवेदन है कि हमें अगले एक वर्ष का मौका देना चाहिए और इसके बाद यदि अपेक्षित हो, तो हम ऐसे उपबंध करेंगे। यह मामला हमारे विचाराधीन है, परन्तु मैं चाहता हूं कि राज्यों को अपनी स्थिति सुधारने और व्यवस्था के साथ चलने के लिए पर्याप्त समय मिले।

दूसरी बात जो उन्होंने कही है वह समान वितरण के बारे में है।

डा. नीतिश सेनगुप्ता : अच्छे निष्पादन वाले राज्यों के संबंध में उनके सुझाव का क्या होगा?

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी : अच्छा कार्यनिष्पादन वाले राज्यों के संबंध में, जैसा कि मैंने कहा है, जब प्रणाली में यह परिवर्तन किया जाएगा कि ऐसे राज्यों,

जो निधियों का समुचित उपयोग नहीं कर रहे हैं, से निधि वापस ले ली जाएंगी तो स्वाभाविक है कि ऐसी निधि ऐसे राज्यों को दी जाएगी जो निधियों का अधिक उपयोग कर रहे हैं। इस समय हम ऐसा करना नहीं चाहते हैं और न ही इस प्रणाली को लागू करना चाहते हैं। दूसरा प्रश्न जो उन्होंने पूछा है, मैं बता रहा हूं, कि क्या क्षेत्रों को निधियों का आवंटन करने में निष्पक्षता बरती गई है। मेरे कार्यकाल के पहले वर्ष में कोई घटना हुई थी और जो कुछ भी हो रहा था हमें उसकी जानकारी नहीं थी। अपने कार्यकाल के पिछले डेढ़ वर्ष से मैंने अपने पास प्रत्येक राज्य का मानचित्र रखा है। जब कभी भी सिफारिश आती है तो उसे मैं मानचित्र पर अंकित कर देता हूं।

मैं मुख्यमंत्रियों के पास गया और उनसे अनुरोध किया कि अमुक क्षेत्र में अधिकाधिक निधि दी जा रही है और अमुक क्षेत्र को कुछ भी नहीं दिया गया है। अतः, कृपया अपनी सिफारिशों में संशोधन कीजिए। संशोधन होते रहे हैं। मैं ऐसा कर रहा हूं लेकिन माननीय सदस्य को समझना चाहिए मुझे राज्यों के माध्यम से यह करना होता है। कुछ मामलों को अस्वीकार किया गया है। मैं यह कार्य कर रहा हूं लेकिन यदि कुछ मुख्यमंत्री मुझे कुछ कहते हैं तो उस बात को थोड़ा और महत्व दिया जाता है।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : कृपया आप तैयार कार्य योजना की एक प्रति हमें भेज दीजिए ताकि हमें पता चल सके कि यह धन कहां जा रहा है...*(व्यवधान)*

श्री महेश्वर सिंह : महोदय, इस पर आधे घंटे की चर्चा होनी चाहिए।

श्री अकबर अली खांदोकर : महोदय, इस पर चर्चा होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप सूचना दे सकते हैं तो उस पर विचार किया जा सकता है।

श्री ई. पोन्नुस्वामी : इस पर चर्चा होने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : आप सूचना दे सकते हैं और मैं इस पर विचार करूंगा।

सऊदी अरब में लापता भारतीय नागरिक

*224. **श्री के. येरननायडू** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सऊदी अरब में नौकरी करने के लिए गए बहुत से भारतीय लापता हो गए हैं और उनके अते-पते की कोई जानकारी नहीं है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे कितने भारतीय लापता हुए हैं; और

(ग) हमारे राजनयिक मिशन द्वारा उस देश में उनका पता लगाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) सऊदी अरब स्थित राजदूतावास/कोंसलावास को दी गई रिपोर्ट के अनुसार, पिछले तीन वर्षों से गुम हुए लोगों की संख्या नीचे दिए अनुसार है-

वर्ष	रिपोर्ट किए गए मामले
2000-2001	101
2001-2002	105
2002-2003 (नवंबर, 2002 तक)	73

(ग) सऊदी अरब स्थित हमारा राजदूतावास और कोंसलावास गुम हुए भारतीयों को खोजने के लिए इन मामलों को उनके नियोक्ताओं और सऊदी प्राधिकारियों के साथ उठाता है। कुछ मामलों में, भारत में भर्ती एजेंटों से भी मिला जाता है। इन प्रयत्नों के परिणामस्वरूप, कई गुम हुए व्यक्तियों को खोज लिया जाता है और उनका भारत में अपने परिवार के सदस्यों के साथ संपर्क स्थापित कराया जाता है। अधिकतर मामलों में, व्यक्तिगत कारणों से अपने परिवार के साथ संपर्क न रखने का उन व्यक्तियों का यह सुविचारित निर्णय होता है। कई मामलों में, संबंधित व्यक्ति अपने रिश्तेदारों के साथ पुनः संपर्क कर लेते हैं, परंतु राजदूतावास/कोंसलावास को सूचित नहीं करते।

श्री के. येरननायडू : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय के उत्तर से यह स्पष्ट है कि सऊदी अरब में प्रत्येक वर्ष 100 से अधिक लोग लापता हो जाते हैं। मैं प्रश्न पूछ रहा हूं जो केवल सऊदी अरब में ही नहीं अपितु अन्य खाड़ी देशों में रहने वाले भारतीयों से संबंधित है। वर्ष 2000-2001 में कुल लापता मामले 101; वर्ष 2001-2002 में विशेष रूप से सऊदी अरब में 105 ऐसे मामले तथा 2002-2003 में (नवम्बर, 2002 तक) 73 कुल लापता मामले दर्ज हुए। अनेक बेरोजगार युवा नकली और अवैध नौकरी दिलाने वाली एजेंसियों के जाल में फंस रहे हैं। ये एजेंसियां इन लोगों को भर्ती करके सऊदी

अरब तथा अन्य खाड़ी देशों में भेज रहे हैं लेकिन उन्हें वहां नौकरियां नहीं मिल रही हैं। इन लोगों के साथ धोखा हो रहा है क्योंकि वे उन्हें भर्ती करने के लिए धन ले रहे हैं। गरीब लोग अपनी सम्पत्ति बेचकर पैसा देते हैं। जिन लोगों को भर्ती किया गया था, बताया गया है कि उनमें से कुछ लोगों ने सऊदी अरब तथा अन्य खाड़ी देशों में अपराध किए, कुछ मारे गए और अन्य जेल में हैं। यह सब हो रहा है और यह समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ था।

यह एक गंभीर मामला है जिसकी जांच किए जाने की आवश्यकता है। क्या सरकार ने कभी इन लापता लोगों के बारे में पूछताछ की है? क्या उन्होंने कभी यह पूछताछ की कि कितने लोग वहां जेलों में हैं, कितने लोग मारे गए और क्या उनके पार्थिव शरीर उनके परिवार को सौंपे गए अथवा नहीं?

[हिन्दी]

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, समय-समय पर मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर्स के माध्यम से सऊदी अरब में हमारे जो दो मिशन कांसुलेट जनरल और एसेम्बली हैं, उन दोनों जगह पर इस बात की निगरानी रखी जाती है। जहां भी जरूरत होती है, हमारी तरफ से उनकी कमी पूरी की जाती है। आपने सही कहा कि हमारे देश में बेरोजगारी है जिसके चलते एजेंट उनको बहला-फुसलाकर वहां ले जाते हैं और वहां जाकर उनको तरह-तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। सरकार इस बात से पूरी तरह से वाकिफ है। आपको यह भी पता है कि भारत के तकरीबन 14 लाख लोग सऊदी अरब में काम करते हैं जो वहां इन मुसीबतों को झेलते हैं। हमारा कहना है कि 14 लाख की संख्या को देखते हुए हमने आपके सामने जो फिगर्स रखी है, वह करीब-करीब नगण्य है। यह 101, 105 या 73 की संख्या फिगर के हिसाब से ज्यादा नहीं है लेकिन जहां तक समस्या का सवाल है, उस पर हम नजर रखे हुए हैं।

[अनुवाद]

श्री के. येरननायडू : माननीय अध्यक्ष महोदय, चाहे यह आंकड़ा 101 अथवा 105 है, लेकिन यह नगण्य नहीं है। यदि यह एक व्यक्ति के जीवन का भी सवाल हो, हमें इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। इन देशों में काम कर रहे 14 लाख लोगों में से लापता लोगों की यह संख्या बहुत कम हो सकती है लेकिन जहां तक प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का संबंध है, हमें इसे गंभीरतापूर्वक लेना होगा। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने ऐसी बातों की जांच करने, उन्हें अन्य लोगों द्वारा दिए जाने वाले धोखे से बचाने, आदि के लिए कोई पूर्ण तंत्र विकसित किया है? क्या इस अनुभव के पश्चात् सरकार ने इन लोगों की रक्षा हेतु कोई तंत्र विकसित किया है?

[हिन्दी]

श्री दिग्विजय सिंह : जहां तक मैकेनिज्म का सवाल है, तो हमारा कहना है कि एजेंट और यहां के लोगों में सीधा सम्पर्क होता है। वे उनसे तरह-तरह की फीस चार्ज करते हैं लेकिन हमारे मिशन की तरफ से जो मेड सर्वेंट का केस होता है, उसमें हमने एक प्रेस्क्राइब्ड रूल बनाया है। उस नियम के तहत उनको वहां नौकरी की इजाजत देते हैं।

[अनुवाद]

श्री ए. सी. जोस : महोदय, अधिकतम लापता संबंधी मामलों की सूचना खाड़ी देशों में से सऊदी अरब से आई है। आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2000-01 में लापता संबंधी मामलों की संख्या 101 थी। वर्ष 2001-02 में यह संख्या 105 थी और वर्ष 2002-03 में यह संख्या 75 है।

अध्यक्ष महोदय : आपको आंकड़े देने की आवश्यकता नहीं है। आंकड़े पहले ही उपलब्ध हैं।

श्री ए. सी. जोस : महोदय, आंकड़े दर्शाते हैं कि प्रत्येक वर्ष लापता लोगों की सूचित संख्या बढ़ रही है। क्या सरकार ने इन कारणों की जांच की है कि लापता लोगों के इतने मामलों की सूचना सऊदी अरब से ही क्यों आ रही है? क्या वे इस संबंध में संभावित कारणों के किसी नतीजे पर पहुंचे हैं?

महोदय, समस्या यह है कि अनपढ़ लोग वहां जा रहे हैं जो उस देश के नियम और विनियम तथा व्याप्त स्थितियों के बारे में नहीं जानते। क्या सरकार लोगों को शिक्षित करने हेतु कि अमुक अर्हता प्राप्त लोग उस देश में जा सकते हैं और उस देश की व्याप्त स्थितियों के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए भी देश के भीतर ही उचित प्रचार करने हेतु कदम उठाएगी? लोगों को इन कारणों की जानकारी होनी चाहिए कि उस देश में लोग क्यों लापता हो जाते हैं। माननीय मंत्री ने बताया है कि मंत्रालय को इस समस्या की जानकारी है लेकिन मुझे पता नहीं है कि सऊदी अरब में हमारे मिशन

को इस बारे में पता है अथवा नहीं। हमारा मिशन ठीक से काम नहीं कर रहा है। मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार इन कारणों की जांच करेगी कि उस देश से लापता लोगों के इतने मामले क्यों आए हैं?

श्री दिग्विजय सिंह : महोदय, जिन लोगों को लापता बताया गया है वे अक्सर निजी कारणों विशेष रूप से घरेलू मतभेदों के कारण घर पर अपने परिवार के सदस्यों से नियमित सम्पर्क नहीं कर पाते हैं। अतः, ये तथाकथित लापता लोग वे नहीं हैं जिन्हें रोजगार में समस्याएं नहीं हैं, कुछेक लोग अपने मूल प्रायोजक अथवा नियोजक को छोड़ देते हैं और अपने परिवार के सदस्यों के साथ सम्पर्क नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें अभी तक उचित वैकल्पिक रोजगार नहीं मिला है। दूतावास द्वारा किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप ऐसे और लापता लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ पुनः सम्पर्क स्थापित करने के लिए सहमत हो गए हैं।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, हमारे देश से, विशेष रूप से दक्षिण भारतीय राज्यों से बहुत बड़ी संख्या में लोग नौकरी की आशा में एजेंटों के माध्यम से सऊदी अरब जाते हैं। इनमें से बहुत सारे लोग फर्जी पासपोर्टों पर भी ले जाए जाते हैं, जिनमें महिलाओं की भी बड़ी संख्या है। महिलाओं का वहां पर शारीरिक शोषण भी होता है और फर्जी पासपोर्ट होने के कारण उन्हें पुलिस कार्रवाई की धमकियां दी जाती हैं। उन्हें घरों से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है और घरों में बंधक बनाकर रखा जाता है, जिसके कारण वे रिपोर्ट भी नहीं कर पाती हैं। ऐसे बगैर रिपोर्ट किए हुए कितने प्रकरणों की जानकारी हमारे मंत्रालय ने की है तथा इन महिलाओं को वापस देश में लाने के लिए कार्रवाई की गई है तो उसकी संख्या बताने का कष्ट करें।

श्री दिग्विजय सिंह : महिलाओं के बारे में जहां तक माननीय सदस्य ने सवाल पूछा है, हमारे पास जो रफ एस्टीमेट है, उसके हिसाब से सऊदी अरब में जो हाउसमेट काम करती हैं, उस तरह की महिलाओं की संख्या करीब दस हजार के आसपास है और ज्यादा महिलाएं जो वहां पर यह काम कर रही हैं, खासतौर से सऊदी अरब में, दूसरे देशों की बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन सऊदी अरब में जो लोग हैं, उनकी हालत ज्यादातर अच्छी है। हम लोगों के माध्यम से जो वहां रजिस्ट्रेशन कराए हुए हैं, उनकी शिकायत सुनने को नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी सऊदी अरब की तरफ से इसके बारे में कुछ इन्तजाम भी किया गया है। एक हाउसमेट वैलफेयर सेंटर सऊदी अरब में बना हुआ है, जहां ऐसी महिलाओं को, जिनकी प्रताड़ना होती है, वहां रह सकती हैं। कई बार यह भी सवाल उठता है कि भारत स्वयं इस तरह का कोई सेंटर बनाने वाला है या नहीं। मैं सदन की जानकारी के लिए यह कहना चाहूंगा कि अब हम एक वैलफेयर फंड का निर्माण वहां कर रहे हैं, जिसके तहत इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सं. 225

श्री रामजीवन सिंह	उपस्थित नहीं
प्रश्न सं. 226	
श्री चन्द्रेश पटेल	उपस्थित नहीं
प्रश्न सं. 227	
श्री योगी आदित्यनाथ	उपस्थित नहीं
श्री बृजलाल खाबरी	उपस्थित नहीं
प्रश्न सं. 228	
श्री प्रियरंजन दासमुंशी	उपस्थित नहीं
प्रश्न सं. 229	
श्री अशोक ना. मोहोल	उपस्थित नहीं
श्री वी. वेत्रिसेलवन	उपस्थित नहीं
प्रश्न सं. 230	
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर	उपस्थित नहीं
श्री त्रिलोचन कानूनगो	उपस्थित नहीं
प्रश्न सं. 231	
श्री अजय सिंह चौटाला	उपस्थित नहीं

श्री एस. बंगरप्पा : महोदय, मुझे इस पर कड़ी आपत्ति है। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और इसमें से अधिकांश प्रश्न स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित हैं। तथापि, प्रश्न पूछने के लिए कोई भी माननीय सदस्य यहां उपस्थित नहीं हैं। मेरे विचार से यहां दाल में कुछ काला है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी टिप्पणियों को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सं 232, श्री चन्द्र विजय सिंह

पोलियो उन्मूलन

+

*232. **श्री चन्द्र विजय सिंह :**
श्री अरुण कुमार :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में पोलियो के कितने मामलों का पता चला;

(ख) तत्संबंधी वर्ष–वार और राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश में पोलियो के रोगियों की संख्या में वृद्धि होने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या हाल ही में इस संबंध में केन्द्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों की कोई बैठक हुई है;

(ङ) यदि हां, तो इस बैठक में क्या परिणाम निकले; और

(च) सरकार द्वारा देश से पोलियो के पूर्ण उन्मूलन हेतु क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (च) एक विवरण लोक सभा के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में पता लगाए गए पोलियो के मामलों की वर्ष–वार और राज्य–वार संख्या अनुबंध में है।

(ग) देश में विशेष तौर से उत्तर प्रदेश में पोलियो के मामलों की संख्या में वृद्धि के कारण इस प्रकार हैं--

1. प्रत्येक दौर में 10 से 15 प्रतिशत बच्चे छूट रहे हैं जिससे समुदाय में पोलियो का अनवरत संचरण हो रहा है।

2. नेमी रोगप्रतिरक्षण के अन्तर्गत कम कवरेज।

(घ) और (ङ) सरकार ने उत्तर प्रदेश में पोलियो की स्थिति पर सम्यक ध्यान दिया है। राज्य सरकार पर राज्य में पोलियो के मामलों को रोकने के लिए सभी सम्भव उपाय करने पर जोर देते हुए उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री को पत्र भेजा गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हाल ही में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लखनऊ में मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश से भी मिले हैं और पोलियो की स्थिति पर उनके तथा राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत विचार–विमर्श किया है। उन्होंने राज्य में पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम के अच्छे से अच्छे तथा संभव तरीके से कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कोई कसर न उठा रखने का वचन दिया।

(च) उन राज्यों जहां पोलियो के मामलों का बहुत बड़ी संख्या में पता लगाया गया है, के विशेष संदर्भ में निम्नलिखित विशेष उपाय किए गए हैं :

(i) छूटे हुए बच्चों का पता लगाने और उनको वैक्सीन लगाने में सुधार करने के लिए स्थानीय समुदाय से तीसरे सदस्य को जोडकर घर–घर जाने वाले वैक्सीनेशन दलों को सुदृढ़ बनाया गया है।

(ii) सामुदायिक कार्यप्रवृत्तकों को प्रतिरोधक क्षेत्रों में इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सुधार लाने के लिए काम पर लगाया गया है।

(iii) देश के अन्य भागों में दो दिनों के मुकाबले बूथ दिवस के पश्चात् पांच दिनों के लिए छूटे हुए बच्चों को घर–घर जाकर पोलियो की दवा पिलाई जा रही है।

(iv) अतिरिक्त सूचना, शिक्षा व सम्प्रेषण संबंधी कार्यकलापों का आयोजन किया जा रहा है।

(v) भारत सरकार के साथ–साथ राज्यों में भी शीर्ष राजनीतिक और विभागीय स्तरों पर इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन को ध्यानपूर्वक मानीटर किया जा रहा है।

(vi) इस कार्यक्रम में परामर्श और लोगों की अधिक भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय

प्रेरकों/सामाजिक और धार्मिक नेताओं को सम्मिलित किया जा रहा है।

(vii) बेहतर मानिटरिंग और पर्यावेक्षण सुनिश्चित करने में राज्यों की सहायता करने के लिए प्रत्येक जिले में एक निगरानी चिकित्सा अधिकारी तैनात किया गया है।

अनुबंध

2000 से 2002 तक के पोलियो मामले

(29.11.2002 तक)

क्र.सं.	राज्य/संघ क्षेत्र का नाम	2000	2001	2002
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	0	0	0
2.	अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0
4.	असम	0	1	0
5.	बिहार	50	27	81
6.	चंडीगढ़	1	0	0
7.	छत्तीसगढ़	–	0	1
8.	दादरा और नागर हवेली	0	0	0
9.	दमन और दीव	0	0	0
10.	दिल्ली	3	3	24
11.	गोवा	0	0	0
12.	गुजरात	2	1	18
13.	हरियाणा	4	5	12
14.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0
15.	जम्मू–कश्मीर	0	0	1
16.	झारखंड	–	2	10
17.	कर्नाटक	8	0	0
18.	केरल	1	0	0
19.	लक्षद्वीप	0	0	0
20.	मध्य प्रदेश	2	0	11
21.	महाराष्ट्र	7	4	4
22.	मणिपुर	0	0	0
23.	मेघलय	0	0	0
24.	मिजोरम	0	0	0
25.	नागालैंड	0	0	0
26.	उड़ीसा	0	0	2
27.	पांडिचेरी	0	0	0
28.	पंजाब	0	5	0
29.	राजस्थान	0	0	8
30.	सिक्किम	0	0	0
31.	तमिलनाडु	0	0	0
32.	त्रिपुरा	0	0	0
33.	उत्तरांचल	–	3	11
34.	उत्तर प्रदेश	179	216	947
35.	प. बंगाल	8	1	33
	योग	265	268	1163

श्री चन्द्र विजय सिंह : महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में बच्चों को दी गई घटिया पोलियो ड्रॉप संबंधी कितने मामले पता लगाए गए हैं। उनका जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है?

श्री ए. राजा : हमें उत्तर प्रदेश में घटिया दवा देने के संबंध में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। यदि मंत्रालय में कोई विशेष शिकायत की गई है तो हम उस पर कार्यवाही कर सकते हैं।

श्री चन्द्र विजय सिंह : महोदय, माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में कहा है कि इस कार्यक्रम में लोगों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने तथा समर्थन करने के लिए स्थानीय प्रभावकारी व्यक्ति, सामाजिक और धार्मिक नेताओं को इसमें शामिल किया जा रहा है। माननीय मंत्री ने स्थानीय प्रभावकारी व्यक्तियों, सामाजिक और धार्मिक नेताओं को इसमें शामिल करने हेतु क्या विशेष कदम उठाए हैं? वास्तविक सच्चाई यह है कि सरकार के इस पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम में सहायता देने हेतु किसी भी सरकारी एजेंसी ने इनमें से किसी भी व्यक्ति से सम्पर्क नहीं किया है। क्या मंत्री महोदय मुझे इस बारे में विशेष रूप से बता सकते हैं कि इस कार्यक्रम के समर्थन के लिए सरकार ने सामंजस्य स्थापित करने हेतु किन व्यक्तियों का लक्ष्य निर्धारित किया है?

श्री ए. राजा : महोदय, पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा चलाया गया एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। यह गर्व की बात है कि इस समय देश में केवल 1,163 पोलियो के मामले सामने आए हैं। इनमें से 947 मामले उत्तर प्रदेश में पाए गए हैं। अतः, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह चिंता का गंभीर मामला है और उत्तर प्रदेश को कुछ महत्व दिया जाना चाहिए। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, मैं कहूंगा कि धार्मिक दृष्टि से एक वर्ग इसे हठधर्म अथवा अपराध मानता है कि ओरल पल्स पोलियो दवा एक तरह का बन्ध्यकरण है जिससे उनके और बच्चे जन्म नहीं ले पाएंगे। एक ऐसी गलत धारणा, विश्वास एक वर्ग के लोगों के मन में बैठा दिया गया है। इसलिए इस कार्यक्रम से दूर रहने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं है।

माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री से कई बार बातचीत की और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हम केवल सरकारी तंत्र के माध्यम से इस समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं। इसलिए, हमने जनता को शिक्षित करने, उनकी गलतफहमी दूर करने और उनके मन में यह भावना पैदा करने, कि पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम में कुछ भी गलत नहीं है, धार्मिक नेताओं और गैर-सरकारी संगठनों का सहयोग मांगा। हम सही दिशा में काम कर रहे हैं। हमने सभा में तथा सभा के बाहर यह वायदा किया था कि वर्ष 2005 से पहले भारत पोलियो मुक्त राष्ट्र हो जाएगा।

श्री हम्नान मोल्लाह : महोदय, माननीय मंत्री ने उत्तर प्रदेश के संबंध में पूछे गए प्रश्न का उत्तर दिया है। मैं उत्तर प्रदेश से संबंधित एक और प्रश्न पूछना चाहता हूं जो स्वास्थ्य मंत्रालय से संबद्ध है। आपको पता है कि सहारनपुर में पिछले एक माह में लगभग 60 बच्चे अज्ञात बीमारी के कारण मर गए हैं। रोग का चिकित्सीय निदान संभव नहीं है। समाचार-पत्रों में इसका व्यापक प्रचार किया गया है।

क्या सरकार का ध्यान सहारनपुर में अनेक बच्चों की मृत्यु की घटना की ओर दिलाया गया है? मृत्यु के क्या कारण हैं? क्या केन्द्र सरकार ने इसका पता लगाने तथा उचित उपचार हेतु चिकित्सा दल वहां भेजा है?

श्री ए. राजा : महोदय, जहां तक इस विशेष मामले का संबंध है, हमें कोई विशेष शिकायत नहीं मिली है। लेकिन यह सच है कि उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों ने सरकार पर आरोप लगाया है कि पोलियो की दवा लेने के बाद कुछ बच्चों की मृत्यु हुई है। तदनुसार, हमने व्यापक प्रयोग किया और रिपोर्ट के अनुसार पल्स पोलियो टीकाकरण का इन मृत्यु से कोई संबंध नहीं है। उनकी मृत्यु का कारण कुछ और है।

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न सं. 233, श्री मोहन रावले

श्री मनसूर अली खां : महोदय, मैंने माननीय मंत्री को सहारनपुर में हुई इन मौतों की घटना के बारे में अभी-अभी बताया है...*(व्यवधान)* अभी भी मैं उनके साथ इस मामले पर चर्चा कर रहा था।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 234

श्री मोहन रावले	उपस्थित नहीं

प्रश्न संख्या 234

श्री मनसुख भाई डी. वसावा	उपस्थित नहीं
श्री हरिभाई चौधरी	उपस्थित नहीं

प्रश्न संख्या 235

श्री एन. एन. कृष्णदास

(व्यवधान)

श्री चन्द्रकांत खैरे : महोदय, श्री मोहन रावले आ चुके हैं। कृपया उन्हें उनके प्रश्न संख्या 233 को पूछने की अनुमति दें।

अध्यक्ष महोदय : जब उनको अपना प्रश्न पूछने के लिए आवाज दी गई तो वे नहीं थे। अतः वे अपना अवसर गंवा चुके हैं।

(व्यवधान)

आघात परिचर्या केन्द्र की स्थापना

*235. **श्री एन. एन. कृष्णदास :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार विभिन्न राज्यों के सरकारी चिकित्सा कालेजों को आघात केन्द्र की स्थापना करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान 31 मार्च, 2002 तक इस प्रयोजन हेतु स्वीकृत राशि का राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(घ) केन्द्र सरकार के पास आघात केन्द्रों की स्थापना को स्वीकृति देने के लिए कितने प्रस्ताव लंबित हैं; और

(ङ) उक्त प्रस्तावों को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (ङ) एक विवरण लोक सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित नगरों/शहरों के राज्य अस्पतालों की आपाती सुविधाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण हेतु प्रायोगिक परियोजना के अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ क्षेत्र प्रशासकों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। प्रायोगिक परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित के लिए दुर्घटना और आपाती सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों/संघ क्षेत्रों को अधिकतम 1.50 करोड़ रुपये या वास्तविक अपेक्षा के अनुरूप, जो भी कम हो, वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है–

(i) दुर्घटना और आघात सेवाओं के लिए अपेक्षित सुसज्जित एम्बुलेंसों और बुनियादी अनिवार्य उपस्करों की खरीद;

(ii) सम्प्रेषण प्रणाली;

(iii) बुनियादी ढांचा (रक्त बैंक, परीक्षण कमरा, पुनः होश में लाना, आई यू सी और बर्न बेड, एक्स–रे कमरा, स्वागत कक्ष, नियंत्रण, छोटे ओ टी); और

(iv) बिस्तर और उपस्कर।

पिछले तीन वर्षों के दौरान 31 मार्च, 2002 तक इस प्रयोजन के लिए मंजूर की गई राशि का राज्य–वार ब्यौरा अनुबंध में है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में दस प्रस्ताव लंबित हैं जिसके लिए प्रक्रिया संबंधी औपचारिकताओं का अनुपालन करने के बाद वित्तीय सहायता जारी की जाएगी।

अनुबंध

राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित नगरों/शहरों के राज्य अस्पतालों के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण हेतु प्रायोगिक परियोजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान 31 मार्च, 2002 तक विभिन्न राज्यों/संघ क्षेत्रों को स्वीकृत राशि का राज्य–वार ब्यौरा इस प्रकार है–

अरुणाचल प्रदेश

1. वर्ष 2000–01 के दौरान पासीघाट जनरल अस्पताल, अरुणाचल प्रदेश में दुर्घटना और आपाती परिचर्या सेवा की स्थापना के लिए 59.00 लाख रुपये।
2. वर्ष 2000–01 के दौरान जनरल अस्पताल, नहारलागुन में आपाती सुविधाओं के उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 116.97 लाख रुपये।

बिहार

1. वर्ष 1999–2000 के दौरान पंटना मेडिकल कालेज अस्पताल के इंदिरा गांधी केन्द्रीय आपाती एकक को आधुनिक एवं अद्यतन बनाने के लिए 53.00 लाख रुपये।
2. वर्ष 2001–02 के दौरान आघात केन्द्र की स्थापना के लिए इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना को 150.00 लाख रुपये।
3. वर्ष 2001–02 के दौरान पटना के राजमार्ग आघात केन्द्र के मॉडल बिक्रम रेफरल केन्द्र में आपाती सुविधाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण हेतु 150.00 लाख रुपये।
4. वर्ष 2001–02 के दौरान मधुबनी जिले के औंसी में आघाती सेवाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण हेतु 62.71 लाख रुपये।

गुजरात

1. वर्ष 2001–02 के दौरान जनरल अस्पताल, नांडियाड, जिला–खेड़ा में आपाती सेवाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण हेतु 150.00 लाख रुपये।

हरियाणा

1. वर्ष 1999–2000 के दौरान जनरल अस्पताल, करनाल में आघात केन्द्र की स्थापना हेतु 150.00 लाख रुपये।

जम्मू-कश्मीर

1. वर्ष 2001–02 के दौरान श्रीनगर–लेह राष्ट्रीय राजमार्ग, मारगुण्ड, कंगन पर आपाती/आघाती सेवाओं के विकास के लिए 150.00 लाख रुपये।

केरल

1. वर्ष 2001–02 के दौरान जनरल अस्पताल, एर्नाकुलम में आपातकालीन सुविधाओं के उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 150.00 लाख रुपये।

मध्य प्रदेश

1. वर्ष 1999–2000 के दौरान महाराजा यशवन्त राव अस्पताल, इन्दौर में आघात केन्द्र के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण हेतु 97.00 लाख रुपये।

मिजोरम

1. वर्ष 2001–02 के दौरान सिविल अस्पताल, लुंगलाई में आपातकालीन सेवाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण हेतु 58.30 लाख रुपये।

2. वर्ष 2001–02 के दौरान सिविल अस्पताल, आइजोल में दुर्घटना एवं आपातकालीन सुविधाओं के उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 74.80 लाख रुपये।

पांडिचेरी

1. वर्ष 2000–01 के दौरान जनरल अस्पताल, माहे में आपातकालीन सेवाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण हेतु 78.00 लाख रुपये।

सिक्किम

1. एस.टी.एन.एम. अस्पताल, गंगटोक में आपातकालीन परिचर्या के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण हेतु वर्ष 2000–01 के दौरान 70.00 लाख रुपये।

त्रिपुरा

1. वर्ष 2000–01 के दौरान त्रिपुरा सुन्दरी अस्पताल (दक्षिण जिला), उदयपुर में आपातकालीन सेवाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण हेतु 70.00 लाख रुपये।

तमिलनाडु

1. वर्ष 2000–01 के दौरान जिला मुख्यालय अस्पताल, पेरमबलुर में दुर्घटना एवं आपातकालीन सेवाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण हेतु 105.00 लाख रुपये।

उत्तर प्रदेश

1. वर्ष 2000–01 के दौरान किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ में आघात केन्द्र स्थापित करने के लिए 150.00 लाख रुपये।

श्री एन एन. कृष्णदास : मैं अपना अनुपूरक प्रश्न पूछ रहा हूं।

क्या मैं माननीय मंत्री जी से यह जान सकता हूं कि केन्द्र सरकार प्रत्येक राज्य में स्थित मुख्य अस्पतालों में स्थापित अपने स्तर पर अभिघात केन्द्र स्थापित करने हेतु कितनी सहायता राशि देने जा रही है?

श्री ए. राजा : महोदय, वस्तुतः स्वास्थ्य राज्य का विषय है जिसके लिए केन्द्र सरकार कुछ सीमा तक राज्य सरकारों की सहायता कर रही है।

हमारी कुछ पूर्व–निर्धारित शर्तों के साथ विभिन्न स्तरों पर अभिघात केन्द्र स्थापित करने हेतु एक पायलट परियोजना है। उदाहरणार्थ, राष्ट्रीय राजमार्गों के मामले में हम उन्हें दुर्घटना प्रवण क्षेत्र के वर्ग में डाल सकते हैं।

अतः हमारी राज्य सरकारों की सिफारिशों के अनुसार वहां 1.5 करोड़ रुपये व्यय कर वहां अभिघात केन्द्र स्थापित करने संबंधी पायलट परियोजना है।

अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, पांडिचेरी, सिक्किम, त्रिपुरा, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में हमने संबंधित राज्य सरकारों से औपचारिक रूप से स्वीकृति लेने के बाद अभिघात केन्द्र स्थापित किए हैं।

श्री एन. एन कृष्णदास : महोदय, विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अभिघात केन्द्र स्थापित करने हेतु कई प्रस्ताव स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के पास लंबित हैं। इसे वास्तविकता में बदलने अर्थात् अभिघात केन्द्र स्थापित करने में इस अनिश्चित विलंब के क्या कारण हैं? इन सभी प्रस्तावों को शीघ्रता से निपटाने हेतु सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है?

श्री ए. राजा : जैसे ही हमें किसी माननीय संसद सदस्य से या किसी अन्य निकाय या किसी राज्य सरकार से कोई आवेदन मिलेगा हम एक समिति का गठन कर देंगे। वह समिति राज्यों में जाएगी और यह पता लगाएगी कि क्या वहां अभिघात परिचर्या केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता है या नहीं; वह गत तीन वर्षों के दौरान वहां दुर्घटनाओं की दर भी देखेगी। इन सब बातों पर विचार करने के बाद राज्य–स्तरीय समिति परियोजना की सिफारिश करेगी। जैसे ही हमें यह सिफारिश प्राप्त होगी हम धन की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, आवधिक रूप से धनराशि जारी करने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए कि एक वर्ष में 100 प्रस्ताव मिलते हैं तो हमारे पास इतनी बड़ी धनराशि नहीं है। अतः इन प्रस्तावों को वरीयता क्रम में रखकर हम धनराशि जारी करेंगे।

श्री बी. एस. शिवकुमार : मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या उनके मंत्रालय ने तिरुवनंतपुरम, केरल स्थित चिकित्सा महाविद्यालय में अभिघात परिचर्या केन्द्र स्थापित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है? क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि इस परियोजना हेतु कितनी राशि या सहायता दी जाएगी?

श्री ए. राजा : जहां तक केरल का संबंध है जनरल अस्पताल, एरणाकुलम में आपातकालीन सुविधाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण हेतु 1.5 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। हमें उस चिकित्सा महाविद्यालय में ऐसा केन्द्र स्थापित करने हेतु कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। यदि राज्य सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव मिला तो हम उस पर विचार कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री राजो सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय द्वारा दिए जवाब में कहा गया है कि बिहार में चार स्थानों पर यह सुविधा दी गई है। ये चारों क्षेत्र एक ही संसदीय क्षेत्र में सन्निहित हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या स्थानों का चयन करने के लिए हर संसद सदस्य को हैल्थ मिनिस्टर होना होगा? मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि स्थान का चयन करते समय सरकार क्या राज्य सरकार और संबंधित संसद सदस्य से विचार करेगी?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री ए. राजा : मैं नहीं सोचता कि एक या दूसरी परियोजना के बीच कोई भेदभाव है। मैं यह कह सकता हूं कि यह संसद सदस्य विशेष पर निर्भर करता है कि वह यह करे...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजो सिंह : एक ही संसदीय क्षेत्र पटना में है। जब यह है, तो क्या अन्य संसद सदस्य ऐसे ही बैठे रहेंगे? ...*(व्यवधान)* आप जब संसद सदस्य रहेंगे, तो बना लीजिएगा। ...*(व्यवधान)* बिहार के अन्य स्थानों की तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री ए. राजा : माननीय संसद सदस्य और सदन से पूर्ण आदर के साथ मैं यह कहना चाहूंगा...*(व्यवधान)* महोदय, मुझे उत्तर देने दें।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय को उत्तर देने दें। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री ए. राजा : आरंभ में ही मैं यह कह सकता हूं कि मंत्रालय की ओर से जानबूझकर और मनमाने रूप से कोई भेदभाव नहीं किया जाता। लेकिन साथ ही मैं माननीय संसद सदस्य की चिंता की उपेक्षा भी नहीं कर सकता। पूर्ण गंभीरता सहित मैं यह कहूंगा...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजो सिंह : महोदय, मंत्री जी आप गलत बयानी मत करिए। महात्मा गांधी ने कहा था, सच बोल देना ही काफी नहीं है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री ए. राजा : पूर्ण गंभीरता सहित, मैं यह कहूंगा कि मैं माननीय संसद सदस्य की चिंता की उपेक्षा नहीं कर सकता। मान लीजिए कि माननीय संसद सदस्य सक्षम हैं और राज्य सरकार से उस प्रस्ताव को अग्रेषित कराते हैं, यदि उस प्रस्ताव

को तकनीकी समिति से स्वीकृति मिल जाती है और यदि वही प्रस्ताव फिर केन्द्र सरकार को भेजा जाता है तो मेरे पास उसे स्वीकृत करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी का जवाब सुनिए।

श्री राजो सिंह : मंत्री जी आप गलत बयानी मत करिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, आप अपनी बात कह चुके हैं।

श्री ए. राजा : महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय संसद सदस्य को सूचित कर दूं कि यदि वे राज्य सरकार से अनुमति ले लेते हैं तो, मैं उनके साथ हूं; उन्हें इसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले : अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय सरकार द्वारा 13 राज्यों को सहायता दी गई है, लेकिन इसमें महाराष्ट्र नहीं है। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है, जहां मेडिकल कालेज और अस्पतालों की संख्या ज्यादा है। आप भी महाराष्ट्र से हैं और मैं भी महाराष्ट्र से हूं। इसके बावजूद भी, जैसी कि हमारे पास सूचना है, अन्य राज्यों से जो प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास आए हैं, उनको फंड्स रिलीज नहीं किए जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मंत्री महोदय एक एक्टर हैं और अब हैल्थ मिनिस्टर भी बन गए हैं। आप डाक्टर नहीं हैं, लेकिन फिल्मों में डॉक्टर का काम करते हुए एक्सपीरियेंस हो गया है। महाराष्ट्र आपकी कर्म भूमि रही है।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिए। समय सीमित है।

श्री रामदास आठवले : महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जिन राज्यों को अर्थ सहायता नहीं दी गई है, उन राज्यों को अर्थ सहायता देने के बारे में सरकार क्या विचार करेगी?

मध्याह्न 12.00 बजे

[अनुवाद]

श्री ए. राजा : जहां तक अभिघात केन्द्र का सम्बन्ध है, हमें महाराष्ट्र से कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हमने राज्य को कुछ नहीं दिया है। हम किसी अन्य शीर्ष के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और जिला स्तर के अस्पतालों के सुदृढ़ीकरण हेतु पहले ही धन दे चुके हैं।

भारतीय जहाज रानी निगम–दाभोल परियोजना के संयुक्त उद्यम

***236. श्री किरीट सोमैया** : क्या **पोत परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जहाजरानी निगम (एस.ओ.आई.) 'एनरॉन' की दाभोल परियेजना के साथ चल रहे संयुक्त उद्यम से हटने की योजना बना रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एस.सी.आई. 'एनरॉन' की दाभोल परियोजना को तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एल.एन.जी.) दुलाई में इक्विटी में भागीदारी कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ङ) क्या दो बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने उक्त तरलीकृत प्राकृतिक गैस परिवहन व्यापार में एस.सी.आई के पण को खरीदने का प्रस्ताव किया है;

(च) यदि हां, तो प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पोत परिवहन मंत्री (श्री वेद प्रकाश गोयल) : (क) और (ख) जी, नहीं। एनरॉन की दाभोल परियोजना में भारतीय नौवहन निगम (एस.सी.आई.) शेयरधारी नहीं है।

(ग) और (घ) एस.सी.आई., दाभोल पावर कंपनी के लिए एल.एन.जी. का परिवहन करने के लिए बनाई गई संयुक्त उद्यम कंपनी नामतः मैसर्स ग्रीनफील्ड होल्डिंग कंपनी लि. (जी.एच. सी.एल.) में शामिल है। इस समय एस.सी.आई. की एक एल. एन.जी. टैंकर के निर्माण, प्रचालन और स्वामित्व के लिए बनाई गई इस संयुक्त उद्यम कंपनी में 20% इक्विटी पणधारिता है। संयुक्त उद्यम कंपनी जी.एच.सी.एल. ने ओमान एल.एन.जी., ओमान और अबू धाबी गैस, यू.ए.ई. से (2 एम.एम.टी.पी.ए.) एल.

एन.जी. का परिवहन करने हेतु दाभोल पावर कंपनी के साथ 20 वर्ष की अवधि के लिए दिनांक 18.1.1999 को एक टाइम चार्टर करार निष्पादित किया था। इस संयुक्त उद्यम कंपनी में मूल रूप से मितसुई ओएसके लाइन्स (75% शेयर) और अटलांटिक कॉमर्शियल फाइनेंस इंक. (ए.सी.एफ.आई. एनरॉन की एक सहायक कंपनी) (25% शेयर) शेयरधारी थे।

भारतीय नौवहन निगम ए.सी.एफ.आई से 5% शेयर और एम.ओ.एल. से 15% शेयर खरीदकर 20% इक्विटी पण के साथ 20.1.2000 को इस परियोजना में शामिल हुआ। परियोजना में इक्विटी की वर्तमान स्थिति यह है कि ओमान सल्तनत की सरकार (जी.ओ.एस.ओ.) और मितसुई ओ.एस.के. लाइन्स (एम. ओ.एल.) में से प्रत्येक का 40% हिस्सा है और एस.सी.आई. ने अपना 20% हिस्सा बनाए रखा है।

(ङ) से (छ) जी, नहीं। इस परिवहन कार्य से संबंधित संयुक्त उद्यम में एस.सी.आई. के 20% पण को खरीदने का प्रस्ताव केवल मितसुई ओ.एस.के. लाइन्स लि. ने किया है। एस. सी.आई. बोर्ड ने 25.10.2002 को हुई बैठक में इस प्रस्ताव को सरकार के विचारार्थ संस्तुत करने का निर्णय लिया है। प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा चुका है।

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक ही सवाल पूछना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि यह जो 20 प्रतिशत शेयर बेचने का प्रस्ताव है, वह क्या है? क्या उसमें केन्द्र सरकार को शिपिंग कार्पोरेशन से कोई प्रोफिट मिलने वाला है और इन्होंने किस रेट पर शेयर लिए थे तथा किस रेट पर बेचने वाले हैं?

श्री वेद प्रकाश गोयल : महोदय, जिस तरह ऑयल का ट्रांसपोर्टेशन बढ़ रहा है, हमारा अंदाजा है कि हमने जो भी एग्रीमेंट किया है उसमें 20 प्रतिशत स्टेक कार्पोरेशन का ज्वाइंट वेंचर है।

[अनुवाद]

उन्हें लाभ का हिस्सा मिलेगा। जैसा कि आप जानते हैं दुनिया में भाड़े की दरों में उतार-चढ़ाव आता रहता है। व्यापार की दुनिया में कोई यह नहीं कर सकता कि, 'हां, यही होगा'। जब भी लाभ मिलेगा, हम उसमें निश्चित रूप से भागीदार होंगे।

अध्यक्ष महोदय : आज 20 प्रश्नों की सूची में से हम 15 प्रश्न लेने में सफल रहे हैं। मैं माननीय संसद सदस्यों द्वारा अध्यक्षपीठ से सहयोग किए जाने हेतु उनको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

प्रश्नों के लिखित उत्तर

स्वास्थ्य प्रणाली का निजीकरण

*225. **श्री रामजीवन सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सरकार द्वारा चलायी जा रही स्वास्थ्य देखरेख प्रणाली के निजीकरण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई निर्णय लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा चलाई जा रही स्वास्थ्य देखरेख प्रणाली के निजीकरण से समाज के गरीब वर्गों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के प्रभावित होने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री शत्रुघ्न सिन्हा) : (क) से (ङ) जी, नहीं। स्वास्थ्य राज्यों का एक विषय है। इसलिए, राज्य अपनी स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली के निजीकरण के संबंध में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2002 में स्वास्थ्य संबंधी कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उपयुक्त विनियामक तंत्र के साथ, निजी क्षेत्र की भागीदारी का स्वागत किया गया है। इस नीति में स्वास्थ्य परिचर्या के साथ-साथ वित्तपोषण, इक्विटी, जनस्वास्थ्य अवसंरचना इत्यादि सहित विभिन्न संगत कारकों पर विचार किया गया है जिनका देश में स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं को उपलब्ध कराने तथा इनके स्तर में सुधार लाने पर प्रभाव पड़ेगा। केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना जारी रखेगी।

[हिन्दी]

नशीले पदार्थों के प्रयोग पर प्रतिबंध

***226. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या भारत और अन्य देशों में किए गए अनेक अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि शराब, भांग, गांजा, चरस और अन्य नशीले पदार्थों के प्रयोग से कैंसर, क्षय रोग सहित अनेक बीमारियां होती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन नशीले पदार्थों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने हेतु कोई कानून बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन पर प्रतिबंध कब तक लगाया जाएगा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री शत्रुघ्न सिन्हा) : (क) और (ख) अंगूरी शराब, मारिजुआना और अन्य नशीले पदार्थों के इस्तेमाल के संबंध में कोई राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि, भारत में और अन्यत्र किए गए अनेक अध्ययनों के जरिए यह अब उचित रूप से सुस्थापित है कि लत लगाने और आश्रित होने के अधिक खतरे वाले मादक पेयों तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों तथा ओपायड पदार्थों से व्यक्ति, परिवार और समाज को शारीरिक, मनोविज्ञानी, सामाजिक और आर्थिक समस्याएं होती हैं।

एल्कोहल का इस्तेमाल प्रायः जिगर, कार्डियक और स्नायु विज्ञानी बीमारियों के विकसित होने से जुड़ा हुआ है और इंजेक्शन से ली जाने वाली नशीली औषधों सहित निषिद्ध पदार्थों का इस्तेमाल हैपेटाइटिस, एच.आई.वी./एड्स, क्षयरोग और अन्य श्वसनी रोगों के विकसित होने से जुड़ा हुआ है। अन्य रोग किसी व्यक्ति को एल्कोहल, मारिजुआना और अन्य नशीले पदार्थों (हेरोइन, अफीम और संबद्ध पदार्थ) के इस्तेमाल/दुरुपयोग द्वारा खराब होने वाले स्वास्थ्य अथवा अत्यधिक कमजोरी के कारण पीड़ित कर सकते हैं।

(ग) और (घ) वैधानिक परिदृश्य से, एल्कोहल, तम्बाकू और निषिद्ध औषधों जैसे दुरुपयोग के पदार्थों के संबंध में कार्रवाई केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा अलग–अलग अधिनियम/विनियमों के अंतर्गत की जाती है।

एल्कोहल (एल्कोहल उत्पादन और बिक्री) पर नियंत्रण रखना मुख्य रूप से राज्यीय विषय है। विभिन्न राज्यों ने भिन्न–भिन्न समय पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया है जिसके भिन्न–भिन्न परिणाम निकले हैं।

नशीले पदार्थों (अफीम, हेरोइन, मारिजुआना और साइकोट्रापिक औषधें) के संबंध में एक विशिष्ट अधिनियम अर्थात् राजस्व विभाग, भारत सरकार द्वारा अधिशासित स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1989 में संशोधित) है। इसके अंतर्गत नियंत्रण और उपचार एवं पुनर्वास से संबंधित मुद्दों पर कार्रवाई की जाती है। मादक पदार्थों के उत्पादन, खेती, वितरण और परिवहन को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कड़ाई से विनियमित किया जाता है और प्रवर्तन/दंड के लिए वैधानिक उपबंध है।

जहां तक तम्बाकू का संबंध है, गुटका सहित तम्बाकू उत्पादों के इस्तेमाल को निरुत्साहित करने के लिए एक व्यापक विधेयक संसद में पुरःस्थापित किया गया है।

आयुर्वेदिक दवाओं की गुणवत्ता

***227. योगी आदित्यनाथ :**
श्री बृजलाल खाबरी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयुर्वेदिक दवाओं पर अंतिम उपयोग तिथि न दर्शाए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या इससे इन दवाओं की गुणवत्ता में गिरावट आई है;

(ग) क्या आयुर्वेदिक दवाओं का पेटेंट प्राप्त करने के लिए कोई व्यवस्था की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री शत्रुघ्न सिन्हा) : (क) से (घ) लेबलों पर आयुर्वेदिक उत्पादों की अंतिम उपयोग तिथि सूचित करने के लिए औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। तथापि, "आयुर्वेदिक फार्मूलरी ऑफ इंडिया" में उत्पादों के कुछ समूहों की अंतिम उपयोग तिथि को सूचित किया गया है।

औषधियों को इन निर्धारित अवधियों से आगे रखे जाने से उनमें गिरावट आने की संभावना है।

पेटेन्ट उन आविष्कारकों द्वारा प्राप्त किए जाते हैं जो उत्पाद को पेटेन्ट कानून के तहत विकसित करते हैं। तथापि, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग लगभग 35,000 आयुर्वेदिक फार्मुलेशनों के बारे में ट्रेडिशनल नॉलिज डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित कर रहा है, जिससे अन्यों द्वारा ऐसे फार्मुलेशनों पर किए गए पेटेन्ट दावों को रोकने में सहायता मिलेगी।

[अनुवाद]

यूरोपीय संघ की दक्षिण एशिया संबंधी धारणा

*228. **श्री प्रियरंजन दासमुंशी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय संघ ने कश्मीर, दक्षिण एशिया वार्ता और सीमापार से होने वाले आतंकवाद के मुद्दों पर खुले आम भारत से भिन्न राय व्यक्त की है जैसा कि दिनांक 11 अक्तूबर, 2002 के 'दि हिन्दू' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामलों के तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) भारत सरकार को भारत–यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के संबंध में 11 अक्तूबर, 2002 के 'दि हिन्दू' में छपी खबर की जानकारी है। यूरोपीय संघ को इन मरालों पर हमारी स्थिति से अवगत करा दिया गया है। 11.10.2002 को अध्यक्षीय वक्तव्य में जम्मू और कश्मीर में चुनावों के सफल आयोजन की सराहना की गई। दक्षिण एशिया के संबंध में इसमें भारत और पाकिस्तान के बीच जारी संकट को समाप्त करने और द्विपक्षीय वार्ता के जरिए अपने मतभेदों को समाप्त करने के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए भारत और पाकिस्तान के साथ मिलकर कार्य करने की यूरोपीय संघ की तत्परता व्यक्त की गई। भारत सरकार तीसरे भारत–यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के परिणामों से पूर्णतः संतुष्ट है।

ग्राहक सेवाएं

*229. **श्री अशोक ना. मोहोल** :
श्री वी. वेत्रिसेलवन :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि दूरसंचार विभाग के निगमितीकरण के बाद ग्राहक सेवाओं में कोई सुधार नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने ग्राहक सेवाओं को सुधारने हेतु बी.एस.एन.एल. और एम.टी.एन.एल. को कोई मार्ग निर्देश जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उपभोक्ता न्यायालयों में ग्राहक सेवाओं के मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा ग्राहकों की शिकायतों की इस बढ़ती हुई प्रवृत्ति पर रोक लगाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपरोक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) बदलती परिस्थितियों में ग्राहक सेवाओं में सुधार करने के लिए दूरसंचार विभाग और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा बी.एस.एन.एल और एम.टी.एन.एल. को समय–समय पर निदेश जारी किए जाते हैं।

(ङ) और (च) उपभोक्ता सेवाओं में सुधार लाने के लिए सभी प्रयास किए जाते हैं। हालांकि उपभोक्ता अदालतों में मामलों की संख्या अधिक है, फिर भी मामलों की संख्या में वृद्धि या कमी क्षेत्र विशेष पर निर्भर करती है। तथापि, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के मामले में, उपभोक्ता अदालत संबंधी मामलों में कमी आई है।

बच्चों में कुपोषण

*230. **श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर** :
श्री त्रिलोचन कानूनगो :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एम. एस. स्वामीनाथन प्रतिष्ठान (एम.एस.एस. एफ.) और विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यू.एफ.पी.) ने हाल ही में

'फूड इनसिक्यूरिटी एटलस ऑफ अर्बन इंडिया' नामक एटलस निकाली है, जिसमें भारतीय शहरों में बड़ी संख्या में अत्यधिक कुपोषण के शिकार बच्चों का उल्लेख किया गया है;

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां कुपोषण से पीड़ित गर्भवती माताओं/बच्चों की संख्या बहुत अधिक है;

(ग) यदि हां, तो ऐसी स्थिति के लिए कौन से कारक जिम्मेदार हैं;

(घ) स्थिति से निबटने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजन हेतु राज्य-वार और वर्ष-वार कितनी धनराशि जारी की गई?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री शत्रुघ्न सिन्हा) : (क) से (ङ) एम. एस. स्वामीनाथन अनुसंधान फाउंडेशन और विश्व खाद्य कार्यक्रम, के प्रकाशन, जो मूलतः राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 1998-99 की रिपोर्ट पर आधारित है, के अनुसार, देश में तीन वर्ष से कम आयु के बच्चों में से समग्रतया 11.6 प्रतिशत बच्चे ही गंभीर रूप से कम वजन के हैं।

जिन राज्यों में कुपोषण की घटनाएं अधिक हैं वे हैं--मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार। गम्भीर कुपोषण के लिए जिम्मेदार मुख्य कारकों में कई कारकों का मिला-जुला प्रभाव है अर्थात् अपर्याप्त भोजन, कमजोर सामाजिक-आर्थिक स्थिति जिसके कारण क्रय शक्ति कम हो जाती है, जनसंख्या वृद्धि की उच्च दर, स्वास्थ्य सेवाओं तक जनसंख्या की कम पहुंच, सुरक्षित पेय जल की अनुपलब्धता, महिला निरक्षरता आदि।

कुपोषण एक बहुमुखी समस्या है। इस संबंध में भारत सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ कृषि उत्पादन में वृद्धि करने और आय सृजित करने की योजनाओं के जरिए लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए अनिवार्य खाद्य जिन्सें राज सहायता प्राप्त दरों पर उपलब्ध कराती है। सरकार इस प्रयोजन के लिए अनेक योजनाएं भी कार्यान्वित कर रही है अर्थात् समेकित बाल विकास सेवा योजना, प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषणिक सहायता कार्यक्रम (मध्याह्न भोजन योजना), प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना आदि। पिछले तीन वर्षों के दौरान इनके अंतर्गत जारी किए गए धन का ब्यौरा इस प्रकार है :

1. समेकित बाल विकास सेवा योजना

वर्ष	जारी की गई राशि (रुपये करोड़ों में)
1999-2000	880.97
2000-2001	1046.53
2001-2002	1223.65

2. राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पौषणिक सहायता कार्यक्रम (मध्याह्न भोजन योजना) इस कार्यक्रम के अंतर्गत निःशुल्क सप्लाई किए गए खाद्यान्नों की +लागत के रूप में भारतीय खाद्य निगम को धन जारी किया जाता है। खर्च का ब्यौरा इस प्रकार है :

वर्ष	जारी की गई राशि (रुपये करोड़ों में)
1999-2000	1500.00
2000-2001	1300.00
2001-2002	1030.00

3. प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना

2000-01 के दौरान जारी किया गया धन	375 करोड़ रुपये
2001-02 के दौरान जारी किया गया धन	443.76 करोड़ रुपये

विश्व खाद्य कार्यक्रम, सर्वत्र सहायता और राहत के लिए सहकारी संस्था आदि द्वारा जरूरतमंद राज्यों को खाद्यान्नों की पूर्ति के जरिए इन प्रयासों को पूरा भी किया जा रहा है।

[हिन्दी]

'हेपेटाइटिस-बी' का उन्मूलन

***231. श्री अजय सिंह चौटाला** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हेपेटाइटिस-बी की बीमारी का उन्मूलन करने हेतु एक टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) 30 नवम्बर, 2002 की स्थिति के अनुसार देश में राज्य-वार कितने रोगी हेपेटाइटिस-बी से पीड़ित हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा उक्त बीमारी का उन्मूलन करने हेतु राज्यों को दी जाने वाली प्रस्तावित सहायता का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री शत्रुघ्न सिन्हा) : (क) से (ङ) भारत सरकार ने व्यापक प्रतिरक्षण कार्यक्रम में हेपेटाइटिस-बी टीकाकरण शुरू करने के लिए एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की है। चूंकि यह एक प्रायोगिक कार्यकलाप है, इसलिए इस कार्यक्रम को शुरू में 2002-03 (चरण-I) के दौरान 15 महानगरों की मलिन बस्तियों और 2003-04 (चरण-II) में 32 जिलों तक सीमित रखा जाएगा। शहरों और जिलों के नाम संलग्न वितरण-I में दिए गए हैं। देश के और अधिक क्षेत्रों में कार्यक्रम का विस्तार करने पर बाद में विचार किया जाएगा। राज्यों को वस्तुगत रूप में वैक्सीन और ए. डी. सिरिंजें प्रदान की जा रही हैं। संबंधित राज्यों को स्वास्थ्य परिचर्या कार्मिकों को मास्टर-प्रशिक्षकों के रूप में प्रशिक्षण दिया गया है जो आगे भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई वित्तीय और तकनीकी सहायता से राज्यों के अन्य पदाधिकारियों को प्रशिक्षित करेंगे।

जहां तक, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार, देश में हेपेटाइटिस-बी से पीड़ित रोगियों का संबंध है, पूरा देश हेपेटाइटिस-बी वाइरस व्याप्तता जो 2 से 7 प्रतिशत के बीच भिन्न-भिन्न है के मध्यम जोन के अंतर्गत आएगा। 1999, 2000 और 2001 के दौरान वाइरल हेपेटाइटिस जिसमें हेपेटाइटिस ए, बी और सी शामिल हैं, के सूचित किए गए रोगियों और मौतों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है। हेपेटाइटिस-बी के रोगियों और मौतों की अलग से कोई ऐसी सूचना उपलब्ध नहीं है।

विवरण-I

क्र.सं.	शहरों के नाम
1	2
1.	वृहत् मुम्बई
2.	कोलकाता
3.	चेन्नई
4.	दिल्ली
5.	हैदराबाद
6.	बैंगलूर
7.	अहमदाबाद
8.	कानपुर
9.	पुणे
10.	लखनऊ
11.	बड़ोदरा
12.	जयपुर
13.	इंदौर
14.	पटना
15.	भोपाल

क्र.सं.	राज्य	जिलों के नाम
1	2	3
1.	तमिलनाडु	1. मदुरई
		2. नीलगिरी
		3. विरुद्धनगर
		4. रामनाथपुरम
2.	केरल	5. अलपुज्जा
		6. एर्नाकुलम
		7. पथमिथन
3.	कर्नाटक	8. कोदागु (कुर्ग)
		9. शिमोगा
		10. मैसूर
4.	आंध्र प्रदेश	11. चित्तूर
		12. विजयानगर
5.	गोवा	13. गोवा
6.	महाराष्ट्र	14. रत्नागिरी

1	2	3
		15. चंद्रपुर
		16. सतारा
7.	मध्य प्रदेश	17. बालाघाट
8.	उड़ीसा	18. सुरेन्द्रगढ़
9.	पंजाब	19. रोपड़
		20. होशियारपुर
10.	हरियाणा	21. पंचकुला
		22. अम्बाला
11.	हिमाचल प्रदेश	23. हमीरपुर
		24. सोलन
12.	उत्तरांचल	25. नैनीताल
13.	पांडिचेरी	26. पांडिचेरी
14.	लक्षद्वीप	27. लक्षद्वीप
15.	असम	28. जोरहाट
		29. सिबसागर
16.	जम्मू–कश्मीर	30. राजौरी
		31. उद्यमपुर
17.	गुजरात	32. सूरत

विवरण-II

हेपेटाइटिस–बी के सूचित किए गए रोगी और मौतें

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	1999–2000		2000–2001		2001–2002	
		रोगी	मौतें	रोगी	मौतें	रोगी	मौतें
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	36925	113	27595	114	24530	38
2.	अरुणाचल प्रदेश						एन आर
3.	असम						एन आर
4.	बिहार						एन आर
5.	छत्तीसगढ़						एन आर
6.	गोवा	151	0	229	0	124	0
7.	गुजरात	2676	9	3982	30	3462	19
8.	हरियाणा	1733	14	1086	6	2731	10
9.	हिमाचल प्रदेश	1843	2	1464	1	1275	0
10.	जम्मू–कश्मीर	6956	2	6171	0	4226	0
11.	झारखंड						एन आर
12.	कर्नाटक	9150	69	24571	91	17689	140

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	केरल	7197	4	5521	8	3997	4
14.	मध्य प्रदेश	3928	44	6620	11	3267	10
15.	महाराष्ट्र	29211	297	40962	244	39911	234
16.	मणिपुर	690	3	728	7	1558	0
17.	मेघालय	374	5	301	1	500	8
18.	मिजोरम	598	6	943	2	1183	11
19.	नागालैंड	36	0	408	0	144	0
20.	उड़ीसा	10338	146	14011	107	7334	38
21.	पंजाब	2347	6	1796	1	4881	19
22.	राजस्थान	2559	48	1601	39	2955	89
23.	सिक्किम	511	2	594	5	409	1
24.	तमिलनाडु	2109	28	1740	4	1632	1
25.	त्रिपुरा	122	0	113	8	1784	9
26.	उत्तरांचल						एन आर
27.	उत्तर प्रदेश	2120	45	988	24	1885	14
28.	पश्चिमी बंगाल	5867	351	5831	157	6303	265
29.	अं. और नि. द्वीपसमूह	247	3	252	8	536	2
30.	चंडीगढ़	234	6	219	3	310	8
31.	दादरा और नागर हवेली	3	0				एन आर
32.	दमन और दीव	37	0	41	0	6	0
33.	दिल्ली	2929	97	4077	162	3159	84
34.	लक्षद्वीप	319	1	258	0	71	1
35.	पांडिचेरी	578	21	932	5	654	9
	कुल	131798	1322	153034	1038	136516	1014

.. ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

एन आर सूचित नहीं किए गए।

[अनुवाद]

विटामिन 'ए' की खुराक देना

*233. श्री मोहन रावले : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री 28 नवम्बर, 2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1600 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विटामिन 'ए' की खुराक देने संबंधी विभिन्न प्रायोगिक और तकनीकी पक्षों पर विचार करने हेतु गठित उच्च स्तरीय विशेषज्ञों की समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री शत्रुघ्न सिन्हा) : (क) से (ग) विशेषज्ञों की समिति ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। प्रमुख निष्कर्ष/सिफारिशें इस प्रकार हैं :

(i) विटामिन-ए की कमी की व्यापकता में काफी कमी आई है, यद्यपि कुछ क्षेत्रों में यह जनस्वास्थ्य समस्या के रूप में मौजूद है।

(ii) समिति ने अगले पांच वर्षों तक 6 माह के अन्तराल पर 9 से 36 महीनों के बीच के बच्चों को विटामिन-ए पूरक खुराक प्रदान करने की मौजूदा नीति का समर्थन किया है।

(iii) समिति ने विटामिन-ए के सेवन के लिए अभियान के तरीके को समाप्त करने की सिफारिश की है।

(iv) समिति ने विटामिन-ए घोल के सेवन के लिए चम्मच के आकार, गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान विटामिन-ए के इस्तेमाल, सामुदायिक गतिशीलता और पहुंच बढ़ाने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को शामिल करने, जिला प्रशासन और मीडिया आदि को सुग्राही बनाने जैसे विषयों पर कुछ तकनीकी सिफारिशें की हैं।

(v) समिति ने ऐसे जिलों/क्षेत्रों में आवधिक अन्तरालों पर प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवाओं के संपूर्ण पैकेज के साथ कवरेज में सुधार लाने के लिए विशेष प्रयास करने की सिफारिश की है जहां पर कार्यक्रम का कार्यनिष्पादन उत्तम स्तर से कम है।

(vi) असम में विटामिन-ए के कारण तथाकथित रूप से हुई बच्चों की मौतों के बारे में समिति ने यह नोट किया कि कुछ क्षेत्रों में इस अभियान के दौरान 2 मि.लि. के चम्मच के स्थान पर 5 मि.लि. के कप से अधिक खुराक दे दी गई होगी, वहीं उपलब्ध प्रमाणों से यह भी पता चलता है कि विटामिन-ए अभियान के दौरान और उसके बाद मरने वाले अधिक बच्चे पहले से ही अधिक बीमार थे। समिति ने यह भी पाया कि विश्व व्यापी अनुभव से पता चलता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशानिर्देशों के अनुसार विटामिन-ए का सेवन मौत के खतरे से जुड़ा नहीं था।

समिति के निष्कर्षों/सिफारिशों पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ विचार किया गया है। भारत सरकार ने सभी राज्यों को न केवल विटामिन-ए बल्कि अन्य अलग-अलग कार्यकलापों के लिए अभियान चलाने से बचने की सलाह दी है क्योंकि ऐसे अभियानों से नियमित अनिवार्य सेवाओं के संपूर्ण तंत्र का ध्यान हटने की प्रवृत्ति पैदा होती है। समिति की अन्य सिफारिशों पर कठिनाइयों और संसाधनों की मौजूदा अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर कार्रवाई की जाएगी।

अनाज का निर्यात

*234. श्री मनसुखभाई डी. वसावा :
श्री हरिभाई चौधरी :

क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान भारतीय पत्तनों के माध्यम से कुल कितनी मात्रा में अनाज का निर्यात किया गया;

(ख) क्या यह सही है कि अनाज के निर्यात में पत्तनों पर विलंब होता है;

(ग) यदि हां, तो निर्यात किए जाने वाले खाद्यान्नों की भारतीय पत्तनों पर उचित सम्भलाई हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) भारतीय पत्तनों से खाद्यान्नों के निर्धारित समयानुसार निर्यात पर निगरानी रखने हेतु क्या तंत्र अपनाए जाने का प्रस्ताव है?

पोत परिवहन मंत्री (श्री वेद प्रकाश गोयल) : (क) से (घ) पिछले दो वर्षों के दौरान विभिन्न महापत्तनों के माध्यम से निर्यात किए गए अनाज की मात्रा इस प्रकार है :

(हजार टन में)

पत्तन का नाम	2000–01	2001–02
कांडला	1176	2567
विशाखापत्तनम	200	773
तूतीकोरिन	132	331
मुंबई	177	111
कोचीन	12	11
कोलकाता	–	0.5
जोड़	1697	3793.5

खाद्यान्नों की सक्षम हैंडलिंग के लिए अपनाए गए कदमों में अनाज के निर्यात की हैंडलिंग के लिए आधुनिक हैंडलिंग सुविधाओं की अधिप्राप्ति, अनाज के जलयानों को प्राथमिकता आधार पर बर्थिंग उपलब्ध कराना, रात्रि नौचालन सुविधाएं उपलब्ध कराना, गोदामों/ढके हुए भंडारगृहों का निर्माण करना आदि शामिल हैं। अनाज के निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु सक्षमता स्तर को बढ़ाने के लिए उचित योजना के माध्यम से खाद्यान्न जलयानों के कार्य निष्पादन की पत्तनों में निगरानी की जाती है।

खाद्यान्नों सहित कार्गो हैंडलिंग की सक्षमता में सुधार हुआ है जो कि निम्नलिखित संकेतकों में परिलक्षित होता है :

वर्ष	पत्तन के कारण पोतों का बर्थिंग–पूर्व अवरोधन	औसत टर्न अराउंड समय
1999–2000	0.9 दिन	5.10 दिन
2000–2001	0.5 दिन	4.10 दिन
2001–2002	0.5 दिन	3.70 दिन

कांडला, जहां अधिकांश खाद्यान्नों को हैंडल किया जाता है, में खाद्यान्नों की हैंडलिंग में सुधार हुआ है जैसा कि नीचे दिए गए आंकड़ों से पता चलता है :

क्र.सं.	वर्ष	पत्तन के कारण औसत बर्थिंग–पूर्व अवरोधन (दिनों में)			
		चावल		गेहूं	
		जलयानों की सं.	औसत प्रतीक्षा समय	जलयानों की सं.	औसत प्रतीक्षा समय
1.	2000–01	71	1.79	22	3.07
2.	2001–02	129	1.65	47	1.63
3.	2002–03 (अक्तूबर, 2002 तक)	159	0.98	43	1.05

कांडला में खाद्यान्नों की हैंडलिंग में और अधिक सुधार करने के लिए उठाए गए/उठाए जा रहे कदम इस प्रकार हैं :

(i) रात्रि नौचालन 7.11.2001 से पुनः शुरू कर दिया गया है।

(ii) सल्फर, कोयला आदि जैसे प्रदूषणकारी कार्गो की ढुलाई करने वाले किसी भी जलयान को उन बर्थों के पास जगह नहीं दी जा रही है जहां खाद्यान्नों को हैंडल किया जाता है।

(iii) बर्थिंग नीति को उत्पादकता से जोड़ा गया है और उन जलयानों को प्राथमिकता के आधार पर बर्थिंग उपलब्ध कराई जाती है जो अधिक आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं।

(iv) निजी क्षेत्र की भागीदारी के जरिए भंडारण सुविधाओं का सृजन किया जा रहा है।

(v) चावल के जलयानों में अचानक हुई वृद्धि के कारण आवश्यकता को पूरा करने के लिए और इस कारोबार से जुड़े व्यक्तियों से परामर्श करके आयात श्रेणी की एक बर्थ को निर्यात श्रेणी में स्थानांतरित कर दिया गया है।

महापत्तनों पर खाद्यान्नों की हैंडलिंग सुकर करने के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु सरकार लगातार प्रयास करती रहती है।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सेवाएं

***237. श्री जयभान सिंह पवैया :**
श्री विजय कुमार खंडेलवाल :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में बढ़ाए गए शुल्क के कारण अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी टेलीफोन शुल्क और प्रतिभूति जमा राशि शहरी क्षेत्रों के बराबर हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उसकी समीक्षा करने और इस वृद्धि को वापस लेने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सुविधाओं को सुधारने हेतु क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) जी, नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों में समस्त टेलीफोन टैरिफ जैसे पंजीकरण, किराया, यूनिट कॉल प्रभार, स्थानी कॉल प्रभार तथा प्रतिभूति जमा आदि शहरी क्षेत्रों में लागू टैरिफ की तुलना में कम है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त 'क' के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं का रखरखाव संतोषजनक ढंग से किया जा रहा है। तथापि, कतिपय ऐसे क्षेत्र हैं जहां अपर्याप्त अवसंरचना, कानून और व्यवस्था तथा अनियमित विद्युत आपूर्ति इत्यादि जैसी समस्याएं देखी गई हैं। भारत संचार निगम लिमिटेड ने ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं में और सुधार लाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं :

(i) ग्रामीण क्षेत्रों में वायरलैस इन लोकल लूप, सी डॉट/पीएमपी तथा उपग्रह संचार जैसी आधुनिक प्रौद्योगिकियां आरंभ करना।

(ii) सभी ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंजों को इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों में परिवर्तित कर दिया गया है।

(iii) बेहतर एसटीडी सेवाओं के लिए विश्वसनीय पारेषण माध्यम प्रदान किया जा रहा है।

(iv) टेलीफोन एक्सचेंजों से ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों (वीपीटी) की नियमित जांच करना तथा इन्हें शीघ्र बहाल करने के लिए प्रत्येक सेकेंडरी स्विचन क्षेत्र में कोर ग्रुप बनाना।

(v) मियाद समाप्त उपकरणों को चरणबद्ध रूप से बदलना।

(vi) लंबी अवधि तक होने वाले पॉवर ब्रेकडाउन की समस्या से निपटने के लिए जनरेटर सैट प्रदान करना।

[अनुवाद]

जाली पासपोर्ट

***238. डा. एम. वी. वी. एस. मूर्ति** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीयों द्वारा जाली पासपोर्टों का उपयोग बढ़ रहा है, जिसके कारण यूरोप और अमेरिका के अधिकारियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कुछ देशों से शिकायतें प्राप्त हो रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्राप्त शिकायतें सिर्फ उन व्यक्तियों से संबंधित हैं जिन्हें बिना यात्रा दस्तावेजों के पाया गया।

(घ) जिन मामलों में अवैध आप्रवास रैकेटों में दलालों और भर्ती एजेंटों का लिप्त होना पाया जाता है उनमें संबंधित राज्य सरकारों से उन दलालों/एजेंटों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई

करने के लिए कहा जाता है। प्रभावित व्यक्तियों से दलालों/एजेंटों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने की सलाह दी जाती है।

जाली डिग्रियां

*239. **श्री जे. एस. बराड़ :**
श्री अधीर चौधरी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 19 अगस्त, 2002 के 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में "बिकम ए डाक्टर फार जस्ट रूपीज 7,000" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आज की तिथि के अनुसार दिल्ली में और अन्य राज्यों में गैर पंजीकृत "क्युअर वेल मेडिकल सेंटर्स" की संख्या कितनी है;

(घ) इसे रोकने के हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या देश में आर.एम.पी. डिग्री/डिप्लोमा धारी डाक्टरों की संख्या अर्हता प्राप्त डाक्टरों की संख्या से ज्यादा है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं कि केवल अर्हता प्राप्त डाक्टर ही रोगी का इलाज करें?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री शत्रुघ्न सिन्हा) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

सबके लिए स्वास्थ्य बीमा योजना

*240. **श्री महेश्वर सिंह :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चिकित्सा सेवाओं की उच्च कीमत को ध्यान में रखते हुए सबके लिए स्वास्थ्य बीमा योजना प्रदान करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री शत्रुघ्न सिन्हा) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि बीमा कम्पनियों को प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 201 रुपए से लेकर 16185 रुपए तक प्रीमियम अदा करके चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त करने की कई चिकित्सा बीमा नीतियां देश में उपलब्ध हैं।

सांस्कृतिक केन्द्रों की गतिविधियां

*241. **श्री रामजीलाल सुमन :**
श्री नवल किशोर राय :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में वर्ष 2000–2001 और 2001–2002 के दौरान स्थापित किए गए सांस्कृतिक केन्द्रों द्वारा कौन से कार्यक्रम किए गए हैं;

(ख) इन केन्द्रों में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, सुविधाओं और गतिविधियों पर उक्त अवधि के दौरान कुल कितनी धनराशि व्यय की गई; और

(ग) इन केन्द्रों में मार्च, 2002 तक कार्यरत कर्मचारियों की देश–वार संख्या कितनी थी?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) विदेशों में गठित सांस्कृतिक केन्द्रों का मुख्य उद्देश्य विदेश में भारत की विविध सांस्कृतिक विरासत के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। ये केन्द्र ऐसे अनेक क्रियाकलापों में संलग्न हैं जो भारतीय संस्कृति और परंपराओं को दर्शाते हैं और उनका संवर्द्धन करते हैं। इन क्रियाकलापों में अन्य बातों के साथ–साथ अभिनय कलाओं और योग कक्षाओं का आयोजन, नृत्य और संगीत गोष्ठियों, व्याख्यानों, विचार गोष्ठियां और फिल्म प्रदर्शन शामिल हैं। 2000–2001 और 2001–2002 के दौरान प्रत्येक केन्द्र द्वारा किए गए क्रियाकलापों का संक्षिप्त विवरण–I संलग्न है।

केन्द्र द्वारा 2000–2001 और 2001–2002 के दौरान क्रमश: वेतन और भत्तों, सुविधाओं और क्रियाकलापों पर 12.67 करोड़ और 12.62 करोड़ रु. का व्यय किया गया। इनके ब्यौरे संलग्न विवरण–II और III में दिए गए हैं।

मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार सांस्कृतिक केन्द्रों में 30 भारतीय के 74 स्थानीय स्टाफ कार्यरत थे। उसके देशवार ब्यौरे संलग्न विवरण–IV में हैं।

विवरण-I

2000–2001 और 2001–2002 के दौरान विदेश स्थित भारतीय सांस्कृतिक केन्द्रों के क्रियाकलापों का सारांश

भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र, जार्जटाउन, गयाना : कत्थक, तबला और योग में नियमित कक्षाओं का आयोजन किया गया। इसके अलावा केन्द्र ने स्थानीय सांस्कृतिक दल बनाया जो गयाना और पड़ोसी देशों में विभिन्न स्थानों पर भारतीय संस्कृति का संवर्द्धन कर रहा है। उल्लेखनीय है कि योग कक्षाओं का आयोजन जार्ज टाउन जेल में किया गया। स्थानीय टेलीविजन चैनल के लिए विशेष कार्यक्रम तैयार किए गए। स्कूलों, मंदिरों और अन्य संस्थानों को पुस्तकें और वाद्य यंत्र प्रदान किए गए।

भारतीय संस्कृति केन्द्र, पारामारिबो, सूरीनाम : कत्थक, हिन्दुस्तानी संगीत, तबला, योग और हिन्दी में नियमित कक्षाएं आयोजित की गईं। केन्द्र ने विभिन्न अतिरिक्त विषयों जैसे सूचना प्रौद्योगिकी और फैशन अभिकल्पना में लघु अवधि के पाठ्यक्रम आयोजित किए। सूरीनाम के अनेक शहरों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

महात्मा गांधी सांस्कृतिक सहयोग संस्थान, पोर्ट ऑफ स्पेन, त्रिनिदाद एवं टोबैगो : कत्थक, हिन्दुस्तानी संगीत तबला और हिन्दी की नियमित कक्षाओं का आयोजन किया गया। केन्द्र द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रसारण टेलीविजन और रेडियो पर किया गया। केन्द्र ने मंदिरों और स्कूलों में भाषा कक्षाएं आयोजित की हैं। विद्यार्थियों के बीच "गुरू शिष्य परंपरा" के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। सामयिक महत्व के विषयों पर अनेक व्याख्यानों का आयोजन किया गया।

जवाहरलाल नेहरू भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र, जकार्ता, इंडोनेशिया : कत्थक, तबला, योग और हिन्दी में नियमित कक्षाओं का आयोजन किया गया। जकार्ता के बाहर प्रदर्शन के लिए जवाहरलाल नेहरू भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र के शिक्षक, विद्यार्थियों और स्थानीय कलाकारों की सहायता से एक स्थानीय दल का गठन किया गया है। इस दल द्वारा अनेक अवसरों पर बाली, मैदान और अन्य शहरों में सफलतापूर्वक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। केन्द्र ने संगम नामक स्थानीय कलाकारों के साथ एक संयुक्त प्रदर्शन किया जो कि महाभारत के मशहूर प्रकरण पर आधारित था और जो विभिन्न इंडोनेशियाई और भारतीय नृत्य शैलियों को परिलक्षित करता है।

इंदिरा गांधी भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र, पोर्ट लुई, मारीशस : केन्द्र ने स्थानीय प्रतिभाओं केन्द्र के शिक्षकों और विद्यार्थियों और भारत के कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में भारतीय संस्कृति के संवर्द्धन हेतु नियमित गतिविधियों का आयोजन किया है। केन्द्र ने अनेक भारतीय मारीशस के सांस्कृतिक संगठनों के क्रियाकलापों के लिए अपना परिसर प्रदान किया है। केन्द्र तीन विषयों यथा कत्थक, कर्नाटक संगीत और तबले में एक वर्ष का प्रमाणपत्र, दो वर्षीय डिप्लोमा और 2 वर्ष के उच्च डिप्लोमा पाठ्यक्रम चला रहा है। इन सभी पाठ्यक्रमों के सुस्थापित सिलेबस और परीक्षा स्कीमें हैं।

जवाहरलाल नेहरू सांस्कृतिक केन्द्र, मास्को, रूस : जवाहरलाल नेहरू सांस्कृतिक केन्द्र की गतिविधियों के संवर्द्धन हेतु स्थानीय प्राधिकारियों की मदद से पांच केन्द्रों की स्थापना एकाटरिनबर्ग, कजान, ऊफा, व्लाडिवोस्टक और यकूटिका में की गई। केन्द्र ने रूसी परिसंघ के विभिन्न संस्थानों के पांच अध्यक्षों का समर्थन किया जिन्होंने विदेशी संबंधों और अन्य मुद्दों पर महत्वपूर्ण नीतिगत जानकारी नीति सहयोग प्रदान किया। जवाहरलाल नेहरू सांस्कृतिक केन्द्र, मास्को ने शिक्षकों और विद्यार्थियों की मदद से सांस्कृतिक दल बनाए हैं। ये दल न केवल मास्को में बल्कि अन्य शहरों में भी सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। केन्द्र द्वारा विद्वानों को उनके कार्य में सहायतार्थ हिन्दी–रूसी शब्द कोश और हिन्दी–रूसी वार्ता दिशा–निर्देश विकसित किए गए हैं।

भारत सांस्कृतिक केन्द्र, अलमाटी, कजाकिस्तान : केन्द्र ने संग्रहालयों, विश्वविद्यालयों, संस्थानों, स्कूलों, स्थानीय सरकारी एजेंसियों, लेखक संघों और सांस्कृतिक व शैक्षणिक महत्व के अन्य संस्थानों सहित 30 स्थानीय संस्थानों के साथ संयुक्त कार्यक्रम आयोजित किए हैं। केन्द्र ने अबवाई विश्वविद्यालय विज्ञान अकादमी और प्राच्य अध्ययन संस्थान में भारतीय और सामयिक भारतीय इतिहास और अन्य विषयों पर व्याख्यानमाला का आयोजन किया। स्थानीय विश्वविद्यालयों के सहयोग से केन्द्र ने भारतीय अभिनय कला और भाषाओं में प्रशिक्षण प्रदान कर रहे भारतीय अध्ययन केन्द्रों के लघु एककों का गठन भी किया है। इन अध्ययन केन्द्रों की स्थापना अत्यधिक सफल रही है।

भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र, ताशकंद, उजबेकिस्तान : कत्थक और तबले में नियमित कक्षाओं का आयोजन किया गया। केन्द्र ने स्वयं अपनी नृत्य और योग कक्षाओं के अलावा सभी संस्थानों के साथ निकट का संपर्क स्थापित किया और संयुक्त सांस्कृतिक कार्यक्रमों, विचार गोष्ठियों और सम्मेलनों का आयोजन किया। केन्द्र ने भारत उजबेक मैत्री समाज को पुनः सक्रिय किया और हिन्दी और भारतीय अध्ययनों में सघन लघु अवधि

पाठ्यक्रम और हिन्दी शिक्षकों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित किए। सभी सांस्कृतिक आयोजनों को उजबेकिस्तान में प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया दोनों में व्यापक स्थान मिला है।

भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र, कोलम्बो, श्रीलंका : आठ विषयों में नियमित कक्षाओं का आयोजन किया गया जिसमें, हिन्दी योग, भरतनाट्यम, हिन्दुस्तानी और कर्नाटक संगीत, वायलिन, सितार और तबला शामिल हैं। ये कक्षाएं सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों के बीच लोकप्रिय हैं। 600 विद्यार्थियों को दाखिला दिया गया। केन्द्र द्वारा स्थानीय कलाकारों और भारत के कलाकारों द्वारा अनेक सांस्कृतिक प्रदर्शन आयोजित किए गए। भारतीय वृत्त चित्रों का प्रसारण स्थानीय टेलीविजन चैनलों पर किया गया। 500 पुस्तकों, वीडियो कैसेटों, सी डी रोम और दृश्य–श्रव्य सी डी का प्रयोग विद्वानों द्वारा उनके शोध कार्यों के लिए किया गया।

मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र, काहिरा, मिस्र : योग, हिन्दी और उर्दू में नियमित कक्षाएं आयोजित की गईं। केन्द्र द्वारा मिस्र के बच्चों के लिए भारतीय कला प्रतियोगिता की वार्षिक झांकियों का आयोजन किया गया। स्थानीय प्रतिभा और आगंतुक कलाकारों के साथ सांस्कृतिक सप्ताहों, भारतीय दिवसों और सांस्कृतिक समारोहों का आयोजन किया गया। भारतीय फिल्मों का प्रदर्शन नियमित रूप से "फिल्म सप्ताहों" में किया गया। हिन्दी कार्यक्रमों का प्रसारण काहिरा रेडियो पर किया गया। सामयिक महत्व के विषयों पर अनेक व्याख्यानों का आयोजन किया गया।

टैगोर केन्द्र, बर्लिन, जर्मनी : भरतनाट्यम, कत्थक, वायलिन, योग और हिन्दी में कक्षाओं का आयोजन किया गया। स्थानीय कलाकारों और भारत के कलाकारों द्वारा अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। केन्द्र ने विविध विषयों पर विचार गोष्ठियों और वार्ताओं के माध्यम से विचारों के आदान–प्रदान का संवर्द्धन किया। एक पुस्तक मेले का आयोजन भी किया गया जिसमें भारत मुख्य विषय के तौर पर था।

भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र, जोहानिसबर्ग, द. अफ्रीका : केन्द्र ने स्थानीय भारतीय समुदाय के साथ ठोस संबंध विकसित किए हैं और कुछ अश्वेत जिलों को द. अफ्रीका के बहुसंख्यक समुदाय के साथ संबंध सुदृढ़ करने के उद्देश्य से निर्धारित किया है। केन्द्र ने जोहानिसबर्ग और द. अफ्रीका के अन्य भागों के कुछ जिलों में अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए हैं जिसकी बड़ी उत्साहजनक प्रतिक्रिया हुई है। आरंभ होने के साथ ही भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र, जोहानिसबर्ग लाइव सांस्कृतिक कार्यक्रमों और प्रदर्शनियों के माध्यम से भारतीय संस्कृति को लोकप्रिय करता रहा है। कत्थक नृत्य और भारतीय वाद्य संगीत व योग में कक्षाएं आयोजित की गईं।

भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र, डरबन, द. अफ्रीका : नृत्य और संगीत में कक्षाओं का आयोजन नियमित रूप से किया गया। केन्द्र ने 1050 पुस्तकें हिन्दी, उर्दू और अंग्रेजी में संगठनों, स्कूलों और कॉलेजों को दीं। स्थानीय कलाकारों और भारत के कलाकारों द्वारा अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। केन्द्र अनेक विषयों पर विचारगोष्ठियों और वार्ताओं के माध्यम से विचारों के आदान–प्रदान का संवर्द्धन करता है।

नेहरू केन्द्र, लन्दन यूनाइटेड किंगडम : वर्ष 2000–2001 और 2001–2002 के दौरान 311 कार्यक्रम आयोजित हुए जिसमें पुस्तक विमोचन, व्याख्यान, पैनल चर्चाएं, विचार गोष्ठियां, कार्यशालाएं, चित्र प्रदर्शनियां, फोटोग्राफ, हस्तशिल्प और कलाकारी, मल्टीमीडिया और शिल्पकारी, फिल्मांकन, संगीत और नृत्य कार्यक्रम शामिल हैं। केन्द्र ने भारतीय संस्कृति के संवर्द्धन में रुचि रखने वाले संगठनों को अपनी कला वीथिका और ऑडिटोरियम प्रदान किया है।

विवरण-II

वर्ष 2000–2001 के दौरान केन्द्रों के वेतन, भत्तों, सुविधाओं और गतिविधियों पर किया कुल व्यय

केन्द्र का नाम	वेतन एवं भत्ते	सुविधाएं (स्थापना शुल्क, चिकित्सा, वायुयान किराए इत्यादि)	गतिविधियां	केन्द्र पर कुल व्यय
1	2	3	4	5
जवाहरलाल नेहरू, सांस्कृतिक केन्द्र मास्को, रूस	87,41,369	65,81,332	15,38,299	1,68,61,000

1	2	3	4	5
मौलाना आजाद भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र, काहिरा, मिस्र	43,52,129	50,34,084	11,97,787	1,05,84,000
इंदिरा गांधी भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र, पोर्ट लुई, मारीशस	52,89,816	43,32,436	10,37,748	1,06,60,000
भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र, जार्जटाउन, गयाना	35,48,217	48,48,035	5,26,748	89,23,000
भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र, पारामारिबो, सूरीनाम	49,40,528	33,90,742	2,12,730	85,44,000
जवाहरलाल नेहरू सांस्कृतिक केन्द्र, जकार्ता, इंडोनेशिया	43,10,823	48,11,892	1,36,285	92,59,000
महात्मा गांधी सांस्कृतिक सहयोग संस्थान, पोर्ट ऑफ स्पेन, त्रिनीडाड तथा टोबेगो	57,18,647	61,24,715	1,06,638	1,19,50,000
नेहरू केन्द्र, लंदन, यू.के.	58,06,022	23,70,286	32,21,692	1,13,98,000
टैगोर केन्द्र, बर्लिन, जर्मनी	69,98,423	59,82,091	3,90,486	1,33,71,000
भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र अल्माटी, कजाकिस्तान	26,27,574	22,74,627	4,20,799	53,23,000
भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र, ताशकंद, उजबेकिस्तान	53,48,529	23,56,160	1,79,311	78,84,000
भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र, जोहानिसबर्ग, द. अफ्रीका	7,74,620	10,89,479	21,12,901	39,77,000
भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र, डर्बन, द. अफ्रीका	1,18,146	22,75,013	9,87,841	33,81,000
भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र, कोलम्बो, श्रीलंका	3,59,302	38,55,029	4,11,669	46,26,000
कुल योग	5,89,34,145	5,53,25,921	1,24,80,934	12,67,41,000

विवरण-III

वर्ष 2001–2002 के दौरान केन्द्रों के वेतन, भत्तों, सुविधाओं और गतिविधियों पर किया कुल व्यय

केन्द्र का नाम	वेतन एवं भत्ते	सुविधाएं (स्थापना शुल्क, चिकित्सा, वायुयान किराए इत्यादि)	गतिविधियां	केन्द्र पर कुल व्यय
1	2	3	4	5
जवाहरलाल नेहरू, सांस्कृतिक केन्द्र मास्को, रूस	77,50,318	73,64,583	23,10,375	1,74,25,276
मौलाना आजाद भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र, काहिरा, मिस्र	40,67,929	42,10,615	7,03,175	89,81,719
इंदिरा गांधी भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र, पोर्ट लुई, मारीशस	55,48,316	42,23,932	10,48,248	1,08,20,496
भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र, जार्जटाउन, गयाना	36,59,313	55,32,816	5,29,070	97,21,199
भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र, पारामारिबो, सूरीनाम	45,80,822	30,79,335	2,97,517	79,57,674
जवाहरलाल नेहरू सांस्कृतिक केन्द्र, जकार्ता, इंडोनेशिया	3,401,067	38,24,449	161,066	73,86,582

1	2	3	4	5
महात्मा गांधी सांस्कृतिक सहयोग संस्थान, पोर्ट ऑफ स्पेन, त्रिनीडाड तथा टोबेगो	69,75,834	42,71,970	1,74,349	1,14,22,153
नेहरू केन्द्र, लंदन, यू.के.	62,99,287	51,98,012	38,93,190	1,53,90,489
टैगोर केन्द्र, बर्लिन, जर्मनी	72,23,410	31,79,422	4,94,021	1,08,96,853
भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र अल्माटी, कजाकिस्तान	30,14,157	27,19,850	5,72,764	63,06,771
भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र, ताशकंद, उजबेकिस्तान	37,35,021	21,04,763	2,54,488	60,94,272
भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र, जोहानिसबर्ग, द. अफ्रीका	8,04,511	9,00,340	22,73,219	39,78,070
भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र, डर्बन, द. अफ्रीका	10,52,013	19,06,782	19,13,212	48,72,007
भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र, कोलम्बो, श्रीलंका	3,41,540	41,89,655	4,38,535	49,69,730
कुल योग	5,84,53,538	5,27,06,524	1,50,63,229	12,62,23,291

विवरण-IV

मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार प्रत्येक सांस्कृतिक केन्द्र में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण

केन्द्र का नाम	कर्मचारियों की संख्या
1	2
1. जवाहरलाल नेहरू सांस्कृतिक केन्द्र, मास्को, रूस	भारत स्थानी–4 स्थानीय–6
2. मौलाना आज़ाद भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र, काहिरा, मिस्र	भारत स्थानी–2 स्थानीय–4
3. इंदिरा गांधी भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र, पोर्ट लुई, मारीशस	भारत स्थानी – 5 स्थानी–5
4. भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र, जार्जटाउन, गयाना	भारत स्थानी–3 स्थानीय–7
5. भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र, पारामारिबो, सूरीनाम	भारत स्थानी–2 स्थानीय– 9
6. जवाहरलाल नेहरू भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र, जकार्ता, इंडोनेशिया	भारत स्थानी–4 स्थानीय–7
7. महात्मा गांधी सांस्कृतिक सहयोग संस्थान, पोर्ट ऑफ स्पेन, त्रिनीडाड तथा टोबेगो	भारत स्थानी–4 स्थानीय–5

1	2
8. नेहरू केन्द्र, लंदन, यू. के.	भारत स्थानी–2 स्थानीय–4
9. टैगोर केन्द्र, बर्लिन, जर्मनी	भारत स्थानी–1 स्थानीय–5
10. भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र, अलमाटी, कजाकिस्तान	भारत स्थानी–1 स्थानीय–5
11. भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र, ताशकंद, उजबेकिस्तान	भारत स्थानी–2 स्थानीय–5
12. भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र, जोहानिसबर्ग, द. अफ्रीका	भारत स्थानी कार्यवाहक निदेशक, विदेश मंत्रालय के स्टाफ से स्थानीय–3
13. भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र, डर्बन, द. अफ्रीका	भारत स्थानी कार्यवाहक निदेशक, विदेश मंत्रालय के स्टाफ से स्थानीय–4
14. भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र, कोलम्बो, श्रीलंका	भारत स्थानी कार्यवाहक निदेशक, विदेश मंत्रालय के स्टाफ से स्थानीय–5

मध्य प्रदेश को धनराशि का आवंटन

2443. श्रीमती जयश्री बैनर्जी : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में सड़कों का विकास करने के लिए राज्य को आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है और यह धनराशि किस तारीख को आवंटित की गई, उसका ब्यौरा क्या है;

(ख) सितम्बर, 2002 के अंत तक मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उक्त धनराशि की कितने प्रतिशत धनराशि का उपयोग किया गया; और

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाने का है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खर्च न की गई शेष धनराशि का मध्य प्रदेश में सड़कों की हालत देखते हुए उनके रखरखाव और विकास कार्य पर ही खर्च किया जाए?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश सरकार को राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा आवंटित निधियों के ब्यौरे तथा सितम्बर, 2002 तक उनके द्वारा व्यय की गई धनराशि और उसका प्रतिशत इस प्रकार है–

वर्ष	शीर्ष	आवंटन (करोड़ रु.)	जारी करने की तिथि	व्यय (करोड़ रु.) (सितंबर, 2002 तक)	% उपयोग
1	2	3	4	5	6
2002-2003	रा.रा. (मूल)	20.00	9.4.2002		
		60.00	24.5.2002		
	जोड़	80.00		29.50	37%

1	2	3	4	5	6
	अनुरक्षण एवं मरम्मत	8.86	31.5.2002		
		8.87	20.9.2002		
	जोड़	28.15	23.9.2002		
		45.88		10.00	22%

इसके अलावा राज्यीय सड़कों के विकास के लिए मध्य प्रदेश सरकार को केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय सड़क निधि के तहत आवंटित तथा जारी की गई निधियों के ब्यौरे और सितम्बर, 02 तक उनके द्वारा किया गया व्यय इस प्रकार है :

वर्ष	आवंटन (करोड़ रु.)	जारी की गई धनराशि* (करोड़ रु.)	जारी करने की तिथि	संचित व्यय (करोड़ रु.)	% उपयोग	
					आवंटन	जारी की गई
2000–01	62.51	20.84	21.11.2000			
2001–02	61.91	9.14	31.3.2002			
2002–03	66.59	20.84	3.5.2002			
		22.33	2.8.2002			
जोड़	191.01	73.15		65.33 (सितंबर, 2002 तक)	34%	89%

*राज्य द्वारा प्रस्तुत उपभोग प्रमाण–पत्रों पर आधारित।

(ग) निधियों का उपभोग किए जाने में शीघ्रता लाने के लिए इस मामले को राज्य सरकार के साथ उठाया गया है।

झारखंड में डाक सेवाएं

2444. प्रो. दुखा भगत : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान झारखंड में खराब डाक सेवाओं के बारे में कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं और वे शिकायतें किस प्रकार की थीं;

(ख) क्या शिकायतों की जांच करते समय अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा बरती गई लापरवाही पर भी ध्यान दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा उन लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है और इसका क्या परिणाम निकला?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान) : (क) पिछले दो वर्षों के दौरान झारखंड में खराब डाक सेवाओं के बारे में प्राप्त शिकायतों की संख्या निम्नानुसार है–

वर्ष	प्राप्त शिकायतों की संख्या
2000–2001	1612
2001–2002	1721

शिकायतें प्रमुख रूप से डाक वितरण तथा मनीआर्डरों के वितरण में देरी, मनीआर्डर के भुगतान, आदाता की पावती ने मिलने, बचत बैंक/नकद प्रमाण–पत्र योजना तथा स्पीड पोस्ट वस्तुओं की अप्राप्ति से संबंधित हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) 38 कर्मचारियों/अधिकारियों को सी सी एस (सी

सी ए) नियमावली 1965 तथा सी सी एस (आचरण) नियमावली 1964 के अनुसार दंड दिया गया। उन्हें परिनिन्दा, वेतनवृद्धि रोकना, आर्थिक घाटे की वसूली, सेवा से निष्कासन तथा स्थानांतरण जैसे दंड दिए गए।

अधिकारिक सलाहकार को राजनयिक दर्जा

2445. श्री जय प्रकाश : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिका ने वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास के अधिकाधिक सलाहकार को राजनयिक का दर्जा देने के भारत के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो अमेरिका द्वारा इसके क्या कारण बताए गए हैं; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) संयुक्त राज्य सरकार ने कहा है कि उन्होंने राजनयिक दर्जा प्रदान करने के लिए सामान्य मानदंड निर्धारित किया है और श्री बी. के. अग्निहोत्री, सलाहकार, भारतीय राजदूतावास को इस प्रकार का दर्जा प्रदान करने का भारत सरकार का अनुरोध इन मानदंडों के स्वरूप के भीतर नहीं आता।

(ग) श्री बी. के. अग्निहोत्री की नियुक्ति के संबंध में भारत सरकार का निर्णय विदेश स्थित भारतीय समुदाय के महत्व को मानते हुए और भारत के विश्वव्यापी हितों के संवर्द्धन के संदर्भ में उनके महत्व को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय समुदाय के साथ निकट का संपर्क बनाए रखने की आवश्यकता के अनुरूप लिया गया है। भारत सरकार न्यूयार्क में बसे हुए श्री अग्निहोत्री को अनिवासी भारतीयों और भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए परिनिर्वाचित राजदूत के तौर पर मान्यता प्रदान करती है।

जम्मू और कश्मीर को आपातकालीन सेवाओं हेतु वित्तीय सहायता

2446. श्री अब्दुल रशीद शाहीन : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी अस्पतालों में सेवाओं में सुधार के लिए और आपातकालीन सेवाएं प्रदान करने हेतु जम्मू और कश्मीर को कोई धनराशि प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का जम्मू और कश्मीर को इस प्रयोजनार्थ और अधिक धनराशि प्रदान करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) जी, हां। जम्मू और कश्मीर सरकार को वर्ष 2001–02 के दौरान 1.50 करोड़ रुपया संस्वीकृत किया गया है जो राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित कस्बों/शहरों के राज्यीय अस्पतालों की आपातिक सुविधाओं के उन्नयन तथा उन्हें सुदृढ़ करने हेतु प्रायोगिक परियोजना के अन्तर्गत श्रीनगर–लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर मरगंड, कंगन में आपात/अभिघात सेवाओं के विकास के लिए है।

(ग) से (ङ) उपर्युक्त प्रायोगिक परियोजना के अन्तर्गत जम्मू और कश्मीर सरकार को और अधिक धनराशि जारी करना राज्य सरकार से परियोजना के दिशानिर्देशों के अनुसार प्राप्त प्रस्तावों पर और धन की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय भंडार में भ्रष्टाचार

2447. श्री रामझी मांझी :
श्री प्रभुनाथ सिंह :
श्री रघुनाथ झा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार और केन्द्रीय भंडार को केन्द्रीय भंडार के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, उनकी बेईमानी और उनके द्वारा आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक सम्पत्ति रखे जाने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या उनमें से कुछ कर्मचारियों पर भंडार में कमी करने की आदत का आरोप लगाया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों में इस वजह से कितनी कमी प्रकाश में आई;

(च) क्या उनमें संपूर्ण धनराशि बाजार-दर पर ब्याज सहित वसूल कर ली गई है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (छ) इस बारे में जानकारी संकलित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

प्रशिक्षण शिविर

2448. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खेल प्राधिकरण ने राज्यों में खेल प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में आयोजित ऐसे प्रशिक्षण शिविरों की संख्या और उनका ब्यौरा क्या है;

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा राज्य-वार इन शिविरों का आयोजन करने पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए राष्ट्रीय टीमों को तैयार करने की दृष्टि से, भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा, अधिमानतः पटियाला, बंगलौर, कोलकाता, गांधीनगर, चंडीगढ़ तथा शिलांग में स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण के केन्द्रों में उनकी तैयारी के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जाता है।

(ख) से (ङ) वर्ष 1999 से अब तक आयोजित किए गए राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविरों पर हुए खर्च के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :

1.	1999-2000	3,31,55,245.87 रु.
2.	2000-2001	3,68,66,658.60 रु.
3.	2001-2002	4,07,78,103.00 रु.
4.	2002-2003	2,32,97,053.00 रु. (सितम्बर, 2002 तक)

भारत संचार निगम लिमिटेड में मजदूर संघ

2449. श्री टी. गोविन्दन : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत संचार निगम लिमिटेड में मजदूर संघों की मान्यता हेतु क्या मानदंड हैं और भारत संचार निगम लिमिटेड में मान्यता प्राप्त मजदूर संघों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड में और मजदूर संघों को मान्यता प्रदान करने हेतु कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) उस संघ को अखिल भारत/सर्किल/गौण स्विचन क्षेत्र (एस एस ए) के स्तर पर मान्यता का हक है जिसे सदस्यता सत्यापन (चुनाव) में न्यूनतम 15% मतों के अध्यधीन बहुमत प्राप्त होता है। इसके अलावा जिस संघ को सर्किल स्तर पर 50% अथवा इससे अधिक मत प्राप्त होते हैं उस संघ को सर्किल/एस एस ए स्तर पर केवल स्थानीय हित के मामलों में कार्रवाई करने का अधिकार है।

गुप्त मतदान के द्वारा दिनांक 25.9.2002 को कराए गए सदस्यता सत्यापन (चुनावों) में राष्ट्रीय दूरसंचार कर्मचारी परिसंघ, बीएसएनएल बहुमत प्राप्त संघ के रूप में सामने आया है और इस नाते उसे सम्यक मान्यता प्रदान की गई है। इसके अलावा, बीएसएनएल के उस कर्मचारी संघ को सर्किल/एस एस ए स्तर पर इन सर्किलों के केवल स्थानीय हित के मामलों में कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है जिसे नौ सर्किलों में 50% अथवा इससे अधिक मत प्राप्त हुए हैं। तथापि, बीएसएनएल में संघों को मान्यता प्रदान करने संबंधी मामला इस समय न्यायाधीन है।

(ख) जी, नहीं। तथापि, मामला इस समय न्यायाधीन है।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय खेल प्राधिकरण के अलेप्पी केन्द्र का उन्नयन

2450. श्री वी. एम. सुधीरन : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारतीय खेल प्राधिकरण के केरल में अलेप्पी केन्द्र का उन्नयन जल क्रीड़ा हेतु विशिष्ट केन्द्र के रूप में करने की आवश्यकता से अवगत है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) और (ख) जी, हां। एलेप्पी स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण का विशेष क्षेत्र खेल केन्द्र, विभिन्न जल–क्रीड़ा संबंधी खेल विधाओं जैसे कैनोइंग, कयाकिंग तथा रोइंग में, प्रतिभाशाली युवाओं तथा विशिष्ट खिलाड़ियों के प्रशिक्षण से संबंधित जरूरतों को योजनाबद्ध तथा वैज्ञानिक ढंग से पूरा करता है। उत्कृष्टता केन्द्र की वर्तमान योजना भारतीय खेल प्राधिकरण के क्षेत्रीय केन्द्रों/उप–केन्द्रों से प्रचालित की जाती है जहां विशेष खेल के लिए, जिसमें केन्द्र चलाया जाना है, सभी आधुनिक सुविधाएं वैज्ञानिक समर्थन सहित उपलब्ध हैं। एलेप्पी स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण केन्द्र, एस.ए.जी. योजना के अंतर्गत है, जिसको देश के जनजातीय, ग्रामीण तथा तटीय क्षेत्रों से आधुनिक प्रतियोगितात्मक खेलकूद के लिए प्रतिभा का पता लगाने तथा उसका विकास करने के उद्देश्य से खोला गया है।

नौकाओं/प्रशिक्षण उपस्कर आदि की अधिप्राप्ति के संदर्भ में, केन्द्र का समय–समय पर उन्नयन किया जाता है। एलेप्पी में भोजन, रसोई की सुविधाओं सहित एक 75 बिस्तरों वाला नया छात्रावास तथा एस.ए.जी. केन्द्र के प्रशिक्षणार्थियों के लिए, अनुकूलन हॉल निर्मित किया जा रहा है और यह कार्य समाप्त होने वाला है।

[हिन्दी]

पश्चिम बंगाल में डाकखानों का कम्प्यूटरीकरण

2451. श्री बीर सिंह महतो : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में उन डाकखानों का ब्यौरा क्या है जहां कम्प्यूटर लगाए गए हैं और जहां पिछले तीन वर्षों से कम्प्यूटरों के माध्यम से पंजीकरण कार्य किया जा रहा है; और

(ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान किन डाकखानों का कम्प्यूटरीकरण किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल के 37 डाकघरों में पंजीकरण का काम कम्प्यूटरों के माध्यम से हो रहा है। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) आगे कम्प्यूटरीकरण आवश्यक औपचारिकताओं के पूरा होने और धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

विवरण

क्र.सं.	डाकघर का नाम
1	2
1.	बारासात प्र. डाकघर
2.	बेडन स्ट्रीट उप डाकघर
3.	दमदम उप डाकघर
4.	कोलकाता जी पी ओ
5.	पार्क स्ट्रीट प्र. डाकघर
6.	हावड़ा प्र. डाकघर
7.	सिलीगुड़ी प्र. डाकघर
8.	अलीपुर प्र. डाकघर
9.	कोसीपुर प्र. डाकघर
10.	टॉलीगंज प्र. डाकघर
11.	अशोकनगर उप डाकघर
12.	सेरामपुर प्र. डाकघर
13.	वर्दवान प्र. डाकघर
14.	मिदनापुर प्र. डाकघर
15.	पुरुलिया प्र. डाकघर
16.	बड़ा बाजार प्र. डाकघर

1	2
17.	बेहरामपुर प्र. डाकघर
18.	आसनसोल प्र. डाकघर
19.	गंगटोक प्र. डाकघर
20.	जलपाईगुड़ी प्र. डाकघर
21.	मालदा प्र. डाकघर
22.	बालीगंज उप डाकघर
23.	बेलघाट प्र. डाकघर
24.	चिनसुरा प्र. डाकघर
25.	सर्कस एवेन्यू उप डाकघर
26.	कोनटई प्र. डाकघर
27.	रघुनाथगंज प्र. डाकघर
28.	कांडी प्र. डाकघर
29.	कल्याणी प्र. डाकघर
30.	राणाघाट प्र. डाकघर
31.	आई टी बिल्डिंग उप डाकघर
32.	गवर्नर्स कैंप उप डाकघर
33.	चंदननगर उप डाकघर
34.	उत्तरपाडा उप डाकघर
35.	दार्जिलिंग प्र. डाकघर
36.	कूचबिहार प्र. डाकघर
37.	रायगंज एमडीजी

[अनुवाद]

एड्स से निपटने में गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका

2452. श्री एम. दुराई : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पिछले तीन वर्षों के दौरान एड्स कार्यक्रम के कार्यान्वयन में लगे गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने/जारी करने के संबंध में राज्य सरकारों की ओर से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) सामुदायिक परिचर्या केन्द्रों के प्रस्तावों को छोड़कर एड्स कार्यक्रम के कार्यान्वयन में लगे गैर-सरकारी संगठनों को राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटियों द्वारा सीधे वित्त पोषित किया जाता है। छह उच्च व्याप्तता वाले राज्यों अर्थात् कर्नाटक, मणिपुर, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और नागालैंड में राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटियों द्वारा गैर-सरकारी संगठनों को पहली अप्रैल, 2001 से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सीधे मंजूर किए जाते हैं। अन्य राज्यों में प्रस्ताव गैर-सरकारी संगठनों द्वारा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के अनुमोदनार्थ राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटियों के जरिए प्रस्तुत किए जाते हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन द्वारा प्राप्त किए गए और मंजूर किए गए प्रस्ताव संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान जिन गैर-सरकारी संगठनों को सामुदायिक परिचर्या केन्द्र मंजूर किए गए, उनके नाम

क्र.सं.	राज्य का नाम	गैर-सरकारी संगठन का नाम
1	2	3
1.	दिल्ली	सहारा, दिल्ली सी एच ई एल एस ई ए
2.	कर्नाटक	मैसर्स फाउंडेशन, बंगलौर स्नेहादान, बंगलौर फ्रीडम फाउंडेशन, बेल्लारी
3.	मणिपुर	शालोम, मणिपुर कुष्ठ रोगी कल्याण सोसायटी, इम्फाल मणिपुर
4.	महाराष्ट्र	बेल एयर हास्पिटल, पंचगनी महाराष्ट्र
5.	आंध्र प्रदेश	फ्रीडम फाउंडेशन, हैदराबाद

1	2	3
6.	असम	इला ट्रस्ट, असम
7.	पांडिचेरी	एस एफ डी आर टी, पांडिचेरी
8.	केरल	मार कुंडुकुलम मेमोरियल अनुसंधान एवं पुनर्वास केन्द्र, केरल

[हिन्दी]

सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र

2453. श्री राजो सिंह : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान शेखपुरा, लखीसराय, जमुई और बेगूसराय जिलों के ग्रामों में अब तक कितने सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र लगाए गए हैं;

(ख) वर्ष 2001–2002 के दौरान ग्रामों में कितने सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र लगाने का लक्ष्य रखा गया और क्या इन लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है;

(ग) वर्ष 2002–2003 के दौरान कितने टेलीफोन लगाए जाने का लक्ष्य है;

(घ) इस परियोजना पर अनुमानतः कितनी धनराशि खर्च की जाएगी;

(ङ) वर्ष 2001–2002 के दौरान अब तक शेखपुरा, लखीसराय, जमुई और बेगूसराय के ग्रामों में कितने सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खराब पड़े हैं; और

(च) वर्ष 2001–2002 के दौरान ग्रामों में सार्वजनिक टेलीफोनों की मरम्मत हेतु कितनी धनराशि खर्च की गई?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई और बेगूसराय जिलों के गांवों में 2907 सार्वजनिक कॉल घर (पीसीओ) स्थापित किए गए।

(ख) वर्ष 2001–02 के दौरान, बिहार में 25,741 ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन स्थापित करने का लक्ष्य था। यह लक्ष्य पूरा नहीं किया गया।

(ग) बिहार में वर्ष 2002–03 के दौरान 2,53,800 सीधी एक्सचेंज लाइनें (फिक्स्ड, डब्ल्यूएलएल और मोबाइल टेलीफोन) स्थापित करने का लक्ष्य है।

(घ) इस परियोजना पर लगभग 448 करोड़ रु. खर्च होने का अनुमान है।

(ङ) और (च) वर्ष 2001–02 के दौरान, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई और बेगूसराय के गांवों में कुल 389 एमएआरआर वीपीटी खराब थे। इन चारों जिलों के गांवों में सार्वजनिक टेलीफोनों की मरम्मत पर वर्ष 2001–02 के दौरान 12,992 रु. खर्च किए गए थे।

[अनुवाद]

अखिल भारतीय खेल परिषद

2454. श्री महबूब जहेदी : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय खेल प्राधिकरण को समाप्त कर अखिल भारतीय खेल परिषद का गठन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) और (ख) सरकार ने भारतीय खेल प्राधिकरण को समाप्त न कर दिनांक 16.7.2002 को एक सलाहकार निकाय के रूप में अखिल भारतीय खेल परिषद (ए.आई.सी.एस.) का गठन किया है।

ए.आई.सी.एस. की भूमिका युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय को अन्य बातों के साथ–साथ, राष्ट्रीय खेल नीति के कार्यान्वयन, खेलों के लिए संसाधन जुटाने, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारतीय टीमों की सहभागिता और औषधियों के दुरुपयोग को रोकने आदि से संबंधित मामलों पर सलाह देना है।

परिषद में एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष तथा अन्य सदस्य होंगे जिनमें संसद सदस्य, प्रसिद्ध खिलाड़ी, खेल प्रशासक तथा उद्योग प्रतिनिधि शामिल हैं।

कृत्रिम प्रजनन तकनीक क्लीनिकों को नियंत्रित करना

2455. डा. वी. सरोजा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में तैयार किए गए मानव भ्रूणों के वाणिज्यिक दोहन में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस रुझान को रोकने के लिए क्यों उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में कृत्रिम प्रजनन तकनीक क्लिनिकों पर नियंत्रण संबंधी विधेयक लाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (घ) देश में सहायता प्राप्त प्रजनन प्रौद्योगियों (ए आर टी) का प्रबंध केवल निजी क्षेत्र द्वारा किया जाता है और इस प्रकार देश में मानव भ्रूण के वाणिज्यिक लाभ उठाने के संबंध में कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। ए. आर.टी. के लिए एक बड़ी तकनीकी विशेषज्ञता और आधारभूत ढांचा अपेक्षित है और सर्वोत्तम परिस्थितियों के अंतर्गत इसकी सफलता की दर 30 प्रतिशत से कम है और यह बहुत महंगी है तथा इसे निजी क्षेत्रों में ही किया जाता है। ए.आर.टी. के व्यापक उपयोग हैं जो मानव जीवन का अतिक्रमण करती हैं और उनके संभावित दुरुपयोग के बारे में अत्यधिक सर्वसाधारण की चिंता में वृद्धि करती हैं।

परिवार कल्याण विभाग ने ए.आर.टी. के मुद्दों पर ध्यान देने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के जरिए भारत में ए.आर.टी. क्लिनिकों के प्रत्यायन, पर्यवेक्षण और विनियमन के लिए प्रारूप दिशा–निर्देश प्रकाशित किए हैं। इन प्रारूप दिशा–निर्देशों में देश में तैयार किए गए मानव भ्रूण का अनुचित लाभ उठाने सहित कदाचारों से संबंधित मुद्दों, इन क्लिनिकों द्वारा प्रदान की गई ए.आर.टी. सेवाओं की गुणवत्ता तथा अनेक अन्य नैतिक और वैधानिक मुद्दों पर ध्यान दिया गया है और इसे संबंधित लोगों/व्यवसायियों/वैज्ञानिकों/संगठनों आदि के साथ सार्वजनिक विचार–विमर्श के लिए जारी किया गया है।

भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के नए औषधालय खोलना

2456. श्री अमर रायप्रधान : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा दिल्ली/नई दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के नए औषधालय खोलने हेतु क्या बुनियादी मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय/यूनिटें केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का ही भाग हैं; और

(ग) यदि हां, तो भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के नए औषधालय/यूनिटें खोलने के लिए समान मानदंड न अपनाए जाने के क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (एलोपैथिक) औषधालयों के मानदंडों के अध्ययन पर कर्मचारी निरीक्षण एकक (वित्त मंत्रालय) की नवम्बर, 1999 की रिपोर्ट के अनुसार, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा कवर हो चुके किसी मौजूदा शहर में एक नया केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय खोलने के लिए किसी क्षेत्र में कम से कम 2000 कार्डधारी (सेवारत कर्मचारी/पेंशनर) अर्थात् 10,000 लाभार्थी होने चाहिए।

जहां तक भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी पद्धति अर्थात् आयुर्वेदिक/होम्योपैथिक/यूनानी चिकित्सा पद्धति के नए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना एकक खोलने का संबंध है, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन कोई नियत मानदंड नहीं हैं। ये एकक केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना लाभार्थियों की अपेक्षाओं/मांगों के अनुसार खोले जाते हैं जो औचित्य पर आधारित और कार्मिक शक्ति तथा संसाधनों की उपलब्धता के अध्ययधीन होता है।

(ख) जी, हां।

(ग) कर्मचारी निरीक्षण एकक द्वारा नियत किए गए मानदंड केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना एलोपैथिक औषधालयों के लिए हैं और इसलिए इन्हें केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी औषधालयों/एककों की स्थापना करने के लिए लागू नहीं किया जा सकता है।

कर्मचारी निरीक्षण एकक केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी एककों/औषधालयों के लिए मानदंड नियत करने हेतु एक अध्ययन पहले

ही कर रहा है और सरकार को कभी उनकी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय औषध प्राधिकरण

2457. श्री पी. आर. खूंटे : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय औषध प्राधिकरण की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) औषध नीति, 1994 में एक राष्ट्रीय औषध प्राधिकरण की स्थापना की सिफारिश की गई थी जो बहुत सी नई जिम्मेवारियां संभालने के अतिरिक्त केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन द्वारा किए जा रहे नियामक कार्य करे। इसके लिए, अन्य बातों के साथ-साथ मौजूदा विनियामक पद्धति, जहां राज्य प्राधिकारियों द्वारा मूलतया औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और उसके अधीन बने नियमों को लागू करने के साथ-साथ विनिर्माताओं को लाइसेंस प्रदान करने का कार्य किया जाता है, में बड़े संरचनात्मक परिवर्तनों की आवश्यकता पड़ेगी। नई जिम्मेवारियां लेने से पहले केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन की मौजूदा क्षमता को सुदृढ़ करना आवश्यक होगा। इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

राजस्थान में दूरसंचार नेटवर्क

2458. श्री राम सिंह कस्वां :
श्रीमती जसकौर मीणा :

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में जिले-वार दूरसंचार नेटवर्क के विकास हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) क्या राज्य में, विशेषकर चूरू और सवाई माधोपुर जिलों में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान चूरू और सवाई माधोपुर जिलों में वर्ष-वार और आज तक खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में दूरसंचार नेटवर्क के विकास के लिए आवंटित जिलावार राशि विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) जी, हां। चूरू और सवाई माधोपुर जिला सहित राजस्थान राज्य में लक्ष्य की प्राप्ति कर ली गई है परन्तु वर्ष 1999-2000 एवं 2000-01 में टैक्स क्षमता में कुछ कमी आई है।

गत तीन वर्षों का वर्ष-वार ब्यौरा निम्न प्रकार है

	1999-2000		2000-2001		2001-2002	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
स्विचिंग क्षमता	246000	257290	295800	304886	249300	274612
डी ई एल	180000	182395	210000	216886	276100	277415
टैक्स क्षमता	79000	65500	44500	18500	55000	56500
नए एक्सचेंज	100	181	100	103	100	159

चूरू और सवाई माधोपुर जिलों की उपलब्धि निम्न प्रकार से है :

	चुरू			सवाई माधोपुर		
	1999-2000	2000-2001	2001-2002	1999-2000	2000-2001	2001-2002
1	2	3	4	5	6	7
स्विचिंग क्षमता	11320	11308	7452	3780	6472	3448

1	2	3	4	5	6	7
डी ई एल	5500	8100	13007	5493	3708	4372
टैक्स क्षमता		1500	500	500	2000	2000
नए एक्सचेंज	24	2	18	2	1	0

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान/वर्षवार एवं आज तक चूरू और सवाई माधोपुर जिलों में खर्च की गई राशि निम्न है :

(हजार रु. में)

जिला	1999–2000	2000–01	2001–02	2002–03
चूरु	165527	153113	243273	33363
सवाई माधोपुर	107878	205021	86886	1578

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में दूरसंचार नेटवर्क के विकास के लिए आवंटित राशि का विवरण

वर्षवार आवंटन (राशि रु. में)

क्र.सं.	इकाई का नाम	1999–00	2000–01	2001–02
1	2	3	4	5
1.	जीएमटीडी अलवर	256700	208308	218208
2.	जीएमटीडी अजमेर	197400	280021	289930
3.	पीजीएमटीडी जयपुर	575600	669760	671093
4.	जीएमटीडी कोटा	275900	281431	272547
5.	जीएमटीडी एसजीआर	387700	387300	411978
6.	जीएमटीडी जोधपुर	298600	354023	320941
7.	जीएमटीडी उदयपुर	353900	398214	282299
8.	टीडीएम बांसवाड़ा	144000	117284	237831
9.	टीडीएम बाड़मेर	105800	168204	212904
10.	टीडीएम भरतपुर	146100	169043	204040
11.	जीएमटी भीलवाड़ा	168600	191072	222240
12.	जीएमटी बीकानेर	161700	121065	293583
13.	टीडीएम चित्तौड़गढ़	78900	119755	230935
14.	टीडीएम चूरू	131800	182147	237315
15.	जीएमटीडी झूंझनू	192000	273740	153233
16.	टीडीएम नागौर	169000	195015	133928
17.	जीएमटीडी पाली	227000	201492	216674
18.	जीएमटीडी सीकर	128100	172080	173233
19.	जीएमटीडी सिरोही	147100	207583	198367
20.	टीडीएम सवाई माधोपुर	127700	134954	84151
21.	टीडीएम टोंक	73600	69653	82703
22.	टीडीएम बूंदी	59700	94555	60174
23.	टीडीई झालावाड़	49800	103650	99401
24.	टीडीई जैसलमेर	30500	72408	114299
25.	टीसीडी एसजीआर	54500	31878	38600
26.	टीसीडी अजमेर	97400	86089	40300
27.	टीसीडी उदयपुर	45000	66400	74673
28.	टीसीडी जोधपुर	48900	73741	51322
29.	टीसीडी जयपुर–I	63900	96896	60562
30.	टीसीडी जयपुर–II	86100	67071	38399
31.	टीईडी जयपुर	91200	66800	79809
32.	टीईडी उदयपुर	93300	112812	79502
33.	टीईडी जोधपुर	122500	33968	66491

1	2	3	4	5
34.	टीईडी एसजीआर		47370	68390
35.	टीईडी कोटा			13742
36.	टीसीडी कोटा			38622
37.	सीजीएमटी जेपी			4000
	कुल	5190000	5855782	6076419

[अनुवाद]

शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए चिकित्सा बोर्ड

2459. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय के हाल में दिए गए आदेश के अनुरूप शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को प्रमाणपत्र जारी करने हेतु चिकित्सा बोर्डों का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसे कितने बोर्डों का गठन किया गया है;

(ग) दिल्ली सरकार के अस्पतालों में कितने विकलांग व्यक्ति प्रमाणपत्र जारी होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं;

(घ) क्या दिल्ली में विकलांग व्यक्तियों की संख्या के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने अपंग व्यक्ति (समान अवसर अधिकारों का संरक्षण एवं पूरी सहभागिता) नियमावली, 1996 के अनुसार अपंगता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अपने नियंत्रणाधीन अस्पतालों में 22 चिकित्सीय बोर्ड गठित किए हैं।

(ग) अपंगता प्रमाणपत्र जारी करना एक सतत् प्रक्रिया है। किसी समय विशेष पर ऐसी संख्या के बारे में कोई सूचना नहीं है।

(घ) और (ङ) जनगणना, 2001 को छोड़कर, जिसमें प्रत्येक घर में अपंग व्यक्तियों की संख्या से संबंधित एक कालम निहित था, दिल्ली में अपंग व्यक्तियों की संख्या के बारे में कोई व्यापक सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

स्पीड पोस्ट सेवा संबंधी शिकायतें

2460 श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को स्पीड पोस्ट के समय पर न पहुंचने और वस्तुओं के खोए जाने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) वर्ष 2001–2002 के दौरान स्पीड पोस्ट में अनियमितताओं के संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उनमें से कितनी शिकायतों का निपटान किया गया है;

(घ) क्या सरकार का विचार पड़ोसी देशों नामतः नेपाल, भूटान और बांग्लादेश में उक्त सेवाओं के विस्तार का है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक निर्णय लिये जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान) : (क) और (ख) जी, हां। कभी–कभी वितरण में देरी तथा स्पीड–पोस्ट वस्तुओं के खो जाने के संबंध में शिकायतें प्राप्त होती हैं। इसके प्रमुख कारण परिवहन संयोजनों की समस्या व निपटान में चूक से संबंधित हैं।

(ग) वर्ष 2001–2002 के दौरान, 98416 शिकायतें प्राप्त हुईं और 97274 शिकायतें निपटाई जा चुकी हैं।

(घ) और (ङ) भारतीय डाक की नेपाल, भूटान तथा बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों के साथ दस्तावेजों तथा वाणिज्यिक माल दोनों के लिए स्पीड पोस्ट सेवा पहले से ही मौजूद है।

[अनुवाद]

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में एड्स रोगियों के लिए सुविधाएं

2461. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने एड्स रोगियों के लिए दो पलंग वाले कक्ष की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस विशेष वार्ड में अब तक कोई रोगी भर्ती नहीं किया गया है; और

(घ) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा एड्स रोगियों को प्रदान की गई सुविधाओं का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) जी, हां। दो पलंगों वाली विशेष पृथक सुविधा (एस.आई.एफ.) 1987–88 में प्रारम्भ हुई। एड्स रोगियों के लिए दो विशेष पलंग रखे गए ताकि एड्स के जटिलता वाले रोगियों को पृथक् रखकर अनय रोगियों को आगे संक्रमण से बचाया जा सके। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में, एच.आई.वी. संक्रमित रोगियों को अस्पताल के सामान्य/निजी वार्डों में संबंधित विभागों/एककों की देखरेख में भर्ती किया जाता है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। रोगियों को क्लीनिकल एककों की संस्तुतियों पर इस वार्ड में नियमित रूप से भर्ती किया जाता है। सहायक नर्सें तथा अस्तपाल परिचर चौबीसों घंटे तैनात रहते हैं। इस वार्ड में भर्ती किए गए रोगियों की संख्या इस प्रकार है

वर्ष	भर्ती किए गए रोगियों की संख्या
2000	39
2001	35
2002	35

[हिन्दी]

सीजीएचएस से मान्यताप्राप्त अस्पतालों के विरुद्ध जांच

2462. श्री माणिकराव होडल्या गावित : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 नवम्बर, 2002 को लोकमत समाचार (हिन्दी, नागपुर) में "सीजीएचएस के मान्यता पाने वाले अस्पतालों की जांच की मांग" शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का देश में सीजीएचएस से मान्यता प्राप्त अस्पतालों की जांच कराने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) इस समय केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन प्राइवेट अस्पतालों की मान्यता की जांच करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि अस्पतालों में अपेक्षित सुविधाएं न होने के बारे में कोई विशिष्ट दृष्टांत सूचित नहीं किए गए हैं।

[अनुवाद]

केरल में सी-डॉट के लिए वित्तीय सहायता

2463. श्री कोडीकुनील सुरेश : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या करेल सरकार ने केरल से सी–डॉट के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो मांगी गई कुल धनराशि का ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए शून्य।

सरकारी अधिकारियों के खिलाफ सतर्कता मामले

2464. डा. एन. वेंकटस्वामी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सी.वी.सी.) द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कितने सतर्कता मामले दर्ज किए गए हैं;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान कितने अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन की कार्यवाही शुरू की गई;

(ग) कितने अधिकारियों को सजा दी गई;

(घ) कितने मामलों में भारी जुर्माना लगाया गया है; और

(ङ) कितने अधिकारियों को बरी कर दिया गया?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ङ) केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने यह बताया है कि वह, केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और बैंकों से मिलने वाले मामलों में सलाह देता है। उपर्युक्त आयोग को संयुक्त सचिव और उनसे ऊपर के स्तर के अधिकारियों के विरुद्ध वर्ष 1999 के दौरान 157 मामले, वर्ष 2000 के दौरान 153 मामले और वर्ष 2001 के दौरान 181 मामले मिले थे। उपर्युक्त अवधि के दौरान, उपर्युक्त आयोग ने वर्ष 1999 में 4 अधिकारियों, वर्ष 2000 में 16 अधिकारियों और वर्ष 2001 में 16 अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमा चलाए जाने की मंजूरी के प्रस्तावों के प्रति अपनी सहमति दी थी। उपर्युक्त क्रम में उपर्युक्त आयोग ने यह भी सूचित किया है कि वर्ष 1999 के दौरान 15 अधिकारियों, वर्ष 2000 के दौरान 10 अधिकारियों और वर्ष 2001 के दौरान 17 अधिकारियों के विरुद्ध नियमित विभागीय कार्रवाई किए जाने के पश्चात् भारी शास्ति लगाई गई है। उपर्युक्त अवधि के दौरान, वर्ष 1999 में 2 अधिकारी, वर्ष 2000 में 6 अधिकारी और वर्ष 2001 में 3 अधिकारी दोष–मुक्त ठहराए गए।

उपर्युक्त आयोग में दोष–सिद्ध और दोष–मुक्त ठहराए गए अधिकारियों की संख्या के बारे में केन्द्रीकृत जानकारी उपलब्ध नहीं है।

कोलम्बो के लिए फेरी सेवाएं

2465. श्री ए. कृष्णास्वामी : क्या **पोत परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तूतीकोरिन से कोलम्बो तक की फेरी सेवाओं को पुनः शुरू करने संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरुनावुकरसर) : भारत में तूतीकोरिन तथा श्रीलंका में कोलम्बो पत्तन के बीच फेरी सेवाओं को आरंभ करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

जिला दूरसंचार कार्यालय

2466. श्री अम्बरीश : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को राज्यों विशेषकर कर्नाटक से जिला दूरसंचार कार्यालयों की स्थापना के लिए निवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिलेवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य सरकारों के इन निवेदनों पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान) : (क) और (ख) राजस्थान सरकार से जालौर जिला मुख्यालय के लिए दूरसंचार जिला प्रबंधक के पद की मंजूरी का केवल एक मामला प्राप्त हुआ है।

(ग) चूंकि जालौर राजस्व जिला, सिरोही गौण स्विचिंग क्षेत्र (एसएसए) का ही हिस्सा है, अतः एसएसए योजना के अंतर्गत जालौर में अलग से जिला दूरसंचार कार्यालय खोलना अनुमत्य नहीं है।

परमाणु कार्यक्रम की प्रगति

2467. श्री रघुनाथ झा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय परमाणु कार्यक्रम 40 वर्षों के उपरांत भी निरन्तर विकास नहीं कर पाया है, जैसा कि ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (2001) की इस विषय की 25वीं रिपोर्ट से पता चला है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसकी धीमी प्रगति के संबंध में कोई जांच कराई गई है; और

(ग) परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम पर अब तक कितनी राशि खर्च की गई है और वर्तमान में परमाणु ऊर्जा उत्पादन कितना है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) इस समय, देश में परमाणु विद्युत का अंश कुल विद्युत उत्पादन का लगभग

तीन प्रतिशत है। आत्मनिर्भरता की जरूरत ने हमारे परमाणु विद्युत कार्यक्रम का शुरूआत से ही मार्गदर्शन किया है जिसके साथ समय और प्रयास भी निहित हैं। परमाणु विद्युत कार्यक्रम की प्रगति, इन वर्षों के दौरान कार्यक्रम के संबंध में किए गए निवेशों के अनुरूप देखी जानी चाहिए।

नौवीं योजनावधि में, 880 मेगावाट क्षमता के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए गए थे। यह लक्ष्य कैलेण्डर वर्ष 2000 में, कैगा 1 और 2 (2x220 मेगावाट) तथा आरएपीपी–3 और 4 (2x220 मेगावाट) परियोजनाओं के पूरार होने से हासिल कर लिया गया। इसके अतिरिक्त, तारापुर परमाणु विद्युत परियोजना–3 और 4 (2x540 मगेावाट), कैगा 3 और 4 (2x220 मेगावाट), कुडनकुलम (2x1000 मेगावाट) और आरएपीपी 5 और 6 (2x220 मेगावाट) परियोजनाओं को संस्वीकृति दे दी गई है। 2720 मेगावाट की मौजूदा परमाणु विद्युत उत्पादन क्षमता को, दसवीं योजनावधि के अंत तक बढ़ाकर 4020 मेगावाट करने की योजना है। ग्यारहवीं योजनावधि के अंत तक अर्थात् 31.3.2012 तक लगभग 10,000 मेगावाट और वर्ष 2020 तक लगभग 20,000 मेगावाट क्षमता हासिल करने की दृष्टि से, अतिरिक्त परियोजनाओं का भी निर्माण क्रमिक रूप से किए जाने की योजना है। स्थायी ऊर्जा समिति (2001) ने अपनी रिपोर्ट संख्या 25, [अनुच्छेद संख्या 3.22 (पृष्ठ 44 तथा अनुच्छेद 3.24 (पृष्ठ 45)] में, न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के वास्तविक तथा वित्तीय कार्यनिष्पादन की सराहना की है।

(ग) 31.3.2002 की स्थिति के अनुसार, परिचालनरत बिजलीघरों पर लगभग 8300 करोड़ रुपये की और चालू परियोजनाओं पर 3675 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई है। परिचालनरत बिजलीघरों ने वर्ष 2001–02 में लगभग 19,400 मिलियन यूनिट (एमयूज) बिजली का उत्पादन किया है और चालू परियोजनाएं अपने पूरा होने पर क्रमिक रूप से, दिसम्बर, 2008 तक उत्पादन क्षमता में 3960 मेगावाट की वृद्धि करेंगी।

[हिन्दी]

घोटालों की जांच के लिए सतर्कता समिति

2468. श्री सुरेश चन्देल : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पीजीआई चंडीगढ़ में घोटालों और कदाचार की जांच के लिए कोई सतर्कता समिति गठित की गई है;

(ख) यदि हां, तो कब;

(ग) पीजीआई ने अपने गठन से अब तक कितने मामले सतर्कता समिति को सौंपे हैं; और

(घ) सतर्कता आयोग द्वारा अब तक कितने मामलों की जांच की गई और नवम्बर, 2002 के अंत तक समिति के पास लंबित मामलों की संख्या कितनी है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (घ) स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ में कोई सतर्कता समिति नहीं है। वैसे, इस संस्थान में एक सतर्कता कक्ष अक्तूबर, 1994 से कार्य कर रहा है और सतर्कता संबंधी विशिष्ट शिकायतों की जांच करता रहा है। वर्ष 2001–2002 के दौरान, सतर्कता कक्ष द्वारा 34 मामलों की जांच की गई और 19 मामलों की जांच पूरी कर ली गई; और 15 मामले लंबित पड़े हैं। 1.4.2002 से 30 नवम्बर, 2002 के दौरान, दो नए मामले प्राप्त हुए और सतर्कता कक्ष द्वारा 17 मामलों में से 11 मामलों में जांच विधिवत पूरी कर ली गई। नवम्बर, 2002 के अन्त में 6 मामले लम्बित थे।

जैविक दवा के विश्व बाजार में भारत का हिस्सा

2469. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशाल जैविक संसाधनों की उपलब्धता के बावजूद भी जैविक दवा के विश्व बाजार में हमारी भागीदारी लगभग शून्य है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) जैविक दवा के क्षेत्र में देश की भागीदारी को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) औषधीय पादप उत्पादों का अंतरराष्ट्रीय बाजार लगभग 62 बिलियन अमेरिकी डालर प्रति वर्ष है, जिसमें से भारतीय भागीदारी 616.52 करोड़ रुपये है।

(ग) निर्यात की वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(i) सरकार ने औषधीय पादप क्षेत्र के एकीकृत विकास

के लिए राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना की है।

(ii) जैव प्रौद्योगिकी विभाग के पास देश में प्रयुक्त औषधीय व सुगंधित पादपों पर सहायता अनुसंधान तथा विकास परियोजना भी है।

(iii) सरकार अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों में उद्योगों को उनके उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए उनमें शामिल होने के लिए भी सहायता दे रही है।

(iv) लेबलिंग उपबंधों में छूट दी गई है।

(v) प्रयोगशाला सुविधाओं में विस्तार किया जा रहा है।

(vi) अच्छी विनिर्माण पद्धतियों (जी.एम.पी.) को अधिसूचित कर दिया गया है।

(vii) बाजार सर्वेक्षण में सहायता दी गई है।

[अनुवाद]

पेट्रोल पर उपकर

2470. श्री आर. एल. जालप्पा : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2001–02 और 2002–03 के दौरान कर्नाटक में बेचे गए पेट्रोल और डीजल पर उपकर की राशि में से कर्नाटक को कितनी धनराशि जारी की गई है; और

(ख) वर्ष 2001–02 और 2002–03 के दौरान उपरोक्त धनराशि से किए गए सड़क निर्माण संबंधी कार्यों का ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) पेट्रोल और डीजल पर उपकर से सृजित केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत राज्यीय सड़कों के विकास के लिए वर्ष 2001–02 और 2002–03 के दौरान कर्नाटक राज्य को अब तक क्रमशः 1196 लाख रु. और 2732.71 लाख रु. जारी किए गए हैं।

(ख) अनुमोदित परियोजनाओं के ब्यौरे इस प्रकार हैं :

वर्ष	परियोजनाओं की संख्या	धनराशि (करोड़ रु.)
2001–02	106	77.53
2002–03 (अब तक)	62	39.85

संघ राज्य क्षेत्रों में ई-गवर्नेंस

2471. श्री पवन कुमार बंसल : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संघ राज्य प्रशासनों से देश में ई–गवर्नेंस के लिए पहल करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान) : (क) सरकार, नागरिकों को अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकारी कार्य प्रणाली में समग्र रूप से सुधार करने के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग करने/ई–शासन उपायों के लिए मात्र सलाह दे रही है।

(ख) चंडीगढ़ प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार उन्होंने अप्रैल, 2000 में अपनी सूचना प्रौद्योगिकी नीति जारी की है, जिसमें ई–शासन के इस्तेमाल से ज्ञान पर आधारित समाज का विकास करने पर जोर दिया गया है जिसके द्वारा चंडीगढ़ के सभी निवासी वर्ष 2005 तक सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उठा पाएंगे। चंडीगढ़ प्रशासन उपर्युक्त उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न परियोजनाएं कार्यान्वित कर रहा है।

आरएपीपी इकाई 7 और 8 की स्वीकृति

2472. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोनाराम चौधरी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आरएपीपी इकाई 7 और 8 की शीघ्र स्वीकृति के लिए राजस्थान सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की स्थिति क्या है; और

(ग) आवश्यक स्वीकृति कब तक दिए जाने की संभावना है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) राजस्थान के मुख्य मंत्री ने इस विषय पर मई, 2002 में प्रधान मंत्री को लिखा

था। इस विषय पर भारत सरकार के पास वर्तमान में कोई औपचारिक प्रस्ताव लम्बित अथवा विचाराधीन नहीं पड़ा है।

(ख) और (ग) राजस्थान में रावतभाटा नामक स्थल पर चार यूनिट, राजस्थान परमाणु बिजलीघर 1–4 (100 मेगावाट + 200 मेगावाट + 2x220 मेगावाट) काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना (आरएपीपी–5 तथा 6) (2x220 मेगावाट) निर्माणाधीन हैं। इस स्थल में 2x700 मेगावाट क्षमता के यूनिट (आरएपीपी– तथा 8) को भी समायोजित कर लेने की अतिरिक्त क्षमता है, जिसके लिए, परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थल चयन समिति द्वारा मूल्यांकन कार्य पूरा कर लिए जाने के बाद, सुरक्षा की दृष्टि से परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड से, और पर्यावरणीय दृष्टि से पर्यावरण तथा वन मंत्रालय से स्थल संबंधी अनुमति लेना आवश्यक है। इसके बाद, परिकल्पित परमाणु विद्युत कार्यक्रम के अनुरूप और वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता की स्थिति में, दो और यूनिटों को स्थापित करने का काम हाथ में लिया जाएगा।

नौवहन चैनल की जांच

2473. श्री अबुल हसनत खां : क्या **पोत परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दो देशों के बीच कार्गो परिवहन प्रणाली की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जांगीपुर बैराज से बांग्लादेश तक के नौवहन चैनल की व्यावहारिकता की जांच कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरुनावुकरसर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अंतर्देशीय जल परिवहन निगम का पुनरुद्धार

2474. श्री पी. एस. गढ़वी : क्या **पोत परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का केन्द्रीय अंतर्देशीय परिवहन निगम (सी.आई.डब्ल्यू.टी.सी.) के पुनरुद्धार का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं और पूंजीगत रूपरेखा क्या है;

(ग) क्या सरकार का अंतर्देशीय परिवहन निगम क्षेत्र का विस्तृत निजीकरण का भी प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस योजना का औचित्य क्या है और निजी संचालकों को आधुनिक बेड़े की खरीद के लिए किस तरह का वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरुनावुकरसर) : (क) और (ख) भारत सरकार ने केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम (सी.आई.डब्ल्यू.टी.सी.) लि., कोलकाता के लिए एक पुनर्गठन योजना जून, 2001 में पहले ही अनुमोदित कर दी है। इसकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं–

(i) नदी सेवा प्रभाग के कार्य को सरल और कारगर बनाने पर ध्यान देना।

(ii) सरकार पुनर्वास पैकेज को कार्यान्वित करने के लिए 76.35 करोड़ रु. की बजटीय सहायता देगी।

(iii) अधिवर्षिता की आयु को 60 से घटाकर 58 वर्ष करना।

(iv) कर्मचारी संख्या को कम करके 1400 करना। सरकार स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति स्कीम कार्यान्वित करने के लिए 27.07 करोड़ रु. की निधियां उपलब्ध कराएगी।

(v) गहन समुद्र पोत मरम्मत (डी.एस.एस.आर.) प्रभाग को बंद करना। जनशक्ति सहित राजाबागान डॉकयार्ड (आर.बी.डी.) को बेचना। सी.आई.डब्ल्यू.टी.सी. जनशक्ति सहित आर.बी.डी. की भूमि और परिसंपत्तियों को बेचेगी।

(vi) सी.आई.डब्ल्यू.टी.सी. सड़क परिवहन एजेंसियों के साथ बैक–टू–बैक व्यवस्था करेगी और रेल परिवहन के साथ ऐसी व्यवस्था करने की व्यवहार्यता की आगे जांच करेगी ताकि प्रयोक्ता एजेंसियों को "वन स्टॉप" सेवा प्राप्त करने में मदद मिल सके।

(vii) सी.आई.डब्ल्यू.टी.सी. और पोत परिवहन मंत्रालय चार वर्ष की पुनर्गठन अवधि के लिए राजस्व और व्यय अनुमानों के संबंध में एक समझौता

ज्ञापन करेंगे जिसकी मंत्रालय द्वारा निगरानी की जाएगी ताकि अनुमानों को पूरा किया जाना सुनिश्चित हो सके।

(viii) भारत सरकार के (योजनागत और गैर–योजनागत) ऋण और उस पर उपार्जित ब्याज (जो कि 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार 425.98 करोड़ रु. है) को बट्टे–खाते डालना।

इस पुनर्गठन योजना का कुल पूंजीगत परिव्यय 139.55 करोड़ रु. है।

(ग) और (घ) जी, हां। सरकार ने अंतर्देशीय जलमार्गों का तेजी से विकास करने और इस क्षेत्र में गैर–सरकारी क्षेत्र को शामिल करने के उद्देश्य से एक अंतर्देशीय जल परिवहन नीति अनुमोदित की हे। इस नीति के अंतर्गत कुछ नीतिगत निर्णय और अंतर्देशीय जल परिवहन क्षेत्र में गैर–सरकारी क्षेत्र को आकर्षित करने के लिए वित्तीय रियायतें भी शामिल की गई हैं ताकि इस साधन का द्रुत गति से विकास सम्भव हो सके।

गैर–सरकारी प्रचालकों को राष्ट्रीय जलमार्गों पर अंतर्देशीय जलयानों के स्वामित्व और प्रचालन के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार ने एक अंतर्देशीय जलयान निर्माण सब्सिडी स्कीम अनुमोदित की है जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय जलमार्गों पर प्रचालन करने के लिए जलयान के स्वामी को जलयान की लागत की 30% राशि सब्सिडी के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। अंतर्देशीय जल परिवहन जलयानों के स्वामित्व को प्रोत्साहित करने से संबंधित अन्य प्रोत्साहनों में अंतर्देशीय जलयानों के लिए अधिक मूल्यह्रास दर निर्धारित करना और अंतर्देशीय जल परिवहन क्षेत्र से संबंधित कुछ उपस्कर और मशीनरी के आयात के लिए कम सीमा शुल्क की उगाही करना शामिल है।

प्रवासी भारतीय दिवस मनाना

2475. श्री श्रीचन्द कृपलानी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रवासी भारतीय दिवस को बड़े स्तर पर मनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके लिए निर्धारित राशि कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने इसके आयोजन के लिए किसी समिति का गठन किया है; और

(घ) यदि हां, तो समिति के सदस्यों के नाम क्या–क्या हैं और उनके चयन का मापदंड क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय समुदाय पर उच्च स्तरीय समिति की प्रमुख सिफारिश के कार्यान्वयन में 9–11 जनवरी, 2003 के बीच फेडेरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) की भागीदारी में नई दिल्ली में सरकार द्वारा तीन दिवसीय अभिसमय आयोजित किया जा रहा है। तीन दिवसीय इस आयोजन का उद्घाटन प्रधान मंत्री द्वारा किया जाना प्रस्तावित है जिसमें 9 जनवरी और 10 जनवरी के पूर्वाह्न का पूर्ण सत्र शामिल है। सूचना आधारित उद्योगों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य देखभाल, आदिवासी मीडिया और डायस्पोरा संबंधी पहचान, शिक्षा, वित्त सेवाएं, स्वैच्छिक क्षेत्र और विकास, संस्कृति और पर्यटन जैसे विषयों पर विचारगोष्ठियों का आयोजन दूसरे दिन के अपराह्न में किया जाना नियोजित है। तीसरा दिन मुख्य मंत्रियों/राज्य सरकारों के साथ मिलने–जुलने के लिए निर्धारित है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन 9 और 10 जनवरी, 2003 की संध्या को किया जाएगा। आधे–आधे व्यय का वहन सरकार और फिक्की के बीच होगा बशर्ते सरकार की ओर से किया जाने वाला व्यय 5.5 करोड़ रु. से अधिक नहीं हो।

(ग) जी, हां। प्रवासी भारतीय दिवस के लिए सरकार द्वारा एक आयोजन समिति का गठन किया गया है।

(घ) प्रवासी भारतीय दिवस के लिए आयोजन समिति के सदस्यों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं। सदस्यों का चयन कार्यात्मक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए पदेन रूप से अथवा भारतीय डायस्पोरा के संबंध में उनके अनुभव और जानकारी के आधार पर हुआ है।

विवरण

प्रवासी भारतीय दिवस के लिए आयोजन समिति के सदस्यों की सूची

चेयरमैन

डा. एल. एम. सिंघवी, संसद सदस्य

सदस्य

1. श्री आर. एल. भाटिया, संसद सदस्य

2. श्री जे. सी. शर्मा, सचिव (पीसीडी) विदेश मंत्रालय, सदस्य सचिव

3. श्री बी. के. अग्निहोत्री, एम्बेसेडर–एट–लार्ज फॉर नॉन रेजिडेंट इंडियन्स एंड पर्सन्स ऑफ इंडियन ऑरिजिन, न्यूयार्क

4. प्रो. वी. एस. राममूर्ति, सचिव (विज्ञान और प्रौद्योगिकी)

5. प्रो. एस. के. त्रिपाठी, सचिव (शिक्षा)

6. श्री धनेन्द्र कुमार, सचिव (संस्कृति)

7. श्री एस. के. नाईक, सचिव (स्वास्थ्य)

8. श्री राजीव रत्न शाह, सचिव (सूचना प्रौद्योगिकी)

9. श्री एल. एम. मेहता, सचिव (खेल)

10. श्री पवन चोपड़ा, सचिव (सूचना और प्रसारण)

11. श्री के. राय पाल, सचिव (नागर विमानन)

12. श्री आर. सी. ए. जैन, विशेष सचिव (गृह)

13. श्री जे. वासुदेवन, चेयरमैन इंडिया ट्रेड प्रोमोशन आर्गेनाइजेशन

14. श्री प्रियदर्शी ठाकुर, अपर सचवि (एफ.ए.) विदेश मंत्रालय

15. श्री आर. एस. गुप्ता, पुलिस आयुक्त, दिल्ली

16. श्रीमती एस. त्रिपाठी, महानिदेशक, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद

17. श्रीमती रति विनय झा, सचिव (पर्यटन)

18. श्री आर. दयाकर, संयुक्त सचिव (अप्रवासी भारतीय) विदेश मंत्रालय

19. श्री पी. एस. सहाय, आई.एफ.एस (सेवानिवृत्त)

20. श्री आर. एस. लोढा, अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज (फिक्की)

21. श्री ए. सी. मुथैया, उपाध्यक्ष, फिक्की

22. श्री वाई. के. मोदी, उपाध्यक्ष, फिक्की

23. डा. अमित मित्रा, महासचिव, फिक्की

24. श्री विवेक भारती, सलाहकार, फिक्की

परमाणु परीक्षण

2476. श्री गुनीपाटी रामैया :
श्री वी. के. पार्थसारथी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के सिवाय देश के किन–किन स्थानों पर परमाणु परीक्षण किए जा सकते हैं; और

(ख) इन स्थानों के चयन की पूर्व शर्तें क्या हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) किसी भी ऐसे स्थल को जो शैल स्तर, भूजल–विज्ञान, आबादी वाले क्षेत्रों से अलग स्थित होना आदि जैसी विशिष्टताओं के संबंध में आवश्यक मानदंडों को पूरा करता हो, भूमिगत नाभिकीय परीक्षणों के लिए उपयुक्त समझा जा सकता है। राजस्थान स्थल इन अपेक्षाओं को पूरा करता था।

सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क

2477. श्री एस. मुरुगेसन : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्कों की स्थापना पर विचार के लिए कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान) : (क) से (ग) एसटीपीआई ने पहले ही तिरुनेलवेली, तमिलनाडु में अंतर्राष्ट्रीय गेटवे सहित एक एसटीपीआई केन्द्र स्थापित किया है। यह केन्द्र कार्य कर रहा है और सॉफ्टवेयर निर्यात समुदाय को उच्च गति की आंकड़ा संचार (एचएसडीसी) सुविधाएं प्रदान करता है।

धनादेश कमीशन के भुगतान से छूट

2478. श्री टी. गोविन्दन : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल सरकार से राष्ट्रीय

वृद्धावस्था पेंशनभोगियों से पेंशन हेतु धनादेश कमीशन के भुगतान में छूट के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान) : (क) और (ख) राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना से पेंशन संवितरण के लिए मनीआर्डर कमीशन के भुगतान से छूट प्रदान करने का केरल सरकार का अनुरोध नहीं माना जा सका।

[हिन्दी]

भारत-नेपाल व्यापार संधि

2479. कुंवर अखिलेश सिंह : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत–नेपाल व्यापार संधि में कोई परिवर्तन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन परिवर्तनों के द्वारा नेपाल से आयातित शुल्क रहित आयातों की सीमा निर्धारित कर दी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) व्यापार–संधि में इन परिवर्तनों से भारत और नेपाल को किन क्षेत्रों में लाभ मिलने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ङ) भारत–नेपाल व्यापार संधि का नवीकरण संधि की मूल भावना और स्वरूप में परिवर्तन किए बिना उसके नयाचार में उचित संशोधनों के निगमन के पश्चात् 2 मार्च, 2002 को किया गया। नेपाल, अपने निर्माताओं के लिए भारतीय बाजार में गैर पारस्परिकता के आधार पर ड्यूटी फ्री पहुंच का लाभ उठाना जारी रखेगा।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि संधि के प्रावधान नेपाल के वास्तविक उद्योगों को लाभार्जन सुविधाजनक बनाएं और उनका इस्तेमाल भारतीय उद्योग को नष्ट करने के लिए किसी तीसरे देश के निर्यातों के माध्यम के तौर पर नहीं हो, अब संधि के नयाचार में शून्य ड्यूटी पहुंच के लिए प्रथम वर्ष में 25% और बाद के वर्षों में 30% के नाममात्र मूल्य वर्द्धन मानदंड को जोड़ा गया है।

1996 व्यापार संधि में नेपाल में निर्मित वस्तुओं की भारत में निःशुल्क प्रविष्टि के लिए कोई मूल्य संवर्द्धन मानदंड नहीं था। इसके परिणामस्वरूप नेपाल से थोड़े अथवा बिना किसी मूल्य संवर्द्धन के, कुछ उत्पादों के आयात में काफी बढ़त हुई जैसे एक्रेलिक यार्न, जिंक ऑक्साइड, वनस्पति और ताम्र उत्पाद। नेपाल से भारत में इन उत्पादों के भारी आयात और हमारे घरेलू उद्योग पर इसके प्रतिकूल प्रभाव के संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त हुए।

संशोधित व्यापार संधि में वनस्पति, एक्रेलिक यार्न, ताम्र उत्पाद और जिंक आक्साइड के ड्यूटी फ्री आयात के लिए सीमा का निर्धारण इस प्रकार किया गया है ताकि नेपाल द्वारा भारत को होने वाले मौजूदा निर्यात भी बाधित नहीं हों और साथ के साथ भारतीय उद्योग के हितों की पूर्ति भी हो। इन वस्तुओं के निर्यात पर एम.एफ.एन. आधार पर निर्यात की कोई सीमा नहीं है। निःशुल्क आयात हेतु चार संवेदनशील वस्तुओं के लिए कोटा आंकड़े निम्नानुसार हैं–

वनस्पति वसा (वनस्पति)	100,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष
एक्रेलिक यार्न	10,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष
ताम्र उत्पाद	7,500 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष
जिंक आक्साइड	2,500 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष

भारत सरकार तत्पश्चात नेपाल से ताम्र उत्पादों के आयात हेतु ताम्र उत्पादों के निर्यात के लिए कोटे को बढ़ाकर 2500 मीट्रिक टन प्रति वर्ष करने के लिए नेपाल सरकार से अनुरोध करने के लिए सहमत है।

भारत–नेपाल व्यापार संधि विश्व भर में सर्वाधिक उदार संधि है। संधि में किए गए संशोधन नेपाल के विकास का संवर्द्धन करेंगे जबकि भारतीय उद्योग के हितों को भी सुरक्षित रखेंगे।

[अनुवाद]

अफगानिस्तान में गैर-सरकारी संगठन

2480. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तालिबान के सत्ता से हटने के बाद से दोनों देशों के मित्रतापूर्ण संबंधों को कायम करने के लिए सरकार द्वारा अफगानिस्तान में पुनर्वास और अन्य सामाजिक कल्याण

गतिविधियों के लिए चयनित/सूचीबद्ध गैर सरकारी संगठनों (एन जी) का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) गैर–सरकारी संगठनों के चयन/सूची का आधार क्या है; और

(ग) अब तक प्रत्येक गैर–सरकारी संगठन को प्रदत्त की गई कुल वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) सरकार का मानना है कि अफगानिस्तान में पुनर्वास तथा पुनर्निर्माण प्रयासों में सरकारी, निजी तथा स्वैच्छिक योगदान परस्पर रूप से सम्पूरक और सहयोगी होगा। अफगानिस्तान में पुनर्वास तथा अन्य समाज कल्याण क्रियाकलापों को शुरू करने के लिए सरकार के गैर–सरकारी संगठनों द्वारा कोई चयन सूची नहीं बनाई गई है अथवा क्ति व्यवस्था नहीं की गई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

नकली दवाइयों की जांच

2481. डा. डी. वी. जी. शंकर राव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपभोक्ता दवाई लेकर किसी भी अधिकृत प्रयोगशाला में नकली होने की उसकी जांच करा सकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दिल्ली, हैदराबाद और कोलकाता की ऐसी प्रयोगशालाओं के नाम और पतों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अधीन कोई भी व्यक्ति अथवा कोई भी मान्यताप्राप्त उपभोक्ता संगठन, भले ही वह व्यक्ति उस संगठन का सदस्य हो या न हो, निर्धारित विधि के अनुसार आवेदन करके और निर्धारित शुल्क का भुगतान करके स्वयं अथवा इसके द्वारा खरीदे गए किसी औषध अथवा प्रसाधन सामग्री को जांच अथवा विश्लेषण हेतु सरकारी विश्लेषक के पास प्रस्तुत करने तथा ऐसी जांच अथवा विश्लेषण की सरकारी विश्लेषक द्वारा हस्ताक्षरित रिपोर्ट प्राप्त करने का पात्र होगा।

(ग) दिल्ली, हैदराबाद तथा कोलकाता की प्रयोगशालाएं निम्नलिखित हैं :

(1) संयुक्त खाद्य और औषध प्रयोगशाला, ए–2, लारेंस रोड, दिल्ली–35

(2) औषध नियंत्रण प्रयोगशाला, औषध नियंत्रण प्रशासन, वेंगल राव नगर, हैदराबाद–500038 (आंध्र प्रदेश)

(3) केन्द्रीय औषध प्रयोगशाला, 3, किड स्ट्रीट, कोलकाता

(4) राज्य औषध नियंत्रण व अनुसंधान प्रयोगशाला, सं. 2, कान्वेंट लेन, कोलकाता–700015।

[हिन्दी]

पाकिस्तान यात्रा का आमंत्रण

2482. श्री रामदास आठवले : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान के गृह मंत्री ने इस्लामाबाद के दौरे के लिए भारत के गृह मंत्री को हाल ही में आमंत्रित किया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) मार्च, 2002 में इस्लामाबाद में आयोजित दूसरी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के सूचना मंत्रियों की बैठक में पाकिस्तानी मीडिया में इस आशय की एक खबर थी कि पाकिस्तानी आंतरिक मंत्री ने अपने भारतीय समकक्ष को इस्लामाबाद की यात्रा का निमंत्रण दिया है। इन रिपोर्टों में यह भी सुझाव दिया गया कि पाकिस्तानी आंतरिक मंत्री ने भारत के साथ तनाव कम करने और बीस कानून से भगोड़ों की सूची के संबंध में बातचीत करने का प्रस्ताव किया है।

पाकिस्तानी नेता भारत में सीमा पार आतंकवाद का पाकिस्तान द्वारा निरंतर प्रायोजन करने और इसमें लिप्त होने की बात से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान हटाने के लिए बहुधा, विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के दौरान ऐसा दुष्प्रचार करते रहे हैं। पाकिस्तान ने इस तथ्य से भी अपना ध्यान हटाने का प्रयास किया कि उसने बीस कानून से भगोड़ों की सूची पर कोई कार्रवाई नहीं की है जो उसे 31 दिसम्बर, 2001 को सौंपी गई थी।

सरकार ने निरंतर पाकिस्तान के साथ अच्छे पड़ोसियों के संबंध बनाने और इस उद्देश्य से संयुक्त वार्ता प्रक्रिया को बहाल करने की अपनी वचनबद्धता दोहराई है जिसके द्वारा आस्था और विश्वास बढ़ाने, सहयोग का स्थायी ढांचा बनाने,

और बकाया मसलों का समाधान करने का प्रयास किया गया है। पाकिस्तान को अनिवार्य रूप से सीमा–पार आतंकवाद का प्रायोजन बंद करना होगा ताकि सार्थक वार्ता के लिए समुचित वातावरण बन सके।

[अनुवाद]

चिकित्सा व्यवस्था में लगे लोगों के लिए आचार संहिता

2483. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री 5.12.2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2498 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मेडिकल प्रेक्टिशनरों के व्यावसायिक आचार–शिष्टाचार और नैतिकता संबंधी नियमों को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलंब के क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (ग) जी, हां। दिनांक 6 अप्रैल, 2002 को सरकारी राजपत्र में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (व्यावसायिक संहिता, शिष्टाचार एवं आचार शास्त्र) विनियम, 2002 को प्रकाशित किया गया है। इन विनियमों में अन्य बातों के साथ–साथ डाक्टर की ओर से भूल–चूक के कार्यों को निर्दिष्ट किया गया है जो व्यावसायिक कदाचार अथवा अनैतिक कार्य माने जाएंगे जिनके लिए उन पर अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है। इन विनियमों के अनुसार भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अथवा राज्य चिकित्सा परिषदों को विनियमों के उपबंधों के उल्लंघन के, उनके समक्ष प्रस्तुत किसी भी कार्य के संबंध में जांच कराने के बाद वैसे दंड देने की शक्ति प्राप्त है जिसे उचित समझा जाए अथवा रजिस्टर से किसी पंजीकृत चिकित्सक के नाम को पूरी तरह अथवा एक विशिष्ट अवधि के लिए हटाने की शक्ति प्राप्त है।

[हिन्दी]

अस्पताल कर्मचारियों के खिलाफ शिकायतें

2484. श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह :
श्री राम टहल चौधरी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान सरकारी अस्पतालों के कामकाज के खिलाफ सरकार को कितनी शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) कितने कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (ग) चूंकि भारत के संविधान के अंतर्गत स्वास्थ्य राज्यों का विषय है, इसलिए राज्यीय अस्पतालों के बारे में शिकायतों से संबंधित सूचना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नहीं रखी जाती है। जहां तक केन्द्र सरकार के अस्पतालों का संबंध है, विगत दो वर्षों के दौरान शिकायतों की संख्या तथा कर्मचारियों, जिनके विरुद्ध कार्रवाइयां की गई हैं, की संख्या इस प्रकार है–

अस्पताल	शिकायतें	कर्मचारियों की संख्या जिनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है
सफदरजंग	54	–
डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल	151	5
लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं संबद्ध अस्पताल	28	2

[अनुवाद]

एड्स के लिए विदेशी सहायता

2485. श्रीमती श्यामा सिंह :
श्री चन्द्रभूषण सिंह :
श्री पी. आर. खुंटे :
डा. रमेश चंद तोमर :
श्री पुन्नू लाल मोहले :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान देश में एच.आई.वी./एड्स महामारी से लड़ने के लिए अमेरिका सहित कई देशों से वित्तीय सहायता मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सहायता राशि का जिस तरह उपयोग किया गया है/उपयोग किए जाने का प्रस्ताव है उसका ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) भारत सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान एच.आई.वी./एड्स का मुकाबला करने के लिए निम्नलिखित देशों से वित्तीय सहायता प्राप्त की :

(रुपये करोड़ में)

परियोजनाएं	1999–2000	2000–2001	2001–2002
तमिलनाडु में संयुक्त राज्य अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी (यू.एस.ए.) से सहायता प्राप्त ए.पी.ए.सी. परियोजना	4.385	6.611	6.396
महाराष्ट्र में संयुक्त राज्य अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी (यू.एस.ए.) से सहायता प्राप्त 'एवर्ट' परियोजना	शून्य	शून्य	1.460
आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा और केरल में अन्तर्राष्ट्रीय विकास विभाग (यू.के.) से सहायता प्राप्त यौन स्वास्थ्य भागीदारी परियोजना	6.575	10.084	6.434

कर्नाटक तथा राजस्थान में कनाडा अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी से सहायता प्राप्त भारत–कनाडा सहयोगात्मक एच.आई.वी./एड्स परियोजना 2001 में शुरू हुई थी और कार्यान्वयन एजेंसियों को केन्द्रीय धनराशियां वित्तीय वर्ष 2001-02 में जारी की गई थीं। लेकिन, व्यय के विवरण के अभाव में, वित्तीय एजेंसियों से अब तक प्रतिपूर्ति का कोई दावा नहीं किया गया है।

(ग) ये परियोजनाएं भारत सरकार के बजटीय संसाधनों के जरिए कार्यान्वित की जाती हैं और बाद में राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटियों जैसी कार्यान्वयन एजेंसियों से व्यय विवरणों की प्राप्ति के पश्चात् वित्तपोषक एजेंसियों से प्रतिपूर्ति की मांग की जाती है।

भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सी.बी.आई. के मामले

2486. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :**
श्री अधीर चौधरी :
श्री नरेश पुगलिया :
श्री रामजी मांझी :
श्री पी. आर. खूंटे :
श्री मणिभाई रामजी भाई चौधरी :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
श्रीमती निवेदिता माने :
श्री चन्द्रनाथ सिंह :
श्री चन्द्रेश पटेल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 10 नवम्बर, 2002 के 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित समाचार के अनुसार सरकारी शक्तियों के दुरुपयोग, धोखाधड़ी, बैंक–धोखाधड़ी और अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक की सम्पत्ति रखने आदि जैसे भिन्न–भिन्न अपराधों के मामले में भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों और अन्य लोगों के खिलाफ सी.बी.आई. द्वारा देशव्यापी छापे मारे गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन छापों में ऐसे कितने भ्रष्ट अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया;

(ग) ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) देश के सरकारी कार्यालयों से भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, उसने सरकारी पदधारियों, गैर–सरकारी व्यक्तियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों और निजी फर्मों के कार्यरत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के खिलाफ छापे मारे। उपर्युक्त छापों के परिणामस्वरूप, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988, पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, पारपत्र अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के अनुसार 25 मामले दर्ज किए। उपर्युक्त 25 मामलों में से कुछ मामले, सरकारी

पदधारियों द्वारा अपने पद का दुरुपयोग किए जाने पर दर्ज किए गए हैं। उपर्युक्त सरकारी पदधारियों में से कोई भी पदधारी गिरफ्तार नहीं किया गया है।

(ग) सरकार, उपर्युक्त सरकारी पदधारियों के विरुद्ध नियमों और विनियमों तथा उन अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करेगी जिनके अनुसार, उनके विरुद्ध मामले दर्ज किए गए हैं।

(घ) सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार रोकने की दृष्टि से, भ्रष्टाचार–निरोधी नीति के निर्माण, उसके प्रभावी कार्यान्वयन और उसकी मॉनीटरिंग जैसे कई कदम उठाए गए हैं। अपेक्षाकृत अधिक पारदर्शिता लाया जाना और भ्रष्टाचार समाप्त किया जाना सुनिश्चित करने की दृष्टि से, संबंधित संगठनों की योजनाओं और क्रियाविधियों की जानकारी मुहैया करवाने के प्रयोजन से विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में सूचना–सुविधा–काउंटर स्थापित किए गए हैं। मुख्य सतर्कता–अधिकारी की सहायता से सम्पन्न, संबंधित विभाग के सचिव, अपने विभाग में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा बनाए रखना सुनिश्चित करने के जिम्मेदार बनाए गए हैं।

कॉन्फ्रेंस कॉल

2487. श्री के. ई. कृष्णमूर्ति : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार विभाग (डी.ओ.टी.) को बी.एस.एन.एल. से ऐसी कोई शिकायत मिली है कि भारती लिमिटेड और बी.एस.एन.एल. के बीच कॉन्फ्रेंस सुविधा का भारती लिमिटेड उपयोग कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसका तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई है/की जा रही है; और

(घ) इस संबंध में सरकार का क्या रवैया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) जी, हां।

(ख) भारत संचार निगम लि. ने शिकायत की है कि मै. भारती टेलीनेट लिमिटेड के पी.सी.ओ फ्रेंचाइजी मै. भारती टेलीनेट लि. द्वारा उपलब्ध कराई गई टेलीफोन लाइनों/लिंकों/संसाधनों का प्रयोग करके अपने अनधिकृत सैट–अप के माध्यम से परियात सुविधा का उपयोग कर रहे हैं।

(ग) और (घ) लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन करने तथा सुरक्षा नियम तोड़ने के लिए मै. भारती टेलीनेट से स्पष्टीकरण मांगा गया था तथा गुड़गांव में छापा मारा गया था। मै. भारती टेलनेट ने सूचित किया है कि उसने इन फ्रेंचाइजियों के साथ अपनी लाइनें काट दी हैं।

[हिन्दी]

ग्राहक सेवा केन्द्र

2488. श्री चिन्मयानन्द स्वामी :
श्री वाई. जी. महाजन :
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय राज्यवार कितने दूरसंचार ग्राहक सेवा केन्द्र कार्यरत हैं;

(ख) क्या सरकार देश में ऐसे और केन्द्र खोलने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) 30.9.2002 की स्थिति के अनुसार कुल 3287 उपभोक्त सेवा केन्द्र विभिन्न सर्किलों में कार्यरत हैं। खोले गए उपभोक्ता सेवा केन्द्रों की सर्किल–वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) जी, हां। भारत संचार निगम लि. के प्रत्येक कम दूरी प्रभारण क्षेत्रों (एसडीसीए) से कम से कम एक उपभोक्ता सेवा केन्द्र खोलने की योजना बनाई गई है। महानगर टेलीफोन निगम लि. में, आवश्यकता होने पर और उपभोक्ता सेवा केन्द्र खोले जाएंगे।

विवरण

30.9.2002 की स्थिति के अनुसार एमटीएनएल तथा बीएसएनएल में कम दूरी प्रभारण क्षेत्र–वार उपभोक्ता सेवा केन्द्र

क्र.सं.	सर्किल का नाम	उपभोक्ता सेवा केन्द्र
1	2	3
1.	अंदमान और निकोबार द्वीप	4

1	2	3
2.	आंध्र प्रदेश	346
3.	असम	59
4.	बिहार	94
5.	छत्तीसगढ़	101
6.	गुजरात	223
7.	हरियाणा	57
8.	हिमाचल प्रदेश	45
9.	जम्मू–कश्मीर	13
10.	झारखंड	33
11.	कर्नाटक	264
12.	केरल	116
13.	मध्य प्रदेश	243
14.	महाराष्ट्र	420
15.	पूर्वोत्तर–I	3
16.	पूर्वोत्तर–II	2
17.	उड़ीसा	74
18.	पंजाब	110
19.	राजस्थान	253
20.	तमिलनाडु	157
21.	उत्तरांचल	42
22.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	208
23.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	84
24.	पश्चिम बंगाल	101
25.	कोलकाता टी डी	80
26.	चेन्नई टी डी	28
27.	दिल्ली	49
28.	मुम्बई	78
	कुल जोड़	3287

[अनुवाद]

पंजीयन शुल्क में कटौती

2489. श्री चन्द्रभूषण सिंह : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की उन कम्पनियों के पंजीयन शुल्क में 50 फीसदी की कटौती का है जो देश के किसी भी 40 एसटीपीआईएस में से किसी से पंजीकृत हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान) : (क) और (ख) एसटीपी योजना के अंतर्गत सेवा प्रभार को तर्कसंगत बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

उड़ीसा में लघु उद्योग के लिए खर्च की गई राशि

2490. श्री भर्तृहरि महताब : क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों को स्थापित करने हेतु सरकार द्वारा कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ख) इस संबंध में दसवीं पंचवर्षीय योजना में कितनी राशि खर्च किए जाने का प्रस्ताव है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) लघु उद्योगों की स्थापना करना व्यक्तिगत उद्यमी का कार्य है। तथापि, सरकार विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से लघु उद्योग क्षेत्र के विकास एवं संवर्धन में सहायता देती है, जो कि समान रूप से पूरे देश में कार्यान्वित किए जाते हैं और जिनके लिए निधियों का आवंटन योजना/कार्यक्रमवार किया जाता है न कि राज्यवार। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा, सहित देश में लघु उद्योगों के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा 3662.68 करोड़ रु. (अनंतिम) की राशि खर्च की गई।

(ख) दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए उड़ीसा सहित

देश में लघु उद्योगों के विकास से संबंधित योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए 2200.00 करोड़ रु. का परिव्यय किया गया है।

कुष्ठ उन्मूलन केन्द्र

2491. श्री सी. के. जाफर शरीफ :
श्री रामशकल :
श्री बृजलाल खाबरी :
श्री रामदास रूपला गावीत :
श्री राधा मोहन सिंह :
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान देश के जनजातीय, ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में कुष्ठ उन्मूलन केन्द्र स्थापित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कुष्ठ उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा राज्यवार कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान राज्यवार कितने लोग लाभान्वित हुए?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) संलग्न विवरण–I में दिए गए ब्यौरे के अनुसार।

(घ) संलग्न विवरण–II में दिए गए ब्यौरे के अनुसार।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कुष्ठ उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा राज्य–वार खर्च की गई रकम

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	1999–2000 जारी की गई सहायता	2000–2001 जारी की गई सहायता	2001–2002 जारी की गई सहायता
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	442.21	508.75	223.83
2.	अरुणाचल प्रदेश	60.36	136.00	62.09
3.	असम	235.93	112.00	153.85
4.	बिहार	1322.77	869.80	663.94
5.	छत्तीसगढ़	एन.ए.	एन.ए.	378.34
6.	गोवा	1.51	1.50	11.52
7.	गुजरात	230.37	230.0	61.97
8.	हरियाणा	43.24	23.00	61.94
9.	हिमाचल प्रदेश	54.53	61.00	49.69
10.	जम्मू–कश्मीर	63.61	87.00	100.55
11.	झारखंड	एन.ए.	एन.ए.	356.23
12.	कर्नाटक	247.98	302.75	196.05
13.	केरल	147.30	237.00	74.61
14.	मध्य प्रदेश	794.35	645.36	395.32
15.	महाराष्ट्र	391.04	308.60	435.99
16.	मणिपुर	95.71	125.00	71.02
17.	मेघालय	45.26	47.00	46.94
18.	मिजोरम	51.22	61.00	60.51
19.	नागालैंड	106.09	109.09	89.22
20.	उड़ीसा	581.09	628.00	540.77
21.	पंजाब	100.39	36.00	32 3
22.	राजस्थान	148.37	105.00	123.07
23.	सिक्किम	71.36	41.71	34.87
24.	तमिलनाडु	385.79	422.74	413.04
25.	त्रिपुरा	47.18	34.00	46.47
26.	उत्तर प्रदेश	1428.10	1093.51	129.01

1	2	3	4	5
27.	उत्तरांचल	एन.ए.	एन.ए.	1282.5
28.	पश्चिम बंगाल	841.53	784.00	574.66
29.	अंड. और निको. द्वीपसमूह	5.63	1.00	18.3
30.	चंडीगढ़	13.29	3.50	5.5
31.	दादरा और नागर हवेली	1.17	8.79	6
32.	दमन और दीव	9.50	14.50	18.4
33.	दिल्ली	14.38	41.50	48.36
34.	लक्षद्वीप	1.36	3.00	6
35.	पांडिचेरी	2.00	7.00	2
	कुल	7984.62	7179.01	6774.86

एन.ए.–अनुपलब्ध

विवरण-II

राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम

पिछले 3 वर्षों (1999–2002) के दौरान राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के बारे में पता लगाए गए और इलाज के बाद छुट्टी दिए गए रोगियों की राज्यवार सूचना

क्र.सं.	राज्य/क्षेत्र	1999–2000		2000–2001		2001–2002	
		पता लगाए गए	डिस्चार्ज किएगए	पता लगाए गए	डिस्चार्ज किएगए	पता लगाए गए	डिस्चार्ज किए गए
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	49692	47724	58122	67445	51183	54491
2.	अरुणाचल प्रदेश	180	331	128	165	119	137
3.	असम	3154	4808	1929	3283	2464	2400
4.	बिहार	166877	162914	98732	132066	120005	103626
5.	गोवा	293	392	394	372	337	469
6	गुजरात	11758	11103	12913	13071	10949	11151
7.	हरियाणा	679	916	917	826	766	832
8.	हिमाचल प्रदेश	480	928	330	274	263	368
9.	जम्मू–कश्मीर	423	847	707	804	645	759
10.	कर्नाटक	18511	17156	15830	18325	18761	17418
11.	केरल	3697	3825	3209	4225	2420	2981
12.	मध्य प्रदेश	44949	43475	18407	21791	18345	18693

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	महाराष्ट्र	47659	43172	35491	40918	46371	44000
14.	मणिपुर	207	487	206	260	160	225
15.	मेघालय	76	470	59	89	48	46
16.	मिजोरम	31	71	21	66	24	52
17.	नागालैंड	68	65	63	72	73	69
18.	उड़ीसा	53963	40360	38133	52975	45065	37628
19.	पंजाब	1273	1610	1496	1644	1401	1368
20.	राजस्थान	2689	6803	2003	3649	2012	2031
21.	सिक्किम	24	83	46	42	73	55
22.	तमिलनाडु	30152	31606	33204	44518	32251	37756
23.	त्रिपुरा	119	607	98	105	102	95
24.	उत्तर प्रदेश	106231	82024	80443	108681	110989	97287
25.	पश्चिमी बंगाल	52888	64137	34619	54689	46214	35739
26.	अं. और निको. द्वीपसमूह	62	73	108	63	67	83
27.	चंडीगढ़	301	566	339	373	333	271
28.	दादरा और नागर हवेली	273	312	217	302	331	211
29.	दमन और दीव	37	40	29	45	44	38
30.	दिल्ली	2870	695	6346	4867	5324	5614
31.	लक्षद्वीप	0	45	22	63	7	6
32.	पांडिचेरी	452	386	530	546	462	531
33.	झारखंड	0	0	34531	43860	45143	38905
34.	छत्तीसगढ़	0	0	20805	23022	27470	20363
35.	उत्तरांचल	0	0	1829	2267	2537	2048
	कुल	600068	567831	502256	645763	592758	537748

परमाणु ऊर्जा का बंटवारा

2492. श्री टी. टी. वी. दिनाकरन : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन चालू परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जो दक्षिणी विद्युत क्षेत्र (साउदर्न इलैक्ट्रिसिटी रीजन) को विद्युत की आपूर्ति करती हैं/करेगी;

(ख) किस फॉर्मूला के तहत परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने वाले राज्यों और उनके पड़ोसी राज्यों के बीच परमाणु ऊर्जा का बंटवारा किया जाता है;

(ग) क्या तमिलनाडु की कुडनकुलम परियोजना के संदर्भ में ऊर्जा बंटवारे हेतु फार्मूला तैयार कर लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) इस समय, तमिलनाडु में मद्रास परमाणु बिजलीघर–1 तथा 2 (2x170 मेगावाट) और कर्नाटक के कैगा–1 तथा 2 (2x220 मेगावाट) नामक परमाणु बिजलीघर प्रचालनरत हैं और वे दक्षिणी विद्युत क्षेत्र को विद्युत की आपूर्ति कर रहे हैं। कर्नाटक में कैगा–3 तथा 4 (2x220 मेगावाट) और तमिलनाडु में कुडनकुलम–1 तथा 2 (2x1000 मेगावाट) नामक नाभिकीय विद्युत परियोजनाएं जो इस समय निर्माणाधीन हैं, भी पूरी होने के बाद दक्षिणी विद्युत क्षेत्र के लाभभोगी राज्यों को विद्युत की आपूर्ति करेंगी।

(ख) अप्रैल, 2000 तक, केन्द्रीय उत्पादन केन्द्र द्वारा उत्पादित विद्युत का आवंटन केन्द्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा निम्नानुसार किया गया है :

15% : अनावंटित, जिसके बारे में निर्णय राज्यों की विशिष्ट आवश्यकता के आधार पर किया जाएगा।

10% : उस राज्य को आवंटित जहां संयंत्र लगाया हुआ है।

75% : पिछले पांच वर्षों के दौरान, केन्द्रीय सहायता योजना और ऊर्जा की बिक्री जिन्हें एकसमान महत्व दिया गया है, के आधार पर विद्युत क्षेत्र के लाभभोगी राज्यों को आवंटित अप्रैल, 2000 के बाद विद्युत मंत्रालय (एम ओ पी) ने सूचित किया कि उपर्युक्त विद्युत आवंटन केवल संकेतमात्र है। लाभभोगी राज्य को क्षेत्रीय विद्युत बोर्ड फोरम में आपूर्ति की जाने वाली विद्युत की मात्रा के संबंध में विभिन्न राज्यों से सहमति लेनी आवश्यक है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

अवैध भारतीयों के मामले में जांच

2493. श्री राम मोहन गाड्डे : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 10 नवम्बर, 2002 के 'द पायोनियर' में अवैध भारतीयों के मामले में जांच संबंधी प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) पश्चिमी देशों में उच्च आय के लालच ने कुछ भारतीय नागरिकों को अवैध तरीकों से इन देशों में जाकर बसने का प्रयास करने की ओर आकर्षित किया है।

(ग) अनेक देशों की सरकारों ने हमारे विदेश स्थित राजनयिक मिशनों के साथ इस मामले को उठाया है। जब कभी भी विदेश स्थित भारतीय मिशनों/केन्द्रों अथवा विदेश मंत्रालय को किसी अवैध उत्प्रवास रैकेटों की जानकारी मिलती है तो जांच के लिए मामले की सूचना तत्काल संबंधित राज्य सरकार को दी जाती है।

अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु भर्ती-नियमावलियों में ढील

2494. श्री पी. राजेन्द्रन : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भर्ती पर रोक तथा सरकार और उसके विभागों में कर्मचारियों की संख्या में कटौती करने की नीति के मद्देनजर, सामान्य नियमों में ढील देकर भर्ती संबंधी योजना के अंतर्गत दिवंगत और निःशक्त सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों

की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति, जिसे अब सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली कुल रिक्तियों के 5% तक सीमित कर दिया गया है, के सभी आवेदनों पर थोथे या काल्पनिक आधारों पर विचार नहीं करते हुए उन्हें व्यावहारिक रूप से नकार दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) इस विषय पर सरकार की नीति के अनुसार, प्रशासनिक विभागों द्वारा पात्र आश्रितों के मामलों में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्तियां, प्रत्येक वर्ष सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले समूह 'ग' और समूह 'घ' के रिक्त पदों के 5% पद उपलब्ध होने पर की जानी अपेक्षित होती हैं और भारत सरकार में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्तियां किए जाने पर कोई रोक नहीं है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय भंडार का विस्तार

2495. श्रीमती निवेदिता माने : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केन्द्रीय भंडार के बिक्री–केन्द्रों का विस्तार करने और इसके स्तर में सुधार लाने के लिए केन्द्रीय भंडार को अलग–अलग श्रेणियों में बांटने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) केन्द्रीय भंडार ने और अधिक ग्राहकों को आकृष्ट करने तथा बिक्री बढ़ाने की दृष्टि से, अपने भंडारों के आकार तथा उनमें बेची जाने वाली वस्तुओं के आधार पर उन्हें आधुनिकीकृत करने का कार्यक्रम अपनाया है। केन्द्रीय भंडार ने हाल ही में नेताजी नगर, नई दिल्ली में अपना पहला आधुनिकीकृत भंडार (स्टोर) खोला है। अन्य भंडारों (स्टोरों) का आधुनिकीकरण आरंभ करने से पहले, कुछ समय तक, उपर्युक्त भंडार (स्टोर) का समग्र कार्य–निष्पादन आंकना तय किया गया है।

[अनुवाद]

माफिया सरगना के सहयोगी को पासपोर्ट

2496. श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री पी. आर. किन्डिया :
श्रीमती रीना चौधरी :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, दिल्ली द्वारा माफिया सरगना के एक सहयोगी को पासपोर्ट जारी किया गया था जैसा कि 26 जून, 2002 के 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या इस मामले में कोई जांच कराई गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) ओ. पी. सिंह ने 7 नवम्बर, 2001 को क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, नई दिल्ली में पासपोर्ट के लिए आवेदन किया था। 29 नवम्बर, 2001 को उसे पासपोर्ट जारी किया गया।

(ग) से (च) विभागीय जांच चलाई गई जिससे पता चला कि हालांकि पुलिस रिकार्ड से पता चलता है कि पुलिस रिपोर्ट में श्री सिंह के संबंध में "नहीं रह रहा है" रिपोर्ट भेजी गई जबकि पासपोर्ट कार्यालय की कम्प्यूटर प्रविष्टि में स्पष्ट पुलिस रिपोर्ट दर्शाई गई है। जांच से पता चला कि पासपोर्ट कार्यालय में जान–बूझकर कम्प्यूटर में गलत प्रविष्टियां की गई थीं। मामले की जांच दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा द्वारा की जा रही है।

जापानी मस्तिष्क शोथ

2497. श्री भीम दाहाल :
डा. एन. वेंकटस्वामी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में, विशेषकर आंध्र प्रदेश, सिक्किम, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में, हाल ही में जापानी मस्तिष्क शोथ के बार-बार फैलने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस रोग के फैलने के मुख्य कारण क्या हैं और इससे कितनी मौतें होने का समाचार है;

(ग) क्या इस संबंध में राज्यों द्वारा किसी केन्द्रीय सहायता की मांग की गई है;

(घ) इस रोग के उन्मूलन हेतु कुल कितनी धनराशि स्वीकृत और खर्च की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस रोग से लड़ने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्य योजना तैयार की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) जापानी एनसेफलाइटिस आंध्र प्रदेश, बिहार, असम और मणिपुर सहित देश के 11 राज्यों में स्थानिकमारी के रूप में है। वैसे, सिक्किम से इस रोग की किसी घटना की रिपोर्ट नहीं मिली है।

इस रोग के फैलने का मुख्य कारण उच्च रोगवाहक घनत्व तथा इसे फैलाने वाले कारक जैसे सुअरों की उपस्थिति है। इस रोग के कारण वर्ष 2002 (अक्टूबर, 2002 तक) के दौरान 263 मौतों की सूचना मिली है।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम के अंतर्गत आवंटित धनराशि में से राज्यों को आवश्यकता पर आधारित सहायता दी जाती है।

(च) जापानी एनसेफलाइटिस के लिए नियंत्रक कार्यनीतियों में निम्नलिखित शामिल हैं :

- उच्च खतरे वाली जनसंख्या समूहों को जापानी एनसेफलाइटिस के प्रति वैक्सीन देना।
- उच्च खतरे वाले क्षेत्रों में पशु गृहों में उपयुक्त कीटनाशी के छिड़काव सहित बचे-खुचे क्षेत्र में कीटनाशी छिड़काव के दो दौर चलाना, रोगवाहक नियंत्रण और रोग के प्रकोप के दौरान नियंत्रण हेतु संक्रमित मच्छरों को तुरंत मार देने के लिए मैलेथियान का धूमीकरण। जहां कहीं व्यवहार्य हो वहां लार्वा-रोधी अभियान चलाना।
- जापानी इनसेफलाइटिस के कारण मौतों को कम करने के लिए रोगियों का शीघ्र रोग निदान और उपयुक्त उपचार।
- सभी संभव तरीकों से स्वास्थ्य शिक्षा।
- मानव जनसंख्या से सुअरों को पृथक रखना।
- जापानी एनसेफलाइटिस के क्षेत्र में निवारक तथा नियंत्रक कार्यकलापों से जुड़े चिकित्सा कार्मिकों तथा व्यावसायियों का प्रशिक्षण।

डाक सेवाओं पर राजसहायता की समीक्षा

2498. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक सेवाओं और डाक उत्पादों पर राजसहायता की समीक्षा का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या विभाग ने इस बात का खुलासा किया है कि पंजीयन, अखबार, पोस्टल ऑर्डर और मनीऑर्डर जैसी डाक सेवाओं पर राजसहायता का कोई औचित्य नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान) : (क) से (ग) विभाग बजटीय सहायता घटाने के लिए स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, बिजनेस पोस्ट, मीडिया पोस्ट आदि प्रीमियम उत्पादों द्वारा अतिरिक्त संसाधन एकत्र करके तथा राजस्व का लीकेज नियंत्रित करना, नई प्रौद्योगिकी जैसे इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन तथा बधाई पोस्ट, डाटा पोस्ट, पासपोर्ट सेवा आदि मूल्यवर्धित सेवाओं की शुरूआत जैसे कदम उठाकर अधिक राजस्व प्राप्त करने के सतत प्रयास कर रहा है। विभिन्न डाक सेवाओं के स्वरूप का निर्धारण समाज सेवा के रूप में उनके महत्व सहित सभी प्रासंगिक पहलुओं को ध्यान में रखकर उपयुक्त समय पर किया जाता है।

प्रमुख बंदरगाहों का विकास

2499. श्री अनन्त नायक : क्या **पोत परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रमुख बंदरगाहों के विकास पर बंदरगाहवार कितना धन खर्च किया गया;

(ख) क्या सरकार ने उन प्रमुख बंदरगाहों की पहचान की है जिनसे नौवीं योजनावधि के दौरान भारी नुकसान हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी बंदरगाह–वार और वर्ष–वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) ऐसे नुकसान को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरुनावुकरसर) : (क) नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान महापत्तनों के विकास पर 4104.42 करोड़ रु. का व्यय किया गया है। इस अवधि के दौरान शुरू/पूरी की गई स्कीमों पर किए गए व्यय का पत्तन–वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :

क्र.सं.	पत्तन न्यास का नाम	व्यय (करोड़ रु. में)
(i)	कोलकाता	231.95
(ii)	मुम्बई	521.69
(iii)	जवाहरलाल नेहरू	203.15
(iv)	चेन्नई	1080.30*
(v)	कोचीन	77.31
(vi)	विजाग	354.80
(vii)	कांडला	259.15
(viii)	मुरगांव	104.52
(ix)	परादीप	732.19
(x)	नव मंगलूर	234.86
(xi)	तूतीकोरिन	304.50
	जोड़	4104.42

*इसमें इन्नौर पत्तन के निर्माण के लिए निष्पादित किए गए कार्यों पर किया गया 803.08 करोड़ रु. का व्यय भी शामिल है।

(ख) से (घ) कोलकाता पत्तन न्यास ने संशोधित वेतनमानों को लागू किए जाने और बकाया राशियों का भुगतान करने तथा पेंशन संबंधी लाभों की वजह से व्यय में बढ़ोतरी होने के कारण 2001–2002 में 7.53 करोड़ रु. के निवल घाटे की सूचना दी है। पत्तन न्यास ने अपनी आय बढ़ाने और लागत कम करके व्यय संबंधी किफायत बरतने के प्रयास किए हैं।

कोचीन पत्तन न्यास ने 2000–2001 और 2001–2002 के दौरान क्रमशः 33.76 करोड़ रु. और 35.02 करोड़ रु. के निवल घाटे की सूचना दी है। वर्ष 2000–2001 में यह घाटा भूतलक्षी प्रभाव से हुए वेतन संशोधन के परिणामस्वरूप वेतन संबंधी बकाया राशि के भुगतान तथा पेंशन संबंधी बकाया राशि के भुगतान के कारण हुआ। इसके अतिरिक्त पिछले वर्षों के रेलवे दावों का भी निपटारा किया था। वर्ष 2001–2002 में यह घाटा स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति स्कीम (वीआरएस) के तहत सेवा निवृत्ति का विकल्प लेने वाले कर्मचारियों को सेवा निवृत्ति लाभों का भुगतान करने के लिए किए गए भारी नकद खर्च तथा सेवा निवृत्ति आयु को पुनः कम करने के परिणामस्वरूप भारी संख्या में कर्मचारियों द्वारा अधिवर्षिता प्राप्त करने के कारण हुआ। पत्तन न्यास ने अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं

(i) पत्तन न्यास ने महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण (टैम्प) के साथ प्रशुल्क का संशोधन करने संबंधी प्रस्ताव उठाया,

(ii) कर्मचारियों की संख्या को कम करने के लिए वी आर एस शुरू की गई है;

(iii) मूल्य–निर्धारण की पद्धति में परिवर्तन करके अनुरक्षण निकर्षण की लागत में कमी करना;

(iv) प्रचालनात्मक क्षेत्रों का कम्प्यूटरीकरण और इलेक्ट्रानिक डाटा इंटरचेंज (ई डी आई) का कार्यान्वयन;

(v) नई भर्ती पर प्रतिबंध लगा दिया गया है;

(vi) समयोपरि भत्ते के भुगतान पर कडा प्रशासनिक नियंत्रण रखा जा रहा है;

(vii) लागत कम करने के लिए कतिपय अभिज्ञात क्षेत्रों में सेवाओं की आउटसोर्सिंग की जा रही है;

(viii) वस्तुसूची में कमी की गई है; और

(ix) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल कार्मिकों की संख्या में कमी की गई है।

मुम्बई पत्तन न्यास ने वर्ष 2000–2001 और 2001–2002 के दौरान क्रमशः 474.26 करोड़ रु. और 234.95 करोड़ रु. के निवल घाटे की सूचना दी है। यह घाटा घटते यातायात से होने वाली कम आय, अधिक श्रमिक घटक और कम उत्पादकता वाले पारंपरिक रूप से विकसित प्रणालियों और पद्धतियों को अपनाने तथा पत्तन में हैंडलिंग की उच्च लागत के कारण हुआ है।

मुम्बई पत्तन न्यास ने पत्तन के कार्यकरण में सुधार लाने और प्रचालन के विभिन्न क्षेत्रों में लागत कम करने के लिए पुनर्गठन और सुधार संबंधी एक अनुकूल योजना में शामिल चुनिंदा सिफारिशों को लागू करके अपनी वित्तीय स्थिति बेहतर बनाने के लिए कदम उठाए हैं जिनके अंतर्गत मुख्यतः प्रणालियों और पद्धतियों को सरल और कारगर बनाने, इस कारोबार से जुड़े लोगों से आपसी संपर्क करने तथा ग्राहक संतुष्टि के लिए प्रोत्साहन/सुविधाएं देने, पत्तन द्वारा तथा निजी क्षेत्र की भागीदारी के जरिए आधुनिकीकरण और सुविधाओं का विकास करने, कम्प्यूटरीकरण और गुणता प्रमाण–पत्र तथा कर्मचारी सुधार करने पर जोर दिया गया है। पत्तन न्यास द्वारा उठाए गए विशिष्ट कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :

(i) अधिक कार्गो आकर्षित करने के लिए सुविधाओं का सृजन करना तथा प्रोत्साहन देना;

(ii) प्रणालियों और पद्धतियों को सरल और कारगर बनाना;

(iii) गहन निगरानी के जरिए कार्गो हैंडलिंग की कार्यकुशलता और उत्पादकता में सुधार करना;

(iv) कार्गो हैंडलिंग के एकीकरण के जरिए जैसे कि कार्यकुशलता और उत्पादकता में सुधार करना;

(v) सेवा निवृत्ति की आयु पुनः कम करके, वी आर एस द्वारा तथा भर्ती पर रोक लगाकर जनशक्ति कम करना; और

(vi) प्रचालन व्यय को कम करने के उद्देश्य से होने वाले अन्य सभी व्यय पर निगरानी रखना।

पूर्वोत्तर राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत/रखरखाव

2500. श्री पी. आर. किन्डिया : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों को मरम्मत और रखरखाव के लिए कितनी राशि आवंटित की गई;

(ख) क्या वार्षिक आवंटन राशि का उपयोग कर लिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) आवंटित राशि के समुचित उपयोग के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) और (ख) पूर्वोत्तर राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण 3 एजेंसियों अर्थात् राज्य लोक निर्माण विभाग, सीमा सड़क संगठन और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। गत 3 वर्षों के दौरान और 2002–2003 के लिए पूर्वोत्तर राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए आवंटित और प्रयुक्त धनराशि इस प्रकार हैं :

(लाख रुपये)

	1999–2000	2000–2001	2001–2002	2002–2003 (31.10.2002 तक)
आवंटित धनराशि	27811.27	30679.16	39610.27	43067.92
प्रयुक्त धनराशि	24738.82	28788.43	37687.12	10228.52

(ग) और (घ) राज्य सरकार से मुख्यतः धन की कम आवक तथा विद्यमान कानून व्यवस्था के कारण धनराशि का कम उपयोग हुआ है। धनराशि की आवक में शीघ्रता के लिए असम, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड राज्यों में विकास और अनुरक्षण की प्रमुख मदों के लिए 2000–2001 से प्रत्यक्ष भुगतान प्रक्रिया शुरू की गई है। धनराशि के शीघ्र उपयोग के लिए यह मामला राज्य सरकार के साथ उठाया जाता है।

[हिन्दी]

डाक विभाग का पुनर्गठन

2501. श्री वाई. जी. महाजन : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार डाक विभाग के पुनर्गठन पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) डाक विभाग के पुनर्गठन के संबंध में किन मुख्य बिन्दुओं पर विचार किया जा रहा है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान) : (क) से (ग) डाक विभाग द्वारा प्रदत्त डाक सेवाओं का वैधानिक ढांचा भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 में निर्धारित है। दिनांक 17.5.02 को लोक सभा में प्रस्तुत भारतीय डाकघर अधिनियम संशोधन विधेयक 2002 के माध्यम से सामयिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इस ढांचे के वैधानिक प्रावधानों को संशोधित करने की अपेक्षा की गई है।

विधेयक में संशोधन के लिए प्रस्तावित मुख्य बिंदु निम्नानुसार हैं :

(i) डाक सेवा बोर्ड को वैधानिक आधार प्रदान करना,

(ii) ई–सक्षम सेवाओं की शुरूआत का प्रावधान करना,

(iii) सामाजिक दायित्वों के निर्वाह के लिए राजस्व जुटाने हेतु नई सेवाओं का प्रावधान करना, और

(iv) निजी कुरियरों के पंजीकरण और ग्राहकों के हितों की सुरक्षा के प्रावधान करना।

[अनुवाद]

प्रजननहीनता का उपचार

2502. श्री श्रीप्रकाश जायसवाल :
श्रीमती रेणूका चौधरी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक के क्षेत्र में युगलों में प्रजननहीनता के उपचार के लिए आर.ओ.एस.एन.आई (राउंड स्पर्मोटिड न्युक्लीयर इंजेक्शन) नामक एक नई तकनीक का विकास कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस तकनीक का ब्यौरा क्या है और यह तकनीक कितनी सफल सिद्ध हुई है; और

(ग) इस तकनीक को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) जी, हां।

(ख) तकनीक का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) उपलब्ध आंकड़ों के आलोक में बांझपन का उपचार करने के लिए रोसनी तकनीक का इस्तेमाल धीरे–धीरे करना आवश्यक है।

विवरण

'रोसनी' एक तकनीक है जिसमें पुरुष सहभागी से टेस्टिकुलर टीशू लिया जाता है। गोलाकार स्पर्मेटिड्स न्यूक्लेई लिए जाते हैं और उन्हें महिला सहभागी से लिए गए डिम्बाणु में इंजेक्ट किया जाता है। निषेचित अंडाणु अथवा भ्रूण को वापिस गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है। गर्भाधान की पुष्टि 15 दिन के बाद रक्त जांच द्वारा की जाती है।

इस तकनीक से गर्भाधान दर के अन्य प्रचलित 'परखनली शिशु तकनीक' के मुकाबले बहुत कम (लगभग 5 प्रतिशत) सूचित की गई है। यह रिपोर्टें उत्साहवर्धक नहीं हैं और इस तकनीक को विश्वव्यापी आधार पर स्वीकार नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, इस तकनीक पर यू.के. जैसे कुछ देशों ने रोक लगा दी है।

एम्स में सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति

2503. श्री प्रबोध पण्डा : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) ने गत छः वर्षों में तदर्थ आधार पर सहायक प्रोफेसरों की नियुक्तियां की हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) एम्स में इस समय संकाय सदस्यों की संख्या कितनी है; और

(घ) एम्स में इस समय स्थायी और तदर्थ संकाय सदस्यों की संख्या कितनी है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) जी, हां। संकाय पदों में आरक्षण के मुद्दों पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निकाय द्वारा दायर की गई एक सिविल रिट याचिका में दिनांक 15.11.94 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेशों के कारण संस्थान में सहायक प्रोफेसरों के स्तर पर तदर्थ नियुक्ति की गई है। उपर्युक्त रिट याचिका को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 26.11.2001 को निरस्त किया जा चुका है और इस निर्णय के परिणामस्वरूप, संस्थान द्वारा सहायक प्रोफेसरों के पदों को नियमित आधार पर भरे जाने हेतु कार्यवाही शुरू की जा चुकी है।

(ग) और (घ) इस समय संस्थान में 446 संकाय सदस्य हैं जिनमें से 296 नियमित/स्थायी हैं और 150 तदर्थ आधार पर कार्य कर रहे हैं।

उपग्रह धनादेश

2504. श्री रघुनाथ सिंह शाक्य :
श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 21 सितम्बर, 2002 के 'नवभारत टाइम्स' में "मनीआर्डर थ्रू सेटेलाइट सिस्टम" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उपग्रह के माध्यम से भेजे जा रहे धनादेश सही हाथों में नहीं पहुंच रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(घ) सरकार द्वारा डाक विभाग के कार्यकरण को सुचारु बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ताकि धनादेशों की उचित सुपुर्दगी सुनिश्चित की जा सके?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) यह समाचार वीसेट के माध्यम से भेजे जाने वाले मनीआर्डरों में देरी से संबंधित है। यह देरी सॉफ्टवेयर की समस्या के कारण हुई। जब इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया तो इस संबंध में तुरंत उपचारात्मक कार्रवाई की गई। सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के कारण मनीआर्डर से संबंधित आंकड़े गंतव्य तक नहीं पहुंच सके। लंबित मनीआर्डरों की पहचान और उनके भुगतान की वैकल्पिक व्यवस्था कर दी गई थी।

(घ) इस साफ्टवेयर में सुधार किया जा रहा है ताकि इससे अच्छी तरह से कार्य निष्पादन सुनिश्चित हो सके। इस संबंध में जन शिकायतों के निपटान के लिए आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कर्मचारियों की भी सेवाएं ली गईं।

[हिन्दी]

सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क

2505. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :
श्री रामशकल :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में टेक्नोलॉजी पार्क की संख्या बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) एसटीपीआई देश भर में 37 केन्द्र (सूची विवरण के रूप में संलग्न है) पहले ही स्थापित कर चुकी है। केन्द्रों की संख्या में वृद्धि मांग के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा निशुल्क भूमि, निर्मित क्षेत्र और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने पर निर्भर करती है।

विवरण

एसटीपीआई ने निम्नलिखित केन्द्र स्थापित किए हैं :

क्र.सं.	एसटीपीआई केन्द्र	राज्य
1	2	3
1.	औरंगाबाद	महाराष्ट्र
2.	बंगलौर	कर्नाटक

1	2	3
3.	भुवनेश्वर	उड़ीसा
4.	भिलाई	छत्तीसगढ़
5.	चेन्नै	तमिलनाडु
6.	कोयम्बटूर	तमिलनाडु
7.	देहरादून	उत्तरांचल
8.	गांधी नगर	गुजरात
9.	गुवाहाटी	असम
10.	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश
11.	हुबली	कर्नाटक
12.	इंदौर	मध्य प्रदेश
13.	जयपुर	राजस्थान
14.	कानपुर	उत्तर प्रदेश
15.	कोलकाता	पश्चिम बंगाल
16.	लखनऊ	उत्तर प्रदेश
17.	मंगलौर	कर्नाटक
18.	मनीपाल	कर्नाटक
19.	मोहाली	पंजाब
20.	मदुराई	तमिलनाडु
21.	मैसूर	कर्नाटक
22.	नागपुर	महाराष्ट्र
23.	नासिक	महाराष्ट्र
24.	नवी मुम्बई	महाराष्ट्र
25.	नोएडा	उत्तर प्रदेश
26.	पांडिचेरी	पांडिचेरी
27.	पुणे	महाराष्ट्र
28.	राउरकेला	उड़ीसा
29.	तिरुनेलवेली	तमिलनाडु
30.	तिरुपति	आंध्र प्रदेश
31.	तिरुवनंतपुरम	केरल
32.	त्रिची	तमिलनाडु
33.	शिमला	हिमाचल प्रदेश
34.	श्रीनगर	जम्मू एवं कश्मीर
35.	विजयवाड़ा	आंध्र प्रदेश
36.	वाइजैग	आंध्र प्रदेश
37.	वारंगल	आंध्र प्रदेश

[अनुवाद]

पाकिस्तान द्वारा मछुआरों को पकड़ना

2506. श्री चिंतामन वनगा : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने भारतीय जल सीमा के कथित उल्लंघन के लिए भारतीय मछुआरों को पकड़ लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) जी, हां। उपलब्ध सूचना के अनुसार इस समय पाकिस्तान की हिरासत में 332 भारतीय मछुआरे हैं जिन्हें इस वर्ष के दौरान पाकिस्तान के समुद्री सुरक्षा अभिकरण द्वारा पकड़ा गया था। सरकार ने पाकिस्तान की सरकार के साथ उनकी रिहाई के मामले को बार-बार उठाया है जिसके परिणामस्वरूप 281 मछुआरों को कोंसली सहायता प्रदान की गई। शेष मछुआरों को कोंसली सहायता प्रदान करने और सभी मछुआरों की शीघ्र रिहाई के मामले को पाकिस्तान की सरकार के साथ उठाया जा रहा है।

[हिन्दी]

गुजरात में एक मंदिर पर हमला

2507. श्री अवतार सिंह भडाना :
डा. (श्रीमती) सी. सुगुणा कुमारी :

डा. राजेश्वरम्मा बुक्कला :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में एक मंदिर पर हाल के हमले में पाकिस्तानी नागरिकों के शामिल होने की बात अन्य देशों को बता दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद पाकिस्तान तथा पाकिस्तान के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में आतंकवादी ढांचों, आतंकवाद के समर्थन के बारे में सूचना का अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के विरुद्ध सार्वभौम प्रयासों के अंग के रूप में अन्य देशों के साथ उपयुक्त तौर पर आदान–प्रदान किया जाता है। सीमा–पार से आतंकवाद में पाकिस्तान की भागीदारी तथा उसको समर्थन देना सर्वविदित है और अधिकांश देशों ने पाकिस्तान को सीमा–पार से घुसपैठ तथा आतंकवाद बंद करने की अपनी वचनबद्धता को पूरा करने के लिए कहा है।

(ग) अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भारत के इस दृष्टिकोण के प्रति और अधिक समझ–बूझ जताई है कि आतंकवाद समाप्त होना चाहिए चाहे वह कहीं भी मौजूद हो तथा आतंकवाद का कोई औचित्य नहीं हो सकता और आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष सार्वभौम और व्यापक होना चाहिए ताकि इसमें सफलता मिले।

टेलीफोन वापस लौटाया जाना

2508. श्री रामरती बिन्द : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 1 अप्रैल से लेकर 31 अक्तूबर, 2002 की अवधि के दौरान दिल्ली और मुंबई में महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के कितने उपभोक्ताओं ने अपने टेलीफोन वापस लौटा दिए और धनराशि वापस ले ली;

(ख) क्या उपभोक्ताओं ने ये टेलीफोन एम.टी.एन.एल. की घटिया सेवाओं और निजी आपरेटरों की बेहतर सेवाओं की वजह से लौटाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो एम.टी.एन.एल. द्वारा उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा प्रदान करने और इस समस्या का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान) : (क) दिल्ली और मुम्बई में अपने एमटीएनएल टेलीफोनों को वापस लौटाने वाले उपभोक्ताओं की संख्या से संबंधित ब्यौरे निम्नानुसार हैं–

इकाई	वापस लौटाए गए टेलीफोनों की संख्या	उन मामलों की संख्या जिनमें प्रतिभूति जमा अब तक वापस की गई है	उन मामलों की संख्या जिनमें प्रतिभूति जमा वापस की जा रही है
दिल्ली	35308	22263	13045
मुम्बई	73156	41768	31388

(ख) टेलीफोन वापस लौटाने के पीछे मोबाइल का इस्तेमाल शुरू करने, पते में परिवर्तन तथा एमटीएनएल के अधिक भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को अन्य प्रचालकों द्वारा लुभाने जैसे विभिन्न कारण रहे हैं। कुछ मामलों में टेलीफोन वापस लौटाने के लिए उपभोक्ता असंतोषजनक सेवा का बहाना भी बनाते हैं। तथापि यह संख्या बहुत कम है।

(ग) एमटीएनएल द्वारा अपने उपभोक्ताओं को बेहतर गुणवत्ता की सेवा उपलब्ध कराने हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(i) पेपर कोर भूमिगत केबलों को चरणबद्ध तरीके से जेलीयुक्त केबलों/आप्टिकल फाइबर केबलों से बदला जा रहा है।

(ii) उच्च क्षमता की प्राइमरी केबलों और जंक्शन केबलों के लिए डक्ट प्रणाली की शुरूआत की गई है।

(iii) जंक्शन नेटवर्क को पूरी तरह से आप्टिकल फाइबर केबल लिंक पर अंतरित कर दिया गया है। रिंग आर्किटेक्चर से जुड़ी सिंक्रोनस डिजिटल हायरआर्की (एसडीएच) प्रणालियां उपलब्ध कराकर इसमें और सुधार किया जा रहा है।

(iv) अधिक सुदूर स्विचन इकाइयों (आरएसयू)/सुदूर लाइन इकाइयों (आरएलयू) का नियोजन करके उपभोक्ता लूप की लम्बाई कम की जा रही है।

(v) बेहतर कार्य–निष्पादन के लिए उपभोक्ता एक्सेस नेटवर्क में स्थिर वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल) और डिजिटल लाइन कैरियर (डीएलसी) प्रणालियों की शुरूआत की जा रही है।

(vi) पिछले वर्ष के दौरान एमटीएनएल में को–रिलेटिड डिजिटल इन्हान्स्ड कोर्डलेस टेलीफोनी (सीओआर डीईसीटी) प्रणालियों को चालू किया गया है।

(vii) वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दोषों पर दैनिक आधार पर निगरानी रखी जाती है।

(viii) कम्प्यूटरीकृत दोष रिपोर्टिंग प्रणाली शुरू की गई है जिससे दोष संबंधी शिकायतें दर्ज करने, उनकी जांच करने तथा संबंधित लाइन कर्मियों को उनकी जानकारी देने में सहायता मिलती है।

(ix) इसके अलावा, शीघ्र दोष निवारण हेतु जांच कर्मियों के साथ आसानी से संपर्क बनाए रखने के लिए लाइन कर्मियों को पेजर मुहैया कराए गए हैं।

(x) लीज्ड सर्किटों के कार्य–निष्पादन को बेहतर बनाने के लिए मैनेज्ड लीज्ड डाटा नेटवर्क प्रणाली शुरू की गई है।

(xi) एमटीएनएल ने 5 साल पुराने अथवा दो बार से ज्यादा मरम्मत किए हुए सभी टेलीफोन उपकरणों को बदलने की खातिर नीति को उदार बनाया है। इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। पहले चरण में 8 साल से अधिक पुराने उपकरणों को बदला जा रहा है।

व्यय में कटौती

2509. डा. बलिराम : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न विभागों और उपक्रमों में प्रचार, विज्ञापन, आतिथ्य, खानपान, उद्घाटन समारोह, संगोष्ठियों, दौरे (विदेशी दौरों सहित), एसटीडी और आईएसटीडी टेलीफोन बिलों, बिजली के बिलों (विशेषकर एयरकंडीशनरों और कूलरों के बिजली के बिलों) जैसे विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत वर्षवार कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) क्या सरकार का विचार उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत किए जा रहे खर्चों में कटौती करने हेतु कोई अभियान आरम्भ करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया गया वर्षवार व्यय नीचे अनुसार है :

(करोड़ रुपये में आंकड़े)

वर्ष	विज्ञापन तथा प्रचार	यात्रा व्यय (विदेशी दौरों सहित)
1999–2000	24.62	142.64
2000–2001	17.88	101.03
2001–2002	5.39	40.81

आतिथ्य, खानपान, उद्घाटन समारोह, सेमिनार, सम्मेलन, एसटीडी तथा आईएसटीडी टेलीफोन बिल, विद्युत बिल शीर्ष के अंतर्गत अलग व्यय के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि इन शीर्षों के अंतर्गत व्यय विभिन्न किस्मों के अन्य व्यय के साथ शामिल किया जाता है।

(ख) और (ग) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय वित्त मंत्रालय द्वारा समय–समय पर जारी किए आर्थिक अनुदेशों का निष्ठा से अनुपालन करता है।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

टेलीफोन बिलों का पहुंचना

2510. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के टेलीफोन बिल विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं तक समय पर नहीं पहुंचते;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और बी.एस.

एन.एल. द्वारा बिलों को समय पर पहुंचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या बी.एस.एन.एल. का विचार टेलीफोन बिलों को भेजने के काम को डाक विभाग से वापस लेकर निजी कोरियर सेवाओं को सौंपने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) और (ख) सामान्यतः बीएसएनएल के सभी टेलीफोन बिल, ग्रामीण क्षेत्रों सहित, सभी उपभोक्ताओं को समय पर मिलते हैं। कुछ मामलों में प्रचालन संबंधी समस्याओं के कारण वितरण में विलंब अवश्य हो जाता है। जब भी बी. एस.एन.एल. के ध्यान में इस तरह के मामले आते हैं, इनका समाधान करने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाती है और आवश्यक होने पर डुप्लीकेट बिल जारी किए जाते हैं।

(ग) जी, नहीं। बी.एस.एन.एल. मुख्यालय में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

(ङ) बी.एस.एन.एल. का दृष्टिकोण यह है कि डाक–विभाग का वितरण नेटवर्क पूरे देश में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में काफी विस्तृत, सुव्यवस्थित और विश्वसनीय है।

गैर-स्वीकृति प्राप्त औषधियां

2511. श्री नरेश पुगलिया : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 11 नवम्बर, 2002 के 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' में ''ड्रग्स आर क्रूशियल बट इलिगल'' शीर्षक प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) समाचार में छपी औषधों में से, औषध जिलोडा, एस्ट्रामुसटिन, लिपोसोमल एमफोटेरिसन बी, अलकरन, एमला तथा एज्ट्रेओनम देश में वितरण हेतु अनुमोदित हैं।

नवीनतम औषधों में से कुछ औषधों, जिनकी कम मात्रा में आवश्यकता हो सकती है, का देश में विपणन नहीं किया जाता है क्योंकि संबंधित विनिर्माता उनके अनुमोदन एवं विपणन के लिए आवेदन नहीं करते हैं। ऐसी औषधों के लिए सरकार ने व्यक्तिगत लाइसेंसों, जो अलग–अलग रोगियों को जारी किए जाते हैं, के जरिए आयात करने हेतु औषध एवं प्रसाधन सामग्री नियमों के अंतर्गत प्रावधान किया है।

औषधों की बिक्री की मॉनीटरिंग राज्य औषध नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा की जाती है। दिल्ली औषध प्रशासन ने समाचार में उल्लिखित आयातित औषधों की उपलब्धता से संबंधित सर्वेक्षण किया। सूचना मिली है कि आयात की गई औषधों की बिक्री करने वाले 27 खुदरा केमिस्टों के परिसरों की जांच की गई। सिर्फ दो औषधों नामतः लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी तथा जिलोडा, जो अनुमोदित औषधें हैं, को नियमित माध्यम के जरिए आयात किया हुआ पाया गया।

[हिन्दी]

भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी (आई.एम.एम. एंड एच.) का बजटीय आवंटन

2512. श्री मानसिंह पटेल :

श्री अब्दुल रशीद शाहीन :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रचलित विभिन्न चिकित्सा पद्धतियां कौन–कौन सी हैं और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इन चिकित्सा पद्धतियों के लिए अलग–अलग कितना बजटीय आवंटन किया गया; और

(ख) भारतीय चिकित्सा पद्धति अर्थात् आयुर्वेद के लिए कम धनराशि आवंटित किए जाने के क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) भारत में एलोपैथी के अलावा आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी, होम्योपैथी, योग और प्राकृतिक चिकित्सा

की प्रैक्टिस की जाती है। आयुर्वेद सहित भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के लिए आवंटित बजट फिलहाल पर्याप्त है।

इन पद्धतियों के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान किया गया बजटीय आवंटन संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	पद्धतियां	1999–2000 योजना आवंटन	2000–2001 योजना आवंटन	2001–2002 योजना आवंटन
1.	एलोपैथी*	1139.26	1277.86	1432.74
2.	आयुर्वेद सहित भारतीय चिकित्सा पद्धतियां और होम्योपैथी	56.13	100.00	120.00
	योग	1195.39	1377.86	1552.74

*परिवार कल्याण के लिए बजट को छोड़कर।

[अनुवाद]

सिकू और सेसिरी नदियों पर पुल

2513. श्री राजकुमार वंग्चा : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि सरकार द्वारा अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सिआंग जिले में सिकू और सेसिरी नदियों पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 पर पुलों का निर्माण करने हेतु निर्णय लिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) और (ख) जी, हां। सिकू नदी पर पुल का निर्माण चल रहा है और इस समय प्रगति लगभग 43% है। जहां तक सेसिरी नदी पर पुल के निर्माण का संबंध है, सीमा सड़क संगठन द्वारा प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।

सॉफ्टवेयर की चोरी के कारण राजस्व का घाटा

2514. श्री के. पी. सिंह देव : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सॉफ्टवेयर की चोरी के कारण राजस्व आय में बहुत घाटा हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कितना घाटा हुआ है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान) : (क) सॉफ्टवेयर चोरी के कारण कुछ हद तक राजस्व की आय प्रभावित हुई है। सॉफ्टवेयर चोरी रोकने के लिए सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपाय विवरण के रूप में संलग्न हैं।

(ख) नैसकॉम के आकलन के अनुसार पिछले तीन वर्षों में हुए नुकसान की मात्रा नीचे दिए अनुसार है–

क्र.सं.	वर्ष	राजस्व का नुकसान (करोड़ रुपये)
1.0	1999–00	900
2.0	2000–01	1200
3.0	2001–02	1700

विवरण

सॉफ्टवेयर की चोरी रोकने के लिए किए गए विभिन्न उपयों में ये शामिल हैं :

1. भारत में सॉफ्टवेयर के बौद्धिक सम्पदा अधिकार (आरपीआर) प्रतिलिप्याधिकार कानून के अंतर्गत आते हैं, जिनके उल्लंघन पर जुर्माना तथा शास्ति दोनों हो सकते हैं।

2. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 दिनांक 17.10.2000 को अधिसूचित कर दिया गया है। इस अधिनियम से सॉफ्टवेयर की चोरी से निपटने और इस समस्या को नियंत्रित करने में सहायता मिलने की उम्मीद है।

3. सरकार ने प्रतिलिप्याधिकार प्रवर्तन सलाहकार समिति की भी स्थापना की है, जो प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम

के प्रवर्तन की प्रगति समीक्षा करती है और इसके बेहतर प्रवर्तन के लिए उपायों का भी सुझाव देती है।

4. सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर सीमा–शुल्क से मुक्त है।

5. सरकार नैसकॉम के चोरी विरोधी अभियान में सहयोग दे रही है और विभिन्न सरकारी विभागों को सॉफ्टवेयर की वैध प्रतिलिपि का ही इस्तेमाल करने के लिए भी अनुदेश जारी किए गए हैं।

राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण उपाय

2515. श्री दलपत सिंह परस्ते :
श्री जय प्रकाश :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई राज्यों ने परिवार के आकार को सीमित करने हेतु प्रोत्साहनों और निरुत्साहनों की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने ऐसा करने के लिए आंध्र प्रदेश को नोटिस भेजा है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या इस संबंध में राज्यों को दिशा–निर्देश देने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा कोई समिति गठित की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) जी, हां। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात की राज्य जनसंख्या नीतियों में प्रोत्साहनों और निरुत्साहनों का प्रस्ताव किया गया है जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

(ग) से (च) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने आंध्र प्रदेश सरकार को अपनी ओर से एक नोटिस दिया है जो एक समाचार–पत्र की इस रिपोर्ट पर आधारित है कि आंध्र प्रदेश सहित अनेक राज्य राष्ट्रीय नीति का पूरी तरह से उल्लंघन करते हुए जनसंख्या नियंत्रण के जोर जबरदस्ती के तरीकों का प्रयोग करने की तैयारी कर रहे हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से प्राप्त सूचना के अनुसार, इस मामले में आंध्र प्रदेश सरकार के प्रत्युत्तर की अभी भी प्रतीक्षा की जा रही है। इस बीच एक राष्ट्र स्तरीय संसाधन समिति का गठन किया गया है जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 की पूरी भावना के अनुसार जनसंख्या नीतियां तैयार करने में राज्यों की सहायता करेगी।

समिति की संरचना का ब्यौरा तथा इसके विचारार्थ विषय संलग्न विवरण–II में दिए गए हैं।

विवरण-I

राज्य जनसंख्या नीतियां के अधीन प्रोत्साहनों तथा निरुत्साहनों का ब्यौरा

आंध्र प्रदेश

- अतिरिक्त निर्माण कार्यों, स्कूलों हेतु भवनों आदि के रूप में प्रोत्साहन दिए जाएंगे। और ये प्रोत्साहन जे. आर.वाई.ई.ए.एस., आर.डब्ल्यू.एस. आदि जैसी योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध संपूर्ण धनराशि में से एक हिस्सा अलग रखकर दिए जाएंगे।

- कार्य निष्पादन स्तर को प्राप्त करने वाले प्रत्येक गांव को ट्रायसम, निम्न लागत स्वच्छता योजना और कमजोर वर्गों के लिए हाऊसिंग योजना जैसी योजनाओं के अधीन पूरी तरह शामिल करने हेतु भी चुना जाएगा।

- डी.डब्ल्यू.सी.आर.ए. समूह के वित्तपोषण में कार्य निष्पादन।

- प्रत्येक स्तर पर चलविजयन्ती।

व्यक्तिगत स्तर

- लकी–डिप द्वारा प्रत्येक जिले के तीन दम्पत्तियों में से प्रत्येक को 10,000/– रुपये का इनाम।

- स्थानीय आवंटन से इसी प्रकार के इनाम।

- भूमि का आवंटन, अधिशेष कृषि भूमि का आवंटन, गृह स्थलों तथा गृहों का आवंटन, आई.आर.डी.पी., अनुसूचित जाति कार्य योजना, पिछड़ी जाति कार्य योजना, ट्रायसम, पी.एम.आर.वाई., सी.एम.वाई.ई.पी. आदि जैसी योजनाओं में अधिमानता दी जाएगी।

राजस्थान

- विवाह की कानूनी उम्र का उल्लंघन करने पर कठोर दंडात्मक व्यवस्थाएं।
- सारदा अधिनियम, प्रसवपूर्व नैदानिक जांच तकनीक अधिनियम, आदि का कड़ाई से प्रवर्तन सुनिश्चित करना।
- पंचायती राज संस्थाओं/नगरपालिकाओं जहां दो या उससे अधिक बच्चों वाले अभ्यर्थी चुनाव लड़ने के पात्र नहीं होते, की तरह इन व्यवस्थाओं पर सहकारी संस्थाओं जैसे अन्य चुने गए निकायों और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए सेवा शर्तों के रूप में लागू करने पर विचार किया जाएगा।
- विभिन्न वर्गों के सरकारी कर्मचारियों तथा स्वैच्छिक और सामाजिक संगठनों को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए जिला स्तर पर उत्कृष्टता प्रमाण–पत्र देना।

जनसंख्या नीति की उपलब्धि के स्तर पर विभिन्न विकास कार्यों/योजनाओं की स्वीकृति से जोड़ना। प्रोत्साहन योजना को समाप्त करने (सेवा प्रदायकों तथा नसबन्दी कराने वालों के लिए भी) हेतु नीतिगत निर्णय लिया जा चुका है।

उत्तर प्रदेश

- पंचायत जन्मों तथा मौतों के अतिरिक्त विवाहों का रिकार्ड रखने हेतु उत्तरदायी होगी। इन आंकड़ों को मूल स्तर के कार्यकर्ताओं की जानकारी में लाया जाएगा ताकि उन्हें परिवार नियोजन सहित प्रजनक और बाल स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में मदद मिल सके।
- पी.आर. संस्थाओं को आवंटित किए गए कुल वित्तीय संसाधनों में से, 10 प्रतिशत निष्पादन आधारित वितरण, खासकर प्रजनक और बाल स्वास्थ्य सेवाओं और कन्याओं की शिक्षा के क्षेत्रों में निष्पादन के लिए निश्चित किया जाएगा। जिन पंचायतों का कार्य निष्पादन ग्राहकों की प्रजनन और बाल स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को अधिक से अधिक पूरी करता है, उनको मुख्य मंत्री द्वारा सम्मानित किया जाएगा और उन्हें सामुदायिक परिसंपत्तियों के लिए विशेष विकास अनुदान दिया जाएगा।

मध्य प्रदेश

- 26 जनवरी, 2001 से ऐसे व्यक्ति जो विवाह की कानूनी आयु से पहले विवाह करते हैं, वे मध्य प्रदेश सरकार में सरकारी रोजगार पाने के पात्र नहीं होंगे।
- 26 जनवरी, 2001 के पश्चात्, ऐसे व्यक्ति जिनके पास दो से ज्यादा बच्चे हैं, राज्य में पंचायत, स्थानीय निकायों, मंडियों और सरकारी संस्थाओं के लिए चुनाव लड़ने के लिए पात्र नहीं होंगे। अगर वे निर्वाचित हो जाते हैं और इसी दौरान उन्हें तीसरा बच्चा होता है, तो वे उस पद के लिए अयोग्य हो जाएंगे।
- वित्तीय संस्थानों की मदद से राज्य में स्कूलों में लड़कियों को बनाए रखना सुनिश्चित करने और बाल विवाह को रोकने के लिए राजलक्ष्मी जैसी कन्या बाल योजना शुरू की जाएगी।
- प्रत्येक वर्ष सर्वोत्तम कार्य निष्पादन करने वाली स्वास्थ्य संस्थानों, व्यक्तियों और पंचायती राज संस्थाओं को सभी स्तरों पर जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए सामुदायिक सहायता के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाएगा।
- ग्रामीण विकास योजनाओं, मुख्यतः जो अवसंरचना के साथ संबंध रखती हैं, को परिवार नियोजन और प्रजनन स्वास्थ्य कार्य निष्पादन के साथ जोड़ा जाएगा।

गुजरात

- स्थानीय निकायों, पंचायतों सहित, को उत्तरदायित्व के साथ संसाधनों को बांटकर स्वास्थ्य, जनसंख्या और विकास कार्यक्रमों में और अधिक दृढ़ संकल्प के साथ शामिल होने हेतु प्रोत्साहित करना।
- आवश्यकता मूल्यांकन सर्वेक्षण करने में आरोग्य समितियों को शामिल करना, संसाधन नियोजित करना, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्यकर कार्यक्रम चलाना, नवजात और माताओं की मौतों पर विशेष जोर देते हुए महत्वपूर्ण डाटा/आंकड़ों के एकत्रण का अनुवीक्षण करना, जनसंख्या शैक्षिक सूचना सृजन कार्यक्रमों का संचालन करना और कार्मिकों को जुटाना संभव बनाने हेतु एक दबाव समूह की तरह कार्य करना।
- स्वास्थ्य के प्रबंधन और जनसंख्या कार्यक्रमों के लिए पंचायत के सदस्यों, मुख्यतः स्त्री सदस्यों, के क्षमता

सृजन में पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थानों को शामिल करना।

विवरण-II

संख्या एन. 23011/23/2000–पी.एल.वाई.
भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(स्वास्थ्य विभाग)

निर्माण भवन, नई दिल्ली–110011
दिनांक : 8 मार्च, 2002

आदेश

भारत सरकार ने, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की सामान्य भावना को ध्यान में रखते हुए राज्य विशिष्ट नीतियों के साथ राज्य में जनसंख्या नीतियों के प्रतिपादन को सुकर बनाने के लिए निम्नलिखित सदस्यों वाली एक राष्ट्रीय स्तर की संसाधन समिति के गठन का निर्णय लिया है–

(i) डा. विमला रामचन्द्रन, हैल्थ वाच।

(ii) डा. लीला विसारिया, आर्थिक विकास संस्थान, दिल्ली विश्वविद्यालय।

(iii) डा. अल्मास अली, परामर्शदाता, यू.एन.एफ.पी.ए./स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय।

(iv) डा. मोहन राव, प्रोफेसर, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली।

(v) डा. (सुश्री) मीरा शिव, वी.एच.ए.आई., नई दिल्ली।

(vi) श्रीमान डिएगो पैलासियोस, यू.एन.एफ.पी.ए. के प्रतिनिधि।

(vii) श्री एस. सी. श्रीवास्तव, निदेशक (नीति), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, संयोजक।

2. "राष्ट्रीय स्तर संसाधन समिति" के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे :

– राज्य जनसंख्या नीतियों को बनाने में राज्य सरकारों को तकनीकी सहायता प्रदान करना।

– राज्य जनसंख्या नीति बनाने में सहायता देने के लिए राज्य सरकारी पदाधिकारियों, विशेषज्ञों और अन्य सिविल सोसाइटी कार्यकर्ताओं के साथ परामर्शी कार्यशालाएं चलाना।

3. यू.एन.एफ.पी.ए., राष्ट्रीय स्तर की संसाधन समिति के कार्यकलापों में सहायता प्रदान करेगा।

(आर. एन. बंसल)
अवर सचिव (नीति)

सेवा में,

1. डा. विमला रामचन्द्रन, मैनेजिंग ट्रस्टी, वाई ए–6 सहविकास, प्लाट संख्या 68, आई.पी. एक्सटेंशन, दिल्ली–92।

2. डा. लीला विसारिया, आर्थिक विकास संस्थान, दिल्ली विश्वविद्यालय।

3. डा. अल्मास अली, परामर्शदाता, यू.एन.एफ.पी.ए./स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय।

4. डा. मोहन राव, प्रोफेसर, जे.एन.यू., नई दिल्ली।

5. डा. (सुश्री) मीरा शिव, वी.एच.ए.आई., नई दिल्ली।

6. श्रीमान डिएगो पैलासियोस, उप–प्रतिनिधि यू.एन.एफ.पी.ए.।

7. श्री एस. सी. श्रीवास्तव, निदेशक (नीति) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय।

मुख से दी जाने वाली इंसुलिन का आविष्कार

2516. श्रीमती रीना चौधरी :
श्री गुनीपाटी रामैया :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की देख–रेख में मुख से दी जाने वाली इंसुलिन का आविष्कार किया गया है;

(ख) क्या मनुष्यों पर इसका नैदानिक परीक्षण किया जा चुका है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (ग) क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, जम्मू, जो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की एक संघटक इकाई है, ने मधुमेहरोधी कार्यकलाप के लिए पौधे के अन्तःकाष्ठ (हार्ट वूड) सत्व, जिसे परम्परागत रूप से विजयसार कहा जाता है, को मानकीकृत किया है। मधुमेह के रोगियों द्वारा कैप्सूल के रूप में उपयोग किए जाने वाले उक्त सत्व (औषध) के लिए बहुकेन्द्रिक नैदानिक परीक्षण किए जा रहे हैं। नैदानिक परीक्षणों के सफलतापूर्वक पूरा होते ही इस औषध का वाणिज्यिकरण किया जाएगा।

प्रधान डाकघर

2517. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश भर के जिला मुख्यालयों में प्रधान डाकघर खोलने हेतु एक नयी योजना आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो आज की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र के परभनी जिले के उस जिला मुख्यालय का नाम क्या है जहां प्रधान डाकघर नहीं है; और

(ग) परभनी जिले में प्रधान डाकघर खोलने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान) : (क) जी, नहीं। ऐसी कोई नई योजना नहीं है। सरकार का उद्देश्य अब भी हर जिला मुख्यालय में चरणबद्ध रूप से और इस संबंध में निर्धारित मानदंडों के पूरा होने के आधार पर प्रधान डाकघर खोलने का है। इस बीच ऐसे जिलों में जिनके मुख्यालयों में प्रधान डाकघर नहीं है वहां दिनांक 1.4.2002 से चार या उससे अधिक कर्मचारियों वाले किसी उपडाकघर को मुख्य डाकघर का दर्जा दिया गया है। मुख्य डाकघरों को अपने ग्राहकों को हेड आफिस से स्वतंत्र रूप से काउंटर सेवाएं प्रदान करने का अधिकार प्राप्त है। इस अवधारणा का अन्य स्थानों पंर स्थित कुछ ऐसे चुनिंदा उपडाकघरों तक भी विस्तार किया गया है जहां प्रचुर मात्रा में काउंटर कार्य प्रदान किए जाते हैं।

(ख) और (ग) परभनी जिला मुख्यालय में एक प्रधान डाकघर पहले से है। इसके अतिरिक्त पठरी और गंगाखेड़ उपडाकघरों के मुख्य डाकघर खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

[हिन्दी]

केंद्रीय सड़क निधि से सहायता जारी किया जाना

2518. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत कितने प्रस्ताव स्वीकृत किए गए;

(ख) क्या केंद्र सरकार को यह जानकारी है कि राजस्थान सरकार ने 10–15 कि.मी. लंबी ऐसी सड़कों को बनाओ–चलाओ और हस्तांतरित कर दो (बिल्ट–आपरेट एंड ट्रांसफर) के आधार पर निर्माण करने और उस पर पथ कर लगाने की अनुमति प्रदान की है;

(ग) क्या केंद्र सरकार का विचार केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत सड़कों पर पथ कर को रोकने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) राजस्थान में राज्यीय सड़कों के सुधार के लिए अब तक 255.16 करोड़ रुपए के 188 प्रस्ताव केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत अनुमोदित किए गए हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) जी, नहीं। राज्यीय सड़कों पर पथकर लगाने के बारे में निर्णय संबंधित राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है।

[अनुवाद]

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो)

2519. श्री कोलुर बसवनागौड : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) नारायण हृदयालय के सहयोग से सभी जिला अस्पतालों में टेली मेडीसन सुविधा आरंभ करने में कर्नाटक सरकार की सहायता करने के लिए सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसरो इस प्रयोजनार्थ धनराशि प्रदान करने के लिए सहमत हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसरो द्वारा कितनी धनराशि प्रदान की जाएगी?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) कर्नाटक सरकार ने नारायण हृदयालय (एशिया हार्ट फाउंडेशन की एक यूनिट) के सहयोग से कर्नाटक में सभी जिला अस्पतालों में टेली मेडीसन सुविधा आरंभ करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने सहायता प्राप्त करने में अपनी रुचि व्यक्त की है।

(ख) कर्नाटक सरकार से इस प्रयोजनार्थ धनराशि प्रदान करने के लिए इसरो को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

[हिन्दी]

अणुओं द्वारा कैंसर का उपचार

2520. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली :
श्री हरिभाऊ शंकर महाले :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े वैज्ञानिकों ने किसी ऐसे सूक्ष्म अणु का विकास किया है जिससे कैंसर का प्रभावी ढंग से उपचार किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपरोक्त आविष्कार का भारत में कब तक प्रयोग आरंभ किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (ग) पिछले दो दशकों में कोशिकीय प्रक्रियाओं के आणविक जीवविज्ञान संबंधी ज्ञान की उपलब्धता बढ़ती रही है जिसका उपयोग कैंसर के निवारण, निदान तथा उपचार में किया जा सकता था। हाल ही में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् के वैज्ञानिकों ने 8 सी.एल.–सी.ए.एम.पी. (8–क्रोलोरो–साइक्लिक–एडेन्सोसाइन–3. '5'–(मोनोफास्फेट); बी. सी.एल.–2, पी 53 आन्कोप्रोटिन्स, इंटरल्यूकिन्स (आई.एल.एस.), आदि जैसे रोगों के विकास में कुछ अणुओं की भूमिका का मूल्यांकन किया है। ये अध्ययन अभी भी प्रायोगिक स्तर पर हैं।

गुजरात और दिल्ली में एस.टी.डी./ आई.एस.डी./पी.सी.ओ.

2521. श्री जी. जे. जावीया :
श्री चन्द्रेश पटेल :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात और दिल्ली में चल रहे आई.एस.डी./एस. टी.डी./पी.सी.ओ. की अलग–अलग संख्या कितनी है;

(ख) वर्ष 2000 से आज की तिथि तक कितने नये कनैक्शन प्रदान किए गए हैं; और

(ग) वर्ष 2003 के दौरान कितने नये कनेक्शन प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) गुजरात तथा दिल्ली में 31.10.2002 को कार्यरत आई.एस.डी./एस.टी.डी./पी.सी.ओ. की कुल संख्या क्रमशः 43,699 और 23,134 है।

(ख) वर्ष 2000 (1.4.2000) से नवंबर, 2002 के तीसरे सप्ताह तक गुजरात में 14,195 नए कनैक्शन (एस.टी.डी./आई. एस.डी./पी.सी.ओ.) तथा दिल्ली में 11,449 नए कनैक्शन (एस. टी.डी./आई.एस.डी./पी.सी.ओ.) प्रदान किए गए हैं।

(ग) वर्तमान नीति के अनुसार सभी पात्र आवेदकों को उनके पंजीकरण के अनुसार पी.सी.ओ. आवंटित किए जाते हैं, बशर्ते कि यह तकनीकी रूप से व्यवहार्य हों। वर्ष 2003 में लगाए जाने वाले बूथों की संख्या पात्र आवेदकों की उपलब्धता और तकनीकी व्यवहार्यता पर निर्भर करती है।

[अनुवाद]

'दक्षेस' के सिद्धांतों की परिधि में आर्थिक सहयोग

2522. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षेस के सिद्धांतों की परिधि में आर्थिक सहयोग कुछ समय के लिए संतोषजनक नहीं रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) दक्षिण एशिया अधिमानी व्यापार करार पर 1993 में हस्ताक्षर हुए। आज की तारीख तक इस करार का पूरा प्रचालन अभी होना है। इसके अलावा, दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र के लिए संधि की रूपरेखा तैयार करने के लिए सार्क ने 2001 की अंतिम तारीख को कायम नहीं रखा है। इस संधि के प्रारूपेण की नयी अंतिम तारीख अब 2002 है।

राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास हेतु धनराशि

2523. श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार : क्या **पोत परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान विकसित किए गए राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या कितनी है;

(ख) राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास पर नौवीं योजना के दौरान प्रतिवर्ष कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) क्या अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास हेतु राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता प्रदान की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो नौवीं योजनावधि के दौरान अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास हेतु केन्द्र से किन-किन राज्यों को धनराशि प्रदान की गई है; और

(ङ) इस योजनावधि के दौरान उन राज्यों में क्या किसी विशेष अंतर्देशीय जलमार्ग का विकास किया गया है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरुनावुकरसर) : (क) अब तक 3 राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए गए हैं यथा-हल्दिया से इलाहाबाद तक गंगा, धुब्री से सदिया तक ब्रह्मपुत्र एवं उद्योगमंडल एवं चम्पाकारा नहर सहित कोट्टापुरम से कोल्लम तक पश्चिम तट नहर।

(ख) तीन राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास के लिए नौवीं योजना के प्रत्येक वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि नीचे दी गई है :

1997-98	—	17.81 करोड़ रु.
1998-99	—	27.45 करोड़ रु.
1999-00	—	24.03 करोड़ रु.
2000-01	—	23.19 करोड़ रु.
2001-02	—	26.95 करोड़ रु.

(ग) जी, हां।

(घ) अन्तर्देशीय राज्य जलमार्गों के विकास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और गोवा को निधि मुहैया की गई थी।

(ङ) केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों के तहत अन्तर्देशीय जल परिवहन के विकास के लिए राज्यों को जिन स्कीमों के लिए सहायता मुहैया कराई गई है उनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों के तहत अन्तर्देशीय जल परिवहन के विकास के लिए राज्यों को जिन स्कीमों के लिए सहायता मुहैया कराई गई है :

क्र.सं.	राज्य	स्कीमों के नाम
1.	गोवा	मन्दोवी, जुआरी और मापुसा नदी में भारी निकर्षण
2.	केरल	379 जेट्टियों का आधुनिकीकरण
3.	केरल	55 जेट्टियों का आधुनिकीकरण
4.	केरल	कोट्टी से कोट्टापुरम तक जलमार्ग का आधुनिकीकरण एवं सुधार
5.	तमिलनाडु	बकिंघम कैनाल सेंट्रल रीच में सुधार
6.	उत्तर प्रदेश	मांझीघाट से फैजाबाद तक घाघरा नदी में अ.ज.प. के विकास के लिए डी.पी.आर. की तैयारी
7.	पश्चिमी बंगाल	हल्दिया, कचुबेरिया एवं लॉट सं.-8 पर जेट्टियों का आधुनिकीकरण
8.	पश्चिमी बंगाल	रायचक में जेट्टियों का आधुनिकीकरण
9.	पश्चिमी बंगाल	हुगली नदी के आर-पार फेरी सेवाओं के लिए 5 टर्मिनल का निर्माण।

पेंशन संबंधी उच्चस्तरीय विशेषज्ञ-दल

2524. श्री राजैया मल्याला : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेंशन संबंधी एक उच्चस्तरीय विशेषज्ञ–दल ने हाल ही में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो पेंशन–प्रणाली के संबंध में दल द्वारा क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन संस्तुतियों को लागू करने हेतु क्या निर्णय लिया गया?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) नई पेंशन–प्रणाली के बारे में गठित किए गए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ–दल ने अपनी रिपोर्ट फरवरी, 2002 में प्रस्तुत कर दी। उपर्युक्त दल ने कर्मचारियों को पेंशन और किसी कर्मचारी द्वारा अपनी इच्छा के अनुसार अंशदान किए जाने की व्यवस्था से युक्त एक स्वैच्छिक बचत–योजना के रूप में निश्चित लाभ पहुंचाने की अपनी प्रतिबद्धता प्रकट करते हुए, अन्य बातों के साथ–साथ एक ऐसी योजना की सिफारिश की है जिसमें कर्मचारियों और संघ–सरकार द्वारा बराबर–बराबर अंशदान किए जाने का प्रावधान किया गया है। उपर्युक्त विशेषज्ञ–दल द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों से पड़ने वाले प्रभावों की इस समय जांच–पड़ताल की जा रही है।

भारत-रूस वार्ता

2525. डा. ए. डी. के. जयशीलन : क्या **स्वास्थ्य और कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुर्वेद अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत–रूस वार्ता संपन्न हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या आयुर्वेद अनुसंधान का कोई संयुक्त केन्द्र विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) भारतीय परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों, मुख्यतः आयुर्वेद और होम्योपैथी में प्रयुक्त होने वाले संपाकों तथा विधियों के उनकी प्रभावोत्पादकता के मूल्यांकन और उनके रशियन फेडरेशन में समुचित पंजीकरण के लिए मानदंड स्थापित करने के उद्देश्य से संयुक्त चिकित्सीय और परा–चिकित्सीय अध्ययनों का आयोजन करने पर सहमति हुई है।

(ग) और (घ) रशिया–इंडिया सेंटर फॉर आयुर्वेदिक रिसर्च स्थापित करने के लिए, मार्च, 2002 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार तथा रशियन एकेडमी ऑफ साइंसिज, मास्को के बीच, एक समझौता–ज्ञापन संपन्न हुआ। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की सूचनानुसार सेंटर को रूसी सरकार के कानूनों के अनुसार, पंजीकृत कराने की प्रक्रिया चल रही है।

केरल में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद इकाई

2526. श्री के. फ्रांसिस जार्ज : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल सरकार से केरल में आई सी एम आर फील्ड यूनिट की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस पर क्या निर्णय लिया गया है;

(ग) क्या आई सी एम आर की फील्ड यूनिटें अन्य राज्यों में कार्य कर रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) केरल सरकार से लेप्टो–स्पाइरोसिस, जो राज्य में एक प्रमुख स्वास्थ्य संबंधी खतरा है, के प्रकोप से निपटने हेतु राज्य की क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए एक फील्ड स्टेशन की स्थापना हेतु अनुरोध प्राप्त हुआ था। केरल सरकार को पोर्ट ब्लेयर में क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केन्द्र, जो लेप्टोस्पाइरोसिस के राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र के रूप में कार्य करता है, के जरिए क्षमता सुदृढ़ीकरण की संभावना का पता लगाने की सलाह दी गई है।

(ग) और (घ) ब्यौरे संलग्न विवरण में प्रस्तुत हैं।

विवरण

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के फील्ड एकक जो अन्य राज्यों में चल रहे हैं, इस प्रकार हैं :

मलेरिया अनुसंधान केन्द्र, दिल्ली के फील्ड स्टेशन

- मलेरिया अनुसंधान केन्द्र, दिल्ली के दिल्ली स्थित फील्ड स्टेशन
- मलेरिया अनुसंधान केन्द्र (दिल्ली) का राऊरकेला जिला सुन्दरगढ़ स्थित फील्ड स्टेशन
- मलेरिया अनुसंधान केन्द्र (दिल्ली) का अंडमान व निकोबार स्थित फील्ड स्टेशन
- मलेरिया अनुसंधान केन्द्र (दिल्ली) का शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश स्थित फील्ड स्टेशन
- मलेरिया अनुसंधान केन्द्र (दिल्ली) का शंकरगढ़ (जिला इलाहाबाद) स्थित फील्ड स्टेशन
- मलेरिया अनुसंधान केन्द्र (दिल्ली) का (मेंडला), जबलपुर स्थिति फील्ड स्टेशन
- मलेरिया अनुसंधान केन्द्र (दिल्ली) का हलद्वानी (जिला नैनीताल) उत्तरांचल स्थित फील्ड स्टेशन
- मलेरिया अनुसंधान केन्द्र (दिल्ली) का हरिद्वार, उत्तरांचल स्थिति फील्ड स्टेशन
- मलेरिया अनुसंधान केन्द्र (दिल्ली) का बेंगलूर, कर्नाटक स्थित फील्ड स्टेशन
- मलेरिया अनुसंधान केन्द्र (दिल्ली) का नाडियाड, खेड़ा जिले में स्थित फील्ड स्टेशन
- मलेरिया अनुसंधान केन्द्र (दिल्ली) का सोनापुर (जिला कामरूप), असम स्थित फील्ड स्टेशन
- मलेरिया अनुसंधान केन्द्र (दिल्ली) का चेन्नई, तमिलनाडु स्थित फील्ड स्टेशन
- वी सी आर सी का मलकानगिरी, उड़ीसा स्थित फील्ड स्टेशन

एन आई ई चेन्नई के फील्ड स्टेशन

- केन्द्रीय परंपरागत चिकित्सा अनुसंधान जैवसांख्यिकी मानीटरिंग यूनिट

टी आर सी, चेन्नई के फील्ड स्टेशन

- टी आर सी महामारी विज्ञानी यूनिट, तिरूवेल्यूर
- आई सी एम आर टी आर सी क्षयरोग यूनिट मदुरै

एन आई वी, पुणे का फील्ड स्टेशन

- एन आई वी का बेंगलूर स्थित फील्ड स्टेशन।

वीओआईपी हेतु मानदंड

2527. श्री वरकला राधाकृष्णन : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने 'वाइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकाल सर्विसेज' (वी ओ आई पी) हेतु किन्हीं मानदंडों को अंतिम रूप दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कौन–कौन सी कंपनियां देश में वीओआईपी सेवाएं प्रदान कर रही हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) मै. डाटा एक्सेस इंडिया लि. अपने अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी (आईएलडी) लाइसेंस के अंतर्गत आईएलडी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए वॉइस ओवर इंटरनेट टेलीफोनी (वीओआईपी) लगा रहा है।

विवरण

वीओआईपी प्रौद्योगिकी लगाकर तैयार किए गए अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी नेटवर्कों के लिए सेवा की गुणवत्ता संबंधी मानदंड

छोर से छोर तक सेवा की गुणवत्ता (क्यूओएस) मानदंड

नेटवर्क के आईएलडी हिस्से को निम्नलिखित छोर से छोर तक सेवा गुणवत्ता मानदंडों को पूरा करने के लिए तैयार किया जाएगा :

टोल क्वालिटी नेटवर्क

- एमओएस ≥ 4 अथवा 80 या अधिक की आर–वैल्यू

- इक–तरफा छोर से छोर तक विलंब ≤ 150 मिली सैकंड
- पैकेट हानि 0.1% से अधिक नहीं होनी चाहिए
- जिटर 5 मिली सैकंड से अधिक नहीं होना चाहिए
- डीटीएमएफ टोन्स के प्रति पारदर्शिता
- वॉइस के अलावा सेवाओं में शामिल : जी 3 फैक्स; वॉइस–बैंड मोडेम 14.4 केबीपीएस अथवा अधिक की दर पर

बिलो टोल क्वालिटी नेटवर्क

- एमओएस ≥ 3 अथवा 70 या अधिक की आर–वैल्यू
- इक–तरफा छोर से छोर तक विलंब ≤ 400 मिली सैकंड
- पैकेट हानि 2% से अधिक नहीं होनी चाहिए
- जिटर 10 मिली सैकंड से अधिक नहीं होनी चाहिए।

स्रोत :

एमओएस : का तात्पर्य मीन ओपिनीयन स्कोर से है, जो आईटीयू–टी सिफारिश, अगस्त, 1996 के पी 800 में 'मेथड्स फॉर सब्जेक्टिव डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांसमिशन क्वालिटी' के अंतर्गत यथा–पारिभाषित वाणी की गुणवत्ता का आत्मनिष्ठ माप है।

आर-वैल्यू : वाणी की गुणवत्ता का वस्तुनिष्ठ माप है, जो आईटीयू–टी सिफारिश जी–107, ई–मोडल, कम्प्यूटेशन मॉडेल फॉर यूज इन ट्रांसमीशन प्लानिंग, अगस्त, 2001 तथा जी 108, 'एप्लीकेशन ऑफ द ई–मोडल, ए प्लानिंग गाइड, सितम्बर, 1999' में यथा–परिभाषित 'पारेषण निर्धारण गुणक' के परिणामी मूल्य के रूप में दर्शाया जाता है।

डीटीएमएफ : ड्यूअल टोन मल्टी फ्रीक्वेंसी।

[हिन्दी]

औद्योगिक उत्पादन के क्षेत्र में बिहार के लघु क्षेत्र की हिस्सेदारी

2528. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या **लघु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के कुल औद्योगिक उत्पादन में बिहार के लघु उद्योग की हिस्सेदारी कितनी है;

(ख) क्या सरकार द्वारा इन उद्योगों को कोई वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) 31.3.2002 को बिहार में पंजीकृत लघु उद्योगों (एस.एस.आई.) के कुल लघु उद्योग का औद्योगिक उत्पादन का अनुमानतः शेयर 3.37% है।

(ख) से (घ) देश में लघु उद्योग यूनिटों की स्थापना निजी उद्यमियों द्वारा की जाती है। सरकार प्रत्यक्षतः लघु उद्योग यूनिटों को वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करती है। भारत सरकार तथा बिहार राज्य सरकार लघु उद्योग सेक्टर हेतु अनेक विकासीय और सम्वर्धनात्मक स्कीमों का कार्यान्वयन कर रही हैं। केन्द्रीय स्कीमें/कार्यक्रम राज्य विशिष्ट नहीं होते हैं। बिहार सहित देश में लघु उद्योगों के विकास से सम्बद्ध स्कीमों/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए 2200.00 करोड़ रु. का परिव्यय रखा गया है। बिहार के ग्रामीण तथा औद्योगिक सेक्टर (लघु उद्योग उप–सेक्टर सहित) के लिए राज्य योजना के तहत दसवीं योजना हेतु 61.24 करोड़ रु. का अनंतिम स्वीकृत परिव्यय रखा गया है।

[अनुवाद]

हैजा और तपेदिक रोग हेतु टीका

2529. श्री प्रकाश वी. पाटील : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा हैजा और तपेदिक रोग हेतु एक नया टीका विकसित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मनुष्यों पर ऐसे टीकों का प्रयोग किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (घ) विब्रियो हैजा की वी ए 1.3 प्रजाति पर आधारित हैजा के लिए एक देशी मुखसेव्य रिकम्बीनेंट वैक्सीन तीन संस्थानों अर्थात् सूक्ष्मजीव प्रौद्योगिकी संस्थान, चंडीगढ़ और केन्द्रीय वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद्

के अधीन रसायन जीव विज्ञान संस्थान, कोलकाता तथा भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् के अधीन हैजा एवं आन्त्र रोग संस्थान, कोलकाता के वैज्ञानिकों के सहयोगात्मक अनुसंधान प्रयास के रूप में मिल-जुलकर विकसित की गई है। इस वैक्सीन पर तीन केन्द्रों अर्थात् स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़; संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ और अनुप्रयुक्त अध्ययन सोसायटी, कोलकाता में चरण-I के नैदानिक परीक्षण किए गए हैं। इस समय इस वैक्सीन पर प्रभावकारिता के लिए चरण-II के नैदानिक परीक्षण किए जा रहे हैं।

क्षय रोग अनुसंधान केन्द्र, चेन्नई और साउथ कैंपस, नई दिल्ली में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक मौजूदा बी.सी.जी. वैक्सीन में सुधार करने में लगे हुए हैं। क्षयरोग के गिनीपिग माडल में जन्तु प्रयोग किए जा रहे हैं। नई क्षयरोग वैक्सीन के विकास का कार्य अनुसंधान अवस्था में है।

पी आई ओ कार्ड

2530. श्री ए. पी. जितेन्द्र रेड्डी : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय मूल के व्यक्तियों (पी आई ओ) को कार्ड जारी करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पी आई ओ कार्ड धारकों को क्या लाभ प्रदान किए जाएंगे;

(ग) सरकार को इस संबंध में विभिन्न राजनयिक मिशनों से प्राप्त हुए अनुरोधों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ऐसे कार्डों को जारी करने से पहले सुरक्षा दृष्टिकोण से पर्याप्त सुरक्षोपायों पर विचार किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय मूल के व्यक्तियों की कार्ड योजना मूलतः 30.3.1999 से आरंभ की गई थी। विभिन्न स्थानों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर संशोधित पी आई ओ कार्ड योजना 15.9.2002 से प्रभावी हुई है। इस योजना के अंतर्गत शुल्क 15,000 रु. है और पी आई ओ कार्ड 15 वर्षों के लिए वैध है। पी आई ओ कार्ड धारकों को उपलब्ध लाभ इस प्रकार हैं

(i) पी आई ओ कार्ड धारक को भारत की यात्रा के लिए अलग से वीजा लेना अपेक्षित नहीं है।

(ii) पी आई ओ कार्ड धारक को पंजीकरण की अपेक्षा से छूट मिल जाएगी यदि उसकी एक भी यात्रा में वह भारत में 180 दिन की अवधि से अधिक नहीं रुका है।

(iii) पी आई ओ कार्ड धारक के भारत में लगातार रुकने की अवधि 180 दिन से अधिक होने पर उसे 180 दिन की अवधि के समाप्त होने के 30 दिन के भीतर स्वयं को संबंधित विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी/विदेशी पंजीकरण अधिकारी के पास पंजीकृत कराना होगा।

(iv) सभी पी आई ओ कार्ड धारक एन आर आई (अनिवासी भारतीयों) के बराबर उन सभी सुविधाओं का भोग कर सकते हैं जो उन्हें आर्थिक, वित्तीय तथा शैक्षिक क्षेत्रों में प्राप्त हैं, सिवाय कृषि/प्लांटेशन संपत्तियों के अधिग्रहण से सम्बद्ध मामलों को छोड़कर। राजनीतिक अधिकारों के क्षेत्र में समानता की कोई अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ग) चूंकि संशोधित योजना केवल 15 सितम्बर, 2002 से प्रभावी हुई है, अभी तक कोई आंकड़ा प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) जी, हां।

(ङ) पी आई ओ कार्ड जारी करने वाले प्राधिकारी सामान्यता सुरक्षा जांच के पश्चात ही पी आई ओ कार्ड जारी करते हैं।

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए प्रोन्नति में आरक्षण

2531. श्री सी. श्रीनिवासन : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार को, प्रोन्नति में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में संशोधन करने हेतु विस्तृत प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को पदोन्नतियों में आरक्षण मुहैया करवाने की दृष्टि से, किसी भी राज्य सरकार से, संविधान में संशोधन किए जाने का कोई भी विस्तृत प्रस्ताव नहीं मिला है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को उन मामलों में पदोन्नति में आरक्षण पहले से ही सुलभ है जिनमें पदोन्नति, समूह 'घ' के किसी पद से समूह 'घ' के ही किसी उच्चतर पद पर, समूह 'घ' के किसी पद से समूह 'ग' के किसी पद पर और समूह 'ग' के किसी पद से समूह 'ग' के ही किसी उच्चतर पद पर की जाती है।

[हिन्दी]

झारखंड में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

2532. प्रो. दुखा भगत : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार झारखंड में कार्य कर रहे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का दिचार दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य में और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (घ) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, राज्य सरकारों द्वारा राज्य स्वास्थ्य क्षेत्र योजना के अधीन योजना आयोग द्वारा प्रदान किए गए कुल धन में से स्थापित और बनाए रखे जाते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मैदानी क्षेत्रों में 30,000 और पहाड़ी/आदिवासी क्षेत्रों में 20,000 के जनसंख्या मानकों के आधार पर स्थापित किए जाते हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार, झारखंड में वास्तव में 561 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्य कर रहे हैं। दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, यह आशा है कि योजना आयोग द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्य के अनुसार 115 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किए जाएंगे।

[अनुवाद]

विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केन्द्र

2533. श्री रामजी मांझी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केन्द्र ने वर्ष 1996–98 के दौरान देश में प्रयोग हेतु उत्पादित संरचना सुविधा के उपलब्ध होने के बावजूद 27–38 लाख रुपए की धनराशि की लागत के उपस्करों के लिए किसी विदेशी एजेंसी को आपूर्ति संबंधी क्रयादेश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या मामले की जांच की गई है और यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि ऐसी वस्तुओं का आयात नहीं किया जाए जिनका देश में उत्पादन होता है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केन्द्र (वी.एस.एस.सी.) ने वर्ष 1996–98 के दौरान भू–तुल्यकाली उपग्रह प्रमोचक राकेट (जी.एस.एल.वी.) के लिए 27.38 लाख रुपये की लागत से स्ट्रैप–ऑन समंजन प्रणालियों के संविरचन के लिए विदेशी एजेंसी को क्रयादेश दिया था। यह कार्य, जो कि सामान्यतया सुस्थापित विदेशी संविरचन सुविधाओं का उपयोग करते हुए तथा आंतरिक संविरचन सुविधाओं पर कार्यभार को ध्यान में रखते हुए भी किया जाता है, कार्य की मात्रा तथा पुनरावर्ती कार्य के बड़े आयाम के अनुमान के आधार पर विदेशी संविरचन के लिए प्रदान किया गया था।

(ग) इस विषय पर 31 मार्च, 1998 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में एक पैरा शामिल किया गया था। इस पैरा पर की गई कार्रवाई के नोट में विदेशी एजेंसी को यह संविरचन कार्य

देने के लिए औचित्य दिया गया था। लेखा परीक्षा (आडिट) ने की गई कार्रवाई के नोट के साथ सहमति व्यक्त की है।

(घ) नीति के रूप में, अंतरिक्ष गुणवत्ता और समयानुसूची की जरूरतों को पूरा करने की शर्तों को ध्यान में रखते हुए स्वदेशी उपस्करों/प्रणालियों का उपयोग किया जाता है।

आवश्यक औषधियों की सूची

2534. श्री मोहन रावले : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय स्तर पर आवश्यक औषधियों की एक सूची तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा तैयार की गई 260 आवश्यक औषधियों की सूची देश में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को देखने के लिए पर्याप्त है; और

(घ) यदि नहीं, तो औषधियों की सूची को शीघ्र तैयार करने और इसके क्रियान्वयन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) राष्ट्रीय अनिवार्य औषध सूची स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 1996 में प्रकाशित की गई थी और इसमें 279 औषधों के नाम शामिल हैं।

(ग) और (घ) अनिवार्य औषध सूची, विश्व स्वास्थ्य संगठन की सूची सहित, में समय-समय पर संशोधन किए जाते हैं। मूल संकल्पना यह है कि ये वे औषधें हैं जो जनता की प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या आवश्यकताओं को पूरा करती हैं और जो कार्यरत स्वास्थ्य पद्धति में उपलब्ध रखी जानी होती हैं।

मॉडल सूची सांस्थानिक अनिवार्य सूचियों को तैयार करने में मार्गदर्शन हेतु होती हैं और इसे वैश्विक मानक के रूप में तैयार नहीं किया जाता है। सूचीबद्ध दवाई उपयोग के व्यापक अनुभव से ज्ञात क्लिनिकली समकक्ष दवा-समूह को दर्शाने के लिए एक उदाहरणस्वरूप होती हैं।

आंध्र प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में आईएसडी/ एसटीडी/पीसीओ सुविधाएं

2535. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के सभी ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों से आईएसडी/एसटीडी/पीसीओ सुविधाएं प्रदान कर दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) ऐसी सुविधाओं को कब तक मुहैया करा दिए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में इन सुविधाओं को प्रदान करने हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन सुविधाओं को पूरे राज्य में कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) आंध्र प्रदेश के कुल 29460 गांवों में से 23401 गांवों में भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा एसटीडी/ आईएसडी/पीसीओ सुविधाएं प्रदान कर दी गई हैं। लाइसेंस करार के अनुसार शेष गांवों में दूरसंचार सुविधाएं निजी सेवा प्रदाताओं द्वारा मुहैया कराई जानी हैं।

(घ) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

बिहार में पत्र-पेटिकाएं

2536. श्री राजो सिंह : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के विभिन्न जिलों में जिलेवार कितनी पत्र-पत्रिकाएं मुहैया कराई गई हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार नई कालोनियों के विकास और जनसंख्या वृद्धि के मद्देनजर पत्र-पेटिकाओं की संख्या बढ़ाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान) : (क) बिहार में लगाई गई पत्र–पेटिकाओं की जिलावार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी, हां।

(ग) नई कालोनियों और बड़ी आबादी वाले इलाकों में आवश्यकतानुसार पत्र–पेटिकाएं लगाई जाती हैं।

(घ) उपर्युक्त (ग) के मद्देनजर कोई जवाब अपेक्षित नहीं है।

विवरण

दिनांक 31.3.2002 को बिहार सर्किल में पत्र–पेटियों की जिलावार संख्या

क्र.सं.	जिला	शहरी	ग्रामीण	योग
1	2	3	4	5
1.	अररिया	140	420	560
2.	अरबल	10	32	42
3.	औरंगाबाद	51	827	878
4.	बांका	20	624	644
5.	बेगूसराय	46	708	754
6.	बेतिया (प. चम्पारण)	171	277	448
7.	भागलपुर	122	614	736
8.	भोजपुर (आरा)	92	870	962
9.	बक्सर	62	648	710
10.	दरभंगा	111	731	842
11.	पू. चम्पारण (मोतिहारी)	62	654	716
12.	गया	104	789	893
13.	गोपालगंज	35	678	713
14.	जेहानाबाद	70	372	442
15.	जमुई	35	314	349
16.	कैमुर (भभुआ)	40	510	550
17.	कटिहार	140	454	594
18.	खगड़िया	26	422	448
19.	किशनगंज	95	405	500
20.	लखीसराय	40	262	302
21.	मधेपुरा	23	354	377
22.	मधुबनी	57	842	899
23.	मुंगेर	98	375	473
24.	मुजफ्फरपुर	75	780	855
25.	नालंदा (बिहारशरीफ)	114	847	961
26.	नवादा	87	362	449
27.	पटना	146	793	939
28.	पूर्णिया	125	415	540
29.	रोहतास (सासाराम)	50	868	918
30.	सहरसा	36	407	443
31.	समस्तीपुर	80	702	782
32.	सारण (छपरा)	88	836	924
33.	शेखपुरा	45	284	329
34.	शिवहर	8	410	418
35.	सीतामढ़ी	90	808	898
36.	सीवान	62	759	821
37.	सुपौल	16	401	417
38.	वैशाली (हाजीपुर)	45	621	666
	योग	2717	21475	24192

ठाणे नगरपालिका निगम के साथ 'वार्क' की संयुक्त परियोजना

2537. श्री किरीट सोमैया : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'बार्क' ने महाराष्ट्र के ठाणे नगरपालिका निगम के साथ कोई संयुक्त परियोजना शुरू की है; और

(ख) यदि हां, तो परियोजना, प्रस्ताव और कार्य योजना के बारे में ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, नहीं। भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (बी ए आर सी) ने ठाणे नगर निगम, महाराष्ट्र के साथ मिलकर कोई संयुक्त परियोजना शुरू नहीं की है।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

पोलियो के उपचार हेतु सुविधाएं

2538. श्री ए. नरेन्द्र : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोलियो रोगियों के उपचार हेतु सभी राज्यों में पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पल्स पोलियो कार्यक्रम को लागू करने में केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की गई धनराशि के दुरुपयोग/कम उपयोग जैसी कोई अनियमितताएं सरकार के ध्यान में आई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा ऐसी अनियमितताओं पर अंकुश लगाने और इस योजना हेतु निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (ङ) पोलियो के रोगियों के उपचार के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के तृतीयक स्तरीय अस्पतालों में उपचार सुविधाएं उपलब्ध हैं।

राज्यों को वैक्सीन वस्तुगत रूप में दी जाती हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पल्स पोलियो रोग–प्रतिरक्षण के दौर आयोजित करने हेतु संचालनात्मक खर्चों के लिए धनराशि विभिन्न घटकों के लिए अनुमोदित वित्तीय मानदंडों के आधार पर दी जाती हैं। जब कभी, पल्स पोलियो रोग प्रतिरक्षण के कार्यान्वयन में अनियमितताओं की घटनाओं का पता चलता है तो राज्य सरकारों को इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करने की सलाह दी जाती है। राजस्थान सरकार के कुछ अधिकारियों द्वारा कथित वित्तीय अनियमितता के एक मामले की इस समय केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

रक्तदान पर प्रतिबंध

2539. श्री जय प्रकाश : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका का निपटान करते समय सरकार से विभिन्न लोगों द्वारा रक्तदान पर लगाए गए प्रतिबंध पर पुनर्विचार करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस मुद्दे पर 5 अप्रैल, 1999 को जारी किए गए दिशा–निर्देशों को संशोधित करने का है;

(ग) यदि हां, तो आवश्यक अधिसूचना के कब तक जारी किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) जी, हां। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक जनहित मुकदमे को खारिज करते हुए सरकार को उच्च जोखिम वाले समूहों द्वारा किए जाने वाले रक्तदान पर लगाए गए प्रतिबंधों पर पुनर्विचार करने के लिए कहा है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

(घ) रक्तदान कारागार में रहने वालों, इंजेक्शन द्वारा औषध लेने वालों इत्यादि जैसे उच्च जोखिम वाले ज्ञात समूहों से स्वीकार नहीं किए जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह एक सिद्ध वैज्ञानिक तथ्य है कि इन समूहों में सामान्य जनसमुदाय की अपेक्षा उच्च एच.आई.वी. संक्रमण स्तर, यौन संचारित रोग

तथा उच्च जोखिम वाले व्यवहार होते हैं। दान किए गए रक्त की केवल जांच करने से 'विंडो पीरियड' मामला हल नहीं हो सकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी को आवश्यकता पड़ने पर निरापद रक्त प्रदान किया जाता है, रक्तदाता चयन के बड़े मानदंड होना आवश्यक है। यही कारण है कि औषध एवं प्रसाधन सामग्री नियमों को संशोधित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

पुरुषों के लिए गर्भनिरोधक ऋषयुग का नैदानिक परीक्षण

2540. डा. वी. सरोजा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक पुरुषों के लिए गर्भनिरोधक–ऋषयुग का कितनी बार नैदानिक परीक्षण किया गया है;

(ख) इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा गर्भनिरोधक का कोई दुष्प्रभाव पाया गया; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) सूई के जरिए दिए जाने वाले पुरुष गर्भनिरोधक 'ऋषयुग' के चरण–I तथा चरण–II के नैदानिक परीक्षण पूरे किए जा चुके हैं।

(ख) फिलहाल औषध 'ऋषयुग' का सीमित चरण–III नैदानिक परीक्षण किया जा रहा है।

(ग) जी, हां।

(घ) नामांकित किए हुए 141 व्यक्तियों में से 63 व्यक्तियों के प्रारम्भिक विश्लेषण से पता चलता है कि इंजेक्शन लगाने के एक माह के बाद 76.2 प्रतिशत मामलों में वृषणकोशीय (स्क्रोटल) सूजन थी, 32.3 प्रतिशत मामलों में वृषणकोशीय क्षेत्र में लगातार दर्द था तथा इन मामलों में से 24 प्रतिशत मामलों में वृषणकोशीय पर्विकाएं (नोड्यूल्स) देखी गईं। इंजेक्शन दिए जाने के छह माह के बाद 6 मामलों में मूत्र में एलब्यूमिन देखा गया। 4 मामलों में पद्धति संबंधी असफलता थी तथा एक गर्भधारण के मामले की सूचना मिली।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की गश्त

2541. श्री अशोक ना. मोहोल :
श्री ए. वेंकटेश नायक :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों को गश्त के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को सौंपे जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

हेग सम्मेलन

2542. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में आयोजित प्रक्षेपास्त्रों एवं अन्य हथियारों पर प्रतिबंध लगाने संबंधी हेग सम्मेलन में भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन की कार्यसूची क्या है;

(ग) इसमें भाग लेने वाले देशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस सम्मेलन से देशों को क्या लाभ मिलने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) प्रक्षेपास्त्रों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय आचरण संहिता शुरू करने के लिए 25–26 नवम्बर, 2002 को हेग में एक सम्मेलन हुआ था। इस संहिता का अनुमोदन करने के लिए सभी देशों को आमंत्रित किया गया था। इस सम्मेलन में केवल उन्हें ही भाग लेने दिया गया जो इस संहिता का अनुमोदन कर रहे थे। भारत ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया क्योंकि सरकार ने इस संहिता का अनुमोदन न करने का निर्णय लिया था।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

सांख्यिकीय आंकड़ों के प्रसार संबंधी राष्ट्रीय नीति

2543. डा. एन. वेंकटस्वामी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सांख्यिकीय आंकड़ों के प्रसार संबंधी राष्ट्रीय नीति प्रभावी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल) : (क) से (घ) सांख्यिकीय आंकड़ों के प्रसार संबंधी राष्ट्रीय नीति 1999 में प्रभावी हुई। इस नीति के अनुसार भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग, इकाई स्तर के आंकड़े जो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रयोक्ताओं के लिए संवेदनशील प्रवृत्ति के नहीं हैं, के सहित, पहचान विवरणों के बगैर प्रकाशित और अप्रकाशित वैधीकृत आंकड़े उपलब्ध कराएंगे। इस प्रकार आपूरित आंकड़ों के मूल्य में स्टेशनरी, सूचना की छंटाई हेतु कम्प्यूटर उपभोज्य तथा कम्प्यूटर समय की लागत भी शामिल होगी किन्तु संग्रहण और वैधीकरण की लागत नहीं।

[हिन्दी]

नेत्र शल्य चिकित्सा की नई तकनीक

2544. श्री चन्द्रेश पटेल :
श्री जी. जे. जावीया :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि देश में नेत्र शल्य चिकित्सा की एक नई तकनीक विकसित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस आपरेशन की लागत कितनी है; और

(ग) देश के किन-किन सरकारी निजी अस्पतालों में यह तकनीक उपलब्ध है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) मोतियाबिंद शल्यक्रिया के लिए फैको-इमूल्सी-फिकेशन और अपवर्तक त्रुटियों के उपचार हेतु लासिक सहित विभिन्न नेत्र शल्यक्रियाओं के लिए कई नई प्रौद्योगिकियां अब उपलब्ध हैं।

(ग) देश में सरकारी और निजी क्षेत्र के कुछ प्रमुख अस्पतालों में नेत्र शल्यक्रियाओं की नई तकनीकें उपलब्ध हैं। जिसमें राजेन्द्र प्रसाद नेत्र विज्ञान केन्द्र, नई दिल्ली, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना में आर आई ओ, शंकर नेत्रालय चेन्नई, अरविंद नेत्र अस्पताल, मदुरई, एल वी प्रसाद नेत्र संस्थान हैदराबाद शामिल हैं।

[अनुवाद]

दूरसंचार सर्किलों के लिए बोली

2545. श्री गुनीपाटी रामैया : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय दूरसंचार नीति के प्रावधानों के अनुसार टेलीफोन लगाने हेतु वर्ष 1995 से पहले बहुराष्ट्रीय और भारतीय कंपनियों से संयुक्त रूप से कितने दूरसंचार सर्किलों के लिए बोलियां प्राप्त की गई थीं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) वर्ष 1995 से पूर्व अर्थात् दिसम्बर 1994 तक राष्ट्रीय दूरसंचार नीति-1994 के संदर्भ में प्राप्त बोलियां शून्य थीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राष्ट्रीय दूरसंचार नीति-1994 के संदर्भ में, बुनियादी टेलीफोन सेवा और सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा हेतु लाइसेंस प्रदान करने संबंधी बोलियां भारतीय रजिस्टर्ड कंपनियों से आमंत्रित की गई थीं। बोली प्रक्रिया पूरी होने के बाद, पात्र बोलीदाताओं को लाइसेंस प्रदान किए गए थे।

ब्रिटिश पोस्टल आर्डरों की उगाही

2546. श्री चन्द्र विजय सिंह : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारत के विभिन्न डाकघरों में कितनी राशि के ब्रिटिश पोस्टल आर्डर पड़े हैं जिन्हें संबंधित पी.ए.ओ. द्वारा भुगतान लिए गए वाउचरों की उगाही के लिए नहीं भेजा गया है;

(ख) इसके परिणामस्वरूप कितने की हानि हुई है; और

(ग) देयों की वसूली हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत में विभिन्न डाकघरों में पड़े ब्रिटिश पोस्टल आर्डरों, जिन्हें प्रदत्त वाउचरों की वसूली हेतु संबंधित डाक लेखा कार्यालयों को नहीं भेजा गया, की राशि निम्नवत है–

	आंकड़े लाख रुपये में
1999–2000	06.28
2000–2001	10.09
2001–2002	74.15

(ख) कोई हानि नहीं हुई है क्योंकि जब भी प्रदत्त ब्रिटिश पोस्टल आर्डरों को ब्रिटिश डाक प्रशासन को भेजा जाता है, भारतीय डाक को उनकी प्रतिपूर्ति कर दी जाती है।

(ग) डाक निदेशालय द्वारा प्रधान डाकघरों से डाक लेखा कार्यालयों को ब्रिटिश पोस्टल आर्डर प्रदत्त वाउचरों की गैर प्रस्तुति की सक्रिय निगरानी की जाती है। ऐसा डाक लेखा कार्यालयों को वांछित वाउचर भेजने तथा इस मामले में ब्रिटिश डाक प्रशासन से प्रतिपूर्ति के लिए शीघ्र संपर्क करने हेतु सर्किल प्रमुखों को समुचित निर्देश जारी करके किया जाता है।

[हिन्दी]

अफगान राजनयिकों को अंग्रेजी भाषा पढ़ाया जाना

2547. श्री जय प्रकाश : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 4 अगस्त, 2002 के 'राष्ट्रीय सहारा' में अफगान राजनयिकों को अंग्रेजी भाषा का शिक्षण शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) 6 अगस्त, 2002 को आरंभ हुआ अफगानी राजनयिकों के लिए व्यवसायिक पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। अंग्रेजी से जुड़ा पाठ्यक्रम चलाए जाने के लिए मैसर्स एजुकेशन कंसल्टेन्ट्स इंडिया लि. द्वारा एन सी ई आर टी की पहचान एक एजेंसी के रूप में की गई थी परंतु यह कार्य किसी अन्य एजेंसी को दे दिया गया क्योंकि मामले पर प्रशासनिक और बजट संबंधी सामान्य कार्रवाई करने के दौरान एन सी ई आर टी ने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया।

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा अर्जित लाभ

2548. श्री जयभान सिंह पवैया : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत दो वर्षों के दौरान दिल्ली एवं मुम्बई में महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा अर्जित लाभ अलग–अलग कितना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : 2000–01 और 2001–2002 के दौरान एमटीएनएल की दिल्ली तथा मुंबई इकाइयों द्वारा अर्जित निवल लाभ निम्नानुसार है–

इकाई	2000–01	2001–02
मुंबई	823.43 करोड़ रु.	699.23 करोड़ रु.
दिल्ली	521.53 करोड़ रु.	406.55 करोड़ रु.

लोकनायक जयप्रकाश अस्तपताल में जल जाने वाले रोगी

2549. श्री रामचन्द्र पासवान : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल दिल्ली सहित सरकारी अस्पतालों में त्रुटिपूर्ण स्टोव से जल जाने वाले कितने रोगियों का उपचार किया गया;

(ख) ऐसे मामलों को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) लोकनायक अस्पताल ने सूचित किया है कि वर्ष 2001 के दौरान मिट्टी के तेल के स्टोव के खराब कार्य करने के कारण आग की लपटों से जले लगभग 717 रोगियों का लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में उपचार किया गया था।

जहां तक केन्द्र सरकार के अस्पतालों अर्थात् डा. राममनोहर लोहिया अस्पताल और सफदरजंग अस्पताल का संबंध है, खराब स्टोव के कारण जलने वाले मरीजों के आंकड़े नहीं रखे जाते। तथापि वर्ष 2001 के दौरान अधोलिखित अंतरंग और बहिरंग रोगियों ने जलने के कारण उपचार कराया–

अस्पताल	अंतरंग रोगी	बहिरंग रोगी
सफदरजंग अस्पताल	1581	24379
डा. राममनोहर लोहिया अस्पताल	606	3081

(ख) और (ग) ऐसे मामलों को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई स्थानीय प्राधिकारियों/राज्य सरकारों को करनी चाहिए।

[अनुवाद]

संयुक्त राज्य अमेरिका एवं यूरोप में स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं में भारतीय चिकित्सकों की भूमिका

2550. डा. एम. वी. वी. एस. मूर्ति : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय चिकित्सक संयुक्त राज्य अमेरिका एवं यूरोप में स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं के मेरुदंड हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में विद्यमान कौशलों का लाभ उठाने के लिए चिकित्सा सुविधाओं की मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों रूप से स्तरोन्नयन किए जाने की आवश्यकता महसूस की जाती है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) यह सूचना सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने विश्व बैंक की सहायता से संबंधित राज्यों/संघ क्षेत्रों के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों और सम्बद्ध अस्पतालों के भौतिक बुनियादी ढांचे में सुधार लाने हेतु राज्यों/संघ क्षेत्रों से प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजनाओं को पहले ही छह राज्यों अर्थात् पंजाब, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में कार्यान्वित किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश में राज्य स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना को 30.6.2002 को पूरा कर लिया गया है।

भारतीय रेड क्रास सोसाइटी

2551. श्री अरुण कुमार : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेड क्रास सोसायटी में संयुक्त सचिव का पद खत्म कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) भूकंप राहत कार्य हेतु विशेषकर गुजरात में, भारतीय रेड क्रास सोसायटी द्वारा कितने विदेशी लोगों को तैनात किया गया है;

(घ) क्या भारतीय रेड क्रास सोसायटी ने वेतन देने हेतु विदेशी एजेंसियों से सहायता मांगी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा भारतीय रेडक्रास सोसायटी के प्रशासनिक ढांचे में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (च) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण

मंत्रालय के अधीन स्वायत्त निकाय भारतीय रेडक्रास सोसायटी से प्राप्त सूचना से संबंधित विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) भारतीय रेडक्रास सोसायटी में संयुक्त सचिव के पद को समाप्त नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारतीय रेडक्रास सोसायटी ने गुजरात में भूकम्प राहत कार्य के लिए किसी विदेशी को तैनात नहीं किया है।

(घ) और (ङ) भारतीय रेडक्रास सोसायटी ने वेतन सहायता के लिए किसी विदेशी एजेंसी से ऐसी कोई सहायता नहीं मांगी है।

(च) भारतीय रेडक्रास सोसायटी संसद के एक अधिनियम के अंतर्गत बनाई गई स्वायत्त निकाय है। इस सोसायटी के प्रशासन एवं प्रबंधन से संबंधित सभी नीतिगत निर्णय सोसायटी के प्रबंध निकाय द्वारा लिए जाते हैं।

मौसम विज्ञानी उपग्रह

2552. डा. डी. वी. जी शंकर राव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत अन्य देशों के लिए भी मौसम विज्ञानी उपग्रह विकसित कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो ये देश कौन से हैं; और

(ग) इस संबंध में अन्य ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री **तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में** राज्य मंत्री **(श्रीमती वसुन्धरा राजे)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

[हिन्दी]

निजी क्षेत्र द्वारा कांडला पत्तन का विकास

2553. श्री हरिभाई चौधरी :
श्री मान सिंह पटेल :
श्री के. पी. सिंह देव :

क्या **पोत परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को निजी क्षेत्र द्वारा कांडला पत्तन का विकास किए जाने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) इस पर खर्च की जाने वाली अनुमानित धनराशि कितनी है और इसके पूरा होने में कितना समय लगने की संभावना है और इसका उपयोग किन उद्देश्यों के लिए किया जाएगा;

(घ) क्या सरकार को देश के अन्य पत्तनों के संबंध में भी इस तरह के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में पत्तनवार ब्यौरा क्या है; और

(च) प्रत्येक पत्तन में किए गए कार्यों का ब्यौरा है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरुनावुकरसर) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

नए दूरभाष केन्द्र

2554. श्री सुन्दर लाल तिवारी :
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :
डा. जसवंतसिंह यादव :
श्री राम सिंह कस्वां :
श्री राजो सिंह :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 2002–03 के दौरान देश में, विशेषकर मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार में नए दूरभाष केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन पर कुल कितनी धनराशि खर्च किए जाने की संभावना है; और

(घ) सभी पुराने दूरभाष केन्द्रों को कब तक आधुनिकीकृत किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान) : (क) और (ख) भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) ने वर्ष 2002–2003 के दौरान देश में नए टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार राज्यों में प्रस्तावित नए टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या क्रमशः 49, 50, 34 है।

(ग) बीएसएनएल और एमटीएनएल द्वारा संभावित रूप से 9788.33 करोड़ रुपए की राशि खर्च किए जाने का अनुमान लगाया गया है।

(घ) पुराने सभी टेलीफोन एक्सचेंजों को पहले ही बदल दिया गया है और नेटवर्क को पूर्णतः डिजिटल बना दिया गया है।

विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2002–2003 के दौरान स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित नए टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या
1	2
अंदमान और निकोबार द्वीप	02
आंध्र प्रदेश	150
असम	44
बिहार	34
छत्तीसगढ़	25
दिल्ली	22
गुजरात@	18
हरियाणा	30
हिमाचल प्रदेश	53
जम्मू–कश्मीर	10
झारखंड	17
कर्नाटक	34
केरल**	40
मध्य प्रदेश	49
महाराष्ट्र*	200
उत्तर पूर्व$	44
उड़ीसा	40
पंजाब^	74
राजस्थान	50
तमिलनाडु#	99
उत्तरांचल	49
उत्तर प्रदेश	76
पश्चिम बंगाल***	171
कुल	1331

टिप्पणी : @इसमें दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव शामिल हैं।

** इसमें लक्षद्वीप शामिल है।

* इसमें गोवा शामिल है।

$ इसमें अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा शामिल हैं।

^ इसमें चंडीगढ शामिल है।

इसमें पांडिचेरी शामिल है।

*** इसमें सिक्किम शामिल है।

रक्त की कमी

2555. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :**
श्रीमती निवेदिता माने :
श्री चन्द्रनाथ सिंह :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रक्त की कमी को पूरा करने में असफल रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) देश में रक्त की मौजूदा वार्षिक मांग कितनी है और स्वैच्छिक रक्त दाताओं के माध्यम से रक्त की कितनी इकाइयां एकत्रित की जा रही हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या उच्चतम न्यायालय के आदेशों के बावजूद सरकार आज तक रक्त हेतु वसूले जाने वाले शुल्क को निर्धारित करने में असफल रही है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) जी, नहीं। देश में कुल मिलाकर खून की कमी नहीं है। तथापि कुछ रक्त बैंकों में अवसरिक और मौसमी कमी है।

(ग) और (घ) देश में रक्त की मांग 49 लाख यूनिट प्रति वर्ष होने का अनुमान लगाया गया है जिसके लिए लगभग 45 प्रतिशत रक्त स्वैच्छिक दान के जरिए एकत्र किया जाता है और शेष रक्त प्रतिदान के माध्यम से एकत्र किया जाता है।

(ङ) जी, हां। सरकार ने रक्त जारी करने से पहले अनिवार्य परीक्षणों के लिए रक्त को संसाधित करने हेतु सेवा प्रभारों को एकत्रित करने के लिए पहले ही दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

प्रति व्यक्ति आय

2556. श्री बीर सिंह महतो :
प्रो. दुखा भगत :
श्री लक्ष्मण गिलुवा :
श्री वाई. जी. महाजन :
योगी आदित्यनाथ :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में इस समय राज्य–वार प्रति व्यक्ति आय कितनी है और यह अन्य राष्ट्रीय स्तर पर तथा दूसरे विकसित देशों से औसत प्रति व्यक्ति आय से किस सीमा तक तुलनीय है;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन से उपलब्ध अद्यतन सूचना के अनुसार वर्ष 2000–01 के लिए राज्यों की प्रति व्यक्ति आय (स्थिर (1993–94) के मूल्यों पर प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद के अर्थ में मापित) और राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय (1993–94 के मूल्यों पर प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय उत्पाद के अर्थ में मापित) संलग्न विवरण–I में दी गई है। चुनिंदा विकासशील देशों की प्रति व्यक्ति आय जो वर्ष 2001 के लिए प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय द्वारा मापित है, संलग्न विवरण–II में दी गई है। प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद राज्यों में कड़े रूप में तुलनीय नहीं है क्योंकि विभिन्न राज्यों के आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय राज्यस्तरीय आय का अनुमान स्वतंत्र रूप से उन रीति–विधानों के प्रयोग के माध्यम से करते हैं जो आवश्यक रूप से एक समान नहीं होते।

(ग) द्विपक्षीय कार्यनीतियां (i) सकल घरेलू उत्पाद की उच्च वृद्धि दर को प्राप्त करना और (ii) जनसंख्या वृद्धि दर में कमी लाना, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को सुनिश्चित करेंगी।

विवरण-I

स्थिर (1993–94) के मूल्यों पर प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद

(रुपयों में)

क्र.सं.	राज्य	2000-01
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	9982
2.	अरुणाचल प्रदेश	9013
3.	असम	6157

1	2	3
4.	बिहार	3345
5.	झारखंड*	6651
6.	गोवा	उपलब्ध नहीं
7.	गुजरात	12975
8.	हरियाणा	14331
9.	हिमाचल प्रदेश	10942
10.	जम्मू–कश्मीर*	7435
11.	कर्नाटक	11910
12.	केरल	10712
13.	मध्य प्रदेश	7003
14.	छत्तीसगढ़*	6692
15.	महाराष्ट्र	15172
16.	मणिपुर	8745
17.	मेघालय	8460
18.	मिजोरम	उपलब्ध नहीं
19.	नागालैंड*	8726
20.	उड़ीसा	5187
21.	पंजाब	15390
22.	राजस्थान	7937
23.	सिक्किम*	9816
24.	तमिलनाडु	12779
25.	त्रिपुरा	6813
26.	उत्तर प्रदेश	5770
27.	उत्तरांचल	उपलब्ध नहीं
28.	पश्चिमी बंगाल	9778
29.	अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह	उपलब्ध नहीं
30.	चंडीगढ़	29208
31.	दिल्ली	24450
32.	पांडिचेरी	18500
	अखिल भारत प्रति व्यक्ति एनएनपी	10254

स्रोत : क्रम सं. 1-32 के लिए संबंधित राज्य सरकारों के आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय और अखिल भारत के लिए केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन।

*प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 1999-2000 से संबंधित है।

विवरण-II

प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय

(अमरीकी डालरों में)

विकासशील देश	2001
कम आय वाले देश	430
भारत	460
चीन	890
श्रीलंका	830
पाकिस्तान	420
बांग्लादेश	370
नेपाल	250

स्रोत : विश्व विकास रिपोर्ट, 2003

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत कार्य की गुणवत्ता

2557. श्री जे. एस. बराड़ :

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को संसद सदस्यों से ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

के अंतर्गत जिला प्रमुखों द्वारा किए जा रहे कार्य की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में केन्द्रीय सतर्कता आयोग से सहायता मांगी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यह सुनिश्चित करने कि जारी की गई धनराशि संबंधित क्षेत्रों की विकास परियोजनाओं पर खर्च की जाए, के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकारों एवं जिला कलेक्टरों को समय-समय पर सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत क्रियान्वित कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास करने का परामर्श दिया जाता है। योजना के अंतर्गत जब भी किसी कार्य विशेष की खराब गुणवत्ता की शिकायत, सरकार, जिला कलेक्टर अथवा संबंधित राज्य सरकार के नोटिस में आती है, उनसे मामले की जांच करने तथा तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई करने का अनुरोध किया जाता है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सी.वी.सी.) से बिहार के शेखपुरा जिले में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना कार्यों की खराब गुणवत्ता की एक शिकायत की जांच करने का अनुरोध किया गया था। चूंकि राज्य-सरकारें केन्द्रीय सतर्कता आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती हैं, अतः केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने बिहार की राज्य सरकार से मामले की जांच करने तथा आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है।

(ङ) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के कार्यान्वयन का प्रबोधन जिला स्तर, राज्य स्तर और केन्द्रीय सरकार के स्तर पर किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधियों का उपयोग सांसदों की अनुशंसाओं पर तथा सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार विकासात्मक परियोजनाओं के लिए किया जाए।

एस्प्रिन का उपयोग

2558. श्री के. ई. कृष्णमूर्ति :
श्री दलपत सिंह परस्ते :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एस्प्रिन एनालजेसिक औषधि घातक साबित हुई है;

(ख) क्या भारत में इस औषधि की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की कोई योजना है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) एस्प्रिन (एसीटाइल सैलिसाइलिक एसिड) साधारण और कम दर्द, जलन और बुखार के उपचार के लिए दिया जाता है। यह माइकर्डियल इन्फ्रेकशन और ट्रान्साइन्ट इस्चेमिक एपिसोड के लिए रोगनिरोधक के रूप में भी उपयोग में लाया जाता है।

एस्प्रिन के डिब्बे पर यह चेतावनी लिखी जाती है-"विम्बाणु एवं रक्तस्राव संबंधी विकार वाले रोगियों और 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों में उपयोग के लिए नहीं।"

(ख) और (ग) जी, नहीं।

उड़ीसा में युवा और खेल कार्यक्रम

2559. श्री भर्तृहरि महताब : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में केन्द्र सरकार द्वारा उड़ीसा में युवा कार्यक्रम और खेलों के अंतर्गत मदवार अनुदान के रूप में प्रदत्त कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को स्वीकृति हेतु कोई खेल योजना भेजी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में निर्णय कब तक किए जाने की संभावना है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) केन्द्र सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान, युवा और खेल संबंधी कार्यक्रमों/योजनाओं के अंतर्गत, उड़ीसा को सहायता–अनुदान के रूप में प्रदान की गई राशि का ब्यौरा निम्नानुसार है :

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	कार्यक्रम/योजना का नाम	प्रदान की गई राशि		
		1999–2000	2000–2001	2001–2002
1.	राष्ट्रीय एकीकरण का विकास	7.63	4.30	3.04
2.	साहस का विकास	0.36	–	0.25
3.	राष्ट्रीय सेवा योजना	111.65	149.19	55.65
4.	नेहरू युवा केन्द्र संगठन	45.33	37.55	124.24
5.	युवा संबंधी गतिविधियों के विकास और प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता	4.20	5.45	2.47
6.	युवा छात्रावास	1.60	–	–
7.	भारतीय खेल प्राधिकरण	147.93	146.18	165.19
8.	खेल मैदानों के विकास और खेल उपस्करों की खरीद के लिए ग्रामीण स्कूलों को अनुदान	2.02	11.25	15.67
9.	विश्वविद्यालयों/कालेजों में खेलकूद का विकास	40.33	13.70	40.00

(ख) से (घ) उड़ीसा राज्य सरकार ने खेल अवस्थापना के सृजन हेतु अनुदानों की योजना के अंतर्गत, सहायता–अनुदान के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान, 30 प्रस्ताव भेजे थे जिनमें से 7 प्रस्ताव व्यवहार्य पाए गए थे और राशि स्वीकृत की गई थी। शेष प्रस्तावों में कमियां पाई गई थीं और केन्द्रीय सहायता के लिए उन पर विचार नहीं किया जा सका।

अंतर्देशीय जल परिवहन विकास परिषद्

2560. श्री टी. टी. वी. दिनाकरन : क्या **पोत परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंतर्देशीय जल परिवहन परिषद् की संरचना और कार्य क्या हैं;

(ख) परिषद् द्वारा अब तक क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(ग) आज तक कार्यान्वित की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरुनावुकरसर) : (क) अंतर्देशीय जल परिवहन विकास परिषद् के गठन और कार्य नीचे दिए गए हैं :

गठन :

अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन के विकास के लिए पोत परिवहन मंत्री की अध्यक्षता में 14.5.2001 को एक अंतर्देशीय जल परिवहन परिषद् गठित की गई थी, जिसमें 15 राज्यों (उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़) के अंतर्देशीय जल परिवहन के प्रभारी मंत्री सदस्य हैं।

कार्य :

विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं :

(i) जलमार्ग के समग्र विकास की स्थिति/प्रगति की देख–रेख करना और कार्गो एवं यात्री की भागीदारी में अ.ज.प. के हिस्से में सुधार लाना।

(ii) देश में जलमार्ग के समन्वित विकास और भविष्य का निर्धारण करना।

(iii) नीति संरचना की समीक्षा करना और परिवर्तन/संसोधन के लिए सिफारिश करना।

(iv) अ.ज.प. विकास के लिए निधियों की आवश्यकता की जांच करना और सुविधाजनक उपाय की सिफारिश करना।

(v) मल्टी मॉडल परिवहन के एकीकृत संघटक के रूप में अ.ज.प. के सतत विकास के लिए उपायों की सिफारिश करना।

(vi) अ.ज.प. के विकास से संबंधित कोई अन्य विषय, जो केन्द्र और राज्यों के लिए समान हित का है।

(ख) इसकी प्रथम बैठक में परिषद् द्वारा की गई सिफारिशें इस प्रकार हैं–

- अ.ज.प. से संबंधित विनियमों के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल के लिए अ.ज.प. कार्यक्रमों के विकास के लिए प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा अ.ज.प. निदेशालय/प्रभाग की स्थापना करना।
- अपने–अपने अंतर्देशीय जलमार्गों पर प्रत्येक राज्य द्वारा स्थिति पत्र तैयार करना, उसके विकास और राष्ट्रीय जलमार्गों से जोड़ने के लिए रणनीति बनाना, जहां ये विद्यमान हैं और एक विस्तृत योजना तैयार करना।
- नये राष्ट्रीय जलमार्गों की घोषणा करना जो देश में अ.ज.प. के विस्तार को ध्यान में रखते हुए व्यवहार्य हो सके और ऐसे जलमार्गों से लाभ उठाना।
- दसवीं योजना अवधि के भीतर 3 विद्यमान जलमार्गों में सभी आवश्यक सुविधाओं का प्रावधान जैसे कि आश्रित, फेयरवे, टर्मिनल, निश्चित और नियमित कार्गो सेवा कार्यक्रम सहित विश्वसनीय और पूरी अवधि के नौचालन, इन परियोजनाओं का औचित्य दसवीं योजना के दौरान वापसी की दर से निर्धारित नहीं किया जाएगा अपितु विकासात्मक कार्य–कलाप के रूप में आवश्यक संरचना तैयार करने की आवश्यकता द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
- अ.ज.प. के द्रुत विकास के लिए राज्यों द्वारा अपने–अपने बजट में सड़क और पर्यटन क्षेत्र के लिए एक निश्चित प्रतिशत उद्दिष्ट करना।
- आर्थिक क्रियाओं और रोजगार सृजन के लिए जलमार्गों के अनुरक्षण और विकास के लिए राज्यों द्वारा पंचायतों को विभिन्न सहायक कार्य–कलाप जैसे गाद हटाना, संबद्ध सड़कों का निर्माण, जेट्टी, देख–रेख वाले कार्य–कलाप करने के लिए शक्ति प्रदान करना।
- राज्यों को अ.ज.प. की कुछ स्थानीय आवश्यकताओं पर ध्यान रखने के लिए अनुमोदित विकास कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित भी करना चाहिए।
- परम्परागत, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व के स्थानों के आस–पास वाटरप्रूफ सहित पर्यटन संबंधित कार्यों का विकास।

दिनांक 18.10.2002 को आयोजित दूसरी बैठक में राज्यों द्वारा परिषद् को राष्ट्रीय जलमार्ग के विकास के लिए कृत कार्यवाही की जानकारी के अलावा जलमार्ग के विकास के लिए वर्ष के दौरान उनके द्वारा प्रस्तावित कार्यवाही की योजना के बारे में सूचित किया गया था।

(ग) केन्द्र सरकार ने केन्द्र प्रायोजित योजना के पैटर्न को बदल दिया है जिसमें अ.ज.प. क्षेत्र के लिए सिक्किम सहित उत्तर–पूर्वी राज्यों के लिए 100% अनुदान सहायता है और अन्य राज्यों के लिए 90% अनुदान सहायता है। राष्ट्रीय जलमार्ग के विकास के बारे में राज्यों और भा.अ.ज. के बेहतर तालमेल के लिए केरल, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में समन्वय समिति/टास्कफोर्स का गठन किया गया है। राष्ट्रीय जलमार्ग सं. 1 पर वाराणसी के आस–पास नदी क्रूज

सेवा प्रारंभ करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक फर्म के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया है।

कर्नाटक में अंतर्देशीय जलमार्गों का विकास

2561. श्री आर. एल. जालप्पा : क्या **पोत परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्देशीय जल परिवहन नौवहन सेवाओं में विस्तार की पेशकश के मद्देनजर कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार को विभिन्न नदियों पर लगभग 150 से 175 किलोमीटर के सात अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास हेतु प्रस्ताव दिया है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों के प्रस्तावों पर विचार किया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है; और

(ङ) इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु केन्द्र सरकार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु सहमत हो गई है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरुनावुकरसर) : (क) जी, हां।

(ख) कर्नाटक सरकार से उनकी 6 जलमार्ग प्रणाली, जिसमें निकर्षण, जेटि्टयों और व्हार्फ की बर्थिंग, ब्रेकवाटर, ड्रेजरों की अधिप्राप्ति आदि शामिल है, के विकास के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत ऋण के रूप में 50% की वित्तीय सहायता के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुए थे।

(ग) से (ङ) ये केवल प्रारंभिक प्रस्ताव थे और इन्हें सरकार द्वारा परिचालित केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम से संबंधित मार्ग निर्देशों के आधार पर तैयार नहीं किया गया था। इन्हें पुनः प्रस्तुत करने के लिए कर्नाटक सरकार को लौटा दिया गया है।

उच्च विकिरण स्तर के कारण मौतें

2562. श्री अधीर चौधरी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उच्च विकिरण के कारण पोखरन के आस-पास के गांवों में पशु मौतों की खबरों से इनकार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) चूंकि पोखरण में और उसके आसपास के क्षेत्र में पृष्ठभौमिक विकिरण स्तरों में कोई वृद्धि नहीं हुई है, इसलिए विकिरण के कारण पशुओं की मृत्यु होना तो दूर की बात है, उनके स्वास्थ्य पर भी किसी प्रतिकूल प्रभाव के पड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता है। इसके अलावा, सरकार का पोखरण में किए गए परमाणु परीक्षणों के बाद विकिरण के उच्च स्तर की वजह से पोखरण में और उसके आसपास के गांवों में पशुओं की मृत्यु के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त, पर्यावरण की निगरानी करने के बाद इस बात की पुष्टि हुई है कि पृष्ठभौमिक विकिरण स्तरों में ऐसी कोई वृद्धि नहीं हुई है जिससे इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों और पशुओं के स्वास्थ्य को कोई खतरा हो।

[हिन्दी]

समुदाय सूचना केन्द्र

2563. श्री नवल किशोर राय :
श्री सुशील कुमार इन्दौरा :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में सूचना प्रौद्योगिकी के विस्तार हेतु समुदाय सूचना केन्द्रों की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो मार्च, 2002 के अंत तक देश में राज्यवार कुल कितने केन्द्रों को स्थापित किया गया है;

(ग) इस पर किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है; और

(घ) वर्ष 2002-2003 के दौरान किन-किन राज्यों में ऐसे केन्द्रों की स्थापना की जानी है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान) : (क) से (घ) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम तथा त्रिपुरा राज्यों के 487 ब्लॉक मुख्यालयों में सामुदायिक सूचना केन्द्र (सीआईसी) स्थापित करने के लिए एक परियोजना कार्यान्वित कर रहा है ताकि इस क्षेत्र के सामाजिक–आर्थिक विकास को तीव्र करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग को बढ़ावा दिया जा सके। मार्च, 2002 तक 30 केन्द्र स्थापित किए गए हैं। अब तक इसमें 445 केन्द्र शामिल किए गए हैं।

अब तक कुल 99.35 करोड़ रुपए (जिसमें प्रायोगिक परियोजना के लिए 14 करोड़ रुपए शामिल हैं) जारी किए गए हैं।

इस परियोजना में देश के अन्य राज्यों में इन सुविधाओं के प्रावधान की परिकल्पना नहीं की गई है।

[अनुवाद]

भारत-जापान संधि

2564. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और जापान आर्थिक और अन्य क्षेत्रों में विस्तार हेतु सहमत हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हमारे प्रधान मंत्री इस वर्ष जापान के प्रधान मंत्री के न्यूयार्क दौरे के दौरान उनसे मिले थे;

(घ) यदि हां, तो क्या दोनों प्रधान मंत्रियों द्वारा लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु जापान से किसी प्रतिनिधिमंडल ने देश का दौरा किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) दिसम्बर, 2001 में प्रधान मंत्री की जापान यात्रा के दौरान द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता को सुविधाजनक बनाने के लिए उच्च स्तरों पर विचारों के नियमित आदान–प्रदान करने की सहमति व्यक्त की गई है। द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए गहन आर्थिक संबंधों को महत्वपूर्ण धुरी माना जा रहा है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी वे क्षेत्र हैं जहां दोनों देशों के बीच असाधारण रूप से मजबूत सम्पूरक संभावनाएं हैं। समेकित सुरक्षा वार्ता तथा सैन्य से सैन्य परामर्श वार्षिक रूप से आयोजित किए जाते हैं। और समेकित सुरक्षा वार्ता में आतंकवाद विरोधी कार्यवाही पर वार्ता आयोजित की जाती है। प्रधान मंत्री की यात्रा से पूर्व जापान ने अक्तूबर, 2001 में भारत पर मई 1998 में लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध एकतरफा हटा लिए। भारत–जापान राजनयिक संबंधों की 50वीं सालगिरह को मनाने की सहमति व्यक्त की गई।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) दिसंबर 2001 से भारत की यात्रा पर आने वाले जापानी प्रतिनिधिमंडलों में निम्नलिखित शामिल हैं–

(i) दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग के अध्ययन और समीक्षा हेतु मार्च, सितम्बर और अक्तूबर 2002 में तीन प्रतिनिधिमंडल। वित्त मंत्रालय द्वारा विकास परियोजनाओं के लिए जापानी सहायता हेतु नए परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं।

(ii) गंगा नदी के शोधन हेतु परियोजनाओं के लिए जापान के सहायता प्रस्ताव के संबंध में मार्च और सितम्बर–अक्तूबर, 2002 में दो मिशन। गंगा नदी के लिए जल गुणवत्ता प्रबंधन योजना पर अध्ययन हेतु कार्य की संभावना पर हस्ताक्षर हुए।

(iii) प्रधान मंत्री कोईजूमी के विशेषदूत के तौर पर अक्तूबर, 2002 में पूर्व जापानी प्रधान मंत्री योशिशे मोरी।

[हिन्दी]

स्वच्छ पेयजल और सफाई का कार्यान्वयन

2565. श्री पी. आर. खूंटे : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1993 के दौरान सरकार द्वारा कार्यान्वित राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में स्वच्छ पेयजल सफाई, टीकाकरण और उपयुक्तता जैसी स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करने के उपाय शामिल किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार को इन उपायों के कार्यान्वयन में किस सीमा तक सफलता हासिल हुई है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई मूल्यांकन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (घ) 1983 में सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में अन्य बातों के साथ-साथ जल आपूर्ति, सफाई और रोग प्रतिरक्षण सहित सुधरी हुई स्वास्थ्य परिचर्या के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण निवेशों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। चूंकि जल आपूर्ति और सफाई राज्य के विषय हैं, इसलिए इन सुविधाओं के लिए योजना बनाने, उसकी तैयारी करने, निष्पादित करने, चलाने और इनका रख-रखाव राज्य योजना संसाधनों से करना प्राथमिक तौर पर राज्य सरकारों/शहरी स्थानीय निकायों का उत्तरदायित्व है। तथापि, जल आपूर्ति सुविधाएं, प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा करने के लिए तीव्रीकृत शहरी और ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जा रहा है। एक केन्द्रीय प्रायोजित कम लागत वाली सफाई योजना को भी कार्यान्वित किया जा रहा है।

व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत वैक्सीन से रोके जा सकने वाले बाल्यावस्था के रोगों नामतः डिप्थीरिया, कुकुरखांसी, नवजात टेटनस, पोलियो, बाल्यावस्था क्षयरोग और खसरे के निवारण हेतु रोग प्रतिरक्षण दिया जाता है। व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम के कार्यान्वयन से बाल्यावस्था रोगों में कमी हो रही है।

जीवन प्रत्याशा में वृद्धि, शिशु मृत्यु-दर, जन्म और मृत्यु-दरों में कमी और रोगों में कमी के संदर्भ में जानपदिक रोग विज्ञानीय परिवर्तनों जैसे सुधरे हुए स्वास्थ्य परिचर्या सूचकों से पता चला है कि सरकार द्वारा सृजित स्वास्थ्य परिचर्या संबंधी बुनियादी ढांचे ने लोगों की अच्छी सेवा की है।

[अनुवाद]

राजधानी में नए चिकित्सालय

2566. श्री अनन्त नायक :
श्री रामानंद सिंह :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का वर्ष 2002-2003 और 2003-2004 के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 'एम्स' और डा. राम मनोहर लोहिया चिकित्सालय के विकल्प के रूप में कुछ नए चिकित्सालय खोलने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन नए चिकित्सालयों की स्थापना के लिए स्थानों की पहचान कर ली गई है; और

(घ) इन चिकित्सालयों में उपलब्ध कराए जाने वाली सुविधाओं का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

'एड्स' हेतु टीका

2567. श्री पी. आर. किन्डिया :
श्री ए. पी. जितेन्द्र रेड्डी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों ने देश में 'एड्स'/एच.आई.वी. के लिए प्रभावी टीके का विकास कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में उक्त अनुसंधान हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार ऐसे अनुसंधान कार्यों हेतु धन आवंटन बढ़ाने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या 'एड्स' के टीके के लिए अंतरराष्ट्रीय पेटेंट को प्राप्त कर लिया गया है;

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ज) सरकार द्वारा 'एड्स' के टीके के लिए अंतरराष्ट्रीय पेटेंट प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया में शीघ्रता हेतु क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (ज) जी, नहीं। तथापि, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने सूचित किया है कि राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला, पुणे के वैज्ञानिकों ने एल्काटोथरमोफिलिक बेसिलस जाति से जीव–विज्ञानी तौर पर उत्पन्न एक अणु जिसमें एच आई वी–1 प्रोटीज होते हैं, पृथक् किया है जो एड्स फैलाने वाले वायरस के गुणात्मक वृद्धि के लिए उत्तरदायी एंजाइम है। यह कोई वैक्सीन नहीं है बल्कि एक इनहेवीटर है। यह अणु एक पृथक् ताकतवर माइक्रोब है, जो उच्च तापमान और एल्कालाइन स्थितियों में फलता–फूलता है।

पृथक् किए गए इनहेवीटर में एक एमिनो एसिड क्रम होता है जो मौजूदा पेप्टीडिक इनहेवीटरस में कोई समानता नहीं दर्शाता और इनहेवीटरस के उत्तेजक नए वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने इस खोज पर एक विदेशी पेटेंट आवेदन प्रस्तुत किया है।

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने आगे ओर सूचित किया है कि यह कार्य टेस्ट ट्यूब स्तर अर्थात् प्रयोगशाला में इन–विटरों स्थितियों में किया गया है। नतीजों के आधार पर वित्तीय संसाधन निर्धारित किए जाएंगे।

[हिन्दी]

बाल और महिला स्वास्थ्य परिचर्या कार्यक्रम

2568. श्री वाई. जी. महाजन :
श्री चिन्मयानन्द स्वामी :
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा देश में पिछले तीन वर्षों से कई महिला और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इन कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में कितनी राशि व्यय की गई है;

(घ) क्या सरकार का दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस संबंध में कोई योजना आरम्भ करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (ङ) मातृ एवं शिशु मृत्यु दर व रुग्णता दर में कमी लाने के लिए प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत कई स्कीमें शुरू की गई हैं जिनमें अनिवार्य प्रसूति परिचर्या का प्रावधान, विशेषज्ञों द्वारा दी जाने वाली परिचर्या तक पहुंच, औषधों एवं उपकरणों का प्रावधान, रेफरल परिवहन, सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण, प्रशिक्षण, टीके द्वारा रोकने योग्य छह रोगों के प्रति प्रतिरक्षण सेवाएं, नवजात परिचर्या और अतिसार संबंधी रोग तथा अति श्वसन संक्रमण आदि शामिल हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाने के लिए कुछ नई पहलें की गई हैं अर्थात् 17 राज्यों के 142 जिलों में, जहां सुरक्षित प्रसूति दर 30 प्रतिशत से कम है, दाइयों को प्रशिक्षण देना, 178 अल्पसेवित जिलों में प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य शिविर आयोजित करना, कम कार्य निष्पादन वाले राज्यों के 201 जिलों में आउटरीच सेवाएं उपलब्ध कराना, राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना, जिसके अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली 19 वर्ष की आयु से ऊपर की गर्भवती महिलाओं को 500 रुपये दिए जाते हैं आदि। इसके साथ ही, सुरक्षित गर्भपात सेवाओं के लिए 8 राज्यों के 16 जिलों में हाल ही में मैनुअल वेक्यूम एसपायरशन हेतु एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की गई है और हेपेटाइटिस 'बी' के प्रति 15 महानगरों/शहरों में रोग प्रतिरक्षण प्रायोगिक आधार पर शुरू किया गया है। इन पहलों के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी धन का राज्यवार ब्यौरा संगलग्न विवरण–I और II में दिया गया है।

विवरण-I

स्कीमों के लिए राज्यवार रिलीज किया गया वित्त

(लाख रुपये)

क्र.सं.	राज्य	दाइयों का प्रशिक्षण				प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य शिविर				प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य आउटरीच सेवाएं				राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना		
		1999–2000	2000–2001	2001–2002	कुल	1999–2000	2000–2001	2001–2002	कुल	1999–2000	2000–2001	2001–2002	कुल	1999–2000	2000–2001	2001–2002
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	आंध्र प्रदेश		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	10.56	10.56			1882.12
2.	अरुणाचल प्रदेश		33.05	0.00	33.05		10.00	18.00	28.00		0.00	5.28	5.28			21.39
3.	असम		40.39	0.00	40.39		25.00	48.00	73.00		15.84	26.40	42.24			241.33
4.	बिहार		117.50	0.00	117.50		80.00	0.00	80.00		42.24	47.52	89.76			301.74
5.	छत्तीसगढ़		0.00	0.00	0.00		20.00	36.00	56.00		0.00	21.12	21.12			83.15
6.	गोवा		0.00	0.00	0.00		0.00	6.00	6.00		0.00	5.28	5.28			6.00
7.	गुजरात		3.67	13.50	17.17		0.00	18.00	18.00		15.84	31.68	47.52			69.42
8.	हरियाणा		0.00	0.00	0.00		20.00	36.00	56.00		0.00	10.56	10.56			32.61
9.	हिमाचल प्रदेश		0.00	0.00	0.00		0.00	18.00	18.00		0.00	5.28	5.28			8.40
10.	जम्मू–कश्मीर		7.34	35.80	44.14		0.00	48.00	48.00		0.00	10.56	10.56			34.59
11.	झारखंड		0.00	0.00	0.00		30.00	66.00	96.00		0.00	21.12	21.12			154.75
12.	कर्नाटक		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	10.56	10.56			425.11
13.	केरल		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	10.56	10.56			96.90
14.	मध्य प्रदेश		66.10	0.00	66.10		25.00	60.00	85.00		58.08	52.80	110.88			543.84
15.	महाराष्ट्र		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	10.56	10.56			327.56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16.	मणिपुर		11.02	0.00	11.02		10.00	18.00	28.00		0.00	5.28	5.28			38.62
17.	मेघालय		11.02	0.00	11.02		10.00	18.00	28.00		0.00	5.28	5.28			31.92
18.	मिजोरम		3.67	0.00	3.67		5.00	12.00	17.00		0.00	5.28	5.28			16.88
19.	नागालैंड		11.02	0.00	11.02		5.00	12.00	17.00		0.00	5.28	5.28			31.51
20.	उड़ीसा		51.42	0.00	51.41		35.00	66.00	101.00		26.40	36.96	63.36			601.92
21.	पंजाब		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	10.56	10.56			52.52
22.	राजस्थान		22.03	0.00	22.03		55.00	96.00	151.00		26.40	36.96	63.36			100.61
23.	सिक्किम		11.02	0.00	11.02		5.00	12.00	17.00		0.00	5.28	5.28			8.84
24.	तमिलनाडु		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	15.84	15.84			843.90
25.	त्रिपुरा		0.00	0.00	0.00		5.00	12.00	17.00		0.00	5.28	5.28			57.35
26.	उत्तरांचल		0.00	0.00	0.00		10.00	24.00	34.00		0.00	15.84	15.84			63.29
27.	उत्तर प्रदेश		121.18	0.00	121.18		160.00	288.00	448.00		63.36	84.48	147.84			1075.35
28.	पश्चिमी बंगाल		11.02	16.86	27.88		0.00	18.00	18.00		15.84	21.12	36.96			364.75
29.	अ. और नि. द्वीपसमूह		0.00	1.75	1.75		0.00	6.00	6.00		0.00	0.00	0.00			3.00
30.	चंडीगढ़		0.00	0.00	0.00		0.00	6.00	6.00		0.00	0.00	0.00			3.00
31.	दादरा और नागर हवेली		0.00	0.00	0.00		0.00	6.00	6.00		0.00	0.00	0.00			3.00
32.	दमन और दीव		0.00	0.00	0.00		0.00	6.00	6.00		0.00	0.00	0.00			6.00
33.	दिल्ली		0.00	0.00	0.00		0.00	6.00	6.00		0.00	0.00	0.00			3.00
34.	लक्षद्वीप		0.00	0.00	0.00		0.00	6.00	6.00		0.00	0.00	0.00			2.95
35.	पांडिचेरी		0.00	0.00	0.00		0.00	6.00	6.00		0.00	0.00	0.00			2.69
	कुल	0.00	521.44	68.91	590.35	0.00	510.00	972.00	1482.00	0.00	264.00	533.28	797.28	0.00	0.00	7540.01

विवरण-II

क्र.सं.	शहर	राज्य	राशि (रुपये में)
1.	दिल्ली	दिल्ली	365700
2.	लखनऊ	उत्तर प्रदेश	251850
3.	पुणे	महाराष्ट्र	185092
4.	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	228390
5.	चेन्नई	तमिलनाडु	489210
6.	बंगलौर	कर्नाटक	407100
7.	जयपुर	राजस्थान	83490
8.	अहमदाबाद	गुजरात	187680
9.	बड़ौदा	गुजरात	73485
10.	मुम्बई	महाराष्ट्र	1112625
11.	भोपाल	मध्य प्रदेश	251850
12.	इंदौर	मध्य प्रदेश	164738
13.	कोलकाता	पश्चिमी बंगाल	365700
14.	पटना	बिहार	251850
15.	कानपुर	महाराष्ट्र	191475
	कुल		4610235

[अनुवाद]

सी.जी.एच.एस. में दवाइयों के मांग पत्र

2569. श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सी.जी.एच.एस. के लाभार्थियों को दवाइयों की मांग हेतु अपने अस्पताल संबंधी बहिर रोगी विभाग के कार्डों को मूल रूप में जमा करना पड़ता है, जिसमें तीन से चार दिन लग जाते हैं;

(ख) क्या यह सच है कि दिल के रोगियों को आपातकाल में अपने चिकित्सकों को तीन से चार दिन की अवधि के दौरान बहिर रोगी विभाग कार्ड की आवश्यकता पड़ सकती है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे रोगियों को अपने मूल बहिर रोगी विभाग के कार्डों को जमा करने में छूट देने और ऐसे लोगों को अगले दिन दवाइयों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रस्तावित कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (ग) प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार लाभार्थियों को औषधों के इनडेंट के लिए अस्पताल के बहिरंग रोगी विभाग की पर्ची को जमा करना होता है।

सभी केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों को काफी औषधों की आपूर्ति करने के उपाय तैयार हैं, जो अधिकाधिक लाभार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे।

जो औषधें केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों में उपलब्ध नहीं होतीं उनके इनडेंट के संबंध में लाभार्थियों को भविष्य में बहिरंग रोगी विभाग का कार्ड जमा कराने की आवश्यकता नहीं होगी।

अंतरराष्ट्रीय निधियों का हिस्सा

2570. श्री वी. वेत्रिसेलवन : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने 'एड्स', मलेरिया और क्षयरोग जैसी बीमारियों से लड़ने के लिए अंतरराष्ट्रीय निधि से सर्वाधिक हिस्से की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त बीमारियों के लिए अंतरराष्ट्रीय निधि से प्राप्त वर्तमान अंश और व्यय कितना है; और

(घ) सरकार द्वारा भारत को और अंतरराष्ट्रीय निधि अंश देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, हमने एड्स, क्षयरोग और मलेरिया के बारे में भारत में रोग की व्यापकता का उल्लेख किया है और इन क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए आवंटनों का आग्रह किया है।

(ग) अंतरराष्ट्रीय निधि से सहायता के प्रथम दौर में भारत को क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के लिए कुल 8.783 मिलियन अमरीकी डालर की राशि मंजूर की गई है। कुल मंजूर राशि में से 8.59 मिलियन अमरीकी डालर भारत सरकार के प्रस्ताव

के संबंध में स्वीकृत किए गए हैं और शेष 0.193 मिलियन अमरीकी डालर एक गैर–सरकारी संगठन, अर्थात् आर.ई.ए.सी. एच. चेन्नई के लिए है। इन निधियों की अभी प्रतिक्षा है।

(घ) अंतरराष्ट्रीय निधि से सहायता के दूसरे दौर के लिए भारत ने सितम्बर, 2002 में 253.67 मिलियन अमरीकी डालर हेतु देश के समन्वित प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं।

[हिन्दी]

बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा सड़क निर्माण

2571. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :
श्री रामशकल :
श्री मानसिंह पटेल :
डा. मदन प्रसाद जायसवाल :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सड़क निर्माण क्षेत्र में कई विदेशी कंपनियां कार्यरत हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस क्षेत्र में निवेश हेतु इच्छुक विदेशी निवेशकों को कुछ रियायतें देने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) देश में विदेशी कंपनियों द्वारा निर्मित की जा रही सड़कों की राज्यवार लंबाई किलोमीटर में कितनी है;

(च) इस प्रयोजनार्थ कितनी राशि आवंटित की गई है;

(छ) समय–सारणी से पीछे बन रही परियोजनाएं कौन–कौन सी हैं;

(ज) इसमें विलंब के क्या कारण हैं; और

(झ) विलंब के कारण लागत में परियोजनावार कितनी वृद्धि हुई?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत 12 ठेके अनन्य रूप से विदेशी कंपनियों द्वारा तथा 35 ठेके भारतीय कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम भागीदारों के रूप में निष्पादित किए जा रहे हैं।

(ग) और (घ) विदेशी निवेशकों को सड़क क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी जाती है।

(ङ) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(च) इन परियोजनाओं के लिए ठेकों का कुल मूल्य लगभग 12,505 करोड़ रु. है।

(छ) 47 ठेकों, जिनमें विदेशी कंपनियां शामिल हैं, में से 16 ठेके नियत समय से पीछे चल रहे हैं।

(ज) भूमि अधिग्रहण, धीमी गति से सामग्री जुटाने, खनन समस्याओं, वृक्षों की कटाई, गुजरात में आए भूकम्प आदि से संबंधित समस्याओं के कारण ठेकों में विलंब होता है।

(झ) ये ठेके पूरा होने की विभिन्न अवस्थाओं में हैं और अनेक कंपनियां विलंब की भरपाई करने और समय पर परियोजनाओं को पूरा करने का प्रयास कर रही हैं। इसलिए, विलंब के कारण लागत में संभावित वृद्धि का आकलन कर पाना अभी संभव नहीं है।

विवरण

विदेशी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों, जिनमें विदेशी कंपनियां शामिल हैं, द्वारा निर्मित की जा रही सड़क की राज्यवार लंबाई

राज्य	लंबाई (कि.मी.)
1	2
आंध्र प्रदेश	575
बिहार	106
दिल्ली	13
गुजरात	266
झारखंड	79
कर्नाटक	298
महाराष्ट्र	29
उड़ीसा	221

1	2
पंजाब	22
राजस्थान	98
तमिलनाडु	93
उत्तर प्रदेश	404
पश्चिम बंगाल	243

[अनुवाद]

विश्व बैंक/एशियाई विकास बैंक द्वारा प्रदान की गई धनराशि का अन्यत्र प्रयोग

2572. श्री पी. एस. गढ़वी : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्गों/पुलों के निर्माण और अनुरक्षण/मरम्मत हेतु विश्व बैंक/एशियाई विकास बैंक और अन्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से कितनी राशि के ऋण और अग्रिम प्राप्त किए गए हैं;

(ख) क्या इन्हीं समी परियोजनाओं पर कुल ऋण राशि को व्यय किया गया था;

(ग) यदि नहीं, तो क्या कुछ अन्य प्रयोजनों हेतु ऐसे ऋणों और अग्रिमों का व्यय किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) राष्ट्रीय राजमार्ग–8 के सूरत–मनोर खंड (अर्थात् सूरत–मनोर टॉलवे परियोजना, गुजरात में 118.2 कि.मी. और महाराष्ट्र में 57.4 कि.मी.) के पुनरुद्धार और उसे चार लेन का बनाने के लिए अक्तूबर, 2000 में एशियाई विकास बैंक के साथ 180 मिलियन अमरीकी डालर के एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह कार्य चल रहा है।

(ख) जी, हां। यह ऋण राशि इसी परियोजना पर खर्च की जा रही है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

नई आयुर्वेदिक औषधियां

2573. डा. बलिराम :
श्री सईदुज्जमा :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा आयुर्वेदिक दवाइयों के लिए नई फार्मोकोपोइया स्वीकृत की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आयुर्वेदिक औषधियों को आरंभ करने के लिए परीक्षण आवश्यक है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे परीक्षणों की निगरानी और उन्हें स्वीकृति देने वाले प्राधिकरण कौन–कौन से हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) भारत सरकार ने आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया का प्रकाशन 3 खंडों में किया है, जिसमें पादपमूल की औषधियों पर 258 मोनोग्राफ हैं।

(ग) और (घ) शास्त्रीय ग्रंथों में यथा उल्लिखित औषधियां नैदानिक परीक्षण किए बिना आरंभ/विनिर्मित की जा सकती हैं।

कैंसर के इलाज हेतु सुविधाएं

2574. श्री नरेश पुगलिया :
श्री राधा मोहन सिंह :

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक वर्ष लगभग कैंसर के कितने मरीजों का इलाज किया जाता है;

(ख) क्या यह सच है कि प्रत्येक वर्ष कैंसर के लगभग 3 लाख मरीजों की मृत्यु हो जाती है;

(ग) क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों की राज्यवार संख्या कितनी है; और

(घ) देश में प्रत्येक राज्य में कैंसर इलाज के लिए उपलब्ध सरकारी चिकित्सालय कितने हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम के माध्यम से कैंसर की घटना–दर के बारे में सूचना उपलब्ध है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम के अंतर्गत सम्पूर्ण देश के लिए जनसंख्या आधारित कैंसर रजिस्ट्रियों के आंकड़ों के आधार पर वर्ष 2001 के नए रोगियों की संभावित संख्या 8.06 लाख थी। मुम्बई जनसंख्या आधारित कैंसर रजिस्ट्री में पाई गई कैंसर की मृत्यु–दर के आधार पर देश में कैंसर से होने वाली मौतों की अनुमानित संख्या लगभग 4.3 लाख प्रति वर्ष है।

(ग) मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों/संघ क्षेत्रों में 19 क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों को मान्यता दे दी है। इन क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों की एक सूची संलग्न विवरण में है।

(घ) इस सूचना को केन्द्रीय रूप से नहीं रखा जाता है। तथापि, सभी जिला अस्पताल कैंसर नियंत्रण कार्यकलापों में लगे हुए हैं।

विवरण

क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों की सूची

कमला नेहरू मेमोरियल हास्पिटल, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश

चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कोलकाता, पश्चिम बंगाल

किदवई मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑनकोलॉजी, बंगलौर, कर्नाटक

क्षेत्रीय कैंसर संस्थान (डब्ल्यू आई ए), अदयार, चेन्नई, तमिलनाडु

आचार्य हरिहर क्षेत्रीय कैंसर, सैंटर फार कैंसर रिसर्च एण्ड ट्रीटमेंट, कटक, उड़ीसा

क्षेत्रीय कैंसर कंट्रोल सोसायटी शिमला, हिमाचल प्रदेश

कैंसर हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश

इंडियन रोटरी कैंसर इंस्टीट्यूट, (ए.आई.आई.एम.एस.), नई दिल्ली

आर.एस.टी. हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, नागपुर, महाराष्ट्र

पं. जे.एन.एम. मेडिकल कालेज, रायपुर, छत्तीसगढ़

क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम

गुजरात कैंसर रिसर्च संस्थान, अहमदाबाद, गुजरात

एम एन जे ऑनकोलॉजी संस्थान, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश

पांडिचेरी क्षेत्रीय कैंसर सोसायटी, जिपमेर, पांडिचेरी

डा. बी.बी. कैंसर संस्थान, गुवाहाटी, असम

टाटा मेमोरियल हास्पिटल, मुम्बई, महाराष्ट्र

इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, पटना, बिहार

आचार्य तुलसी रीजनल कैंसर ट्रस्ट एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट (आर सी सी) बीकानेर, राजस्थान

रीजनल कैंसर सेंटर, पं. बी. डी. शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, रोहतक, हरियाणा।

सियांग नदी पर पुल

2575. श्री राजकुमार वांग्चा : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वर्गीय श्री राजीव गांधी द्वारा वर्ष 1988–89 में नींव रखे गए पालीघाट अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिला में राजनेघाट पर सियांग नदी पर पुल का निर्माण 1994 तक किया जाना था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी : (क) से (ग) पासीघाट के निकट राणेघाट में सियांग नदी पर सीमा सड़क संगठन द्वारा पुल का निर्माण किया जा रहा है। पुल की लंबाई 703.50 मीटर है। पुल को पूरा करने की मूल तिथि सितम्बर, 1991 थी। तथापि, कार्य निष्पादन के दौरान कुछ गंभीर तकनीकी समस्याओं के कारण इसको पूरा करने में विलंब हुआ है। कार्य प्रगति पर है और इसके मार्च, 2005 तक पूरा होने की संभावना है।

[हिन्दी]

इंटरनेट एक्सप्रेस सेवा योजना

2576. श्री राम सिंह कस्वां : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इंटरनेट सेवा योजना आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान) : (क) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) ने यह सेवा दिल्ली और मुंबई के लिए शुरू की है।

(ख) एमटीएलएल ने इंटरनेट एक्सप्रेस सेवा स्कीम 26 जनवरी, 2002 को दिल्ली और मुम्बई में एक साथ शुरू की है। शुरू में 100 दिन तक यह सेवा निशुल्क थी। दोनों स्थानों के लिए 10 पैसे प्रति मिनट की शुल्क दत्त सेवा 6 मई, 2002 से शुरू की गई।

इंटरनेट एक्सप्रेस सेवा डायल–अप आधार पर उपलब्ध है। इस सेवा को लॉग–ऑन करने के लिए प्रयोक्ता को प्रयोक्ता–आई डी के बतौर अपना टेलीफोन नंबर और पासवर्ड के रूप में कोई अल्फान्यूमेरिक स्ट्रिंग डालना पड़ता है।

(ग) इस स्कीम की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं :

1. प्रमाणीकरण टेलीफोन के कालिंग लाइन आइडेन्टिफिकेशन (सी एल आई) पर आधारित है।
2. यह सेवा एमटीएनएल के टेलीफोन प्रयोक्ताओं के लिए उपलब्ध है।
3. यह भुगतान बाद में करने वाली (पोस्ट–पेड) सेवा है और राजस्व की वसूली उपभोक्ताओं के टेलीफोन बिलों के माध्यम से की जाती है।
4. इंटरनेट एक्सप्रेस सेवा किसी भी एमटीएनएल टेलीफोन से किसी भी समय तत्काल प्राप्त को जा सकती है।
5. यह सेवा अत्यन्त सुविधाजनक है क्योंकि इसमें पंजीकरण की प्रक्रिया शामिल नहीं है।

[अनुवाद]

पारादीप पत्तन का आधुनिकीकरण

2577. श्री के. पी. सिंह देव : क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दसवीं योजना के दौरान परादीप पत्तन के विकास और आधुनिकीकरण हेतु किसी प्रस्ताव, यदि हो तो, पर विचार किया गया है; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरुनावुकरसर) : (क) और (ख) मैरीटाइम व्यवसाय की मांगों को पूरा करने के लिए मुख्य पत्तनों का विकास और आधुनिकीकरण एक सतत प्रक्रिया है। इसके लिए दसवीं पंचवर्षीय योजना में पारादीप पत्तन के लिए 222.70 करोड़ रु. की राशि के प्रस्ताव दिए गए हैं, जिसका विवरण इस प्रकार है :

क्र.सं.	परियोजना	राशि (करोड़ में)
(i)	यंत्रीकृत कोयला हैंडलिंग संयंत्र (बकाया स्कीम)	8.00
(ii)	चैनल को गहरा करना (इसका वित्त पोषण सहायता अनुदान के जरिए किया जाएगा)	99.99
(iii)	लौह अयस्क हैंडलिंग संयंत्र (आई ओ एच पी)	10.00
(iv)	व्हार्फ क्रेन का प्रतिस्थापन	12.00
(v)	लाइटरेज बर्थ का निर्माण	12.00
(vi)	ब्रेकवाटर का विस्तार	20.00
(vii)	तेल बर्थ का निर्माण (बकाया स्कीम)	21.96
(viii)	विद्युत वितरण का उन्नयन (बकाया स्कीम)	06.50
(ix)	पक्की सड़क का निर्माण (बकाया स्कीम) और	0.537
(x)	आधुनिक अग्निशमन प्रणाली का संस्थापन	06.00
(xi)	अन्य	20.88

उपरोक्त के अतिरिक्त, स्वच्छ माल (उर्वरक, अनाज, खाद्य तेल इत्यादि) के लिए बी ओ टी आधार पर बर्थों के निर्माण के लिए एक प्रस्ताव है जिसे निजी क्षेत्र के सहयोग से आरंभ किया जाएगा जिसकी अनुमानित लागत 100.00 करोड़ रु. बैठती है।

मेडिकल स्टोर डिपो

2578. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी :
श्री अमर राय प्रधान :

क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी प्रतिष्ठानों के लिए दवाइयों की खरीद हेतु सरकारी मेडिकल स्टोर डिपो का केन्द्रीयकरण किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली, कोलकाता और मुम्बई में मेडिकल स्टोर डिपो मांगकर्ताओं को दवाइयों की आपूर्ति करने में विफल रहे हैं और उन्होंने स्थानीय खरीद का सहारा लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकारी मेडिकल स्टोर डिपो द्वारा कितने मामलों में घटिया दवाएं खरीदी गईं और लाभार्थियों को जारी की गईं; और

(ङ) सरकार द्वारा सरकारी मेडिकल स्टोर डिपो के माध्यम से दवाओं की खरीद को सुचारु बनाने हेतु क्या कार्यवाही की गई/किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दिल्ली, कोलकाता और मुम्बई सहित सभी सरकारी चिकित्सा सामग्री भंडार डिपो सामान्य तथा स्वामित्व वाली दोनों प्रकार की औषधों की कीमतों को अंतिम रूप न मिल पाने के कारण इस वर्ष उनकी आपूर्ति नहीं कर पाए। सरकारी चिकित्सा सामग्री भंडार डिपो स्थानीय खरीद नहीं करते।

(घ) सरकारी चिकित्सा सामग्री भंडार डिपो द्वारा मानक से निम्न औषधें खरीदने का प्रश्न नहीं उठता। दवाइयों के प्रत्येक बैच की सरकार द्वारा अनुमोदन प्राप्त दो प्रयोगशालाओं जांच की जानी होती है तथा इनकी आपूर्ति संतोषजनक जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही स्वीकार की जाती है।

(ङ) सरकारी चिकित्सा सामग्री भंडार डिपो के माध्यम से औषधों की खरीद को सुचारु बनाने के लिए एक कार्रवाई योजना तैयार की जा रही है।

[हिन्दी]

प्रजनन और बाल स्वास्थ्य हेतु
विश्व बैंक सहायता

2579. श्री बृजलाल खाबरी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक का प्रस्ताव देश में प्रजनन और बाल स्वास्थ्य (आर सी एच) कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस कार्यक्रम के कारण जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित वर्ष 1997 में शुरू किया गया प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम इस समय कार्यान्वित किया जा रहा है। कार्यक्रम का प्रथम चरण मार्च, 2003 में समाप्त हो रहा है जिसको दिसम्बर, 2003 तक बढ़ाने की संभावना है। विश्व बैंक द्वारा इस कार्यक्रम के लिए उपलब्ध कराई गई सहायता का ब्यौरा इस प्रकार है :

वर्ष	उपलब्ध कराई गई निधि (रुपये करोड़ में)
1998–99	13.75
1999–00	171.55
2000–01	103.35
2001–02	327.36
2002–03 (अद्यतन)	110.00

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2003–08 की अवधि के दौरान प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अगले चरण हेतु सहायता प्राप्त करने के लिए विश्व बैंक से संपर्क किया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। पिछले वर्षों में जनसंख्या की स्वाभाविक वृद्धि में हुई कमी से देखा जा सकता है।

वर्ष	स्वाभावित वृद्धि पर प्रतिशत
1997	1.83
1998	1.75
1999	1.74
2000	1.73

स्रोत : नमूना पंजीकरण प्रणाली।

[अनुवाद]

भारतीय मिशनों में रिक्तियां

2580. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में अनेक भारतीय मिशनों में नियमित प्रमुख नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ये रिक्तियां कब से विद्यमान हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इन रिक्तियों को भरने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं। विदेश स्थित छह भारतीय मिशन ऐसे हैं, जहां इस समय कोई मिशन प्रमुख नहीं है। ये भारतीय मिशन हैं, सूडान, पाकिस्तान, कोरिया गणराज्य, मंगोलिया, इंडोनेशिया और सूरीनाम।

(ग) सूडान स्थित भारतीय मिशन में मिशन प्रमुख का पद 17 दिसम्बर, 2001 से पाकिस्तान में 25 दिसम्बर, 2001 से, कोरिया गणराज्य में 8 अगस्त, 2002 से, मंगोलिया में 16 अक्तूबर, 2002 से, इंडोनेशिया में 30 अक्तूबर, 2002 से और सूरीनाम में 8 नवम्बर, 2002 से रिक्त है।

(घ) सूडान, कोरिया गणराज्य और इंडोनेशिया स्थित मिशनों के लिए नए प्रमुख पहले ही नामित हो चुके हैं और कुछ आदेशात्मक औपचारिकताएं पूरी करने के पश्चात् शीघ्र ही वहां पहुंच जाएंगे। मंगोलिया और सूरीनाम स्थित मिशन प्रमुखों की नियुक्ति के संबंध में आवश्यक कार्रवाई हो रही है। 13 दिसमबर को संसद पर हुए हमले और सीमापार घुसपैठ तथा आतंकवाद के लिए पाकिस्तान द्वारा कोई प्रभावी कदम न उठाने के पश्चात्, सरकार ने पाकिस्तान से हाई कमिश्नर को वापिस बुला लिया है।

[हिन्दी]

जनसंख्या नियंत्रण

2581. श्री हरिभाऊ शंकर महाले :
श्री अखिलेश यादव :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अद्यतन जनगणना रिपोर्ट के अनुसार देश की जनसंख्या कितनी है;

(ख) पुरुषों और महिलाओं की राज्य–वार अलग–अलग जनसंख्या कितनी है; और

(ग) सरकार द्वारा देश में जनसंख्या नियंत्रण हेतु क्या ठोस उपाय किए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) जनगणना रिपोर्ट, 2001 के अनुसार देश की जनसंख्या 1027 मिलियन है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार पुरुषों और महिलाओं की राज्य–वार जनसंख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं/करने का प्रस्ताव किया है–

- प्रजनन और बाल स्वास्थ्य, जिसमें मातृ स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य और गर्भ निरोधन शामिल हैं, के लिए एक एकीकृत और समेकित कार्यक्रम कार्यान्वित किया गया है। सरकार ने फरवरी, 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को अपनाया है जिसमें परिवार नियोजन सेवाएं प्रदान करने में जनसमुदाय की भागीदारी से जनसंख्या स्थिरीकरण हासिल करने के लिए अंतर्क्षेत्रीय एजेंडे का प्रावधान है।
- राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य कार्मिक और गर्भनिरोधन की अपूरित आवश्यकताओं को पूरा करना, बुनियादी प्रजनन और बाल स्वास्थ्य परिचर्या हेतु एकीकृत सेवा प्रदान करना है।
- जनांकिकीय रूप से कमजोर आठ राज्यों में सेवाओं

की कवरेज और पहुंच बढ़ाने पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में एक शक्ति संपन्न कार्य दल गठित किया गया है।

- कार्यक्रम में पुरुष की भागीदारी बढ़ाने के लिए नो–स्केलपल वेसेक्टॉमी को प्रोत्साहित किया जाता है।

विवरण

भारत की जनसंख्या–राज्य/संघ क्षेत्र : 2001

भारत और राज्य/ संघ क्षेत्र	जनसंख्या		
	व्यक्ति	पुरुष	महिला
1	2	3	4
भारत	1,027,015,247	531,277,078	495,738,169
जम्मू–कश्मीर	10,069,917	5,300,574	4,769,343
हिमाचल प्रदेश	6,077,248	3,085,256	2,991,992
पंजाब	24,289,396	12,963,362	11,325,934
चंडीगढ़*	900,914	508,224	392,690
उत्तरांचल	8,479,562	4,316,401	4,163,161
हरियाणा	21,082,989	11,327,658	9,755,331
दिल्ली*	13,782,976	7,570,890	6,212,086
राजस्थान	56,473,122	29,381,657	27,091,465
उत्तर प्रदेश	166,052,859	87,466,301	78,586,558
बिहार	82,878,796	43,153,964	39,724,832
सिक्किम	540,493	288,217	252,276
अरुणाचल प्रदेश	1,091,117	573,951	517,166
नागालैंड	1,988,636	1,041,686	946,950
मणिपुर	2,388,634	1,207,338	1,181,296
मिजोरम	891,058	459,783	431,275
त्रिपुरा	3,191,168	1,636,138	1,555,030
मेघालय	2,306,069	1,67,840	1,138,229
असम	26,638,07	13,787,799	12,850,608
प. बंगाल	80,221,171	41,487,694	38,733,477
झारखंड	26,909,428	13,861,277	13,048,151
उड़ीसा	36,706,920	18,612,340	18,094,580
छत्तीसगढ़	20,795,956	10,452,426	10,343,530
मध्य प्रदेश	60,385,118	31,456,873	28,928,245
गुजरात	50,596,992	26,344,053	24,252,939
दमन एवं दीव*	158,059	92,478	65,581
दादरा और नागर हवेली	220,451	121,731	98,720
महाराष्ट्र	96,752,247	50,334,270	46,417,977
आंध्र प्रदेश	75,727,541	38,286,811	37,440,730
कर्नाटक	52,733,958	26,856,343	25,877,615
गोवा	1,343,998	685,617	658,381
लक्षद्वीप	60,595	31,118	29,477
केरल	31,838,619	15,468,664	16,369,955
तमिलनाडु	62,110,839	31,268,654	30,842,185
पांडिचेरी	973,829	486,705	487,124
अं. और नि. द्वीपसमूह	356,265	192,985	163,280

स्रोत : भारत के महापंजीयक, भारत की जनगणना, 2001 (अनंतिम योग)

[अनुवाद]

निर्यात हेतु भारती गोदी का उपयोग

2582. श्री के. येरननायडू : क्या **पोत परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से भारतीय निर्यातकों को चेन्नै स्थित भारती गोदी का स्थायी आधार

पर निर्यात उद्देश्यों के लिए उपयोग करने की अनुमति देने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया/लिए जाने का प्रस्ताव है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चु. तिरुनावुक्करसर) : (क) जी, हां। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से बैराइट के निर्यात के लिए चेन्नै पत्तन स्थित भारती गोदी को नियमित आधार पर उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया था।

(ख) चेन्नै पत्तन न्यास की भारती गोदी–II पर स्थित बर्थ लौह अयस्क के लिए समर्पित है जिसे लौह अयस्क की प्राप्ति, स्टेकिंग तथा निर्यात के लिए अपेक्षित सभी आधारभूत सुविधाओं सहित विकसित किया गया है। इस संयंत्र की परिकल्पित क्षमता 6 मिलियन मैट्रिक टन है जबकि प्रति वर्ष थ्रूपुट 6.8 मिलियन मैट्रिक टन है। चूंकि यह बर्थ लौह अयस्क के निर्यात के लिए भारी मांग को देखते हुए अयस्क के जलयानों से भरी रहती है, अतः इस बर्थ में अथवा स्टेकयार्ड में नियमित आधार पर किसी अन्य कार्गो को हैंडिल करने के लिए कोई अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध नहीं है। तथापि, बैराइट भीतरी बंदरगाह की अन्य बर्थों में हैंडिल किया जा रहा है।

ब्राजील में दूतावास परिसर का निर्माण

2583. श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्राजील में भारतीय दूतावास विभिन्न कार्यकर्त्ताओं के रहने के लिए आवास किराये पर लेता रहता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) दूतावास परिसर का कब तक निर्माण होने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार ने वैचारिक नक्शा तैयार करने और संरचना की अनुमानित लागत के निर्धारण सहित इस निर्माण परियोजना को समय पर करने के लिए कई बार कार्रवाई की थी। अपेक्षाकृत निम्न किराया संरचना की अपेक्षा ब्राजील में निर्माण की वर्तमान अत्यंत उच्च लागत के कारण परियोजना की आर्थिक व्यवहार्यता प्रमाणित नहीं की जा सकी थी। चूंकि अब निर्माण की लागत कम हो गई है और परियोजना आर्थिक रूप से व्यवहार्य हो गई है, परियोजना के लिए अपेक्षित योजना शुरू कर दी है। पूर्व निर्माण प्रक्रियाओं के पूरा होने और अपेक्षित प्रशासनिक / वित्तीय अनुमोदन लेने के पश्चात् वास्तविक निर्माण आरंभ होगा। सरकार की मंशा बिना कोई देर किए इस परियोजना को पूरी करने की है।

सांस्कृतिक केन्द्रों में रिक्तियां

2584. श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सांस्कृतिक केन्द्रों में बड़ी संख्या में पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) रिक्तियों के क्या कारण हैं; और

(घ) रिक्तियों को कब तक भरे जाने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) विदेशों में भारतीय सांस्कृतिक केन्द्रों में भारत स्थायी 32 पदों में से इस समय 3 पद रिक्त हैं। ये हैं भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र, अल्माटी (कजाकस्तान) के निदेशक, भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र, ताशकंद (उजबेकिस्तान) के कत्थक नृत्य अध्यापक तथा तबला अध्यापक।

(ग) ये रिक्तियां संबंधित अधिकारियों की अवधि पूरी होने की वजह से उत्पन्न हुईं।

(घ) इन रिक्तियों पर भर्ती की प्रक्रिया प्रगति पर है और इसके शीघ्र ही पूरा हो जाने की उम्मीद है।

सूचना प्रौद्योगिकी में निवेश

2585. श्री भीम दाहाल :
डा. वी. सरोजा :
श्री अधीर चौधरी :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 नवम्बर, 2002 के 'दि टाइम्स ऑफ इंडिया' में "गेट्स प्लेजेज रुपये 2000 करोड़

इन्वेस्टमेंट" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं; और

(ग) उन पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान) : (क) से (ग) प्रकाशित समाचार के अनुसार श्री गेट्स ने मुख्यतः सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण, सूचना प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम के विकास आदि में पूंजीनिवेश के लिए और भारत की शीर्ष सूचना प्रौद्योगिकी कम्पनियों के साथ संबंध स्थापित करने की घोषणा की है।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को माइक्रोसॉफ्ट से इस संबंध में कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

डाक विभाग द्वारा मजदूर संघों को मान्यता देना

2586. श्रीमती जयश्री बैनर्जी : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ मजदूर संघों को डाक विभाग द्वारा मान्यता दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उन मजदूर संघों, जिन्होंने सदस्यता सत्यापन के मामले में 15 प्रतिशत के न्यूनतम मानदंड को पूरा नहीं किया है, को भी मजदूर संघों के रूप में मान्यता दे दी गई है;

(घ) यदि हां, इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सदस्यता के 15 प्रतिशत के न्यूनतम मानदंड को पूरा करने के बावजूद भी आई.पी.एस.बी.सी. स्टॉफ एसोसिएशन को गत दो वर्षों से एक मजदूर संघ के रूप में मान्यता नहीं दी जा रही है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान) : (क) और (ख) डाक विभाग में केन्द्रीय सिविल सेवा (सेवा संघों को मान्यता) नियमावली, 1993 के निबंधनों के अनुसार 18 सेवा संघों/यूनियनों को मान्यता दी गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) डाक विभाग में सेवा संघों/यूनियनों को मान्यता 1996–97 की सदस्यता सत्यापन प्रक्रिया के आधार पर दी गई है जिसमें भारतीय डाक एसबीसीओ स्टाफ एसोसिएशन न्यूनतम 15 प्रतिशत सदस्यता प्राप्त करने में असफल रहा था। नवम्बर, 2000 में शुरू की गई सत्यापन प्रक्रिया के परिणाम अभी घोषित किए जाने हैं।

परिवार कल्याण कार्यक्रमों में आयुर्वेदिक चिकित्सक

2587. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रमों में आयुर्वेदिक चिकित्सकों की सेवाएं शामिल करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) जी, हां।

(ख) आयुर्वेदिक आधारभूत ढांचे वाले सात राज्यों (हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, झारखंड और राजस्थान) से भारतीय चिकित्सा पद्धति के चिकित्सा अधिकारियों को समुचित प्रशिक्षण प्रदान करने के बाद ऐसे दूरस्थ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में, जहां पर एलोपैथिक चिकित्सा अधिकारियों के पद खाली पड़े हैं, नियमित स्वास्थ्य सेवाओं के साथ–साथ प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य/परिवार कल्याण सेवाएं प्रदान करने हेतु तैनात करने का अनुरोध किया गया था।

सात राज्यों में से हिमाचल प्रदेश ने इस प्रस्ताव का अनुकूल उत्तर दिया है। इस राज्य ने जिले से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य स्तर तक भारतीय चिकित्सा पद्धति को शामिल किया है और विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों को प्रदान करने के लिए 661 आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्रों का चयन किया है जिसमें प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य/परिवार कल्याण भी शामिल हैं तथा राज्य के विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में एलोपैथिक चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों पर 80 आयुर्वेदिक डाक्टरों को तैनात किया है।

[अनुवाद]

कोषागार के कम्प्यूटरीकरण हेतु वित्तीय सहायता

2588. श्री सी. श्रीनिवासन :
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों ने अपने कोषागारों तथा उप–कोषागारों को वी–सेट्स के माध्यम से केन्द्रीय नेटवर्किंग संचार प्रणाली के साथ जोड़ने हेतु उनके कम्प्यूटरीकरण के लिए केन्द्र सरकार से वित्तीय सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्राप्त ऐसे प्रस्तावों का राज्यवार, वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय सहायता जारी करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान) : (क) से (ग) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (तत्कालीन सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय) को कोषागारों के कम्प्यूटरीकरण के लिए वर्ष 2000 में कर्नाटक सरकार से 47.407 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता के लिए एक परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुआ। कर्नाटक सरकार को ऐसे सहयोग के लिए उस समय विद्यमान मानदंडों के अनुसार प्रस्ताव पुनः तैयार करने की सलाह दी गई। उन्होंने अपना संशोधित प्रस्ताव नहीं पेश किया।

वित्त मंत्रालय ने ग्यारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों पर वर्ष 2000–01 से 2002–03 के दौरान कोषागारों सहित वित्तीय प्रशासन के लिए राज्यों को 200 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया है। राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र ने कोषागारों के लिए कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर समाधानों का विकास किया है जो ये विभिन्न राज्यों में कार्यान्वित कर रहे हैं। राज्य भी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र की नेटवर्कित संचार प्रणाली का कोषागारों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।

विवरण

ईएफसी द्वारा संस्तुत संवर्धन तथा विशेष समस्या अनुदान

पीटी सं. एवं एफटी लाख रुपये में

क्र.सं.	राज्य	ईएफसी		एसएलईसी		जारी किया गया			
		पीटी	एफटी	पीटी	एफटी	2000–01	2001–02	2002–03	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश		1800.00		1800.00	361.98	1438.02	0.00	1800.00
2.	अरुणाचल प्रदेश		100.00		0.00	10.06	39.94	50.00	100.00
3.	असम		300.00		300.00	30.17	119.83	150.00	300.00
4.	बिहार		404.00		0.00	40.62	363.38	0.00	404.00
5.	चंडीगढ़		315.00		315.00	63.34	94.16	157.50	315.00
6.	गोवा		100.00		100.00	20.11	79.89	0.00	100.00
7.	गुजरात		1700.00		0.00	170.94	1529.06	0.00	1700.00
8.	हरियाणा		600.00		600.00	60.33	539.67	0.00	600.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	हिमाचल प्रदेश		100.00		100.00	20.12	29.88	50.00	100.00
10.	जम्मू–कश्मीर		100.00		0.00	10.06	39.94	50.00	100.00
11.	झारखंड		196.00		0.00	19.71	78.29	98.00	196.00
12.	कर्नाटक		1600.00		1533.00	321.76	1278.24	0.00	1600.00
13.	केरल		1100.00		800.00	110.61	989.39	0.00	1100.00
14.	मध्य प्रदेश		885.00		885.00	88.99	796.01	0.00	885.00
15.	महाराष्ट्र		3000.00		0.00	301.65	2698.35	0.00	3000.00
16.	मणिपुर		100.00		0.00	10.06	39.94	50.00	100.00
17.	मेघालय		100.00		100.00	20.12	29.88	50.00	100.00
18.	मिजोरम		100.00		0.00	10.06	39.94	50.00	100.00
19.	नागालैंड		100.00		100.00	20.12	29.88	50.00	100.00
20.	उड़ीसा		400.00		400.00	40.22	359.78	0.00	400.00
21.	पंजाब		800.00		800.00	160.88	639.12	0.00	800.00
22.	राजस्थान		900.00		746.00	181.00	719.00	0.00	900.00
23.	सिक्किम		100.00		0.00	10.06	39.94	50.00	100.00
24.	तमिलनाडु		2000.00		0.00	201.10	1798.90	0.00	2000.00
25.	त्रिपुरा		100.00		100.00	10.06	39.94	50.00	100.00
26.	उत्तर प्रदेश		1518.00		611.00	152.64	1365.36	0.00	1518.00
27.	उत्तरांचल		282.00		0.00	28.36	112.64	141.00	282.00
28.	पश्चिम बंगाल		1200.00		0.00	120.66	1079.34	0.00	1200.00
	कुल	0.00	20000.00	0.00	9290.00	2595.79	16407.71	996.50	20000.00

अंतर्राष्ट्रीय लम्बी दूरी की सेवा हेतु निजी कंपनियां

2589. श्री मोहन रावले : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कौन–सी सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र की कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय लम्बी दूरी की सेवा (आई.एल.डी. एस.) प्रदान कर रही हैं;

(ख) क्या सरकार का और अधिक निजी कम्पनियों को अंतर्राष्ट्रीय लम्बी दूरी सेवा चलाने की अनुमति देने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) इस समय, निजी क्षेत्र की चार कम्पनियां हैं जो अंतर्राष्ट्रीय लम्बी दूरी सेवा प्रदान कर

रही हैं अर्थात् मै. भारती टेलीसोनिक लिमिटेड, मै. रिलायंस इन्फोकॉम लिमिटेड, मै. डाटा एक्सेस (इंडिया) लिमिटेड तथा मै. विदेश संचार निगम लिमिटेड। इस समय, सार्वजनिक क्षेत्र की कोई भी कम्पनी अंतर्राष्ट्रीय लम्बी दूरी सेवा प्रदान नहीं कर रही है।

(ख) और (ग) अंतर्राष्ट्रीय लम्बी दूरी सेवा संबंधी मार्ग-निर्देशों के अनुसार, सेवा प्रदान करने वाली कम्पनियों की संख्या के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं है।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण संबंधी विश्व बैंक की रिपोर्ट

2590. श्री ए. नरेन्द्र : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को और मजबूत बनाने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) से (ग) विश्व बैंक ने 'दूरसंचार क्षेत्र सुधार तकनीकी सहायता परियोजना' के लिए ऋण मंजूर किया है। इस परियोजना का एक संघटक भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) को सुदृढ़ बनाना है।

इस संघटक में परामर्शी अध्ययनों तथा प्रशिक्षणों के माध्यम से दूरसंचार क्षेत्र को विनियमित करने की 'ट्राई' की क्षमता बढ़ाने हेतु तकनीकी सहायता देना भी शामिल है। परामर्शी अध्ययनों में, विनियामक अवसंरचना के अंतर्गत प्राथमिकता वाले विनियामक मुद्दे, क्षेत्र उदारीकरण, लाइसेंसिंग तथा अंतःसंयोजन संबंधी मामले, विकास संबंधी नेटवर्क तथा सेवाएं, सेवा की गुणवत्ता और ग्राहक संतुष्टि तथा स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा विकसित करना शामिल होगा। 'ट्राई' ने इस कार्यक्रम के अंतर्गत पहले ही बहुत से परामर्श तथा प्रशिक्षण आरंभ कर दिए हैं।

[हिन्दी]

छत्रपति साहूजी मेडिकल कालेज हेतु सहायता

2591. श्री जय प्रकाश : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से लखनऊ में प्रस्तावित छत्रपति साहूजी महाराज मेडिकल विश्वविद्यालय के निर्माण हेतु सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया; और

(ग) सहायता के रूप में कितनी राशि दिए जाने का प्रस्ताव है और यह राशि कब तक जारी की जाएगी?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) इस बारे में उत्तर प्रदेश की माननीया मुख्य मंत्री से एक अनुरोध पत्र प्राप्त हुआ था।

(ख) और (ग) स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण, राज्य क्षेत्र में चिकित्सा विश्वविद्यालय अथवा ऐसे विश्वविद्यालय खोलने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की केन्द्र सरकार की कोई योजना नहीं है। यह स्थिति दिनांक 8.10.2002 के अ. शा. पत्रांक यू-12020/11/2002-एमई(पी.II) के द्वारा मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश को सूचित कर दी गई है।

[अनुवाद]

समतल तले वाली नौकाओं का आयात

2592. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या **पोत परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अंतर्देशीय जल परिवहन प्रणाली के संवर्धन हेतु बेल्जियम से समतल तले वाली नौकाओं का आयात करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दोनों देशों के बीच आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा इन नौकाओं के आयात पर कुल कितना व्यय किए जाने की संभावना है; और

(च) इन नौकाओं के कब तक पहुंचने की संभावना है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरुनावुकरसर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

परिवार कल्याण कार्यक्रमों के लक्ष्य

2593. श्री राजो सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान देश में परिवार कल्याण कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु राज्य–वार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या राज्य सरकारें लक्ष्य प्राप्त करने में सफल रही हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(घ) उनके मंत्रालय द्वारा दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ऋण के रूप में तथा अनुदान सहायता के रूप में प्रत्येक राज्य को कितनी निधियां आवंटित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) खर्च की गई निधियों और प्रत्येक राज्य सरकार के पास अप्रयुक्त पड़ी निधियों का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या उनके मंत्रालय ने देश में परिवार कल्याण कार्यक्रम की असफलता के कारणों की समीक्षा की है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है और समीक्षाओं पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (ग) मंत्रालय अप्रैल, 1996 से कोई लक्ष्य नियत नहीं करता है। नमूना पंजीयन पद्धति के अनुसार अशोधित जन्म दर, शिशु मृत्यु दर और कुल प्रजनन दर के अनुमान संलग्न विवरण–I में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) राज्य–वार आवंटन केवल वार्षिक योजनाओं के लिए ही किए जाते हैं। वार्षिक योजना 2002–03 के लिए जारी की गई नकद धनराशियों के लिए सहायतानुदान का राज्य–वार आवंटन संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

बुनियादी ढांचे इत्यादि के रख–रखाव के लिए राज्यों को जारी किया गया सहायतानुदान राज्यों के अनुरोध से कम पड़ता है और उसका पूरी तरह से उपयोग किया जाता है। वर्ष 1999–2002 के लिए राज्य–वार जारी धनराशि और अन्य कार्यक्रमों पर व्यय का ब्यौरा विवरण–III में दिया गया है।

(च) और (छ) प्रमुख राज्यों में दो राज्यों की कुल प्रजनन दर 2.1 से कम है और 7 राज्यों की यह दर 2.2 से 3.0 के बीच है जैसा कि संलग्न विवरण–I में देखा जा सकता है।

जनांकिकीय रूप से 8 राज्यों बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल में सेवाओं की कवरेज और पहुंचबाह्यता में सुधार लाने पर केन्द्रित रूप से ध्यान देने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में एक शक्ति–सम्पन्न कार्य दल का गठन किया गया है। इस दल की अब तक तीन बैठकें की जा चुकी हैं।

विवरण-I

अशोधित जन्म दर, शिशु जन्म दर एवं कुल प्रजननता दर

क्र.सं.	राज्य/संघ क्षेत्र	अ.ज.दर 2000	शि.ज.दर 2000	कु.ज.दर 1999
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	21.3	65	2.4
2.	असम	26.9	75	3.2
3.	बिहार	31.9	62	4.5
4.	गुजरात	25.2	62	3.0
5.	हरियाणा	26.9	67	3.2
6.	कर्नाटक	22.0	57	2.5
7.	केरल	17.9	14	1.8
8.	मध्य प्रदेश	31.4	87	3.9
9.	महाराष्ट्र	21.0	48.	2.5
10.	उड़ीसा	24.3	95	2.7
11.	पंजाब	21.6	52	2.5
12.	राजस्थान	31.4	79	4.2

1	2	3	4	5
13.	तमिलनाडु	19.3	51	2.0
14.	उत्तर प्रदेश	32.8	83	4.7
15.	प. बंगाल	20.7	51	2.4
16.	अरुणाचल प्रदेश	22.3	44	अनुपलब्ध
17.	छत्तीसगढ़	26.7	79	अनुपलब्ध
18.	दिल्ली	20.3	32	अनुपलब्ध
19.	गोवा	14.3	23	अनुपलब्ध
20.	हिमाचल प्रदेश	22.1	60	2.4
21.	जम्मू–कश्मीर	19.7	50	अनुपलब्ध
22.	झारखंड	26.5	70	अनुपलब्ध
23.	मणिपुर	18.3	23	अनुपलब्ध
24.	मेघालय	28.5	58	अनपुलब्ध
25.	मिजोरम	16.0	21	अनुपलब्ध
26.	नागालैंड	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
27.	सिक्किम	21.8	49.	अनपुलब्ध
28.	त्रिपुरा	16.5	41	अनपुलब्ध
29.	उत्तरांचल	20.2	50	अनुपलब्ध
30.	अं. और नि. द्वीपसमूह	19.1	23	अनुपलब्ध
31.	चंडीगढ़	17.5	28	अनपुलब्ध
32.	दादरा और नागर हवेली	34.9	58	अनुपलब्ध
33.	दमन और दीव	23.7	48	अनुपलब्ध
34.	लक्षद्वीप	26.1	27	अनुपलब्ध
35.	पांडिचेरी	17.8	23	अनुपलब्ध
	संपूर्ण भारत	25.8	68	3.2

स्रोत : नमूना पंजीकरण प्रणाली।

विवरण-II

वर्ष 2002–2003 के दौरान आधारभूत ढांचे के रखरखाव के लिए सहायता अनुदान का आवंटन

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य/संघ क्षेत्र का नाम	आवंटन
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	14154.00
2.	बिहार	12124.00
3.	छत्तीसगढ़	4541.00
4.	गोवा	260.00
5.	गुजरात	9606.00
6.	हरियाणा	3308.00
7.	हिमाचल प्रदेश	2767.00
8.	झारखंड	5420.00
9.	कर्नाटक	10885.00
10.	केरल	5964.00
11.	मध्य प्रदेश	11318.00
12.	महाराष्ट्र	14659.00
13.	उड़ीसा	6837.00
14.	पंजाब	4127.00
15.	राजस्थान	12206.00
16.	तमिलनाडु	11426.00
17.	उत्तर प्रदेश	23234.00
18.	उत्तरांचल	1911.00
19.	पश्चिमी बंगाल	10504.00
	कुल (अन्य राज्य)	165251.00
20.	जम्मू–कश्मीर	2290.00
	कुल (जम्मू–कश्मीर)	2290.00
	कुल (राज्य–एनईआर)	167541.00

1	2	3
1.	अरुणाचल प्रदेश	899.54
2.	असम	14712.72
3.	मणिपुर	1610.06
4.	मेघालय	1275.89
5.	मिजोरम	1117.20
6.	नागालैंड	1035.00
7.	त्रिपुरा	1624.90
	कुल (एनई राज्य)	22275.31
8	सिक्किम	567.25
	कुल (सिक्किम)	567.25
	कुल (एनई + सिक्किम)	22842.56
	कुल सभी राज्य	190383.56

1	2	3
	विधान परिषद वाले संघ क्षेत्र	
1.	दिल्ली	1763.60
2.	पांडिचेरी	536.00
	विधान परिषद रहित संघ क्षेत्र	
1.	अं. और नि. द्वीपसमूह	317.06
2.	दादरा और नागर हवेली	166.44
3.	चंडीगढ़	276.14
4.	लक्षद्वीप	29.98
5.	दमन और दीव	121.38
	कुल संघ क्षेत्र	3210.60
	कुल योग	193594.16

विवरण-III

वर्ष 1999–2000 से 2001–2002 तक की अवधि के लिए अन्य कार्यक्रमों (प्रजनन एवं बाल विकास, क्षेत्र परियोजनाएं, सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण तथा एन एम बी एस) हेतु राज्यवार रिलीजें तथा व्यय

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1999–2000		2000–2001		2001–2002	
		रिलीज	व्यय	रिलीज	व्यय	रिलीज	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	2402.51	2583.93	5747.89	3611.49	5388.93	3027.04
2.	अरुणाचल प्रदेश	169.62	254.15	192.40	141.37	177.87	176.42
3.	असम	3271.35	2700.78	2835.39	597.43	3157.98	4155.16
4.	बिहार	1468.37	1093.11	2798.06	1738.18	2042.09	101.57
5.	गोवा	53.16	44.80	24.45	37.75	40.71	11.16
6.	गुजरात	1304.61	867.70	1374.81	1349.09	7895.46	973.98
7.	हरियाणा	953.54	687.25	1727.14	1168.95	1316.67	818.89
8.	हिमाचल प्रदेश	443.04	340.03	459.28	518.65	315.45	156.61

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	जम्मू–कश्मीर	367.73	941.68	579.59	196.49	398.06	375.88
10.	कर्नाटक	1468.44	3333.47	5662.01	4034.95	6658.59	7151.12
11.	केरल	1072.51	658.04	1282.78	990.89	1326.13	1074.78
12.	मध्य प्रदेश	2639.83	2133.48	3791.78	1286.46	3005.87	1034.84
13.	महाराष्ट्र	1493.41	1789.59	1361.35	1164.99	3352.45	550.68
14.	मणिपुर	512.65	212.83	438.39	265.70	721.13	103.76
15.	मेघालय	124.25	102.93	86.98	79.68	187.20	97.33
16.	मिजोरम	582.73	498.78	750.86	659.43	771.55	714.79
17.	नागालैंड	165.63	195.36	168.81	119.42	178.45	188.42
18.	उड़ीसा	2023.84	947.51	1869.88	892.42	3250.79	922.60
19.	पंजाब	495.92	371.91	759.91	531.11	739.78	510.80
20.	राजस्थान	1851.72	1692.98	4918.98	2973.57	5557.01	4513.79
21.	सिक्किम	63.42	59.83	56.83	35.51	83.48	28.68
22.	तमिलनाडु	3621.13	3286.65	4238.56	922.73	2826.50	892.00
23.	त्रिपुरा	277.29	175.75	194.02	352.55	540.59	98.30
24.	उत्तर प्रदेश	4184.74	3000.42	5757.07	5675.09	9192.77	5139.95
25.	प. बंगाल	1529.01	3590.03	3941.70	3506.01	4033.46	3758.23
26.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	314.10	0.00	963.43	0.00
27.	झारखंड	0.00	0.00	37.00	0.00	620.43	0.00
28.	उत्तरांचल	0.00	0.00	208.59	0.00	490.38	8.77
	कुल (राज्य)	32540.45	31562.99	51028.92	32849.91	65233.21	36585.55
	विधान परिषद वाले संघ राज्य क्षेत्र						
1.	पांडिचेरी	59.78	55.34	34.29	35.03	35.35	40.80
2.	दिल्ली	1352.55	1424.41	2332.46	1920.53	1269.59	2257.88
	विधान परिषद रहित संघ राज्य क्षेत्र						
1.	अ. और नि. द्वीपसमूह	43.69	51.97	43.16	17.34	48.96	34.65

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	दादरा और नागर हवेली	36.86	13.86	14.31	16.64	26.43	8.14
3.	चंडीगढ़	48.30	27.17	124.43	25.68	32.70	15.07
4.	लक्षद्वीप	34.03	11.69	29.14	18.60	21.60	8.96
5.	दमन और दीव	37.33	31.39	11.15	13.13	20.74	7.53
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	1612.54	1615.83	2588.94	2046.95	1455.37	2373.03
	कुल योग	34152.99	33178.82	53617.86	34896.86	66688.58	38958.58

कॉर्निया की कमी

2594. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आंखों के आपरेशन हेतु कितने कॉर्निया की आवश्यकता है;

(ख) इस समय देश में कितने कॉर्निया उपलब्ध हैं;

(ग) सरकार द्वारा इस कमी को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) इनकी कमी के क्या कारण हैं; और

(ङ) वर्ष 2000 से आज तक राज्य–वार दान में कितने कॉर्निया प्राप्त हुए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) देश में आंखों के आपरेशन के लिए प्रतिवर्ष लगभग एक लाख कॉर्नियों की आवश्यकता होती है, जिसकी तुलना में देश के विभिन्न नेत्र बैंकों द्वारा प्रतिवर्ष लगभग 20,000 कार्निया एकत्र हो पा रहे हैं।

(ग) नेत्र दान के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए 25 अगस्त से 8 सितम्बर तक वार्षिक नेत्र दान पखवाड़ा तथा अस्पताल में कॉर्निया पुनर्स्थापन (रिट्रीवल) कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

(घ) दान की गई कॉर्नियों की कमी के कारण हैं :

1. कार्यात्मक नेत्र बैंकों की अपर्याप्त संख्या।
2. सामाजिक कारणों से दान किए गए नेत्रों की निम्न दर।
3. दान की गई आंखों का मौत के छह घंटे के भीतर एकत्र करने की आवश्यकता।

(ङ) वर्ष 2000 से दान में प्राप्त की गई कॉर्निया का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ क्षेत्र	2000	2001	2002 अनंतिम
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1306	1575	123
2.	अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह			
3.	अरुणाचल प्रदेश			
4.	असम	0	12	4
5.	बिहार	17	21	18
6.	चंडीगढ़	246	264	44
7.	छत्तीसगढ़			
8.	दादरा और नागर हवेली		0	
9.	दमन और दीव			
10.	दिल्ली	1040	1220	81
11.	गोवा			
12.	गुजरात	6078	5076	415
13.	हरियाणा	168	145	18

1	2	3	4	5
14.	हिमाचल प्रदेश			
15.	जम्मू–कश्मीर			
16.	झारखंड			
17.	कर्नाटक	874	1029	126
18.	केरल	264	430	291
19.	लक्षद्वीप			
20.	मध्य प्रदेश	408	233	86
21.	महाराष्ट्र	3628	3962	634
22.	मणिपुर			
23.	मेघालय			
24.	मिजोरम			
25.	नागालैंड			
26.	उड़ीसा	0	0	
27.	पांडिचेरी	71	92	12
28.	पंजाब	209	280	71
29.	राजस्थान	218	190	112
30.	सिक्किम			
31.	तमिलनाडु	3359	4440	1186
32.	त्रिपुरा			
33.	उत्तर प्रदेश	224	310	18
34.	उत्तरांचल			
35.	पश्चिमी बंगाल	531	615	85
	योग	18641	19894	3324

[अनुवाद]

दूरसंचार परियोजनाएं

2595. श्री अशोक ना. मोहोल :
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बिल्ट 'ओंड लीज ट्रांसफर' (बोल्ट) के अंतर्गत राज्य–वार कितनी दूरसंचार परियोजनाएं चलाई गई हैं;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान दूरसंचार क्षेत्र में 'बोल्ट' योजना के अंतर्गत कितना निवेश किया गया है;

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत चलाई गई परियोजनाओं का कार्य–निष्पादन कैसा रहा;

(घ) क्या दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दूरसंचार क्षेत्र में और अधिक निजी निवेश आमंत्रित करने हेतु कोई रणनीति तैयार की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) से (ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बोल्ट (बिल्ट ओंड लीज ट्रांसफर) स्कीम के अंतर्गत कोई परियोजना आरंभ नहीं की गई है।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 1994 (एनटीपी, 1994) की घोषणा के साथ देश में टेलीघनत्व में वृद्धि करने हेतु सरकार के प्रयासों में सहयोग देने के लिए टेलीफोन सेवाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति दी गई थी। नई दूरसंचार नीति, 1999 में सभी दूरसंचार सेवाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी का मार्ग प्रशस्त किया था। दूरसंचार क्षेत्र पर कार्य दल की रिपोर्ट के अनुसार, 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निजी क्षेत्र द्वारा 46,291 करोड़ रुपये के निवेश की परिकल्पना की गई है। 1 अप्रैल, 2002 से निजी क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवा खोलने के साथ अब दूरसंचार के सभी उप क्षेत्रों में निजी क्षेत्र के निवेश की अनुमति दे दी गई है।

वयस्कों के लिए टीके

2596. श्री अरूण कुमार : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या किसी विशेषज्ञ समिति ने वयस्कों के लिए भी हेपेटाइटिस बी, ए, टेटनस, टाइफाइड, इन्फ्लुएन्जा, न्यूमोकोक्कल, मेनिनगोकोक्कल और चेचक के टीकाकरण की सिफारिश की है;

(ख) क्या सरकार के पास वयस्कों के लिए टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन

2597. श्री हरिभाई चौधरी : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लगाए गए टेलीफोन अधिकांशतः खराब पड़े रहते हैं और उनके ठीक करने में महीनों लगते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार, विशेषकर गुजरात के संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन के सुगम कार्यकरण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

अमरीका में सामाजिक सुरक्षा कर

2598. श्री के. ई. कृष्णमूर्ति : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एच-1 बी वीजा पर अमरीका की यात्रा करने वालों पर लगाए जाने वाले सामाजिक सुरक्षा कर को समाप्त करने हेतु अमरीका के साथ प्रशासनिक प्रोटोकॉल के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके कब तक प्रभावी होने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) संयुक्त राज्य में अस्थायी कार्य वीजा पर कार्यरत भारतीय व्यावसायिकों द्वारा सामाजिक सुरक्षा के दोहरे भुगतान से परिहार के लिए हमने संयुक्त राज्य के साथ एक द्विपक्षीय राशिकरण करार सम्पन्न करने का प्रस्ताव रखा है। करार के प्रारूप पर अमरीका की सरकार की टिप्पणियां ली गई हैं। प्रस्तावित करार का ब्यौरा अभी निश्चित होना है। इस करार को सम्पन्न करने की अभी कोई तारीख नहीं बताई जा सकती।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर

2599. श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री कैलाश मेघवाल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग द्वारा कराए गए आंतरिक मूल्यांकन से यह स्पष्ट हुआ है कि देश के कुछ भागों में सूखे की स्थिति के कारण वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि का जो अनुमान लगाया गया है वह पहले के 6.5 प्रतिशत से घटकर 5.5 प्रतिशत हो सकती है;

(ख) क्या सरकार का ध्यान 10 अक्तूबर, 2002 के 'द हिन्दू' में 'यूएन प्रोजेक्ट्स लोवर इकोनामिक ग्रोथ फार इंडिया' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है जिसमें कहा गया है कि वर्तमान अकाल जैसी स्थिति और भारतीय सीमा पर तनाव के कारण वर्ष 2002 में आर्थिक वृद्धि की गति मंद रहेगी;

(ग) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) इस वर्ष सूखे से सकल घरेलू उत्पादन वृद्धि किस सीमा तक प्रभावित हुई है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने पर विचार किया जा रहा है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) योजना आयोग वार्षिक विकास दर का लक्ष्य निर्धारित नहीं करता।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) अनुमानों के आधार का आकलन करने के लिए पर्याप्त विवरण उपलब्ध नहीं है।

(ङ) इस प्रकार का आकलन करने के लिए पर्याप्त सूचना उपलब्ध नहीं है।

(च) प्रश्न नहीं उठता। तथापि, खरीफ के दौरान नष्ट हुई खाद्य और गैर-खाद्य दोनों फसलों के लिए एक आकस्मिक योजना बनाई गई है।

[हिन्दी]

दसवीं योजना के दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पीएचसी) खोला जाना

[हिन्दी]

2600. श्री पी. आर. खूंटे :
श्री पुन्नू लाल मोहले :
श्री ए. पी. जितेन्द्र रेड्डी :
श्री चिन्मयानन्द स्वामी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के मात्र दो प्रतिशत गांवों में ही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और अस्पताल की सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) नौवीं योजना के दौरान विभिन्न राज्यों में खोले जाने के लिए प्रस्तावित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का ब्यौरा क्या है और वास्तव में कितने केन्द्र खोले गए और 10वीं योजना में, राज्य-वार कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के खोले जाने की संभावना है;

(घ) क्या गांवों में अस्पतालों का अनुपात बढ़ाने के लिए कोई योजना बनाई गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) मौजूदा मानदंडों के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में 30,000 की जनसंख्या पर और पहाड़ी/आदिवासी/रेगिस्तानी/दुर्गम क्षेत्रों में 20,000 की जनसंख्या पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाता है। इस समय एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र औसतन लगभग 26.8 गांवों को कवर करता है। देश में 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार उपलब्ध प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र वर्ष 2001 की जनसंख्या के अनुसार 85 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या को कवर करता है।

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना तक 22,842 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले गए हैं। इनमें से 709 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान खोले गए थे। दसवीं योजना के दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का लक्ष्य संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) गांवों के लिए अस्पतालों का अनुपात बढ़ाने के लिए दसवीं पंचवर्षीय योजना में 2,573 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (30 बिस्तर वाले ग्रामीण अस्पताल) का लक्ष्य रखा गया है। दसवीं योजनावधि के दौरान खोले जाने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की राज्यवार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

लक्ष्य और उपलब्धियां

क्र.सं.	राज्य/संघ क्षेत्र	नौवीं योजना में प्रा.स्वा.के.		दसवीं योजना में प्रा.स्वा.के. खोलने के लक्ष्य	दसवीं योजना में सा.स्वा.के. खोलने के लक्ष्य
		लक्ष्य	उपलब्धि		
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	372	51	321	208
2.	अरुणाचल प्रदेश	*	20	*	*
3.	असम	107	0	116	81
4.	बिहार#	428	0	319	403
5.	छत्तीसगढ़			159	26
6.	गोवा	5	2	4	1
7.	गुजरात	68	58	27	15
8.	हरियाणा	16	4	13	39

1	2	3	4	5	6
9.	हिमाचल प्रदेश	*	42	*	*
10.	जम्मू–कश्मीर	*	2	*	*
11.	झारखंड			115	122
12.	कर्नाटक	*	75	*	19
13.	केरल	*	6	*	75
14.	मध्य प्रदेश#	206	0	123	100
15.	महाराष्ट्र	61	73	*	88
16.	मणिपुर	*	0	*	*
17.	मेघालय	*	4	*	6
18.	मिजोरम	*	0	*	*
19.	नागालैंड	21	13	8	5
20.	उड़ीसा	*	250	*	108
21.	पंजाब	*	0	*	14
22.	राजस्थान	*	58	*	49
23.	सिक्किम	*	0	*	
24.	तमिलनाडु	*	0	*	237
25.	त्रिपुरा	40	3	38	13
26.	उत्तरांचल			8	36
27.	उत्तर प्रदेश#	*	47	*	585
28.	प. बंगाल	170	0	464	332
29.	अ. और नि. द्वीपसमूह	*	1	*	2
30.	चंडीगढ़	2	0	2	0
31.	दादरा और नागर हवेली	1	0	1	1
32.	दमन और दीव	*	0	*	0
33.	दिल्ली	24	0	24	8
34.	लक्षद्वीप	*	0	*	*
35.	पांडिचेरी	*	0	*	*
	सम्पूर्ण भारत	1521	709	1742	2573

आंकड़े अनंतिम हैं

* = अधिक बुनियादी ढांचा

= राज्यों के पुनर्गठन के पूर्व के लक्ष्य।

[अनुवाद]

डाक सेवाएं

2601. श्री अनन्त नायक : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में राज्यवार, विशेषकर उड़ीसा में डाक नेटवर्क के विस्तार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान डाक क्षेत्र के लिए राज्यवार, विशेषकर उड़ीसा में शुरू किए गए विभिन्न विस्तार प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान) : (क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान डाक नेटवर्क के विस्तार के लिए उड़ीसा सहित देश में नए डाकघर और पंचायत सेवा केन्द्र खोलने संबंधी निर्धारित लक्ष्य और उपलब्धियों का राज्यवार ब्यौरा क्रमशः विवरण–I और II में दिया गया है।

(ख) डाक नेटवर्क के विस्तार के लक्ष्य पंचवर्षीय योजना के संबंधित वर्षों के दौरान निर्धारित किए जाते हैं। वर्ष 2002–2003 अर्थात् 10वीं पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष के दौरान उड़ीसा सहित देश में नए डाकघर और पंचायत संचार सेवा केन्द्र खोलकर डाक नेटवर्क के विस्तार से संबंधित प्रस्ताव का राज्यवार ब्यौरा विवरण–III में दिया गया है। नए डाकघर और पंचायत संचार सेवा केन्द्र खोलना निर्धारित मानदंडों के पूरा होने और अपेक्षित संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

विवरण-I

नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान खोले गए डाकघरों का राज्य वार विवरण

क्र.सं.	सर्किल	1997–98				1998–99				1999–2000				2000–2001				2001–2002			
		लक्ष्य		खोले गए		लक्ष्य		खोले गए		लक्ष्य		खोले गए		लक्ष्य		खोले गए		लक्ष्य		खोले गए	
		शा.डा.	उप.डा.	शा.डा.	उप.डा.	शा.डा.	उप.डा.	शा.डा.	उप.डा.	शा.डा.	उप.डा.	शा.डा.	उप.डा.	शा.डा.	उप.डा.	शा.डा.	उप.डा.	शा.डा.	उप.डा.	शा.डा.	उप.डा.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	आंध्र प्रदेश	10	2	10	3	10	2	10	2	15	2	4	3	15	1	6	2	15	शून्य	3	शून्य
2.	असम	25	2	18	3	54	5	54	5	50	4	24	7	30	3	30	3	35	2	35	2
3.	बिहार	40	5	31	4	72	2	72	2	50	3	51	शून्य	53	1	70	1	60	शून्य	38	शून्य
4.	छत्तीसगढ़													25	1	25	1	25	1	25	1
5.	दिल्ली	5	2	5	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	2	2	2	2
6.	गुजरात*	25	2	18	3	31	2	31	2	30	3	28	2	20	3	8	4	20	2	18	2
7.	हरियाणा	15	2	13	2	13	9	13	3	15	2	12	1	15	1	2	1	2	1	शून्य	1
8.	हिमाचल प्रदेश	10	2	4	शून्य	7	1	7	1	7	1	2	1	7	1	2	1	5	शून्य	5	शून्य
9.	जम्मू–कश्मीर	15	1	11	1	23	1	23	1	15	1	14	1	5	1	5	1	13	शून्य	13	शून्य
10.	झारखंड													2	1	शून्य	1	15	1	शून्य	1
11.	कर्नाटक	30	5	24	5	12	4	12	4	21	3	21	3	21	2	21	2	20	2	13	2
12.	केरल	10	2	7	1	12	3	12	3	4	2	4	2	4	1	4	1	2	1	2	1
13.	मध्य प्रदेश	37	2	41	2	50	5	50	5	40	4	40	4	15	3	15	3	21	3	21	3
14.	महाराष्ट्र**	35	3	34	4	69	3	69	3	50	2	50	3	60	7	60	7	65	9	65	10
15.	उत्तर पूर्व***	25	3	18	3	54	3	54	3	40	2	19	3	40	2	3	3	35	2	13	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
16.	उड़ीसा	27	2	21	3	10	2	10	2	14	2	14	2	10	2	10	2	14	2	14	2
17.	पंजाब$	17	2	12	2	12	2	12	2	10	1	9	1	14	3	12	2	6	8	6	8
18.	राजस्थान	33	2	33	1	30	1	30	1	27	2	24	1	20	2	20	2	20	4	20	4
19.	तमिलनाडु#	21	2	21	3	10	2	10	2	15	2	15	2	15	2	15	2	5	2	5	2
20.	उत्तर प्रदेश	70	6	57	6	82	3	82	3	50	3	10	2	44	1	45	शून्य	40	2	38	2
21.	उत्तरांचल													6	शून्य	6	1	25	1	15	1
22.	प. बंगाल	50	3	24	4	43	4	43	4	43	9	41	9	55	10	शून्य	10	55	5	54	5
	योग	500	50	402	52	598	50	598	50	500	50	386	49	500	50	363	52	500	50	405	51

*दमन और दीव सहित

**गोवा सहित

***मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय सहित

$संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़ सहित

#पांडिचेरी सहित

शा. डा. : शाखा डाकघर

उप. डा. : उप डाकघर

विवरण-II

नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पंचायत संचार सेवा केन्द्र खोलने से संबंधित आवंटित राज्यवार लक्ष्य और उपलब्धियां

क्र.सं.	सर्किल	1997–1998*	1998–1999		1999–2000		2000–2001		2001–2002	
			लक्ष्य	खोले गए	लक्ष्य	खोले गए	लक्ष्य	खोले गए	लक्ष्य	खोले गए
1.	आंध्र प्रदेश	शून्य	31	31	30	30	60	60	30	30
2.	असम	शून्य	शून्य	शून्य	5	5	40	21	135	135
3.	बिहार	शून्य	14	17	40	40	475	464	570	570
4.	छत्तीसगढ़				45	45	105	106	100	100
5.	दिल्ली		शून्य		शून्य		शून्य			शून्य
6.	गुजरात*	शून्य	20	20	35	38	60	68	50	50
7.	हरियाणा	शून्य	शून्य	शून्य	10	10	70	69	70	70
8.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	10	10	50	50	55	55
9.	जम्मू–कश्मीर		शून्य		शून्य		12	12	12	12
10.	झारखंड					4	105	77	55	72
11.	कर्नाटक	शून्य	शून्य	10	30	12	35	20	15	18
12.	केरल		शून्य		शून्य		शून्य			शून्य
13.	मध्य प्रदेश	शून्य	55	55	35	35	115	115	175	175
14.	महाराष्ट्र**	शून्य	10	10	60	62	195	208	150	150
15.	उत्तर पूर्व***	शून्य	शून्य	शून्य	5	5	58	47	100	118
16.	उड़ीसा	1	20	29	30	24	70	76	20	18
17.	पंजाब$	शून्य	5	5	20	20	45	44	25	26
18.	राजस्थान	शून्य	शून्य	शून्य	40	35	75	77	75	80
19.	तमिलनाडु #	शून्य	10	12	30	30	80	80	80	80
20.	उत्तर प्रदेश	शून्य	30	30	60	62	282	284	240	240
21.	उत्तरांचल				5	5	43	44	43	43
22.	प. बंगाल	शून्य	5	5	10	10	25	6	शून्य	शून्य
	योग	1	200	224	500	482	2000	1928	2000	2042

*दमन और दीव सहित **गोवा सहित

***मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय सहित

$संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़ सहित #पांडिचेरी सहित

विवरण-III

2002–2003 वर्ष के दौरान खोले जाने वाले डाकघर और पंचायत संचार सेवा केन्द्रों का राज्यवार लक्ष्य

क्र.सं.	सर्किल	शाखा डाकघर			विभागीय उप डाकघर			पं.सं.से.के.
		सामान्य	जनजातीय	कुल	सामान्य	जनजातीय	कुल	
1.	आंध्र प्रदेश	1	1	2	शून्य	शून्य	शून्य	30
2.	असम	12	3	15	1	शून्य	1	95
3.	बिहार	15	शून्य	15	शून्य	शून्य	शून्य	200
4.	छत्तीसगढ़	10	7	17	शून्य	1	1	100
5.	दिल्ली	शून्य	शून्य	शून्य	1	शून्य	1	शून्य
6.	गुजरात*	10	4	14	शून्य	शून्य	शून्य	55
7.	हरियाणा	शून्य	शून्य		1	शून्य	1	55
8.	हिमाचल प्रदेश	2	शून्य	2	शून्य	शून्य	शून्य	50
9.	जम्मू–कश्मीर	5	शून्य	5	शून्य	शून्य	शून्य	10
10.	झारखंड	5	5	10	शून्य	शून्य	शून्य	55
11.	कर्नाटक	5	4	9	1	शून्य	1	10
12.	केरल	2	शून्य	2	1	शून्य	1	शून्य
13.	मध्य प्रदेश	12	5	17	1	शून्य	1	140
14.	महाराष्ट्र**	25	5	30	4	1	5	150
15.	उत्तर पूर्व***	6	3	9	1	शून्य	1	50
16.	उड़ीसा	8	2	10	1	शून्य	1	20
17.	पंजाब$	5	शून्य	5	1	शून्य	1	30
18.	राजस्थान	14	4	18	1	1	2	75
19.	तमिलनाडु #	3	1	4	1	शून्य	1	75
20.	उत्तर प्रदेश	18	शून्य	18	1	शून्य	1	200
21.	उत्तरांचल	8	शून्य	8	शून्य	शून्य	शून्य	40
22.	प. बंगाल	29	10	39	4	1	5	55
	सिक्किम	1		1	1		1	5
	योग	196	54	250	21	4	25	1500

*दमन और दीव सहित **गोवा सहित

***मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय सहित

$संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ सहित #पांडिचेरी सहित

पं.सं.से.के. पंचायत संचार सेवा केन्द्र

[हिन्दी]

इंडिया पोस्ट

2602. श्री वाई जी. महाजन : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत डाक विभाग का नाम बदलकर 'इंडिया पोस्ट' किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार पुराने नाम को ही बनाए रखने हेतु प्रस्तावित परिवर्तन पर पुनः विचार करेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान) : (क) डाक विभाग का नाम बदलकर 'इंडिया पोस्ट' करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त 'क' को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

केन्द्रीय परियोजनाओं का क्रियान्वयन

2603. श्री वी. वेत्रिसेलवन :
श्री सुबोध मोहिते :
श्री ए. वेंकटेश नायक :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं के क्रियान्वयन में शीघ्रता करने के पैकेज के रूप में भूमि अर्जन अधिनियम को संशोधित करने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पुनर्वास पैकेज का मानकीकरण करने हेतु इसे पूरे देश में समान रूप से लागू करने का प्रस्ताव किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार परियोजनाओं को समय से पूरा करने हेतु वित्तीय प्रोत्साहन दे रही है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार परियोजनाओं के पूरा होने में आ रही बाधाओं को हल करने हेतु एक स्थायी समिति का गठन करने पर भी विचार कर रही है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल) : (क) और (ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने, विद्यमान प्रक्रिया का सरलीकरण करने, उसे सुप्रवाही बनाने, लागत वृद्धि को कम करने के लिए अधिग्रहण में तीव्रता लाने, पर्याप्त मुआवजा प्रदान करने, अवार्ड की पारदर्शिता और सप्रयोजनता सुनिश्चित करने एवं मुकदमेबाजी कम करने के उद्देश्य से भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 में संशोधन करने के लिए कदम उठाए हैं।

(ग) और (घ) जी, नहीं। तथापि, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों के पुनःस्थापन एवं पुनर्वास पर कानून बनाने का मूलभूत कार्य कर दिया है जो कि बड़ी परियोजनाओं के लिए लागू होंगे। इस विषय पर कुछ राज्यों के अपने कानून हैं। अतः पुनर्वास पैकेज के मानकीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) और (ज) जहां तक मंत्रालय के विभागों द्वारा कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं का संबंध है, उन परियोजनाओं को पूर्ण करने में आ रहे अवरोधों को दूर करने के लिए शक्ति प्रदत्त समितियों की प्रणाली बनाई गई है। केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की परियोजनाओं के कार्यान्वयन के अवरोधों को प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा तिमाही निष्पादन समीक्षा तंत्र से दूर किया जा सकता है।

परमाणु ऊर्जा का उत्पादन

2604. डा. वी. सरोजा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में परमाणु ऊर्जा का कुल कितना उत्पादन होता है;

(ख) पारम्परिक/अपारम्परिक ऊर्जा उत्पादन की तुलना में इसकी स्थिति क्या है; और

(ग) देश में परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) वित्त वर्ष 2001–2002 के दौरान देश में कुल 19,481 मिलियन यूनिट (एम यूज) परमाणु विद्युत का उत्पादन किया गया।

(ख) वित्त वर्ष 2001–2002 के दौरान देश में उत्पादित कुल बिजली में परमाणु ऊर्जा का अंश लगभग 3.7% था।

(ग) देश में परमाणु विद्युत उत्पादन की 2720 मेगावाट की मौजूदा क्षमता को, नौवीं योजना के अंत तक तारापुर परमाणु विद्युत संयंत्र (टी ए पी पी) 3 तथा 4 (2x540 मेगावाट), कैगा–3 (220 मेगावाट) कैगा–3 तथा 4 परियोजना के दो यूनिटों में से एक यूनिट, का निर्माण कार्य पूरा करके, 4020 मेगावाट तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। कैगा–4 (220 मेगावाट), राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना (आर ए पी पी) 5 तथा 6 (2x220 मेगावाट) और कुडनकुलम–1 तथा 2 (2x1000 मेगावाट) परियोजनाओं के बनकर पूरा होने के साथ दिसम्बर, 2008 तक परमाणु विद्युत उत्पादन की कुल क्षमता बढ़कर 6680 मेगावाट हो जाएगी। उपर्युक्त सभी परियोजनाओं का निर्माण–कार्य पूरे जोरों पर चल रहा है। ग्यारहवीं योजना के अंत तक अर्थात् 31.3.2002 तक परमाणु विद्युत उत्पादन की क्षमता को बढाकर लगभग 10,000 मेगावाट और वर्ष 2020 तक इसे बढ़ाकर लगभग 20,000 मेगावाट तक करने की दृष्टि से अतिरिक्त परियोजनाओं के भी निर्माण–कार्य को क्रमिक रूप से शुरू करने का प्रस्ताव है।

रक्त सीरम

2605. डा. बलिराम : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्त सीरम का निर्यात अन्य देशों को किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन कंपनियों को इसकी अनुमति प्रदान की गई है;

(ग) क्या रक्त सीरम का निर्यात अनुसंधान के उद्देश्य से किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं कि हमारे नमूनों पर किए गए अनुसंधान का लाभ बेकार न चला जाए?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) जी, हां।

(ख) रक्त सीरम के निर्यात की अनुमति निदान, अनुसंधान और नैदानिक किटों के इस्तेमाल के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी लाइसेंस पर प्रदान की जाती है। मैसर्स फेयरडील डायग्नोस्टिक कम्पनी, सूरत और मैसर्स स्पैन डायग्नोस्टिक लिमिटेड, सूरत एच आई वी, एच बी एस ए जी, एच सी वी पॉजीटिव सीरम और ब्लड ग्रुपिंग टेस्टिंग सीरम निर्यात कर रहे हैं।

(ग) और (घ) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने अनुसंधान प्रयोजनों के लिए जैविक सामग्री के स्थानान्तरण हेतु दिशा–निर्देश तैयार किए हैं। जिस जैविक सामग्री की निर्यात के लिए अनुमति दी जाती है, वह अनुसंधान, निदान अथवा गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोजनों के लिए होती है। यह अनुमति अनुसंधान के प्रकार, स्थानान्तरण के प्रयोजन, गोपनीयता, बौद्धिक सम्पदा अधिकार, पेटेंटों के फाइल करने, अधिक वाणिज्यिक दोहन के लिए प्रबंधों, निरापदता, लोगों को हानि, प्रयोक्त–सूचना और उस सामग्री विशेष के विनिमय से किसी अन्य संगत मानकों जैसे विषयों को ध्यान में रखने के बाद प्रदान की जाती है।

आयोडीन की कमी से उत्पन्न होने वाली व्याधियां

2606. श्री नरेश पुगलिया : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 21 अक्तूबर को 'ग्लोबल आयोडीन डेफसीएन्सी डिसआर्डर्स डे' मनाया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इस बीमारी को नियंत्रित करने के लिए शुरू किए गए कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष नेशनल आयोडीन डेफीसीएन्सी डिसआर्डर कंट्रोल प्रोग्राम (एनआईडीडीसीपी) पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(घ) वर्ष 2002–03 के लिए एन आई डी डी सी पी हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ङ) अब तक क्या महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की गई हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) जी, हां।

(ख) आयोडीन की कमी से होने वाले विकारों को नियंत्रित करने के लिए सरकार राष्ट्रीय आयोडीन अल्पताजन्य विकार नियंत्रण कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है जिसे पहले राष्ट्रीय घेंघा नियंत्रण कार्यक्रम के नाम से जाना जाता था। कार्यक्रम की रणनीति में आयोडीन की कमी से होने वाले विकारों के संबंध में सर्वेक्षण एवं पुनर्सर्वेक्षण करना, आयोडीनयुक्त नमक की आपूर्ति, नमक में आयोडीन की मात्रा तथा पेशाब के रास्ते आयोडीन के बाहर निकलने की मानीटरिंग करना, जनता में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य शिक्षा एवं प्रचार करना शामिल हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय आयोडीन अल्पताजन्य विकार नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत अधोलिखित धन राशि खर्च की गई थी--

वर्ष	राशि (करोड़ रुपये)
1999–2000	3.12
2000–2001	4.13
2001–02	4.14

(घ) वर्ष 2002–03 के लिए राष्ट्रीय आयोडीन अल्पताजन्य विकार नियंत्रण कार्यक्रम हेतु 7 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

(ङ) स्थानिकमारी वाले जिलों में किए गए पुनर्सर्वेक्षण में यह पाया गया है कि आयोडीन अल्पताजन्य विकार की घटना दर में महत्वपूर्ण कमी आई है। गुणवत्ता नियंत्रण के माध्यम से देश की आवश्यकतानुसार 90% से अधिक आयोडीन युक्त नमक के उत्पादन एवं आपूर्ति भी सुनिश्चित की जाती है।

छोटे पत्तनों का उन्नयन

2607. श्री के. पी. सिंह देव : क्या **पोत परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने कुछ छोटे पत्तनों का बड़े पत्तनों में उन्नयन करने हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरुनावुकरसर) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

पोत निर्माण क्षमता

2608. श्री एस. डी. एन आर. वाडियार : क्या **पोत परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश की प्रत्येक पोत निर्माणी की पोत उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ख) क्या सरकार के पास दसवीं पंचवर्षीय योजना में इन पोत निर्माणियों के विस्तार का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सु. तिरुनावुकरसर) : (क) सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के शिपयार्डों के अनुसार शिपयार्ड की क्षमता के बारे में ब्यौरा विवरण । और ॥ के रूप में संलग्न है।

(ख) और (ग) कोचीन शिपयार्ड लि., कोच्ची के अलावा सरकार के पास उसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन शिपयार्डों के विस्तार के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है। कोचीन शिपयार्ड संबंधी प्रस्ताव में 98.38 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से शिपलिफ्ट प्रणाली के जरिए 120 मी. लम्बाई तक के जलयानों की मरम्मत के लिए 5 अतिरिक्त बर्थ द्वारा जलयान मरम्मत सुविधाओं का विस्तार करना शामिल है। हालांकि शिपयार्ड का उधार लेकर और अपने आंतरिक संसाधनों से इस स्कीम के वित्त पोषण का प्रस्ताव किया है। रक्षा मंत्रालय के अधीन सभी 3 शिपयार्ड भी मोडुलर निर्माण सहित आधुनिक पोत निर्माण तकनीक को शामिल करके अपनी सुविधाओं का आधुनिकीकरण और उन्नयन कर रहे हैं। जहां तक निजी क्षेत्र के शिपयार्डों का संबंध है वे सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन नहीं हैं और वे अपने वाणिज्यिक व्यवहार्यता के अनुरूप विस्तार करने के लिए स्वतंत्र हैं।

विवरण-I

सार्वजनिक क्षेत्र के शिपयार्डों के संबंध में शिपयार्ड-वार, शिपयार्ड की क्षमता के बारे में विवरण

जलयानों का अधिकतम आकार जिन्हें बनाया जा सकता है

क्र.सं.	शिपयार्डों के नाम	लम्बाई/ मीटर	चौड़ाई/ मीटर	गहराई/ मीटर	डी डब्ल्यू टी '000' में
	पोत परिवहन मंत्रालय के अधीन				
1.	कोचीन शिपयार्ड लि. कोच्चि	250	40	20	150
2.	हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि. विशाखापत्तनम	195	38	17	70
3.	हुगली डॉक एण्ड पोर्ट इंजीनियर्स लि. कोलकाता	80	14	5	10
4.	राजाबागान डॉकयार्ड, सी आई डब्ल्यू टी सी लि., कोलकाता	90	14	4	3.0
	रक्षा मंत्रालय के अधीन				
5.	मझगांव डाक लि. मुम्बई	190	26	4.2	27.0
6.	गार्डन रीच शिप-बिल्डर्स एंड इंजीनिर्स लि., कोलकाता	160	23	4.75	26.0
7.	गोवा शिपयार्ड लि. गोवा	105	13	4.5	1.2
	राज्य सरकारों के अधीन				
8.	एल्कोक आशडाऊन एंड कंपनी लि., भावनगर, गुजरात	90	16	6	5.0
9.	शालीमार वर्क्स लि., कोलकाता	55	12	5.5	1.1

विवरण-II

सार्वजनिक क्षेत्र के शिपयार्डों के संबंध में शिपयार्ड-वार, शिपयार्ड की क्षमता के बारे में विवरण

निजी क्षेत्र के शिपयार्ड

(शिपयार्ड एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा मुहैया किया गया विवरण)

जलयानों का अधिकतम आकार जिन्हें बनाया जा सकता है

क्र.सं.	शिपयार्डों के नाम	लम्बाई/मीटर	चौड़ाई/मीटर	गहराई/मीटर	डी डब्ल्यू टी
1	2	3	4	5	6
1.	ए बी जी शिपयार्ड लि., मगदल्ला, गुजरात	150.0	30.0	9.0	15000
2.	अंडेरसोन मरीन (प्रा.) लि. गोवा	110.0	20.0	6.00	75.00
3.	भारतीय शिपयार्ड लि., रत्नागिरी	125.0	2.00	5.50	10.000

1	2	3	4	5	6
4.	चौगुले एण्ड कंपनी लि., गोवा	100.0	18.0	3.20	3500
5.	कारपोरेट कंसलटेंसी एंड इंजीनियर्स प्रा. लि., कोलकाता	35.0	13.0	3.5	500
6.	डेम्पो इंजीनियरिंग वर्क्स लि., गोवा	75.0	16.0	3.0	3000
7.	गुडविल इंजीनियरिंग वर्क्स लि.	55.0	20.0	3.0	700
8.	एन एन जहाज–निर्माण एंड इंजीनियर्स लि., मुम्बई	80.0	14.0	2.5	3000
9.	सेसा गोवा लि. गोवा	80.0	14.0	2.0	3000
10.	टेम्बा इंजीनियरिंग लि., चेन्नै	100.0	20.0	6.0	7000
11.	विपुल शिपयार्ड, सूरत	75.0	30.0	3.50	300

[हिन्दी]

युवा आयोग

2609. श्री हरीभाऊ शंकर महाले : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक 'युवा आयोग' की स्थापना का है;

(ख) यदि हां, तो इसके ढांचे का ब्यौरा क्या है और इसके द्वारा किन विषयों पर विचार किए जाने की संभावना है;

(ग) इस आयोग में समाज के पिछड़े, दलित और आदिवासी युवाओं के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) से (घ) श्री बलबीर के. पुंज, सांसद (राज्य सभा) की अध्यक्षता में 15 मार्च, 2002 से सरकार ने युवाओं के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना पहले ही कर दी है। आयोग के अध्यक्ष के अलावा, इसमें पांच सदस्य तथा एक सदस्य–सचिव है। आयोग के विचारार्थ विषय संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

आयोग के विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं :

1. कार्योन्मुखी रणनीति तैयार करना तथा युवा विकास के लिए संपर्क करना तथा युवा बेरोजगारी की समस्या के विशेष संदर्भ में, उनके सामने आ रही समस्याओं का गहराई से विश्लेषण करने के बाद, नई नीति के उपायों व कार्यक्रमों का सुझाव देना, जो बहु–आयामी हैं तथा अस्पष्ट हैं। उत्तर–पूर्वी क्षेत्र में प्रतिभाशाली युवाओं की क्षमता का पता लगाने, उन्हें प्रोत्साहन देने तथा उसका निर्माण करने के लिए उपाय सुझाना।

2. रोजगार सृजन के लिए युवाओं की क्षमता के विशेष संदर्भ में, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय तथा भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वित की जा रही युवाओं से संबंधित विद्यमान योजनाओं तथा कार्यक्रमों की समीक्षा करना तथा उनको अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए उपायों की सिफारिश करना तथा एन.सी.सी., प्रादेशिक सेना, एन.एस.एस. जैसे एक अथवा अन्य युवा कार्यक्रमों से समूची युवा जनसंख्या को कवर करने पर विचार करते हुए सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप उनकी पहुंच व कवरेज को बढ़ाना।

3. राज्य सरकारों, भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों, गैर–सरकारी संगठनों तथा निजी क्षेत्र की युवाओं से संबंधित गतिविधियों के समन्वय हेतु ढांचे की कल्पना करना तथा उनके अभिमुखीकरण के लिए उपायों की सिफारिश करना।

4. योजना आयोग द्वारा स्थापित किशोरों के कार्यसमूह

की सिफारिशों की छानबीन करना तथा इस समूह की जरूरतों को पूरा करने के लिए विशिष्ट मध्यस्थ कार्यनीतियां सुझाना।

5. नई राष्ट्रीय युवा नीति की कार्रवाई योजना के कार्यान्वयन हेतु उपाय सुझाना।

6. अपनी सिफारिशों को तैयार करते समय, आयोग का मार्गदर्शन स्रोतों के वास्तविक अनुमान द्वारा किया जाएगा जिसे सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जा सकता है।

[अनुवाद]

यात्रा संबंधी चेतावनी

2610. श्री गुम्मीपाटी रामैया : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में अमरीका, ग्रेट ब्रिटेन और कुछ अन्य देशों ने अपने नागरिकों को भारत की यात्रा करने से बचने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) किसी भी देश ने हाल ही में अपने नागरिकों को यात्रा चेतावनी जारी नहीं की है जिसमें उनसे पूरे भारत में यात्रा से परहेज करने को कहा गया हो। कुछ देशों जैसे आस्ट्रेलिया, डेन्मार्क, जापान, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, नार्वे, स्पेन और यूनाइटेड किंगडम ने अपने नागरिकों को भारत के कुछ भागों जैसे जम्मू और कश्मीर, गुजरात, राजस्थान के कुछ भाग, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तर पूर्वी भारत में यात्रा से परहेज करने/आस्थगित करने/सतर्क रहने की सलाह दी है।

(ग) विभिन्न देशों द्वारा यात्रा चेतावनियों/सलाहों को जारी/पुनः जारी करने का आधार जिस देश/क्षेत्र विशिष्ट की यात्रा की जानी है वहां की सुरक्षा परिस्थिति का उनका अपना दृष्टिकोण होता है। ये सलाहें संबंधित देशों द्वारा उनके अपने दृष्टिकोणों के आधार पर नियमित रूप से पुनरीक्षित की जाती हैं/वापिस ली जाती हैं।

(घ) सरकार लगातार द्विपक्षीय सम्पर्कों और राजनयिक चैनलों के माध्यम से इस मामले पर हमारे विचारों/दृष्टिकोणों से संबंधित सरकारों को अवगत कराने के लिए उनसे संपर्क में रहती है। भारतीय राजनयिक मिशन भी नियमित रूप से निर्णय लेने वालों और यात्रा करने वाली जनता को भारत की परिस्थितियों की सही जानकारी देने के लिए सूचना का प्रसार करते हैं।

संवर्ग-परिवर्तन नीति

2611. श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : क्या प्रधान मंत्री दिनांक 13 मार्च, 2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1490 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1980–1994 के दौरान अन्तः संवर्ग–स्थानान्तरण–नीति के अंतर्गत लोक–हित में संवर्ग–परिवर्तन निर्धारित/अनुमत था;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1980–1994 के दौरान लागू इस नीति का ब्यौरा क्या है;

(ग) भारतीय प्रशासनिक सेवा के उन छः अधिकारियों के नाम क्या हैं जिन्हें वर्ष 1980–1994 के दौरान लोक–हित में संवर्ग–परिवर्तन की अनुमति दी गई थी;

(घ) यदि नहीं, तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के उन छः अधिकारियों को वर्ष, 1980–1994 के दौरान लागू अंतः संवर्ग–परिवर्तन की नीति की भावना के विपरीत और उसका उल्लंघन करके संवर्ग–परिवर्तन की अनुमति देने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इन प्रत्येक अधिकारियों को अंतः संवर्ग–परिवर्तन की अनुमति देते समय किन मापदंडों और विशेष तथ्यों का ध्यान रखा गया है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ङ) भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के अन्तर–संवर्ग–स्थानान्तरण, केन्द्रीय सरकार द्वारा, भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम 5 (2) के अनुसार, संबंधित राज्य सरकारों की सहमति से करने दिए जाते हैं। वर्ष 1985 तक, अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के अन्तर–संवर्ग–स्थानान्तरण, निम्नलिखित आधारों पर करने दिए जाते थे–(i) लोक हित के आधार पर; (ii) अखिल भारतीय सेवा(ओं) के, भिन्न–भिन्न

राज्य–संवर्गों के दो अधिकारियों द्वारा विवाह कर लिए जाने के आधार पर; (iii) सरकार को संतुष्टि होने तक यह सिद्ध हो जाने के आधार पर कि जिस राज्य में अधिकारी का आवंटन किया गया हो उसकी जलवायु उस अधिकारी अथवा उसकी पत्नी अथवा उस पर आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति निश्चित रूप से हानिकारक है। 23.05.1985 को उपर्युक्त नीति संशोधित कर दी गई तथा अखिल भारतीय सेवा(ओं) के भिन्न–भिन्न संवर्गों के दो अधिकारियों द्वारा विवाह कर लिए जाने को ही इस प्रावधान सहित, संवर्ग परिवर्तन का एक मात्र आधार बना दिया गया कि दोनों अधिकारियों में से किसी भी अधिकारी का संवर्ग बदलकर उसे उसके मूल निवास–स्थान के राज्य के संवर्ग में नहीं रखा जाएगा। फिर भी, तब अन्तर–संवर्ग–स्थानान्तरण करने देने से इनकार नहीं किया गया जब संबंधित सरकारें लोक–हित में ऐसा करना आवश्यक समझें।

वर्ष, 1980 से 1994 तक की अवधि के दौरान, श्री ओम प्रकाश मीणा, भा.प्र.से. (आर.आर. : 79), श्री अशोक संपतराम, भा.प्र.से. (आर.आर. : 79), श्री भास्कर मुसाहरी, भा.प्र.से. (आर. आर. : 80) श्री बृज राज शर्मा, भा.प्र.से. (आर.आर. : 84), श्री रमेश इन्द्र सिंह, भा.प्र.से. (आर.आर. : 74), और श्री ए.एच. सैमून, भा.प्र.से. (आर.आर. : 93), का लोक–हित में अन्तर–संवर्ग–स्थानान्तरण किया गया।

जहां तक लोक–हित में अन्तर–संवर्ग–स्थानान्तरण करने देने का केन्द्रीय सरकार के अधिकार का संबंध है, माननीय उच्चतम न्यायालय ने डा. राजवंत सिंह, भा.पु.से. द्वारा दायर ओ.ए. सं. 810/97 में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की चंडीगढ़ न्यायपीठ द्वारा दिए गए निर्णय को यह व्यवस्था देते हुए वैध ठहराया है कि यह निर्णय करने की दृष्टि से भारत–सरकार ही सर्वोत्तम न्यायाधीश है कि संवर्ग–स्थानान्तरण के किसी मामले विशेष में लोक–हित निहित है अथवा नहीं।

फर्मों के पंजीकरण की समीक्षा

2612. श्री रामजी मांझी : क्या **प्रधान मंत्री** 6 मार्च, 2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 879 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फर्मों के पंजीकरण की समीक्षा पूरी कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके परिणाम का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन पर क्या कार्रवाई की गई है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) यह मसला विचाराधीन है।

[हिन्दी]

विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केन्द्र

2613. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
श्री चन्द्रनाथ सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 नवम्बर, 2002 को 'राष्ट्रीय सहारा' के "डैन्जर फ्राम बोथ साइड टू साराभाई स्पेस सेंटर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) साराभाई अंतरिक्ष केन्द्र को पूरी सुरक्षा प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इस संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

[अनुवाद]

भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी में उत्कृष्टता केन्द्र

2614. श्री ए. नरेन्द्र : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सभी राज्यों में भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी में प्रत्येक उत्कृष्टता केन्द्र में एक शाखा खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां इन केन्द्रों को खोले जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, भा.चि.प. एवं हो. संस्थानों को उत्कृष्टता केन्द्र बनाने के लिए सहायता देने की स्कीम को दसवीं योजना में शामिल कर लिया गया है।

मेडिकल सीटों में कमी

2615. श्री मोहन रावले : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार वर्ष 2002–2003 के दौरान विभिन्न मेडिकल कालेजों और डेंटल कालेजों में सीटों की संख्या में कमी करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) जी, नहीं। लेकिन यह उल्लेख किया जाता है कि मेडिकल और डेंटल कालेजों की स्थापना और उनमें दाखिलों की अनुमति शुरू में एक वर्ष की अवधि के लिए प्रदान की जाती है और संबंधित व्यावसायिक परिषदों द्वारा आधारभूत ढांचे की सुविधाओं के वार्षिक सत्यापन के आधार पर उनका नवीकरण किया जाता है। वार्षिक नवीकरण की यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है तब तक कालेज को एम बी बी एस/बी डी एस डिग्री प्रदान करने के लिए मान्यता प्राप्त नहीं की जाती। यदि संबंधित व्यावसायिक परिषदों के मानदंडों के अनुसार कालेज सुविधाएं प्रदान करने में असफल रहता है तो उस स्थिति में यह छात्रों को भर्ती नहीं कर सकता।

[हिन्दी]

समेकित औद्योगिक विकास केन्द्र

2616. श्री राजो सिंह : क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समेकित और औद्योगिक विकास योजना के अंतर्गत बिहार में विकसित किए गए समेकित औद्योगिक विकास केन्द्रों की संख्या कितनी है;

(ख) इन केन्द्रों के स्थान कौन से हैं;

(ग) क्या बिहार सरकार ने केन्द्र सरकार से राज्य में, विशेष रूप से ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों/इलाकों में कुछ और समेकित औद्योगिक विकास केन्द्रों का विकास करने का कोई अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) आई.आई.डी. स्कीम के तहत बिहार में कोई एकीकृत औद्योगिक विकास केन्द्र विकसित नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता है।

[अनुवाद]

बहुउद्देशीय काउंटर मशीनें

2617. श्री अशोक ना. मोहोल :
श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री ए. वेंकटेश नायक :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन डाकघरों की राज्यवार संख्या कितनी है जिनके संदर्भ में वर्ष 2001–2002 और 2002–2003 के दौरान बहुउद्देशीय काउंटर मशीनें लगाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) महाराष्ट्र और कर्नाटक के प्रत्येक जिले के उन डाकघरों की संख्या कितनी है, जहां पर उक्त अवधि के दौरान बहुउद्देशीय काउंटर मशीनें लगाई गई हैं;

(ग) इस पर अब तक कितनी राशि खर्च की गई है और वर्ष 2002–03 के बजट शीर्ष के अंतर्गत कितनी राशि खर्च किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) एक डाकघर में बहुउद्देशीय काउंटर मशीन लगाने पर औसतन कितना खर्च आया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान) : (क) वर्ष 2001–02 के दौरान एक सौ डाकघरों में बहुउद्देशीय काउंटर मशीन (एमपीसीएम) लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। वर्ष 2001–2002 के लिए निर्धारित लक्ष्यों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है। जहां तक 2002–2003 का संबंध है, लक्ष्यों का निर्धारण आवश्यक औपचारिकताओं के पूरा होने और धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(ख) वर्ष 2001–02 के दौरान एमपीसीएम लगाए जाने संबंधी जिलावार ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

(ग) वर्ष 2001–2002 के लिए एमपीसीएम परियोजना पर लगभग 7.48 करोड़ रु. खर्च किए गए हैं। वर्ष 2002–2003 के दौरान व्यय औपचारिक मंजूरी और धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(घ) प्रति डाकघर एक एमपीसीएम लगाने का औसत खर्च लगभग एक लाख रुपये है।

विवरण-I

क्र.सं.	राज्य का नाम	वर्ष 2001–2002 के लिए डाकघरों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	8
2.	असम	4
3.	बिहार	3
4.	छत्तीसगढ़	2
5.	दिल्ली	0
6.	गोवा	0
7.	गुजरात	6
8.	हिमाचल प्रदेश	3
9.	हरियाणा	2
10.	झारखंड	4
11.	जम्मू–कश्मीर	0
12.	कर्नाटक	9
13.	केरल	5
14.	महाराष्ट्र	5
15.	मध्य प्रदेश	4
16.	मणिपुर	0
17.	मेघालय	1
18.	नागालैंड	0
19.	अरुणाचल प्रदेश	0
20.	त्रिपुरा	1
21.	उड़ीसा	5
22.	पंजाब	2
23.	राजस्थान	4
24.	सिक्किम	0
25.	तमिलनाडु	11
26.	उत्तरांचल	4
27.	उत्तर प्रदेश	10
28.	पश्चिमी बंगाल	7
	कुल	100

विवरण-II

वर्ष 2001–2002 के दौरान महाराष्ट्र और कर्नाटक में एमपीसीएम लगाए गए डाकघरों की जिलावार संख्या

क्र.सं.	जिले का नाम	डाकघरों की संख्या
1	2	3
	महाराष्ट्र	
1.	नासिक	1
2.	कोल्हापुर	1
3.	ठाणे	1
4.	चंद्रपुर	1
5.	पुणे	1

1	2	3
	कर्नाटक	
1.	बेंगलूर ग्रामीण	1
2.	बेंगलूर शहरी	1
3.	बेलगांव	1
4.	बीजापुर	1
5.	दावनगेरे	1
6.	गुलबर्ग	1
7.	करवर	1
8.	मण्ड्या	1
9.	रायचूर	1

दूरसंचार क्षेत्र में निवेश

2618. श्री अकबाल अहमद सरडगी : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दसवीं पंचवर्षीय योजना में दूरसंचार क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार का सभी दूरसंचार सेवा आपरेटरों के लिए एकसमान प्रतियोगी क्षेत्र सुनिश्चित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या सभी संबद्ध अभिकरणों/एजेंसियों से बाधारहित और समयबद्ध अनुमोदनों के लिए एक एकल खिड़की मंजूरी योजना की परिकल्पना की गई है;

(ग) क्या सरकार ने योजना आयोग के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान) : (क) से (घ) राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) ने अभी तक दसवीं पंचवर्षीय योजना अनुमोदित नहीं की है।

आंध्र प्रदेश में दुर्घटना की संभावना वाली पट्टियां

2619. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की दुर्घटना की संभावना वाली पट्टियों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए धनराशि प्रदान की है;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश को राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए कुल कितनी धनराशि प्रदान की गई है;

(ङ) क्या इस संबंध में आंध्र प्रदेश के कुछ प्रस्ताव उनके मंत्रालय में लंबित पड़े हुए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन परियोजनाओं को कब तक मंजूर किए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के दुर्घटना संभावित खंडों में सुधार करने से संबंधित कोई प्रस्ताव राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, दुर्घटनाओं को रोकने, सड़क एवं पुलों को चौड़ा करने, ज्यामिति में सुधार, संकेतकों और लेन–चिह्नांकन का प्रावधान इत्यादि कार्यों को राष्ट्रीय राजमार्गों पर संसाधनों की उपलब्धता के अंतर्गत चरणों में किया जा रहा है।

(ग) और (घ) जी, हां। आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास एवं अनुरक्षण के लिए राज्य सरकार को दी गई धनराशि इस प्रकार है :

(करोड़ रु.)

वर्ष	विकास		अनुरक्षण		जोड़	
	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
1	2	3	4	5	6	7
1999–2000	57.08	45.96	68.97	41.66	126.05	87.62

1	2	3	4	5	6	7
2000–2001	112.38	111.96	55.64	52.93	168.02	164.88
2001–2002	103.80	103.78	42.20	41.62	150.40	149.90

(ङ) और (च) वर्ष 2002–03 के दौरान 67.26 करोड़ रु. के 32 प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी गई है और शेष 8 प्रस्तावों की मंत्रालय में जांच की जा रही है, जिन्हें इसी वित्तीय वर्ष में अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है।

सफदरजंग अस्पताल में 'बर्न वार्ड' का निरीक्षण

2620. श्री वी. वेत्रिसेलवन : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों और वकीलों की एक आठ–सदस्यीय समिति ने हाल ही में सफदरजंग अस्पताल के बर्न वार्ड का निरीक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति को बर्न विभाग के मौजूदा हालत को देखकर आश्चर्य हुआ;

(ग) इस संबंध में समिति की सिफारिशें क्या हैं; और

(घ) स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (घ) माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली द्वारा सिविल रिट याचिका सं. 2187/1996 के मामले में गठित एक आठ सदस्यीय समिति ने 24.10.2002 और 25.10.2002 को सफदरजंग अस्पताल, डा. राममनोहर लोहिया अस्पताल, लोकनायक अस्पताल और गुरु तेगबहादुर अस्पताल के बर्न वार्ड का दौरा किया है। मामला न्यायाधीन है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों की प्रतीक्षा है।

लेसिक सर्जरी

2621. श्री नरेश पुगलिया : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लेसिक सर्जरी के संबंध में विशेषज्ञों की चिंताओं के बारे में विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित रिपोर्टों का संज्ञान लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्रत्येक शल्यक्रिया में जटिलताओं का जोखिम रहता है जिसे रोगियों के उचित चयन, सर्जनों के प्रशिक्षण और मानक प्रक्रिया अपनाकर कम किया जा सकता है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने जटिलता के जोखिम और लेसिक सर्जरी के बाद विपरीत परिणाम को कम करने के लिए नेत्र सर्जनों हेतु दिशा–निर्देशों का प्रारूप तैयार किया है।

ब्रिटेन के विदेश सचिव की यात्रा

2622. श्री गुनीपाटी रामैया : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन के विदेश सचिव ने अपनी हाल ही की नई दिल्ली यात्रा के दौरान जम्मू और कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन का मुद्दा उठाया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) यू.के. के विदेश सचिव श्री जैक स्ट्रा ने विदेश मंत्री के साथ बैठक के पश्चात् अपनी प्रैस कान्फ्रेंस में मानवाधिकार तंत्र की स्थापना में भारत के प्रशंसनीय रिकार्ड की सराहना की, साथ ही यह भी कहा कि यू.के. जम्मू एवं कश्मीर में मानवाधिकारों की स्थिति, जिसमें दुर्व्यवहार की जांच–पड़ताल और सजा शामिल है, को सुधारने के लिए लगातार भारत को प्रोत्साहित करता रहेगा।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय पोषण मिशन का गठन

2623. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
श्रीमती निवेदिता माने :
श्री तूफानी सरोज :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक कुपोषण के कारण मरने वाले बच्चों के राज्यवार कितने मामले सरकार के ध्यान में आए हैं;

(ख) क्या सरकार का 'राष्ट्रीय पोषण मिशन' गठित करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मिशन के लिए निर्धारित लक्ष्य क्या हैं;

(घ) निर्धारित लक्ष्यों के कब तक प्राप्त कर लिए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या सरकार ने मिशन में ढिलाई दिखाने वाले व्यक्तियों को दंडित करने के लिए भी प्रावधान किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) कुपोषण से बच्चे की होने वाली मौतों की संख्या से संबंधित ब्यौरा केन्द्र द्वारा नहीं रखा जा रहा है।

(ख) से (घ) प्रधान मंत्री ने 15.8.2001 को स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण में 'राष्ट्रीय पोषण मिशन' शुरू करने की घोषणा की थी। भारत सरकार का महिला और बाल विकास विभाग इस मिशन के गठन, ढांचे और विचारार्थ विषय तैयार कर रहा है।

[अनुवाद]

इंटरनेट कनेक्शन

2624. श्री मोहन रावले : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड ने गत एक वर्ष के दौरान विभिन्न जोनों में अपने उपभोक्ताओं को इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध कराने के अपने लक्ष्यों को पूरा कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) से (ग) खुले बाजार की शर्तों तथा शुरूआती क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता के कारण, कोई स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे। तथापि, बीएसएनएल ने देश के 439 राजस्व जिलों में 436 इंटरनेट नोड खोलकर अपना कार्य-क्षेत्र बढ़ाया है।

बहुराष्ट्रीय कंपनियों का परिवहन क्षेत्र में प्रवेश

2625. श्री ए. नरेन्द्र : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवहन क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश संबंधी मोंटेक सिंह आहलूवालिया समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ संगठनों ने उपर्युक्त रिपोर्ट के कार्यान्वयन का विरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (घ) श्री मोंटेक सिंह आहलूवालिया की अध्यक्षता में 'रोजगार अवसर संबंधी कार्यदल' का गठन किया गया था। इस कार्यदल ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 2 जुलाई, 2001 को उपाध्यक्ष, योजना आयोग को प्रस्तुत कर दी है। 'परिवहन क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रवेश' कार्यदल के विचारार्थ विषयों में से नहीं था।

विजन 2020 पर रिपोर्ट

2626. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या योजना आयोग द्वारा तैयार किया गया 'नेशनल विजन 2020' दस्तावेज केन्द्र सरकार को प्रस्तुत कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या योजना आयोग ने अगले दो दशकों के लिए देश के विकास हेतु व्यापक क्षेत्रों में कार्य करने और विकास का खाका तैयार करने का निश्चय किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है; और

(ङ) उनको क्रियान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, नहीं। इसे वर्ष 2002 के अन्त तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन

2627. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न दूरसंचार नेटवर्कों को एक-दूसरे से जोड़ने हेतु दीर्घकालिक और टिकाऊ फार्मूला बनाने के लिए प्रमुख आपरेटरों की एक बैठक बुलाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) बैठक के बाद भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण से बाहर निजी आपरेटर्स और भारत संचार निगम लिमिटेड के बीच मुद्दों को हल करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) संचार से कटे हुए भारतीय गांवों को जोड़ने के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड और निजी आपरेटरों द्वारा उठाए गए अथवा उठाए जाने वाले कदम क्या हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) से (घ) जी, नहीं। दूरसंचार नेटवर्कों के इंटरकनेक्शन का मामला, संबंधित नेटवर्क प्रचालकों के बीच आपसी करार का विषय है। इसके अलावा, सेवा प्रदाता इस सुविधा से वंचित सभी भारतीय गांवों को इससे जोड़ने के लिए एक-दूसरे की अवसंरचना का उपयोग करते हुए परस्पर व्यवस्था करने के लिए स्वतंत्र हैं।

स्तन कैंसर

2628. श्री वी. वेत्रिसेलवन :
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में 8 लाख से अधिक महिलाएं स्तन कैंसर से पीड़ित हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस रोग के इलाज के लिए राज्य सरकारों को कितनी सहायता प्रदान की गई है;

(घ) क्या सरकार ने इस रोग के बारे में ग्रामीण महिलाओं में जागरूकता पैदा करने के लिए कोई प्रभावी कदम उठाए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार द्वारा भारत में कैंसर रोगियों का राज्यवार ब्यौरा नहीं रखा जाता। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम द्वारा दिल्ली में 1988-97 के दौरान एकत्रित स्तन कैंसर की घटनादर का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। घटनादर कमोबेश एक समान रही है। यद्यपि इसमें बढ़ोतरी की प्रवृत्ति रहती है तथा आंकड़ों की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण नहीं रहती है। इसलिए ये आंकड़े 1988-97 तक स्तन कैंसर की घटना दर में कोई महत्वपूर्ण बढ़ोतरी नहीं दर्शाते।

(ग) राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य सरकारों को निम्नलिखित स्कीमों के लिए सहायता अनुदान दिया जाता है जब उनसे इसके लिए इस मंत्रालय में आवेदन प्राप्त होते हैं :

(i) सरकारी मेडिकल कालेज/अस्पतालों में प्रत्येक को अबुर्दविज्ञान स्कन्ध के विकास हेतु 2.00 करोड़ रुपये की धनराशि दी जाती है।

(ii) सरकारी अस्पतालों में 'कोबाल्ट उपचार इकाई' और 'स्तन चित्र इकाई' की स्थापना के लिए क्रमशः 1.50 करोड़ रुपये और 30 लाख रुपये की धनराशि दी जाती है।

(घ) और (ङ) राज्य सरकार की विशिष्ट सिफारिशों पर स्वैच्छिक संगठनों को कैंसर के क्षेत्र में स्वास्थ्य शिक्षा तथा रोग का शुरू में पता लगाने के कार्यकलापों के लिए 5 लाख रुपये की धनराशि दी जाती है।

विवरण

दिल्ली में स्तन कैंसर की घटना दर

वर्ष	अशोधित घटना दर	आयु समायोजित दर
1988	17.0	26.2
1989	18.3	28.3
1990	18.0	27.6
1991	18.4	27.9
1992	18.0	26.9
1993	19.0	28.5
1994	18.3	27.9
1995	19.9	30.1
1996	18.6	27.7
1997	19.8	29.8

स्रोत : राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम (आई सी एम आर) की रिपोर्ट।

टिप्पणी-I : अशोधित घटना दर—अशोधित घटना दर, ऐसे कैंसर के लिए नए रोगियों के बारे में है जो उस क्षेत्र विशेष की कुल जनसंख्या में प्रतिवर्ष प्रति 1,00,000 व्यक्तियों में होती है।

टिप्पणी-II : आयु समायोजित दर—आयु समायोजित दर जो आयु मानकीकृत घटना दर भी कहलाती है का अर्थ, विश्व मानक जनसंख्या के पांच वर्ष आयु की जनसंख्या में समायोजित किए जाने से है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में मिनी टूल रूम

2629. श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी : क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने क्रमशः सितंबर और अक्तूबर 1999 में 730 लाख रुपये की अनुमानित लागत से जबलपुर और ग्वालियर जिले में दो मिनी टूल रूम स्थापित करने हेतु योजना सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजी थीं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हां।

(ख) जबलपुर में प्रस्तावित मिनी टूल रूम की अनंतिम परियोजना लागत 358 लाख रु. थी तथा ग्वालियर में प्रस्तावित मिनी टूल रूम की अनंतिम परियोजना लागत 354 लाख रु. थी।

(ग) मिनी टूल रूमों संबंधी स्कीम को 1.3.2001 को स्वीकृत तथा अधिसूचित किया गया था। तदनुसार, 8.3.2001 को राज्य सरकार से अनुरोध किया गया था, कि वह स्कीम के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार नए प्रस्ताव भेजें। तब से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

सी.बी.आई. के छापे

2630. श्री राधा मोहन सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय अन्वेषण–ब्यूरो ने हाल ही में देश के अनेक भागों में छापे मारे थे और धन एवं करोड़ों रुपये के मूल्य की प्राचीन पीतल की बहुमूल्य मूर्तियां प्राप्त की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्राचीन मूर्तियों की तस्करी की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में दोषी पाए गए लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (घ) केन्द्रीय अन्वेषण–ब्यूरो ने दिनांक नवम्बर 08, 2002 को चलाए एक विशेष अभियान के दौरान, न्यू फ्रैंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली के एक घर पर छापा मारा और कांसे की चार बहुमूल्य मूर्तियां बरामद करके, यह मालूम होने के बाद दो व्यक्तियों के विरुद्ध एक मामला दर्ज किया कि वे इन मूर्तियों को पुराकालीन नहीं मानते हुए इनकी तस्करी करना चाहते थे।

[अनुवाद]

क्रीड़ा विद्यालयों की स्थापना

2631. श्री सवशीभाई मकवाना : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1998 के दौरान क्रीड़ा विद्यालयों की स्थापना के लिए योजना तैयार की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गुजरात में ऐसे विद्यालयों की स्थापना के लिए किन-किन स्थानों की पहचान की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) स्थानों के चयन हेतु क्या मानदंड अपनाए गए हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) से (ङ) जी, नहीं। क्रीड़ा विद्यालयों की स्थापना के लिए कोई योजना विद्यमान नहीं है। क्रीड़ा विद्यालयों की स्थापना के लिए एक योजना तैयार करने के वास्ते, पहले एक प्रस्ताव चर्चा के लिए रखा गया था, जिसे अलबत्ता यथोचित रूप से विचार-विमर्श करने के पश्चात् छोड़ दिया गया था।

जे.सी.एम. का कार्यकरण

2632. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जे.सी.एम. मानदंडों और अभिसमयों के अनुसार कार्य कर रही है;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय परिषद् की पिछली बैठक कब हुई थी;

(ग) क्या जे.सी.एम. के संविधान के अनुसार, राष्ट्रीय परिषद् की बैठक चार महीने में एक बार होनी चाहिए;

(घ) यदि हां, तो ऐसी बैठक समय पर बुलाने के लिए कौन व्यक्ति जिम्मेदार है; और

(ङ) जे.सी.एम. के कार्यकरण को नियिमत करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हां।

(ख) संयुक्त परामर्शदायी तंत्र की राष्ट्रीय परिषद् की पिछली बैठक, तत्कालीन मंत्रिमंडल-सचिव की अध्यक्षता में जनवरी 12, 2002 को हुई थी।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) संयुक्त परामर्शदायी तंत्र-योजना के संगत प्रावधानों के अनुसार, संयुक्त परामर्शदायी तंत्र की राष्ट्रीय परिषद् की बैठकें, जब कभी आवश्यक हों तब और कम से कम, 4 माह में एक बार आयोजित की जानी अपेक्षित होती हैं। फिर भी, संयुक्त परामर्शदायी तंत्र की योजना लागू करना आरंभ किए जाने के समय से अब तक संयुक्त परामर्शदायी तंत्र की राष्ट्रीय परिषद् की बैठकें तभी आयोजित की गई हैं जब कर्मचारी-पक्ष से ऐसी बैठकों की कार्य-सूची के मद मिले हैं। संयुक्त परामर्शदायी तंत्र की राष्ट्रीय परिषद् की, पिछली बैठक आयोजित किए जाने की तारीख से अब तक, उपर्युक्त परिषद् की अगली बैठक आयोजित किए जाने के लिए कर्मचारी-पक्ष से ऐसा कोई भी कार्य-सूची-मद नहीं मिला है।

खिलाड़ियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन

2633. डा. मन्दा जगन्नाथ : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खिलाड़ियों की पदक तालिका इत्यादि में सुधार के दृष्टिकोण से खेलकूद क्रियाकलाप/खिलाड़ियों के प्रदर्शन की निगरानी/मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) और (ख) जी, हां। हाल ही में समाप्त हुई दो प्रमुख बहु-विधात्मक प्रतियोगिताओं अर्थात् राष्ट्रमंडल खेलों और एशियाई खेलों में, भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार हुआ है। सत्रहवें राष्ट्रमंडल खेल, 2002 में भारतीय दल का प्रदर्शन शानदार रहा है। भारत ने इन खेलों में 69 पदक (30 स्वर्ण, 22 रजत और 17 कांस्य) जीतकर चौथा स्थान प्राप्त किया। इसी प्रकार, 14वें एशियाई खेल, 2002 में, भारतीय दल ने पिछले एशियाई खेल, 1998 में सात की तुलना में 10 स्वर्ण पदक हासिल किए और 1998 एशियाई

खेलों में नौवें स्थान के मुकाबले में आठवों स्थान प्राप्त कर सका।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

जिला दूरसंचार कार्यालय का कुप्रबंधन

2634. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को जिला दूरसंचार कार्यालय, अहमदनगर, महाराष्ट्र में विपणन कुप्रबंधन की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान) : (क) 2001–2002 के दौरान किए गए विकासपरक कार्यकलापों और प्रचालन संबंधी मानदंडों में प्रदर्शित प्रचालन की दक्षता के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि अहमदनगर गौण स्विचन क्षेत्र में कोई कुप्रबंधन नहीं है।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

[हिन्दी]

भारत संचार निगम लिमिटेड के अधिकारियों पर सी.बी.आई. के छापे

2635. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार भारत संचार निगम लिमिटेड के कितने अधिकारियों के विरुद्ध सतर्कता और सी.बी.आई. की जांच चल रही है;

(ख) क्या सरकार ने उच्च अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की है; और

(ग) यदि हां, तो उनका स्वरूप क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में नेहरू युवा केन्द्र

2636. श्री राजैया मल्याला : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में कार्यरत नेहरू युवा केन्द्रों की गतिविधियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ये केन्द्र ग्रामीण और शहरी युवाओं को कम्प्यूटर शिक्षा दे रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) नेहरू युवा केन्द्र, ग्रामीण युवा क्लबों के माध्यम से नामांकित गैर–छात्र ग्रामीण युवाओं की जरूरतों को पूरा करते हैं तथा शिक्षा और प्रशिक्षण, जागरूकता सृजन, स्व–रोजगार के लिए कौशल के विकास, कार्य शिविरों, ग्रामीण खेलों और संस्कृति के संवर्धन आदि को कवर करने वाले क्षेत्रों में कार्य करते हैं। ये केन्द्र विभिन्न मंत्रालयों/विभागों जैसे कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय आदि द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों का कार्यान्वयन भी करते हैं। ये केन्द्र इस मंत्रालय की दो अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं नामतः राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेवक योजना तथा राष्ट्रीय पुनर्निर्माण वाहिनी योजना को भी कार्यान्वित करते हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय राजमार्ग सुरक्षा योजना

2637. श्री पी. आर. किन्डिया : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मणिपुर से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–39 के माओं से मोरेख तक भाग से संबंधित 52 करोड़ रु. की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग सुरक्षा योजना के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 39 से संबंधित राष्ट्रीय राजमार्ग सुरक्षा योजना कब तक कार्यान्वित की जाएगी?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए धन

2638. श्री पी. एस. गढ़वी : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2002–2003 के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत, रखरखाव और उन्हें चौड़ा किए जाने तथा अतिरिक्त राजमार्गों के निर्माण हेतु धन आवंटन के लिए राज्यों की ओर से विशेषकर गुजरात से राज्यवार कितनी मांगें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) उक्त अवधि के लिए राज्यों को राज्यवार कितना धन दिया गया है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : (क) और (ख) वर्ष 2002–03 के लिए देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए कुल आवंटन 6628.27 करोड़ रु. है। विभिन्न राज्यों के लिए धनराशि का आवंटन राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की आवश्यकताओं और लंबाई और धनराशि की समग्र उपलब्धता के आधार पर किया जाता है। वर्ष 2002–03 के दौरान गुजरात राज्य सहित राज्यवार धनराशि का आवंटन संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 2002–03 के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए धनराशि का आवंटन दर्शाने वाला विवरण

(लाख रु.)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	विकास	अनुरक्षण
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	9766.37	3961.09
2.	अरुणाचल प्रदेश	300.00	31.00
3.	असम	6574.65	2921.61
4.	बिहार	6622.90	4774.83
5.	चंडीगढ़	150.00	74.00
6.	छत्तीसगढ़	3020.40	2529.83
7.	दिल्ली	1000.00	40.00
8.	गोवा	1500.00	476.92
9.	गुजरात	9670.19	2468.83
10.	हरियाणा	5900.00	1379.87
11.	हिमाचल प्रदेश	4700.00	1514.00
12.	जम्मू–कश्मीर	400.00	172.44
13.	झारखंड	2800.00	1746.53
14.	कर्नाटक	7925.97	3868.45
15.	केरल	7594.63	2454.62
16.	मध्य प्रदेश	9310.25	6002.59
17.	महाराष्ट्र	12078.07	4796.95
18.	मणिपुर	1401.84	572.38
19.	मेघालय	2219.98	869.91
20.	मिजोरम	2200.00	547.91
21.	नागालैंड	1500.00	276.36
22.	उड़ीसा	7732.04	4658.14
23.	पांडिचेरी	200.00	82.00
24.	पंजाब	5476.01	1958.87
25.	राजस्थान	10019.14	4935.86
26.	तमिलनाडु	9748.18	4486.38
27.	उत्तर प्रदेश	13730.57	6254.00

1	2	3	4
28.	उत्तरांचल	2078.81	838.01
29.	पश्चिम बंगाल	12250.00	2322.61
30.	मंत्रालय	1600.00	0.00
31.	बी आर डी बी	14500.00	896.00
32.	एन एच ए आई	400300.00	10700.00
33.	आरक्षित	8610.00	1335.01
	जोड़	582880.00	79947.00

अपराह्न 12.01 बजे

[हिन्दी]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) का.आ. 906(अ) जो 27 अगस्त, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य के बालासोर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 60 (बालासोर से लक्ष्मणनाथ खंड) को चौड़ा करने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है;

(दो) का.आ. 907(अ) जो 27 अगस्त, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य के पश्चिम मिदनापुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 60 (लक्ष्मणनाथ से खडगपुर खंड) को चौड़ा करने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है;

(तीन) का.आ. 923(अ) जो 31 अगस्त, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 और 60 पर भूमि का अर्जन करने के संबंध में ऐसे प्राधिकारी के कृत्यों के निष्पादन के लिए सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किए जाने के बारे में है;

(चार) का.आ. 1032(अ) जो 25 सितम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (पलसिट–दानकुनी खंड) को चौड़ा करने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है;

(पांच) का.आ. 1033(अ) जो 25 सितम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य के हुगली जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 पर भूमि का अर्जन करने के संबंध में ऐसे प्राधिकारी के कृत्यों के निष्पादन के लिए सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किए जाने के बारे में है;

(छह) का.आ. 1034(अ) जो 25 सितम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (दानकुनी–कोलाघाट खंड) को चौड़ा करने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है;

(सात) का.आ. 1035(अ) जो 25 सितम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (पलसिट–दानकुनी खंड) को चौड़ा करने के लिए भूमि अर्जन करने के बारे में है;

(आठ) का.आ. 1053(अ) जो 1 अक्तूबर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (लखनऊ–कानपुर खंड) को चौड़ा करने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है;

(नौ) का.आ. 1071(अ) जो 9 अक्तूबर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा

जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (कानपुर–वाराणसी खंड) को चौड़ा करने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है;

(दस) का.आ. 1108(अ) जो 23 अक्तूबर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 28 फरवरी 2002 की अधिसूचना संख्या का.आ. 263(अ) में कतिपय संशोधन किये गए हैं;

(ग्यारह) का.आ. 756(अ) जो 18 जुलाई, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आन्ध्र प्रदेश राज्य के विशाखापत्तनम जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (विजयवाड़ा–भुवनेश्वर खंड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है;

(बारह) का.आ. 758(अ) जो 18 जुलाई, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आन्ध्र प्रदेश राज्य के श्रीकाकुलम जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (विजयवाड़ा–भवुनेश्वर खंड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है;

(तेरह) का.आ. 1063(अ) जो 4 अक्तूबर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आन्ध्र प्रदेश राज्य के नेल्लौर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (मद्रास–विजयवाड़ा खंड) को चौड़ा करने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है;

(चौदह) का.आ. 1064(अ) जो 4 अक्तूबर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य तिरुवल्लूर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (मद्रास–विजयवाड़ा खंड) को चौड़ा करने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है;

(पन्द्रह) का.आ. 1065(अ) जो 4 अक्तूबर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य के तिरुवल्लूर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (मद्रास–विजयवाड़ा खंड) को चौड़ा करने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है;

(सोलह) का.आ. 1066(अ) जो 4 अक्तूबर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आन्ध्र प्रदेश राज्य के नेल्लौर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (मद्रास–विजयवाड़ा खंड) को चौड़ा करने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है;

(सत्रह) का.आ. 1067(अ) जो 4 अक्तूबर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आन्ध्र प्रदेश राज्य के नेल्लौर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (मद्रास–विजयवाड़ा खंड) को चौड़ा करने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है;

(अठारह) का.आ. 1068(अ) जो 4 अक्तूबर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आन्ध्र प्रदेश राज्य के नेल्लौर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (मद्रास–विजयवाड़ा खंड) को चौड़ा करने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है;

(उन्नीस) का.आ. 1158(अ) जो 1 नवम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 (मंगलावर–चित्तौड़गढ़ खंड) और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 (भीलवाड़ा–चित्तौड़गढ़ खंड) को चौड़ा करने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है;

(बीस) का.आ. 1144(अ) जो 31 अक्तूबर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आन्ध्र प्रदेश राज्य के नेल्लौर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (मद्रास–विजयवाड़ा खंड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है;

(इक्कीस) का.आ. 1145(अ) जो 31 अक्तूबर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य के तिरुवल्लूर

जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (मद्रास–विजयवाड़ा खंड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है;

(बाईस) का.आ. 1146(अ) जो 31 अक्तूबर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य के तिरुवल्लूर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (मद्रास–विजयवाडा खंड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है;

(तेईस) का.आ. 1147(अ) जो 31 अक्तूबर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आन्ध्र प्रदेश जिले के पश्चिम गोदावरी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (विजयवाड़ा–विशाखापत्तनम खंड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है;

(चौबीस) का.आ. 1148(अ) जो 31 अक्तूबर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आन्ध्र प्रदेश राज्य के विशाखापत्तनम जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (विजयवाड़ा–विखाखापत्तनम) और (विशाखा–पत्तनम–भुवनेवश्वर खंड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है;

(पच्चीस) का.आ. 1149(अ) जो 31 अक्तूबर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आन्ध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (विजयवाड़ा–विशाखापत्तनम खंड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है;

(छब्बीस) का.आ. 1150(अ) जो 31 अक्तूबर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आन्ध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (विजयवाड़ा–विशाखापत्तनम खंड) और (विशाखापत्तनम–भवुनेश्वर खंड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है;

(सत्ताईस) का.आ. 1076(अ) जो 10 अक्तूबर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में बिराई में बराईथा खुर्द गांव के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (आगरा–ग्वालियर खंड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है;

(अट्ठाईस) का.आ. 1101(अ) जो 21 अक्तूबर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (तालासारी–मनोर) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है;

(उनतीस) का.आ. 1165(अ) जो 6 नवम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम जिले के मदुरानटकम तालुक में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 (चेंगालिपट्टू--टिडिवनम) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है,

(तीस) का.आ. 1166(अ) जो 6 नवम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 22 फरवरी, 2002 की अधिसूचना संख्या का.आ. 228(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं;

(इकतीस) का.आ. 1167(अ) जो 6 नवम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 15 अप्रैल, 2002 की अधिसूचना सख्या का.आ. 425(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं;

(बत्तीस) का.आ. 1186(अ) जो 8 नवम्बर, 2002 के भास्त के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा आन्ध्र प्रदेश राज्य के कृष्णा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 (नंदीगाम–इब्राहिमपटनम

खंड) को चार लेन वाला बनाने के लिए भूमि का अर्जन करने के बारे में है;

(तैंतीस) का.आ. 854(अ) जो 13 अगस्त, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 22 मार्च, 2001 की अधिसूचना संख्या का.आ. 194(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं;

(चौंतीस) का.आ. 1106(अ) जो 23 नवम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 13 जुलाई, 1999 की अधिसूचना संख्या का.आ. 576(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं;

(पैंतीस) का.आ. 1107(अ) जो 23 अक्तूबर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 के सोलापुर–हैदराबाद खंड पर स्थित पुल के उपयोग के लिए शुल्क का संग्रहण और प्रतिधारण करने के लिए महाराष्ट्र सरकार को प्राधिकृत किया गया है।

(छत्तीस) का.आ. 1157(अ) जो 1 नवम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 50 पर भूमि का अर्जन करने के लिए सब–डिविजनल अधिकारी, अहमद नगर को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।

(2) उपर्युक्त मद संख्या (1) के (ग्यारह) और (बारह) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6208/2002]

(3) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 7 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 891(अ) जो 20 अगस्त, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा यह अधिसूचित किया गया है कि केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 पर बने स्थायी अरापुझा पुल के उपयोग के लिए यांत्रिक वाहनों पर शुल्क लगाया जाएगा और वसूल किया जाएगा, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 6208क/2002]

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी) : अध्यक्ष महोदय, मैं श्रीमती वसुन्धरा राजे की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) सेन्ट्रल टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेन्टर, कोलकाता के वर्ष 2001–2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर, कोलकाता के वर्ष 2001–2002 के कार्यरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6209/2002]

(2) (एक) सेन्ट्रल टूल रूम, लुधियाना के वर्ष 2001–2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्रण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल टूल रूम, लुधियाना के वर्ष 2001–2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6210/2002]

(3) (एक) प्रोसेस एंड प्रोडक्ट डवलपमेंट सेन्टर, आगरा के वर्ष 2001–2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्रोसेस एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेन्टर, आगरा के वर्ष 2001–2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6211/2002]

(4) (एक) टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर, गुवाहाटी के वर्ष 2001–2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर, गुवाहाटी के वर्ष 2001–2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6212/2002]

(5) (एक) इंडो जर्मन टूल रूम, अहमदाबाद के वर्ष 2001–2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडो जर्मन टूल रूम, अहमदाबाद के वर्ष 2001–2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6213/2002]

(6) (एक) इंडो जर्मन टूल रूम, औरंगाबाद के वर्ष 2001–2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडो जर्मन टूल रूम, औरंगाबाद के वर्ष 2001–2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6214/2002]

(7) (एक) सेन्ट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ हैंड टूल्स, जालंधर के वर्ष 2001–2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ हैंड टूल्स, जालंधर के वर्ष 2001–2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6215/2002]

(8) (एक) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ टूल डिजाइन, हैदराबाद के वर्ष 2001–2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ टूल डिजाइन, हैदराबाद के वर्ष 2001–2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6216/2002]

(9) (एक) सेंट्रल टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर, भुवनेश्वर के वर्ष 2001–2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर, भुवनेश्वर के वर्ष 2001–2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6217/2002]

(10) (एक) इंडो डेनिश टूल रूम, जमशेदपुर के वर्ष 2001–2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडो डेनिश टूल रूम, जमशेदपुर के वर्ष 2001–2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6218/2002]

(11) (एक) इंस्टिट्यूट फॉर डिजाइन ऑफ इलैक्ट्रीकल मैजरिंग इन्स्ट्रूमेंट्स, मुम्बई के वर्ष 2001–2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट फॉर डिजाइन ऑफ इलैक्ट्रीकल मैजरिंग इन्स्ट्रूमेंट, मुम्बई के वर्ष 2001–2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6219/2002]

(12) (एक) इलैक्ट्रॉनिक्स सर्विस एंड ट्रेनिंग सेंटर, नैनीताल के वर्ष 2001–2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इलैक्ट्रॉनिक्स सर्विस एंड ट्रेनिंग सेन्टर, नैनीताल के वर्ष 2001–2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6220/2002]

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान) : अध्यक्ष महोदय, मैं श्रीमती सुमित्रा महाजन की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) आई.टी.आई. लिमिटेड और दूरसंचार विभाग (संचार मंत्रालय) के बीच वर्ष 2002–2003 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत, निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(क) (एक) आई.टी.आई. लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2001–2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आई.टी.आई. लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 2001–2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6221/2002]

(ख) (एक) भारत संचार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2000–2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत संचार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2000–2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त मद संख्या (2) के (ख) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6222/2002]

[हिन्दी]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्यूटिकल कारपोरेशन, लिमिटेड, अल्मोड़ा के वर्ष 1997–1998 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्यूटिकल कारपोरेशन, लिमिटेड, अल्मोड़ा का वर्ष 1997–1998 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6223/2002]

(3) (एक) सेंट्रल काउंसिल फार इंडियन मेडिसिन, नई दिल्ली के वर्ष 2000–2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल काउंसिल फॉर इंडियन मेडिसिन, नई दिल्ली के वर्ष 2001–2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6224/2002]

(5) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ होम्योपैथी, कोलकाता के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ होम्योपैथी, कोलकाता के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6225/2002]

(7) (एक) महात्मा गांधी इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एण्ड कस्तूरबा हॉस्पिटल, सेवाग्राम के वर्ष 2001–2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महात्मा गांधी इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एण्ड कस्तूरबा हॉस्पिटल, सेवाग्राम के वर्ष 2001–2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6226/2002]

(8) (एक) किदवई मेमोरियल इंस्टिट्यूट ऑफ आन्कोलॉजी, बंगलौर के वर्ष 2000–2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) किदवई मेमोरियल इंस्टिट्यूट ऑफ आन्कोलॉजी, बंगलौर के वर्ष 2000–2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) किदवई मेमोरियल इंस्टिट्यूट ऑफ आन्कोलॉजी बंगलौर के वर्ष 2000–2001 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6227/2002]

(10) (एक) आर.एस.टी. रीजनल कैंसर हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, नागपुर के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखारीक्षित लेखे।

(दो) आर.एस.टी. रीजनल कैंसर हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, नागपुर के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6228/2002]

(12) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन, बंगलौर के वर्ष 2001–2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6230/2002]

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन, बंगलौर के वर्ष 2001–2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 6229/2002]

अपराह्न 12.02 बजे

[अनुवाद]

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है;

(i) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा

2 दिसम्बर, 2002 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 25 नवम्बर, 2002 को हुई अपनी बैठक में पारित किये गये दिल्ली मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) विधेयक, 2002 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई''।

(ii) ''राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बातने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 2 दिसम्बर, 2002 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 27 नवम्बर 2002 को हुई अपनी बैठक में पारित किये गये भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (संशोधन) विधेयक 2002 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।''

अपराह्न 12.03 बजे

[अनुवाद]

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

दसवां प्रतिवेदन

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : महोदय मैं, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति का दसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.04 बजे

[अनुवाद]

वक्फ बोर्डों के कार्यकरण संबंधी संयुक्त संसदीय समिति

पांचवां प्रतिवेदन

श्री अली मोहम्मद नाईक (अनंतनाग) : महोदय, मैं असम वक्फ बोर्ड के बारे में वक्फ बोर्डों के कार्यकरण संबंधी संयुक्त संसदीय समिति का पांचवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[हिन्दी]

श्री शमशेर सिंह दूलो (रोपड़) : अध्यक्ष महोदय, हमने नोटिस दिया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अभी आप बैठ जाइए, मैं बाद में आपको बुलाऊंगा।

(व्यवधान)

अपराह्न 12.05 बजे

[अनुवाद]

औद्योगिक विकास बैंक (उपक्रम का अंतरण और निरसन) विधेयक* पुरःस्थापित

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। मैंने अभी ''शून्य काल'' शुरू नहीं किया है। मंत्री महोदय विधेयक पुरःस्थापित कर रहे हैं।

(व्यवधान)

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के उपक्रम का बैंककारी कारबार करने के लिए कंपनी के रूप में कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन बनायी और रजिस्ट्रीकृत की जाने वाली कंपनी को अंतरण करने और उसमें निहित करने का और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 का निरसन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ

''कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के उपक्रम का बैंककारी कारबार करने के लिए कंपनी के रूप में कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन बनायी और रजिस्ट्रीकृत की जाने वाली कंपनी को अंतरण करने और उसमें निहित करने का और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 का निरसन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।''

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : डा. रघुवंश प्रसाद सिंह इस विधेयक के पुरःस्थापन का विरोध कर रहे हैं। अब वे बोलेंगे।

(व्यवधान)

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–II, खंड 2, दिनांक 4.12.2002 में प्रकाशित।

श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर) : महोदय, विधेयक पुरःस्थापित करने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये। अभी शून्यकाल शुरू नहीं हुआ है। शून्यकाल में आप अपना प्रश्न उठा सकते हैं। अभी इंट्रोडक्शन ऑफ बिल चल रहा है। श्री रघुवंश प्रसाद जी, आप बोलिये।

(व्यवधान)

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष जी, नियम 72 के अधीन हमने सूचना दी है कि माननीय वित्त मंत्री जी आई.डी.बी.आई. को खत्म करके, नयी कंपनी बनाकर, अपने दायित्व से मुक्त होना चाहते हैं और उससे संबंधित विधेयक को पुरःस्थापित करना चाहते हैं, जिसका हम घनघोर विरोध करते हैं। इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए और रीजनल असंतुलन को दुरुस्त करने के लिए आई.डी.बी.आई. काम कर रहा था लेकिन सरकार की गलत नीतियों के चलते उसकी हालत खराब हो गयी। जब उसमें प्रावधान है कि एग्जीक्यूटिव आर्डर से सरकार उसमें सुधार कर सकती है, तो आई.डी.बी.आई. को खत्म करने के लिए आप यह विधेयक क्यों लाना चाहते हैं? यह सुनिश्चित है, अनियमित है। सरकार अपने दायित्व नयी कंपनी बनाकर शिफ्त करना चाहती है जबकि उसमें सुधार करने का प्रावधान है। सरकार सुधार न करके नयी कंपनी बनाकर आई.डी.बी.आई. को खत्म करना चाहती है। अगर आई. डी.बी.आई. खत्म हो जाएगा तो इंडस्ट्रियल डैवलमपेंट की जो परिकल्पना थी और प्रारम्भ में आई.डी.बी.आई. जो अच्छा काम कर रहा था तो आई.डी.बी.आई को समाप्त क्यों किया जा रहा है? एनपीए बढ़ रहा है, सरकार उस पर काम नहीं कर रही है। अभी जो अर्ध–वार्षिक प्रतिवेदन आया है, उसमें देश की आर्थिक हालत चौपट हो रही है। ये जो आई.डी.बी.आई. को खत्म करने का विधेयक प्रस्तुत करना चाहते हैं उसको इंट्रोड्यूस करने की अनुमति न दी जाए। हम उसका घनघोर विरोध करने के लिए खड़े हुए हैं।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मैं औद्योगिक विकास बैंक (उपक्रम का अंतरण और निरसन) विधेयक 2002 के पुरःस्थापन का विरोध करता हूं।

आई.डी.बी.आई. की स्थापना उन सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और बड़े–बड़े औद्योगिक घरानों जिन्हें आधारभूत संरचना का विकास लम्बे समय में करना था तथा कोर क्षेत्र के मौलिक और भारी इंजीनियरिंग उद्योंगो को सस्ती दरों पर दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराने के लिए की गई थी। इसकी स्थापना रोजगार सृजन तथा देश में व्याप्त मंदी के दौर को समाप्त करने के उद्देश्य से भी की गई थी।

1964 में आई.डी.बी.आई. अधिनियम के अंतर्गत आई.डी. बी.आई की स्थापना उद्योगों के योजनागत तथा संतुलित विकास करने तथा क्षेत्रीय असंतुलन और पिछड़ेपन को दूर करने के उद्देश्य से की गई थी। आई.डी.बी.आई. की भूमिका की, सरकार द्वारा काफी उच्च स्तर पर तथा संसद में भी सराहना की गई थी।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम को निरस्त करने का कोई वैध कारण नजर नहीं आता है। प्रारंभ से ही यह हमारे देश में औद्योगिकीकरण के अपने दायित्वों का निर्वाह कर रहा है। मैं नहीं जानता कि सरकार आई.डी.बी.आई. अधिनियम, 1964 को निरस्त करने के लिए विधेयक पुरःस्थापित करने का प्रयास क्यों कर रही है? इसे वाणिज्यिक बैंक में परिवर्तित करने के पीछे क्या उद्देश्य है? वाणिज्यिक बैंक की तुलना में आई.डी.बी.आई के कृत्य सर्वथा भिन्न हैं।

यदि आई.डी.बी.आई का निगमीकरण हो जाता है तथा इसे वाणिज्यिक बैंक में परिवर्तित कर दिया जाता है तो जिन उद्देश्यों के लिए इसे गठित किया गया था, वे पूरे नहीं हो पांएगे।

अध्यक्ष महोदय : कृपया संक्षेप में कहें।

श्री बसुदेव आचार्य : ऐसा प्रस्ताव लाने के पीछे कोई वैध कारण दिखाई नहीं देता है। यहां विकास हेतु बहुत सी वित्तीय संस्थाएं हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप नियमों से भली–भांति अवगत हैं। कृपया संक्षेप में कहें।

श्री बसुदेव आचार्य : आई.डी.बी.आई. अधिनियम को निरस्त करने की क्या आवश्यकता है? मेरा विचार है कि मौजूदा आई. डी.बी.आई. अधिनियम को निरस्त नहीं दिया जाना चाहिए। आई. डी.बी.आई. को विकासात्मक वित्तीय संस्थान को रूप में बने रहना चाहिए। मैं सरकार के इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं और यह मांग करता हूं कि इस विधेयक के आज पुरःस्थापित करने वाले वित्त मंत्री इसे वापिस ले लें।

श्री शिवराज वि. पाटील : मुझे इस विधेयक को पुरःस्थापित

करने की सभा की विधायी सक्षमता पर कोई आपत्ति नहीं है। भारत में वित्तीय संस्थानों की स्थापना इसलिए की गई थी कि देश में उद्योग, कृषि, व्यापार एवं अन्य गतिविधियों का विकास हो सके। बैंकों की स्थापना जनता को कई अन्य प्रकार से सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भी की गई थी। किन्तु अब हम देखते हैं कि ये वित्तीय संस्थान बैंकों का रूप ले रहे हैं। इसलिए, इन वित्तीय संस्थानों में उपलब्ध निधियां उद्योग विकास और गतिविधियों के विकास के लिए उपलब्ध नहीं हो पाएंगी।

इस मामले में, सरकार आई.डी.बी.आई. अधिनियम को निरस्त कर एक ऐसी कंपनी बनाना चाहती है जिसे वह इस वित्तीय संस्थान को सौंप सके। जब यह संस्थान सरकार के पास था तो वह इसके अनुप्रयोज्य आस्तियों पर नियंत्रण कर पाने की स्थिति में नहीं थी। अब चूंकि इसे एक गैर-सरकारी कंपनी बनाया जा रहा है, इसकी अनुप्रयोज्य आस्तियों में वृद्धि होने की संभावना है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि यद्यपि यह विधेयक सभा में पुरःस्थापित किया जा चुका है फिर भी इसे विचार किए जाने एवं पारित किए जाने हेतु सभा को न सौंपा जाए।

नियमों के अनुसार, विधेयक को सावधानीपूर्वक जांच करने के लिए स्थाई समिति को भेजा जाना चाहिए और उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही विधेयक पर विचार किया जाना चाहिए। स्थायी समितियों से संबंधित नियमों के अनुसार सदन में प्रस्तुत प्रत्येक विधेयक को, यदि वह तकनीकी स्वरूप के न हों, स्थायी समिति को सौंपा जाता है। नियम बनाते समय यही ध्यान में रखा गया था। पीठासीन अधिकारियों ने भी इसी प्रकार का निर्णय दिया है। इसलिए, मेरा कहना यही है कि इस विधेयक को गहन समीक्षा के लिए स्थायी समिति को सौंपा जाए तथा उसका प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद ही इसे सदन के समक्ष रखा जाए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। मंत्री जी को उत्तर देने दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री रामदास अठावले, कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : इस विधेयक को आज ही पुरःस्थापित किए जाने की आवश्यकता है?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, कृपंया बैठ जाइये। आपके पास मत देने का अधिकार भी है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको यहां बोलने का मौका दिया और आपने अपने विचार सदन के सामने रख दिए, अभी मंत्री जी उत्तर देंगे। शायद आपकी समस्या का समाधान हो जाए और आप भी इसका समर्थन करें।

[अनुवाद]

श्री जसवंत सिंह : इसमें मुख्य रूप से तीन मुद्दे शामिल हैं। माननीय सदस्यों ने पहली आपत्ति विधेयक के पुरःस्थापन को लेकर उठाई है। इस मामले में सभा से आई.डी.बी.आई (उपक्रम का अंतरण और निरसन) विधेयक, 2002 को पुरःस्थापित करने की अनुमति से संबंधित है। श्री बसुदेव आचार्य तथा श्री शिवराज वि. पाटील द्वारा उठाई गई दूसरी आपत्ति विकास वित्तीय संस्थानों से संबंधित है। तीसरी आपत्ति विधेयक को स्थायी समिति को भेजने से संबंधित है। मैं संक्षेप में इन तीनों मुद्दों पर बोलूंगा।

यह एक स्थापित परंपरा है और मैं जानता हूं कि श्री शिवराज पाटील भी यह भलीभांति जानते हैं कि किसी विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए पुरःस्थापन स्तर पर अनुमति सिर्फ एक ही आधार पर अस्वीकार की जाती है और वह है, सदन की विधायी क्षमता। यह एक सुस्थापित नियम है और हम सभी इससे अवगत हैं। इस विधेयक के संदर्भ में लोक सभा को किसी विधायी क्षमता को चुनौती नहीं दी जा रही है।

मेरा विश्वास है कि उठाई गई आपत्तियों के अन्य पहलू, गुण-दोष और संबंधित विषयों से जुड़े मुद्दे हैं। उन पर चर्चा की जा सकती है और करनी भी चाहिए। दरअसल, सभी माननीय सदस्यों के विचारों को ध्यान में रखा गया है। किन्तु विधायी क्षमता का प्रश्न ही नहीं उठता है, अतः अध्यक्ष महोदय से मेरा अनुरोध है कि उस मामले को दर किनार कर दिया।

विकास वित्त तथा विकास वित्त की आवश्यकता के व्यापक मुद्दे के प्रश्न पर हम पहले ही संक्षेप में चर्चा कर चुके हैं। इस पर कुछ हद तक चर्चा के लिए मैं तैयार हूं। आई.डी.बी.आई. की खामियां आज की नहीं है। ये अचानक ही पैदा

नहीं हुई हैं। मैं इसके विस्तार में जाना नहीं चाहता कि गैर–निष्पादनकारी अस्तियां क्यों और कैसे आईं और किसके साथ और किसकी पहल पर आई.डी.बी.आई. के एन.पी.ए. अस्तित्व में कैसे आई किंतु मैं सभा को यह सूचित करना भी चाहूंगा। कि यदि इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया जाता है, यदि आई. डी.बी.आई. की खामियों को दूर नहीं किया जाता है, तो हम इस संस्थान का काफी नुकसान करेंगे तथा इसके पुनरुद्धार की आशाएं खत्म हो जाएंगी। इसलिए हमने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

तीसरा मुद्दा मामले को स्थाई समिति को भेजने के बारे में है। मैं सभा की इच्छानुसार कार्य करूंगा। यदि आप इसे स्थाई समिति को भेजना चाहते हैं तो भेज दीजिए किन्तु आई. डी.बी.आई. जैसे मामले को स्थाई समिति को सौंपे जाने के संदर्भ में मैं कुछ अनुरोध करना चाहता हूं। मेरा सभा से यह अनुरोध है कि आई.डी.बी.आई. के पुनर्गठन में एक दिन के भी विलंब से इसकी स्थिति में सुधार की संभावनाओं पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। सभा इसे स्थायी समिति को सौंप सकती है। परन्तु मेरा अनुरोध है कि सभा, समिति को यह निर्देश दे कि वह अपनी सिफारिशें तथा प्रतिवेदन अगले सत्र के पहले दिन प्रस्तुत कर दें। यदि ऐसा हो जाता है तो इसमें कोई कठिनाई नहीं है क्योंकि हमारा अनुभव यह है कि कई कारणों से देश के वित्त संबंधी मामलों पर समिति दो वर्ष तक विचार करती है। मैं सभा से यही अनुरोध करता हूं कि वह विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान करें। स्पष्टतः आप इसे स्थाई समिति को तो भेज ही सकते हैं। सरकार, स्थाई समिति के निर्णय से सहमत होगी किन्तु इसे इस अनुरोध के साथ समिति को भेजा जाना चाहिए कि स्थाई समिति विधेयक अपनी सिफारिशों के साथ अगले सत्र के प्रथम दिन अवश्य लौटा दे। इस दौरान मैं किसी प्रकार काम चला लूंगा।

अगला पहलू विकास वित्त से संबंधित है। इस पहलू पर हम इस समय चर्चा कर सकते हैं जब उस पर विचार किया जाएगा।

श्री शिवराज वि. पाटील : मेरा कहना यह है कि यह विधेयक आई.डी.बी.आई. की खामियों को दूर करने के लिए किसी उपाय का प्रावधान नहीं करता है। यह सोचकर कि कंपनी, एक निगमित निकाय, इसकी खामियों को दूर कर देगी इसलिए आई.डी.बी.आई. को एक कंपनी को सौंपा जा रहा है। आई. डी.बी.आई. की खामियों को दूर करने के सरकार के इस प्रकार के रुख को हम स्वीकार नहीं करते हैं।

जहां तक इस मामले को स्थाई समिति को भेजने का संबंध है, मंत्री जी के साथ–साथ मेरा मानना भी यही है कि यह विधेयक समिति को रिपोर्ट के साथ विचार हेतु यथा संभव जल्द से जल्द वापस आना चाहिए। नियमों में इसका प्रावधान है। नियम निर्मित करते समय, विचार यह था कि तकनीकी प्रकृति के विधेयक ही स्थायी समिति को नहीं भेजे जाने चाहिए अपितु प्रत्येक विधेयक स्थाई समिति को भेजा जाना चाहिए।

अध्यक्षपीठ द्वारा विनिर्णय भी दिये गये थे कि सभी विधेयक स्थायी समिति को भेजे जाएंगे। मेरा निवेदन यह है कि इसे स्थाई समिति को भेजा जाए। माननीय मंत्री ने भी इसे स्वीकार किया है और मैं उनसे सहमत हूं कि इस संबंध में हमें प्रतिवेदन शीघ्रातिशीघ्र मिलना चाहिए।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष महोदय, इसके इंट्रोडक्शन पर ही हम इसके विरोध में खड़े हैं, यह स्टैंडिंग कमेटी में बाद में जाएगा। आप इस पर वोटिंग कराइये, तभी तय हो पायेगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री जसवंत सिंह : मैं यह गलत धारणा दूर कर दूं ...*(व्यवधान)* आई.डी.बी.आई. को निजी कंपनी को नहीं सौंपा जा रहा है। इसे एक निगमित निकाय में परिवर्तित किया जा रहा है...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : यह निजीकरण की ओर उठाया गया पहला कदम है। हम इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि आई.डी.बी.आई. को अब निजी कंपनी को क्यों सौंपा जा रहा है। इसकी आवश्यकता क्या है?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस पर कोई सवाल जवाब नहीं होगा।

(व्यवधान)

श्री जसवंत सिंह : कृपया मुझे भी बोलने का मौका दीजिए...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : इसको निगमित क्यों किया जा रहा है? इसकी आवश्यकता क्या है?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, माननीय मंत्री को

अपनी बात कहने दीजिए। आप उन्हें बोलने से कैसे रोक सकते हैं?

(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह : आई.डी.बी.आई. का निजीकरण नहीं किया जा रहा है। इसको निगमित किया जा रहा है। हम इसको निगम में बदल रहे हैं...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : क्यों?

श्री जसवंत सिंह : जब विधेयक पर विचार किया जाएगा तब इसे स्पष्ट किया जा सकता है। अभी तक तो इसे निगमित किया जा रहा है। भारतीय रिर्जव बैंक के साथ चर्चा करने सहित विस्तृत चर्चा करने के बाद आई.डी.बी.आई. के पुनरुद्धार की पद्धति तैयार की गई है, और हम पूर्णतः एक नई योजना लेकर आये हैं। यदि हम सुधारात्मक उपाय नहीं करते...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील : विधेयक में कौन–से सुधारात्मक उपाय किये गये हैं। कोई सुधारात्मक उपाय नहीं किये गये हैं...*(व्यवधान)*

श्री जसवन्त सिंह : मैं माननीय सदस्यों को सुधारात्मक उपायों के बारे में बताना चाहूंगा। यदि पुरःस्थापना के स्तर पर विधेयक को विचारार्थ नहीं लिया जाता तो आप यह नहीं कह सकते कि कोई सुधारात्मक उपाय नहीं किये गये हैं। इस विधेयक को पुरःस्थापित किया जाना है। इस पर विचार करने के स्तर पर निश्चित ही आप कह सकते हैं कि पर्याप्त सुधारात्मक उपाय नहीं किये गये हैं और ऐसा–ऐसा किये जाने की आवश्यकता है। पुरःस्थापना के स्तर पर यह कहना कि क्या सुधारात्मक उपाय किये गये हैं, वास्तव में सही नहीं है आप ऐसा नहीं कह सकते। मैं सभा को अनुरोध करता हूं कि आप एक बात जान लें कि हमारे लिए यह अभी भी संभव है कि हम आई.डी.बी.आई. को पुनरुज्जीवित कर सकें। देरी करने से नुकसान होगा। मैं सभा को केवल यही अपील कर रहा हूं। निश्चित ही इसे स्थायी समिति को सौंपा जाएगा। परन्तु स्थायी समिति को भेजने के लिए, आपको पुनः इसे सभा में स्वीकार करने के लिए अनुमति प्राप्त करनी पडेगी...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील : नहीं इसकी आवश्यकता नहीं है।

श्री जसवंत सिंह : महोदय, मैं आपको अनुरोध करता हूं कि इसे सभा के विचारार्थ स्वीकार करने की अनुमति दीजिए। इसके बाद इसे निश्चित रूप से स्थायी समिति को भेंज दें। परन्तु मैं आपसे अपुरोध करता हूं कि स्थायी समिति को भेजने से पूर्व आप यह सुनिश्चित करें कि यह अगले सत्र के पहले ही दिन वापस आ जाए...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं बोलना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप इसी विषय पर बोलना चाहते हैं? यदि नहीं तो, अभी नहीं बोल सकते।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : मैंने विधेयक को पढ़ा है। विधेयक में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह आभास होता हो कि सुधारात्मक उपाय किये गये हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, मैं आपको एक ही विषय पर तीन बार बोलने की अनुमति नहीं दे सकता।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : आई.डी.बी.आई. अधिनियम को निरस्त क्यों किया जा रहा है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों ने सटीक मुद्दे उठाये हैं। माननीय मंत्री ने भी सदस्यों को संतुष्ट करने का प्रयत्न किया है। मैं श्री शिवराज पाटील से सहमत हूं कि सामान्यतः ऐसे विधेयकों को स्थायी समिति को भेजा जाता है। सौभाग्य से, मंत्री जी भी सहमत हो गये हैं कि विधेयक स्थायी समिति को भेजा जाएगा। माननीय मंत्री चाहते हैं कि प्रतिवेदन एक निश्चित दिन सभा के समक्ष लाया जाए। मैं व्यक्तिगत रूप से महसूस करता हूं कि ऐसी शर्त नहीं रखी जा सकती। जैसा कि श्री शिवराज पाटील ने कहा, हम कह सकते हैं कि इसे यथा सम्भव शीघ्र सभा के समक्ष लाया जाना चाहिए। ताकि इसका उद्देश्य पूरा हो सके।

इसलिए अब विधेयक का पुरःस्थापन किया जा सकता है। इसके बाद इसे स्थायी समिति को भेजा जा सकता है। मैं अपने पूर्ववर्तियों से अलग विनिर्णय नहीं दे सकता। अब, मुझे विधेयक के पुरःस्थापन के बारे में मतदान कराना पडेगा।

प्रश्न यह है

कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के उपक्रम का बैंककारी कारबार करने के लिए कंपनी के रूप में कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन बनायी और रजिस्ट्रीकृत की

जाने वाली कंपनी को अंतरण करने और उसमें निहित करने का और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 का निरसन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

मेरे विचार से पक्ष की संख्या अधिक है।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : विपक्ष की संख्या अधिक है। हम मत विभाजन चाहते हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, विधेयक के पुरःस्थापन के विरोध में आई.डी.बी.आई. के सभी कर्मचारी हड़ताल पर जाएंगे ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, क्या आप मत विभाजन चाहते हैं?

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

अध्यक्ष महोदय : दीर्घाएं खाली कर दी जाएं–

अब दीर्घाएं खाली हो गई हैं। माननीय सदस्य, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैं महासचिव से निवेदन करता हूं कि वे सदस्यों की सुविधा के लिए निर्देश को पढ़ें।

महासचिव : स्वचालित मत रिकार्डिंग प्रणाली का प्रयोग करते समय सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाए।

1. मत विभाजन शुरू होने से पहले प्रत्येक सदस्य अपने स्थान पर बैठ जाएं और वहीं से इस प्रणाली का उपयोग करें।

2. जैसाकि आप देख रहे हैं कि अध्यक्ष की कुर्सी के दोनों ओर 'प्रदर्शन पर के ऊपर लाल बल्ब' जल रहे हैं। इसका अर्थ है कि गत रिकार्डिंग प्रणाली मत दर्ज करने के लिए तैयार है।

3. मतदान के लिए पहली घंटी बजने के तुरंत बाद निम्नलिखित दोनों बटनों को एक साथ दबाएं यथा :

   (1) हेड फोन प्लेट पर सदस्य के सामने एक 'लाल' बटन और

   (2) सीटों के डेस्कों के ऊपर लगे निम्नलिखित बटनों में से कोई एक बटन :

   "पक्ष में"–हरा रंग

   "विपक्ष में"–लाल रंग

   "भाग नहीं लिया"–पीला रंग

4. दोनों बटनों को तब तक दबाए रखना जरूरी है जब तक दूसरी घंटी न सुनाई दे और लाल बल्ब "बुझ" न जाए।

   महत्वपूर्ण निर्देश : माननीय सदस्य इस बात का ध्यान रखे कि यदि दूसरी घंटी बजने तक दोनों बटनों को दबाए नहीं रखा जाएगा तो उसका मत दर्ज नहीं होगा।

5. मत विभाजन के दौरान पीले बटन (पी) को न दबाएं।

6. सदस्य अपने मत को प्रदर्शन पट और अपनी डेस्क पर भी देख सकते हैं। यदि उनका मत दर्ज नहीं होता है तो वे पर्चियों द्वारा मतदान के लिए कह सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के उपक्रम का बैंककारी कारबार करने के लिए कंपनी के रूप में अधिनियम, 1956 के अधीन बनायी और रजिस्ट्रीकृत की जाने वाली कंपनी को अंतरण करने और उसमें निहित करने का और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 का निरसन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

मत विभाजन संख्या 4] **[अपराह्न 12.35 बजे**

पक्ष में

अर्गल, श्री अशोक

अलवी, श्री राशिद

आचार्य श्री प्रसन्न

आजाद, श्री कीर्ति झा

ए. नरेन्द्र श्री

एम. मास्टर मथान, श्री

कस्वां, श्री राम सिंह

काम्बले, श्री शिवाजी विट्ठलराव

कुप्पुसामी, श्री सी.

कुमार श्री वी. धनंजय

कृष्णन, डा. सी.

कृष्णास्वामी, श्री ए.

खंडेलवाल, श्री विजय कुमार

खां, श्री मनसूर अली

खांदोकर, श्री अकबर अली

खैरे, श्री चन्द्रकांत

गाड्डे श्री राम मोहन

गिलुआ, श्री लक्ष्मण

गीते, श्री अनंत गंगाराम

गुढ़े श्री अनंत

गेहलोत, श्री थावरचन्द

गौतम, श्रीमती शीला

चन्द्रशेखर, श्री

चौधरी, श्री पदमसेन

*चौधरी, श्री राम टहल

चौबे, श्री लाल मुनी

चौहान, श्री शिवराजसिंह

जगन्नाथ, डा. मन्दा

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

जयशीलन, डा. ए. डी. के.

जीगाजीनागी, श्री रमेश सी.

तोमर, डा. रमेश चन्द

थामस, श्री पी. सी.

दग्गुबाटि, श्री राम नायडू

*दिलेर, श्री किशन लाल

दिवाथे, श्री नामदेव हरबाजी

देव, श्री विक्रम केशरी

नायक, श्री अनन्त

*नायक, श्री अली मोहम्मद

पटेल, श्री प्रहलाद सिंह

परस्ते, श्री दलपत सिंह

पलानीमनिक्कम, श्री एस. एस.

पवैया, श्री जयभान सिंह

पांजा, डा. रंजीत कुमार

पांजा, श्री अजित कुमार

पाटिल (यत्नाल), श्री बसनगौडा रामनगौ

पाटील, श्री जयसिंगराव गायकवाड

पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण

पासवान, डा. संजय

पासी, श्री राजनारायण

पासी, श्री सुरेश

पोन्नुस्वामी, श्री ई.

बंद्योपाध्याय, श्री सुदीप

बोस, श्रीमती कृष्णा

ब्रह्मनैया, श्री ए.

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

मल्लिकार्जुनप्पा, श्री जी.

मल्होत्रा, डा. विजय कुमार

महताब, श्री भर्तृहरि

महाजन, श्री वाई. जी.

मांझी, श्री रामजी

मांझी, श्री परसुराम

*माने, श्री शिवाजी

मुर्मू, श्री सालखन

यादव, डा. (श्रीमती) सुधा

यादव, श्री दिनेश चन्द्र

येरननायडू, श्री के.

रमैया, डा. बी. बी.

राधाकृष्णन, श्री सी पी.

राव, श्री एस. बी. पी. बी. के. सत्यनारायण

*रेड्डी, श्री चाडा सुरेश

रेड्डी, श्री बी. वी. एन.

वर्मा, श्री राजेश

विजयन, श्री ए. के. एस.

विजया कुमारी, श्रीमती डी. एम.

वीरेन्द्र कुमार, श्री

वुक्कला, डा. राजेश्वरम्मा

वेंकटस्वामी, डा. एन.

वेंकटेस्वरलु, श्री बी.

वेणुगोपाल, श्री डी.

वेत्रिसेलवन, श्री वी.

श्रीकांतप्पा, श्री डी. सी.

सामन्तराय, श्री प्रभात

साहू, श्री अनादि

साहू, श्री ताराचन्द

सिंह, श्री बृज भूषण शरण

सिंह, श्री रामपाल

सिंह, श्री रामानन्द

सी. सुगुणा कुमारी, डा. (श्रीमती)

सेठी, श्री अर्जुन चरण

सेनगुप्ता डा. नीतिश

सोमैया, श्री किरीट

स्वामी, श्री चिन्मयानन्द

विपक्ष में

अजय कुमार, श्री एस.

अब्दुल्लाकुट्टी, श्री ए. पी.

आचार्य, श्री बसुदेव

आठवले, श्री रामदास

कुरुप, श्री सुरेश

कृष्णदास, श्री एन. एन

कौर, श्रीमती प्रेनीत

खां, श्री सुनील

गालिब, श्री जी. एस.

गौड़ा, श्री जी. पुट्टा स्वामी

घाटोवार, श्री पवन सिंह

चक्रवर्ती, श्री अजय

चक्रवर्ती श्री स्वदेश

चटर्जी, श्री सोमनाथ

चेन्नितला, श्री रमेश

चौधरी, श्रीमती रेणूका

चौधरा, श्रीमती संतोष

जार्ज, श्री के. फ्रांसिस

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

जाहेदी, श्री महबूब

जोस, श्री ए. सी.

डोम, डा. राम चन्द्र

तिवारी, श्री सुन्दर लाल

तोपदार, श्री तरित बरण

दीपक कुमार, श्री

दूलो, श्री शमशेर सिंह

पण्डा, श्री प्रबोध

पाटिल, श्री आर. एस.

पाटील, श्री शिवराज वि.

पाल, श्री रूपचन्द

पासवान, श्री राम विलास

पुगलिया, श्री नरेश

प्रमाणिक, प्रो. आर. आर

बंगरप्पा, श्री एस.

बंसल, श्री पवन कुमार

बखला, श्री जोवाकिम

बनातवाला, श्री जी. एम.

बराड़, श्री जे. एस.

बसराज, श्री जी. एस.

बिन्द, श्री रामरती

बोचा, श्री सत्यनारायण

भाटिया, श्री आर. एल.

भौरा, श्री भान सिंह

मंडल, श्री सनत कुमार

माने, श्रीमती निवेदिता

मीणा, श्री भेरूलाल

मुत्तेमवार, श्री विलास

मुनियप्पा, श्री के. एच.

मुरलीधरन, श्री के.

मोल्लाह, श्री हन्नान

मोहन, श्री पी.

यादव, श्री देवेन्द्र सिंह

राजेन्द्रन, श्री पी.

राधाकृष्णन, श्री वरकला

राय प्रधान, श्री अमर

राव, श्रीमती प्रभा

रेड्डी, श्री एस. जयपाल

लाहिड़ी, श्री समीक

लेपचा, श्री एस. पी.

वंग्चा, श्री राजकुमार

वर्मा, श्री राममूर्ती सिंह

शिव कुमार, श्री वी. एस.

शुक्ल, श्री श्यामाचरण

सईद, श्री पी. एम.

सनदी, प्रो. आई. जी.

सर, श्री निखिलानन्द

सरडगी, श्री इकबाल अहमद

*सांगतम, श्री के. एस.

सिंह, कुंवर अखिलेश

सिंह, डा. रघुवंश प्रसाद

सिंह, श्री चन्द्र भूषण

सिंह, श्री चरनजीत

सिंह, श्री बलबीर

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

सिंह, श्री राजो

सिंह, श्रीमती कान्ति

*सिंह, श्रीमती श्यामा

सुदर्शन नाच्चीयपन, श्री ई. एम.

सुमन, श्री रामजीलाल

*सुरेश, श्री कोडीकुनील

सेन, श्रीमती मिनाती

सोराके, श्री विनय कुमार

हमीद, श्री अब्दुल

हसन, श्री मोइनुल

हान्दिक, श्री विजय

अध्यक्ष महोदय : अब परिणाम की घोषणा होगी। कुछ ही पलों में आप सबकी उत्सुकता समाप्त हो जाएगी। परिणाम इस तरह है। क्यों मैं कार्यवाही जारी रखूं?

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

अध्यक्ष महोदय : शुद्धि* के अध्यधीन, मत निभाजन का परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में : 91

विपक्ष में : 84

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अध्यक्ष महोदय : अब मंत्री महोदय विधेयक पुरःस्थापित करें।

श्री जसवंत सिंह : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूं।

---

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

*विपक्ष में : 84 – श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया = 83

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

अपराह्न 12.47 बजे

[अनुवाद]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति

उनतीसवां प्रतिवेदन

श्री पी. एस. सईद (लक्षद्वीप) : महोदय, मैं गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति का उनतीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। 'शून्य काल' के लिए अब काफी कम समय है। मैं आप सभी से सहयोग करने का अनुरोध करता हूं ताकि हम 'शून्य काल' के दौरान अधिकतम मामलों पर चर्चा कर सकें। अब हम एक–एक करके मामलों पर विचार करेंगे।

मैं श्री जयपाल रेड्डी को अपना मामला पहले उठाने की अनुमति देता हूं क्योंकि मैं उन्हें पहले ही वचन दे चुका हूं।

(व्यवधान)

श्रीमती रेणूका चौधरी (खम्माम) : महोदय, मैंने भी उसी मुद्दे पर एक नोटिस दिया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपको उनके साथ सम्बद्ध कर दिया जायेगा।

श्री एस. जयपाल रेड्डी (मिरयालगुड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं आपके माध्यम से सभा और गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं कि पुलिस ने 2 दिसम्बर, 2002 को विशाखापट्टनम जिला में किसानों के शांतिपूर्ण जुलूस पर गोलियां चलायीं।...*(व्यवधान)*

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम) : महोदय, यह राज्य का विषय है।...*(व्यवधान)*

श्री एस. जयपाल रेड्डी : किसान रेवाड़ा जलाशय से पानी छोड़े जाने के लिए आन्दोलन कर रहे थे।...*(व्यवधान)* किसान पानी छोड़े जाने की मांग कर रहे थे।...*(व्यवधान)* उनसे बातचीत की जा सकती थी। पुलिस की नृशंस फायरिंग की

वजह से दो किसानों की मौत हो गयी।...*(व्यवधान)* 22 राउंड गोलियां चलायी गयी हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि लोक सभा के एक भूतपूर्व सदस्य, श्री कोनाथला रामकृष्ण को सैकड़ों अन्य किसानों के साथ हिरासत में लिया गया। ...*(व्यवधान)*

श्री के. येरननायडू : महोदय, यह राज्य का मामला है। कृपया उन्हें इस मुद्दे को यहां उठाने की अनुमति न दें। ...*(व्यवधान)*

श्री एस. जयपाल रेड्डी : महोदय, किसानों को झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है। यह पुलिस की नृशंसता का उदाहरण है...*(व्यवधान)* इसका अद्यतन उदाहरण आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा किसानों का नृशंसपूर्वक दमन करने के लिए अपनाई गई नीति है।...*(व्यवधान)*

श्री के. येरननायडू : महोदय, नियम उन्हें इस मुद्दे को यहां उठाने की इजाजत नहीं देते क्योंकि यह राज्य का विषय है। इस सभा में अनेक पूर्व दृष्टांत है। अध्यक्ष ने उन पर अपने निर्णय दिए हैं।...*(व्यवधान)*

श्री एस. जयपाल रेड्डी : महोदय, कुछ महीने पहले, किसान हैदराबाद नगर में पुलिस की इसी प्रकार की गोलीबारी का शिकार हुए थे और गोली लगने की वजह चार किसानों की मौत हो गयी थी।...*(व्यवधान)*

श्री के. येरननायडू : वे मूल सच्चाई से अवगत हुए बगैर उस मुद्दे को यहां उठाना चाहते हैं।...*(व्यवधान)*

श्री एस. जयपाल रेड्डी : महोदय, विशाखापतनम में इस स्थिति को टाला जा सकता था यदि सरकार ने किसानों से बातचत की होती और उन्हें पूर्ण विश्वास में लिया होता। ...*(व्यवधान)*

श्री के. येरननायडू : महोदय, इस मुद्दे पर अध्यक्ष के अनेक निर्णय हैं। श्री सोमनाथ चटर्जी को पता है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

श्री के. येरननायडू : वे 'शून्य काल' के दौरान इस मुद्दे को कैसे उठा सकते हैं?

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री जयपाल रेड्डी से एक नोटिस प्राप्त किया है। इस नोटिस में 2 दिसम्बर, 2002 को विशाखापत्तनम जिले में किसानों के शांतिपूर्ण जुलूस पर पुलिस द्वारा बिना किसी कारण के की गयी गोलीबारी के मुद्दे का उल्लेख है। मैंने यही नोटिस प्राप्त किया है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र) : महाराष्ट्र में क्या हुआ?...*(व्यवधान)* महाराष्ट्र के कांग्रेस की सरकार है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री के. येरननायडू : यह राज्य का विषय है। वे इसे यहां कैसे उठा सकते हैं? आपको इसकी अनुमति नहीं देनी चाहिए। आपको नया दृष्टांत नहीं बनाना चाहिए।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती रेणूका चौधरी : नेक्सेलाइट्स को आप पकड़ नहीं सकते।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

श्री के. येरननायडू : आपको उन्हें अनुमति नहीं देनी चाहिए।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : मैं अनुमति लेकर बोल रहा हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। श्री येरननायडू, जब मैं खड़ा हूं तो आपको मेरी बात माननी चाहिए

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्रीमती रेणूका चौधरी : किस बात के लिए आप तालियां बजा रहे हैं?...*(व्यवधान)* यह किसान विरोधी सरकार है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

किसानों पर 22 राउंड गोलियां चलायी गई थीं और आंसू गैस के गोले छोड़े गये थे।...*(व्यवधान)*

श्री के. येरननायडू : आपको यह मुद्दा उठाने का कोई अधिकार नहीं है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुझे नोटिस प्राप्त हुआ है। कृपया मेरी

बात सुनें। मुझे किसानों पर गोलीबारी संबंधी यह नोटिस प्राप्त हुआ है। नोटिस समय से मिला है। इसमें कोई संदेह नहीं है तथा यह सच है कि हमं आमतौर पर राज्य सरकार से संबंधित इस प्रकार के नोटिस को स्वीकार नहीं करते हैं। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती रेणूका चौधरी : किसानों पर बंदूक चलती है तो आप तालियां बजाते हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : रेणूका जी, आप बैठिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इस नोटिस को इसलिए प्राप्त किया गया है क्योंकि कुछ खास मामलों में, 'शून्य काल' के दौरान राज्य से संबंधित मामलों पर भी चर्चा की जाती है। परन्तु मैं इसे दृष्टांत बनाना नहीं चाहता।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : देश के किसानों का मामला है। यह स्टेट का मामला नहीं रह जाता।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि सभा सहमत हो तो हम निर्णय ले सकते हैं कि कोई भी मामला जो राज्य का विषय हो, चाहे वह कितना भी गंभीर क्यों न हो, 'शून्य काल' के दौरान चर्चा हेतु नहीं लिया जाएगा। मैं ऐसा करने को तैयार हूं।

(व्यवधान)

श्री के. येरननायडू : किसी व्यक्ति की हत्या नहीं हुई। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसलिए, भविष्य में ऐसा किया जा सकता है। परन्तु इस सभा में 'शून्य काल' के दौरान गंभीर मामलों पर चर्चा किए जाने के दृष्टांत रहे हैं।

जो भी हो, अब आपने अपनी बात रख दी है।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : मेरी बात नहीं सुनी गयी।

अध्यक्ष महोदय : आपने जो कुछ भी कहा है वह कार्यवाही–वृत्तांत में दर्ज हो गया है। मैं चाहता हूं कि आप अपना वक्तव्य एक या दो वाक्यों में पूरा करें।

(व्यवधान)

श्री एस. जयपाल रेड्डी : यदि सरकार ने किसानों से बातचीत की होती तथा उन्हें पूर्ण विश्वास में लिया होता तो विशाखापतनम में इस स्थिति को टाला जा सकता था। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : राम विलास पासवान जी, अब आप बोलिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सदस्य 'शून्य काल' के दौरान अपना वक्तव्य देने में मात्र दो मिनट का समय लेते हैं, दो अथवा तीन मिनट से अधिक नहीं।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : मेरी बात नहीं सुनी गयी।

[हिन्दी]

श्रीमती रेणूका चौधरी : सर, हम लोगों के ऊपर जुल्म होता है और आप भी नहीं बोलते हैं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री के. येरननायडू : यदि आप अनुमति दें तो मैं सभा को सारी स्थिति से अवगत करा दूंगा। यदि आप संतुष्ट नहीं हैं तब कृपया उनको बोलने दीजिए। किसी भी व्यक्ति की हत्या नहीं हुई।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री चन्द्रकांत खैरे : महाराष्ट्र में क्या हुआ?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको बोलने के लिए कहा है।

(व्यवधान)

श्री के. येरननायडू : आप इस विषय पर यहां कैसे बोल सकते हैं?...*(व्यवधान)*

श्री एस. जयपाल रेड्डी : महोदय, मैं व्यवधान नहीं डालता हूं, अतएव मैं यह पंसद नहीं करता हूं कि कोई मेरे वक्तव्य में व्यवधान पैदा करे।

मैं एक महत्वपूर्ण बात इस सभा के ध्यान में लाना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

श्री के. येरननायडू : महोदय, इसे स्पष्ट करने के लिए कृपया मुझे एक मिनट का समय दीजिए।...*(व्यवधान)*

श्रीमती रेणूका चौधरी : यदि आप बोलना चाहते हैं तो इसके लिए आपको नोटिस देना होगा।...*(व्यवधान)*

श्री के. येरननायडू : महोदय, यह मुद्दा उठाया नहीं जा सकता।...*(व्यवधान)* यदि कोई मौत अथवा कोई गंभीर बात हुई होती तो आप इस मुद्दे को उठाने की अनुमति दे सकते थे परन्तु ऐसा कुछ नहीं हुआ है।

डा. मन्दा जगन्नाथ (नगर कुरनूल) : महोदय, क्या आप एक नया दृष्टांत बनाना चाहते हैं।

श्री के. येरननायडू : महोदय, यदि अभी आप इस मुद्दे को उठाने की अनुमति देते हैं तो संसद का प्रत्येक सदस्य ऐसे ही मुद्दे उठाने लगेंगे।...*(व्यवधान)*

डा. मन्दा जगन्नाथ : महोदय, क्या यह एक राजनीतिक मंच है...*(व्यवधान)*

श्री के. येरननायडू : वे लोक सभा का उपयोग एक राजनीतिक मंच की तरह कैसे कर सकते हैं? कृपया आप इसकी अनुमति न दें।.. *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती रेणूका चौधरी : हम इनकी बात नहीं सुनेंगे। इनको नहीं बोलने देंगे।...*(व्यवधान)*

श्री एस. जसपाल रेड्डी : आन्ध्र प्रदेश सरकार दमन की नीति अपना रही है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, इस मुद्दे पर आगे और कोई चर्चा नहीं होगी। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण मैंने पहले ही कह दिया है कि इस मुद्दे पर कही जाने वाली कोई भी बात कार्यवाही–वृत्तांत में शामिल नहीं की जायेगी। अब और कुछ भी कार्यवाही–वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी जगह पर जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, श्री राम विलास पासवान बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने जा रहे हैं। कृपया उनकी बात सुनिए।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने और इस सदन के सभी लोगों ने देश के विभिन्न भागों में दलितों के ऊपर और झज्जर में जो घटना घटी, एक सप्ताह पहले उस पर चिन्ता जाहिर की गई और उस घटना की निन्दा की। सदन में पार्लियामेंट्री एफेयर्स मिनिस्टर ने एश्योरेंस दिया था कि वे इस विषय से सरकार को अवगत करायेंगे और उस पर चर्चा भी होगी, लेकिन अभी तक इस पर चर्चा नहीं हुई और न ही सरकार की तरफ से कोई वक्तव्य दिया गया है। इसी बीच एससीएसटी कमीशन उस क्षेत्र में गया था और कमीशन की जो रिपोर्ट आई है, वह बहुत ही भयानक है। एससीएसटी कमीशन ने दो बातें कही हैं– एक, पुलिस और वहां जो साम्प्रदायिक तत्व हैं–विश्व हिन्दू परिषद् और बजरंग दल–इन लोगों की सांठगांठ से दलित वर्ग के लोग मारे गए हैं, और दो–गलतहफहमी में एक व्यक्ति को मुसलमान समझकर मारा गया है। इससे ज्यादा खतरनाक बात और कोई नहीं हो सकती है, किसी व्यक्ति को भी मुसलमान समझ इस देश में कैसे मार सकते हैं...*(व्यवधान)* मैं इस सरकार में पहली बार देख रहा हूं कि सरकार एससी के प्रति इतनी गैर–जवाबदेह है और सरकार का इतना कैलस एटीचूड है। बिहार में भी घटना घटी है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक सरकार ने झज्जर की घटना के संबंध में कोई वक्तव्य सदन में नहीं दिया है। मैं समझता हूं कि यह आपके आदेश की अवहेलना है। आप चेयर पर बैठे हैं और आप सरकार को छड़ी लगा सकते हैं। इस देश में एस.सी.एस.टी. कहां जाएगा? मैंने उस दिन भी कहा था कि इस देश में क्या एस.सी.एस.

*कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

टी. को जीने का अधिकार नहीं है। पांच–पांच लोगों को जिन्दा जला दिया गया...*(व्यवधान)* इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती है। मैंने इस संबंध में एडजार्नमेंट मोशन दिया है और एडजार्नमेंट मोशन कोई मामूली चीज नहीं होती है। मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री या होम मिनिस्टर वक्तव्य देने का काम क्यों नहीं कर रहे हैं?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डा. मन्दा जगन्नाथ : महोदय, यह बहुत गम्भीर मामला है। हमें इस पर सभा में चर्चा करनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मैंने भी एडजर्नमेंट मोशन दिया है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री राम विलास पासवान और कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने कुछ दिनों पूर्व ऐसी ही सूचना दी थी। मैंने उनकी सूचनाओं को पढ़ा है। मैंने सरकार को इस मामले पर गम्भीरता से विचार करने का निदेश दिया है। यह मुद्दा पिछली बार कार्य मंत्रणा समिति में भी उठाया गया था। आज पुनः अपराह्न 4.30 बजे कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी।

मैं श्री राम विलास पासवान और अन्य माननीय संसद सदस्यों के विचार से सहमत हूं। वहां श्री सोमनाथ चटर्जी भी मेरे साथ थे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : सदन का कैसा तरीका हो गया है? इतने इम्पोर्टेंट विषय पर चर्चा कर रहे हैं, आप सुनिए।

अपराह्न 01.00 बजे

[अनुवाद]

तो आज पुनः अपराह्न 04.30 बजे कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी। मैं निजी तौर पर इस मामले में पहल करूंगा और किसी रूप में कार्य मंत्रणा समिति से इस मामले पर चर्चा करने का अनुरोध करूंगा। मैं आशा करता हूं कि इस मुद्दे पर अगले सप्ताह में चर्चा की जा सकेगी।

(व्यवधान)

श्री एस. जयपाल रेड्डी : महोदय, सरकार इस मुद्दे पर अपना वक्तव्य दे...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब कांग्रेस पार्टी के हमारे मित्र काफी समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं। कृपया बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : सरकार इस मुद्दे पर अपना वक्तव्य क्यों नहीं दे रही है?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप सरकार से वक्तव्य की मांग कर रहे थे और मैंने सरकार को वक्तव्य देने के लिए कह दिया है। क्या आप वक्तव्य चाहते हैं अथवा चर्चा चाहते हैं?

(व्यवधान)

श्री सईदुज्जमा (मुजफ्फरनगर) : दोनों एक साथ चाहते हैं।...*(व्यवधान)*

डा. सुशील कुमार इन्दौरा (सिरसा) : हम दोनों ही चाहते हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप यह चाहते हैं कि मंत्री महोदय वक्तव्य दें। इसके बाद इस पर चर्चा हो सकती है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं भी उनसे यही अपेक्षा करता हूं।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : महोदय, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : चर्चा के बारे में कार्य मंत्रणा समिति द्वारा निर्णय किया जाएगा। मैंने सरकार से इस मद्दे पर वक्तव्य देने को कहा है।

(व्यवधान)

श्री आर. एल. भाटिया (अमृतसर) : महोदय, बीते दिन हमने पंजाब के लिए सूखा राहत से संबंधित मामला उठाया है। पंजाब राज्य के साथ भेदभाव किया गया जा रहा है। माननीय संसदीय कार्यमंत्री ने इस सभा को यह आश्वासन दिया था कि वे संबंधित मंत्री को इसकी सूचना दे देंगे। हालांकि इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं हुई क्योंकि अब तक हमें कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शमशेर सिंह दूलो (रोपड़) : अध्यक्ष महोदय, पंजाब को जो ड्राउट रिलीफ हेतु धनराशि देनी थी, उसका उन्हें एक पैसा भी नहीं दिया गया, लेकिन हरियाणा को दिया गया। यह हमारे साथ डिसक्रिमिनेशन हो रहा है।...*(व्यवधान)* यहां से अग्रवाल कमेटी पंजाब होकर आई है, जहां उन्होंने मौके पर असेस्मेंट की।...*(व्यवधान)* उन्होंने 3,642 करोड़ रुपया रिकमेंड किया है, लेकिन आपने एक पैसा भी नहीं दिया। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जब चर्चा होगी तो उस समय आप बोलिए। आपने कालिंग अटेंशन नोटिस दिया है, वह हमारे पास है। हमने नोटिस रिसीव किया है। हम इस विषय पर निर्णय लेंगे। आपको इस विषय पर बोलने का मौका दिया जाएगा और उस समय मंत्री जी यहां निवेदन करेंगे।

श्री शमशेर सिंह दूलो : ठीक है।

[अनुवाद]

श्री आर. एल. भाटिया : माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने बीते दिन इस सभा को यह आश्वासन दिया था...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संबंध में वक्तव्य आज दिया जायेगा अथवा नहीं?

अध्यक्ष महोदय : यह आज नहीं होगा। हमें सरकार यह बताएगी कि वह यह वक्तव्य कब देना चाहेगी।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल में रहस्यमय बीमारी से बच्चों का मरना निरंतर जारी है। अकेले सहारनपुर जिले में सौ से अधिक बच्चे मरे हैं। बागपत, मुजफ्फरनगर और पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश इस बीमारी की चपेट में है। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। आज तक सरकार ने यह जानने की कोशिश नहीं की है कि कोई एक्सपर्ट टीम भेजकर यह पता लगाए कि यह कौन सी बीमारी है।

महोदय, कल यह सवाल राज्यसभा में भी उठा था। सरकार से यह अपेक्षा की जाती है कि तत्काल उन स्थानों पर टीम भेजकर इस बीमारी का पता लगाए और इस बीमारी को रोकने के लिए जो प्रयास संभव हो वह करने की कोशिश करे। पहले जब मैंने यह सवाल उठाया तो उस समय दूसरे सवालों पर यहां बातें होनी शुरू हो गई थीं। उस समय यहां शत्रुघ्न सिन्हा जी बैठे थे, मैंने उनसे कहा कि आप इस संबंध में कुछ कहें। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप सरकार को निर्देश दीजिए कि इन स्थानों पर विशेषज्ञों की एक टीम भेजकर इस बीमारी के बारे में पता लगवाएं। इस पर तत्काल आवश्यक कार्यवाही की जाए।...*(व्यवधान)*

श्री शिवराजसिंह चौहान (विदिशा) : अध्यक्ष महोदय, मैं जो विषय उठाना चाहता हूं वह केवल किसी दल का नहीं अपितु संपूर्ण देश के लिए घोर चिन्ता का विषय है। महिलाओं के साथ अत्याचार, विशेषकर बलात्कार की घटना निरंतर हो रही हैं।...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन : महोदय, यहां स्वास्थ्य मंत्री बैठे हैं, आप सरकार को निर्देश दीजिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, इस विषय पर ध्यान दें।

(व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन : महोदय, स्थिति इतनी खराब है और सरकार कुछ नहीं कर रही है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सरकार इस मामले पर गंभीरता से विचार करे और तदनुसार संबंधित मंत्री को अवगत कराए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शिवराजसिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, बलात्कार की घटनाएं दिन-प्रति दिन बढ़ रही हैं और बलात्कारी दरिंदगी की हर सीमा पार कर गये हैं। साठ साल की महिला से लेकर दो साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया जा रहा है। आज बलात्कार की खबरों से पूरे अखबार भरे पड़े हैं। "गाजियाबाद की महिला से संसद भवन के दुष्कर्म", "दो साल की बच्ची के साथ बलात्कार", "चार साल की बच्ची को उठा लिया"। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि बलात्कारी को कड़ा दंड दिया जाए। इसके पीछे जो विकृत मानसिकता काम करती है वह टेलीविजन, फिल्मों और इंटरनेट के माध्यम से जन्म लेती है। इनके द्वारा महिलाओं को जो नग्न रूप में प्रदर्शित किया जाता है वह इस विकृत मानसिकता को जन्म दे रहा है। आज यह हो रहा है कि आप चाहे समाचार-चैनल

देखो, उसमें चाहे साबुन का विज्ञापन हो, गर्म–कपड़ों का विज्ञान हो, कोल्ड–ड्रिंक्स का विज्ञापन हो, हर विज्ञापन में महिलाओं को नग्नता के साथ पेश किया जाता है। गर्म–कपड़ा पहने हुए कोई नौजवान आता है और एक युवती उसको पकड़ लेती है और कहती है–"इट्स वैरी–वैरी हॉट"।

श्रीमती कान्ति सिंह (बिक्रमगंज) : सरकार भी आपकी है, महिला मंत्री भी है, फिर इस पर रोक क्यों नहीं लगाई जा रही है?

श्री शिवराजसिंह चौहान : माननीय कान्ति जी, इसमें किसी दल का सवाल नहीं है, इसमें तो आप साथ दें। अध्यक्ष जी, मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह के विज्ञापनों पर रोक लगाई जाए। फिल्मों में नारी देह को जिस तरह से परोसा जा रहा है तथा इंटरनेट पर जिस तरह से सेक्स परोसा जा रहा है, उस पर सरकार तत्काल प्रतिबंध लगाए। महिलाओं के साथ बलात्कार करने वालों को कड़ा दंड दिया जाए तथा ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। बलात्कारी अगर नौकरी में हो तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाए और अगर वह नौजवान हो तो उसे सरकारी नौकरी में स्थान न दिया जाए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह के कानून बनाए जाएं। इस विषय पर पूरा सदन एक स्वर में बोले, ऐसा मैं निवेदन करना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री वी. एम. सुधीरन (अलेप्पी) : महोदय, मैं एफएसीटी, अलवै का निजीकरण करने के केन्द्र सरकार के निर्णय के विरुद्ध केरल में बढ़ते आक्रोश और विरोध की ओर सरकार का ध्यान तत्काल दिलाना चाहूंगा। किसी भी पार्टी अथवा अन्य संबद्धता और नजदीकी पर कोई विचार किये बिना राज्य के लोग उस निर्णय की निंदा और विरोध करने के लिए एकजुट हो गए हैं। राज्य सरकार ने भी केन्द्र सरकार को पत्र लिखकर अपनी आपत्ति से अवगत कराया है। केन्द्र सरकार के निर्णय को किसी भी प्रकार से विशेषकर हाल ही कथित हानि के आधार पर न्यायोचित ठहराया नहीं जा सकता है। यहां यदि किसी प्रकार हानि भी हुई है तो यह उर्वरक पर राज सहायता वापस लेने और नेफ्था के मूल्य में वृद्धि जैसी केन्द्र सरकार की गलत नीतियों के कारण हुई है। यदि एक प्रतिष्ठित सार्वजनिक परिसम्पत्ति को जानबूझकर नष्ट करने की कोशिश नहीं है तो कम से कम यह लोगों के हितों पर कुठाराघात है।

अतः मैं केन्द्र सरकार से यह आग्रह करता हूं कि वह यह विध्वंसकारी कदम न उठाये और देश के हित में एफ. ए.सी.टी. को बचाए।

श्री सुनील खां (दुर्गापुर) : महोदय, यह पूरी सभा के लिए चिंता का विषय है कि स्टील अथॉरिटी आफ इंडिया द्वारा सेलम इस्पात संयंत्र को मैसर्स जिन्दलस, जो एकमात्र बोलीदाता हैं, को सौंपने की कोशिश की जा रही है। परन्तु वह सेलम इस्पात संयंत्र के लिए बोलीदाता होने की अर्हता की शर्तों को पूरा करने में असफल रहा है। दूसरे, उसने उसी मार्ग, उन्हीं निवेश प्रस्तावों और उसी प्रकार प्रौद्योगिकीय उन्नयन का प्रस्ताव किया है जैसा कि 'सेल' में है। ऐसी स्थिति में 'सेल' 'जिन्दल्स' की तुलना में बेहतर कार्य कर सकता है।

जैसाकि हम सभी जानते हैं कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के अलाय इस्पात संयंत्र और सेलम इस्पात संयंत्र की स्थापना परस्पर अनुपूरक इकाई के रूप में की गई थी। अलाय इस्पात संयंत्र में स्टेंलेस स्टील के पिघलाने और ढालने की सुविधाएं हैं और सेलम इस्पात संयंत्र में उन्हें प्लेटों और शीटों के रूप में ढालने की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। उत्पादन के मूल क्षेत्र में कोई और निवेश किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है और एएसपी में गुणवत्ता संबंधी कुछ समस्याएं हैं जिन्हें वहां एक एओडी यूनिट की स्थापना करके दूर किया जा सकता है। इसमें नाममात्र का मुश्किल से 50 से 60 करोड़ रुपये का निवेश अपेक्षित होगा जो कि उन्हें अगले वर्ष में ही लौटा दिया जायेगा...*(व्यवधान)* चीन से ओलम्पिक खेल होने तक के लिए बड़े पैमाने पर आपूर्ति आदेश प्राप्त हुए हैं। इस स्टेंलेस स्टील की वहां भी आवश्यकता है और रेलवे, निर्माण कार्य, भण्डारण, औषध और खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी उद्योग आदि में इसका उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। मेरा यह निवेदन है कि हमारे विपणन में कोई समस्या नहीं आएगी...*(व्यवधान)* भारतीय रेलवे के ढुलाई प्रभार अत्यधिक है। चूंकि एएसपी से कच्चे माल के रूप में स्लैब सेलम इस्पात संयंत्र को भेजे जाते हैं, अतः स्टेंलेस स्टील के लिए ढुलाई प्रभार रियायती दर पर होने चाहिए। इससे दोनों संयंत्रों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी।

अतः मैं सरकार से यह आग्रह करता हूं कि वह इस मामले की जांच और सेलम इस्पात संयंत्र को न बेचे...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री एस. कृष्णस्वामी।

श्री दलित इजिलमलाई (तिरुचिरापल्ली) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बुलाया था, परन्तु मैं इसके बारे में बोल नहीं सका।

श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयप्पन (शिवगंगा) : महोदय, मैं भी उनकी बातों का समर्थन करना चाहूंगा क्योंकि सेलम इस्पात संयंत्र तमिलनाडु के लिए गौरव का विषय है। माननीय अध्यक्ष ने स्वयं भी भारी उद्योग मंत्री के रूप में सेलम में बर्नस स्टेण्डर्ड्स कम्पनी का दौरा किया था। इसका भी विनिवेश करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का संयंत्र लाभ कमा रहा है परन्तु उसके साथ ही सरकार इसे ऐसे व्यक्ति को सौंप देना चाहती है जिसका नाम पहले से ही काली सूची में है। वे यह दिखाना चाहते हैं कि इसका भी विनिवेश किया जा रहा है। महोदय, तमिलनाडु के लोग चाहे वे जहां भी रह रहे हों, वे दुनिया भर में सेलम इस्पात संयंत्र को तमिलनाडु के लोगों का गौरव मानते हैं। अतः सरकार द्वारा इस पहलू की सराहना की जानी चाहिए और उसे इसका नाम विनिवेश के लिए निर्धारित इकाईयों की सूची से निकाल देना चाहिए। इसे इसकी निविदा नहीं खोलनी चाहिए और उसे किसी को भी नहीं सौंपना चाहिए। इसे सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा ही संचालित किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री एस. कृष्णस्वामी।

श्री दलित इजिलमलाई : महोदय, सेलम निजी संयंत्र किसी निजी स्वामित्व के अधीन नहीं जाएगा। हम तमिलनाडु में ऐसा होने नहीं देंगे। सेलम इस्पात संयंत्र सरकारी सम्पत्ति ही बनी रहेगी।

श्री ए. कृष्णस्वामी (श्री पेरुम्बुदुर) : महोदय, मानवाधिकार बहुमूल्य और अत्यावश्यक है। प्रत्येक राज्य के लिए राज्य मानवाधिकार आयोग गठित किए गए हैं और नई दिल्ली में भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है। यह मूल आवश्यकता है कि मानवाधिकार आयोग बिना किसी बाधा के कार्यरत रहे क्योंकि नागरिक प्रतिदिन ही मानवाधिकार उल्लंघन के मामले तत्काल निपटाने के लिए लाते हैं।

महोदय, तमिलनाडु के राज्य मानवाधिकार आयोग में केवल एक सदस्य कार्यरत हैं क्योंकि इसमें न तो पूर्व अध्यक्ष के निधन के बाद इस पद पर किसी की नियुक्ति की गई और न ही इसके दो सदस्यों की सेवानिवृत्ति के पश्चात् उनके पदों पर किसी सदस्य की नियुक्ति की गई। तमिलनाडु के राज्य मानवाधिकार आयोग का प्रभावी कार्यकरण ही डांवाडोल है। महोदय, आप तो भली–भांति जानते ही हैं कि न्याय मिलने में विलम्ब न्याय न मिलने जैसा ही है। तमिलनाडु के राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की रिक्तियों के भरे जाने में विफलता अपने आप में मानवाधिकारों का उल्लघंन है।

अतः द्रमुक पार्टी की ओर से मेरी यह मांग है कि तमिलनाडु के राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और दो सदस्यों के पदों को तत्काल भरा जाये।

अध्यक्ष महोदय : श्री विलास मुत्तेमवार।

श्री दलित इजिलमलाई : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मेरा नाम पुकारा था लेकिन मैं नहीं बोला। मैंने सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इनके बाद आपको बोलने की अनुमति दूंगा।

[हिन्दी]

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। आज गांवों के नगर हो गए हैं और नगर के महानगर हो गए हैं। गांवों में काम धंधा न होने के कारण बड़ी संख्या में लोग काम के लिए बड़े शहरों में आ रहे हैं और उन्हें जहां जगह मिलती है वे वहां बस जाते हैं। बड़े शहरों में गरीब लोग रेल लाइनों के आसपास या रेलवे की जहां कहीं जगह मिलती है, वहां बस जाते हैं। वे करीबन 20–25 सालों से वहां रह रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जब आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे तो आपने इस चीज को देखा होगा। आपने इस मामले में रेल मंत्रालय से बात भी की थी। नागपुर शहर में रेलवे की जगह पर करीबन तीन चार लाख लोग रहते हैं। इसी तरह अमरावती, चन्द्रपुर और पुणे जैसे कई बडे शहरों में रेलवे की जगह पर लोग आकर बस गए हैं। जब रेल मंत्रालय के ध्यान में आता है कि इनको हटाना चाहिए, वह बगैर नोटिस दिए, यह कहकर कि हमने नोटिस दे दिया है, इनको हटाना है, हटाने की कार्यवाई शुरू हो जाती है। गरीब लोग अपनी पूरी सम्पत्ति और मेहनत लगाकर अपना घर बनाते हैं लेकिन उनका सामान उठाकर फेंक दिया जाता है और उसे तहस–नहस कर दिया जाता है। सरकार एक तरफ होम फॉर ऑल की नीति बना रही है, इसमें कई रियायतें दे रही है और हर साल 20 लाख मकान देने की बात कर रही है लेकिन दूसरी तरफ रेलवे की इतनी सारी सम्पत्ति के बारे में उसे ध्यान नहीं है। इस बारे में एक कॉम्प्रीहैंसिव प्लान बनाना चाहिए। जो लोग वहां रह रहे हैं, और जिनकी इसे लेने की हैसियत है, वे पैसा देंगे लेकिन जो बीपीएल के नीचे हैं और वे जिस जगह रह रहे हैं, उन्हें वह जगह दी जाए। यह एक बहुत बड़ा इशू है जो हर बार डिसकस होता है और हर

बार कार्रवाई भी होती है। कल भी नागपुर में उन लोगों को हटाने की कार्रवाही हुई। वहां दो–तीन लाख लोग रह रहे थे। आप कृपया इस बारे में ध्यान दीजिए और रेल मंत्रालय को इनस्ट्रक्शन देकर इस समस्या को दूर करिए।

श्री भान सिंह भौरा (भटिंडा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : 'शून्य काल' में व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : 'शून्य काल' के दौरान व्यवस्था का प्रश्न उठाने हेतु नियमों में कोई उपबंध नहीं है क्योंकि नियमों में 'शून्य काल' जैसा कोई उपबंध नहीं है।

[हिन्दी]

श्री भान सिंह भौरा : ऐसा प्रॉविजन क्यों नहीं है? आपको मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर सुनना पड़ेगा...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको समझाऊंगा। आप मेरे चैम्बर में आइयेगा। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे होता है?

श्री भान सिंह : हम सुबह नौ बजे आते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको मौका दूंगा, आप मेरे चैम्बर में आइयेगा।

[अनुवाद]

श्री दलित इजिलमलाई : महोदय, मेरा मुद्दा पूरे देश में टेलीफोन प्रणाली के बारे में है। ग्रामीण टेलीफोन व्यवस्था शहरी टेलीफोन व्यवस्था से बिलकुल भिन्न है। हाल ही में बी.एस.एन.एल. ने देशभर में अपनी एजेंसियों को निदेश जारी किए हैं कि एस.एस.ए. के 50 कि.मी. की दूरी से अधिक दूरी पर स्थित क्षेत्रों में निर्धारित टेलीफोन उपभोक्ताओं को मोबाइल उपभोक्ताओं से नहीं जोड़ा जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में हर जगह यह कठिनाई है। ग्रामीण क्षेत्रों में एस.एस.ए. मुख्यालय से 50 कि.मी. से अधिक दूरी में रहने वाले निर्धारित टेलीफोन उपभोक्ताओं अर्थात् एस.डी.सी.ए. को उसी क्षेत्र में रहने वाले मोबाइल उपभोक्ताओं से संपर्क करने में कठिनाई होती है।

हमारा देश 322 एस.एस.ए. में विभाजित है और प्रत्येक एस.एस.ए. को प्रशासन, नेटवर्किंग और चार्जिंग के प्रयोजन के लिए अनेक कम दूरी के चार्जिंग क्षेत्रों (एस.डी.सी.ए) में विभाजित किया गया है। मेरा एस.एल.ए. जो कि तिरुचिरापल्ली है, में चार राजस्व जिले हैं। इन चार राजस्व जिलों में 2.7 लाख टेलीफोन कनेक्शन हैं। इन 2.7 लाख टेलीफोन कनेक्शनों में से 40 प्रतिशत कनेक्शन ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। चालीस प्रतिशत लोग कम दूरी के चार्जिंग क्षेत्र में स्थानीय काल के रूप में डॉयल कर सकते हैं, जिसमें एक यूनिट प्रति 180 सैकेंड का शुल्क लगता है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री दलित इजिलमलाई : महोदय, कृपया मुझे मेरा वक्तव्य पूरा करने दीजिए, क्योंकि यह मामला पूरे देश से संबंधित है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया संक्षेप में बोलिए।

श्री दलित इजिलमलाई : यह तकनीकी कार्य के बारे में है और बी.एस.एन.एल. के प्रबंधकों ने इस ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया अथवा विचार से नहीं किया। यह योजना इस माह की 10 तारीख से प्रभावी होगी।

अध्यक्ष महोदय : आपकी बात पर विचार कर लिया गया है।

श्री दलित इजिलमलाई : दूसरी बात यह है कि वे नजदीकी एस.डी.सी.ए. में डॉयल कर सकते हैं और 91/95 कोड संख्या के माध्यम से उन एस.डी.सी.ए. में भी डॉयल कर सकते हैं जिनके एस.डी.सी.सी. 50 कि.मी. के भीतर है और इसमें एक यूनिट प्रति 180 सैकेंड का शुल्क आता है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, इस विषय पर ध्यान दें।

[अनुवाद]

अब सभा अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.17 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.02 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.04 बजे पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखे माने जाएंगे।

अपराह्न 2.04½ बजे

[हिन्दी]

नियम 377 के अधीन मामले*

(एक) मध्य प्रदेश में रानी अवंती बाई बांध की दाईं नहर के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता

श्री रामानन्द सिंह (सतना) : महोदय, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर रानी अवन्ती बाई (बरगी) बांध को बने 20 वर्ष से अधिक हो गये हैं, किन्तु उसकी दाईं नहर का निर्माण अभी तक पूरा नहीं हुआ है, जिससे प्रदेश के सबसे सूखा सतना, पन्ना, कटनी, दमोह जिले के किसानों को सिंचाई सुविधा नहीं उपलब्ध हो रही है। इस भू–भाग में प्रायः सूखा व अकाल पड़ता रहता है। इस नहर के निर्माण में लगभग 1800 करोड़ रुपये की राशि लगने का अनुमान है। मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ कार्य प्रारम्भ कराया है, किंतु धनाभाव में प्रदेश सरकार दाईं नहर का पूरा निर्माण करा पाने में असमर्थ है।

सुना है, जापान सरकार, भारत सरकार को सिंचाई योजनाओं के त्वरित लाभ हेतु सहायता देने को तैयार है।

अतः भारत सरकार से अनुरोध है कि बरगी बांध में जो पानी भरा पड़ा है, उसे विन्ध्य के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचाने हेतु बरगी बांध (रानी अवंती बाई बांध) की दाईं नहर को पूरा करने हेतु मध्य प्रदेश सरकार को जापान की सहायता दिलाने की कृपा करें।

(दो) राजस्थान में सूखा पीड़ित लोगों को पर्याप्त राहत सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : महोदय, भारत सरकार द्वारा राजस्थान सरकार को अकाल के लिए जो धनराशि आवंटित की गई है, उससे प्रदेश की जनता को अनाज, पीने का पानी उपलब्ध कराया जाए तथा मवेशियों के लिए प्रत्येक गांवों में चाराशाला खोली जाए, जिससे कि मवेशियों को चारे के लिए बाहर न ले जाना पड़े। वर्तमान में राजस्थान प्रदेश बुरी तरह से अकाल की चपेट में है।

मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि प्रदेश की जनता को अधिक राहत सुविधाएं उपलब्ध करायी जायें। इसके साथ–साथ केन्द्र सरकार और अधिक धनराशि अकाल राहत के लिए उपलब्ध कराए।

(तीन) राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में ''एयर टु ग्राउंड'' परियोजना के अंतर्गत जिन लोगों की भूमि का अर्जन किया गया है उन्हें मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता

श्री निहाल चन्द चौहान (श्रीगंगानगर) : महोदय, हनुमानगढ़ जिले की रावतसर तहसील के गांव मोटेर, घांघु, सीरासर की 47 हजार बीघा कृषि भूमि वायुसेना ने 'एयर टु ग्राउण्ड' के लिए आरक्षित की थी। लेकिन आज तक तीनों गांवों के किसानों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। इन गांवों में राज्य सरकार ने विकास के सारे पिछले 10 वर्षों से रोक रखे हैं। इन गावों के हजारों काश्तकारों को इससे भारी परेशानी हो रही है। रक्षा मंत्रालय एवं राज्य सरकार द्वारा भूमि अवाप्ति की सारी कार्यवाही के बाद एस.डी.एम. ने मुआवजे के लिए अवार्ड जारी कर दिया है।

केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इन गांवों के किसानों को तत्काल मुआवजा स्वीकृत करे।

[अनुवाद]

(चार) झारखण्ड के सभी जिला मुख्यालयों और झारखण्ड की राजधानी में बिरसा मुण्डा तथा सिडो मुर्मू की बड़े आकार की मूर्तियां स्थापित करने के लिए झारखण्ड सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री सालखन मुर्मू (मयूरभंज) : झारखण्ड राज्य में छोटानागपुर तथा संथाल परगने का भौगोलिक क्षेत्र आता है। इन राज्य क्षेत्रों से ब्रिटिश सरकार का विरोध करने वाले महान शहीद आदिवासी बिरसा मुंडा और सिदो मुर्मू का नाम जुड़ा हुआ है। छोटानागपुर और संथाल परगना अभिघृति अधिनियम उनके संघर्ष का परिणाम है। आदिवासियों की सुरक्षा के लिए इन दोनों अधिनियमों के प्रभाव को कम नहीं किया जाना चाहिए। महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि सभी जिला

*सभापटल पर रखे माने गए।

[श्री सालखन मुर्मू]

मुख्यालयों तथा झारखण्ड की राजधानी में बिरसा मुंडा तथा सिदो मुर्मू की बड़े आकार की प्रतिमा लगाई जाए।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस संबंध में कदम उठाए जाएं और इन प्रयोजनार्थ झारखण्ड सरकार के लिए पर्याप्त निधि जारी की जाए।

(पांच) मध्य प्रदेश में जबलपुर-पाटन-बम्हौरी-तिगड्डा राज्य राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री रामनरेश त्रिपाठी (सिवनी) : महोदय, माननीय प्रधान मंत्री अटल जी के कुशल नेतृत्व में देश सड़क विकास के स्वर्णिम युग में तेजी से अग्रसर है। मैं मध्य प्रदेश की एक अतिमहत्वपूर्ण सड़क की ओर भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। जबलपुर से पाटन, तेन्दूखेड़ा, झलौन, रतली होते हुए बम्टोरी तिगड्डा राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 26 पर मिलने वाली यह सड़क यातायात की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जबलपुर तथा सागर संभाग को जोड़ने वाली यह सबसे कम लंबाई की सड़क है। इस मार्ग से होकर झांसी (उ.प्र.) तक का परिवहन जबलपुर, म.प्र. आता है। यह मार्ग रा.रा. क्र. 26 जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना उत्तर–दक्षिण कॉरीडोर के अन्तर्गत है, को राष्ट्रीय रा.रा.क्र. 7–12 एवं बारह–ए को जोडने वाला सबसे कम दूरी का मार्ग हो जायेगा। इस मार्ग के निर्माण से जबलपुर जहां आयुध निर्माण के दो महत्वपूर्ण कारखाने हैं, तीन राजयों का सैन्य मुख्यालय है, पर्यटन तथा शिक्षा के क्षेत्र में जिसका विशिष्ट स्थान है, मध्य प्रदेश का प्रमुख महानगर है, सीधा देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ जायेगा। तहसील स्तर के अनेक नगर, बड़े कस्बे तथा अनेक ग्राम, जो आजादी के बाद से सड़कों के मामले में उपेक्षित हैं, अच्छी सड़क से जुड़कर अपने वाणिज्य तथा व्यापार को बढाकर उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर सकेंगे। मेरा भारत सरकार से आग्रह है कि शीघ्र इस मार्ग का सर्वे करवाकर इसे राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करे तथा इसका नवनिर्माण कराने की कृपा करे।

(छह) बिहार में बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए और वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री राजो सिंह (बेगुसराय) : महोदय, मैं सदन के माध्यम से यह सूचित करना चाहता हूं कि बिहार देश का सर्वाधिक बाढ प्रभावित राज्य है। पूरे देश के बाढ प्रभावित क्षेत्र का 16 प्रतिशत से अधिक भाग बिहार में ही है। बिहार का लगभग 70 प्रतिशत भाग बाढ़ प्रवण होने के बावजूद राज्य को कोई विशेष सहायता केन्द्र से प्राप्त नहीं हो पायी हे। गत वर्ष भी राज्य को कुल 1546.22 करोड़ रु. की क्षति हुई थी, परन्तु केन्द्र से मात्र लगभग 29 करोड़ रु. ही विशेष सहायता के रूप में प्राप्त हो सके। प्रत्येक वर्ष होने वाली क्षति का आंशिक पुनरुद्धार भी इस अल्प राशि से संभव नहीं है। ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा लगाये गये प्रतिबंधों के कारण आधारभूत संरचनाओं के पुनर्निर्माण पर राज्य सरकार इस अल्प राशि को भी व्यय नहीं कर सकी।

मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर दिलाकर आग्रह करना चाहता हूं कि इस राज्य की विशेष परिस्थिति को देखते हुए केन्द्र सरकार अपने निर्देशों में अपेक्षित संशोधन करने पर विचार करे एवं अधिक से अधिक राशि राज्य को विशेष सहायता के रूप में उपलबध करावे, जिससे राज्य की आधारभूत संरचनाओं का पुनर्निर्माण किया जा सके।

(सात) कर्नाटक और निचले तटीय राज्यों के बीच कावेरी नदी के जल के बंटवारे के संबंध में तत्कालीन मैसूर स्टेट और ब्रिटिश सरकार के बीच 1892 और 1924 में किए गए समझौतों को निरस्त किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री जी. एस. बसवराज (तुमकुर) : महोदय, मैं आपका ध्यान कर्नाटक और निचले तटवर्ती राज्यों के बीच कावेरी नदी जल के बंटवारे के बारे में 1892 तथा 1924 में तत्कालीन मैसूर राज्य तथा ब्रिटिश सरकार के बीच हुए समझौते की ओर दिलाना चाहता हूं।

विगत शताब्दी के दौरान मौसम चक्र में परिवर्तन हुआ, घटते हुए वन के कारण वर्षा कम हुई है तथा भू जल स्तर भी कम हो रहा है। कर्नाटक हाल के संकट के दौरान अत्यधिक संयम बरतता रहा है और उसने शीर्ष न्यायालय के फैसले का सम्मान किया है जिससे उसके लोगों को हानि पहुंची है। कर्नाटक सरकार अपनी जनता की वैध आकांक्षाओं की कीमत पर पड़ोसियों से अच्छे संबंध रखने के लिए कार्य को आगे जारी रखने की स्थिति में नहीं है।

अन्य कोई नदी जल बंटवारा समझौता मैसूर राज्य तथा ब्रिटिश सरकार के बीच हुए पुराने समझौते को बदल नहीं सकता। मैं केन्द्र से अनुरोध करता हूं कि इस समझौते को

समाप्त किया जाए और मैत्रीपूर्ण भावना से पुनः शुरूआत की जाए।

(आठ) वेस्टर्न कोल्ड फील्डस लिमिटेड, चन्द्रपुर, महाराष्ट्र से ले जाए जाने वाले कोयले को वास्तविक उपयोकर्त्ताओं के पास पहुंचाया जाना सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री नरेश पुगलिया (चन्द्रपुर) : वेस्टर्न कोल्डफील्डस लि. (डब्ल्यू.सी.एल.) क्षेत्र विशेषरूप से महाराष्ट्र के चन्द्रपुर यवतमल तथा नागपुर जिले में कोयला माफिया, संबंधित प्रयोक्ता उद्योग के तथाकथित एजेंट खान से कोयले की सुपुर्दगी लेने के बाद उसे वास्तविक प्रयोक्ता को भेजने की बजाय खनन क्षेत्र के निकट खनन क्षेत्राधिकार के बाहर जमा कर देते हैं और अधिक मूल्य पर निजी पार्टियों को बेच देते हैं। कोल माफिया डब्ल्यू. सी.एल. के प्राधिकारियों के साथ मिलकर खानों से बड़ी मात्रा में कोयले की चोरी भी करता है और वास्तविक प्रयोक्ता की ओर से प्राधिकरण द्वारा सुपुर्दगी लेने के बाद उस कोयले को मिला देते हैं। कोयले की पांच श्रेणी हैं अर्थात् क, ख, ग, घ और ङ। कोयला माफिया कोयले की निम्न श्रेणी के लिए भुगतान करता है और खान से उच्च श्रेणी का कोयला लेता है जिसके कारण डब्ल्यू.सी.एल. को करोड़ों रुपये का नुकसान होता है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि सरकार कोयले के वास्तविक प्रयोक्ता, कोयला माफिया तथा डब्ल्यू.सी.एल. के बीच सांठगांठ को समाप्त करने हेतु समुचित उपाय करें और जांच के लिए मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपा जाए।

(नौ) केरल के शोरानूर में ''बल्ब लाइन'' रेलवे स्टेशन का शीघ्र निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री एस. अजय कुमार (ओट्टापलम) : दक्षिण भारत के रेल मानचित्र में शोरानूर एक महत्वपूर्ण स्थान है जो मालावार क्षेत्र को दक्षिणी केरल से जोड़ता है। केरल की जनता की लम्बे समय से मांग थी कि शोरानूर में एक त्रिकोणीय (ट्राइंगुलर) रेलवे स्टेशन बनाया जाए। निरंतर आंदोलन करने तथा अनेक अभ्यावेदन देने के पश्चात् वहां के लोगों को प्राधिकारियों से आश्वासन मिला। भूतभूर्व राज्य रेलमंत्री तथा अधिकारियों के एक दल ने उस क्षेत्र का दौरा किया। विभाग ने परियोजना का व्यवहार्यता सर्वेक्षण किया और त्रिकोणीय रेलवे स्टेशन के स्थान में ''बल्ब लाइन'' नामक वैकल्पिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। तदनन्तर इस परियोजना को वर्ष 2001–2002 के रेलवे बजट में बजट प्रस्ताव के रूप में शामिल किया। लेकिन वर्ष 2002–2003 के बजट में इस परियोजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।

अतः, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह ठोस उपाय करे ताकि शोरानूर में यथाशीघ्र बल्ब लाइन का निर्माण किया जा सके।

(दस) बच्चों पर बनी फिल्मों को नियमित आधार पर दिखाने और इस उद्देश्य के लिए आवश्यक अनुदान दिए जाने की आवश्यकता

श्री राम नायडू दग्गुबाटि (बापतला) : नवम्बर, 2002 में हैदराबाद में सप्ताह भर चला पहला एशियाई बाल फिल्म उत्सव सफलतापूर्वक सम्पन्न हो गया। बच्चों के अलावा अनेक उच्चपदाधिकारियों में इन फिल्मों की सहराना की और इनका आनंद लिया। बाल फिल्मों के लिए पृथक सिनेमाघर तथा इन फिल्मों पर मनोरंजन कर कम करने के अनुरोध के साथ यह उत्सव समाप्त हुआ। बाल फिल्में शिक्षा का साधन हैं और इन्हें नियमित रूप से दिखाया जाना चाहिए। मेरे विचार से ऐसे फिल्म उत्सव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने चाहिए।

अतः, मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह मामले पर विचार करे और इस प्रयोजनार्थ राजसहायता अथवा अनुदान स्वीकृत करे तथा सभी राज्यों से अनुरोध करे कि वे केन्द्र सरकार की सहायता से पृथक सिनेमा घर बनाए जहां बच्चों को नियमित रूप से बाल फिल्में दिखाई जा सकें क्योंकि बच्चे विभिन्न राष्ट्रों की जातियों और संस्कृतियों के बारे में काफी सीख और समझ सकते हैं। कोई भी व्यस्क को बदल अथवा सिखा नहीं सकता लेकिन बच्चों को निश्चित रूप से ढाला जा सकता है जिसके लिए केन्द्र की सहायता की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

(ग्यारह) देश में केन्द्रीय पुलिस बलों की सेवा शर्तों में सुधार किए जाने की आवश्यकता

श्री राममूर्ती सिंह वर्मा (शाहजहांपुर) : महोदय, हमारे देश की आन्तरिक व बाहरी सुरक्षा में केन्द्रीय पुलिस बलों का भारी योगदान है और बलों के सदस्यों की प्रतिवर्ष हजारों की तादाद में कुर्बानियां हो रही हैं। इन बलों को भारतीय थल सेना की कार्यशैली के अनुरूप प्रशिक्षित व संचालित किया जाता रहा है, परन्तु आज के बदलते सुरक्षा परिप्रेक्ष्य में इन बलों के प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, तैनाती, अनुशासन, जवानों के कल्याण, पदोन्नति, भत्तों व सेवा शर्तों आदि में कई विसंगतियां देखने में आ रही हैं। उदाहरण के तौर पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवान ऐसी उंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों, जहां पर सांस लेने के लिए भरपूर ऑक्सीजन नहीं होती, ऐसे ही क्षेत्रों में लगातार तैनात किए जाते हैं, जिससे जवानों के स्वास्थ्य पर ऐसा कुप्रभाव

[श्री राममूर्ती सिंह वर्मा]

पड़ता है, जिससे बल के सदस्यों का प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, मनोबल कुप्रभावित हो रहा है और अन्ततोगत्वा देश की सुरक्षा शक्ति पर प्रतिकूल जो प्रभाव पड़ेगा, जिसे वर्तमान नीति से दूर नहीं किया जा सकता। जबकि भारतीय थल सेना के तैनाती सिद्धान्तों को आधार माना जाये तो इस क्षति से बचा जा सकता है। इसी प्रकार से प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, तैनाती, अनुशासन, जवानों के कल्याण, पदोन्नति, भत्तों व सेवा शर्तों आदि में तमाम ऐसी विसंगतियां हैं, जिन पर सरकार को अविलम्ब उचित कार्यवाही कर केन्द्रीय पुलिस बलों को सक्षम बनाना चाहिए।

अतः सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि केन्द्रीय पुलिस बलों को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में और अधिक सक्षम बनाने के लिए केन्द्रीय पुलिस बलों की सेवा शर्तों का जुडीशियल रिव्यू करवाया जाये।

(बारह) हिंगोली संसदीय निवार्चन क्षेत्र में रेललाइन की दूसरी तरफ की भूमि की सिंचाई के संबंध में किसानों के सामने आ रही समस्याओं पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता

श्री शिवाजी माने (हिंगोली) : महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र हिंगोली में जो रेलवे लाइनें हैं, उनके दोनों तरफ किसानों के खेत हैं। वे सिंचाई के लिए रेल लाइन के एक तरफ से लाइन के दूसरी तरफ के खेतों को पानी नहीं दे सकते हैं। किसान लोग एक तरफ के खेतों से दूसरी तरफ खेतों को पानी देने के लिए रेलवे से जब मंजूरी मांगते हैं तो उनसे इन कार्यों के कई हजार रुपये लिए जाते हैं, जो जायज नहीं हैं। रेलवे के पास कई तकनीक हैं एवं इन तकनीकों से रेलवे के लाइन के एक तरफ से दूसरी तरफ पानी देने के लिए व्यवस्था कर सकती है और उन पर इस कार्य के लिए चार्ज नहीं लिया जाये रेलवे प्रयोजन के लिए जब इन किसानों से भूमि अधिग्रहीत की थी, उनको उचित मुआवजा नहीं दिया गया एवं कुछ लोगों को तो मुआवजा नहीं दिया गया है।

अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इस कार्य के लिए रेलवे किसी प्रकार का चार्ज किसानों से न ले और लाइन के एक ओर से दूसरी ओर पानी देने के लिए आधुनिक तकनीकी के प्रयोग के माध्यम से किसानों को अपने खेतों को सिंचाई करवाने में मदद करे।

(तेरह) हावड़ा और आगरा के बीच चलने वाली चम्बल एक्सप्रेस को प्रतिदिन चलाए जाने तथा इसे दिल्ली तक बढाए जाने की आवश्यकता

श्री राम सजीवन (बांदा) : महोदय, इलाहाबाद, मानिकपुर चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ग्वालियर होते हुए हावड़ा और आगरा के बीच चलने वाली चम्बल एक्सप्रेस ट्रेन विगत कई वर्षों से सफलतापूर्वक चल रही है। परन्तु लम्बी दूरी की यह ट्रेन सप्ताह में दोनों ओर से केवल चार–पांच दिनों तक चलती है इस कारण साधारण यात्रियों को यह पता लगाने में कठिनाई होती है कि अमुक रेलवे स्टेशन से यह ट्रेन किस तारीख में किस दिशा को जायेगी। जब यह ट्रेन प्रतिदिन चलेगी तो लोगों को स्पष्ट जानकारी रहेगी और नियत समय पर किसी स्टेशन से किसी दिशा की ओर यात्री आसानी से यात्रा कर सकेंगे और कठिनाई दूर हो जायेगी। इसी प्रकार यह ट्रेन कुछ दिनों में ग्वालियर तथा कुछ दिनों में आगरा तक चलती है। यात्रियों को यह हिसाब लगाने में भी कठिनाई होती है कि यह ट्रेन किस दिन ग्वालियर और किस दिन आगरा तक जायेगी। इसीलिए यह आवश्यक है कि यात्रियों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए इस ट्रेन को सप्ताह में प्रतिदिन चलाया जाये। साथ ही साथ इस ट्रेन को आगरा से बढ़ाकर निजामुद्दीन अथवा दिल्ली तक चलाया जाये।

(चौदह) बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 101 के समुचित रखरखाव के लिए पर्याप्त धनराशि दिए जाने की आवश्यकता

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज) : महोदय, विगत दो माह पूर्व बिहार में आई बाढ़ में बिहार के अन्य जिलों के साथ साथ मेरा संसदीय क्षेत्र महाराजगंज भी जलमग्न रहा। बाढ़ विभिषिका के कारण सड़क मार्ग बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, इसी के साथ साथ छपरा–मोहम्मदपुर मार्ग, जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 101 है, भी बुरी तरह प्रभावित हुआ और सड़क के नाम पर कहीं कहीं सड़क के अवशेष भर रह गए हैं। छपरा–मोहम्मदपुर मार्ग मेरे संसदीय क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण सम्पर्क मार्ग है, जो दो राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ने के साथ–साथ व्यापारिक दृष्टिकोण से भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इस मार्ग के राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में सरेखन से स्वाभाविक ही बिहार सरकार इसकी मरम्मती एवं निर्माण कार्यों से संबद्ध नहीं है तथा यह क्षतिग्रस्त मार्ग अब पूर्णतः केन्द्रीय अनुदान द्वारा ही निर्मित किया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों में सड़क निर्माण कार्यों को प्राथमिकता पर रखा जाना चाहिए।

यह ज्ञातव्य है कि बाढ़ की भयंकर विभिषिका के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 101 में 30 कि.मी. से 45 कि.मी. से 60 कि.मी. तक सड़क की स्थिति अत्यंत खराब हो गई है।

अतः आग्रह है कि इस सड़क की मरमत हेतु केन्द्र सरकार निधि आवंटन करने का कष्ट करे ताकि यह जनोपयोगी कार्य शीघ्र हो सके।

(पन्द्रह) तमिलनाडु में इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत आवंटित किए जाने वाले भवनों की संख्या बढ़ाये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री एस. चिन्नासामी (करूर) : इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार चालू वर्ष में तमिलनाडु में 33,000 मकानों का निर्माण कर रही है। इस योजना के अंतर्गत एक मकान के निर्माण के लिए कुल लागत केवल 32,000 रुपये है जोकि सामग्री और श्रम की मौजूदा लागत को देखते हुए बिलकुल अपर्याप्त है। यह धनराशि 50,000 रुपये तक बढ़ायी जानी चाहिए। केन्द्र सरकार केवल 15,000 रुपये दे रही है। जबकि शेष राशि राज्य सरकारों द्वारा वहन की जा रही है।

इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार ने तमिलनाडु के लिए 33,000 मकान निर्धारित किए हैं जबकि आवश्यकता दस गुना अधिक है। आवंटन बढ़ाया जाना चाहिए। इस बीच राज्य सरकार कतिपय मामलों में राज्यों को दिए गए कुल आवंटन को बढ़ाए बिना जिलों में पुनः आवंटन करने में असमर्थ है। उदाहरण के लिए, कन्याकुमारी जिले को 2000 घर आवंटित किए गए हैं जबकि मौजूदा आवश्यकता केवल 28 घरों की है। अतः, मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह राज्य सरकारों को अनुदेश जारी करे अथवा अनुमति दे कि वह तमिलनाडु के जिलों की आवश्यकतानुसार जरूरतमंद लोगों को सीधे मकान आवंटित करे।

इस संबंध में तमिलनाडु सरकार ने केन्द्र सरकार को एक पत्र भी लिखा है जिसमें उसने कन्याकुमारी जिले को पहले ही आवंटित 2000 मकानों को अन्य जिलों को पुनः आवंटित करने हेतु राज्य–सरकार को अनुमति देने की मांग की है और इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा है। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह कन्याकुमारी के लिए बनाए गए 2000 मकानों को अन्य जरूरतमंद जिलों को पुनः आवंटित करने हेतु राज्य सरकार को अनुमति प्रदान करे।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा आज की कार्यसूची की मद संख्या 14 अर्थात् नियम 193 के अधीन चर्चा लेगी। श्री बसुदेव आचार्य।

अपराह्न 2.07 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

देश में किसानों के सामने आ रही समस्याएं

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, हम एक बार फिर देश के लाखों किसानों के सामने आ रही समस्याओं पर चर्चा कर रहे हैं।

स्त्रतंत्रता प्राप्ति के 54 वर्षों के बाद भी हमारे देश के किसान आत्महत्या कर रहे हैं। पिछले वर्ष एक हजार से अधिक किसानों ने आत्महत्या की। इस वर्ष भी बड़ी संख्या में किसानों ने आत्महत्या की। वे आत्महत्या इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अपने उत्पादन के लिए सरकार द्वारा निर्धारित कीमत भी नहीं मिल रही है।

हमने विश्व के लिए अपने देश के द्वार खोल दिए हैं। हमने आयात पर से मात्रात्मक प्रतिबंध हटा लिया है। हम अपने देश में बिना किसी प्रतिबंध के सभी कृषि वस्तुओं का आयात करने की अनुमति दे रहे हैं। हमारे बाजार विशेषरूप से कृषि बाजार विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियां हथिया रही हैं।

हमने विश्व व्यापार संगठन से समझौता किया। जब भारत सरकार के प्रतिनिधि ने 14 अप्रैल, 1994 को विश्व व्यापार संगठन के समझौते पर हस्ताक्षर किया तो भारत सरकार ने यह नहीं सोचा कि लाखों किसानों का क्या होगा। हम कृषि राजसहायता में कमी करने के लिए कह रहे हैं जबकि विकसित राष्ट्र कृषि राजसहायता बढ़ा रहे हैं।

जापान 72.5 प्रतिशत राजसहायता दे रहा है। कोलंबिया 54 प्रतिशत, दक्षिण कोरिया 61 प्रतिशत, यूरोप 37 प्रतिशत, चीन 34 प्रतिशत और यहां तक कि पाकिस्तान 26 प्रतिशत राजसहायता दे रहा है। अमेरिका में यह प्रतिशत 28.80 प्रतिशत है। तथापि, भारत में केवल 3 प्रतिशत राजसहायता दी जा रही है। इसके अलावा ये देश विश्व व्यापार संगठन द्वारा लगाई गई शर्तों के बावजूद कृषि वस्तुओं के आयात पर भारी आयात शुल्क लगा रहे हैं। यह आयात शुल्क 150 प्रतिशत से 300 प्रतिशत है। अमरीका में चीनी पर आयात शुल्क 244.4 प्रतिशत, मूंगफली के तेल पर 173.8 प्रतिशत, दूध पर 82.6 प्रतिशत है।

यूरोप में मांस पर आयात शुल्क 213 प्रतिशत, गेहूं पर 167.7 प्रतिशत और भेड़ के मांस पर 144 प्रतिशत है। जापान में गेहूं उत्पाद पर आयात शुल्क 352.7 प्रतिशत है। कनाडा

[श्री बसुदेव आचार्य]

में मक्खन पर आयात शुल्क 360 प्रतिशत, पनीर पर 289 प्रतिशत और अंडे पर 236.3 प्रतिशत है।

ये विकसित देश अपना आयात शुल्क बढ़ा रहे हैं जबकि हम आयात उदारीकरण के उद्देश्य से वर्ष दर वर्ष अपना आयात शुल्क कम कर रहे हैं। मात्रात्मक प्रतिबंध हटाने के पश्चात् कृषि वस्तुओं का आयात काफी बढ़ा है। अनाज पर आयात शुल्क कृषि वस्तुओं के कुल प्रतिशत का 9.9 प्रतिशत बढ़ाया गया है। दालों पर यह 5.8 प्रतिशत और काजू पर 5.5 प्रतिशत बढ़ाया गया है। ये आंकड़े 1998–99 के हैं। अनाज के मामले में यह 133.6 प्रतिशत बढ़ाया गया है। दालों के मामले में यह 63.2 प्रतिशत, दूध और क्रीम के मामले में 22.4 प्रतिशत तथा चीनी के मामले में यह 84.2 प्रतिशत है।

[हिन्दी]

श्री राजो सिंह (बेगूसराय) : उपाध्यक्ष महोदय, ये सब फिगर्स लायब्रेरी से आए हैं। उन्हें यहां पढ़ रहे हैं। इसके लिए तो लायब्रेरी है।

श्री बसुदेव आचार्य : लायब्रेरी वाले फिगर्स नहीं हैं। आप सुनिए। यदि आपको सुनना अच्छा नहीं लगता है, तो आप बाहर बैठ सकते हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राजो सिंह। उन्हें बोलने दीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, इन सभी वस्तुओं के आयात में काफी वृद्धि हुई है जिसके परिणामस्वरूप हमारे देश के किसानों को बाजार नहीं मिल रहा है। बाजार धीरे–धीरे समाप्त हो रहा है और किसानों को अपना उत्पाद उत्पादन लागत से कम मूल्य पर बेचना पड़ रहा है। हमने पिछले वर्ष ही हमारे देश के कपास उत्पादकों की दुर्दशा देखी है। हम सभी जानते हैं कि किस तरह से हमारे देश के कपास उत्पादकों को अपना कपास उत्पादन लागत से कम मूल्य पर बेचना पड़ा और इसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में कपास उत्पादकों को आत्महत्या करनी पड़ी। उन्हें अपने उत्पादन के लिए विभिन्न सहकारी और वाणिज्य बैंकों से ऋण लेना पड़ा। उत्पादन करने के पश्चात् जब उन्हें अपने उत्पाद के लिए बाजार नहीं मिला तो उन्हें अपना उत्पाद उत्पादन लागत से कम कीमत पर बेचना पड़ा और उन्हें आत्महत्या करने के अलावा कोई विकल्प नजर नहीं आया।

हमारे किसानों के सामने गन्ने के संबंध में एक और समस्या आ रही है। हमने पिछले सप्ताह ही यह मुद्दा उठाया था कि गन्ना उत्पादकों को न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं मिल रहा है।

सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है। लेकिन किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं मिल रहा है। हमने देखा है कि इसके परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों के गन्ना उत्पादकों ने अपना गन्ना जला दिया। गन्ना उत्पादकों को अपनी बकाया राशि भी नहीं मिल रही है। सरकार हमारे देश के किसानों को बचाने के लिए पहल नहीं कर रही है।

दो वर्ष पूर्व भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की। इस सभा में ही इस पर भी चर्चा हुई थी। इस नीति में अनेक अच्छी बातें हैं लेकिन सरकार ने इनमें से एक बात को भी क्रियान्वित नहीं किया। भारत सरकार ने यह बात स्वीकार की है कि विश्व व्यापार संगठन समझौते के कारण हमारे देश में किसान प्रतिकूल परिस्थिति में हैं। जब सरकार ने नीति में यह बात मानी है तो भारत सरकार ने हमारे देश के किसानों को बचाने हेतु क्या किया है? भारत सरकार द्वारा किए जा रहे कार्य में हमें कुछ भी ठोस उपाय नहीं दिखते हैं। यह कहा गया है

> "कृषि की तीव्र वृद्धि राष्ट्रीय स्तर पर आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु ही नहीं अपितु घरेलू, खाद्य सुरक्षा तथा आय, संपदा के वितरण में समानता लाने हेतु भी आवश्यक है जिससे गरीबी स्तर में तीव्र गिरावट आएगी।
>
> स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारतीय कृषि ने 50 के आरंभ से शताब्दी के अंत तक वार्षिक खाद्यान्न उत्पादन 51 मिलियन टन से 206 मिलियन टन करने में तेजी से प्रगति की है। इससे देश विशेष रूप से खाद्य क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुआ है और खाद्य पदार्थों की कमी दूर हुई है।
>
> तथापि, कृषि विकास की पद्धति के परिणामस्वरूप क्षेत्र तथा कृषि समुदाय के विभिन्न वर्गों में असमान विकास हुआ तथा कुछ क्षेत्रों में उत्पादकता का स्तर कम हुआ और प्राकृतिक संसाधनों का अपक्षरण हुआ है। पूंजी अपर्याप्तता, बुनियादी ढांचे हेतु सहायता तथा कृषि उत्पादों की बिक्री का अभाव कृषि की आर्थिक व्यवहार्यता को लगातार प्रभावित कर रहा है।"

उन्होंने पूजी अपर्याप्तता बुनियादी ढाचे हेतु सहायता का अभाव, भंडारण, मांग स्थल बाधाएं आदि जैसे चिंता के क्षेत्रों

का पता लगाया है। लेकिन इन दो वर्षों के दौरान सरकार ने इस समस्या के समाधान हेतु क्या किया? हमारे देश के किसानों के सामने आ रही समस्या से उन्हें उबारने हेतु सरकार ने कुछ खास नहीं किया है। हम देखते हैं कि योजना दर योजना के बाद कृषि तथा सिंचाई सुविधाओं में पूंजी निवेश कम हुआ है।

मेरे पास छठी पंचवर्षीय योजना से लेकर उसके बाद के आंकड़े हैं। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि में निवेश 6.1 प्रतिशत था। सातवीं पंचवर्षीय योजना में यह निवेश कम होकर 5.8 प्रतिशत हो गया। आठवीं पंचवर्षीय योजना में यह और कम होकर 5.2 प्रतिशत हो गया। नौवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र में निवेश में और भी कमी की गई है।

यही बात सिंचाई क्षेत्र में भी लागू होती है। कृषि भूमि के लगभग 40 प्रतिशत भूमि पर अभी भी सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं है। योजना दर योजना, सिंचाई में भी निवेश कम हुआ है इसके परिणामस्वरूप यद्यपि हम कतिपय क्षेत्रों में आत्मनिर्भर हुए हैं तथापि हमारा कृषि उत्पादन कम हो रहा है वर्ष 1999–2000 में खाद्यान्न उत्पादन 89.5 मी. टन था। अगले वर्ष यह कम होकर 86.8 मी. टन हो गया। गेहूं का उत्पादन 75.6 मी. टन से कम होकर 70 मी. टन. हो गया है। दालों का उत्पादन 13.4 मी. टन से कम होकर 12.3 मी. टन हो गया है। कुल खाद्यान्न उत्पादन 210.9 मी. टन से कम होकर 199 मी. टन हो गया है।

इस समय कृषि वृद्धि जनसंख्या वृद्धि से कम ही है। वर्ष 2000–2001 में नकारात्मक वृद्धि हुई। अगले वर्ष की स्थिति भी बेहतर नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? विकास में यह कमी आने के परिणामस्वरूप ग्रामीण रोजगार में कमी आई है। वर्ष 1982–83 पसे 1987–88 तक ग्रामीण क्षेत्र में वृद्धि का प्रतिशत 1.36 प्रतिशत था। वर्ष 1987–88 से 1993–94 तक यह वृद्धि 2.03 प्रतिशत तथा 1993–94 से 1999–2000 तक यह 0.58 प्रतिशत ही रही। हम जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में लाखों लोग हैं। जब रोजगार के अवसरों में कमी हो और ग्रामीण रोजगार में नकारात्मक वृद्धि हो तो हम कृषि श्रमिकों की दशा के बारे में सोच सकते हैं।

ऐसा वैश्वीकरण तथा कृषि पर विश्व व्यापार संगठन की शर्तों के प्रभाव के कारण भी हुआ है। इसका ग्रामीण रोजगार पर प्रभाव पड़ा है। स्थिति गंभीर है।

कल वित्त मंत्री ने छमाही पुनरीक्षा प्रस्तुत की थी। उन्होंने कहा है कि इस वर्ष सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि 5 प्रतिशत से 5.5 प्रतिशत होनी चाहिए। कृषि के मामले में वृद्धि पिछले वर्ष से कम ही होगी। कम वर्षा के कारण भावी खरीफ कृषि उत्पादन प्रभावित हुआ है। खरीफ उत्पादन में गिरावट का मौजूदा आकलन 21 मिलियन टन है। यह भी बताया गया है कि अनाज, दालों तथा तिलहन में काफी गिरावट आई है। चावल उत्पादन में 13 मिलियन टन के आरंभिक अनुमान में अभी और कमी आ सकती है।

इस प्रकार हर तरह से उत्पादन में गिरावट आएगी। वित्त मंत्रालय द्वारा छमाही पुनरीक्षा में यही बात प्रस्तुत की गई है। वर्ष 2001–2002 के दौरान कृषि में कुल सकारात्मक विकास एक प्रतिशत बताया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य, इस चर्चा के लिए चार घंटे का समय नियत किया गया है।

श्री बसुदेव आचार्य : आप इसे सात से आठ घंटे तक बढ़ा सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह बाद में बढ़ाया जा सकता है। इसमें से आपके दल को 15 निमट मिले हैं और आप पहले ही 25 मिनट का समय ले चुके हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, यह दल का समय नहीं है क्योंकि मैं चर्चा शुरू कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य, आप इस सभा के नए सदस्य नहीं हैं। वाद–विवाद आरंभ करने वाले का समय भी उसके पार्टी के समय में से कम कर दिया जाता है।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, ऐसा कभी भी नहीं होता है।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : महोदय, ऐसा किया ही नहीं जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मोल्लाह आप मुझे गुमराह करने का प्रयत्न न करें।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, दीर्घावधि अनाज नीति पर एक उच्च स्तरीय समिति नियुक्त की गई थी। समिति ने अपना प्रतिवेदन जुलाई 2002 में प्रस्तुत कर दिया है। श्री शांता कुमार के खाद्य मंत्री के कार्यकाल के दौरान वह समिति नियुक्त की गई थी। मैं नहीं जानता कि क्या श्री शरद यादव इस समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित कर रहे हैं या नहीं। इस समिति ने जोर देकर कहा है कि भारतीय खाद्य निगम के कार्यकरण

[श्री बसुदेव आचार्य]

को जारी रखा जाना चाहिए। भारतीय खाद्य निगम को मजबूत किया जाना चाहिए और किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना चाहिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य का अर्थ न्यूनतम है ना कि अधिकतम। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हमारे किसानों को न्यूनतम मूल्य मिल रहा है, क्या हमारे उत्पादकों को न्यूनतम मूल्य मिल रहा है, क्या हमारे कपास उत्पादकों को न्यूनतम मूल्य मिल रहा है और क्या हमारे जूट उत्पादकों को न्यूनतम मूल्य मिल रहा है? भारत सरकार ने इस वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य में परिवर्तन नहीं किया है।

सरकार ने पिछले वर्ष ग्रेड 'ए' के लिए घोषित मूल्य 530 और 560 रुपये ही रखा है। मैं जानता हूं कि पूरे भारत में कहीं भी किसानों को यह कीमत नहीं मिल रही है।

भारतीय खाद्य निगम ने धान की खरीद अभी शुरू नहीं की है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय खाद्य निगम को 4 लाख टन धान खरीदने को कहा है क्योंकि राज्य की सार्वजनिक विवरण प्रणाली के माध्यम से चावल वितरण की आवश्यकता आठ लाख टन की है। इस कारण ही पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय खाद्य निगम से 4 लाख टन धान खरीदने को कहा है। परन्तु भारतीय खाद्य निगम का कहना यह था कि वह 2 लाख टन से अधिक धान नहीं खरीद सकता राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने के खातिर सरकार ने अब सहकारी समिति को धान की खरीद करने को कहा है और उन्होंने धान खरीदना प्रारंभ भी कर दिया है। परन्तु भारतीय खाद्य निगम ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा कहे गये 4 लाख टन धान की खरीद अभी शुरू नहीं की है।

अभिजीत सेन समिति ने भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीद के सभी पहलुओं की विस्तृत जांच की है और उसने कहा है कि भारत के अधिकांश राज्यों में अनाज की 'कमी' है। भारत की अनाज प्रबंधन प्रणाली संकट में है और पिछले कुछ वर्षों में खपत को नजरअन्दाज करके अनाज को बहुत बड़ा भंडार जमा किया गया है। गोदामों में पड़ा अनाज स्थानाभाव के कारण खराब हो रहा है। परन्तु केन्द्र सरकार कृषि, ग्रामीण विकास, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण इन सबको मिलाकर जो खर्च करती है उससे कहीं अधिक इस बफर स्टाक को गोदामों में रखने के लिए करती है। भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में केवल 65 मिलियन खाद्यान्न रखने के लिए भारत सरकार कितना खर्च कर रही है। इस 65 मिलियन बफर स्टॉक के रखरखाव पर केन्द्र हजारों करोड़ रुपये व्यय करता है।

सबसे पहले तो गोदामों में आपने इस तरह इतना अनाज क्यों भर रखा है? इसका कारण यह है कि बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनके पास क्रय शक्ति नहीं है। सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित किए जाने वाले अनाज की कीमतों को बढ़ाया है जिससे इनकी कीमतें गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की क्रय शक्ति से बाहर हो गयी हैं। स्वतंत्रता के 54 वर्षों बाद भी 30 से 32 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे रह रही है। इनके पास क्रय शक्ति नहीं है। इसके कारण ग्रामीण रोजगार पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग बड़ी संख्या में बेरोजगार होते जा रहे हैं। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बेरोजगारी बढ़ रही है। परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति अधिक गंभीर है।

कृषि मंत्री यह स्पष्ट करें कि क्या भारत सरकार ने पड़ने वाले इस विपरीत प्रभाव की चर्चा डब्ल्यू.टी.ओ. (विश्व व्यापार संगठन) से की है क्योंकि उन्होंने भी यह माना है कि डब्ल्यू. टी.ओ. समझौते की वजह से किसानों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

अमेरिका का अपना विधान है। जिसके अंतर्गत 180 बिलियन डालर फार्मों पर खर्च किए जाने के लिए प्रदान किया जाएगा जिसमें से 70 प्रतिशत उत्पादकों को प्रत्यक्ष समर्थन राशि के रूप में दी जाएगी और 6 प्रतिशत राजसहायता के विस्तार पर खर्च होगी। वे अपनी राजसहायता बढ़ा रहे हैं जबकि हम अपनी राजसहायता कम कर रहे हैं। हम अपनी उर्वरक उत्पादन इकाई बंद कर रहे हैं और अगले वर्ष जब प्रतिधारण मूल्य समाप्त कर दिया जाएगा और यातायात राजसहायता वापस ले ली जाएगी तब पूर्वी क्षेत्र के किसानों का क्या होगा? क्या आप अगले वर्ष यातायात राजसहायता वापस नहीं ले रहे हैं? जब यातायात राजसहायता समाप्त कर दी जाएगी तब बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के किसानों का क्या हाल होगा? असम के नामरूप इकाई का पुनरुद्धार किया जा रहा है। परन्तु पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार और झारखंड के किसानों का क्या होगा? उन्हें अन्य राज्यों के किसानों से ऊंची कीमत पर उर्वरक खरीदना पडेगा। उन्होंने परिवहन राजसहायता और उर्वरक के प्रतिधारण मूल्य को हटाने के बाद जो परिस्थिति पैदा होगी उसकी कल्पना नहीं की है।

यह सब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार की गलत नीतियों के कारण हो रहा है। यह कदम लोकतांत्रिक नहीं अपितु विनाशक है। यह सरकार सब कुछ बर्बाद कर रही है।

सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बर्बाद कर रही है और कृषि क्षेत्र का भी विनाश कर रही है।

योजना आयोग ने रोजगार सृजन में वृद्धि संबंधी एक रिपोर्ट प्रकाशित की है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। आपके ही दल से दो और वक्ताओं को भी बोलना है।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं इसके बाद एक और मुद्दे पर बोलूंगा और उसके बाद मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

1990 के दशक में कृषि और उससे संबंधित गतिविधियों में वृद्धि दर बहुत धीमी रही और यह पिछले वर्ष 2.9 प्रतिशत की तुलना में 3.1 थी। इसके बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार में वृद्धि लगभग शून्य तक पहुंच गयी। इस अवधि के दौरान हालांकि शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या बढ़ी है परन्तु रोजगार प्राप्त लोगों की संख्या स्थिर रही। इसकी आंशिक वजह अतिरिक्त श्रमिकों को हटाना है। इसका बहुत बड़ा कारण कृषि क्षेत्र के निवेश में कमी आना और कृषि वृद्धि के स्वरूप में बदलाव आना है। जिसमें कृषि के मूल्य–वर्धित और श्रमिक आधारित क्षेत्रों जैसे पनधारा विकास, परती भूमि विकास, लघु सिंचाई, वानिकी और पशुपालन में तुलनात्मक रूप से कम गतिविधियों का होना शामिल है। श्रमिक आधारित प्रणाली के स्थान पर अधिक मशीनीकृत प्रणाली अपनाने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार–सृजन में वृद्धि धीमी हो गयी है।

महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति गंभीर है। 65 मिलियन खाद्यान्न भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में सड़ रहा है और हमारी गरीब जनता भूख से मर रही है।

हर रोज हमें विभिन्न राज्यों से समाचार मिल रहे हैं– मैं किसी राज्य विशेष का नाम नहीं ले रहा हूं–कि गरीब लोग भूख से मर रहे हैं। उन्हें एक समय का भोजन भी नहीं मिल रहा है। यह स्थिति है। भारत सरकार के पास इस समस्या से निपटने के लिए कोई योजना या कार्यक्रम नहीं है। सरकार के पास गरीबी की समस्या और बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए कोई योजना नहीं है। सरकार के पास इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए कोई योजनाएं नहीं हैं। सभी क्षेत्र संकट में हैं। कृषि क्षेत्र की समस्या तो और भी बड़ी है। वहां संकट भी गंभीर है।

कुछ दिन पहले दो किसानों ने प्रधानमंत्री के निवास के सामने आत्मदाह का प्रयास किया था। यह क्यों हो रहा है? हमारे देश के किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य भी क्यों नहीं मिल पा रहा है? इन सबका कारण सरकार द्वारा गलत नीतियों विशेषकर उदारीकरण और वैश्वीकरण के संबंध में को कड़ाई से लागू करना है।

मैं रवीन्द्र नाथ टैगोर की पंक्तियों का हवाला देते हुए अपना भाषण समाप्त करूंगा। यह जूते की खोज के संबंध में है। एक बार एक राजा अपने पांव धूल से बचाना चाहता था। उसने अपने मंत्री से पैरों को धूल से बचाने का उपाय खोजने को कहा। मंत्रियों ने आपस में सलाह मशविरा करके गलियों से धूल साफ करने की सोची। उसके बाद क्या हुआ? पूरा शहर अंधेरे में डूब गया क्योंकि वह धूल से ढक गया था। उसके बाद एक गरीब मोची आया उसने राजा से पूछा कि वह यह सब क्यों कर रहा है? उसने सुझाव दिया कि इसके बदले राजा अपने पाव एक चमड़े के टुकड़े से ढक सकता है ताकि वह अपने पांव धूल से बचा सके।

यह सरकार ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार है, यह सरकार भुखमरी के लिए जिम्मेदार है, यह सरकार कृषि क्षेत्र में आए संकट के लिए जिम्मेदार है और यह सरकार किसानों की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार है। इस सरकार की नीतियों के कारण ही हमारे किसानों को उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। आज किसान अपना धान 350 या 380 रु. प्रति क्विंटल बेच रहा है। सभी जगह लोग अपना माल मजबूरी में बेच रहे हैं। परन्तु सरकार उनकी मदद के लिए आगे नहीं आ रही है। इस सरकार को सत्ता से हटाने के बाद ही देश के किसानों और श्रमिक वर्ग को बचाया जा सकता है।

जब तक यह सरकार नहीं हटेगी हम अपनी जनता और अपने देश को नहीं बचा पाएंगे। इसलिए, सबसे महत्वपूर्ण काम इस सरकार को हटाना है। उसके बाद हम किसानों को बचा पाएंगे। यदि यह सरकार सत्ता में बनी रहती है तो हमारे देश के और अधिक किसानों को आत्महत्या करनी पड़ेगी। इसलिए, हमारे किसानों को बचाने की खातिर इस सरकार को हटा देना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं भाषण समाप्त करता हूं। इस मुद्दे पर बोलने के लिए समय और मौका देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

श्री महेश्वर सिंह (मंडी) : उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं इस सदन के वरिष्ठ सदस्य माननीय श्री बसुदेव आचार्य जी के प्रति आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उन्होंने एक अत्यन्त

[श्री महेश्वर सिंह]

महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा उठाई। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहूंगा।

भारत कृषि–प्रधान देश है और किसान इस देश का गौरव रहा है। यह भी सत्य है किसान पहले कहता था कि "उत्तम खेती मध्यम व्यापार, जो नौकरी करे वह सबसे बेकार"। लेकिन आज 55 वर्षों के बाद वही किसान यह बात कहने के लिए मजबूर है कि "उत्तम नौकरी मध्यम व्यापार, जो खेती करे वह सबसे बेकार"। आज ऐसा अवसर आया है कि जो किसान सबका पेट पालता रहा है वही मजबूर होकर आत्महत्या कर रहा है। मेरे उस तरफ के माननीय सदस्य बोलते हुए कहते हैं कि सारा का सारा सत्यानाश एनडीए सरकार ने किया है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि इन 55 वर्षों में से 45–50 वर्ष किसका शासन रहा है? जिनका शासन रहा, वे इन वर्षों में क्या करते रहे? उनकी कौन सी अच्छी नीतियां थीं जिनका इस सरकार ने अनुपालन नहीं किया और किसान की दुर्गति हो गयी। अभी माननीय बसुदेव आचार्य जी बोल रहे थे। मैं आदरपूर्वक उनसे पूछना चाहता हूं कि उन्होंने भी एक सरकार का समर्थन किया था। उस समय इस देश के प्रधान मंत्री एक पूअर–हम्बल फार्मर प्रधान मंत्री थे और श्री चतुरानन मिश्र जी कृषि मंत्री थे। उस समय सब कुछ छीक क्यों नहीं हो गया। मैं उनको भी दोष नहीं देता, लेकिन मैं उनको दोष देता हूं जिन्होंने इस देश पर सबसे ज्यादा राज किया। मैं पूछना चाहता हूं कि उन्होंने 45 वर्षों तक क्या किया? आज उन 45 वर्षों की गलती इस सरकार के माथे मढ़ने की कोशिश की जाती है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं।

हमारे समाज में घर का कार्य गृहिणी करती हैं। अगर गृहिणी कुछ दिन के लिए मायके चली जाए और घर पर समय पर वापस न आये तो घर में जाला जग जाता है और घर की सफाई में कुछ दिन लग जाते हैं। जो गंदगी आप 45 वर्षों तक फैलाते रहे और किसान की दुर्गति करते रहे, कैसे आप उम्मीद करते हैं कि यह सरकार 3 वर्षों में ही सारी गंदगी साफ कर देगी।...*(व्यवधान)*

जहां तक वर्तमान सरकार का संबंध है, मैं सरकार को बधाई देना चाहूंगा कि उसने एक किसान के बेटे को कृषि मंत्री बनाया है और वे पूरी तत्परता के साथ, ईमानदारी के साथ किसानों की भलाई का काम कर रहे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जब चौधरी चरण सिंह जी...*(व्यवधान)*

श्री राजो सिंह : उपाध्यक्ष जी, कृषि मंत्री जी के पिताजी किसानों के इश्यू पर उत्तर प्रदेश की सरकार से अलग भी हो गये थे।

श्री महेश्वर सिंह : उपाध्यक्ष जी, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। उन्हीं के नेतृत्व में भानु प्रताप सिंह जी मंत्री थे। उनके समय में अगर किसी चीज को बढ़ावा दिया गया था तो इसी बात को दिया गया था कि किसान की जो उपज है उसकी मार्किटिंग की व्यवस्था की जाए। उसी का परिणाम है कि यह प्रयत्न किया गया कि मार्किटिंग बोर्ड के माध्यम से, जिला स्तर की कमेटियों के माध्यम से मंडियां बनाई जाएं।

बार–बार यहां समर्थन–मूल्य की बात कही जा रही है। समर्थन मूल्य कभी भी स्थाई हल नहीं हो सकता है, वह अस्थाई हल तो हो सकता है। सरकार का दायित्व बनता है कि वह किसान को विपणन की, मार्किटिंग की सुविधा दे। सरकार खुद तो व्यापार नहीं कर सकती है लेकिन व्यापार करने के लिए किसानों को सुविधा दे। इस सरकार के संबंध में कहा जा रहा है कि बाहर से अनाज आ रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि आयात नहीं करेंगे तो निर्यात कैसे करेंगे? आपने लाइब्रेरी से आकर आयात के आंकड़े तो दे दिये लेकिन इस सरकार के समय में कितने अन्न का निर्यात हुआ, उसके आंकड़े भी आपको देने चाहिए थे।

अगर डब्ल्यूटीओ का अनुपालन करना है और गैट समझौते की बात करते हैं, तो कोई चीज निर्यात तभी कर सकेंगे अगर कोई आयात होने देंगे। क्या इसमें सत्यता नहीं है कि देश का फल, बासमती चावल और अन्न निर्यात भी हो रहा है? आप इसके आंकड़े देखें।

अब मैं विपणन और विधायन सुविधा के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मैं ऐसे प्रान्त से आता हूं, बसुदेव जी को याद होगा जब वहां सेब का सीजन आता था तो सेब के समर्थन मूल्य का हर साल हाहाकार मचता था। क्या इस साल और पिछले साल ऐसी कोई मांग हुई?

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : यदि आप संतुष्ट हैं लेकिन पूरा देश संतुष्ट नहीं है।

श्री महेश्वर सिंह : ऐसी मांग क्यों नहीं हो रही है, इसके पीछे एक कारण है। वर्तमान मंत्री ने इसमें उदारता से पैसा दिया है। इससे पहले नीतीश कुमार जी ने दिया था जिस वजह से जगह–जगह मंडियां बनी हैं और घर–द्वार पर किसानों को सुविधा है। वह अपनी उपज उठाता है और 10–10 किलो उपज रखने वाला किसान भी अपना माल उठा कर आता है और उसे गांव की सब्जी मंडी में उसे बेचता है। उसे उसी

समय पैसा मिलता है। आज दिल्ली की सब्जी मंडी में सेब आना इस कारण कम हो गया है कि उसके घर–द्वार पर ही सभी सुविधाएं मिल रही हैं। वह वहां जाकर फल और सब्जी बेचता है। इसलिए आज हिमाचल के किसान समर्थन मूल्य की बात नहीं कर रहे हैं। सरकार उन्हें सभी सुविधाएं दे रही है। हिमाचल सरकार अपने सीमित साधन होते हुए भी पैसा दे रही है। इसलिए भी वे संतुष्ट हैं कि उनके पास मंडी है और वे वहां जाकर सब्जी और फल बेचते हैं। उन्हें कैश में पैसा भी मिलता है। ऐसा काम इस सरकार ने किया है। मैं इसके लिए सरकार को बधाई देना चाहूंगा। आज दिल्ली के बिचौलियों से उनकी जान बच गई है। यह काम इस सरकार ने इतने छोटे समय में करके दिखाया है।

आज कहा जाता है कि रूरल डैवलपमैंट में कम पैसा मिल रहा है। काम के बदले अनाज देने की योजना चल रही है। यदि कोई प्रान्तीय सरकार अनाज नहीं उठा सकती तो क्या इसमें दोष केन्द्र सरकार का है? मंत्री जी ने कहा है कि वह इस बात पर विचार करेंगे कि अगर अनाज उठाने के लिए पैसा नहीं है तो किस प्रकार उनको सुदृढ़ किया जाए ताकि वे अन्न ले जा सकें। इस बारे में सरकार चिंतन कर रही है। इस प्रकार की बात कहना कि यह सरकार कुछ नहीं कर रही है यह तथ्यों से बहुत दूर है। मुझे प्रसन्नता होती अगर आप भाषण देते समय सरकार को कुछ सुझाव देते कि इन बातों का अनुसरण करेंगे तो निश्चित रूप से किसानों का भला होगा लेकिन आपने एक भी सुधार की बात नहीं कही और एक भी सुझाव नहीं दिया। आप अपने 45 मिनट के भाषण में आधा समय सरकार को कोसते रहे कि इस सरकार को जाना चाहिए। मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि यह सरकार तब तक रहेगी जब तक देश के लोग चाहेंगे। आपके कहने से हम नहीं जाएंगे।

कृषि पर आधारित उद्योगों के स्थापना की जहां तक बात है, इस बारे में अनेकों योजनाएं हैं। आज हम फूड पार्क की बात कर रहे हैं और इसे बढ़ावा दे रहे हैं। जितने भी कृषि और फलों पर आधारित उद्योग हैं वे अधिक से अधिक देश में लगे। मैं फूड प्रोसैसिंग मिनिस्टर साहब से कहना चाहूंगा कि इसका सरलीकरण करने की आवश्यकता है। अनेकों लोग आपके कार्यालय के चक्कर काटते रहते हैं लेकिन फूड पार्क की स्वीकृति नहीं मिलती। एक के बाद दूसरी आपत्तियां लगती हैं। इसे समयबद्ध करना चाहिए ताकि समय पर स्वीकृति मिले। सब्जी, फल और अन्न पर आधारित उद्योगों को सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए। किसानों को सुविधा मिलनी चाहिए ताकि वह इन चीजों को समय पर लगाए। इस बात की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए।

यहां शान्ता कुमार जी बैठे हैं। वह पूर्व में मुख्यमंत्री भी रहे हैं। वह एक बात की हमेशा वकालत करते रहे हैं और मैंने भी प्रयास किया और एक निजी प्रस्ताव के माध्यम से एक बात कही थी कि जहां तक देश का फल उत्पादक है उसके लिए यह मैंडेटरी करना चाहिए कि जितने शीतल पेय पदार्थ हैं उनमें कम से कम 20 परसैंट फल रस होना चाहिए क्योंकि आज सारा सिंथैटिक बिक रहा है और एक किसान बेचारा फल बेचने के लिए दर–दर की ठोकरें खाता है। वह मार्किटिंग के लायक नहीं है। ऐसा करने से जितना फल विपणन के योग्य नहीं है, विधायन के योग्य है, उससे फल रस निकाल कर वह सभी शीतल पेय पदार्थों में मिलाया जाएगा तो वह पौष्टिक बनेगा और इससे किसानों को भी पैसा मिलेगा।

इस बात पर विचार करना चाहिए। जब हम यह बात कहते हैं तो कहा जाता है कि अगर फल रस सिंथैटिक में ऐड कर दिया जाये, तो वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जायेगा। इस बात की खोज करने की आवश्यकता है कि यह कितना तथ्यों पर आधारित है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि जितने भी सरकारी समारोह हैं या जहां शताब्दी ट्रेन चलती हैं या जहां प्लेन जाता है, क्यों नहीं आवश्यक कर देते कि वहां सिर्फ शुद्ध फल रस ही मिलेगा जो उस प्रान्त का फल है, यात्रियों को मिलेगा ताकि किसानों को एक मार्किट मिल जाये और वह अपने उत्पाद को बेच सकेगा। इस बात की ओर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। मैं सदन की जानकारी के लिए एक बात कहना चाहूंगा लेकिन आप कहेंगे कि मैं केवल हिमाचल प्रदेश की बात कर रहा हूं क्योंकि हिमाचल प्रदेश ने यह करके दिखाया है। गत वर्ष फल रस पर आधारित उद्योग की स्थापना शिमला जिला के जुब्बलकोट खाई नामक स्थान पर की गई है। जितने इस प्रकार के फल हैं जिनका विपणन संभव नहीं, उस पर आधारित उद्योगों को स्थापित किया गया है, उस कंपनी के अध्यक्ष महाराष्ट्र से हैं। यह चौग्ले कंपनी है। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि इस प्रकार के एक दूसरे उद्योग की आधारशिला इस माह की 15 तारीख को मंडी जिला के बार्डर एरिया नगवाई स्थान पर इस सदन के अध्यक्ष महोदय के कर–कमलों द्वारा रखी जाएगी। यदि इस प्रकार के काम करेंगे तो निश्चित रूप से किसानों को अपनी उपज बेचने का अवसर मिलेगा। मेरे ख्याल में पश्चिमी बंगाल सरकार इस प्रकार के उद्योग लगा रही है। यदि आचार्य जी इसका उदाहरण देते तो हम उसका अनुसरण करते।

श्री बसुदेव आचार्य : इसके अलावा बहुत कुछ हो रहा है।

श्री महेश्वर सिंह : पता नहीं, कहां हो रहा है– उसका जिक्र आपने नहीं किया। बहुत अच्छी बात है, भगवान आपको सद्‌बुद्धि दे।

उपाध्यक्ष महोदय, किसान खैरात नहीं मांगता, वह अपना अधिकार मांगता है, वह अधिकार उसे देना चाहिए। बजाय इसके कि एक–दूसरे का विरोध करें, एक–दूसरे की आलोचना करें, अगर हम इस प्रकार के सुझाव दें कि किस प्रकार से किसानों की अधिक से अधिक सेवा हो सकती है तो अच्छा रहेगा ताकि इन बातों पर विचार किया जा सके कि कैसे काम किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक सूखे का सवाल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस सत्र के शुरू में ही प्रथम दिन प्रश्न संख्या 3 में पूछा गया था कि कितने राज्यों में सूखा है और सरकार की ओर से क्या मदद हो रही है। जवाब में आया कि 15 राज्यों में से 8 राज्य सूखे की भयंकर चपेट में हैं। उस सूखे का असर इतना भयंकर है कि आज पहाड़ी प्रदेशों में देखने को मिलता है। गरमियों के मौसम में पहाड़ी इलाकों में घास पशुधन के लिये इकट्‌ठी करते हैं क्योंकि सर्दियों में घास नहीं होती। अब वह पुराना स्टॉक खत्म हो गया है। इस सूखे का असर हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल और पूर्वी राज्यों में दिखाई दे रहा है जहां पशुधन के लिये घास नहीं बची। यहां से सैंट्रल टीम गई लेकिन टीम जाने के बाद मदद के तौर पर कुछ नहीं मिला। मैं हिमाचल प्रदेश का उदाहरण दूंगा। वहां पर 155.86 करोड़ रुपये का घाटा आंका गया था और उम्मीद थी कि कुछ मदद मिलेगी लेकिन बदले में कॉमन पूल में कुल मिलाकर 17.98 करोड़ रुपया मिला और वह भी नवम्बर माह के बजाय अगस्त माह में मिला।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि सैंट्रल टीम भेजने की परम्परा पर विचार करने की आवश्यकता है। टीम जाती हैं और आने जाने का खर्चा करती है लेकिन देना कुछ नहीं, तब उस टीम को भेजने का क्या लाभ? यदि टीम जाती है तो प्रदेश सरकार की अनुशंसा पर कुछ न कुछ मिलना चाहिए। मैं यह भी जानता हूं कि इसके बदले में कई दूसरी योजनाएं। जैसे प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना, सम्पूर्ण ग्रामीण विकास योजना, ग्राम रोजगार योजना या काम के बदले अनाज योजना लेकिन यह सत्यता है कि प्रदेश सरकार की अपनी समिति आय है, प्रान्त सरकार केन्द्र पर निर्भर है तो इन प्रान्तों की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मुझे आशा और विश्वास है कि आप उन प्रान्तों को उदारता से मदद देंगे,

अपराह्न 3.00 बजे

ताकि वह सूखे की मार से लड़ सके। जैसा मैंने कहा कि पहाड़ी प्रांतों में सूखे का असर अभी सर्दियों के महीनों में नजर आयेगा, जैसे–जैसे बर्फ पड़ने लगेगी उतना उसका असर नजर आयेगा और आने वाले मार्च–अप्रैल तक, जब तक वे क्षेत्र बर्फ से ढके रहेंगे, तब तक हमें पशुधन के लिए घास, चारे इत्यादि का प्रबंध करना पड़ता है। आज पशुधन को कैसे बचाया जाए, इन क्षेत्रों में यही सबसे बड़ी चिंता है।

उपाध्यक्ष महोदय, अंत में मैं कहना चाहूंगा कि जहां तक प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना की बात है, यह बहुत अच्छी योजना है। लेकिन इसमें एक चीज है कि जो किसान की जमीन लगेगी, किसान को उसका मुआवजा नहीं मिलेगा। किसानों को भूमि निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी। भूमि के बदले में किसान को कोई रोजगार मिले, सरकार को इसकी व्यवस्था करनी होगी। किसान भूमि स्वेच्छा से दे रहा है। वह भूमि इसलिए दे रहा है ताकि उसकी पीठ से बोझ उतरे। उसकी उपज गाड़ियों और ट्रैक्टरों से जा सके लेकिन इसके साथ उसके लिए रोजी–रोटी का प्रबंध करने की आवश्यकता है।

यहां मंत्री महोदय बैठे हैं, मैं आपके माध्यम से उनके ध्यान में लाना चाहूंगा कि जो ठेके देने की प्रथा है, यहां की गाइडलाइंस में कहा गया है कि केवल ए और बी क्लास के ठेकेदारों को ये ठेके दिये जाएं। फलस्वरूप वे ठेकेदार सारी की सारी लेबर बाहर से लाते हैं और स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है। इसलिए ऐसी व्यवस्था कर देनी चाहिए कि प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आवश्यक कर दिया जाए कि स्थानीय किसानों को, जिनकी भूमि उसमें लगी है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर रोजगार लगाया जाए, ताकि उसकी जो जमीन जा रही है, उसके बदले में जब तक सड़क का काम है, उसे रोजगार मिले। चूंकि एक–एक सड़क पर करोड़ों रुपये लग रहे हैं, वह रुपया खर्च होता है और उसे रोजी मिलती है तो मैं समझता हूं कि वह प्रसन्नता से आगे आयेगा और स्वेच्छा से भूमि दान देना होगा, क्योंकि कई जगहों पर पैसा होने के बावजूद अगर काम नहीं हो रहा है तो जहां गरीब किसान है वह सड़क तो चाहता है, लेकिन अपनी भूमि निःशुल्क देने में वह असमर्थ है। वह निःशुल्क तब देगा जब बदले में उसके लिए रोजगार की कोई व्यवस्था की जाए। मुझे विश्वास है कि इस ओर सरकार का ध्यान जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक पेयजल या सिंचाई योजनाओं की बात है, यह सही है कि जो आज राजस्व मैनुअल है, उसके अनुसार जब कभी कोई प्राकृतिक आपदा आती है, चाहे सूखा आये, बाढ़ आये, यह हर प्रदेश में भिन्न है। इसमें किसानों के लिए बड़ी समस्या है। इसलिए मैं चाहूंगा कि केन्द्रीय स्तर पर कोई न कोई ऐसा रिलीफ मैनुअल बनना चाहिए जिससे किसानों को सामान्य सुविधा और सामान्य सहायता मिल सके। चाहे वह कश्मीर हो या कन्याकुमारी हो, इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। चूंकि जब कोई राष्ट्रीय आपदा घोषित हो जाती है तो यहां से ज्यादा पैसा मिलता है। लेकिन अगर प्रदेश सरकार को उन आपदाओं से जूझना पड़े तो सीमित साधन होते हुए भी बहुत कम पैसा दिया जाता है।

मैंने पहले भी कहा था कि इलैक्शन कमीशन की तर्ज पर इस प्रकार का आयोग यहां बन जाना चाहिए कि जब भी कहीं सूखा पड़ता है तो वह आयोग काम करे, क्योंकि यह भी सत्यता है कि जब भूकम्प आता है, कोई आपदा आती है तो कई वॉलेन्टरी ऑर्गेनाइजेशंस आगे आकर दान देते हैं। लेकिन जो चीजें दान में दी जाती हैं, उनका सदुपयोग नहीं होता है। इसलिए इस प्रकार का कोई कमीशन बन जाए, ऐसा आयोग बन जाए कि सारी प्रांतीय सरकारें भी उसके अंतर्गत ऐसी हालत में काम करें, ताकि लोगों को सुविधा मिल सके और जो सही आदमी हैं, जिन्हें ये सुविधाएं और सहायता मिलनी चाहिए, उन्हें सहायता मिल सके। आज इस प्रकार की व्यवस्था करने की आवश्यकता है, क्योंकि राजस्व मैनुअल के अनुसार आज भिन्न-भिन्न प्रान्तों में भिन्न-भिन्न कानून हैं। कई जगहों पर ऐसी व्यवस्था है कि अगर व्यक्ति की जान बच जाए और उसका सर्वस्व चला जाए तो उसके कुछ नहीं मिलता है। लेकिन अगर उसकी जान चली जाए और बाकी सबकुछ बच जाये तो उसके पचास हजार रुपया मिलता है। यदि किसी की जान बच जाए और उसका सर्वस्व चला जाए तो सबसे पहले उसका जीना मुश्किल हो जाता है। सबकुछ जाने के बाद भी किसान को एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलती है। लेकिन अगर जान चली गई और सबकुछ बच गया तो पचास हजार रुपये मिलते हैं। जब जान ही चली गई तो उस पैसे का क्या लाभ। जो किसान बच जाता है उसके लिए भी कोई व्यवस्था होनी चाहिए। इस ओर भी सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है।

जहां तक वाटर शैड योजना की बात हे, उसमें केन्द्र से बहुत पैसा आ रहा है। लेकिन अभी एक पत्र लिखा गया है कि इसके अंतर्गत कोई भी सिंचाई योजना नहीं लेंगे। सिंचाई योजना जो परमानैन्ट असैट है, यदि उसे हम वाटर शैड योजना के अंतर्गत नहीं लेंगे, तो क्या काम करेंगे। इसलिए इसमें छूट होनी चाहिए क्योंकि जो भी वाटर शैड एरिया हैं, वहां पर परम्परागत स्रोत बावड़ी और तालाब आदि हैं, यदि उनकी मरम्मत, देख-रेख और सफाई करने के लिए वाटर शैड योजना के अंतर्गत उदारता से स्वीकृति दी जाए तो निश्चित रूप से किसानों को राहत मिलेगी। यहां मंत्री जी बैठे हैं, मैं उन्हें बधाई देना चाहूंगा, हमें आज एक पत्र मिला है जिसमें एक जलधारा की बात कही गई है कि केवल दस प्रतिशत हमें देना होगा, चाहे वह सांसद निधि से आये, चाहे गांव से आये और बाकी पैसा केन्द्र सरकार देगी।

मुझे विश्वास है कि इसमें भी जहां-जहां इस प्रकार के ड्राउट प्रोन एरियाज हैं, उनको प्राथमिकता मिलेगी ताकि लोगों के लिए पेयजल की स्थायी व्यवस्था की जा सके।

अपने मुझे बोलने का अवसर दिया और सभी माननीय सदस्यों ने मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए मैं आपके प्रति और माननीय सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

[अनुवाद]

श्री एच. डी. देवगौडा (कनकपुरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र पर चर्चा कर रहे हैं जिससे हम सभी जुड़े हुए हैं और अपने नियम 193 के अधीन मेरे सहयोगी श्री बसुदेव आचार्य द्वारा प्रस्तुत मामले पर हमें चर्चा की अनुमति भी दी है।

महोदय, इसमें राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। प्रारंभ में, मेरा सभा के सभी वर्गों से यह अनुरोध है कि इस मुद्दे पर राजनीतिक विचारधारा के आधार पर चर्चा नहीं की जानी चाहिए।

महोदय, आपने इस चर्चा को प्रारंभ करने वाले हमारे सहयोगी को समय सीमा का ध्यान रखने के लिए कहा था किंतु मेरा आपसे अनुरोध है कि चूंकि यह मुद्दा चर्चा किए जाने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक है, अतः कृपया इसके लिए नियत समय को बढ़ा दिया जाए। हमें सरकार को आवश्यक राहत तथा सुरक्षोपाय करने के लिए प्रेरित करना होगा ताकि किसानों को इस मुसीबत से बचाया जा सके।

सभी सरकारों ने किसानों के जीवन यापन में सुधार करने के भरसक प्रयत्न किए हैं। मैं यह नहीं कहूंगा कि इस सरकार

[श्री एच. डी. देवगौड़ा]

ने या उस सरकार ने पहले उनके लिए कुछ नहीं किया। जब हमारे देश को आजादी मिली, उस समय हमारा खाद्यान्न उत्पादन मुश्किल से 50 मिलियन का था और हमें अपनी जनता को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए संसार भर में सहायतार्थ घूमना पड़ता था। कांग्रेस सरकार के दौर में हरित क्रांति आई। इसका श्रेय स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी और कृषि मंत्री श्री सी. सुब्रह्मण्यम को जाता है।

मुझे आज प्रसन्नता है कि प्रधान मंत्री जी ने कृषि मंत्रालय का दायित्व एक कृषक–पुत्र को दिया है। जब मैंने प्रधान मंत्री को ज्ञापन दिया था तब वे वहां अपने कुछ अधिकारियों के साथ उपस्थित थे। उस दिन, प्रधान मंत्री जी की मौजूदगी में उन्होंने इस बात पर अपनी चिंता व्यक्ति की थी कि संसद में किसानों की कोई लॉबी नहीं है। अगले दिन जब वे बंगलौर गए तो उन्होंने एक कार्यक्रम में भाग लेते हुए कहा था कि किसानों में से और खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों से 400 से भी अधिक सांसद चुने जाएंगे किन्तु कृषि क्षेत्र के हित में संसद में कोई लॉबी मौजूद नहीं है। इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय से मेरा अनुरोध था कि कृषि क्षेत्र पर चर्चा के लिए कुछ समय और दिया जाए। मैं यह नहीं कहूंगा कि इस सरकार ने कुछ नहीं किया है। विश्व व्यापार संगठन के लिए यह सरकार ही पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए हम जिम्मेदार हैं। एक समय इस देश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। मैं 1991 में संसद में आया था। देश की मान मर्यादा बचाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री ने सोना गिरवी रखने का निर्णय लिया। इसके उपरान्त आई कांग्रेस सरकार को भी 150 टन सोना गिरवी रखना पड़ा था। ऐसी स्थिति में हमें बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली अपनाने के लिए बाध्य होना पड़ा। हमें विश्व व्यापार संगठन से जुड़ना ही होगा। यहां तक कि आज चीन ने भी इस मुक्त व्यापार प्रणाली को अपना लिया है। वे कैसे प्रगति कर रहे हैं? उसकी आबादी क्या है? मैं आज इस सम्मानित सभा का समय लेकर इन सब पर चर्चा नहीं करूंगा।

सभी सरकारों में आर्थिक सलाहकारों के प्रति यही नजरिया है कि वे वित्तीय घाटे पर जोर देने के लिए शासकों पर हावी होते रहे हैं। हमेशा ऐसा ही हुआ है। भले ही श्री देवगौड़ा प्रधानमंत्री थे या श्री नरसिंह राव अथवा कोई भी। हमें ऐसी ही सलाह मिलती रही है।

अब, हम विश्व व्यापार संगठन के समझौते से मुंह नहीं मोड़ सकते। हमें केन्द्रीय सरकार की परिधि में ही जो भी संभव है उसमें सुधार करना होगा। ऐसा करते समय सरकार को सभा को विश्वास में लेना चाहिए। एक सोच ऐसी है कि औद्योगिक क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र और सेवा क्षेत्र पर अधिक बल देने से हम बेरोजगारी से निजात पा सकेंगे, हम भुखमरी को दूर कर लेंगे, हम ग्रामीण तथा शहरी आबादी के बीच के भेद की समस्या दूर कर पाएंगे और राष्ट्र समृद्ध होगा। जहां तक राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का संबंध है, हमारे अर्थ–शास्त्रियों ने यह सलाह दी है। हमने उनकी सलाह को गंभीरतापूर्वक लिया है। आज स्थिति क्या है? एक–दूसरे पर आरोप लगाने का कोई लाभ नहीं है।

किसी को ऐसा लग सकता है कि श्री देवगौड़ा इस सभा में केवल किसानों की ही वकालत कर रहे हैं। मेरे पहले के वक्ता ने कहा कि मैं एक विनम्र किसान हूं। जी हां, इसमें कोई संदेह नहीं है। मुझे इस पर गर्व भी है। उन्हें भी इस पर गर्व होना चाहिए। वे एक ऐसे किसान के पुत्र हैं जिन्होंने असंगठित क्षेत्र के लिए संघर्ष किया है। हमारी कोई पहचान नहीं है। इसीलिए, उन्होंने अपील की कि इस सभा में कम से कम 400 सदस्य किसानों में से चुने जाने चाहिए। जब तक कृषि क्षेत्र को पर्याप्त बल और प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा। तब तक औद्योगिक क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र अथवा सेवाओं के क्षेत्र में कोई विश्वास नहीं हो सकेगा।

धन के अभाव में इन सभी क्षेत्रों में असफलता हाथ लगेगी। उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहूंगा कि ट्रैक्टर उद्योग का क्या हुआ। आज वहां बिक्री नहीं हो रही है। पॉवर टिलर्स में बिक्री नहीं है, ट्रैक्टर बिक नहीं रहे हैं। किसानों के पास घरेलू चीजों की खरीद के लिए भी पैसे नहीं होते हैं। उन्हें धनोपार्जन करना होगा, तभी शहरों में व्यापारी अपना व्यवसाय चला सकते हैं। मैं अर्थशास्त्री नहीं हूं किंतु यह सामान्य ज्ञान है। हम अर्थशास्त्री नहीं हो सकते, हम हार्वर्ड विश्वविद्यालय से डिग्री नहीं ले सकते। उसकी जरूरत नहीं है। ग्रामीण पृष्ठभूमि वाला साधारण बुद्धि रखने वाला व्यक्ति भी यह महसूस कर सकता है। इसे महसूस करने वाले सभी इस समस्या का समाधान खोजने के लिए इकट्ठे हो सकते हैं। इस पर विचार किया जाना चाहिए।

जब मैं माननीय प्रधानमंत्री से मिला तो उन्होंने मुझे 45 मिनट का समय दिया। उन्होंने धैर्यपूर्वक सुना। माननीय कृषि मंत्री वहां उपस्थित थे। यदि माननीय सदस्यगण सहयोग दें तो मैं सभा का थोड़ा सा समय और ले सकता हूं। मैं अन्य माननीय सदस्यों का समय लेना नहीं चाहता किंतु मैं थोड़ा सा और समय चाहता हूं ताकि हम सभी मिलकर इन मुद्दों

पर विचार कर सकें। माननीय प्रधान मंत्री ने दो परिषदें बनाईं–औद्योगिक सलाहकार परिषद और आर्थिक सलाहकार परिषद। वे कृषि क्षेत्र को भूल गए। मैं इसके लिए उन्हें दोष नहीं दे रहा हूं। मैं इसे उस कोण में नहीं देख रहा हूं। मैंने केवल माननीय प्रधानमंत्री का ध्यान आकर्षित करने का प्रयत्न किया है। उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र पर अधिक बल दिया और उन्होंने औद्योगिक सलाहकार परिषद बना दी। आर्थिक स्थिति पर उन्होंने विशेषज्ञों की सलाह चाही और उन्होंने एक आर्थिक सलाहकार परिषद् बना दी किन्तु वे कृषि क्षेत्र को भूल गए। उन्हें अब सोचना चाहिए और यह विचार करना चाहिए कि क्या कृषि अर्थशास्त्रियों और किसानों को मिलाकर एक सलाहकार परिषद् की आवश्यकता है। वे विशेषज्ञ नहीं हो सकते किंतु कम से कम वे ऐसे सलाहकार निकाय में अपनी भावनाएं तो व्यक्त कर पाएंगे। मैं केवल यही सुझाव देना चाहता हूं।

माननीय कृषि मंत्री ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र में लॉबी कैसे कार्य करती है। फिक्की लगातार बैठकें, संगोष्ठियां और सम्मलेन करती है। सी.आई.आई. और एसोकैम (ए.एस.एस.ओ. सी.एच.ए.एम.) तथा अन्य संगठन हमेशा यही प्रयत्न करते हैं कि प्रधान मंत्री, विशेषज्ञों, वित्त मंत्री, वाणिज्य मंत्री और अन्यों की समस्याओं के समाधान के लिए बुलाया जाए। वे शासकों तथा प्रशासकों को मनाने का प्रयास करते हैं ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। क्या किसानों के लिए कोई ऐसी लॉबी है? क्या किसानों के लिए ऐसा कोई संगठन है? हम सब अलग–अलग दल हैं। हमारा ऐसा संगठन नहीं है जैसे देश में कई राजनैतिक दल हैं। उसी प्रकार हमारे देश में कई कृषक संगठन हैं। इनमें कोई अंतर नहीं है।

वे सब जाति व धर्म के आधार पर बंटे हुए हैं। दुर्भाग्यवश, उनकी आवाजें बहुत हल्की हैं और कोई परवाह नहीं करता है।

महोदय, 545 सदस्यों वाली इस सभा में, जो कि देश की सर्वोच्च संस्था है, इनमें से करीब 400 से 500 ग्रामीण क्षेत्रों से आए हैं और वे ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले हैं। आप राजनीति को भूल जाइए। मैं नहीं चाहता कि कल सरकार किसी प्रस्ताव को लाए। यह न केवल उनके लिए बल्कि मेरे लिए भी संभव नहीं है। उन्हें जनादेश प्राप्त है और उन्हें शासन करने दीजिए किन्तु मेरा आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से यही निवेदन है कि बाकी के दो वर्षों में उन्हें इस क्षेत्र विशेष पर ही ध्यान केन्द्रित करने दीजिए जिससे उन्हें अपना राजनैतिक आधार पुनः प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। पिछले तीन सालों से वे यह आधार खोते रहे हैं और मैं इस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। किंतु यह टिप्पणी नहीं है, मैं केवल उन्हें चेता रहा हूं।

महोदय, 1992 में, मैं पिछली बेंचों पर बैठा था जब डा. मनमोहन सिंह ने आर्थिक सुधारों की घोषणा की–तब माननीय उपाध्यक्ष महोदय आप भी इस सभा में उपस्थित थे–उन्होंने कहा कि "अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक राज सहायताओं पर बहुत से अड़ंगे लगा रहे हैं। इसलिए तीन सालों के चरणबद्ध कार्यक्रम में हमें कृषि क्षेत्र से इन राजसहायताओं को समाप्त करना होगा।" उन्होंने इस सम्मानित सभा में यह कहा था। उस दिन मैं विधान सभा अथवा संसद के अपने साढ़े चार दशक के सार्वजनिक जीवन में पहली बार अध्यक्ष के आसन के समीप धरने पर बैठा था। मैं यहीं बैठा था। यहां मौजूदा उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी, वर्तमान प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी यहां बैठे थे और तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री पी.वी. नरसिम्हाराव वहां बैठे थे। किसी ने भी परवाह नहीं की। उस दिन मेरे धरने का कोई महत्व नहीं था। आज, हम सभी को अपनी राजनैतिक संबद्धता भूलकर यह महसूस करना चाहिए कि ग्रामीण स्थिति कैसी है। मैं यह नहीं कह रहा कि कोई भी इसके लिए गंभीर नहीं है।

पिछली बार, उड़ीसा से श्री प्रसन्न आचार्य बोल रहे थे। मैं बहुत खुश था। दूसरी ओर से मैं उनका भाषण सुन रहा था। इस सभा में कई सदस्य इस मुद्दे पर चिंतित हैं किंतु बात यह है कि उपचारात्मक उपाय कैसे किए जाएं, संसाधन कैसे जुटाए जाएं और संसाधनों में वृद्धि कैसे की जाए! मैं समझ सकता हूं कि यह एक गंभीर मुद्दा है क्योंकि यहां एक शक्तिशाली लॉबी होगी।

आपने उपहार–कर क्यों समाप्त किया? इसमें किसका लाभ था? आपने संपत्ति कर समाप्त क्यों किया? मैं यह दिखा सकता हूं कि अपने संसाधन जुटाने के कई तरीके हैं। यदि माननीय प्रधान मंत्री हम सभी को बुलाएं और यदि हम मिलकर बैठें तो हम किसानों के हित में एक कार्य योजना तैयार कर सकते हैं। हम सभी को मिलकर माननीय प्रधानमंत्री और माननीय उपप्रधानमंत्री से मिलना चाहिए।

मैं पहली बार अपने न्याचार की उपेक्षा कर उप प्रधानमंत्री के दरवाजों तक गया। मुझे अपने नयाचार की चिंता नहीं है। मैं उनके पास इसलिए गया क्योंकि वे किसानों के हित में कुछ कर सकते हैं। मैं उनके चैम्बर में गया।

मैं अब सभा का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि स्थितियां किस प्रकार से घटित हो रही हैं। जब श्रीमती इंदिरा

[श्री एच. डी. देवगौड़ा]

गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था तो उस समय कृषि भी एक प्राथमिक क्षेत्र माना गया था। बैंक जमा का 18 प्रतिशत कृषि क्षेत्र के लिए निर्धारित किया गया था। अतः मैं जानना चाहता हूं कि क्या आजतक किसी बैंक ने उस लक्ष्य को पूरा किया है। उत्तर है 'नहीं'।

जब मैं 10½ महीनों के लिए प्रधान मंत्री था तो मैंने प्रत्येक व्यक्ति को प्रेरित करने की कोशिश की। मैंने रिजर्व बैंक के गवर्नर तथा सभी राष्ट्रीयकृत और गैर–राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रमुखों से बात की। यह 9, 9½ अथवा दस प्रतिशत से अधिक नहीं हुआ है। सिर्फ एक या दो बैंक ही अभी तक 13 प्रतिशत की सीमा को छू पाए हैं।

आज कुल बैंक जमा कितना है? यह करीब 9,00,000 करोड़ रुपये होगा। हम कृषि क्षेत्र को कितना दे रहे हैं। मैं आंकड़ों का उल्लेख नहीं चाहता हूं।

आपने किसान क्रेडिट कार्ड दिए गए हैं। हां, आपने किसान क्रेडिट कार्डों की संख्या बढ़ाई है अथवा उन पर अपेक्षाकृत अधिक बल दिया है। आखिर किसानों को सही–सही कितनी राशि दी जा रही है? इन कुल बैंक जमा में से वाणिज्य बैंक और वित्तीय संस्थाएं औद्योगिक क्षेत्र को 60 प्रतिशत धन दे रही हैं जबकि कृषि क्षेत्र को केवल 14 प्रतिशत ही प्राप्त हो रहा है। यह स्थिति आज भी बनी हुई है।

हम चर्चा कर रहे हैं कि हम अपनी गैर–निष्पादनीय आस्तियों की वसूली कैसे करें। तीन दिन पहले एक विधेयक पारित हुआ। हमने बैंकों की प्रबंधन समितियों को कुछ खास अधिकार भी दिए हैं। जब विपक्ष की नेता, श्रीमती सोनिया गांधी ने दूसरे दिन सूखा से भीषण रूप से प्रभावित 14 राज्यों में राहत उपाय अपनाने संबंधी स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया तो मैं सिर्फ सभा की कार्यवाही देख रहा था। किसानों की समस्या केवल उन 14 राज्यों तक ही सीमित नहीं है जहां भीषण सूखा व्याप्त है। पूरे देश में किसान समस्याओं का सामना कर रहे हैं, चाहे वे बाढ़ पीड़ित अथवा सूखा पीड़ित क्षेत्र हों अथवा न हों। समूचा कृषक समुदाय समस्याओं से सूझ रहा है।

इसी वजह से मैंने मांग की है कि इस वर्ष के लिए एकबारगी उपाय के रूप में ब्याज और दंडात्मक ब्याज को समाप्त अथवा माफ कर देना चाहिए। इससे कितने रुपये का बोझ पड़ेगा? यह 4,000–5,000 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगा। यदि दंडात्मक ब्याज को एकबारगी उपाय के रूप में माफ कर दिया जाता है तो इससे पड़ने वाला वित्तीय भार इस राशि से अधिक नहीं होगा। यदि यह वित्तीय भार इस राशि से अधिक होता है तो मैं इसे मानने और अपनी बात सुधारने के लिए तैयार हूं। आप एक वर्ष के लिए ऐसा करें।

88,000 करोड़, रुपये से भी अधिक की कुल गैर–निष्पादनीय आस्तियों में से किसानों की गैर–निष्पादनीय आस्तियां मुश्किल से करीब 7,800 करोड़, रुपये है। क्या आप इस राशि को माफ नहीं कर सकते? आप राजग सरकार के इतिहास में एक नया अध्याय खोलिए। आप इसके लिए उसी प्रकार से श्रेय लें जिस प्रकार से श्रीमती इंदिरा गांधी ने हरित क्रांति का श्रेय लिया है। मैं माननीय प्रधान मंत्री से अनुरोध करता हूं। किस वजह से किसानों को चक्रवृद्धि ब्याज देना पड़ता है। यदि वह किसी एक वर्ष चूक करता है तो दूसरे वर्ष उसी किसान को मूलधन और ब्याज दोनों तथा उन दोनों के योग पर परिकलित ब्याज देना पड़ता है। किसानों को चक्रवृद्धि ब्याज देना होगा। क्या आप इसे सरल नहीं बना सकते? क्या आप किसानों के लिए साधारण ब्याज निर्धारित नहीं कर सकते? क्या यह एक बड़ा मुद्दा है?

ऐसा नहीं है कि राजग सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा कि यह राजग सरकार अथवा कांग्रेस सरकार अथवा संयुक्त मोर्चा सरकार का प्रश्न नहीं है। मैं ऐसा कहना नहीं चाहता। हम सभी को मिलकर अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। क्या हम किसानों के लिए इनमें से ये कुछ छोटे कदम नहीं उठा सकते।

हमने हाल ही में दसवीं पंचवर्षीय योजना स्वीकार की है। मंत्रिमंडल ने इसे स्वीकृति दे दी है। मैंने अपने ज्ञापन में यह मांग की है कि कुल योजना आवंटन का कम से कम 20 प्रतिशत ग्रामीण एवं कृषि क्षेत्रों के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए।

क्या आप यह नहीं कर सकते? श्री बसुदेव आचार्य यह कह रहे थे कि किस प्रकार से छठी योजना और उसके बाद से निवेश कम होता रहा है। उन लोगों के अलावा जिनके पास काला धन और महानगरों के अगल–बगल फार्म हाउस है, कृषि क्षेत्र में अन्य कोई निजी निवेश नहीं होने जा रहा है। हो सकता है वे अपने काले धन को सफेद बना रहे हों। वे सभी शहरों के चारों तरफ चाहे वह मुम्बई, दिल्ली अथवा बंगलौर हो, फार्म हाउस, स्वीमिंग पूल और ये सारी चीजें बनवा रहे हैं। यह अलग मुद्दा है। मैं इस पर टिप्पणी करना नहीं चाहता। आप निजी निवेश को भूल जाते हैं। लगभग सभी राज्य

संसाधनों की कमी का सामना कर रहे हैं। यह भाजपा सरकार, कांग्रेस सरकार अथवा साम्यवादी सरकार का प्रश्न नहीं है। आज सभी के सभी राज्य संसाधनों की कमी महसूस कर रहे हैं।

मुझे पता है कि 'कृषि' समवर्ती सूची का विषय है तथा केन्द्र और राज्यों दोनों को ही उत्तरदायित्व उठाना है। निस्संदेह, केन्द्र सरकार का उत्तरदायित्व बड़ा है। इसी वजह से मैंने कुछ सुझाव दिए हैं। योजना में, जिसे अब मंत्रिमडल द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है कुल आवंटन का कम से कम 20 प्रतिशत ग्रामीण एवं कृषि क्षेत्रों के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए। श्री शांता कुमार यहां बैठे हैं। मेरे मित्र, श्री शरद यादव भी यहां हैं। मैंने कृषि क्षेत्र के प्रति आपकी चिन्ताओं को उस दिन जाना जब आपने गन्ना उत्पादकों की समस्या पर चर्चा का जवाब दिया था। मैं आपकी चिन्ताओं को समझ सकता हूं। अन्य समस्याएं भी हैं। हम सभी को एकजुट होकर यह लड़ाई लड़नी चाहिए।

मैं बताऊं कि आपको एक न एक दिन इस समस्या का सामना करना होगा। उस समय मैंने डा. मनमोहन सिंह को यह कहते हुए चेताया था कि "आप एक ईमानदार आदमी हैं, परन्तु आपकी नीतियां वैश्विक दबाव पर आधारित हैं। आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।" आप सभा की कार्यवाही–वृतांत देख सकते हैं। मैंने कहा था कि उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इन शब्दों को याद रखें। उन्होंने कीमत चुकाई। आज, आप कीमत चुकाने जा रहे हैं। अब आप विपक्ष में बैठने के लिए पहले से ही तैयार हैं। मैं विपक्ष में बैठने के लिए तैयार हूं। आप मेरे बारे में चिन्तित न हों। यदि आप अतीत को भूल सकते हैं और अगले दो वर्षों में अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं तो आप सत्ता में बने रह सकते हैं। मेरे मन में कोई गांठ नहीं है।

मैंने यह ज्ञापन प्रधान मंत्री महोदय को सौंपा है। वस्तुतः मैं सभा के सभी सदस्यों को इस ज्ञापन की एक–एक प्रति भेजना चाहता हूं। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है कि मैं इस ज्ञापन को अपने पास रखूं। वे इस विषय पर प्रकाश डाल सकते हैं। मैंने एक मामूली कार्य किया है। वे इस विषय पर और अधिक प्रकाश डाल सकते हैं।

विश्व व्यापार संगठन कृषि को संरक्षण देने में कोई बड़ा अवरोध नहीं है। मैं इस तथ्य से सहमत नहीं हूं। विश्व व्यापार संगठन भारतीय कृषि को सुरक्षा प्रदान करने में बड़ा अवरोध नहीं है। आपके पास सारे अधिकार हैं। आप अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं तथा स्वयं विश्व व्यापार समझौते के तहत जो कुछ स्वीकार्य है वह कर सकते हैं। आप कुछ सामानों पर आयात शुल्क बढ़ाकर 300 प्रतिशत, 100 प्रतिशत तक कर सकते हैं। आप यह क्यों नहीं कर रहे हैं? हम पर कौन हावी हो रहा है? क्या आयात और निर्यात ऑपरेटर हम पर हावी हो रहे हैं? आखिर कारण क्या है?

महोदय, कुछ पूर्व दिन मैंने सभापति महोदय की अनुमति से रेशम उत्पादकों का मुद्दा उठाया था। दो वर्ष पूर्व शुल्क 40 प्रतिशत था। इस वर्ष इसे घटाकर 30 प्रतिशत कर दिया गया है।

महोदय, कृपया घड़ी की ओर ध्यान न दें।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको अपनी बात समाप्त करने हेतु कहने के लिए घड़ी नहीं देख रहा हूं। मुझे किसी अन्य बैठक में जाना है।

श्री एच. डी. देवगौड़ा : मैंने मंत्री महोदय से अनुरोध किया था कि वे वस्त्र उद्योग के लिए इसे बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दें। उन्होंने कहा कि वे इस पर विचार करेंगे परन्तु कुछ भी नहीं हुआ।

हम लोगों ने डम्पिंग रोधी शुल्क लगाने की मांग की थी परन्तु इस संबंध में कुछ नहीं हुआ है। दूसरे दिन सुबह में माननीय मंत्री ने सभी अधिकारियों की एक बैठक बुलाई और यह घोषणा की कि यदि राज्य सरकारें 50 प्रतिशत बोझ वहन करने के लिए तैयार होती हैं तो वे न्यूनतम समर्थन मूल्य 120 रुपये देना चाहेंगे। हालांकि, इस संबंध में कुछ नहीं किया गया है तथा इसमें कुछ निहित स्वार्थ शामिल हैं। प्रत्येक सरकार इस समस्या से जूझ रही है–बशर्ते कि मैं यह नहीं बताऊंगा यह सरकार है अथवा वह सरकार–और इसके पीछे एक मजबूत लॉबी है।

जहां तक गन्ना उत्पादकों का सवाल है, यह मामला सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लम्बित है। मैंने अद्यतन सूचनाएं एकत्रित करने की कोशिश की है। गन्ना उत्पादकों की समस्या क्या है? क्या श्री शरद यादव जो यहां उपस्थित हैं मुझे यह बतायेंगे कि उनका अस्तित्व कैसे बचेगा? आप अनावश्यक रूप से अपने ऊपर दोष ले रहे हैं, मैं यह नहीं कहने जा रहा हूं कि आप इससे संबंधित हैं। परन्तु परिस्थिति ही ऐसी है कि आपको दोष स्वीकार करना होगा।

अपराह्न 3.36 बजे

(डा. रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन हुए)*

सम्पूर्ण देश में गन्ना उद्योग मन्दा चल रहा है। यदि

[श्री एच. डी. देवगौड़ा]

आप एक टन गन्ने की पेराई करते हैं तो आपको 40–42 कि.ग्रा. सीरा प्राप्त होगा। यदि आप 25 प्रतिशत सीरा चीनी मिलों को स्पिरिट बनाने हेतु देते हैं तो वे बोझ पर काबू पा लेंगे। यह एथानॉल का प्रश्न नहीं है। यदि आप मिलों को गन्ने की पेराई के माध्यम से तैयार उनके सीरे के 25 प्रतिशत हिस्से का प्रयोग करने की अनुमति देते हैं तो वे स्पिरिट तैयार कर सकते हैं और इस प्रकार वे समस्या पर काबू पा लेंगे। इसके अतिरिक्त, आपको निर्यात व ढुलाई राज सहायता प्रदान करके करीब 20–25 लाख टन चीनी निर्यात करने की अनुमति भी देनी चाहिए। महाराष्ट्र सरकार ने कुछ पैकेज की घोषणा की है जिसके तहत वे निर्यात के लिए राजसहायता के रूप में 1,000 रुपये दे रहे हैं। आप ऐसी घोषणा क्यों नहीं कर सकते हैं?

कुछ लोगों को भ्रान्ति है कि हमारी राज सहायता की वजह से भारी राजकोषीय अथवा राजस्व घाटा हो रहा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि कृषक समुदाय के मामले में उन्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उन्हें इस प्रकार की गलत धारणा नहीं होनी चाहिए। इस सभा की सुविधा के लिए मैं कुछ देशों में दी जा रही राज सहायता का जिक्र करना चाहता हूं। कनाडा में दी जा रही राजसहायता की राशि 9,000 डालर प्रति किसान और 52 डालर प्रति हेक्टेयर है, यूरोपियन देशों में यह राशि 17,000 डालर प्रति किसान और 813 डालर प्रति हेक्टेयर, जापान में 26,000 डालर प्रति व्यक्ति और 11,792 प्रति हेक्टेयर तथा अमरीका में 21,000 डालर प्रति किसान है। याद रहे यह राशि डालर में है न कि रुपये में जबकि भारत में हम सभी प्रकार की राजसहायता यथा सिंचाई राजसहायता, यातायात राजसहायता, उर्वरक राजसहायता आदि को मिलाकर प्रति व्यक्ति 66 डालर और प्रति हेक्टेयर 53 डालर की राजसहायता दे रहे हैं। भारत में सभी प्रकार की राजसहायताओं को मिलाकर राजसहायता का अंश 66 डालर प्रति व्यक्ति और 53 डालर प्रति हेक्टेयर बनता है। वाणिज्य मंत्रालय ने इन आंकडों को परिचालित किया है। ये हमारी अपनी सरकार के आंकड़े हैं।

महोदय, हम उर्वरक पर दी जाने वाली राज सहायता की बात करते हैं। जब मैं प्रधान मंत्री था तो मैंने यह पता लगाने के लिए एक समिति गठित की थी कि प्रतिधारण कीमत के रहते हुए राज सहायता देना आवश्यक है अथवा नहीं। समिति ने मेरे पद छोड़ने के पश्चात् 1997 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और यह सिफारिश की कि विदेशी फैक्ट्रियों को शराब पर दी जाने वाली राजसहायता को बंद किया जाना चाहिए। यह अभी भी जारी क्यों हैं? मैं किसी व्यक्ति पर कोई आरोप नहीं लगाना चाहता हूं, परन्तु यह राज्य के राजकोष पर बोझ है। सरकार ने इस वर्ष इस संबंध में कुछ घोषणाएं की हैं। मैं इस बारे में विस्तार में नहीं जाना चाहता कि इसे पिछले तीन वर्षों के दौरान क्यों नहीं किया गया। यह मेरी चिन्ता नहीं है। हम उर्वरकों के उत्पादन के लिए कच्चे माल का आयात कर रहे हैं। उर्वरक के उत्पादन हेतु कच्चे मालों पर लगने वाले आयात शुल्क को हम क्यों न कम कर दें?

महोदय, खाद्य पदार्थों पर दी जाने वाली राज सहायता संबंधी कुछ आंकड़े यहां प्रस्तुत किए गए हैं। यह करीब 22,000 करोड़ रुपये अथवा ऐसी ही कोई राशि है। परन्तु खाद्य पदार्थों पर दी जाने वाली राज सहायता किसानों के लिए नहीं है। यह राजसहायता गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन कर रहे ग्रामीण व शहरी लोगों के लिए है। कुछ लोगों का कहना है कि राज सहायता का अंश 35,000 करोड़ रुपये है और यह देश इतना बड़ा बोझ कैसे उठा सकता है। ऐसी बात नहीं है। मैं इस विषय पर विस्तार में नहीं जाना चाहता।

महोदय, मैं कोई श्रेय लेना नहीं चाहता हूं परन्तु इस सम्माननीय सभा के समक्ष कुछ तथ्य रखना चाहता हूं। संयुक्त मोर्चा की सरकार सत्ता में काफी कम समय अर्थात् साढ़े दस महीने के लिए रही थी। वर्ष 1996–97 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर 9.6 प्रतिशत थी–ये आंकड़े आर्थिक सर्वेक्षण में प्रकाशित हुए थे जिसे सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। अब आप इस आंकड़े की तुलना पिछले और अनुवर्ती वर्षों के दौरान सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर से करें। सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर वर्ष 1992–93 में 5.8 प्रतिशत, 1993–94 में 4.1 प्रतिशत, 1994–95 में 5 प्रतिशत, 1995–96 में 0.9 प्रतिशत, 1996-97 में 9.6 प्रतिशत, 1997–98 में 2.4 प्रतिशत, 1998–99 में 6.2 प्रतिशत, 1999–2000 में 1.3 प्रतिशत, 2000–2001 में 2 प्रतिशत और 2001–02 में 5.7 प्रतिशत थी। यह सिर्फ 1996–97 का वर्ष था जब हमने उर्वरक के लिए 1,000 प्रति टन की रियायत दी थी। इस प्रकार की उपलब्धि के लिए किसी एक दल को श्रेय नहीं जाता बल्कि इस पूरी सभा को श्रेय जाता है जिसने बजट पारित किया था। हमने ट्रैक्टरों, बिजली से चलने वाली जुताई मशीनों (पावर टिलर्स) और कीटनाशक दवाओं पर भी राज सहायता दी थी। संयुक्त मोर्चा सरकार को इसके लिए कोई श्रेय देने का पुनः कोई प्रश्न नहीं है बल्कि इसका श्रेय पूरी सभा को जाता है। हम इस तरह क्यों नहीं सोचते हैं। हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। माननीय प्रधान मंत्री जी को

इस मामले से प्रमुख रूप से ताल्लुक रखने वाले लोगों की एक बैठक बुलानी चाहिए। उन्हें अर्थशास्त्रियों को बुलाना चाहिए और हम उन्हें इस बारे में रास्ता दिखायेंगे कि संसाधनों का कैसे पता लगाया जाता है। इस देश के पास पर्याप्त धन है।

मैंने श्री अटल बिहारी वाजपेयी का एक भाषण सुना था जब वे इस सभा में विपक्ष के नेता थे। उन्होंने कहा था कि इस देश में 10,000 टन सोना निरर्थक पड़ा हुआ है। परन्तु मुझे पता नहीं है कि आखिर कुर्सी सम्भालने के पश्चात उनके इस दृष्टिकोण और सोच को क्या हो गया है। अब उन्हें भी मात्र अर्थशास्त्री सलाह दे रहे हैं। परन्तु मैं अर्थशास्त्रियों पर आरोप लगाना नहीं चाहता क्योंकि वे हमेशा ही राजस्व और राजकोषीय घाटे के बारे में चिन्तित रहते हैं जो तिरुपति मंदिर में सुप्रभात मंत्र के समान है। परन्तु ऐसा करने से हमें इन मामलों में कोई मदद नहीं मिलेगी।

महोदय, अब मैं गन्ना उत्पादकों के सामने आ रही समस्याओं का जिक्र करता हूं।

मंत्री महोदय, कृपया गन्ना उत्पादकों को बर्बाद न करें; आपके परिवार का नाम काफी ऊंचा है। मेरे मन में आपके पिता के प्रति सर्वाधिक सम्मान है। मैं अपने बचपन के दिनों में आपके घर ठहर चुका हूं। चाहे जो भी आर्थिक बोझ पड़े, कृपया गन्ना उत्पादक किसानों को कुचलने के बजाय गन्ने की पेराई करें।

आपको 36,000 करोड़ रुपये की वसूली करनी है। यह किसका धन है? मैं यह पूछना नहीं चाहता हूं कि क्या आप उनके विरुद्ध कार्रवाई करने जा रहे हैं अथवा क्या संयुक्त संसदीय समिति इन मामलों की जांच कर रही है। यह एक अलग मुद्दा है। यू.टी.आई. पर बकाया राशि 14,561 करोड़, रुपये तथा आई.एफ.सी.आई. और आई.डी.बी.आई. पर यह बकाया राशि क्रमशः 9,000 करोड़ रुपये और 12,000 करोड़ रुपये है। परन्तु यह किसका धन है? आपने उनको संकट से उबारा है। आपको जनता का पैसा ब्याज सहित लौटाना है। इस संबंध में, हम सभी इस सम्माननीय सभा में तत्संबंधी स्वीकृति देने तथा एक पक्षकार बनने जा रहे हैं। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि आप उन लोगों के विरुद्ध कार्यवाई करने जा रहे हैं अथवा नहीं। इस देश में अनेक कठिनाईयां हैं।

मैं इस सरकार से कहना चाहता हूं कि वह शेष दो वर्षों को नजरअंदाज न करें। यह राजग सरकार के लिए अपने को पुनर्जीवन प्रदान करने की काफी महत्वपूर्ण अवधि है। अन्यथा वे डूब जाएंगे और नैया का पतवार कोई और होगा।

सभापति महोदय, दूसरे दिन मैं 'बिजनेस वर्ल्ड' में प्रकाशित एक लेख पढ़ रहा था। लेख का शीर्षक है–एन्श्योरेटिंग पोवर्टी फार फारमर्स किसानों के लिए सुनिश्चित गरीबी। मैं इसकी कुछ पंक्तियां उद्धृत करना चाहता हूं। इसमें लिखा है :

> "उत्पादन मूल्य में वृद्धि के बावजूद, आदान लागतों में वृद्धि की वजह से मुनाफा प्रभावित हुआ है। भारतीय संस्कृति पर अपने मायावी प्रभाव के लिए वैश्वीकरण पर आरोप लगाया जाता है, कृषि के संबंध में यह स्थिति भिन्न नहीं है। परन्तु कृषि संबंधी परेशानी का विश्व व्यापार संगठन से कुछ खास लेना–देना नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण रूप से, यह गलत अवधारणा भारत के समझौते पक्ष को क्षति पहुंचाती है।"

जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया, आप खाद्य तेल, फलों, प्याज और अन्य विभिन्न बागवानी संबंधी उत्पादों पर 300 प्रतिशत तक सीमा शुल्क लगा सकते हैं। केलकर समिति ने 150 प्रतिशत की सिफारिश की थी। वस्तुतः समस्या कहां है?

मैंने रेशम उद्योग के मुद्दे पर अर्थात् चीन से आयात होने वाले रेशम के बारे में वित्त मंत्री महोदय से बात की। मैंने उन्हें बताया कि हमारे कार्यकाल के दौरान क्या हो रहा था। मैंने अपने कार्यकाल के दौरान इस आयात को कम कर दिया था। सीमाओं से कोई तस्करी नहीं हो रही थी। परन्तु आज तस्करी हो रही है और 7,000 मीट्रिक टन कच्चे रेशम का आयात होने जा रहा है। वहां वे इसे 14 अमरीकी डालर की दर से बेच रहे हैं जबकि वास्तविक लागत 25 अमरीकी डालर है। वे भारतीय बाजार को नष्ट करने तथा उस पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हैं तथा वे भारतीय बाजार को नष्ट कर रहे हैं। इस तरह से रेशम उद्योग पर कब्जा जो जाएगा और चीनियों का इस पर एकाधिकार हो जाएगा।

महोदय, वर्तमान वित्त मंत्री ने एक बात कही थी कि हमें बुनकरों की समस्याओं पर ध्यान देना पड़ेगा। यदि आप रेशम उत्पाद की कीमत पर भी इन बुनकरों का ख्याल रखते हैं तो मैं आपकी बात मान लूंगा। लाभ आम बुनकरों को नहीं मिल रहा है बल्कि सिर्फ बड़े बुनकर ही इससे लाभान्वित हो रहे हैं। हम प्रत्येक के घर जाकर वास्तविक स्थिति का पता लगा सकते हैं।

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री एच. डी. देवगौड़ा : महोदय, मुझे सिर्फ दो–तीन बातें कहनी हैं, उसके बाद मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं

[श्री एच. डी. देवगौड़ा]

अधिक समय नहीं लूंगा। मैं अपने विचार रखने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। यदि आप मुझे बैठने के लिए कहेंगे तो मैं बैठ जाऊंगा।

तम्बाकू उत्पादकों का उदाहरण लें। इस खास मुद्दे पर मैं आंध्र प्रदेश के अपने मित्रों पर कोई आरोप लगाने नहीं जा रहा हूं। आपस में झगड़ने की कोई बात ही नहीं है। हम बहुत ही अच्छी गुणवत्ता वाले तम्बाकू का उत्पादन करते हैं। रूस हमारे मुख्य ग्राहकों में से एक था। परन्तु आज चीन उस बाजार पर भी कब्जा जमाना चाहता है।

आपने 43 मिलियन कि.ग्रा. तम्बाकू की अनुमति दी है। जो कि लाइसेंस प्राप्त है तथा आपसे कथनानुसार करीब 60 मिलियन कि.ग्रा. तम्बाकू लाइसेंस प्राप्त नहीं है। ऐसा क्यों है? उन्हें लाइसेंस रहित तम्बाकू के लिए 12 करोड़ रुपये की शास्ति का भुगतान करना पड़ेगा। ऐसा क्यों है? यदि गन्ना उत्पादक, धान उत्पादक अथवा कॉफी उत्पादक हमारी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करते हैं तो क्या आप उन पर शास्ति लगाएंगे? फिर सिर्फ तम्बाकू के मामले में ऐसा क्यों है? सिर्फ यह कर्नाटक के तम्बाकू उत्पादकों को नष्ट करने के लिए है। यदि तम्बाकू बोर्ड इस प्रकार से अनुभवहीन कार्य करता है तो हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए है क्योंकि तम्बाकू बोर्ड में कर्नाटक की कोई सुनवाई नहीं है; हमारे सिर्फ दो सदस्य इस बोर्ड में हैं। हम आन्ध्र प्रदेश के तम्बाकू उत्पादकों को नहीं दबा रहे हैं। आप ये सब चीजें क्यों कर रहे हैं? यह पहली बार है जब तम्बाकू की खेती करने वाले किसानों पर 12 करोड़ रुपये की भारी शास्ति लगाई गई है।

अतः सम्पूर्ण 60 मिलियन कि.ग्रा. तम्बाकू लाइसेंस प्राप्त होना चाहिए और सम्पूर्ण तम्बाकू को, चाहे इसका लाइसेंस हो अथवा नहीं, अवश्य खरीदा जाना चाहिए। यह मेरी मांग है। सरकार को नीलामी की अवधि भी बढ़ानी चाहिए। मैंने प्रधान मंत्री जी की जानकारी में यह बात लायी थी कि हमें समयपूर्व नीलामी नहीं करनी चाहिए। लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। स्वाभाविक रूप से, प्रधान मंत्री जी को संबंधित मंत्रालय से इस संबंध में ध्यान देने के लिए कहना चाहिए था। तम्बाकू बोर्ड के अध्यक्ष हमारे पड़ोसी राज्य से हैं किन्तु वे इसके बारे में परवाह नहीं करते। जिन्होंने समय से पहले ही नीलामी शुरू कर दी। वे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी से नीलामी खत्म करना चाहते हैं ताकि उनके लिए सुविधाजनक हों। यह व्यापार का नुस्खा है।

अब हम सुपारी के मामले को लें। प्रधान मंत्री महोदय ने सार्क देशों से कुछ वस्तुओं को बिना किसी सीमा शुल्क के आयात करने की अनुमति दी है। सुपारी उत्पादक मर रहे हैं। सम्पूर्ण कृषक समुदाय बर्बाद हो गया है, कृपया इसे सही करने की कोशिश करें। आप इससे राजनीतिक लाभ भी ले सकते हैं। एक क्विंटल सुपारी 13,000 रु.–14,000 रु. में बिकती थी, किन्तु आज वे इसे 3500 रु.–4000 रु. प्रति क्विंटल की दर से बेच रहे हैं।

श्री वी. धनंजय कुमार यहां बैठे हैं। उन्होंने 'कैमको' से कुछ खरीद करने के लिए कहा है। उन्होंने सिर्फ करीब 6000 क्विंटल सुपारी ही खरीदी है। मैं वहां गया था। किसान परेशानियों से जूझ रहे हैं तथा वे अपने ही गृह जिले में हो–हल्ला कर रहे हैं। कहां 13000 रु.–14000 रु. और कहां 3500 रु.–4000 रु.! आप सीमा शुल्क क्यों नहीं लगा रहे हैं। इसके पीछे वास्तविक कारण क्या है?

जहां तक नारियल उत्पादकों का प्रश्न है तो मैं यह कहना चाहता हूं कि नारियल वृक्षों में एक रहस्यमय बीमारी लगी हुई है। हमारे तथाकथित वैज्ञानिकों के पास अनेक अनुसंधान संस्थान हैं, प्रत्येक वस्तु के लिए एक अनुसंधान संस्थान है। क्या वे इस समस्या का समाधान प्राप्त कर सके? दो करोड़ से भी अधिक नारियल के पेड़ नष्ट हो गए। अनुसूचित जाति के लोग, जनता आवासों अथवा इन्दिरा आवास योजना के तहत बनाए गए आवासों में रह रहे लोग जिनके पास 3–4–5 पेड़ थे, उनके ये पेड़ रहस्यमय बीमारी की वजह से नष्ट हो गए।

मैंने एक ज्ञापन के माध्यम से यह अनुरोध किया था कि समस्या से जूझ रहे लोगों को पैकेज के रूप में सात वर्षों का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाये ताकि वे नारियल का पुनः रोपण कर सकें तथा सात वर्षों के पश्चात् उनसे उत्पाद प्राप्त कर सकें।

मैंने अनेक सुझाव दिए हैं। हम सुविधा प्राप्त वर्ग के लोग हैं। यदि प्रधान मंत्री अथवा कोई संसद सदस्य किसी बीमारी से ग्रस्त है अथवा किसी अधिकारी को स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : इस पर अभी 40 और सदस्य बोलने वाले हैं। कृपया समाप्त कीजिए।

[अनुवाद]

श्री एच. डी. देवगौड़ा : मैं अपनी बात पांच मिनट में

पूरी करूंगा।...*(व्यवधान)* आज, मैं देर मध्य रात्रि तक बैठूंगा क्योंकि मैं यह देखना चाहता हूं कि पूरी सभा इस चर्चा में कैसे विचार प्रस्तुत करेगी।

किसानों के लिए कोई स्वास्थ्य सुविधा नहीं है। उन्हें सरकारी अस्पताल में जाना पड़ता है जहां चिकित्सक अपेक्षित दवाइयों को खरीदने के लिए पर्ची लिखता है। कर्नाटक में हमने प्रमुख घातक बीमारियों की चिकित्सा के लिए सहायतार्थ उदार निधि योजना शुरू की है। इन घातक बीमारियों के इलाज की पूरी लागत राज्य सरकार द्वारा उठायी जायेगी। इन मामलों में व्यक्ति द्वारा व्यय की गई राशि की उसे प्रतिपूर्ति की जा सकती है।

मैंने यह भी मांग की है कि पाम आयल और अन्य खाद्य मदों, जिनका हम आयात कर रहे हैं, पर उत्पाद शुल्क और आयात शुल्क के बारे में पुनर्विचार करें। सभी कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण मदों पर कोई कर न लगाया जाये। कृषि आधारित उद्योग को 10 वर्षों तक करावकाश की सुविधा उपलब्ध करायी जाये। जब हम सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को 10 वर्षों के लिए करावकाश की सुविधा दे रहे हैं तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को भी 10 वर्षों तक करावकाश की सुविधा प्रदान क्यों नहीं कर सकते हैं? यदि सरकार संसाधन जुटाना चाहती है तो हम उसे कई रास्ते बता सकते हैं। जैसाकि मैंने आपको बताया है कि जब 30,000–40,000 करोड़ रुपये मूल्य की सम्पत्ति के स्वामी की मृत्यु होती है तो उनके सम्पत्ति के अंतरण पर कोई सम्पत्ति कर नहीं लगता है। उनसे कोई उपहार कर नहीं लिया जाता है। सरकार ने किसके लाभ के लिए उपहार कर को हटाया है? क्या किसी किसान के पास अपने संबंधियों को देने के लिए इस प्रकार भारी मात्रा में सम्पत्ति है? इसका लाभ तो केवल ऐसे ही लोग उठा सकते हैं जिनके पास काला धन है अथवा अवैध स्रोतों से आय होती है।

श्री मनमोहन सिंह ने रिहायश के लिए एक मकान रखने का एक और लाभ दिया है। उस मकान की लागत 10 करोड़ रुपये होने पर भी उस पर कोई कर नहीं लगाया है। इसका क्या मतलब है? हम ऐसे कई क्षेत्र ढूंढ़ सकते हैं जहां सरकार कर वसूल सकती है। यदि आप किसानों की सहायता करना चाहते हैं तो संसाधन की कमी कोई मुद्दा नहीं है। सरकार के पास किसानों की सहायता करने की इच्छाशक्ति होनी चाहिए। केवल इसी से किसान बच सकते हैं। मैं इस सभा के सदस्यों से एकजुट होकर माननीय प्रधान मंत्री को सुझाव देने का अनुरोध करता हूं...*(व्यवधान)* यदि आप किसानों की सहायता के लिए कृतसंकल्प हैं तो मैं आपके साथ सहयोग करने के लिए तैयार हूं। यदि आप उद्योगपतियों, फिक्की आदि, लोगों से सुझाव लेने जा रहे हैं तो आप दो वर्षों तक इंतजार करें लोग आपको सबक सिखा देंगे।

श्री जे. एस. बराड़ (फरीदकोट) : माननीय सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं अपने विद्वान मित्र श्री आचार्य को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस सभा में देश के किसानों की दुर्दशा के बारे में इस चर्चा की शुरूआत की है। मैं आज गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि हमारे पूर्ण अध्यक्ष स्वर्गीय श्री बालयोगी ने इस सभा में एक पंजाबी भाषान्तर की नियुक्ति की है। सम्भवतः संसद के इतिहास में पहली बार मुझे अपनी मातृभाषा में बोलने का विशेषाधिकार प्राप्त हो रहा है। आशा है कि आप मुझे अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति देंगे।

अपराह्न 04.00 बजे

*सभापति महोदय मैं उस राज्य के प्रतिनिधि के रूप में बोल रहा हूं जिसके किसान भारत में हरित क्रांति के पथ–प्रदर्शक रहे हैं, जिसके बहादुर पुत्रों ने झेलम नदी के तट पर अलेक्जेंडर के साथ युद्ध किया, जिसके किसानों ने आक्रमणकारियों के विरुद्ध सदियों तक लड़ाई लड़ी, जिससे किसानों में पूरे देश को खाद्यान्न उपलब्ध कराने वाले के रूप में प्रमुख भूमिका निभायी है। इस तथ्य पर मुझे गर्व है। मैं इस तथ्य से भी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि मैं जिस भाषा में बोल रहा हूं वह स्वर्गीय प्रधान मंत्री चौधरी चरण सिंह को बहुत प्रिय थी, एक ऐसी भाषा जो विश्व भर की 11 करोड़ जनता द्वारा बोली जाती है। मुझे इस तथ्य से भी गर्व हो रहा है कि इस भाषा ने इस दुनिया को भाई–वीर सिंह, अमृता प्रीतम और शिवकुमार बटावली जैसे महान कवियों को दिया है। परन्तु सर्वाधिक गर्व कारक तथ्य यह है कि पंजाब में हरित क्रांति हुई थी और यह बात हम सभी के लिए सर्वाधिक गर्व का विषय है।

सभापति महोदय, मैं अपने भाषण की शुरूआत पंजाब से ही करूंगा। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय की एक रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट वर्ष 2001–2002 की है और मैं इसका संदर्भ दे रहा हूं। 2002 की इस रिपोर्ट के अनुस.. धान की खेती की प्रति क्विंटल लागत 735 रुपये है और किसान को प्रति क्विंटल 520 और 540 रुपये मिलने चाहिए परन्तु उसे धान की बिक्री औने–पौने दाम पर करनी पड़ती है–वह धान जिसे वह अपने

*...*मूलतः पंजाबी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री जे. एस. बराड़]

पुत्र से भी अधिक चाहता है। महोदय, आज मैं माननीय कृषि मंत्री के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि 4 दिन पहले पंजाब के सभी निर्वाचित संसद सदस्यों ने आपसे मिलकर यह अनुरोध किया था कि पंजाब में सूखा व्याप्त है। यह कहा जाता है कि पंजाब बहुत समृद्ध राज्य है परन्तु आज पंजाब के लोगों पर 52000 करोड़ रुपये का ऋण भार है और इसके साथ ही पंजाब के लोगों पर 32000 करोड़ का राजस्व घाटे का भार भी है। और पंजाब के किसानों को 7000 करोड़ रुपये का ऋण चुकाना है। हमारी सरकार ने 3642 करोड़ रुपये की राशि की मांग की थी ताकि पीड़ित दुखी लोगों को सहायता उपलब्ध करायी जा सके परन्तु अब तक पंजाब को एक पैसा भी उपलब्ध नहीं कराया गया। आज मैं, माननीय चौधरी अजित सिंह जी से यह निवेदन कर रहा हूं कि पंजाब राज्य को मानसून की अस्थिरता, डीजल पर अधिक व्यय, जलस्तर की गिरावट में फसलों में क्षति और बिना बुवाई के बचे खेत, और कुओं और नलकूपों के सूख जाने के कारण अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अतः पंजाब को इस संकट से तत्काल उबारने की आवश्यकता है। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय कृषि मंत्री के ध्यान में यह बात भी लाना चाहता हूं कि 1998 में पंजाब में 421 किसानों ने आत्महत्या की थी। 1999 में पंजाब में 463 आत्महत्या के मामले प्रकाश में आए। वर्ष 2000 में पंजाब में किसानों द्वारा आत्महत्या करने के 520 मामलों की रिपोर्ट मिली है। इस देश की इससे बड़ी विडम्बना नहीं हो सकती है कि एक वर्ष में, एक राज्य, वह भी जो कृषि के क्षेत्र में अग्रणी हो, में इतनी अधिक संख्या में किसान आत्महत्या कर रहे हों। मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी और पूर्व प्रधानमंत्री श्री देवगौड़ा जी द्वारा कही गई बात से सहमत हूं कि यह राजग सरकार अब तक सोई हुई थी। इस सरकार ने लोगों को धर्म और जाति के नाम पर बांटने के अलावा और कोई कार्य नहीं किया है। बिहार सूखा और बाढ़ से प्रभावित हैं, उड़ीसा अकाल से प्रभावित है और महाराष्ट्र भुखमरी से प्रभावित है। केरल में मसाले और नारियल के किसान समस्याग्रस्त हैं, पश्चिम बंगाल के जूट की खेती करने वाले किसानों की समस्याएं तो सुविदित ही हैं। आन्ध्र प्रदेश में किसानों को पुलिस की गोलियों का सामना करना पड़ा। यदि इस सरकार ने गत वर्षों से धर्म के नाम पर लोगों को बांटने की बजाय कृषि और किसानों का ध्यान रखा होता तो भारत में किसानों की स्थिति इतनी दयनीय नहीं हुई होती। अतः, राजग की मूल नीति दोषपूर्ण है और वह भारत के किसानों की ओर ध्यान नहीं दे रही है। मैं यह आरोप इस सम्मानित सभा में लगाना चाहता हूं। महोदय, आज जोतबंदी छोटे-छोटे भागों में बंट रही है। मैं आपका ध्यान इस विशिष्ट समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं। चौधरी अजित सिंह जी कृपया नोट कर लें कि 88 प्रतिशत किसानों के पास 5 एकड़ से भी कम भूमि है और जोतबंदी विघटन के कारण यह क्षेत्र और घटता जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप किसानों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पडता है। महोदय, मैं आपके ध्यान में यह भी लाना चाहता हूं कि दसवीं लोक सभा के दौरान 3 वर्षों तक मैं श्री देवगौड़ा जी के साथ बैठता था। 10वीं लोक सभा के दौरान 1992 में हमने कई बार किसानों के समक्ष समस्याओं के बारे में चर्चा की है। माननीय सदस्यों ने कई बार किसानों के लिए अपना आक्रोश और पीड़ा व्यक्त की है। बिहार के एक सदस्य जो किसानों की दशा में सहानुभूति रखते थे, ने बार-बार यह समस्या उठाई है।

ऐसा क्यों है कि किसानों की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है? मेरे विचार से 40 से भी अधिक माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया। विभिन्न राजनीतिक पार्टियों से कई सदस्य, जो इस सम्मानित सभा में उपस्थित हैं, ने भी इसमें भाग लिया था। परन्तु पंजाबी में एक कहावत है कि यद्यपि हम 'पंचों' की समस्याओं को मानने के लिए तैयार हैं फिर भी समस्या नहीं सुलझती है। हम चाहे जो कुछ भी कहें परन्तु किसानों की दशा वैसी ही है। महोदय, इसके लिए मैं माननीय कृषि मंत्री पर उतना आरोप नहीं लगाता हूं जितना कि राजग के नीति निर्माताओं पर जिन्होंने कृषि और किसानों की पूर्णतया उपेक्षा की है। भाजपा, शिवसेना, बीजद, कम्युनिस्ट पार्टी आदि सहित विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के सदस्यों ने इस मुद्दे को पिछली बार उठाया है। जब माननीय पांडियन ने इस मुद्दे को उठाया था तो उस समय मैं यहां उपस्थित था। परन्तु सरकार ने किसानों की शिकायतों की सुनवाई के लिए कोई प्रयास नहीं किया है।

चौधरी साहिब, मैं कतिपय आकडों का उद्धरण दे रहा हूं। यदि मैं गलत कह रहा हूं तो मैं इससे सुधार करने के लिए भी तैयार हूं। परन्तु मैं अपनी कही गई बातों का समर्थन करता हूं। भारत के 32 करोड़ किसानों की वार्षिक आय 8000 से 12000 रुपये तक है। आज भारत के 32 करोड़ किसानों को न्यूनतम मजदूरी पाने वाले से भी अधिक दयनीय स्थिति में जीना पड़ रहा है। एक उर्दू शायर ने ठीक ही कहा है, "तुम्हें दर्द से कराहने भी नहीं दिया जायेगा, तुम्हे दर्खास्त भी नहीं करने दिया जायेगा, मारने वाला तुम्हें धीरे-धीरे और दर्दनाक मौत मरते देखना चाहता है।" ऐसा लगता है कि यह सरकार भारत के सभी किसानों को दफना देना चाहती है। मैं केलकर समिति की रिपोर्ट के बारे में बाद में कहूंगा। राजग सरकार और भाजपा किसानों पर कर लगाकर उनके जीवन में जहर घोलना चाहती है। मुझे विश्वास है कि किसान इस सरकार

को कड़ी सजा देकर इसे सत्ता से बाहर करेंगे और इसके समस्त ढांचे को गिरा देंगे। अतः इन मुद्दों पर समुचित ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। मैं फ्रेड मैकडफ द्वारा सम्पादित 'हंगरी फार प्रोफेट' नामक पुस्तक पढ़ रहा था। उसने उस पुस्तक में लिखा कि यह आश्चर्यजनक है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश चीन में भारत की तुलना में तीन गुना खाद्यान्नों का उत्पादन होता है। चीन द्वारा खाद्यान्नों के रिकार्ड उत्थान के क्या कारण हैं? मैं यह मानता हूं कि यदि माननीय मंत्री और उनके मंत्रालय को बजट का 4 प्रतिशत अधिक आवंटन होगा तो वे भी इस दिशा में कुछ कर पाएंगे। हालांकि इस समय उनके हाथ बंधे हुए हैं। मैं भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री और भाजपा का ध्यान इस अति संवेदनशील मुद्दे की ओर दिलाना चाहता हूं।

हरित क्रांति का श्रेय इस देश के किसानों को जाता है। वे सीमा पर बड़े पराक्रम से लड़े है। 1962, 1965 तथा 1971 के युद्ध के दौरान किसानों ने इस देश के लिए खून बहाया और यह कहते हुए मुझे दुख हो रहा है कि आज उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा।*

[हिन्दी]

डा. सुशील कुमार इन्दौरा (सिरसा) : बराड़ साहब, आप केवल पंजाब के नेता नहीं हैं। आप सारे देश के नेता हैं इसलिए आप सारे देश की बात करिये। पंजाब का छोटा भाई हरियाणा है। आपको हरियाणा के किसान की भी बात करनी चाहिए। ...*(व्यवधान)* सारे देश के किसानों की बात करनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री जे. एस. बराड़ : इस अवसर पर मुझे चीन की याद आ रही है...*

[हिन्दी]

डा. सुशील कुमार इन्दौरा : मेरी एक प्रार्थना है कि आप एस.वाई.एल. का मुद्दा भी जरूर टच करियेगा।...*(व्यवधान)*

***श्री जे. एस. बराड़** : चीन के किसानों को क्रांति लाने के लिए श्रेय दिया जाता है और माननीय सभापति महोदय, इस तथ्य को पूरे विश्व को स्वीकार करना होगा। दीवाली के समय इस बार एक महत्वपूर्ण घटना घटी। कई बार जो चीजें छोटी लगती हैं उनके दुष्परिणाम दूरगामी होते हैं। मुझे चंडीगढ़ से भारत–पाक सीमा की यात्रा कार से तय करने का अवसर मिला और दीवाली की रात मैंने देखा कि जो किसान पहले अपने घरों को मिट्टी के दीयों और मोमबत्ती से जगमगाते थे, उन्होंने अपने घरों को रंगीन बल्बों की कतारों से सजा रखा है। जब मैंने उनसे पूछा कि रंगीन सजावट का किराया आप लोग कैसे देंगे और अचानक आप इतने धनवान कैसे हो गये, तो मुझे पता चला कि यह सब चीन का उत्पादन है और रंगीन बल्बों की एक कतार केवल 32 रुपये की पड़ती है। इसीलिए पंजाब के किसानों ने अपने घरों को रंगीन बल्बों की कतारों से सजा रखा है और ये बल्ब सस्ते पड़ते हैं। अतः उन्हें इस सजावट का किराया नहीं देना पड़ता। महादेय, मुझे एक प्रसिद्ध चीनी कहावत याद आ रही है, जिसे मैं उद्धृत करता हूं, "अगर एक दिन के लिए आप एक मनुष्य को भोजन करना चाहते हैं तो उसे मछली दो, लेकिन अगर उसे जिंदगी भर भोजन करना चाहते हैं तो उसे मछली पकड़ना सिखाओ"।

आज सबसे बड़ी समस्या यह है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर परिस्थितियां हमारे विरुद्ध हैं। विकसित देशों द्वारा प्रदान की जा रही राजसहायता के बारे में कुछ माननीय सदस्यों ने आंकड़े दिये हैं। इन सबके विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता। जापान, कोरिया तथा अन्य देशों के आंकड़े मेरे पास हैं। मुझे मालूम है कि अमरीका कितनी राजसहायता दे रहा है और कितनी जापान तथा यूरोपीय संघ प्रदान कर रहे हैं। कांग्रेस ने कभी नहीं कहा कि हमें डब्ल्यू.टी.ओ. समझौते को नहीं मानना चाहिए। लेकिन कांग्रेस का मानना है कि दोहा सम्मेलन या ऐसे ही किसी अन्य सम्मेलन में भारतीय किसानों के मुद्दे को बड़े जोर–शोर से उठाना चाहिए। ताकि भारतीय किसानों की समस्याओं का समाधान हो सके। महोदय, मैंने आपका वक्तव्य पढ़ा। मैं दिल्ली से बाहर कहीं गया हुआ था, आपका वक्तव्य पी.टी.आई ने दिया उस वक्तव्य में आपने खुद स्वीकार किया है कि हम बराबरी के स्तर पर नहीं हैं। प्रतिस्पर्धा के लिए भारत और विकसित देशों में समान अवसर नहीं हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी इस महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दे पर आपकी पूरी मदद करना चाहती है ताकि किसानों की हालत सुधर सके। रिपोर्टों के आधार पर मैं यह भी कहना चाहता हूं कि वर्ष 2025 तक भारत में 20 करोड़ टन खाद्यान्नों की कमी हो जाएगी। माननीय सभापति महोदय, यह चिंताजनक आंकड़े हैं। अगर मैं कुछ गलत कहूं तो अपने भाषण में आप मुझे टोक सकते हैं। इसीलिए हमें इस तथ्य की ओर ध्यान देना चाहिए। माननीय राजो सिंह जी जो बिहार से हैं, ने पिछली बार कहा था, कि किसानों की हालत इतनी खराब है कि वे अपनी पुत्रियों की शादी नहीं कर पा रहे हैं। यही स्थिति पंजाब के किसानों की है। हाल ही में एक रिपोर्ट छपी थी कि मनसा जिले में एक किसान जिसके पास 4 एकड़ जमीन थी, ऋण नहीं लौटा पाया और मजबूरी में उसने अपने चार बच्चों को गला घोंट कर मार दिया और खुद आत्महत्या कर

*...*मूलतः पंजाबी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री जे. एस. बराड़]

ली। अगर पंजाब राज्य में किसानों जिनको हरित क्रान्ति लाने का श्रेय जाता है, की ऐसी बुरी स्थिति है, तो मैं उनसे सहमत हूं जो कहते हैं कि किसान के परिवार में पैदा होना अभिशाप है। इस मामले में मुझे बिहार के महान नेता कर्पूरी ठाकुर की याद आ रही है। इस मामले में हमें दल–गत राजनीति से ऊपर उठाना चाहिए। किसानों के हित में चौधरी देवी लाल के योगदान को सभी जानते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिये गये ऐतिहासिक भाषण की भी याद मुझे आ रही है जो भाखड़ा बांध के उद्घाटन पर दिया गया था कि वे आधुनिक भारत के मन्दिर हैं। उस यादगार भाषण को पंजाब का प्रत्येक बच्चा जानता है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि ये बांध लोगों को रोजगार और सिंचाई के लिए पानी प्रदान करेंगे। इसलिए इन सब पर हमें गर्व है। लेकिन आज भारत के किसानों की स्थिति दयनीय है–पंजाब, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल के किसानों की भी, मैं इसे पंजाब तक ही सीमित नहीं कर रहा इंदौरा साहेब।*

[हिन्दी]

डा. सुशील कुमार इन्दौरा (सिरसा): हम यही चाहते हैं कि आप सीमाएं पार करके पहुंचिये।

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : आप यू.पी. तो भूल ही गये।

[अनुवाद]

***श्री जे. एस. बराड़** : मेरे सहयोगी विद्वान मित्र ने सभी जगह के किसानों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा अन्य राज्यों के किसानों की स्थिति के बारे में चर्चा की शुरूआत की।

महोदय, अब मैं एक महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने लाना चाहता हूं। चौधरी साहब, किसानों को बाजारों में लूटा जाता है जहां वे खाद्यान्न बेचने जाते हैं। इस तथ्य को कौन सदस्य नहीं जानता? किसानों को प्रत्येक बोरी पर 25 रुपये की रिश्वत देनी पड़ती है इसे कौन प्रधान मंत्री नहीं जानता? मैं उस संस्था का नाम नहीं लेना चाहता लेकिन यह सभी जानते हैं कि 25 रुपये की रिश्वत प्रत्येक बोरी पर गरीब किसान को देने पड़ते हैं। इस कदाचार को कौन रोकेगा? हम यहां पर भाषण देते हैं और मामला खत्म हो जाता है। इस मामले में क्या आप सी.बी.आई. या अन्य किसी केन्द्रीय जांच एजेंसी से जांच करायेंगे? क्या कोई अन्य समिति इस बारे में कुछ कर पाएगी? इसके अतिरिक्त राजसहायता के बारे में जो कुछ भी कहा गया है उसे मैं दोहराना नहीं चाहता। लेकिन मैं आपके ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि अभी कृषि के क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकी तथा जैव प्रौद्योगिकी शुरू किये जाने की आवश्यकता है।

कपास के संदर्भ में राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र तथा गुजरात सबसे अधिक प्रभावित प्रदेश हैं। पहले भारत के कपास उत्पादक क्षेत्रों, पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान में कुल उत्पादन का 32 प्रतिशत कपास उत्पादित होता था परन्तु अब यह उत्पादन गिरकर सिर्फ 10 से 11 प्रतिशत ही रह गया है। यह एक गम्भीर स्थिति है। महोदय, बी.टी. कपास के बारे में कृपया हमें कुछ जानकारी दें। इस संबंध में अगर हमें पूरी जानकारी नहीं है तो गरीब किसानों से आप कीटनाशक के बारे में कैसे अपेक्षा कर सकते हैं। बड़े जमींदार इस संबंध में सभी प्रकार के वक्तव्य दे रहे हैं। वे कहते हैं कि हमें इससे कुछ भी लाभ नहीं होगा। काफी लम्बे समय से श्री जार्ज फर्नान्डीज जैसे वरिष्ठ नेता पेप्सी और कोक का विरोध करते रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, पंजाब में अपना संयंत्र स्थापित करते समय पेप्सी कंपनी ने कहा था कि वे किसानों के हित के लिए यहां आये हैं, व आलू तथा टमाटर जो यहां उगाये जाते हैं की गुणवत्ता सुधारना चाहते हैं, पंजाब के किसानों को वे नयी तकनीकी से अवगत कराना चाहते हैं, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के साथ मिलकर वे अनुसंधान प्रयोगशाला खोलेंगे। लेकिन क्या सत्तारूढ़ दल के नेता इस बात से अवगत नहीं हैं कि पेप्सी ने भारतीय बाजार के साफ्ट ड्रिंक पर अपना आधिपत्य जमा लिया है? पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के साथ मिलकर किसी अनुसंधान कार्यक्रम चलाने का कोई प्रस्ताव उन्होंने नहीं भेजा है। तो क्या इसका अर्थ यह है कि पूरे देश को बहुराष्ट्रीय कम्पनियां लूटती रहेंगी, कि वे पूरे देश को बेवकूफ बनाती रहेंगी और हम मूक दर्शकों की तरह देखते रहेंगे? यह एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। दुर्भाग्यवश उन्हें अपेक्षित धन, अपेक्षित स्वायत्तता तथा अधिकार नहीं दिये गये हैं। हालांकि मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन जिस तरह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् में कार्य कर रहे लोगों का अपमान किया गया उसे सभी जानते हैं...

अपने दल की ओर से मैं पहला वक्ता हूं और मैं 20 मिनट तक बोला हूं। माननीय चौधरी साहब, आपने अपने पिछले भाषण में ऋण सुविधा के बारे में कहा था। इस मुद्दे को श्री देवगौड़ा जी ने भी उठाया था। इस स्कीम के अंतर्गत किसानों को सभी सुविधाएं दी जानी चाहिए। अब मैं श्री केलकर

*...*मूलतः पंजाबी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

समिति की सिफारिशों को उद्धृत करना चाहूंगा, इसमें कहा गया है :

> "भारत सरकार ने अप्रत्यक्ष करों के संबंध में गठित कार्य बल जिसके अध्यक्ष श्री के. एल. केलकर हैं ने इस संबंध में एक परामर्श पत्र प्रस्तुत किया है। उसने दूध और दुग्ध उत्पादों पर 8 प्रतिशत उत्पाद शुल्क लगाए जाने का प्रस्ताव किया है"...

उन्होंने एक पत्र प्रस्तुत किया। मैं नहीं कहता कि इसे लागू किया गया है, लेकिन महोदय इस पत्र में दूध और दुग्ध उत्पादों पर 8 प्रतिशत शुल्क लगाये जाने का प्रस्ताव किया गया है। यदि कर लगाया गया तो दूध और दुग्ध उत्पादन से जीवन यापन अर्जित करने वाले किसान बर्बाद हो जायेंगे। महोदय यह सिफारिश तो ऐसी है जैसे मरते हुए व्यक्ति को और मारना। अगर केलकर समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया जाता है, तो इसके विनाशकारी परिणाम आयेंगे। मैं एक अन्य रिपोर्ट का संदर्भ देना चाहूंगा तो आश्चर्यजनक है। 1952 में प्रति एक हजार व्यक्ति पर पशुओं की संख्या 452 थी। दशकों पहले यही आंकड़े रहे। परन्तु आज यह संख्या गिरकर 232 हो गयी है। यदि हम 2005 तथा उसके बाद के वर्षों पर ध्यान दें तो स्थिति बदतर हो जायेगी। इसलिए इसके विस्तार में जाना नहीं चाहता। महोदय, भूमि सुधार के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। हालांकि यह राज्य का विषय है। लेकिन मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि अनेक राज्यों में बड़े व्यापारियों और बड़े उद्योगपतियों पर कोई रोक नहीं लगाई गयी है। कुछ जाने–माने व्यक्तियों को अभी 8000 करोड़ रुपये देने हैं। यह रिपोर्ट 5 दिन पहले के समाचार पत्र इंडियन एक्सप्रैस में छपी थी। महोदय आप इस सरकार के अंग हैं। यह दुर्भाग्यजनक बात है कि न तो इस सरकार ने और न ही पिछली सरकार ने सहकारिता कानून में विद्यमान विसंगतियों को दूर करने का प्रयास किया है। एक ओर तो यदि निर्धन किसान 800 रुपये की छोटी राशि का भुगतान न कर सके तो उसे जेल भेज दिया जाता है परन्तु दूसरी ओर ऐसे लोग हैं जिन्होंने 8000 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया है और वे इस देश में खुले घूम रहे हैं। अगर एक किसान मात्र 800 रुपये का ऋण अदा नहीं कर पाता है तो उसे जेल भेज दिया जाता है और उसके खिलाफ मुकदमा दायर किया जाता है। इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है? भूमि अधिग्रहण अधिनियम का क्या हुआ? माननीय सभापति महोदय, पंजाब की अधिसंख्य उपजाऊ भूमि को छावनी क्षेत्र (कैंट) में तबदील कर दिया गया है। कृषि के लिए उपलब्ध भूमि कम होती जा रही है। कृषि के लिए उपलब्ध जमीन के छोटे–छोटे टुकड़े किसानों के लिए आज अभिशाप बन गए हैं। इसके विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता। कुछ देर पहले माननीय मंत्री श्री शरद यादव यहां थे। पिछली बार दल–गत राजनीति से ऊपर उठकर सदस्यों ने विचार व्यक्त किया था कि अगर माननीय खाद्य मंत्री तथा अन्य अधिकारी कृषि मंत्री के साथ यहां उपस्थित नहीं रहते हैं तो किसानों की स्थिति पर चर्चा करने का कोई फायदा नहीं।

मैं यह पूछना चाहता हूं कि एफ.सी.आई. को 5000 करोड़ रुपये की राजसहायता प्रदान की गई और यह आश्वासन दिया गया था कि जरूरतमंद व्यक्तियों को 5000 करोड़ रुपये मूल्य का खाद्यान्न प्रदान किया जायेगा। क्या एक भी गरीब व्यक्ति को थोड़ा भी खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया? इस 5000 करोड़ रुपये की भारी राशि का क्या हुआ? मैं यह चाहूंगा कि माननीय मंत्री मेरे प्रश्न का उत्तर दें।

माननीय सभापति महोदय, मैं अपने भाषण को 2 मिनट में समाप्त कर देना चाहता हूं। इस देश में कई रथ यात्राएं निकाली गईं। इनमें से कई रथ यात्राओं के द्वारा वैमनस्यता फैलायी गई और इनके कारण निर्दोष व्यक्तियों का खून बहा। आज समय की मांग दलगत राजनीति से ऊपर उठने की है। सभी राजनीतिक दलों द्वारा कश्मीर से कन्याकुमारी तक किसानों के लिए रथयात्रा निकाली जानी चाहिए। सभी राजनीतिक दलों द्वारा सर्वसम्मति बनायी जाये। पूरे देश के किसानों को उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित किया जाए। हमें अपने देश के किसानों को बचाना होगा क्योंकि यदि इस देश के किसानों को परेशानी होगी तो हमारा भविष्य अंधकारमय होगा।

पूर्व प्रधानमंत्री माननीय देवगौड़ा जी ने कहा कि यह सरकार पिछले तीन वर्षों से सोई हुई है। अंत में मैं एक संगत कविता सुनाऊंगा। इस देश के एक देशभक्त, जो शहीद भगतसिंह के लिए स्मारक के निर्माण कार्य के प्रभारी भी थे, ने एक बार एक कविता पाठ किया था जिससे यह पता चलता है कि इस देश के नेता लोगों की समस्याओं के संबंध में कितने बेखबर हैं। माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृहमंत्री किसानों की दशा से बेखबर हैं। किसानों की त्रास दी कुछ ऐसी ही है।

कविता इस प्रकार है :*

[हिन्दी]

"एक नेता सो रहे थे,
चीखकर मैंने कहा–
अब तो उठ जाओ,
छुरी आ पहुंची है गर्दन के करीब

*...*मूलतः पंजाबी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री जे. एस. बराड़]

इतना कहना था–
गुस्से में फरमाने लगे
बेअदब, हम लोग उठते हैं,
इलैक्शन के वक्त''

[अनुवाद]

ये लोग केवल चुनाव के समय ही नींद से जागते हैं। वे लोगों को बांट रहे हैं। वे किसानों की दशा पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं इस सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह धर्म के नाम पर लोगों में फूट डालना बंद करे। मुझे इक्यावन कविताएं (51) शीर्षक से प्रकाशित माननीय प्रधान मंत्री की एक अंतिम कविता का स्मरण आता है। इसमें कहा गया है : ''मिलकर चलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा। लेकिन कदम भिड़ाकर चलने की राजनीति हो रही है। लोगों को भिड़ाने की राजनीति हो रही है। मुझे यह कविता अच्छी लगती है। यह मेरी प्रिय कविता है। परन्तु आज मिलकर चलने की बजाय हम लड़ने की राजनीति कर रहे हैं। लोगों को किसी एक अथवा अन्य कारण से आपस में लड़ाया जा रहा है। हमें इस लड़ने–झगड़ने की भावना से ऊपर उठना होगा। इस समय देश के किसानों की समस्याओं को दूर किए जाने की आवश्यकता है।

श्री उत्तमराव ढिकले (नासिक) : सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

महोदय, हमारा देश बहुत बड़ा है। हमारे देश में कृषि योग्य जितनी जमीन है, उतनी दुनिया के किसी भी देश में नहीं है। यह हमारे देश के लिए सौभाग्य की बात है। दुनिया में ऐसे कई देश हैं, जहां सर्दी अधिक होने की वजह से केवल एक क्राप ले सकते हैं, लेकिन हमारे देश में साल में दो क्राप ली जाती हैं। इतना होने पर भी हम नेचुरल रिसोर्सेज को वैस्ट करते हैं। हम अपने देश में 37 मिलियन हेक्टेयर भूमि सिंचित कर सकते हैं, लेकिन हम बारिश के पानी को नदी–नालों द्वारा समुद्र में जाने देते हैं। यह हमारे देश का दुर्भाग्य है और इससे हमारी खेती को बहुत नुकसान होता है तथा पानी के बहने के कारण खेती भी खराब हो जाती है। इसके साथ ही ग्राउन्ड वाटर का लैवल भी नीचे जा रहा है।

मैं सरकार को आज की चर्चा के माध्यम से एक सुझाव देना चाहता हूं। अगर कृषि नीति में बदलाव लाना है तो पहले पानी का प्रबंध करना अतिआवश्यक है। मुझे मालूम है, हमारे गीते साहब ने जवाब दिया था कि यह राज्यों का विषय है, केन्द्र शासन का नहीं है, इसे मैं जानता हूं। मैं यह भी सुझाव रखूंगा कि राज्य शासन हो या केन्द्र शासन हो, दोनों को ही पानी और खेती के लिए प्रायोरिटी देनी चाहिए। अगर प्रायोरिटी दी गई तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कृषि नीति के मामले निश्चित रूप से हल हो जाएंगे। पानी के प्रबंध के लिए राज्य सरकार को भी सोचना चाहिए और केन्द्र सरकार को राशि उपलब्ध करानी चाहिए। इतना ही नहीं महाराष्ट्र में जहां पानी है, वहां लोगों को बोलना चाहिए कि आप राशि दें, हम आपको पानी देते हैं। विदर्भ में लोगों को बोलना चाहिए कि आप राशि दें, हम कपास के लिए पानी देते हैं। जलगांव में लोगों को बोलना चाहिए कि आप पैसे दें, हम केला उगाने के लिए पानी देते हैं। अगर ये सब हो जाएगा और यह हो सकता है।

महोदय, परसों सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा निर्णय दिया। मैं बचपन से देख रहा था एवं पढ़ रहा था तब मैं सोच रहा था कि इतनी बड़ी–बड़ी नदियां हैं–गंगा, यमुना, झेलम, कावेरी और नर्मदा–हमारे यहां गोदावरी और तापी है–क्यों न इन सब नदियों को एक–दूसरे से जोड़ दिया जाए। इससे क्या होगा, जहां वर्षा होगी वहां पानी आएगा और जिस नदी में पानी नहीं होगा वहां उसे छोड़ा जायेगा।...*(व्यवधान)*

श्रीमती श्यामा सिंह (औरंगाबाद, बिहार) : महोदय, माननीय सदस्य सरकार के अंश हैं, उनका हिस्सा हैं फिर से क्यों बार–बार उठकर ऐसे भाषण देते हैं...*(व्यवधान)*

श्री उत्तमराव ढिकले : बहन जी, मैं किसी के ऊपर टीका–टिप्पणी नहीं करना चाहता और न ही यह मेरे बस की बात है। मैं किसी को ब्लैम भी नहीं करना चाहता। मैं किसान हूं और मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। मैं खुद किसान हूं, मेरे पिता जी और दादा जी किसान थे।...*(व्यवधान)* मैं 35 साल डिस्ट्रिक्ट बैंक का डायरेक्टर और चेयरमैन रहा हूं, 20 साल शुगर फैक्ट्री का डायरेक्टर चेयरमैन रहा हूं और 35 साल कापोर्रेशन में कारपोरेटर और मेयर रहा हूं। मैं पहली बार अपने विचार शिव सेना की ओर से रख रहा हूं।...*(व्यवधान)*

महोदय, हमारा देश कृषि–प्रधान देश है। जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो हमें टीचर्स बताते थे कि 70 प्रतिशत किसान रूरल एरिया में रहते हैं। जिन किसानों के बारे में अब तक इस सदन में और असेम्बलियों में भी बहुत चर्चा हुई, लेकिन उसका आउटपुट क्या निकला, मैं अभी तक यह नहीं जानता, लेकिन किसान अभी भी दुखी हैं। हम एक तरफ कहते हैं कि अनाज उपजाने में हमारा देश बहुत आगे है। हमारे यहां सालाना 601 मिलियन टन अनाज की पैदावार होती है।

*...*मूलतः पंजाबी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

132 मिलियन टन बागवानी की उपज होती है और यह बहुत अच्छी बात है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है तथा पशुओं की भी संख्या हमारे देश में सबसे ज्यादा है। दुनिया की 53 प्रतिशत भैंसें, 23 प्रतिशत भेड़–बकरियां हमारे यहां हैं। मुर्गी पालन और मांस के क्षेत्र में हमारा स्थान पांचवां तथा मछली उत्पादन में सातवां है। हमारे यहां फल सब्जियों की भी कमी नहीं है।

सभापति महोदय, दुनिया में हमारा स्थान कृषि में कौन सा है, यह देखने की जरूरत है। इस क्षेत्र में हम बहुत पीछे हैं। हमारी मुख्य फसल गेहूं, चालव, मक्का, दालें और कॉटन। भारत में किलो हेक्टेयर में गेहूं का उत्पादन औसतन 2,493 है और विश्व में इसका किलो हेक्टेयर में सर्वाधिक उत्पादन औसतन 8,997 है। गेहूं के उत्पादन में हमारा स्थान 32वां है। चावल का प्रति किलो, प्रति हेक्टेयर एवरेज उत्पादन भारत में 2811 है जबकि संसार में 7444 है। चावल के उत्पादन में हमारा स्थान 51वां है। मक्का में हमारा स्थान 105वां स्थान है, दालों में 118वां और कॉटन में 57वां स्थान है। भगवान द्वारा इतना दिये जाने के बावजूद भी हमारा देश पीछे क्यों हैं? यह सवाल है जिसका हमें पता लगाना है।

दूसरा चार्ट देखने से पता चलता है कि धान का प्रति किलो, प्रति हेक्टेयर एवरेज उत्पादन क्या है। चार्ट में लिखा है

> "कि भारत कृषि उत्पादन के लिए प्राकृतिक दृष्टि से समृद्ध है। इसका मोटे अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे कम वाले देशों में अधिक है। यह आस्ट्रेलिया और अफ्रीका, जो अधिकांशतः मरुस्थल है, से ही अधिक है।"

यूरोप में 4615, अमरीका में 4386, एशिया में 3156 और भारत का 2232 है, जबकि कुल विश्व का 290171 है।

तीसरे चार्ट में लिखा है कि सालाना ग्रोथ–रेट, चाइना का 5.18, वियतनाम का 4.65, पाकिस्तान का 4.04, नेपाल का 3.24 और इंडिया का 3.024 है। जो प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट है उसमें बताया गया है कि चाहे केन्द्रीय सरकार हो या राज्य सरकारें, उनका ध्यान कृषि की तरफ नहीं है। एक वकील होने के नाते मैं बिना सबूत दिये नहीं बोलूंगा।

फर्स्ट प्लान में इस क्षेत्र के लिए 37 परसैंट राशि रखी गई थी लेकिन नौवें प्लान में 20 परसैंट का प्रावधान किया गया। जो राशि दुगनी होनी चाहिए, वह आधी हो गई। भारत सरकार ने इसे नजर अंदाज किया जिस का मुझे दुख है।

आपने 1999 में बीमा योजना लागू की। किसानों को बीमा के पैसे देने पड़ते हैं लेकिन किसानों को उसका कुछ विशेष लाभ मिलता नहीं है। किसानों को समय पर कर्जा नहीं मिलता। उसके सामने स्टोरेज की समस्या है। उसे अच्छा बीज नहीं मिलता और उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलती। सभी गांवों में पक्के रास्ते होने चाहिए। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ऐसी सड़कें बनायी जा रही हैं। आपने कई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर पाबंदी लगायी है। मार्किटिंग सिस्टम में बदलाव करना चाहिए, वेयर हाउसेज बनाने चाहिए और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में बदलाव लाना चाहिए। मैंने तीन साल में छः बार जीरो आवर में कहा है कि प्याज के एक्सपोर्ट पर लगी पाबंदी हटायी जाए। यह असैंशियल कमोडिटीज एक्ट में कैसे आता है, मुझे मालूम नहीं? इसकी क्या डेफिनेशन है, मैं नहीं जानता? नासिक जो मेरा निर्वाचन क्षेत्र है, वहां का किसान प्याज एक रुपए किलो में बेचता है। वह मुम्बई से दो रुपए किलो में दिल्ली आता है। दिल्ली आकर उससे दाम दो रुपए किलो और बढ़ जाता है। वही प्याज पांच रुपए किलो में यहां के लोगों को मिलता है। जो इसकी उपज करता है उसे एक रुपए मिलते हैं लेकिन कंज्यूमर को पांच रुपए किलो दाम देने पड़ते हैं। सिस्टम में खामियां हैं जिन्हें दूर करना आवश्यक है।

मैं चीनी का मामला उठाकर अपनी बात समाप्त करूंगा। आज शूगर उद्योग खतरे में है। बफर स्टॉक होने पर भी किसानों को गन्ने के उचित दाम नहीं मिलते। इससे बैंकों को पैसा नहीं मिलता है और शूगर फैक्ट्रियों को इंटरेस्ट देना पड़ता है। यह बहुत अच्छा निर्णय लिया कि 20 लाख का बफर स्टॉक का निर्माण करेंगे। आपने इस क्षेत्र में कुछ अच्छे काम किए हैं। मैं पहले शूगर फैक्ट्री में था लेकिन अभी–अभी इलैक्शन होने के बाद वहां से 22 साल बाद रिटायर हो गया हूं। आज अच्छे और काम करने वाले लोगों के पास काम नहीं है। अमेरिकन गवर्नमेंट 65–75 परसैंट सबसिडी देती है।

[अनुवाद]

श्री एस. बंगरप्पा (शिमोगा) : नहीं यह अमरीका मे 80 प्रतिशत है...*(व्यवधान)*

श्री उत्तमराव ढिकले : मुझे खेद है, आप सही हैं। हम कितना दे रहे हैं? हम कुछ नहीं दे रहे हैं। इसलिए मैं यह विनम्र निवेदन कर रहा हूं।

[श्री उत्तमराव ढिकले]

[हिन्दी]

कम से कम 200–300 रुपए एक बोरे के पीछे एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए दाम देने चाहिए तभी एक्सपोर्ट बढ़ेगा। गन्ने से एथनॉल बनाना चाहिए। इससे देश की आय बढ़ेगी और विदेशी मुद्रा की बचत होगी। एग्रीकल्चर देश को खाद्यान्न, रोजगार और रॉ–मैटिरियल दे सकता है। यदि किसान जिन्दा रहता है तो देश जिन्दा रहेगा। यदि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जिन्दा रहेगी तब देश बचेगा। यह इंडस्ट्री सब कुछ देश को दे सकती है। इसे ताकि देने का प्रयास करिए। इतना ही कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे किसानों की समस्या पर हो रही बहस में भाग लेने का अवसर प्रदान किया।

सभापति महोदय, देश की आजादी के बाद देश की खाद्यान्न स्थिति के बारे में सरकार की ओर से जो वक्तव्य भिन्न मंचों के माध्यम से आये हैं, उसमें कहा गया कि अनाज के गोदाम भरे हुए हैं, तो फिर किसानों की दुर्दशा क्यों हो रही है, हम लोगों को निश्चित रूप से इस पर चिन्तन और मनन करना चाहिये। यहां श्री शरद यादव जी बैठे हुए हैं, जो हमारे नेता रहे हैं। मैं उन से जानना चाहता हूं कि समाज के अभिजात्य वर्ग की महिलायें वातानुकूलित महलों में बिना रात और दिन का अंतर किये खर्राटे भरकर सोती रहती हैं, वहीं गावों में किसान की बहू–बेटियां भोर में चार बजे उठकर जानवरों की सानी–पानी कर के खेत की तैयारी कर रही होती हैं। जिस चावल को विभिन्न रूपों में हम लोग बड़े चाव से खाते हैं, उस धान को पैदा करने में उन बहू–बेटियों के पैर सड़ जाते हैं, तब उसका उत्पादन होता है। इतनी कठिनाई के बाद जब हमारा किसान रिकार्ड उत्पादन करता है तो हम उस किसान को क्या दे रहे हैं? मैं इस संबंध में केवल इस सरकार से नहीं कह रहा हूं। मैं देश की आजादी के बाद अब तक किसानों की हो रही दुर्दशा की ओर ले जाना चाहता हूं। किसान आज भी अपनी खेती की बदौलत अपने बच्चे को सही शिक्षा नहीं दे पा रहा है, खेती के बलबूते पर अपनी बेटी की शादी नहीं कर पा रहा है। अगर वह झोंपड़ी में रह रहा है तो खेत की बदौलत पक्का मकान नहीं बना सकता। यह किसान की वास्तविक स्थिति है। किसान कर्जे के बोझ के नीचे दबता चला जा रहा है।

सभापति महोदय, 1989–90 के दौर में इस देश में एक ऐसी सरकार आयी थी जिसने किसानों के कर्जे माफ करने का काम किया था। इस सरकार ने, कर्जे माफ करने की बात छोड़िये, उनके ब्याज माफ करने के बारे में सोचने का कार्य नहीं किया है। अगर सरकार कहती है कि अनाज के गोदाम भरे पड़े हैं, फिर किसानों की दुर्दशा क्यों है? आज पंजाब से लेकर आन्ध्र प्रदेश तक, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक किसान आत्महत्या करने के लिये क्यों मजबूर है। निश्चित रूप से हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर यह एक प्रश्नवाचक चिह्न बनाकर उभरता है। अगर इस पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो लोगों का लोकतंत्र से विश्वास उठ जायेगा। आज की स्थिति में विश्व व्यापार संगठन की शर्तों को हमने स्वीकार किया। उनकी शर्तें मानने के जो दुष्परिणाम सामने उभरकर आये हैं, उसके कारण सरकार जब इस बारे में जवाब देती है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के मकड़जाल में उलझाकर अपने कार्य की इतिश्री कर लेती है। मैं सरकार चलाने वालों से पूछना चाहता हूं कि अगर उन्हें पता था कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कृषि उत्पादों का मूल्य घटता जा रहा है तो उस समय कृषि अनुसंधान परिषद् क्या कर रही थी। जब हमने विश्व व्यापार संगठन के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किये थे, तभी अगर इसके दुष्परिणामों का आकलन कर लिया होता, अपनी उत्पादकता को बढ़ाने के लिये लागत मूल्य घटाने के लिए सार्थक कदम 7–8 साल पहले उठा लिये होते तो किसानों को इस दुर्दशा का सामना न करना पड़ता।

सभापति महोदय, जहां तक उत्तर प्रदेश की स्थिति का सवाल है, उस पर मैं बाद में आऊंगा लेकिन किसानों की समस्या को लेकर जो चर्चा यहां की जा रही है, उसमें कई आयाम हैं। मैं समझता हूं कि तात्कालिक समस्या धान और गन्ना किसानों की है। धान और गन्ना किसानों की समस्या पर चर्चा दबकर रह जा रही है। इन दोनों बिन्दुओं पर अलग–अलग चर्चा होनी चाहिए थी। इसका कारण यह है कि सूखा, बाढ़ और जल–प्लावन समस्या इससे संबंधित हैं। आज देश का किसान देश की 55 साल की आजादी के बाद भी प्रकृति के भरोसे जीने को मजबूर है। आज हमने किसानों को प्रकृति के भरोसे छोड़कर रखा है।

आज तक हमने बाढ़ और सूखे से निपटने के लिए कोई स्पष्ट नीति नहीं अपनाई। स्पष्ट नीति अपनाने की बात छोड़ दीजिए, हम बार–बार कहते चले आ रहे हैं कि जल को संविधान की समवर्ती सूची में शामिल कीजिए। लेकिन आज तक पानी को संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं किया गया है,

जिसके कारण अभी तमिलनाडु और कर्नाटक को विवाद का सामना करना पड़ रहा है और आने वाले दिनों में उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश को भी इसका सामना करना है। इसके अलावा विभिन्न राज्यों को भी इस स्थिति का सामना करना है। मैं कहना चाहता हूं कि सूखे और बाढ़ की विभिषिका के कारण हर साल हमारी अरबों रुपये की फसल बर्बाद हो रही है। कम से कम किसानों की फसल को बर्बादी से बचाने के लिए आप कोई इंतजाम कीजिए। इसके लिए जब तक आप कोई दीर्घकालिक नीति नहीं अपनायेंगे, तब तक मैं समझता हूं कि आप इस समस्या से नहीं निपट सकेंगे।

सभापति महोदय, आपने फसल बीमा योजना को लागू किया है। आपकी फसल बीमा योजना कितनी अव्यवहारिक है, यह मैं बताता हूं। इस फसल बीमा योजना के अंतर्गत जिन किसानों ने फसल बीमा कराने का कार्य किया है, क्या उन्हें दैवीय आपदा के बाद कोई राहत मिल सकती है। मैं अपने व्यावहारिक अनुभव के आधार पर कहना चाहता हूं कि हम बाढ़ पीड़ित इलाके के रहने वाले लोग हैं। जो सूखा प्रभावित इलाकों के लोग होंगे, उन्हें भी इस स्थिति का अंदाजा होगा कि उस फसल बीमा योजना के अंतर्गत उनके हित सुरक्षित नहीं होते। जब तक इस फसल बीमा योजना को प्रति किसान यूनिट आप नहीं बनायेंगे, तब तक किसानों को इसका लाभ मिलने वाला नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि किसानों की फसलें सुरक्षित रहें, किसानों की लागत न डूबने पाये तो फसल बीमा योजना को आपको व्यावहारिक रूप प्रदान करना होगा।

माननीय मंत्री जी आपने अभी धान का समर्थन मूल्य 530 रुपये प्रति क्विंटल तय किया और 20 रुपये शायद आप सूखा राहत बोनस के रूप में दे रहे हैं–इस प्रकार से कुल 550 रुपये प्रति क्विंटल आपने धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया है लेकिन धान खरीदने की जिम्मेदारी आपने राज्यों के ऊपर छोड़ दी है। मैं कहना चाहता हूं कि जिन राज्यों को आपने यह जिम्मेदारी सौंपने का काम किया है, क्या आपने उनकी समीक्षा करने का भी काम किया है कि अब तक राज्यों ने कितने धान की खरीददारी की है और राज्यों के सामने क्या व्यावहारिक कठिनाइयां आ रही हैं? राज्यों के समक्ष जो व्यावहारिक कठिनाइयां हैं, यदि आप उनका निराकरण नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं कि कोई भी राज्य आपकी नीति के अंतर्गत धान खरीदने में सक्षम नहीं होगा।

मैंने अपने लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र की अपनी तहसील, जिसमें मैं निवास करता हूं, आज सवेरे वहां के आंकड़े मंगवाये हैं। उनके अनुसार कुल 1113 क्विंटल धान की खरीद आज तक समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत नौतनवा कृषि मंडी में हुई है और 140 क्विंटल धान की खरीद हमारी क्रय–विक्रय समिति के अंतर्गत हुई है, जब कि इसका कई गुना धान उस क्षेत्र के एक गांव में पैदा होता है। फसल आये अभी तक डेढ़ महीना बीत चुका है और डेढ़ महीने में धान की कुल यह खरीद है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपकी समर्थन मूल्य योजना फ्लॉप हो रही है। किसान जिसने इस सूखे की परवाह किये बिना, अपनी लागत की परवाह किये बिना अभी कुछ क्षेत्रों में रिकार्ड उत्पादन किया, आज वह आंसू बहाने के लिए मजबूर है। उन्होंने इस आशा–प्रत्याशा में रिकार्ड उत्पादन करने का कार्य किया कि देश के विभिन्न हिस्सों में सूखा है। जब हम अपनी फसल बाजार में लेकर जायेंगे तो हमें अपनी फसल के अच्छे दाम मिलेंगे। लेकिन आप अच्छे दामों की बात छोड़ दीजिए, जो समर्थन मूल्य आपने निर्धारित किया है उससे भी सवा सौ रुपये प्रति क्विंटल उन्हें कम मिल रहे हैं। आज आप महाराजगंज, गोरखपुर और सिद्धार्थ नगर चले जाइये, जो धान उत्पादन करने वाले जिले हैं, आज वहां मोटा धान, जो सामान्य श्रेणी का धान है, वह 375 रुपये, 390 और 400 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बिक रहा है। अगर यह लूट बंद नहीं होगी तो मैं समझता हूं कि किसानों का मनोबल टूटेगा और जब किसानों का मनोबल टूटेगा तो आने वाले दिनों में पैदावार पर भी असर पड़ेगा।

सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश आज गन्ने की पेराई की सबसे बड़ी समस्या से जूझ रहा है। अभी चीनी मिल मालिकों ने एक साजिश के तहत पूरे बाजार में चीनी झोंककर चीनी के भाव को गिरा दिया। मैं अपनी निश्चित जानकारी के आधार पर कहना चाहता हूं कि जो शूगर लॉबी है, वह कितनी मजबूत है, इस सदन में बैठे हुए बहुसंख्यक लोग इस बात को जानते हैं कि कैसे–कैसे हथकंडे अपनाकर वह सरकारों को प्रभावित करने का काम करते हैं, इस बात से सभी लोग परिचित हैं।

आज मैंने कृषि मंत्री जी का एक वक्तव्य पढ़ा है। उनका एक इंटरव्यू है, जिसमें उन्होंने कहा है–गन्ना किसानों के वर्तमान असंतोष के लिए कौन जिम्मेदार है। इस पर कृषि मंत्री जी ने कहा है कि इसके लिए न्यायपालिका, सरकार और मिल मालिक ये तीनों जिम्मेदार हैं। हालांकि ब्राजील में मुद्रा के अवमूल्यन के कारण दुनिया भर में मिल मालिकों की परेशानियां बढ़ी हैं। लेकिन समस्या इतनी नहीं बढ़ी है कि गन्ना लेना ही बंद कर दें। जब देश के कृषि मंत्री कह रहे हैं कि समस्या के लिए न्यायपालिका, सरकार और मिल मालिक तीनों जिम्मेदार

[कुंवर अखिलेश सिंह]

हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि संसद का अब यह कर्तव्य बन जाता है कि संसद इस तिगड़ी को तोड़ते हुए कोई नया कानून, विधान पारित करे जिससे न्यायपालिका को भी किसानों के हितों के साथ खिलवाड़ करने का मौका न मिले। अब अगर न्यायपालिका यह फैसला करेगी कि गन्ना किसानों को कितना मूल्य दिया जायेगा तो मैं समझता हूं कि देश की व्यवस्था चलने वाली नहीं है।

मुझे न्यायपालिका पर कमेन्ट नहीं करना चाहिए लेकिन अपने दर्द को रखना चाहता हूं कि अगर इस तरह से हस्तक्षेप होगा और पूंजीपतियों के हितों का न्यायपालिका द्वारा भी संरक्षण होगा, मिल मालिकों द्वारा शोषण होगा तो किसानों का जबर्दस्त आंदोलन होगा और फिर इस देश में कोई भी सुरक्षित नहीं बचेगा।

महोदय, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और संपूर्ण उत्तर प्रदेश गन्ना किसानों के आंदोलन की चपेट में है। किसान जब आंदोलन कर रहा है तो उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। मेरठ में किसानों पर लाठियां चलाई जा रही हैं। इतना ही नहीं, गन्ने को उसने बेटे की तरह पाला है, जिस तरह से बेटे को पालने-पोसने का काम किसान करता है, उसी तरह से किसान ने गन्ने की फसल को, धान की फसल को तैयार किया। आज वह अपने गन्ने की फसल को जलाने को मजबूर है। यह जो उसकी भावना है, आज वह जिस रास्ते पर जा रहा है, इसको समझने की हमें कोशिश करनी चाहिए। वह क्यों अपने गन्ने को जला रहा है, इस पर अगर हम गंभीरतापूर्वक मनन नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से किसानों का जो अहिंसात्मक आंदोलन है, वह दूसरी दिशा ले सकता है और वह दिशा निश्चित तौर पर देश के लिए और लोकतंत्र के लिए खतरनाक होगी।

अभी भारत सरकार द्वारा 62 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का मूल्य निर्धारित किया गया और यह कहा गया है कि साढ़े आठ प्रतिशत रिकवरी के बाद जैसे-जैसे रिकवरी बढ़ेगी, फिर वह अधिक मूल्य देने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में औसत दस प्रतिशत की रिकवरी होती है। बगल का हरियाणा राज्य 110 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का मूल्य दे रहा है। इस सवाल पर मैं शरद यादव जी से कहना चाहता हूं कि चीनी मिल मालिक कहते हैं कि हमें घाटा हो रहा है। सहारनपुर और अंबाला दोनों सीमावर्ती जिले हैं। सहारनपुर उत्तर प्रदेश में आता है और अंबाला हरियाणा में आता है। अंबाला से बढ़िया गन्ना उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में होता है। आप चाहे तो उसकी गुणवत्ता का परीक्षण करवा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर के गन्ना किसान को गन्ने का दाम मिलेगा 62 रुपये प्रति क्विंटल और हरियाणा में मिलेगा 110 रुपये प्रति क्विंटल 110 रुपये प्रति क्विंटल का गन्ना खरीदकर हरियाणा का मिल मालिक घाटे में नहीं जाएगा और उत्तर प्रदेश का चीनी मिल मालिक कहेगा कि हम 95 रुपये प्रति क्विंटल जितना पिछले साल का दाम भी नहीं देंगे। यह अन्याय नहीं तो और क्या है, यह दोगली नीति नहीं तो और क्या है, यह किसानों का शोषण करने का तरीका नहीं है तो और क्या है? दो सीमावर्ती प्रदेशों में, बगल के प्रदेश में 110 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का मूल्य है और उत्तर प्रदेश में 62 रुपये या 72 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का मूल्य देंगे। मैं कहना चाहता हूं कि चीनी मिल मालिक जो तर्क दे रहे हैं, वह खोखला तर्क है। मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान सरकार है, वह दैनिक रूप से चीनी मिल मालिकों से रिश्वत लेने का काम कर रही है और उसने निर्देश दे रखा है कि चीनी मिलों को तब तक मत चलाओ जब तक तुम्हारा घाटा हो रहा है। इस समय जब हम अपने गन्ने को चीनी मिलों को सप्लाई करने का काम करते हैं तो इस समय रिकवरी कम होती है।

अपराह्न 4.58 बजे

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

जैसे-जैसे समय बीतेगा, रिकवरी का परसेंटेज बढ़ता जाएगा। इस समय चीनी मिल मालिकों को जो घाटा हो रहा है, उस घाटे की पूर्ति के लिए देहाड़ी पर उत्तर प्रदेश की सरकार काम कर रही है। जब तक केन्द्र इसमें पहल नहीं करेगा, तब तक यह असंतोष दूर होने वाला नहीं है। इतना ही नहीं, हम आपसे यह भी कहना चाहते हैं कि किसी भी फसल का समर्थन मूल्य उस फसल चक्र से पहले जब तक घोषित नहीं करेंगे, तब तक आप किसानों के आक्रोश को नहीं रोक पाएंगे। अगर चीनी मिल मालिक यह समझते हैं कि उनको वर्तमान मूल्य देने पर घाटा है, वह चीनी मिल नहीं चला सकते तो आप पहले ही किसान को गन्ने की बुवाई से पहले बता दीजिए। किसान को भी समझ में आएगा तो गन्ने की बुवाई करेगा और समझ में नहीं आएगा तो गन्ने की बुवाई नहीं करेगा। लेकिन जब हमारी फसल तैयार है तो हमारी उस मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। आज हम गन्ना नहीं काटेंगे, हमारा गन्ना नहीं उठाया जाएगा तो हम रबी की बुवाई नहीं कर सकेंगे। रबी की बुवाई नहीं कर सकेंगे तो हमारा पूरा एक साल बरबाद हो जाएगा। इस मजबूरी का फायदा उत्तर प्रदेश के चीनी मिल मालिक उठा रहे हैं।

महोदय, महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश देश का दूसरा प्रदेश है जो सर्वाधिक चीनी पैदा करने का काम करता है, तो सर्वाधिक गन्ना पैदा करने का काम करता है। आज उस प्रदेश के किसानों को, जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, अगर उस प्रदेश के किसानों के आक्रोश को आप मूकदर्शक बनकर देखते रहेंगे तो मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि वह किसान जब अराजकता की तरफ जाएगा तो निश्चित रूप से देश के लोकतंत्र के लिए अशुभ होगा।

आज जो बेरोजगारों की फौज आ रही है वह कहां से आ रही है? आज उन्हीं किसान परिवारों से निकलकर बेरोजगारों की फौज आ रही है क्योंकि वे कृषि की बदौलत अपना जीवनयापन नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि जो दीर्घकालिक चुनौतियां हैं, उनका मुकाबला करने के लिए आपको दीर्घकालिक नीतियां अपनानी होंगी। मैं सरकार में बैठे हुए लोगों से कहना चाहता हूं कि आज खेती की जो दुर्दशा हो रही है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, इस बहस में मैं नहीं जाना चाहता हूं।

अपराह्न 05.00 बजे

लेकिन, जब आप डब्ल्यू.टी.ओ. की बातें करते हैं, जब आप विश्व व्यापार संगठन और विश्व बैंक की बात करते हैं तो आपको यह भी बताना चाहिए कि अमरीका, यूरोप और जापान अपने किसानों को कितनी राजसहायता देने का काम कर रहे हैं और हम कितनी राजसहायता दे रहे हैं। जब आप किसान को अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के जगत में ले जाना चाहते हैं, तो जब तक आप किसानों को शक्ति प्रदान नहीं करेंगे तब तक, मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि किसान को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मुकाबला करने में आप अक्षम पाएंगे और उसका फसल के उत्पादन पर प्रभाव पड़ेगा।

मान्यवर, मैं रफी अहमद किदवई साहब का एक उदाहरण देना चाहता हूं। वे निश्चित तौर पर एक ईमानदार व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। मैं उनके फार्मूले की तरफ आपका ध्यान दिलाते हुए उसे उद्धृत करना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि जितने आने मन गन्ना, उतने रुपए मन चीनी। उन्होंने जो स्पष्ट फार्मूला दिया यदि आप उसको लागू करेंगे, तो गन्ने के किसान की समस्या का समाधान सदा–सदा के लिए हो जाएगा। जो फार्मूला उन्होंने दिया था, आप उस फार्मूले को भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। सरकार उस फार्मूले को स्वीकार नहीं कर रही है। किसी न किसी रूप में निश्चित तौर पर उनकी इस समस्या का समाधान आपको करना होगा।

हमारे माननीय खाद्य एवं रसद मंत्री जी, आपने 412 करोड़ रुपए चीनी विकास निधि से चीनी मिल मालिकों को देने का ऐलान किया है और 378 करोड़ रुपए कर्जे बैंकों ने चीनी मिल मालिकों को देने का ऐलान किया है। जो गन्ना नीति है उसके मुताबिक अगर 15 दिन के अंदर चीनी मिल मालिक हमारे किसानों के गन्ने के बकाया का भुगतान नहीं करते हैं, तो उसे ब्याज देना पड़ेगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि पूरे देश से आंकड़े मंगाकर देख लीजिए कहीं भी चीनी मिल मालिक किसी भी गन्ने के किसान के बकाया का ब्याज देने का काम नहीं करते। जिन चीनी मिल मालिकों पर हमारे किसानों के गन्ने का बकाया है, उनके खिलाफ वसूली प्रमाणपत्र जारी होना चाहिए, रिकवरी सर्टिफिकेट जारी होना चाहिए, वारंट जारी होना चाहिए, लेकिन कोई भी राज्य सरकार, यहां तक कि केन्द्र सरकार भी पहल कर के इस कानून का अनुपालन कराने का काम नहीं करती है। मैं यह बात इसलिए कहना चाहता हूं कि चीनी मिल मालिक आपसे अलग नहीं हैं। अगर सरकार अपने हर हथियार का इस्तेमाल करे, तो चीनी मिल मालिकों को किसानों के समक्ष घुटने टेकने पड़ेंगे।

मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि गत वर्ष से इस वर्ष यदि गन्ने का मूल्य उत्तर प्रदेश में कम दिलाने के लिए आप आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित तौर पर किसान भडकेंगे और जब किसान भड़केंगे तो उनका आन्दोलन पूरे प्रदेश में भड़केगा और जब पूरे देश में उनके आन्दोलन रूपी आग भड़केगी, तो वह आपको भी जलाकर राख कर देगी।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि दीर्घकालिक नीति आपको बनानी है, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को आपको नए निर्देश देने पड़ेंगे। आज हमें विश्व व्यापार जगत की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए, लागत को घटाने के लिए, उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए निश्चित तौर पर दिन दूनी–रात चौगुनी मेहनत करके सार्थक प्रयास करने होंगे। मैं आज आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि गन्ने और धान के किसानों के अलावा कपास के किसानों की समस्या भी आज आपके सामने है। गुजरात और महाराष्ट्र में जो कपास का किसान है वह जिस बर्बादी के रास्ते पर खड़ा है, वह आपके सामने है। चीन जिस तरह से तस्करी के माध्यम से अपने सामानों की हमारे देश में आपूर्ति कर रहा है यह हमारे और आपके लिए चिन्ता का विषय है। आज वित्त मंत्रालय से पूछिए कि जो वित्त मंत्रालय के कस्टम विभाग के लोग सीमाओं पर तस्करी को रोकने के

[कुंवर अखिलेश सिंह]

लिए तैनात किए गए हैं, क्या वे अपनी भूमिका का सार्थक तरीके से निर्वहन कर रहे हैं या नहीं।

हम भारत और नेपाल के सीमावर्ती इलाके से चुनकर आने वाले लोग हैं। रामपाल सिंह जी भी उसी क्षेत्र से चुनकर आने वाले लोग हैं। नेपाल के अन्दर चीन के रेशम के धागों से पूरे नेपाल के बाजार भरे पड़े हैं। क्या वह रेशम नेपाल की खपत के लिये आया हुआ है या भारतीय बाजारों में प्रवेश करने के लिए आया हुआ है। आज चीन का लहसुन हमारे बाजारों में आ रहा है। हमारे देश में चीन का सामान गलत तरीके से आ रहा है।

आज आपने विश्व व्यापार संगठन की शर्तों को स्वीकार किया है। आज आप बाहर से चीनी मंगा रहे हैं, अनाज मंगा रहे हैं। अभी हमारे साथी, महेश्वर सिंह जी ने कहा कि विश्व व्यापार संगठन की शर्तों के तहत हमें बाहर से सामान मंगाना पड़ेगा। यदि ऐसा है, तो फिर आप राज्यों को छूट क्यों नहीं देते हैं कि वे विश्व व्यापार संगठन की शर्तों को चाहें तो माने, न चाहें तो न मानें। आप जब कहते हैं कि गन्ना राज्यों का विषय है और इसकी समस्याओं का निराकरण करना राज्यों का काम है, तो जब यह राज्य की समस्या है, तो फिर राज्यों को छूट दे दी जाए कि वे चाहें तो विश्व व्यापार संगठन की शर्तों को स्वीकार करें और यदि नहीं चाहें, तो स्वीकार न करें, फिर उनके ऊपर प्रतिबंध क्यों लगा रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करिए।

कुंवर अखिलेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि हमें एक–दूसरे पर दोषारोपण नहीं करना चाहिए। अपनी ओर देखना चाहिए। अगर इस समस्या के समाधान के लिए आवश्यक हो, तो संसद की एक संयुक्त समिति का गठन करना चाहिए।

आदरणीय अजित सिंह जी सदन में आ गए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि वे एक महान बाप के बेटे हैं और यदि आपके नेतृत्व में आज किसान खून के आंसू पी रहे हैं, तो निश्चित तौर पर चौधरी चरण सिंह जी की आत्मा आपको धिक्कारने का काम करेगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप कुर्सी के मोह से ऊपर उठिए। मैं बड़ी विनम्रता से निवेदन कर रहा हूं और आपसे त्यागपत्र देने की नहीं कह रहा हूं।

मैं आपको अपनी जिम्मेदारियों से भागने की बात नहीं कह रहा हूं। अजित सिंह जी, मैं यह कहना चाहता हूं कि आज भी किसान चौधरी चरण सिंह जी को देवतातुल्य समझते हैं। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपने अधिकारों का उपयोग करके निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में किसानों की जो दुर्दशा हो रही है, उस दुर्दशा से निजात दिलाने के लिए आगे आने का काम करिये।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और नियम 193 के तहत जो प्रस्ताव यहां लाया गया है, उसका समर्थन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री धनंजय कुमार जी, आपका भाषण शुरू होने से पहले मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है इसलिए हम इस विषय को आज पूरा नहीं कर सकेंगे। जिन वक्ताओं को भाषण देना है, वह बाद में भी दे सकते हैं हम सोमवार को यही विषय रखेंगे। मंत्री जी का उत्तर यदि उनको सुविधा हुई तो सोमवार को ही हो जायेगा। यह बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में डिसाइड हुआ।

कुंवर अखिलेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमारा यह आग्रह है कि मंत्री जी सबको सुनते रहें।...*(व्यवधान)*

श्री राजो सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम किताब में खोजते–खोजते मर गये कि चेयर का ध्यान कैसे आकर्षित करें, वह कहीं नहीं मिला। हम खड़े होकर बोलते रहे लेकिन तब भी आपका ध्यान नहीं गया। जब तक लिस्ट नहीं मिलती है, तब तक आसन की तरफ से भी नाम नहीं बुलाया जाता। यही दिक्कत होती है। आप इसे दो भाग में कर दीजिए। एक दिन सब वी.आई.पीज. बोलें और दूसरे हम जैसे लोग बोलें। हमने केवल पांच मिनट बोलने के लिए समय मांगा है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसीलिए हमने दो भाग कर दिये हैं। आज वी.आई.पीज. भाषण देंगे और सोमवार को दूसरे लोग भाषण देंगे। श्री धनंजय कुमार जी, आप वी.आई.पी. हैं इसलिए आप भाषण करिए।

[अनुवाद]

श्री एस. बंगरप्पा : महोदय, कृपया अन्य सदस्यों को भी वी.आई.पी. बनाइए।

अध्यक्ष महोदय : हां, प्रत्येक सदस्य वी.आई.पी. है। आपके ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर कल विचार होगा। क्या यह आपके लिए सुविधाजनक है?

श्री वी. धनंजय कुमार (मंगलोर) : माननीय अध्यक्ष महोदय,

कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है। जैसाकि हम सभी जानते हैं कि हमारे सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का 50 प्रतिशत योगदान रहा है, परन्तु पिछले कुछ वर्षों में इसमें कृषि क्षेत्र के योगदान में कमी आई है और इस समय हमारे सरल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान केवल 30 प्रतिशत तक पहुंच गया है। यह प्रशासन द्वारा कृषि क्षेत्र की पूरी उपेक्षा का परिणाम है। मैं किसी सरकार पर आरोप लगाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं बल्कि इसके लिए समग्र रूप से प्रशासन जिम्मेवार है। हम इस क्षेत्र की पूरी तरह से उपेक्षा करते रहे हैं।

हम पुरानी उक्ति में विश्वास करते हैं, कृषि तो नास्ती, दुर्भिश्रम, जिसका यह मतलब है कि किसानों को कभी भी भुखमरी का सामना नहीं करना पड़ेगा। परन्तु आज, इस सभा के सभी सदस्यों से एक कंठ में यह सुनकर मैं चकित था कि सभी लोग उन समस्याओं के बारे में चिंतित हैं जिनका किसानों को सामना करना पड़ रहा है। जब तक हम इस मामले की तह तक जाकर कठिनाइयों से सम्पूर्ण कृषि क्षेत्र को नहीं उबारेंगे तब तक सम्भवतः हम इस समस्या का स्थायी समाधान ढूंढ़ पाने की स्थिति में नहीं हो पाएंगे। आज नियम 193 के अंतर्गत शुरू की गई चर्चा तभी लाभदायक और सार्थक होगी यदि हम सभी एकजुट होकर प्रशासन को कृषि क्षेत्र के लिए कोई दीर्घावधि नीति अपनाने हेतु कतिपय सुझाव देते हैं। दुर्भाग्यवश हमारे पास दीर्घावधि नीति, व्यापक कृषि नीति नहीं है। हमने यह देखा है कि प्रत्येक सरकार सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के उपायों को अपनाने की कोशिश कर रही है। हम कभी–कभार थोड़ी बहुत सहायता उपलब्ध कराकर श्रेय लेने की कोशिश करते हैं। मैं श्री देवगौडा जी का बहुत सम्मान करता हूं और मैंने उनके भाषण को सावधानीपूर्वक सुना है। माननीय पूर्व प्रधानमंत्री सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि के लिए श्रेय लेने की कोशिश कर रहे थे।

उन्होंने यह कहा कि उनके कार्यकाल के दौरान सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर 9.5 थी, पलभर के लिए वे इस बात को भूल गये कि इतने कम समय में सकल घरेलू उत्पाद में विकास दर प्राप्त नहीं की जा सकती है। पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा निरन्तर पोषणीय नीति को जारी रखने के कारण सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर में वृद्धि हुई। वास्तव में, हमने उत्तरवर्ती वर्षों में उस कार्यकाल का निबल परिणाम देखा है। उत्तरवर्ती वर्षों के दौरान, इसमें नकारात्मक वृद्धि हुई थी। अतः, यह रवैया नहीं अपनाया जाये। हम सभी लोगों को एकजुट होकर कृषि क्षेत्र के समक्ष आ रही समस्याओं का स्थायी समाधान ढूंढ़ निकालने के लिए प्रयास करना चाहिए।

हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि कृषि क्षेत्र की आवश्यकताएं क्या हैं। पहली है निरन्तर सिंचाई; दूसरी है गुणवत्ता वाले बीजों की आपूर्ति; तीसरी है, पर्याप्त उर्वरकों और कीटनाशकों की आपूर्ति। आज हम देशी खादों के इस्तेमाल की बात करते हैं। यह तो ईश्वर की कृपा से इस देश में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है परन्तु हम इसका समुचित उपयोग नहीं कर पाए हैं। चौथी, कृषि क्षेत्र को उच्चशक्ति विद्युत आपूर्ति की समस्या है। आज पूरे देश को पर्याप्त विद्युत के अभाव में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जब कृषि क्षेत्र को विद्युत आपूर्ति करने का प्रश्न उठता है तो इसका पूरा दोष यह कहते हुए कृषि समुदाय पर डाला जाता है कि कृषि समुदाय निःशुल्क विद्युत का लाभ उठा रहा है। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि ऐसी स्थिति है और कृषि समुदाय ने इसका लाभ कभी नहीं उठाया है। किसान को पर्याप्त विद्युत की आपूर्ति कभी नहीं की गई।

इसके बाद हमारे समक्ष भण्डारण की समस्या है। यह बताया जाता है कि हमारे उत्पाद का 25 प्रतिशत चूहों और जंगली जानवरों के खाने के कारण बर्बाद होता है। हम अपने उत्पाद का संरक्षण कर पाने की स्थिति में नहीं हैं। भण्डारण सबसे बड़ी समस्या है। इसके बाद ढुलाई की समस्या भी है। अंततः इन सबके अलावा, आज हमारे समक्ष सबसे बडी चुनौती विपणन सुविधाएं उपलब्ध कराने की है। यद्यपि पूरे विश्व में खेती की सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाता है, परन्तु हम अपने किसानों को यह सुविधा उपलब्ध कराने की स्थिति में नहीं हैं। विपणन की समस्या भी हमारे लिए ज्वलंत ही है।

जैसाकि हम सभी जानते हैं, हमारी प्रशासनिक प्रणाली में कृषि समवर्ती सूची में है। इसके लिए केन्द्र के साथ राज्य सरकारें भी समानरूप से जिम्मेवार हैं। मैं यह कहूंगा कि प्राथमिक रूप से राज्य सरकारों को यह जिम्मेवारी लेनी चाहिए क्योंकि राजस्व का जो भी लाभ होगा वह राज्य सरकारों के खजाने में जायेगा। राज्य सरकारें कृषि उत्पादकों की बिक्री से बिक्रीकर अर्जित करती हैं। वे विपणन शुल्क भी लगाती हैं। कुछ राज्यों में उन्होंने कृषि पर आयकर भी लगाया है। भारत सरकार को कृषि क्षेत्र से कुछ नहीं मिल रहा है। फिर भी हम सभी यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके लिए प्राथमिक दायित्व भारत सरकार का है। मैं केवल इस सरकार का उल्लेख नहीं

[श्री वी. धनंजय कुमार]

कर रहा हूं। पिछले 50–52 वर्षों में हमने एक के बाद एक कई सरकारों को इस दिशा में सर्वोत्तम प्रयास करते देखा है, परन्तु हम अभी भी इस समस्या का समाधान कर पाने की स्थिति में नहीं है।

इसके बाद अनुसंधान और विकास का प्रश्न आता है। हमारे अनुसंधानकर्ताओं ने इस संबंध में बेहतर प्रयास किया है। उन्होंने हमारी उत्पादकता बढ़ाने और हमारे उत्पादकों के संरक्षण के लिए विभिन्न सुझाव दिए हैं। परन्तु दुर्भाग्यवश हम प्रयोगशालाओं में विकसित प्रौद्योगिकी का खेतों तक अन्तरण नहीं कर पाए हैं। जब तक इस प्रौद्योगिकी का अन्तरण नहीं किया जाता और यह व्यावहारिक रूप से किसानों तक नहीं पहुंच जाती तब तक इसका कोई प्रयोजन नहीं होगा। हमने अनेक अनुसंधान केन्द्र स्थापित किए हैं परन्तु दुर्भाग्यवश इनमें से कोई भी। अनुसंधान केन्द्र संतोषजनक ढंग से कार्य नहीं कर रहा है।

वास्तव में, वे सम्पूर्ण कृषि समुदाय में सुधार लाने की स्थिति में नहीं हैं।

हम कृषि की वैज्ञानिक पद्धति अपनाने में असफल रहे हैं। हम विश्व व्यापार संगठन द्वारा लगाए गए विनियमों के बारे में बढ़–चढ़कर बातें करते आए हैं। चीन का भी संदर्भ दिया जा रहा था परन्तु पलभर के लिए यह भुला दिया गया था कि चीन विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बन गया है। अब, हम चीन पर कोई आरोप नहीं लगा सकते हैं क्योंकि चीन डब्ल्यू.टी.ओ. का सदस्य बन गया है।

आज ऐसी स्थिति में यह जानते हुए कि आज पूरा विश्व बाजार सभी के लिए खुला है, हमें अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने पर विचार करना होगा। हमने अपनी अर्थव्यवस्था की मूल बातों को भुला दिया है। जब तक हम कृषि क्षेत्र को इसकी मूल स्थिति में नहीं ला देंगे और सकल घरेलू उत्पाद में इसके अंशदान में सुधार नहीं लाएंगे, तब तक संभवतः हम आर्थिक स्थिति की उन ऊंचाईयों, जिन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, को प्राप्त नहीं कर पाएंगे।

महोदय, अनेक योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। मेरे पास सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया प्रकाशन है।

वर्तमान केन्द्र सरकार ने श्री अटल बिहारी वाजपेयी के कुशल और सक्रिय नेतृत्व में लगभग 49 कार्यक्रम बनाए हैं। भारत सरकार अनेक कार्यक्रमों तथा योजनाओं को क्रियान्वित कर रही है। जैसाकि मैंने कहा इन योजनाओं को क्रियान्वित करने की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर है। भारत सरकार निधि जारी कर रही है, भारत सरकार योजनाओं को क्रियान्वित करने की कोशिश कर रही है लेकिन जब तक क्रियान्वयन एजेन्सी संबंधित लोगों को लाभ पहुंचाने की स्थिति में नहीं आती, हमें अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे।

केन्द्र सरकार पनधारा प्रबंधन योजना, बंजरभूमि विकास योजना, भूमि कटाव निवारण योजना जैसी योजनाएं, क्रियान्वित कर रही है। इसी तरह अनेक अन्य योजनाएं हैं जिनके बारे में मैं बता सकता हूं। लेकिन आज वास्तविक सच्चाई यह है कि किसान इन योजनाओं का फायदा या लाभ उठाने की स्थिति में नहीं है। प्रत्येक वर्ष भारत सरकार करोड़ों रुपये खर्च कर रही है। हम सभी जातने हैं कि इस वर्ष भी ग्रामीण विकास तथा कृषि क्षेत्र के लिए हमने लगभग 56 प्रतिशत कुल बजटीय आवंटन किया है। दुर्भाग्य से इसका एक बड़ा भाग या तो ग्रामीण विकास या गरीबी उन्मूलन के नाम पर खर्च हो रहा है। वास्तव में केवल इसका एक छोटा सा सीधे कृषि क्षेत्र को दिया जा रहा है।

माननीय श्री देवगौड़ा राजसहायता के बारे में बता रहे थे। कोई राजसहायता के विरुद्ध नहीं है। लेकिन यदि आप वास्तव में कृषक समुदाय की सहायता करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ऐसी स्थिति पैदा करनी चाहिए जहां किसान अपने उत्पाद उस दर पर–मैं नहीं कहता कि प्रतिस्पर्धात्मक दर हो–बाजार में बेच सके जिससे कि कम से कम उनके उत्पादन की लागत पूरी जा जाए और किसान अच्छी जिंदगी बिता सके। इसी की आवश्यकता है।

आज, हम जानते हैं कि एक किसान का बेटा कर्ज में जन्म लेता है, कर्ज में ही जीवन जीता है और कर्ज में ही मर जाता है। यह एक प्रसिद्ध कहावत है। हम केन्द्र सरकार से अनुरोध करते रहे हैं कि कुछ योजनाए बनाई जाए ताकि किसान स्वयं को कर्ज से मुक्त महसूस कर सके। यह एक लम्बी कहानी है। सभा को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या किसान को कर्ज से हमेशा के लिए छुटकारा मिल सकता है। हम केवल सरकार से धनराशि प्रदान करने के लिए नहीं कह सकते हैं। जब तक एक उचित तंत्र नहीं बनाते कि किस तरह से इस धनराशि को खर्च किया जाए और क्या इससे किसानों को हमेशा के लिए आत्मनिर्भर बनने में सहायता मिलेगी तब तक स्थिति में सुधार नहीं किया जा सकता है।

इन सभी पहलुओं की जांच की जानी चाहिए। लेकिन कम से कम मौजूदा परिस्थितियों के अंतर्गत जब तक हम इन सभी योजनाओं को क्रियान्वित करने की स्थिति में नहीं आते और जब तक योजना विकसित नहीं करते जिसके अंतर्गत कृषक समुदाय को नियमित रूप से वित्तीय सहायता नहीं जाती तब तक हमें कुछ अल्पावधिक उपायों पर सहमत होना होगा।

इस संबंध में मैं दो–तीन सुझाव देना चाहता हूं। मैं बहुत संक्षेप में बोलूंगा। मैं सभी के सभी दलों की बात सुनना चाहता हूं; इन सभी किसानों की समस्या के बारे में समान रूप से चिंतित हैं। क्या हम ऐसा तंत्र बना सकते हैं जिससे भारत सरकार और राज्य सरकारों दोनों के लिए यह अनिवार्य हो जाए कि वे प्रति वर्ष अपनी आय का कतिपय प्रतिशत कृषि क्षेत्र के लिए आवंटित करें? क्या ऐसा संभव है? क्या वह हमारे संविधान का भाग बन सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि प्रत्येक सरकार अनिवार्य रूप से अपनी आय का एक निश्चित भाग कृषि क्षेत्र को आवंटित करे?

श्री एच. डी. देवगौड़ा : आपकी बात 56 प्रतिशत राजसहायता से मेल नहीं खाती है।

श्री वी. धनंजय कुमार : ठीक है। 56 प्रतिशत अथवा एक बड़ा भाग राजसहायता के रूप में जाता है, एक बड़ा भाग ग्रामीण विकास निधि आदि के रूप में जाता है। लेकिन यह सीधा कृषि क्षेत्र में जाना चाहिए। जब तक कि हम सहमत नहीं होते–पूरी सभा सहमत नहीं होती–यह काम बहुत कठिन है। सरकार अकेले निर्णय नहीं ले सकती है। सभी राज्य सरकारों को भी इसे क्रियान्वित करना चाहिए।

यह सरकार कम से कम बीमा लाभ वाले, किसान क्रेडिट कार्ड, की एक नई योजना शुरू करने का श्रेय तो ले ही सकती है। मैं यह नहीं कहता कि इसने कृषक समुदाय को ऋण जाल से पूर्णतः बाहर निकाल दिया है।

श्री एन. जनार्दन रेड्डी (नरसारावपेट) : लेकिन उस कार्ड ने ऋण की सीमा नहीं बढ़ाई है। यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो बेहतर होगा।

श्री वी. धनंजय कुमार : मैं सभा को यही बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैं नहीं कहता कि यह व्यापक योजना है। मेरा केवल यही निवेदन है कि उन्होंने अभी शुरूआत की है; उन्हें यह काम जारी रखने दीजिए। वह योजना केवल पांच वर्षों के लिए होगी। पांच वर्ष के बाद क्या होगा? क्या किसान क्रेडिट कार्ड योजना पांच वर्षों के बाद समाप्त हो जाएगी? लेकिन कृषक समुदाय को सरकार से एक सुनिश्चित वित्तीय समर्थन मिलना चाहिए। यही मेरा निवेदन है।

अंतिम बात यह है कि हमें अपने निर्यात को सुदृढ़ करना होगा। जहां तक अनेक कृषि उत्पादों का संबंध है, आज सौभाग्य से हमारे देश में अतिरिक्त उत्पाद है। हम पहले से ही अन्य वाणिज्यिक फसलों के अलावा चीनी, गेहूं, चावल आदि का निर्यात कर रहे हैं। सामान्यतः निर्यात पैकेज के अंतर्गत काफी, चाय, रबड़, तंबाकू आदि उत्पाद आते हैं। इसके अलावा हम मुख्य आहार का भी निर्यात करने में सक्षम हैं। यह एक अच्छा संकेत है। कृषि निर्यात को कितना ऋण दिया जा रहा है? क्या मैं जान सकता हूं कि क्या कृषि निर्यात को भी औद्योगिक उत्पादों की भांति सुविधाएं मिलेंगी? यह विचारार्थ प्रश्न है और माननीय कृषि मंत्री इसके बारे में विचार करेंगे?

श्री देवगौड़ा 'मुख्य ऋण देने संबंधी नीति' का उल्लेख कर रहे थे। कृषि क्षेत्र से सदैव सौतेला व्यवहार किया जाता है और मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूं। वित्तीय संस्थानों में कभी भी अपने दायित्व पूरे नहीं किए हैं। वे 18 प्रतिशत की सीमा तक कभी नहीं पहुंचे; बड़ी कठिनाई से केवल 14–15 प्रतिशत तक ही पहुंचे हैं।

श्री एन. जनार्दन रेड्डी : वे केवल 11.2 प्रतिशत तक पहुंचे हैं।

श्री वी. धनंजय कुमार : उन्होंने हमेशा शिकायत की कि कृषि क्षेत्र चूककर्ता है। यह रवैया बदलना चाहिए। यहां यह समस्या क्यों है? मैं पुनः उसी बात पर आता हूं। जब तब हम पर्याप्त वित्तीय सहायता की व्यवस्था नहीं करते तब तक किसान इससे बाहर नहीं निकल सकते हैं।

अंतिम बात मेरे निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित है। श्री देवगौडा ने इस बारे में भी उल्लेख किया है। आज कॉफी, चाय, रबड, सुपारी, नारियल, रबड़, काजू आदि जैसे सभी वाणिज्यिक फसलों के उत्पादक भारी संकट में हैं; वे अपना गुजारा नहीं चला पा रहे हैं। मेरे विचार से सभी मेरी बात का समर्थन कर रहे हैं; मैं देख रहा हूं कि श्री राधाकृष्णन भी अपनी सहमति दे रहे हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : मैं रोज यह मुद्दा उठा रहा हूं।

श्री वी. धनंजय कुमार : भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही बाजार हस्तक्षेप योजना कृषक समुदाय के लिए बहुत अधिक सहायक नहीं है। मैं सरकार से अनुरोध करता

[श्री वी. धनंजय कुमार]

हूं कि वह अल्पावधिक उपाय के रूप में बाजार हस्तक्षेप योजना को जारी रखे। सरकार को यह योजना जारी करने हेतु राज्य सरकार को राजी करना चाहिए और न केवल मुख्य खाद्य पदार्थों के लिए अपितु वाणिज्यिक फसलों के लिए भी समर्थन मूल्य की घोषणा करनी चाहिए ताकि किसान इस कठिनाई से उबर सके। इस तरह हम अच्छे दिनों की प्रतीक्षा कर सकते हैं।

माननीय सदस्य तम्बाकू उत्पादकों के सामने आ रही समस्याओं के बारे में पहले ही संक्षेप में बोल चुके हैं...*(व्यवधान)*

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : महोदय, पीठासीन अधिकारी ने पहले ही दो बार हमारा नाम छोड़ा है। कांग्रेस वक्ता के पश्चात् हमें भी बोलने का मौका दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप इनके बाद बोल सकते हैं।

श्री वी. धनंजय कुमार : हमने 'जय किसान, जय जवान और जय विज्ञान' का नारा सुना है। मेरे विचार से 'जय विज्ञान' को 'किसान' को नवजीवन देना चाहिए। प्रयोगशालाओं में किए गए अनुसंधान खेतों तक पहुंचाए जाने चाहिए। तभी वैज्ञानिक कृषि संभव है और तभी उत्पादकता बढ़ सकेगी। यही एक समाधान है। जब तक हम उत्पादकता में सुधार नहीं करते, जब तक हम अपने उत्पाद बाजार में नहीं बेच पाते तब तक शायद स्थायी समाधान नहीं होगा। हम सभी को इस संबंध में संयुक्त रूप से प्रयास करना चाहिए और सरकार से आग्रह करना चाहिए कि वह कृषि क्षेत्र हेतु निश्चित आवंटन करे।

मुझे विश्वास है कि इस चर्चा से सभा किसानों की समस्याओं का स्थायी समाधान कर सकेगी।

[हिन्दी]

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री बसुदेव आचार्य जी द्वारा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर सदन में चर्चा उठायी गई है और मैं भी अपने विचार इस संबंध में रखना चाहता हूं।

महोदय, जैसा बताया गया है, कृषि के क्षेत्र में आजादी के बाद जीडीपी ग्रोथ में योगदान 50 प्रतिशत था, लेकिन आजादी के 50 सालों के बाद वह योगदान घटकर 24–25 प्रतिशत पहुंच गया है। इसके दूसरी तरफ हम देखें, तो हमारे देश में 75 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं। लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि किसान को अपनी पैदावार का मूल्य नहीं मिल रहा है, एक तरफ किसान को कम पैसा मिल रहा है और दूसरी तरफ कन्ज्यूमर को अधिक पैसा देना पड़ रहा है। लेकिन बिचौलिए अधिक से अधिक मुनाफा कमा रहे हैं। किसानों को भी कम मिल रहा है और खरीददार को ज्यादा देना पड़ रहा है। यह सिस्टम ठीक नहीं है। इस स्थिति पर सरकार को विचार करना चाहिए और देखना चाहिए कि किस तरह से इस समस्या का समाधान किया जाता सकता है।

हर प्रदेश में किसानों की अलग–अलग समस्यायें हैं और समस्याओं का समाधान न होने की वजह से वे आत्म–हत्या कर रहे हैं। आन्ध्र प्रदेश में कपास के किसानों ने पैस्टीसाइड पीकर आत्म–हत्या की। महाराष्ट्र के गन्ना किसानों को उनका लागत मूल्य नहीं मिल रहा और वे आत्म–हत्या कर रहे हैं। कर्नाटक के किसान भी आत्म–हत्या कर रहे हैं। केरल के किसान को प्लानटेशन का पैसा नहीं मिल रहा है, वे भी आत्म–हत्या कर रहे हैं। राजस्थान में सीकर के किसानों को प्याज का मूल्य नहीं मिल रहा है, इस वजह से वे भी आत्म–हत्या कर रहे हैं।

उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों को पैसा नहीं मिल रहा है, वे आत्महत्या कर रहे हैं। किसानों के अंदर जो आत्महत्या की होड़ लग गई है, उसका क्या कारण है? ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे देश में किसानों की बहुत बातें की जाती हैं, लेकिन ज्यादातर धनी किसानों का ही ध्यान रखा जाता है। हमारे देश में 20 प्रतिशत बड़े किसान हैं, मगर 80 प्रतिशत मझोले, गरीब और खेतीहर मजदूर हैं–उनके बारे में ज्यादा बात नहीं की जाती।

महोदय, मंत्री जी ने 400 प्रतिनिधि बताए मगर वे प्रतिनिधि धनी किसानों की वकालत करते हैं, गरीब, छोटे और मझोले किसानों की वकालत करने वाले लोग ज्यादा नहीं मिलते। उन्हें जो सुविधाएं मिलती हैं–चाहे ट्रेक्टर, रास्ते, खाद, बैंक या एक्सपोर्ट की सुविधा हो, उसे 20 प्रतिशत जो बड़े किसान हैं, वे ही उसे प्राप्त करते हैं, छोटे किसान जो 80 प्रतिशत हैं उन्हें यह सुविधा नहीं मिलती। हमारे हिन्दुस्तान का 50 साल का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही रहा है कि सरकार ने भूमि सुधार करने पर ध्यान नहीं दिया। उसी का परिणाम है कि कुछ बड़े–बड़े लोग जमीनों पर कब्जा करके बैठे रहते हैं, बेनामी कब्जा करके रखे हैं। ऐसा करते हुए, उन्होंने भूमि सुधार को चौपट तथा छोटे और मझोले किसानों का सत्यानाश कर दिया है। बाद में जब हरित क्रान्ति हुई तो उसे पूरे देश में फैलाने का काम करना चाहिए था मगर हमारी गलत नीतियों के कारण यह काम नहीं हुआ, इसीलिए आज यह समस्या आ रही है। हर

जगह से किसानों द्वारा आत्महत्या की खबरें आ रही हैं, जो चिन्ता की बात है।

आज आपने किसानों की समस्याओं को चर्चा का विषय बनाया, यह अच्छी बात है। सम्भव है, सब की सहमति से शायद उनका कुछ हल निकल आए। हमारा देश तभी बचेगा जब किसान बचेगा–किसान बचेगा तो देश बचेगा–इस स्लोगन को हम क्रियान्वित कर सकते हैं। यहां किसानों की बहुत सी समस्याओं के बारे में बताया गया, किसान को इनपुट्स मिलने में समस्या है। उसे समय पर सही बीज नहीं मिलता है। आजकल विदेशी बीज आ रहा है, उसे वे बोते हैं तो उसके अलग–अलग नतीजे आते हैं। उसके बाद उनका इतना खर्च बढ़ जाता है कि कोई उसे एफोर्ड नहीं कर सकता है, इसलिए आत्महत्याएं बढ रही हैं। इनपुट्स भी दो नम्बर का आ रहा है, इस कारण भी किसान मर रहा है। फर्टिलाइजर, सीड्स आदि सारे इनपुट्स की गारंटी किसानो को सही समय में मिले, इसका क्या इंतजाम हो सकता है, इसके लिए एक सहमति से एक रास्ता निकालना बहुत जरूरी है।

महोदय, मार्केटिंग फैरिलिटी भी किसान को ठीक से उपलब्ध नहीं है। वह सामान बनाता है लेकिन उसे बेचने की ठीक से जगह नहीं है। उसके लिए उसे मंडी में पहुंचना भी मुश्किल हो जाता है। बाजार न मिलने के कारण छोटे और मझोले किसान सबसे ज्यादा मरते हैं क्योंकि वे अपना सामान गांव से शहर तक नहीं पहुंचा सकते। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि ऐसे किसानों के लिए बाजार और मार्केटिंग की व्यवस्था ज्यादा बढानी चाहिए। बाजार को किस तरह मजबूत किया जा सकता है–मिडलमैन को घटाने से यह समस्या काफी हल हो सकती है। महाराष्ट्र का प्याज का एक रुपये का बोरा हम छः रुपए में खरीद रहे हैं। इसमें मिडलमैन बीच में खा रहा है। अगर मिडलमैन बीच में से निकल जाता है तो यह समस्या हल हो सकती है। मिडलमैन को बीच में से निकालना चाहिए, मगर इसके पीछे जो पोलिटीकल पार्टियां हैं, उनका बल है। चदे, बाहुबल और ताकत से मिडलमैन सारी पोलिटीकल पार्टियों को पीछे से मदद करता है, इस कारण ये उन्हें छूने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए 50 सालों में सबसे मजबूत मिडलमैन हुआ और इसके कारण किसान भी मर रहा है, लूट रहा है। दूसरी तरफ जो खरीददार और उपभोक्ता है, उसे भी लूट रहा है। इस समस्या को किस तरह दूर किया जा सकता है, इस पर भी सरकार का ध्यान जाना जरूरी है।

इसके साथ–साथ ऋण की भी समस्या है। हमारा किसान लोन लेकर जन्म लेता है, लोन के साथ जीता है, बेटे के ऊपर लोन थोपकर मर जाता है और इस तरह पीढ़ियों तक यह लोन चलता रहता है।

आज भी देश में इतनी संस्थाएं हैं लेकिन वे अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करती हैं। बैंक तो 11–12 प्रतिशत से कम दर पर पैसा देता नहीं है, इसलिए यह जिम्मेदारी भी सरकार को पूरी करनी पड़ेगी। सरकार को देखना पड़ेगा कि वित्तीय संस्थाएं किस प्रकार से किसानों को सस्ता और सुलभ ऋण दें। सरकार को मजबूती से इस बात को देखना पड़ेगा कि किसानों की आर्थिक मदद हो, ऋण उन्हें ठीक समय पर मिले।

आज कृषि के क्षेत्र में नयी तकनीक आ रही है लेकिन हमारी जो एक्सटेंशन सर्विसेज हैं उनके बारे में सरकारी ऑफिसर्स का काम है कि वह इस बारे में किसानों को सचेत करे, उन्हें आधुनिक तकनीक के बारे में बताए, उन्हें उसके प्रयोग के बारे में सिखाए। पहले जो किसान को सिखाया था वह तकनीक पुरानी हो चुकी है और नयी तकनीक को सिखाने के लिए आज कोई नहीं है। फूड प्रौसेसिंग की नयी तकनीक, खाद कैसे डाला जाए, कितनी मात्रा में डाला जाए–यह सब सिखाने वाला किसान के लिए कोई नहीं है। ऋण किसान को कैसे मिलेगा, यह बताने वाला कोई नहीं है। वही पुरानी तकनीक चल रही है और एक्सटेंशन सर्विसेज का आधुनिकीकरण नहीं किया गया है। इन सब बातों की जानकारी किसान को मिले, इसकी जिम्मेदारी भी सरकार को लेनी चाहिए।

आज कृषि में नियोजन कम हो रहा है। हमारी छठी योजना में नियोजन पर 10 प्रतिशत खर्च होता था लेकिन वह घटते–घटते पाच प्रतिशत से भी नीचे आ गया है। पैसे वौल्यूम बढ गया है लेकिन प्रतिशत, प्रति व्यक्ति के हिसाब से देखें तो वह कम हो गया है और होता जा रहा है। हमारे 75 प्रतिशत किसानों को बचाने के लिए इतने नियोजन से कार्य पूरा नहीं हो सकता। सरकार को देखना चाहिए कि उसका प्रतिशत चाहे 15 हो या 20 हो लेकिन वह किसान के हित के लिए कंप्लसरी करना चाहिए। आज कृषि के क्षेत्र में पूंजी–निवेश नहीं हो रहा है। सरकारी निवेश घट रहा है और प्राइवेट लोग इस क्षेत्र में पूंजी लगाना नहीं चाहते हैं। इसलिए यह सरकार की जिम्मेदारी है कि कृषि के क्षेत्र में पूजी निवेश करें और किसानों के हित के लिए सभी पक्षों से मिलकर इस विषय में कोई योजना बनाने की कोशिश करें।

अध्यक्ष जी, एमएसपी का जहा तक सवाल है, वह ठीक समय पर नहीं मिलता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य ठीक से न मिलने के कारण किसानों की परेशानियां बढ रही हैं। उत्तर

[श्री हन्नान मोल्लाह]

प्रदेश और महाराष्ट्र का किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य ठीक न मिलने के कारण कितना परेशान है, उसकी चर्चा सदन में पहले हो चुकी है।

हमारे देश में 50 हजार करोड़ रुपये की फसल ठीक से रख–रखाव न होने के कारण बर्बाद हो जाती है। पैरिशेबल–गुड्स को बचाने के साधन और उपाय सरकार ने नहीं किये हैं। आज किसान के सामने उसके रख–रखाव की समस्या सबसे अधिक है। सरकार द्वारा पैरिशेबल–गुड्स को बचाने के जितने उपय किये जाने चाहिए वह आज नहीं हो रहे हैं। सरकार को इस समस्या की ओर भी ध्यान देना चाहिए।

खाद के बारे में बताया गया है कि खाद के कारखाने बंद हो रहे हैं जबकि आज कृषि में ज्यादा से ज्यादा फर्टिलाइजर की जरूरत है। खाद आप बाहर से आयात कर रहे हैं और देश के कारखानों को आप बंद कर रहे हैं। यह बात ठीक नहीं है। इस पर भी सरकार को विचार करना चाहिए। हमारी जो दालें हैं उनका उत्पादन भी आज नहीं बढ़ रहा है और सरकार उनका आयात कर रही है। आयात करने में सरकार का स्वार्थ है। जितना बाहर से उनका आयात होगा, उतने ही बिचौलिये होंगे और उन बिचौलियों को फायदा होगा। ऑयल–सीड्स और दालों का उत्पादन बढ़ाने से हमारे किसानों को ज्यादा फायदा मिल सकता है, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है।

सबसिडी के बारे में पूर्ववक्ताओं ने बताया कि अमेरिका 180 बिलियन डॉलर सबसिडी देता है लेकिन हम एक बिलियन डॉलर ही देते हैं। मतलब उसका एक हिस्सा सबसिडी देते हैं। इसके लिए भी बाहर के कई मुल्क चिल्ला रहे हैं। सरकार डब्ल्यूटीओ में किसानों के हक की लड़ाई लड़ने में कामयाब नहीं रही। उसे किसानों को बचाने के लिए वहां ठीक ढंग से लड़ाई लड़नी चाहिए थी। सरकार की इसमें कमी रही है। यह भी हमारे सामने एक समस्या है। हमें किसानों की समस्याओं को सामूहिक रूप से देखना चाहिए। हमारा किसान धनी किसान नहीं है। वह मझौला और गरीब किसान है। हमारे यहां 14–15 करोड़ खेतिहर मजदूर हैं। उनके बिना खाद्यान्न का उत्पादन नहीं हो सकता। आज खेतिहर मजदूरों की हालत खराब है। उसके लिए न कोई कानून है और न ही चिकित्सा का प्रबंध है। उनकी समस्याओं की तरफ देखना जरूरी है। यदि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बचाना है तो सरकार को सामूहिक रूप से एक पॉलिसी बनानी चाहिए तभी किसान बच सकता है। जैसी इस समय सरकार की पॉलिसी है, उससे किसान बच नहीं सकता है। अगर इस तरफ ध्यान नहीं दिया तो ज्यादा से ज्यादा आत्महत्या की खबरें आएंगी और वे एक दिन उल्टा रास्ता अपनाएंगे। आज किसान जो चुपचाप बैठे हैं, वे ज्यादा दिन चुपचाप नहीं बैठेंगे। किसान जागेगा तो कृषि क्रांति देश को उलट–पलट कर सकती है–यह बात सरकार को ध्यान में रखनी चाहए। इतना ही कहकर और धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री रतन लाल कटारिया (अम्बाला) : अध्यक्ष महोदय, भारतवर्ष में किसानों की समस्याएं तब से ही चली आ रही हैं, जब से हमारा देश स्वतंत्र हुआ। यद्यपि हर सरकार ने किसानों की ओर ध्यान देने की कोशिश की।

अपराह्न 5.42 बजे

(श्री पी. एच. पांडियन *पीठासीन हुए*)

जिस किसान को भारत की रीढ़ की हड्डी समझा जाता है, आजादी के पिछले 50 वर्षों में उसकी ओर समुचित ध्यान नहीं दिया गया। आज सारा सदन किसानों की समस्याओं के ऊपर विचार कर रहा है। समस्याएं आज भी हैं लेकिन मैं माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने सत्ता संभालते ही टोटल बजट का 58 परसैंट किसानों पर खर्च करने का संकल्प लिया। उसी का परिणाम है कि आज किसानों की दशा सुधारने के लिए हमने कई किसानों को क्रेडिट कार्ड दिए और फसल बीमा योजना लागू की। आज जब देश के किसानों को इस सदी के भयंकर सूखे का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा तो प्रधान मंत्री जी आगे बढकर आए और उन्होंने न केवल दो हजार करोड़ रुपए की राशि किसानों को पैकेज के रूप में दी बल्कि इससे अलग 1186 करोड़ रुपये का प्रावधान किसानों के लिए किया। एक मिलियन 36 लाख मीट्रिक टन अनाज जिस की लागत 1500 करोड़ रुपए के लगभग बनती है, इतनी राशि का अनाज विभिन्न प्रदेश सरकारों को दिया जिससे आम किसानों के सामने जो भी समस्याएं आ रही हैं, उनका समाधान हो सके।

कल जो आर्थिक समीक्षा सदन के सामने रखी गई, उसे देख कर लगता है कि पहले तीन बार जब–जब भी देश में सूखा पड़ा,

सूखे के परिणामस्वरूप देश की मुद्रास्फीति दर दो अंकों में प्रवेश कर जाती थी। हमें विदेशों से अनाज मंगवाना पड़ता था। इतना ही नहीं, जब हम विदेशों से अनाज मंगवाते थे,

दूसरे देश हमारी आंतरिक पालिसीज में हस्तक्षेप करने की कुचेष्टा करते थे। मुझे याद है आज से 35 वर्ष पहले 1967–68 में जब भी हमारे नेता को किसी बाहर के देश में जाना पड़ता था तो हमारे नेताओं के कार्टून अखबरों में छपते जिसमें लिखा होता थाः 'दे दे, अल्ला के नाम पर दे दे, इंटरनेशनल फकीर आये हैं' ये पैसा मांगने आये हैं या रुपया मांगने आए हैं।' मैं माननीय श्री वाजपेयी जी को बधाई देना चाहता हूं कि उनके साढ़े चार साल के शासनकाल में विदेशी मुद्रा को 64 बिलियन डालर तक पहुंचा दिया। इतना ही नहीं, आज हमारे देश में 60 लाख मिलियन टन अनाज गोदामों में भरा पड़ा है। आज मुद्रास्फीति की दर 3 परसेंट या उससे कम है वरना जब भी इस तरह की बातें होती हैं तो मुद्रास्फीति की दर भी बढ़ जाया करती है। हम समझते हैं कि आज किसानों को उनकी फसलों का लाभप्रद मूल्य मिलना चाहिए लेकिन यह नेतृत्व पर निर्भर करता है कि राज्य सरकार का केन्द्र सरकार से किस प्रकार का सहयोग रहना चाहिए।

सभापति महोदय, पिछले वर्ष जिस प्रकार पंजाब और हरियाणा में धान की फसल को लेकर समस्या आई, उस समय पंजाब के पूर्व मुख्य मंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल और हरियाणा के वर्तमान मुख्य मंत्री प्रधान मंत्री जी से मिले और सारे धान को उठाने का बंदोबस्त कराया जिससे किसानों की समस्या का हल हुआ। पंजाब के वर्तमान मुख्य मंत्री किसानों के लिए राहत लेने नहीं आये, बल्कि मीडिया में अपनी वाह–वाही लेने के लिए प्रधान मंत्री निवास पर धरने पर आकर बैठ गये। अच्छा होता यदि वे प्रधान मंत्री जी मिलने के लिए समय फिक्स करते और पंजाब के किसानों को आ रही धान की समस्या को हल कराते। आज हमारे विरोधियों ने आसमान सिर पर उठा रखा है।

[अनुवाद]

श्री जे. एस. बराड़ : महोदय पंजाब के मुख्यमंत्री ने यहां आकर प्रधान मंत्री से अनुरोध किया था कि वे राज्य को खरीद के लिए सहायता दें। उन्हें कि उनके निवास पर गिरफ्तार किया गया था। इसलिए, यह सच नहीं है कि वे केवल प्रचार के लिए यहां आए थे। वे राज्य के किसानों की समस्या की वकालत करने यहां आए थे।

[हिन्दी]

श्री रतन लाल कटारिया : वे किसानों की भलाई के लिये नहीं बल्कि सस्ती लोकप्रियता अर्जित करने के लिये आये थे। मैं सदन को बताना चाहूंगा कि आज राजस्थान में लोग भूख से मर रहे हैं, मध्य प्रदेश के अंदर मर रहे हैं और कांग्रेस शासित प्रदेशों में इसी प्रकार की समस्यायें आ रही हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : वाद–विवाद किसानों के कल्याण के मुद्दे उठाने के लिए है न कि राजनैतिक मुद्दे उठाने के लिए।

[हिन्दी]

श्री रतन लाल कटारिया : सभापति महोदय, मैं फार्मर्स की बात कर रहा हूं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 1982 में हरियाणा में कांग्रेस सरकार थी। उस समय केवलमात्र एक रुपया गन्ने का मूल्य बढ़ाने की मांग की गई और हरियाणा के किसान यमुना नगर में गये। उस समय की सरकार ने उन्हें घोड़ों की खुरों के नीचे कुचलवा दिया, गर्म पानी के फव्वारे छोड़ दिये, और ये लोग किसानों के दर्द की बात कर रहे हैं। किसानों की बेसिक समस्या को हल करने के लिए एक लौंग टर्म पॉलिसी बनाने की जरूरत है।

जहां तक धान की बात हो रही है, यदि भारत सरकार भी वैल्यू एडिशन प्रणाली अपनाए तो वह भी जापान की भांति धान की बायो प्रोडक्ट्स से धान की फसल की कीमतों में 200 रु. से 250 रु. प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी करा सकती है। हम चाहते हैं कि जो वैल्यू बेस्ड एडीशनल चीजें हैं, धान कूटने के बाद जो बाई–प्रोडक्ट्स निकलते हैं, उनका फायदा उठाया जा सकता है। इसी तरह से गेहूं की कीमतों को स्थिर रखने के लिए उसकी बाई–प्रोडक्ट्स के उपयोग हेतु फूड प्रोसेसिंग प्लान्ट्स सारे देश में लगाये जा सकते हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि आज जो बातें सामने आ रही हैं, उनमें कई बार किसान जब अपने खेतों में कीटनाशक दवाइयां छिड़कते हैं तो वह दवाई नाक में चढ़ जाने की वजह से कई बार उनकी मृत्यु हो जाती है। मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार एक डाक्टर को इस बात का लाइसेंस दिया जाता है कि वह गांवों में जाकर मनुष्यों की बीमारियों को डायग्नोस करे, उसी तरह से जो एग्रीकल्चर में रिसर्च करके डाक्टर बनते हैं, उन्हें भी लाइसेंस दिये जाएं कि वे गांवों में जाकर प्रैक्टिस करें और किसानों को प्रशिक्षित करें कि उन्हें कितना बीज और खाद डालनी है। कौन सी खाद एडल्ट्रेटिड है और कौन सी पेस्टीसाइड का क्या प्रभाव है। इस तरह की परमीशन देने से देश की बेरोजगारी भी मिटेगी और किसानों की समस्याएं भी थोड़ी कम होंगी।

[श्री रतन लाल कटारिया]

सभापति महोदय, आज हम ड्राई लैंड फार्मिंग सिस्टम अपनाकर अपने देश को इजराइल की तरह कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ा सकते हैं। हम यह मानते हैं कि देश की आजादी के 55 साल बीतने के बाद भी टोटल इरीगेटिड एरिया बिलो 40 परसेन्ट है। इसके लिए माननीय प्रधान मंत्री जी ने इनीशिएटिव लिया है कि देश की सारी नदियों को इस तरह से मिला दिया जाए ताकि उनके पानी को समुद्र में जाने से रोक दिया जाए तथा उस पानी को देश में इरीगेशन के काम में लाया जाए।

हरियाणा प्रदेश में आज भी एस.वाई.एल. नहर के निर्माण का काम पूरा नहीं हुआ है। मैं इस महान सदन के माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक डैडलाईन दी है कि 15 जनवरी, 2003 तक एस.वाई.एल. नहर के निर्माण का कार्य पूरा हो जाना चाहिए। लेकिन पंजाब सरकार ने इस बारे में अभी तक कोई कार्यवाई नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट ने जो डैडलाइन दी है, वह भी नजदीक आ रही है। हम चाहेंगे कि अगर पंजाब सरकार एस.वाई.एल. नहर को न बनाये तो भारत सरकार उसमें इंटरवीन करे और हरियाणा के किसानों को उनके हिस्से का पानी प्रदान कराए।

मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि इस थोड़े से समय के अंदर इसने नौवीं योजना के अंतर्गत 99 मिलियन 76 हेक्टेयर भूमि के लिए पानी का प्रबंध किया है यानी उसे पानी के लायक बनाया है और देश के अंदर जो छोटी-बड़ी 3596 मेजर तथा माइनर इरीगेशन प्रोजेक्ट्स थे, उन पर कार्यवाही की गई। अब भी भारत सरकार 207.77 मिलियन हेक्टेयर और जमीन को सिंचित करना चाहती है। उसके लिए भारत सरकार ने 8480 करोड़ रुपये की प्रोजेक्ट्स बनाई हैं, जिनमें राज्य सरकारों को मदद दी जायेगी। इस मद में 2800 करोड़ रुपये राज्य सरकारों को वर्ष 2002-2003 में दिये गये हैं। इससे देश में इरीगेटिड एरिया को बढ़ाने में हमें मदद मलेगी।

महोदय, देश के विभिन्न क्षेत्रों में पंजाब और हरियाणा के किसानों के सामने पैडी और गेहूं की समस्या है। इसी तरह से पश्चिम बंगाल में पटसन की समस्या है तथा देश में जो हिस्से कॉफी, रबड और चाय आदि का उत्पादन करते हैं, उनकी भी समस्याएं हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी ने उनकी समस्याओं को हल करने के लिए पांच सौ करोड़ रुपये का पैकेज प्लान्टेशन स्कीम के अंतर्गत दिया है। मैं प्रधान मंत्री जी को इसके लिए बधाई देना चाहता हूं।

इसी तरह देश की आजादी के बाद यह पहली सरकार है, जिसका ध्यान नॉर्थ ईस्ट की तरफ गया है और जिसके बारे में नॉर्थ ईस्ट के अंदर न केवल एग्रीकल्चर सैक्टर में तरक्की हो रही है, बल्कि वहां जो मिलिटेन्सी थी, उसको कम करके जो मिलिटेन्ट्स थे, वे भारत सरकार के साथ टेबल पर वार्ता करने के लिए तैयार हुए हैं। इसका श्रेय सरकार को जाता है। आज जिस प्रकार विपक्ष ने किसानों की समस्याओं के बारे में हो-हल्ला मचा रखा है, वस्तुस्थिति वह नहीं है। हमारी सरकार किसानों के हकों के प्रति दृढ-संकल्प है और हमारा मानना है कि भारत के किसान भारत की रीढ़ की हड्डी हैं और कोई भी व्यक्ति, कोई भी सरकार अगर इस रीढ की हड्डी को कमजोर करने की कोशिश करती है तो वह देश के साथ खिलवाड़ करती है। हम यह नहीं चाहते कि जिस प्रकार कांग्रेस शासनकाल में किसानों के साथ होता आया कि उनके प्रधान मंत्री हाथी पर बैठकर गांवों में जाया करते थे और किसानों की बात किया करते थे, सत्ता की कुर्सी पर बैठने के तुरंत बाद उनको टाटा, बिड़ला, डालमिया और मफतलाल जैसे लोगों की याद आती थी और किसानों के हितों को वे भूल जाते थे, लेकिन आज देश के प्रधान मंत्री के पद पर एक ऐसा सामान्य व्यक्ति का बेटा बैठा है जिसके दिलो-दिमाग पर किसानों के बारे में हर रोज तड़प रहती है और जब भी कोई अवसर आया है, उन्होंने किसानों की समस्याओं को सुनकर भरपूर राहत पहुंचाने की कोशिश की है।

इतना ही नहीं, इस सरकार के रहते हुए, उडीसा में जब जबर्दस्त साइक्लोन आया, हमने समय रहते न केवल आम जनता को बल्कि वहां के किसानों को नए बीज, नई-नई किस्म की जो भी राहतें उनको प्रदान कर सकते थे, चाहे वह फर्टिलाइजर की समस्या थी या जो भी समस्याएं थीं, उनकी समस्याओं को हमने सॉल्व किया। साथ ही, पिछले वर्ष 26 जनवरी को जब भुज में भूकंप आया और सारी की सारी कृषि व्यवस्था प्राकृतिक प्रकोप से नष्ट हो गई तो वहां पर हमने न केवल किसानों की समस्याओं का समाधान किया, बल्कि एक नया भुज शहर वर्तमान सरकार ने बनाकर दिया जिससे किसानों की समस्याओं का समाधान हुआ।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री रतन लाल कटारिया : सभापति जी, अभी तो मेरा

तवा गरम होने लगा है। महोदय, मैं हरियाणा से आता हूं ...*(व्यवधान)* महोदय, मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूं। कृपया मुझे कुछ और समय दीजिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आपके दल के नौ माननीय सदस्यों ने इस वाद–विवाद में हिस्सा लेने हेतु अपना नाम दिया है। इसलिए, कृपया शीघ्र अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री रतन लाल कटारिया : मैं केवल पांच मिनट का और समय लूंगा।

सभापति महोदय : आपने अधिक समय ले लिया है। कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री रतन लाल कटारिया : महोदय, आज जो हम पर किसानों की अनदेखी करने का आरोप लगा रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा कि यह वर्तमान सरकार के समय में ही सम्भव हुआ है कि भारत दूध उत्पादन में दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। गेहूँ उत्पादन में हम दुनिया में सबसे बड़े देश बन गए हैं और फूड प्रोडक्शन में हमने ब्राजील जैसे देश को भी पछाड़कर अपना स्थान बनाया है। आज हमने एक वर्ष के अंदर 27 हजार करोड़ रुपये की एम.एस.पी. के ऊपर गेहूं और चावल की खरीद की, जो आजादी के बाद आज तक का सबसे बड़ा रिकार्ड है कि किसानों की ओर इतना ध्यान दिया गया। आज भी बहुत सी समस्याएं जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के सामने आ रही हैं, हम चाहते हैं कि हमारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को बूस्ट किया जाए। हाई क्वालिटी एजुकेशन किसानों के बच्चों को दी जाए ताकि उनके खेतों में जो भी पैदावार होती है, उसके बारे में उनको पूरी जानकारी रहे।

सायं 6.00 बजे

सभापति महोदय, इसी प्रकार से जो खेतिहार मजदूर हैं ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं सभा से जानना चाहता हूं कि क्या वह छह बजे के बाद सभा की कार्यवाही कर सकती है।

अनेक माननीय सदस्य : जी हां, समय बढ़ाया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : यहां बोलने के लिए 30 सदस्य बाकी हैं। इसलिए, हमने आठ बजे तक समय बढ़ाया है।

श्री टी. एम. सेल्वागनपति (सेलम) : क्या यह सोमवार तक भी बढ़ाया जा सकता है?

सभापति महोदय : इस चर्चा को हम आठ बजे तक बढ़ाएंगे। यदि अभी भी कोई माननीय सदस्य इस चर्चा में भाग लेना चाहते हैं तो इसे सोमवार को भी जारी रखा जाएगा।

[हिन्दी]

श्री रतन लाल कटारिया : सर, मैं सोमवार को बोलूंगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री कटारिया आपने अपना भाषण 5.42 बजे आरंभ किया था। आप 20 मिनट बोल चुके हैं। कृपया अब समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री रतन लाल कटारिया : सर, मैं लास्ट में यह कहना चाहता हूं कि दोहा के अंदर जो डब्ल्यू.टी.ओ. का सम्मेलन हुआ उसमें भारत ने कृषि संबंधी मुद्दों पर बढ़–चढ़कर भाग लिया और दुनिया के सामने भारत का पक्ष रखा, लेकिन मैं फिर भी आदरणीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि कृषि के संबंध में विश्व व्यापार संगठन के जो भी प्रावधान हैं, उनके अनुसार जो भी समझौते आगे होंगे, उनमें भारत के किसान के हितों की रक्षा के लिए पूरी तैयारी रखे।

अंत में, मैं यही कहना चाहूंगा कि भारत सरकार किसानों के हकों के प्रति जागरूक है और हम किसी भी कीमत पर अपने देश के किसानों की हानि नहीं होने देंगे।

[अनुवाद]

श्री ए. ब्रह्मनैया (मछलीपटनम) : माननीय सभापति महोदय, मुझे बोलने का मौका देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। स्वतंत्रता के 55 वर्ष बाद भी कृषि क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य क्षेत्र है। यह हमारे देश की अर्थव्यवस्था अर्थात् सकल घरेलू उत्पाद में 30 से 35 प्रतिशत का योगदान देता है। आज भी हमारी 60 से 70 प्रतिशत जनता कृषि क्षेत्र और कृषि आधारित उद्योगों पर निर्भर है। इस संबंध में भारतीय कृषि पर महान अर्थशास्त्री की राय उद्धत करना चाहता हूं :

> "भारतीय किसान कर्ज में पैदा होता, कर्ज में जीता है और अंततः कर्जे में ही मर जाता है।"

[श्री ए. ब्रह्मनैया]

इसके अतिरिक्त, भारतीय कृषि भी जुए की तरह है। हालांकि हमने सूचना प्रौद्योगिकी में काफी अच्छे परिणाम प्राप्त किए हैं फिर भी हमारे देश में सूखा चक्रवात आते रहते हैं। हमारी प्रौद्योगिकी इतनी उन्नत नहीं हुई है कि वह हमारे देश के सूखे की स्थिति और चक्रवार के बारे में पता लगा सके या उसे आने से रोक सके।

जैसा कि हम जानते हैं, इस वर्ष लगभग 14 राज्यों को सूखे का सामना करना पड़ रहा है। विशेष रूप से आन्ध्र प्रदेश में 23 जिलों में से 22 जिले सूखाग्रस्त घोषित किये गये हैं। हालांकि किसान धान, गेहूं, गन्ना, कपास, मिर्ची और कोपरा का उत्पादन कर रहे हैं फिर भी उन्हें उसकी पूरी कीमत नहीं मिल पा रही है। भारतीय किसानों के सामने यह एक मुख्य समस्या है। कृषि उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के लिए अनेकों उपाय किए गये हैं।

महोदय, जहां तक खरीद नीति का प्रश्न है हाल के बजट में हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि यह राज्य सरकार का कर्त्तव्य होगा कि वह स्वयं ही खरीदने, वितरित करने और भंडारण की व्यवस्था करे। ऐसे नाजुक समय में जबकि ऐसे राज्यों को भीषण समस्याओं और आर्थिक संकट का सामना विशेषकर कृषि क्षेत्र में करना पड़ रहा है, यह निर्णय इन राज्यों के अनुकूल नहीं है। मैं अपने माननीय कृषि मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि हाल ही के बजट में आरंभ की गयी इस नीति को बदला जाय और उन राज्यों में कुछ आधारभूत संरचना का विकास किया जाय ताकि उनकी अपनी खरीद, भंडारण और वितरण व्यवस्था हो।

जहां तक आदानों का प्रश्न है, आदानों पर राजसहायता कम की गई है जिसके परिणामस्वरूप उर्वरकों और कीटनाशकों की कीमतों में वृद्धि हुई है और समस्त कृषक समुदाय को विदेशी उर्वरक कंपनियों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। इसलिए, हमें अपने घरेलू उर्वरक उद्योगों के संरक्षण के लिए बहुत सावधान रहना चाहिए ताकि भारतीय किसान विदेशी उद्योगपतियों की अनुकम्पा पर न रहें।

जहां तक डब्ल्यूटीओ समझौते का प्रश्न है, इस समझौते और नयी आर्थिक नीति की वजह से लगभग 800 वस्तुओं पर प्रतिबंध हटाया गया है। इससे आयातित वस्तुओं की एक बाढ़ सी आ जायेगी और हमारे बाजार पर उसका कब्जा हो जाएगा जिसके विपरीत परिणाम हमारे खाद्यान्नों, दलहनों और तिलहनों पर पड़ेगा। इसका नतीजा यह होगा कि देश का कृषि उद्योग और कृषक समुदाय आवश्यक संरक्षण से वंचित हो जाएगा और ऐसी कठिन परिस्थिति में डब्ल्यूटीओ के सदस्य देश सुधारों का दूसरा चरण आरंभ करेंगे और यह हमारी प्रगति का सबसे बड़ा रोड़ा होगा। भारतीय किसान अमरीकी और यूरोपीय किसानों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में नहीं हैं। इसलिए भारतीय किसानों की दी जाने वाली राजसहायता को कम करने से कृषि क्षेत्र पर इसके प्रतिकूल प्रभाव पडेंगे।

भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने इस राजसहायता पर विस्तार से प्रकाश डाला है कि विकसित देश जैसे अमरीका, जापान और यूरोपीय देश, जहां की पांच प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, 60 से 70 प्रतिशत राजसहायता देती है, जबकि हमारा देश पूरे उत्पाद पर 3 प्रतिशत ही राजसहायता देता है जो कि अत्यल्प धनराशि है।

अमरीका में किसानों के निर्यात पर दी जाने वाली कुल राजसहायता 343 बिलियन डालर है। इस संबंध में मैं आगे यह भी कहना चाहता हूं कि अमरीका में प्रति हेक्टेयर 2000 डालर की राजसहायता दी जाती है जापान में यह 700 डालर है, यूरोपीय देशों में यह 11,000 डालर है परन्तु भारत में यह केवल 17.8 डालर है। यह है संपूर्ण परिदृश्य। इसलिए कृषि क्षेत्र और कृषक समुदाय का संरक्षण किया जाना चाहिए। जबकि विदेशों में आज विपणन और खाद्य उत्पाद पर राजसहायता बढ़ाई जा रही है और हम यहां इसे कम कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आन्ध्र प्रदेश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे उठाना चाहता हूं। जैसा कि मैंने पहले कहा है आन्ध्र प्रदेश के 23 में से 22 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। एक केन्द्रीय दल ने आन्ध्र प्रदेश का दौरा किया और इसने कुल 4,000 करोड़ रुपये के नुकसान का अनुमान लगाया। हमारे माननीय मुख्य मंत्री श्री चन्द्रबाबू नायडू ने केन्द्र सरकार से 1020 करोड़ रुपये की राशि राहत के तौर पर जारी करने और 18 लाख मीट्रिक टन चावल प्रदान करने का अनुरोध किया है। इस वर्ष 34 से.मी. वर्षा कम हुई है और फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। यहां तक कि कृष्णा डेल्टा जो एक उपजाऊ भूमि है और जहां पानी निश्चित ही होता है, वहां भी सूखे की स्थिति के कारण अच्छी फसल नहीं हो पायी है।

इन परिस्थितियों में हमारे मुख्य मंत्री ने कर्नाटक के मुख्य मंत्री माननीय श्री कृष्णा से फसलों को बचाने और सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए पानी छोड़ने का अनुरोध किया था परन्तु उन्होंने एक बूंद पानी नहीं दिया।

मैं माननीय कृषि मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि वे कौन से मार्ग निर्देश हैं जो राहत के निर्धारण के समय अपनाए जाते हैं। आन्ध्र प्रदेश को इस वर्ष केवल 175 करोड़ रु. ही दिए गये हैं। स्थिति गंभीर है। आन्ध्र प्रदेश ने पिछले 100 सालों में इस प्रकार के सूखे का सामना नहीं किया है। इसलिए मैं पुनः केन्द्र सरकार से ऐसी स्थिति से निपटने के लिए शीघ्र और निधि जारी करने का अनुरोध कर रहा हूं।

एक अन्य मुद्दे जिसे, सामान्य तौर पर, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं वह है फसल बीमा नीति। हमने कई बार कृषि पर बनी समिति में यह मामला हमारे प्रधान मंत्री और हमारे कृषि मंत्री के समक्ष उठाया है। वे मंडल को एक इकाई के तौर पर ले रहे हैं। हो सकता है पूरा मंडल प्रभावित न हुआ हो कम से कम पंचायत को एक इकाई के तौर पर लेना चाहिए। संबंधित अधिकारी तीन या चार वर्षों के औसत को ध्यान में रख रहे हैं। यह सही नहीं है। किसान सहकारी और व्यावसायिक बैंकों से कर्ज ले रहे हैं। इसमें से फसल बीमा नीति के अंतर्गत तीन प्रतिशत राशि कम कर दी गई है। इसलिए ऐसी कठिन परिस्थिति में मेरा अनुरोध यह है कि देश के 14 राज्यों के किसानों की फसलों का बीमा किया जाना चाहिए और फसल बीमा से संबंधित नियमों में ढील दी जानी चाहिए। अन्यथा, कठिन परिस्थिति में हमारे किसान इन परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाएंगे और वे इन परिस्थितियों से उबर नहीं पाएंगे। इसलिए इस पहलू पर विचार किया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त मैं ऐसे कुछ उपायों का सुझाव देना चाहूंगा जिसको ध्यान में रखा जाना चाहिए और देश में किसानों को सुविधाएं दी जानी चाहिए। पहला यह है कि कृषि के क्षेत्र में नवीनतम अनुसंधान उदाहरण के लिए जैव–प्रौद्योगिकी और आनुवांशिक बीज को आरंभ किया जाना चाहिए। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले किसानों तक भी इसका फायदा पहुंचना चाहिए। ये सुविधाएं या फायदे छोटे और सीमांत किसानों को मिलनी चाहिए। दूसरा यह कि ज्यादा उपज देने वाले बीज की किस्म का विकास करना, सरकारी क्षेत्र की बीज उत्पादन एजेन्सियों जो भ्रष्टाचार में लिपटे हुए को बंद करना हैं।

यह बात सर्वविदित है कि खाद्य अपमिश्रण की तरह बीजों में भी मिलावट की जा रही है। इसलिए, देश के किसानों के हित रक्षण हेतु इस बात पर भी गौर किया जाना चाहिए ...*(व्यवधान)* मैं केवल दो मिनट का समय लूंगा।

दूसरी बात यह है कि सरकार को बीजों और कीटनाशकों से संबंधित कानूनों में बदलाव लाना चाहिए है। सरकार को कृषि उपकरणों और आधुनिक कृषि उपस्करों की सुविधा पहुंचाने के लिए पांच गांवों की एक इकाई बनाकर किसानों के क्लब और सोसायटियों की स्थापना करने के लिए कदम भी उठाने चाहिए। लंबित पड़ी सिंचाई परियोजनाओं को जल्दी पूरा किया जाना चाहिए। इसको सुनिश्चित करने के लिए सरकार को कार्यवाही योजना बनानी चाहिए। यह अत्यंत महत्व का मामला है। ऐसी अनेक लंबित परियोजनाएं विशेषकर आन्ध्र प्रदेश में हैं जिनके लिए केन्द्र सरकार को स्वीकृति देनी चाहिए। उदाहरण के लिए पुलिचिनतला परियोजना लंबित पड़ी है। आन्ध्र प्रदेश के वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए "पुलिचिनतला बैलेंसिंग रिजर्वायर" डेल्टा में रहने वाले किसानों विशेषकर कृष्णा डेल्टा के किसानों को बचाने का एक मात्र स्रोत है। किसानों को उनकी फसल पद्धति में बदलाव लाने के लिए प्रेरित करने हेतु सरकार को इन फसलों की पद्धति को सिंचाई के लिए उपलब्ध पानी के साथ जोड़ना चाहिए। साथ ही एक फसल पद्धति को बंद करने के लिए सरकार को अंतर फसल पद्धति अपनाने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए।

अंततः सरकार को कृषि को एक उद्योग के रूप में मान्यता देनी पड़ेगी। यह एक लंबित गामला है। हमारी सरकार ने पहले ही राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की है। परन्तु आज भी कृषि क्षेत्र को न तो उद्योग का दर्जा मिला है और न ही ऐसी कोई घोषणा हुई है। सरकार को कृषक समुदाय को अपने उत्पाद के मूल्य ढांचे को नियंत्रित करने या निर्धारित करने की छूट देनी चाहिए। मूल्य निर्धारण के समय बिचौलिए को दूर रखा जाना चाहिए। यदि भारतीय किसान गन्ना, गेहूं, धान, तंबाकू या अन्य नकदी फसलों को उगाते हैं तो इनके लिए बेहतर दाम किसानों के साथ परामर्श के बाद निर्धारित किए जाने चाहिए और बिचौलिए का खात्मा किया जाना चाहिए। इससे किसानों को कुछ हद तक मदद मिलेगी।

इन्हीं शब्दों के साथ यह मौका देने के लिए मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय : मैं आपको काफी अवसर दे चुका हूं क्योंकि सभी लोग अनुपस्थित हैं। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। सभी दलों ने कार्य मंत्रणा समिति के समक्ष यह मुद्दा उठाया था, किन्तु काफी ब्लॉक खाली है।

श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम (तंजावूर) : तमिलनाडु से सदस्यों की अधिकतम संख्या है।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय को सभी सदस्यों कम से कम सत्ता पक्ष के सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित करना चाहिए। किसानों के मुद्दे पर सभी लोग इच्छुक हैं।

श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम : आप सही कह रहे हैं।

श्री आदि शंकर (कुड्डालोर) : तमिलनाडु से काफी सदस्य उपस्थित हैं।

सभापति महोदय : यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। हम सभी किसानों की संतान हैं। सदस्यों को अपना भाषण समाप्त कर लेने के पश्चात् सभा कक्ष नहीं छोड़ देना चाहिए। हमें यहां अवश्य बैठना चाहिए तथा अन्य सदस्यों के भाषण सुनने चाहिए क्योंकि हरेक व्यक्ति बोलने के पश्चात् बाहर चला जा रहा है।

श्रीमती रमा पायलट (दौसा) : सभापति महोदय, मैं किसानों की समस्याओं पर बोलने के लिए अवसर प्रदान करने हेतु आपको धन्यवाद देती हूं। सभापति महोदय, आज हम किसानों के बारे में इस सदन में काफी देर से चर्चा कर रहे हैं। मैं इस चर्चा में भाग लेना चाहती हूं क्योंकि मैं भी एक सीमांत किसान हूं। मैं देश के सामने एक उदाहरण पेश करना चाहती हूं क्योंकि हम सभी सदस्य अखंडता में विश्वास करते हैं। मैं उत्तर प्रदेश की निवासी हूं। मैं राजस्थान से संसद सदस्य हूं। मैं भी पंजाबी में बोलना पंसद करूंगी।

सभापति महोदय : महोदया, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आपने पंजाबी में बोलने के लिए अनुमति प्राप्त नहीं की है और अनुवाद की सुविधा भी नहीं है।

श्रीमती रमा पायलट : क्या भाषांतरकार चला गया है? पहले वह यहां उपस्थित था।

सभापति महोदय : अनुवाद के लिए व्यवस्था करने में 30 मिनट लग जाते हैं। आपको तत्संबंधी अग्रिम सूचना देनी चाहिए थी।

श्रीमती रमा पायलट : बिल्कुल ठीक है। महोदय, धन्यवाद। मुझे अध्यक्षपीठ का सम्मान करना है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय, मैं किसान की समस्याओं को किसान के नाम की परिभाषा बताकर आरम्भ करना चाहूंगी।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी. सी. थामस (मुक्कुपुजा) : महोदय, हम उनके पंजाबी में दिए गए भाषण को पंसद करते हैं।

सभापति महोदय : परन्तु इसे कार्यवाही–वृत्तांत में शामिल करने हेतु अनुवाद नहीं किया जा सकता और ऐसे बोलने से क्या फायदा जब वह कार्यवाही–वृत्तांत में शामिल ही न हो।

श्री पी. सी. थामस : मेरी समझ में जब श्री जे. एस. बराड़, बोल रहे थे तब उसका अनुवाद हुआ था। वे पंजाबी में बोले थे।

सभापति महोदय : प्रत्येक सदस्य को करीब आधे घंटे पहले अग्रिम सूचना देनी चाहिए।

महोदया, यदि आप पंजाबी में बोलना चाहती हैं तो कुछ अन्य सदस्यों को बोलने के पश्चात् बोल सकती हैं। इस बीच में हम अनुवाद की व्यवस्था कर सकते हैं।

श्रीमती रमा पायलट : महोदय, मैं अभी बोलना चाहती हूं। मैं हिन्दी में बोल सकती हूं। मुझे हिन्दी में बोलने में कोई समस्या नहीं है। मैं भारतीय हूं और हिन्दी बोल सकती हूं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय, मैं किसान की समस्याओं को किसान के नाम से प्रारम्भ करना चाहती हूं। किसान को मैं दो भागों में बांटकर उसके अर्थ को यहां बताना चाहूंगी–इसमें 'कि' और 'सान' ये दो शब्द मिलकर किसान शब्द बनाते हैं, जिसमें 'कि' का अर्थ है कुंजी और 'सान' का मतलब शान है। किसान वह शान है जो हिन्दुस्तान की कुंजी का नाम है। हिन्दुस्तान की शान की चाबी किसान के हाथ में है। किसान एक चाबी का नाम है जो हिन्दुस्तान के खजाने की कुंजी है वह किसान के हाथ में है और कोई फैक्टरी, महल या दुकान हो, उसके अंदर कोई नहीं जा सकेगा जब तक कि उसके ताले में वह चाबी उसके अंदर नहीं जाएगी। जब तक वह चाबी उस ताले के अंदर नहीं जाएगी तब तक वह ताला नहीं खुलेगा और कोई भी अंदर नहीं जा सकता और अंदर क्या हो रहा है, यह कोई नहीं देख सकता। जब चाबी हम सबके हाथ में है लेकिन हम ताले ठीक से नहीं लगाते दो साल तो मुझे हाउस में हो गए हैं, और मैं देखती आ रही हूं हर सैशन में किसान की समस्याओं को, कृषि और जल की समस्याओं को तथा कृषि से संबंधित उद्योगों पर चर्चा होती आई है और माननीय सदस्यों ने अपने विचारों को सदन के सामने रखा है। लेकिन बड़े दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हाउस में सरकार की तरफ से कोई ठोस जवाब या ठोस नीति नहीं आई जिस पर हम लोग इम्पलीमेंट कर सकें या गांवों में जाकर छोटे और मार्जिनल किसानों को यह बता सकें कि अब जैसे

आप रहते आए हैं, उसमें कुछ परिवर्तन आएगा क्योंकि हम लोगों ने सदन में जो बातें आप लोगों के बारे में रखी थीं, उन्हें सरकार ने मान लिया है। जब हम लोग चाबी को ताले में ही नहीं लगाएंगे और देश के किसान की असली हालात को देखेंगे ही नहीं। तो हम लोग देश के लिए क्या करेंगे? यह कितना महत्वपूर्ण है जब हम अधिकतर सदस्य किसान परिवारों से आते हैं–वे सब इस हिन्दुस्तान की चाबी का एक हिस्सा है और हम लोगों को समस्याएं कहने का मौका दिया जाता है तो मात्र रिपोर्टर्स की रिपोर्ट में दर्ज कराने के लिए नहीं दिया जाता बल्कि हम लोग देश के कुछ लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनकी भावनाओं को हम यहां पर आपके माध्यम से सरकार तक जताते हैं। यदि हम जताते ही रहेंगे और गीत गाते ही रहेंगे और कोई ताली नहीं बजाएगा तो गाने वाला गीत गाना बंद कर ही देगा।

इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करूंगी कि इस देश को जिसको कभी सोने की चिड़िया का नाम दिया जाता था और यह सोने की चिड़िया के नाम से विश्व में हमारा देश इसलिए प्रसिद्ध था क्योंकि हमारे यहां सोना बहुत है। माननीय सदस्य ने भी इस बात को कहा कि प्रधान मंत्री जी ने सदन में बताया था कि कितना टन सोना हमारे देश के पास है। इसका मतलब है कि देश में पैसे की आज भी कमी नहीं है लेकिन क्या कारण है कि आज हमारा किसान त्राहि–त्राहि कर रहा है। आज भी 55 साल बीत जाने के बाद भी किसान तीन कपडों के बजाय आधी धोती लपेटे हुए हैं और चाहे वह राजस्थान हो या कर्नाटक हो या उत्तर प्रदेश हो या उडीसा हो या नॉर्थ–ईस्ट का कोई कोना हो। आज भी जो असली मायने में किसान है, उसकी हालत बद से बदतर हुई है और 55 साल में एक प्रतिशत भी उसके जीवन स्तर में इजाफा नहीं हुआ है।

किसान पहले दो गाय या भैंस रख सकता था, लेकिन आज 55 सालों की आजादी के बाद एक भैंस या एक गाय भी रखने की हालत में नहीं है। इसका कारण यह है कि उसको महगाई का सामना करना पड रहा है। हमारे समाज में अन्य कोई समूह उतना महंगाई का सामना नहीं कर रहा है, जितना कि किसान वर्ग महंगाई का सामना कर रहा है। चाहे किसान के बीच की बात हो, खाद की बात हो या पानी की बात हो, हर तरह से किसान को मौत का सामना करना पड़ता है। प्रकृति भी किसान पर ज्यादा मेहरबान नहीं होती है। अगर बारिश अच्छी होती है, तो बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है, जो किसान की पूरी फसल को बहाकर ले जाती है। बाढ़ में किसान की फसल तो जाती ही है और साथ में उसके द्वारा बनाया हुआ मकान भी बह जाता है और सालों से तो ऐसा होता आ रहा है, एक साल की बात नहीं है। इसके बावजूद भी जब किसान की हालत ऐसी दयनीय हो जाती है, तब भी हमारी सरकार चेतती नहीं है। इस समस्या के समाधान का हमें कोई परमानेंट इलाज निकालना चाहिए।

महोदय, मैं आंकड़ों के जाल में न पड़ते हुए, किसानों की वास्तविक समस्याओं की ओर आपके माध्यम से ध्यान खींचना चाहती हूं। माननीय कृषि मंत्री जी मेरे क्षेत्र से आते हैं, उनको किसानों की समस्याओं के बारे में पूरी जानकारी है। वास्तविक स्थिति यह है कि देश में हर वर्ग ने विकास किया है, दलाली करने वालों ने विकास किया है, लेकिन एक किसान का वर्ग ऐसा है, जिसकी उन्नति नहीं हुई है। उनका जीवनस्तर पहले से घटा है। ऐसे किसान जिन्होंने एग्रीकल्चर को उद्योग का रूप दिया है, उसका कुछ विकास हुआ है, लेकिन ऐसे किसानों की संख्या एक प्रतिशत से अधिक नहीं है। इसके साथ ही मैं कहना चाहती हूं, किसान मजबूरी में किसी मनीलैंडर से पैसा ले लेता है, लेकिन उसको चुका नहीं पाता है। स्थिति यह होनी चाहिए थी कि किसानों को ऋण की सुविधा सरकार द्वारा की जानी चाहिए थी। सरकार ने बैंकों से ऋण देने का प्रावधान किया है, लेकिन ऋण लेने की प्रक्रिया को इतना काम्पलिकेटेड बना दिया है, जिससे किसानों को परेशानी होती है। सरकार द्वारा कहा जाता है कि किसानों को 9 प्रतिशत की ब्याज दर से ऋण मिलेगा, लेकिन क्या कोई कह सकता है कि किसी रामू, श्यामू या कुम्हार को 9 प्रतिशत की ब्याज दर पर ऋण मिला है। एक भी ऐसा उदाहरण हिन्दुस्तान में नहीं होगा और अगर एक किसान भी है, तो मुझे उसका ज्ञान नहीं है। ऋण देने की व्यवस्था रिजर्व बैंक के माध्यम से कर दी जाती है, लेकिन ऋण किसानों को सीधे नहीं प्राप्त होता है। पैसा एक दूसरे बैंक को दिया जाता है और वे बैंक अपना लाभ बीच में रखने के बाद किसानों को ऋण देते हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहती हू कि किसानों को ऋण देने की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाना चाहिए और ऐसे ग्रामीण बैंक बनाने चाहिए, जिससे किसानों को सीधे ऋण प्राप्त हो सके।

महोदय, मैं एक बात किसानों को दिए गए क्रैडिट कार्ड के बारे में कहना चाहती हूं। बहुत जोरों से कहा जा रहा है कि किसानों को क्रैडिट कार्ड देने की व्यवस्था कर दी गई है। सभी राज्यों में किसानों को क्रैडिट कार्ड दिया जायेगा और उस क्रैडिट कार्ड के द्वारा किसानों को 9 प्रतिशत ब्याज पर पैसा मिलेगा, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, अगर ऐसा वास्तव में होता है, किसानों की हालत में कुछ सुधार अवश्य नजर

[श्रीमती रमा पायलट]

आयेंगे। नहीं तो प्रकृति की मार से कृषक मरता ही रहेगा। जब बारिश अधिक हो जाती है, बाढ़ आ जाती है, तो किसान त्राहि–त्राहि करता है। इतना ही नहीं, अपने दरवाजे पर पशुओं को मरते हुए देखता है। यदि बरसात नहीं होती तो अकाल के कारण त्राहि–त्राहि करता है और पशुधन को दरवाजे पर मरता देखता है। मैं एक बात और माननीय कृषि मंत्री जी से कहना चाहती हूं, माननीय प्रधान मंत्री जी ने साउथ और नार्थ की नदियों को जोड़ने की बात कही थी।

उन्होंने पैसे के लिए उसमें खुल कर अनुदान देने की बात की थी कि इस कार्य पर जितना भी पैसे का खर्च हो, उसमें कमी नहीं आएगी। हम यदि नार्थ–साऊथ की नदियों को जोड़ दें, 1975–76 में के.एल. राव जी कृषि मंत्री थे, उन्होंने इस बात को ध्यान में रखकर वैज्ञानिकों से इसकी रिपोर्ट मंगाई थी कि क्या यह वाजिब है, हो सकता है, लेकिन रिपोर्ट नकारात्मक आई और तब यह फैसला हुआ कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि नदियों का पानी मीठा होता है, अगर समुद्र में नहीं जाएगा तो सारा पानी खारा हो जायेगा जिससे उसके आसपास के जीव–जन्तुओं पर दुष्प्रभाव पड़ेगा, फसल भी पैदा नहीं होगी और फसल मर जाएगी तथा चारों तरफ त्राहि–त्राहि हो जाएगी। अभी कृषि कमेटी के अंदर एक वैज्ञानिक को, एक्सपर्ट को बुलाया गया और इस प्रश्न को उनके सामने रखा गया था। उन्होंने भी अपने विचार रखे थे इसमें इतना ज्यादा खर्चा है जो वाजिब नहीं हो सकता, पैसे की दृष्टि से वाजिब नहीं है। इसलिए कभी भी यह बात संभव नहीं हो सकती।

महोदय, हमने जो विश्व व्यापार संगठन का फैसला लिया है, इससे हमारे किसान बहुत दुखी हैं। उनकी कृषि लागत अगर दस रुपए आती है और बाहर को जो सामान यहां मिलता है। वह सामान पांच रुपए में बाजार में मिलेगा भारतीय किसान का दस रुपए में सामान कौन खरीदेगा? उदाहरण के तौर पर अगर हमें बाहर का सेब 20 रुपए किलो मिलता है तो यहां सेब पैदा करने वाला जो किसान है, उसकी लागत 40 रुपये प्रति किलो आती है। उसे न तो मैं खाऊंगी, न व्यवसायी खाएगा और न ही शहरी लोग खाएंगे। इस तरह किसान को बहुत मार पड़ रही है। इस पर सरकार का ध्यान जाना बहुत जरूरी है। हम इसे किसी तरह से बैलेंस में लाएं। उस पर या तो ड्यूटी ज्यादा लगाइए और इतनी ड्यूटी लगाएं कि वह ज्यादा मंहगा हो और हमारे कृषक की उत्पादकता से ज्यादा का मूल्य हो ताकि हमारे किसानों को थोड़ी राहत मिले या इसके लिए कोई अन्य तरीका सरकार सोचे।

महोदय, हमने मल्टीनेशनल कम्पनियों को बढ़ावा दिया है, मगर अपनी खेती से जुड़े हुए उद्योगों को बढ़ावा नहीं दिया। गांधी जी ने इस देश को जब स्वतंत्र कराया था तो वे आगे बढ़ती हुई चीजों को पीछे लेकर आए थे। वे कोट, पेंट और पतलून उतार कर आधी धोती पहनने लगे थे और चमड़े के जूते छोड़कर खड़ाऊं पहनने लगे थे। इन कपड़ों को छोड़कर वे धोती पर इसलिए आए थे, क्योंकि धोती हमारे देश की बनी हुई है। आज सरकार के पास ऐसी क्या मजबूरी आ गई है कि अपने अपने देश में निर्मित कपड़ों तथा अन्य उत्पादित वस्तुओं का उपयोग न करें। हम भी ऐसे उद्योग लगा सकते हैं, जो हमारे रॉ–मेटिरियल, कृषि से संबंधित है, जिसमें हमारी किसान महिलाएं भी मदद देंगी। ऐसे प्रोडक्ट हमारे बाजार में सस्ते होंगे और लोगों को उससे राहत भी मिलेगी। ऐसे कई किसान हैं, जिनके पास बिलकुल घर नहीं है, वे केवल अपने जानवरों के लिए इधर–उधर घास की तलाश में घूमते रहते हैं। कभी काश्मीर और यू.पी. तथा बिहार में केवल घूमकर जीवन–यापन करते हैं। उन्हें जो भूमि बेकार पड़ी हुई है, उसे ऐसे लोग को सरकार देने भी व्यवस्था करे ताकि उन्हें सरकार की तरफ से थोड़ी मदद मिले, वे अपने घर बसाएं। उनके पास बहुत अच्छे उद्योग हैं। भेड़, बकरियां हैं, दूध का काम हो सकता है, कोआपरेटिव्स बन सकती हैं। भेड़ की ऊन को बहुत सारे उद्योगों में लगाया जा सकता है। इससे लोगों को रोजगार मिलेगा, इसके अलावा हमारे जो लोग इधर–उधर घूम रहे हैं, जिनके पास घर नहीं है उन्हें भी सुविधा होगी।

आज टूरिज्म इतना बढ़ गया है कि हर देश के लोग हमारे यहां आना चाहते हैं। दूसरे लोग हमारे देश में आते हैं और किसान की इस हालत को देखते हैं तो हमारा दूसरे देशों पर क्या असर पड़ता होगा। वे हमारी यहां से क्या इमेज लेकर जाते होंगे, इसे देखना बहुत जरूरी है। अगर इरीगेशन पर ज्यादा से ज्यादा खर्चा किया जाए तो मैं मानती हूं कि हमारे किसानों की कुछ पोजिशन पहले से अच्छी होगी। सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि सरकार जब कभी कोई उद्योग लगाती है, उससे भी किसान को मार पड़ती है। वह अपना उद्योग लगाए तो एक बात है, लेकिन जब मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया जाता है तो उस जमीन का अधिग्रहण करने के लिए मुआवजा देने का सबसे कॉम्प्लीकेटेड प्रोसेस रखा हुआ है यहां भी कृषक ही दबता है, मार खाता है। उसमें या तो उससे पहले जमीन ले ली और फिर उसे साल–दो–साल में मुआवजा देंगे और उसे कम से कम पैसा देंगे, जब सरकार उसे देती है तो उसके साथ बहुत से प्राइवेट लोग चले आते हैं।

मल्टी–नेशनल कम्पनी वाले वहां चले जाते हैं बिचौलिये के साथ वे जमीन किसानों से सस्ती खरीदकर इन कंपनी वालों को महंगी बेचते हैं और बिचौलिया लाभ में व जमीन का मालिक 'कृषक' यहां भी काफी घाटे में रहता है।

नोएडा और ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश का सबसे कमाऊ भाग हैं। इस बात को माननीय मंत्री जी भी अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन उनकी जमीन के अधिग्रहण करते समय रेट में भी सरकार भेद–भाव करती है। माननीय राजेश जी ने इस विषय में सदन में रहकर और अपनी सरकार में रहते हुए भी लड़ाई लड़ी थी और बड़ी मुश्किल से 110 रुपये प्रति मीटर से भाव बढ़वाये थे। आज नोएडा में उसका भाव 362 रुपये प्रति मीटर है, जबकि ग्रेटर नोएडा में उसका भाव 280 रुपये प्रति मीटर है। यह भेदभाव किसानों के साथ नहीं होना चाहिए। जिस किसान की 10 बीघे जमीन नोएडा में है उसी की 10 बीघे जमीन ग्रेटर नोएडा में है। कुदरत सभी खेतों पर एक जैसी बरसात करती है। आज वहां नहरों में पानी नहीं है, केवल घास ही घास और मिट्टी है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कोई भी माननीय सदस्य घंटी बजने पर ध्यान नहीं देता है।

श्रीमती रमा पायलट : महोदय, मुझे खेद है।

श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम : महोदय, वह एक पूर्व नेता की पत्नी हैं।

सभापति महोदय : इसी वजह से मैंने उन्हें समयवृद्धि की अनुमति दे दी है।

[हिन्दी]

श्रीमती रमा पायलट : मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगी कि आप उत्तरांचल से या किसी और तरीके से नदियों से पानी लेकर नहरों में पानी पहुंचने की व्यवस्था करें ताकि बिजली की समस्या से भी कुछ छुटकारा मिल सके। बिजली नहीं है तो नहरों में आपको पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। मंत्री जी, आपके क्षेत्र में भी नहरों में पानी नहीं है, वे भी सूखी हैं। पानी बागपत तक रुक जाता है आगे नहीं जाता है। इसलिए पानी को आगे भी लेकर जाएं।

इन्हीं शब्दों के साथ और इस उम्मीद के साथ कि सरकार और माननीय मंत्री जी मेरी इन दो–तीन बातों पर विचार करेंगे कि हम अपने लोगों को कुछ राहत दिला सकें।

[अनुवाद]

श्री आदि शंकर (कुड्डालोर) : सभापति महोदय, आपने मुझे किसानों की समस्याओं से संबंधित इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

इस समय मैं यह कहना चाहता हूं कि जल के बिना मनुष्य का अस्तित्व नहीं रह सकता और खाद्यान्न पैदा नहीं हो सकते। एक प्रसिद्ध तमिल कहावत है– 'नीरिल्लामल अमैयाधु उलगु" जिसका अर्थ है कि संसार में जल सर्वाधिक बहुमूल्य वस्तु है। एक महान तमिल गीत है :

"एना वलम इलाई इन्धा तिरूनात्तिल,

एआन कैऐ एन्दावेन्दम वेलिनात्तिल

औझुंगै पादुपादु वयालकात्तिल

पंजम एन्दुम एलाई इन्दा तिरुनात्तिल"

इसका अर्थ है कि जब हमारे पास सभी संसाधन मौजूद हैं तो इस विदेशों से भीख क्यों मांगें? हमें कृषि योग्य भूमि पर कड़ी मेहनत करनी चाहिए और हमारे देश में गरीबी नहीं रहेगी। कृषि इतना अच्छा क्षेत्र है।

सायं 6.39 बजे

(**श्री बसुदेव आचार्य** *पीठासीन हुए*)

सभापति महोदय : श्री आदि शंकर, आपको सूचित करना चाहिए था कि आप तमिल में बोलने वाले हैं।

(व्यवधान)

श्री आदि शंकर : महोदय, मैं सिर्फ अंग्रेजी में बोल रहा हूं। मैं तो सिर्फ एक तमिल कहावत और तमिल गीत उदधृत कर रहा था। यह एक महत्वपूर्ण तमिल गीत है।...*(व्यवधान)*

श्री पी. एच. पांडियन (तिरूनेलवेली) : महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि इस गीत को किसने गाया था और किस फिल्म के लिए गाया था तथा इसमें अभिनय किसने किया था।...*(व्यवधान)*

श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम : जब उनके नेता स्वर्गीय एम. जी. रामचन्द्रन द्रमुक में थे तब उन्होंने इस फिल्म में अभिनय किया था और यह गीत...*(व्यवधान)*

श्री आदि शंकर : श्री एम. जी रामचन्द्रन डा. के करूणानिधि के गहरे मित्र भी थे।...*(व्यवधान)*

श्री पी. एच. पांडियन : उस फिल्म का नाम क्या है?

श्री आदि शंकर : फिल्म का नाम 'विवासायी' है जिसका अर्थ 'कृषक' है। जब श्री एम. जी. रामचन्द्रन द्रमुक में थे तब उन्होंने इस फिल्म में अभिनय किया था। दूसरी बात यह है कि श्री एम. जी. रामचन्द्रन हमारे नेता के बहुत ही गहरे मित्र थे।...*(व्यवधान)* इस अवधि के दौरान हमारे नेता डा. के करूणानिधि तमिलनाडु के मुख्य मंत्री थें उन्होंने अनेक योजनाएं शुरू की थीं।

उन्होंने किसानों को निःशुल्क बिजली दी है, 'उझावर संदाई' नाम से लोकप्रिय किसान बाजार का निर्माण करवाया है तथा गरीब खेतिहर मजदूरों के लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं। उन्होंने खेतिहर मजदूर कल्याण बोर्ड की स्थापना की।

भारतीय उप–महाद्वीप इतना बड़ा है कि एक ही समय में विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं देश को प्रभावित करती हैं। सूखा और बाढ़ की पुनरावृत्ति तो आम बात हो गयी है। यदि देश का एक भाग बाढ़ से प्रभावित होता है तो दूसरा भाग सूखे का शिकार बनता है। यह स्थिति पिछले 55 वर्षों से अर्थात् स्वतंत्रता के समय से ही बनी हुई है। सालों से परवर्ती सरकारें इस स्थिति पर काबू पाने में असफल रही हैं। भारत का खाद्यान उत्पादन के क्षेत्र में प्रथम स्थान है। यह हमारा मुख्य आधार है। हमारे देश जैसे धनी आबादी वाले देश में खाद्यान्न उत्पादन को सर्वाधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यद्यपि खाद्यान उत्पादन में हमारा पहला स्थान है फिर भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हो रही है। इस परिस्थिति से निजात पाने के लिए हमें अवश्य प्रयास करना चाहिए। इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। साथ ही यह भी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाना चाहिए कि सूखे और बाढ़ की वजह से खाद्यान्न उत्पादन का हमारा लक्ष्य प्रभावित न हो। इसे सिर्फ दूरदृष्टि, समर्पण और राजनैतिक इच्छाशक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है। केन्द्र को देश का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन अथवा भविष्य की किसी सरकार को इस प्रयोजनार्थ क्षेत्रीय दलों की एकजुटता पर निर्भर रहना पड़ेगा। इसलिए, केन्द्र सरकार का यह अनिवार्य कर्त्तव्य है कि वह सभी क्षेत्रों में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन को प्रभावपूर्ण ढंग से लागू करे।

दो से पांच कि.ग्रा. चावल या काम के लिए अनाज योजना जैसे अल्पावधि राहत उपाय स्थायी समाधान नहीं हैं। यही कारण है कि हमारे यहां खराब मानसून और बुरी तरह से प्रभावित खाद्यान्न उत्पादन का चक्र निरंतर चलता रहता है।

भारत सरकार में तत्कालीन सिंचाई मंत्री श्री के. एल. राव ने गंगा नदी और कावेरी नदी को जोड़ने के लिए एक योजना बनायी थी। यदि ऐसा किया गया होता तो हम मध्य भारत और दक्षिण भारत के अनेक हिस्सों से सूखे का सफाया कर चुके होते।

चोलमंडलम के नाम से लोकप्रिय जगह जिसमें तंजावूर, तिरुवारूर और नागापट्टिनम शामिल हैं, तमिलनाडु का चावल भंडार हुआ करता था। अब लोग अपने सूखे गले को नम करने के लिए कावेरी की पतली जलधार की ओर देखते हैं। अब तो सिंचाई हेतु जल की बात छोड़िये यहां तक कि वहां पीने के पानी की समस्या हो गयी है। खेतिहर मजदूरों की स्थिति दयनीय है। उनमें से कुछ चूहे खाकर और मरने के लिए मजबूर हैं।

माननीय मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वह सुनिश्चित करें कि सही पद पर सही व्यक्ति ही विराजमान हो। अब हम कम्प्यूटर युग में रह रहे हैं। हमारे पास पर्याप्त जल है, परन्तु हम जल का संरक्षण करने और उसे समुचित रूप से वितरित करने में सक्षम नहीं हैं। हम सही रूप से जल का संरक्षण करने में समर्थ नहीं है। जहां तक कृषि का सवाल है, भारत के कुछ भाग में लोग वर्षा जल पर निर्भर करते हैं तथा अन्य भागों में वे कावेरी और ताम्रपर्णी जैसी नदियों पर निर्भर करते हैं। कावेरी नदी जल समस्या से सभी परिचित हैं।

जहां तक फसल बीमा का सवाल है हमारे तमिलनाडु के अनेक हिस्सों में फसल बीमा योजना समुचित रूप से लागू नहीं की गयी है। यहां तक कि मेरे जिले में भी फसल बीमा योजना समुचित रूप से लागू नहीं की गयी है। हमारे किसानों को धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। जब तक किसानों को बचाया नहीं जाता तब तक देश को नहीं बचाया जा सकता।

समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम तथा डी.पी.ए.पी. और डी.डी.पी. के प्रति पनधारा दृष्टिकोण इतने गंभीर रूप से चरमरा गया है कि स्वयं प्रधान मंत्री महोदय को ग्रामीण विकास विभाग के सभी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में आयी इन भारी गिरावटों के बारे में कुछ करना होगा। भंडारण सुविधाओं की कमी की वजह से हमारे 25 प्रतिशत कृषि उत्पाद बर्बाद हो जा रहे हैं।

शीतागार सुविधा के अभाव में लगभग 30 प्रतिशत सब्जियां और 30 प्रतिशत फूल नष्ट हो जाते हैं।

गन्ना उत्पादकों को उनका बकाया नहीं मिल रहा है। सरकार गन्ना उत्पादकों की समस्या सुलझाने के लिए पहल नहीं कर रही है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह गन्ना उत्पादकों द्वारा झेली जा रही समस्याओं को सुलझाए। तमिलनाडु राज्य में और विशेषकर मेरे निर्वाचन क्षेत्र में तीन चीनी मिलें हैं। उन्हें सही समय पर काटने के आर्डर नहीं मिल रहे हैं।

महोदय, तमिलनाडु के चाय और नारियल उत्पादक भी बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। अभी तक केन्द्र सरकार ने उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। हमारी जनसंख्या का 70 प्रतिशत हिस्सा कृषि पर निर्भर है परन्तु हमारे किसानों की हालत दयनीय है और केन्द्र सरकार ने उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए हैं।

महोदय, कावेरी जल विवाद के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि उच्चतम न्यायालय द्वारा कर्नाटक को जल छोड़े जाने के निर्देश के बावजूद कर्नाटक सरकार में उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए हैं। माननीय जल संसाधन मंत्री ने भी कावेरी से जल छोड़े जाने हेतु कोई कदम नहीं उठाए हैं। इसलिए, मैं माननीय प्रधान मंत्री, माननीय कृषि मंत्री और साथ ही माननीय जल संसाधन मंत्री से कावेरी जल विवाद को निपटाने का अनुरोध करता हूं। पानी की कमी और मानसून के न आने की वजह से कावेरी डेल्टा क्षेत्र के किसानों की हालत दयनीय है और कुरूवइ फसल भी बर्बाद हो गयी है। अन्य फसलें भी सूख रही हैं. ..*(व्यवधान)* तमिलनाडु के जिले जैसे तिरूवरूर, तंजावूर, नागापट्टीनम, विलुपुरम को सूखा प्रभावित क्षेत्र घोषित नहीं किया गया है। इसलिए ये क्षेत्र राहत कार्यों से वंचित हैं। इन क्षेत्रों में केन्द्र सरकार की योजनाओं को भी उचित ढंग से कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है।

महोदय, हमारा देश दुग्ध उत्पादन में विश्व में प्रथम है। हमारा देश कुक्कुट पालन में भी प्रथम स्थान पर है। परन्तु मत्स्य पालन में हमारे देश का स्थान सातवां है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चावल और गेहूं उत्पादन में हमारे देश की स्थिति विश्व में अच्छी नहीं है।

महोदय, मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह दीर्घकालिक और अल्पकालिक योजना के माध्यम से स्थिति से निपटने के लिए तत्काल राहत कार्यों को आरंभ करे। ऋणों को माफ कर देना चाहिए। ब्याज के बोझ को कम किया जाना चाहिए और प्राकृतिक आपदाओं के मामले में राजसहायता सुनिश्चित की जानी चाहिए और साथ ही उत्तर भारत की नदियों को दक्षिणी भारत की नदियों के साथ जोड़ने के लिए प्रभावी जल प्रबंधन नीति तैयार की जानी चाहिए।

महोदय इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री एन. जनार्दन रेड्डी (नरसारावपेट) : महोदय, इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर मुझे बोलने का मौका देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री पाडियन यहां बैठे हैं और मैं आशा करता हूं कि वे यहीं बैठे रहेंगे। उन्हें डी.एम.के. के सदस्यों के भाषण समाप्ति पर ही अपने स्थान को नहीं छोड़ना चाहिए।

श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम : आपके भाषण की समाप्ति तक हम यहीं रहेंगे।

श्री एन. जनार्दन रेड्डी : महोदय, हमने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए लिया है और वह है हमारे देश के किसानों के सामने आने वाली समस्याएं। आज मैं कह सकता हूं कि हमारे किसानों के पास समस्याओं के अलावा कुछ भी नहीं बचा है। उनके पास समस्याओं के अलावा और कोई समस्या नहीं है। हम उनके लिए इतना कुछ कहते हैं परन्तु उनकी समस्याएं सुलझाने के लिए कोई आगे नहीं आता। ये किसान ही थे जो देश को अनाज की कमी के संकट से उबारने के लिए आगे आए थे। किसानों ने देश की मांग पूरी करने के लिए और अनाज उगाने के लिए अन्यथा परिश्रम किया परन्तु उनको देश के लिए किए गए इस कार्य के बदले में कुछ नारों जैसा कि धनंजय कुमार कह रहे थे 'जय जवान, जय किसान, अन्नदाता' के सिवाय कुछ नहीं मिला। उन्हें खोखले नारे ही मिले।

मैं नहीं जानता कि वर्तमान कृषि मंत्री ऐसा कह सकते हैं, "यह अमुक योजना है जो हमने किसानों के लिए बनायी है" ऐसा कुछ नहीं है।

सरकार द्वारा कल्याणकारी योजना बनाने के संबंध में केवल कृषक समुदाय का ही ख्याल नहीं रखा जा रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि कई वर्षों से बजट में कृषि के लिया किया जा रहा प्रावधान कम हो रहा है। हालांकि प्रतिशत के हिसाब से यह ज्यादा है परन्तु मात्रा के हिसाब से यह कम हो गया है। कृषि मंत्रालय जो कि वित्त मंत्रालय

[श्री एन. जनार्दन रेड्डी]

के बाद एक महत्त्वपूर्ण मंत्रालय था धीरे–धीरे इसका महत्व कम किया गया है। मैंने यहां कृषि मंत्री को देखा है, मैंने ग्रामीण विकास मंत्री को यहां देखा है जिनकी बजट में भागीदारी है यहां तक कि मैंने खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री को भी यहां देखा तथा मैंने यहां पर उर्वरक मंत्री को देखा। इस मंत्रालय का जिनके प्रभारी मेरे मित्र श्री अजित सिंह हैं, महत्व कम किया गया है। इसलिए इस मामले में उनकी रुचि भी आधी अधूरी है।

महोदय, बजट प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री ने यह कहा था कि बजट का 54 प्रतिशत प्रावधान किसानों के लिए है जो कि अधिकतम है। परन्तु इसमें से 60 प्रतिशत ग्रामीण विकास के लिए दिया गया है। इसलिए कृषि मंत्रालय को कुछ भी नहीं मिल पाया है। किसानों की समस्याएं बहुस्तरीय हैं। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्रत्येक सदस्य ने चाहे वह उनके राज्य की समस्या हो या देश की, इसे दोहराया है। परन्तु हमने सिर्फ नारे बनाए हैं, हमने कार्यशालाएं की हैं, हमने सेमीनार किए हैं, हमारे पास बड़े–बड़े शब्दों वाली परियोजनाएं हैं; हमने ऋण की व्यवस्था की है; हमारे पास अनुसंधान संस्थाएं हैं; हमारे पास बीज उत्पादक इकाई हैं; हमारे पास आदर्श फार्म हैं; हमने यांत्रिकीकरण किया है; हमारे पास प्रौद्योगिकी है; हमारे पास जैव प्रौद्योगिकी; हमारे पास विपणन और प्रसंस्करण और भंडारण भी है। हमारे पास इतनी सुविधाएं हैं। परन्तु किसान की मुख्य समस्या को अनदेखा किया जा रहा है।

बड़े–बड़े नामों वाली परियोजनाएं शुरू करने के बावजूद कोई बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं हुई है। हमारे पास देश में कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए 100,000 से अधिक कर्मकार कार्यरत हैं। कृषि समिति के सभापति यहां हैं। एक महिला उनके पास गई और यह कहा कि 'बिसलेरी की एक बोतल 16 रु. में बिकती है जबकि मेरी गाय का दूध 10 रु. किलो बिक रहा है। हमारे देश में यही स्थिति है।

हमारे पास 100 आई.सी.ए.आर. संस्थाएं हैं; 500 से 600 कृषि विज्ञान केन्द्र (केवीके) हैं। अनुसंधान केन्द्रों की कोई कमी नहीं है। फिर भी किसानों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जाता। मैं मानता हूं कि कुछ हद तक इन अनुसंधान संस्थाओं ने अपना योगदान दिया है परन्तु वर्तमान स्थिति में किसानों की मुख्य समस्या का समाधान नहीं हुआ है।

महोदय, कृषि में आवश्यक आदानों में से ऋण एक प्रमुख पहलू है। ग्रामीण क्षेत्रों से वाणिज्यिक बैंकों में जमा राशि के रूप में योगदान 72 प्रतिशत से 78 प्रतिशत तक है परन्तु जहां तक ऋण का प्रश्न है ग्रामीण क्षेत्र को केवल 11.2 प्रतिशत ही मिलता है। ऋण का बड़ा भाग उद्योगों और व्यवसाय में जा रहा है।

भारत सरकार द्वारा हमें उपलब्ध कराये ताजे सर्वेक्षण के अनुसार इस वर्ष के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान 6 प्रतिशत है।

भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार ने वाणिज्यिक बैंकों को यह लक्ष्य दिया है कि वे कृषि से संबंधित 18 प्रतिशत तक अग्रिम दें। परन्तु वाणिज्यिक बैंकों ने क्या किया? यह देखकर आश्चर्य होता है कि किसानों द्वारा खरीदी गई कारों, मोटरसाइकिलों, ट्रेक्टरों को 'कृषि और उससे संबंधित वस्तुओं' में शामिल किया गया है और इन्हें शामिल करने के बावजूद वे 18 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके। यदि हम मार्च 2002 तक कृषि में दिए गए ऋण पर गौर करें तो यह राशि 44,909 करोड़ रुपये हैं जोकि सरकार द्वारा निदेशित 18 प्रतिशत के लक्ष्य की तुलना में न केवल 11.3 प्रतिशत है। परन्तु इसके बाद भी भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार इनके खिलाफ कोई कार्यवाई नहीं कर रहे हैं और इसलिए समस्या अभी भी वैसी ही है।

नाबार्ड नामक एक संस्था है जो मुख्यतः कृषक समुदाय की सहायतार्थ बनायी गई है। परन्तु दुर्भाग्य से यह कृषि मंत्री नहीं वरन् वित्त मंत्री के अधीन है। आवास मंत्री के अधीन हुडको है जो कि एफ वित्तीय संस्था है। इरेडा एक बड़ा संस्थान है जो अपारंपरिक ऊर्जा का उत्पादन करता है यह अपारंपरिक ऊर्जा मंत्री के अधीन नहीं है। बल्कि ऊर्जा मंत्री के अधीन है। नाबार्ड कृषि मंत्री के अधीन नहीं है, मैं नहीं जानता कि ऐसा क्यों है।

श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल में जब श्री प्रणव मुखर्जी वित्त मंत्री थे मुझे याद है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई थी जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था या कृषि ऋण में सुधार लाना था परन्तु वे किसी भी तरह से उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर रहे हैं जिनके लिए इन्हें बनाया गया था। वे भी किसी अन्य बैंक की तरह ही कार्य कर रहे हैं।

नाबार्ड राज्य स्तर की सहकारी संस्थाओं को 6 प्रतिशत ब्याज की दर से ऋण दे रहा है फिर राज्य सहकारी संस्थाएं

इस ऋण को जिला सहकारी संस्थाओं को देती हैं, जिला सहकारी संस्थाएं इसे प्राथमिक स्तर की सहकारी संस्थाओं को देती हैं और प्राथमिक स्तर की सहकारी संस्थाएं इस राशि को किसानों को ऋण के रूप में देती है। इस सारी प्रक्रिया में ब्याज दर 6 प्रतिशत से आरंभ होती है और किसानों तक पहुंचते पहुंचते 16–18 प्रतिशत हो जाती है। अनावश्यक रूप से ऊपरी खर्चे और अन्य शुल्क इसके जोड़े जाते हैं। नाबार्ड को सीधे ग्रामीण बैंकों से नहीं जोड़ा जाता और क्यों नहीं ऋण 6 प्रतिशत ब्याज दर पर दिया जाता है और ऋण की राशि क्यों नहीं बढ़ायी जा रही है? कृषि में दिए गए ऋणों के पुनर्भुगतान की स्थिति 95 प्रतिशत तक है परन्तु उद्योगों और अन्य व्यवसायों के मामले में ऐसा नहीं है।

जब ऐसी परिस्थिति है तो, हम अन्य क्षेत्रों को बढ़ावा दिए जा रहे हैं परन्तु कृषि जैसे प्राथमिक क्षेत्र को नहीं, इसका कारण यह है कि कृषकों का कोई संगठित मंच नहीं है उनके लिए लड़ने वाला कोई नहीं है। हम सभी कृषक परिवारों के बच्चे हैं। हम यहां किसानों पर बहस करके बाद में सब कुछ भूल जाते हैं। हमारे कृषि मंत्री भी कृषक के पुत्र हैं और किसानों से सहानुभूति रखते हैं। मैं आशा करता हूं कि उनके मन में किसानों के प्रति सहानुभूति है। परन्तु वे क्या कर सकते हैं? वित्त विभाग उनके पास नहीं है।

मैं वापस मुद्दे पर आता हूं जिन उद्देश्यों के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी वह बिलकुल भी पूरा नहीं हुआ।

सायं 7.00 बजे

बैंकों को किसानों के प्रति अपनी कार्यशैली बदलनी होगी। जब तक यह नहीं होगा किसान बैंकों के चक्कर लगाते रहेंगे और बैंक उद्योगपतियों के पीछे भागता रहेगा। किसानों के साथ यही व्यवहार किया जा रहा है। जब तक बैंक किसानों के प्रति अपना नजरिया नहीं बदलता, हम किसानों की मदद नहीं कर सकते। ऐसे में हम किसानों के खामोश रहने की कामना नहीं कर सकते। ग्रामीण अर्थव्यवस्था संकट में है और इसके परिणामस्वरूप किसान संकट में है। अन्य देशों की तरह एक दिन वह भी आएगा जब वे सरकार के विरुद्ध बगावत कर देंगे। वे चुप नहीं बैठेंगे। हम उस दिन का इंतजार न करें। आइए हम किसानों के लिए कुछ करें।

सीमान्त किसान हैं तथा अन्य किसान भी हैं जिनके पास बहुत ही कम कृषि भूमि है। तीसरा वर्ग उन लोगों का है जो भूमि वैध रूप से पट्टे पर लेकर उसमें खेती करते हैं। चौथा वर्ग है मौखिक पट्टेदारी। हमने देश में भूमि सुधार लागू किए थे जिसके पश्चात् किसी भी भूस्वामी को भूमिहीन गरीब को पट्टे पर भूमि देने की अनुमति नहीं है। वह भूमि मौखिक आदेश पर देता है और जब चाहे भूमि वापिस ले लेता है। लगभग 50 प्रतिशत किसान इसी प्रकार से खेती करते हैं और वे ही कठिनाई में आते हैं क्योंकि वे कोई ऋण नहीं ले सकते। यदि ऋण दिया जाता है तो यह ऋण भू–स्वामियों को दिया जाता है। यदि ऐसे किसानों को वित्तीय सहायता लेनी होती है तो उन्हें बैंक में अपने गहने गिरवी रखने पडते हैं। मुझे हैरानी है कि आजकल कुछ बैंक सोना गिरवी रखकर ऋण लेने वाले किसानों को नामांकन की सुविधा नहीं देते। यदि उन्हें कुछ हो जाए तो उसकी ओर से न तो उसकी पत्नी को और न ही उसके बेटे को कुछ भी दिया जाएगा। बैंकिंग के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। उन पर ऐसा प्रतिबंध लगाया गया है। आज किसान ऐसी स्थिति में है।

खाद, कीटनाशक, वित्तीय ऋण प्रवाह तथा बीज इत्यादि चार क्षेत्रों में नकली तत्व समावेश कर गए हैं। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरा सुझाव है कि ऐसे लोगों को मृत्युदण्ड दिया जाना चाहिए। उस दिन, उप प्रधानमंत्री कह रहे थे कि वे बलात्कार के दोषी व्यक्ति को फांसी देने के लिए राजी हैं। यह अपराध तो उससे भी खराब है। ऐसे दोषियों के लिए मौजूदा कानून न तो कारगर हैं और न ही कठोर।

सभापति महोदय : कृपया अब समाप्त कीजिए।

श्री एन. जनार्दन रेड्डी : कृपया मुझे कुछ मिनट बोलने की अनुमति दीजिए। हाल ही में, मेरे अपने जिले में, बड़ी मात्रा में यूरिया, सल्फेट और खाद मिली जिसमें 50 प्रतिशत मिट्टी, नमक और कैल्शियम था। यह बाजार में बेचा जा रहा था और सरकार को इस पर अभी कार्यवाही करनी है। वह क्या कार्यवाही कर सकती है? क्योंकि वे प्रयोगशाला में नमूने भेजेंगे जिसे ठीक–ठीक किया जा सकता है तथा एक अच्छा प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जा सकता है।

सहकारी तथा वाणिज्यिक बैंक अपने ऋणों को मात्र 35 प्रतिशत किसानों को ही देते हैं। शेष 65 प्रतिशत किसानों को मिनी लोगों पर निर्भर रहना पड़ता है जो ब्याज की अपनी दरों पर ऋण देते हैं।

अंतिम पहलू प्राकृतिक आपदा से संबंधित है। मेरे मित्र अभी प्राकृतिक आपदाओं की बात कर रहे थे। मैं आपको एक

[श्री एन. जनार्दन रेड्डी]

छोटा सा उदाहरण दूंगा। यदि किसान ऋण लेता है तो उसे अपने उत्पाद में से 23 प्रतिशत अनिवार्य रूप से निकालना होगा अर्थात् 15 प्रतिशत किस्त और 8 प्रतिशत ब्याज। इसका परिणाम यह है कि वे ऋण नहीं लेते। इसमें कई समस्याएं हैं। उन्हें मंडलों से लेकर गांवों तक फसल कटाई की पद्धति की इकाई को बदलना पड़ता है।

हमने न्यूनतम समर्थन मूल्य तो निर्धारित कर दिया है किन्तु यह क्रियान्वित नहीं होता क्योंकि यहां खरीद ही नहीं हो रही है। मौजूदा अर्ध–वार्षिक समीक्षा के अनुसार चावल और गेहूं की खरीद को भी रोक दिया जाना चाहिए। किन्तु उस समिति ने किसानों को सरलतापूर्वक मारने के तरीके की सिफारिश नहीं की। उन्होंने केवल यही कहा कि कोई खरीद न की जाए। उन्होंने यह सुझाव नहीं दिया कि क्या किया जाए। इस प्रकार के तदर्थ निर्णय से किसान समस्या में पड़ जाएंगे। वे समस्याओं के समाधान के लिए जिम्मेदार हैं। इसके बजाय वे समस्याएं उत्पन्न कर रहे हैं। मेरे मित्र अभी–अभी यह कह रहे थे कि इसका उत्तर केवल उच्च उत्पादन है। वे मौजूदा उत्पादन ही खरीद सकने की हालत में नहीं है और बाजार सुविधाओं का भी यहां अभाव है। जैव–प्रौद्योगिक उत्पादन में अधिक निवेश की जरूरत है किन्तु उसे खरीदने वाला कोई भी नहीं है।

इस प्रकार सरकार समस्याओं का समाधान करने के बजाय समस्याएं उत्पन्न कर रही है। किसानों द्वारा गुर्दा बेचने के लिए भी वे ही जिम्मेदार हैं। किसान अपने बच्चों को बेच रहे हैं और यहां तक कि वे उनकी हत्याओं का नीच कार्य भी कर रहे हैं। इस देश में किसानों की मौजूदा स्थिति के लिए मैं सरकार को ही जिम्मेदार ठहराता हूं। उन्हें इस बारे में सोचना होगा और कुछ समाधान करने होंगे।

[अनुवाद]

श्री मंजय लाल (समस्तीपुर) : सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे दो शब्द अपने ही विषय पर, किसानों के संबंध में सदन में जो चर्चा चल रही है, उस पर बोलने का मौका दिया।...*(व्यवधान)* मैंने सभापति जी को पहले तो किसानों की समस्या रखने के लिए धन्यवाद दिया है और दूसरा धन्यवाद उनको सभापति की हैसियत से दिया है।

भारत कृषि–प्रधान देश है। यह मुख्यतः गांवों का देश है, गांव यानी किसानों का देश है। यदि किसान खुशहाल है, तो देश खुशहाल है, यदि किसान दुखी है तो देश दुखी है। यदि गांव टूटेगा तो देश टूटेगा और आज गांव टूट रहा है। 55 वर्ष की आजादी के बाद भी किसान हताश और उदास हो रहा है, किसानों की बर्बादी हो रही है और उसकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, क्योंकि किसानों का कोई संगठन नहीं है, उनकी बात कोई सुनने वाला नहीं है। स्वनाम धन्य स्वामी सहजानन्द सरस्वती, जिन्होंने किसानों की आवाज को लेकर सारे देश में किसानों का संगठन बनाया था। उनके किसान आन्दोलन में अंग्रेजी राज में मैं भी एक वालेण्टियर की तरह काम करता था। किसानों के मंच पर जब स्वामी जी जाते थे तो वालेण्टियर लोग गाना गाते थे। मैं गाऊंगा नहीं, मगर वे कहते थे : "धनवा तोरा लूटे लुटेरा, बातें ना माने किसाना मा, सरकार लूटे, जमींदार लूटे और लूटे महजनवा।"...*(व्यवधान)* स्वामी जी कहते थे, मगर 55 वर्ष की आजादी के बाद भी हालत किसानों की खस्ता है। किसान लुट रहे हैं और उनको लूटने का सबसे बड़ा जरिया दामों की लूट है। डा. लोहिया कहा करते थे : "पेट है खाली, मारे भूख, बंद करो दामों की लूट।" आज दामों की लूट है। किसान जब कोई चीज पैदा करता है, उस वक्त चाहे छोटा या बड़ा किसान हो, उसे सस्ते रेट में आवश्यक सामान खरीदने के लिए बेच देना पड़ता है। उसी सामान को जब छः महीने बाद बिचौलिये से खरीदते हैं तो दुगने–तिगुने दाम पर खरीदना पड़ता है। इसलिए डा. लोहिया ने कहा था : "अन्न दाम का घटना–बढ़ना..."

श्री राजो सिंह : वे खेत जोतते थे?

सभापति महोदय : उन्हें बोलने दो, राजो सिंह जी। आप इधर देखकर बोलिए।

श्री मंजय लाल : लोहिया जी खेत नहीं जोतते थे, लेकिन मैं तो किसान हूं, हमारे पूर्वज किसान थे और मैं भी किसान रहूंगा। इसलिए मैं किसानों की बात करता हूं, पर लोहिया जी रहबर थे, रास्ता बताने वाले थे। "पेट है खाली, मारे भूख, बंद करो दामों की लूट।" दामों की लूट है और हम कहते हैं कि सरकारी स्तर पर दाम हम तय करते हैं, गेहूं का करते हैं, धान का करते हैं लेकिन उसमें किसानों का प्रतिनिधि नहीं रखते हैं। क्या वे जाने पीड पराई–मखमल में बल खाते हैं, वे बड़ी–बड़ी अट्टालिकाओं में रहने वाले आफिसर किसानों की भूख को क्या जानें, जो उनके दामों को तय करते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि दामों की लूट बंद करने के लिए जो दाम तय हों, उसमें किसान के प्रतिनिधि को अवश्य रखा जाये और उन्हें मान्यता दी जाये।

साथ–साथ कृषि उत्पादन की वस्तु और कारखाने में जो

वस्तु पैदा होती है, इनकी कीमत में कोई पैरिटी नहीं है, संतुलन नहीं है। इसलिए जैसा उन्होंने कहा था : "अन्न दाम का घटना–बढ़ना, आना सेर के भीतर हो, करखनिया माल का दाम लागत खर्च से ड्योढ़ा हो।" जो माल कारखाने में पैदा होता है, उसकी कीमत डेढ़ गुनी से बेसी नहीं होनी चाहिए। मगर आज कारखाने में जो चीज एक रुपये में पैदा होती है। वह मार्केट में जाकर सात रूपये में मिलती है, इसलिए एग्रीकल्चर गुड्स और औद्योगिक गुड्स की कीमत में पैरिटी नहीं है। आज जहां एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की कीमत यदि गधे की रफ्तार से बढ़ रही है तो औद्योगिक माल का दाम घोड़े की फर्लांग की दौड़ के अनुसार बढ़ रहा है। इसलिए आज किसान मारा जा रहा है। किसानों को खाद, बीज, कीटनाशक दवाएं, पानी और बिजली सब महंगे दामों पर खरीदनी पड़ती है, लेकिन उसे अपना सामान सस्ते दामों पर बेचना पड़ता है, क्योंकि कृषि उत्पादों की कीमत तय नहीं हो पाती।

वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर देश में सिंचाई का समुचित प्रबंध हो जाए तो उपज अपने आप दोगुनी हो जाएगी। लेकिन 55 वर्ष की आजादी के बाद भी हम 30 प्रतिशत से अधिक भूमि पर सिंचाई का प्रबंध नहीं कर सके हैं। हमारा देश कृषि–प्रधान देश है। यहां के अधिकतर लोग खेती करते हैं, मगर वे आकाश पर भरोसा करते हैं। आकाश पागल है। कभी वह डुबो देता है और कभी सुखा देता है। भारत में कृषि जुए की तरह खेली जाती है। अगर मौसम सही हो, फसल अच्छी हो जाए, तो सरकार वाहवाही ले जाती है और कहती है कि हमारा उत्पादन बढ़ गया है। अगर मौसम ठीक नहीं रहता है तो कहा जाता है कि हम क्या करें। तब फसल बर्बाद हो जाए तो सरकार कहती है कि मौसम इसके लिए जिम्मेदार है। फसल अच्छी होने पर किसान को क्रेडिट नहीं मिले, सरकार को मिले, मैं इसको मुनासिब नहीं समझता हूं।

हमारे देश में जल पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन उसका प्रबंधन ठीक नहीं है। देश में वाटर मैनेजमेंट सबसे पहले करना चाहिए। जो के. एल. राव का प्रस्ताव है और जैसा प्रधान मंत्री जी ने भी कहा है, छोटी–बडी नदियों को जोड़कर जल का प्रबंधन करना चाहिए।

हमारे देश में फसल बीमा योजना चलाई गई है। लेकिन उसका निष्पादन तहसील के ऊपर किया जाता है। जैसे मेरे क्षेत्र में अगर नेपाल का पानी आ जाए तो बाढ़ आ जाती है। इस तरह से आधा क्षेत्र बाढ़ में डूब जाता है और आधा सुखाड़ में चला जाता है। लेकिन वहां सुखाड़ के लिए पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि फसल बीमा का निर्धारण तहसील के आधार पर तय होता है या जिला के आधार पर तय होता है। मैं चाहता हूं कि फसल बीमा योजना व्यक्तिगत किसान की लाभ और हानि के आधार पर लागू होनी चाहिए।

सभापति महोदय : मंजय लाल जी, अब आप समाप्त करें।

श्री मंजय लाल : मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। किसानों को क्रेडिट कार्ड देने की योजना चलाई गई है। पहले देश में कमर्शियल बैंक थे, अब किसानों के उद्धार के लिए ग्रामीण विकास बैंक भी खुले हैं। इन क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंकों में किसानों का पैसा जमा हो रहा है, तो मैं चाहता हूं कि इसका उपयोग कमर्शियल बैंकों की तरह किसानों में ही उनकी उन्नति के लिए हो। लेकिन देखा जा रहा है कि इन बैंकों का पैसा मुम्बई, कोलकत्ता और चेन्नई जैसे बड़े–बड़े शहरों के कारखानों को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। गांव का पैसा गांव में ही लगना चाहिए। एक तरफ हम किसानों की समस्या पर बात करते हैं, दूसरी तरफ यहां बरौनी का जो खाद का सबसे बड़ा कारखाना था, यूरिया पैदा करता था, वह बंद हो गया है। इसी तरह से सिंदरी का खाद का कारखाना भी बंद हो रहा है। हम खाद को विदेशों से मंगाएंगे और विदेश वाले कब बंद कर दें, इसका कोई पता नहीं है। इससे किसानों को खाद की और समस्या पैदा हो जायेगी। मेरा सरकार से निवेदन है कि सरकार इन बंद हुए कारखानों को अपने हाथ में ले और इनमें पूंजी लगाकर उनका आधुनिकीकरण करे, जिससे उनमें काम चालू हो सके।

सभापति महोदय : दो मिनट हो गए हैं, अब आप समाप्त करें, क्योंकि अभी बहुत से माननीय सदस्य बोलने वाले हैं।

श्री मंजय लाल : मैं कभी नहीं बोलता और अपनी पार्टी तथा जनता दल (यू) से भी मैं ही अकेला बोलने वाला हूं। मैं एक सुझाव सरकार को और देना चाहता हूं। हमारे देश में बहुत सी जमीन बंजर और परती पड़ी हुई है। सरकार को चाहिए कि वह बेकार नौजवानों की भूमि सेना बनाए और सरकारी पैसे से उनकी सेना को साथ लेकर उस बंजर और परती भूमि पर खेती कराई जाए।

[अनुवाद]

***श्री एस. मुरुगेसन (तेनकासी)** : माननीय सभापति महोदय, किसानों की समस्याओं पर प्रकाश डालने के लिए की जा रही इस चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री एस. मुरुगेसन]

लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। लगभग हर सत्र में हम सदस्यगण किसानों की समस्याओं पर चर्चा तो करते हैं किन्तु उसका निवारण अभी तक नहीं हुआ है। उन्हें अपनी अधिकतर समस्याओं से छुटकारा नहीं मिल सका है। किसानों के कर्ज के बोझ तले दबने वाली समस्या से हम सभी वाकिफ हैं। मुझसे पहले बोले माननीय सदस्य श्री जनार्दन रेड्डी ने बताया कि रिजर्व बैंक ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कृषि जगत के लिए ऋण वितरण हेतु राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए कई लक्ष्य निर्धारित किए हैं। राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा केन्द्रीय योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों को प्रदान किए जाने वाले कुल ऋण की राशि का लगभग 18 प्रतिशत कृषि क्षेत्र के लिए निर्धारित किया गया है। आंकड़ों से यह पता चलता है कि जरूरतमंद किसानों और कृषकों तथा ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब कृषक मजदूरों को 10 प्रतिशत ऋण भी नहीं दिया जाता है। यहां तक कि यह राशि नाबार्ड के माध्यम से अन्यत्र चली जाती है। नाबार्ड द्वारा दिये जाने वाले ऋण भी जरूरतमंदों और कृषकों तक सही प्रकार से नहीं पहुंच पाते हैं। बाकी की 8 प्रतिशत राशि को राष्ट्रीयकृत बैंक, कृषकों को ऋण देने के अपने उद्देश्य को ताक पर रखकर, अपना ब्याज खरा करने के लिए ही नाबार्ड के जरिए आवंटित करते हैं। मुझे तो यही लगता है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों की रुचि दिए गए ऋण पर ब्याज अर्जित करने के आसान तरीके सुनिश्चित करने में ही है। जरूरतमंद किसानों के लिए बनाई गई ऋण योजनाओं को नाबार्ड के माध्यम से उचित प्रकार से किसानों में क्रियान्वित करना चाहिए। मेरा केन्द्रीय कृषि मंत्री से अनुरोध है कि वे यह सुनिश्चित करें कि जरूरतमंदों को ऋणों का आवंटन जरूरत पड़ने पर हो ताकि इससे हमारी कृषि अर्थव्यवस्था तथा किसानों के स्तर को सुधारने में मदद मिल सके। मेरी मांग है कि किसानों को उनके कार्यों के लिए जरूरत पड़ने पर सीधे ही ऋण मिलने चाहिए। राष्ट्रीयकृत बैंक कई प्रकार के सावधि ऋण प्रदान करते हैं। ऋण का भुगतान एक निर्धारित समय के भीतर करना होता है। जब प्राकृतिक आपदाएं तबाही मचाती हैं तो किसानों को समय पर सहायता नहीं मिलती और ऋण का भार बढने के साथ-साथ उनकी समस्याएं कई गुना बढ़ जाती हैं। प्राकृतिक आपदाओं के समय भीषण कठिनाइयां झेल रहे किसानों की समस्याओं में सहकारी बैंकों द्वारा लिए गए 5000 या 10,000 रुपये के छोटे-छोटे ऋण भी जुड़ जाते हैं। सरकारी अधिकारी ऋण वसूली में इतने निष्ठुर हो जाते हैं कि वे छोटे-छोटे असहाय किसानों की घरेलू चीजें उठा लेने जैसे तरीके भी अपना लेते हैं। इसी के साथ-साथ हम देखते हैं कि ऐसे लोग भी बहुत हैं जो बड़े-बड़े ऋण भी नहीं लौटाते जो राष्ट्रीयकृत बैंकों से लेते हैं। अन्य क्षेत्रों से जुड़े इन लोगों ने राष्ट्रीयकृत बैंकों से करोड़ों रुपये लिया है और उसे गैर-निष्पादन अस्तियों में परिवर्तित कर दिया है। उन्हें ऋण का समय पर भुगतान करने की चिन्ता नहीं होती। उनके साथ उदारपूर्वकता व्यवहार किया जाता है। हमारी कृषि अर्थव्यवस्था में आत्यधिक योगदान देने वाले इन गरीब किसानों से ऐसा भेदभाव क्यों होना चाहिए? मैं यह महसूस करता हूं कि ऋण के बोझ तले दबे इन गरीब किसानों की दशा तथा उनके विरुद्ध हो रहे भेदभाव से इस सम्मानित सभा को अवगत कराना मेरा कर्तव्य है। हमारे गोदामों में करीब 70 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न अप्रयुक्त पड़ा हुआ है। मैं यह मांग करूंगा कि यह खाद्यान्न ग्रामीण क्षेत्रों व जरूरतमंद गरीब किसानों तक पहुंचना चाहिए। लगभग सभी जिला मुख्यालयों में खाद्यान्न भण्डार हैं। पंचायत यूनियन स्तर पर तथा ग्राम स्तर पर छोटे गोदाम भी हैं। मैं केन्द्रीय कृषि मंत्री से यह अनुरोध करूंगा कि वे सांसदों तथा विधायकों जैसे जन प्रतिनिधियों को सम्मिलित कर निगरानी समितियों का गठन करें जो यह देखें कि ग्रामीण क्षेत्रों की जरूरतमंद जनता को खाद्यान्न सुव्यवस्थित रूप से प्राप्त हो रहा है या नहीं।

मेरे आदरणीय साथियों में से एक ने सभा का ध्यान, कावेरी नदी जल विवाद में उत्पन्न संकट के कारण हुई कावेरी डेल्टा के किसानों की दुर्दशा की ओर दिलाया। सूखे के कारण देश के कई भागों में किसानों को जल की कमी का सामना करना पड़ता है किन्तु कावेरी डेल्टा के किसानों की समस्याएं तो मानव निर्मित हैं और इस वर्ष तो यह बहुत ही अधिक हैं। कावेरी डेल्टा क्षेत्र के गरीब कृषक मजदूरों को उनकी हालत पर छोड़ दिया गया। उनकी हालत को देखकर हमारी क्रांतिकारी नेता तमिलनाडु की मुख्य मंत्री डा. जे. जयललिता ने, बुरी तरह प्रभावित किसानों के लिए, दीवाली बोनस के रूप में 21 करोड़ रुपये राहत स्वरूप वितरित करने वाली योजना की घोषणा की। दीवाली के दौरान कावेरी डेल्टा क्षेत्र के प्रत्येक किसान को यह लाभ दिया गया। मैं इस सम्मानित सभा को अपनी नेता के किसानों के प्रति मानवीय व्यवहार से अवगत कराना चाहूंगा।

मैं सरकार द्वारा हाल ही में की गई गंगा कोवरी संपर्क नहर योजना की घोषणा तथा देश की सभी प्रमुख नदियों के राष्ट्रीयकरण करने के प्रस्ताव का स्वागत करता हूं। आज उच्चतम न्यायालय ने भी इस बात पर जोर दिया है। मैं यह बताना

चाहूंगा कि कुछ वर्ष पहले यह मामला उच्च सदन में उठाया गया था जब हमारी नेता डा. पुराची थालवी जयललिता राज्य सभा की सदस्य थीं। मेरा इस सरकार से यही विनम्र निवेदन है कि आप यह सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव कदम उठाएं, कि गरीब किसानों को सभी योजनाओं का लाभ सीधे प्राप्त हो।

मैं आपके समक्ष चाय उत्पादकों की दुर्दशा भी रखना चाहूंगा। इस सरकार की आयात नीति के कारण हमारा चाय बाजार और खास तौर पर भारतीय उत्पादन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। पड़ोसी देशों से चाय का मुक्त आयात हमारे घरेलू चाय उत्पादकों के हितों को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। आयात शुल्क के अभाव में विदेशी चाय ने हमारे बाजार को अपनी चाय से पाट दिया है। इससे हमारे चाय उगाने वाले हजारों कृषि मजदूरों पर प्रभाव पड़ा है। मौजूदा जमीनी सच्चाई को ध्यान में रखते हुए हमारी नेता, तमिलनाडु की मुख्य मंत्री डा. जे. जयललिता ने चाय को सहकारी संस्थाओं के माध्यम से बेचने के प्रयास किए ताकि चाय की खरीद हो सके और इससे छोटे चाय उत्पादकों को राहत उपलब्ध हो सके। चाय का बाजार वितरण सुनिश्चित करने के लिए हमारी नेता के इस व्यावहारिक प्रयास से किसानों को लाभ प्राप्त होने लगा है। एक माननीय सदस्य द्वारा सभा में यह भी बताया गया कि तमिलनाडु में किसान चूहे खाने और मरने के लिए मजबूर हैं। मैं इसका खण्डन करता हूं और यह बताना चाहूंगा कि यह वक्तव्य बढ़ा चढ़ाकर दिया गया है। यह किसानों का अपमान है। कम से कम अभी तो तमिलनाडु में ऐसी स्थिति नहीं है।

हमें अपने कृषकों की दशा सुधारने के लिए आगे आना चाहिए। यदि किसान होंगे तभी हम भी रह पाएंगे और समृद्धि की आशा कर पाएंगे। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह किसानों की समस्याओं पर कार्यवाही करे। इन शब्दों के साथ में अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती कान्ति सिंह (बिक्रमगंज) : सभापति महोदय, नियम 193 के तहत माननीय सदस्य, श्री बसुदेव आचार्य जी ने देश में किसानों की समस्याओं के बारे में सदन में चर्चा उठायी और देश के 80 फीसदी किसानों की समस्याओं को इस सदन में रखने का उन्होंने अवसर दिया है, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूं।

महोदय, देश में किसानों की समस्यायें क्या हैं, उनके बारे में मेरे से पूर्ववक्ताओं ने अपने विचार रखे हैं। चाहे ईख पैदा करने वाले किसान हों या धान पैदा करने वाले किसान हों या नारियल पैदा करने वाले किसान हों या अन्य प्रकार की खेती करने वाले किसान हों, उन समस्याओं के बारे में सदन में बताया गया कि किस तरह से किसान त्राहिमाम कर रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहती हूं कि इस चर्चा में केवल कृषि मंत्री का ही उपस्थित होना आवश्यक नहीं है, कृषि के साथ–साथ सिंचाई मंत्री, फर्टिलाइजर मंत्री, खाद्य आपूर्ति मंत्री और सार्वजनिक वितरण मंत्री का भी उपस्थित होना आवश्यक है। मेरे विचार से तब जाकर किसानों की समस्याओं का समाधान हम कर सकते हैं। अगर एक ही मंत्री यहां पर किसानों की समस्याओं के समाधान के बारे में जवाब देंगे, तो समस्याओं का समाधान नहीं होगा। वास्तव में देखा जाए, तो किसानों की समस्याओं के बारे में इस सदन में अनेक बार बहस कर चुके हैं। लेकिन आज भी किसानों की हालत उसी स्थिति में है, जिस स्थिति में वे पहले थे। सबसे बड़ी दुख की बात तब होती है जब उस पक्ष वाले किसानों के प्रति बोलते बोलते कांग्रेस की आलोचना करने लगते हैं और इधर से जब माननीय सदस्य बोलते हैं तो एनडीए सरकार की आलोचना करते हैं–लेकिन यह प्रेजेंट सरकार की जवाबदेही बनती है कि वह किसानों को अधिक से अधिक राहत पहुंचाए। सबसे बड़ी विडम्बना यह है कि हम आरोप–प्रत्यारोप लगाते रहते हैं लेकिन हमारे देश का किसान त्राहि–त्राहि करता रहता है। हम किसानों की आंखों के आंसू पोंछने में सफल नहीं होते हैं, केवल भाषण देकर चले जाते हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि यह पूरे देश की समस्या तो है ही, विशेष रूप से बिहार के किसानों की भी समस्या है, जो कि झारखंड प्रदेश का क्षेत्र है। बिहार से अलग होने के बाद वहां की आर्थिक हालत किसी से छिपी नहीं है। बिहार में सबसे अच्छे साधन हैं। यदि आप वहां कृषि को बढ़ावा देंगे, कृषि पर आधारित उद्योगों की स्थापना करेंगे तभी हमारे बिहार के किसानों की स्थिति में सुधार आएगा।

पिछली बार हमने यहां बहुत सी समस्याएं किसानों के बारे में कही थीं। एफ.सी.आई. के माध्यम से जो क्रय केन्द्र खोलने की बात हो रही थी, पिछली बार भी क्रय केन्द्र खोले गये थे और बिहार सरकार ने वहां एफ.सी.आई. के माध्यम से अनाज खरीदने की व्यवस्था की। हमारे जो गरीब किसान थे, उन्होंने इसके माध्यम से अपना धान बेचने का काम किया लेकिन वहां हालत ऐसी पैदा हुई कि जब धान की खरीद हुई, धान तैयार करने में जो समय लगता है, उस बीच देरी हो गई, जिसकी वजह से सारे किसान आज भी भूख और

[श्रीमती क्रान्ति सिंह]

गरीबी के कगार पर हैं। उनके बच्चे आज भी पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं और बेटी की शादी में भी अड़चनें आ रही हैं।

महोदय, बिहार विधान मंडल के सभी माननीय सदस्यों ने शरद यादव जी से इस संबंध में बात की थी, लेकिन आज भी स्थिति वही है। आज भी पहले से जो धान खरीदा हुआ है, चावल निकाले हुए हैं, उन किसानों को कुछ भी पैसे उपलब्ध नहीं हुए हैं। इस कारण से आज भी स्थिति खराब है। मंत्री जी ने कहा कि वहां 60 क्रय केन्द्र खोले जाएंगे, लेकिन अभी तक एक भी क्रय केन्द्र नहीं खोला गया है, ताकि किसान अपने धान को वहां जाकर बेच सकें। मेरा इलाका रोहतास है, जिसे शाहबाद कहा जाता है। उसे धान का कटोरा भी कहा जाता है। वहां अगर सिंचाई सही तरीके से हो तो मैं समझती हूं कि अगर इसके अलावा दूसरा कोई कार्य नहीं होगा तो भी हमारे किसान पूरे बिहार को बैठा कर खिलाने का काम कर सकते हैं। लेकिन आज वहां किसान मर रहे हैं। उनके धान को खरीदने वाला कोई नहीं है। एफसीआई क्रय केन्द्र खोलता है, लेकिन बीच में बिचौलिए आ जाते हैं और मिल–मालिकों द्वारा खरीद में बिचौलिये उसमें दखल देते हैं। इसलिए गरीब किसान आज भी त्राहि–त्राहि कर रहा है। किसानों को खेती करने में कठिनाई हो रही है। दूसरी तरफ खाद और डीजल के दामों में बढ़ोत्तरी हो रही है। बिजली के साधन उपलब्ध न होने से उन्हें डीजल खरीदना पड़ता है और इस तरह वे सिंचाई का कार्य कर पाते हैं।

महोदय, कृषि मंत्री जी यहां बैठे हैं, हम उनके पास बार–बार गुहार लगाते हैं। मैं मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहती हूं कि किसानों की समस्याओं का समाधान कब होगा–क्या जब वे दुनिया से उठ कर चले जाएंगे तब उनकी समस्याओं का समाधान होगा या जब उनके बच्चे भूख और शिक्षा से अछूते रह जाएंगे, तब उनकी समस्याओं का समाधान होगा। मैं मंत्री जी से करुण ह्रदय से कहना चाहती हूं कि आज उनकी स्थिति बहुत ही भयावह हो गई है, इसलिए उनके विषय में सोचना सरकार का कर्तव्य बनता है। क्या सरकार तोहमत ही लगाती रहेगी–कभी बिहार सरकार पर–राज्य सरकार, पर या दूसरी सरकारों पर, जो वहां पहले से शासन करती आई हैं। क्या यह सरकार किसानों की समस्याओं का समाधान करने पर अडिग है और इच्छाशक्ति रखती है। क्या एयर कंडीशन्ड कार्यालयों में, ब्यूरोक्रेट्स के बीच में बैठकर किसानों की कृषि नीति बनाने से किसानों की समस्याओं का हल हो सकता है।

महोदय, जब भी कृषि नीति तैयार होती है तो किसान के उम्मीदवारों को उनमें रखना चाहिए ताकि किसान की जो भी समस्याएं हैं, जिन्हें वह भुगत रहा है या जूझ रहा है, उन समस्याओं की तरफ भी वे सरकार का ध्यान आकर्षित कर सकें और उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत–बहुत धन्यवाद देती हूं।

श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे (चिमूर) : सभापति जी, किसानों के बारे में मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं। शासन ने 3 करोड़ किसानों के लिए किसान–क्रैडिट कार्ड के द्वारा जो राहत पहुंचाई है, उसके लिए मुझे शासन का अभिनंदन करना है। सरकार की यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे पहले किसान पैसों के लिए दर–दर भटकता रहता था और साहूकारों के द्वारा ऋण के लिए सताया जाता था। सरकार जून और जुलाई के महीने में समर्थन मूल्य तय कर रही है जब खेत में फसल रहती है, उसके लिए भी मैं सरकार का अभिनंदन करना चाहता हूं। इससे पहले अक्टूबर और नवम्बर में सरकार समर्थन मूल्य तय करती थी जिसका फायदा व्यापारियों को मिलता था। लेकिन आज समर्थन मूल्य का फायदा किसानों को मिल रहा है। सरकार ने कृषि आयोग की जो स्थापना की है वह सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारी मांग है कि पीक फसल बीमा व्यक्ति का होना चाहिए क्योंकि पूरा ब्लॉक अकाल की चपेट में आ जाता है। सरकार ने 50 हजार रुपये तक जो ब्याज माफ कर दिया है उसके लिए भी शासन धन्यवाद का पात्र है। पीक बीमा पर जो 50 हजार रुपये किये हैं वह तो ठीक है लेकिन सरकार को 50 हजार रुपये तक का कर्जा भी माफ करना चाहिए।

किसान की फसल पर जो लागत आती है वह प्रति एकड़ सात हजार रुपये आती है। लेकिन किसान को प्रति एकड़ आय पांच हजार रुपये की होती है। हर एकड़ पर किसान को दो हजार रुपये का घाटा होता है। किसान का आसमानी और सुल्तानी दोनों तरह की मार पड़ती है। आसमानी मार में किसान कभी अतिवृष्टि और कभी अनावृष्टि की मार झेलता है। सुल्तानी मार मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब बैंक किसान को खेती के लिए, इंजन के लिए लोन देता है तो किसान पर ब्याज के रूप में बहुत भार पड़ता है। दूसरी ओर बिजली न मिलने या लोड शैडिंग के कारण किसान की फसल पानी के बगैर सूख जाती है। इस तरह से किसान दोहरी समस्या से घिर जाता है।

वन–संरक्षण कानून के कारण हमारे विदर्भ में 125 प्रोजैक्ट्स ऐसे हैं जो पेंडिंग पड़े हैं। उन्हें वन–संरक्षण कानून से छुड़ाया जाए तो खेती के लिए पानी की व्यवस्था हो सकती है। हमारे यहां गौसीखुर नाम का बहुत बड़ा प्रोजैक्ट है। माननीय राजीव गांधी ने उसका उद्घाटन किया था। उस समय उसकी लागत 750 करोड़ रुपये थी। आज उसकी लागत चार हजार करोड़ रुपए आ रही है। जितनी देर इसमें लगेगी, उतनी ही कीमत बढ़ेगी। केन्द्र सरकार की तरफ से उसे मान्यता दी गई थी। मेरा आग्रह है कि राज्यों पर प्रोजैक्ट का भार न छोडते हुए केन्द्र सरकार की तरफ से पैसा दिया जाए। मैंने इसके पहले घोसी खुर्द प्रोजैक्ट के लिए 500 करोड़ रुपए देने के लिए कहा था लेकिन अभी तक कुछ नहीं दिया है। किसान मेहनती है लेकिन कुछ बातों में अज्ञानी है। प्रशिक्षण न मिलने के कारण वह धोखे में आ जाता है। उसे प्रशिक्षण देने के लिए ब्लॉकवाइज प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाएं। हर जिले में कृषि महाविद्यालय होने चाहिए जिससे किसान प्रशिक्षित हों। खाद, सिंचाई आदि सभी सुविधाएं किसानों को देनी चाहिए। उसे सबसिडी भी देनी चाहिए। दूसरी चीजों पर सबसिडी दी जाती है लेकिन कृषि–प्रधान देश होने के बाद भी किसानों को सबसिडी नहीं दी जाती है जो बड़ा गम्भीर सवाल है।

मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। पिछले 50 सालों में गरीबी हटाओ के नाम पर 49 कारखानेदारों के कई हजार करोड़ रुपए माफ कर दिए। उनके 1 लाख 50 हजार करोड़ रुपए कर्जे के स्टॉप कर दिए। ऐसी कौन सी कम्पनियां और कारखानेदार हैं, मुझे आज तक उसका जवाब नहीं मिला है। कौन सी कम्पनियों और कारखानेदारों को कर्जा दिया? 1 लाख 50 हजार करोड़ रुपये का कर्जा माफ हो सकता है तो 50 हजार रुपए का कर्जा क्यों माफ नहीं हो सकता है? महाराष्ट्र में 373 कारखानेदारों के 28 हजार करोड़ रुपये बकाया हैं। उनकी तरफ से वह पैसा वसूला नहीं जाता है। 50 हजार रुपए का कर्जा माफ करने के लिए सरकार को इतना अधिक विचार क्यों करना पड़ता है? यह अच्छी बात नहीं है। मेरा सुझाव है कि किसानों का कम से कम 50 हजार रुपए का कर्जा माफ होना चाहिए। एफसीआई को अनाज की खरीददारी करनी चाहिए। वहां बहुत गलतियां होती हैं। आज किसान क्यों गरीब है? हम देहात जाते हैं तो वहां लिखा होता है "न देवी–देवताओं का शाप है, न पूर्व जन्म का पाप है, यह तो जन्तुओं का प्रताप है" यह पूर्व जन्म का पाप नहीं है, न ही देवी–देवताओं का शाप है, यह गए 50 सालों की कांग्रेस की गलत नीतियों का प्रताप है। गरीब किसानों को सभी सुविधाएं प्रदान की जाएं। यही मुझे कहना है।

श्री राजो सिंह (बेगूसराय) : सभापति महोदय, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं। "देर आयद दुरुस्त आयद" हम लोगों के यहां कहावत है "हरियल खेती देख के गर्व किया किसान, अभी जला बहुत है घर आए तो जान" जब किसान की फसल लहलहाने लगती है तब किसान को भरोसा होता है कि वह अपनी बेटी की शादी का इंतजाम कर सकता है लेकिन जब वह इंतजाम करके घर लौटता है तो मालूम होता है कि उसकी फसल अधिक वर्षा के कारण डूब रही है।

सभापति महोदय, हमारे कृषि मंत्री बहुत विद्वान और इंजीनियर हैं। मैंने उनका बयान अखबारों में पढ़ा जिसमें उन्होंने कहा था कि देश की आधी जमीन उत्पादन शक्ति खो चुकी है। हम उनकी मजबूरी जानते हैं। इनका दर्द और कठिनाई जानता हूं। जब ये अपने लोगों के बीच रहते हैं या सरकारी पदाधिकारी नहीं रहते हैं तो देश की कृषि स्थिति का सही चित्रण करते हैं। वे और क्या कर सकते हैं? देश का 20 करोड़ टन अनाज उत्पादन बढ़ा है लेकिन इसके लिये कृषि मंत्री को कोई क्रेडिट नहीं क्योंकि गेहूं, चावल या अन्य अनाजों की खेती किसान अपनी मेहनत से करता है। इनका अपने शरीर के अलावा और कुछ नहीं है। इनके पास सिंचाई का महकमा नहीं है, क्या बिना पानी के सिंचाई हो सकती है? इनके जिम्मे खाद नहीं, इसके दूसरे मंत्री हैं। कर्जा देने के लिए दूसरे मंत्री हैं। यदि पैसे का वितरण करना है, कृषि उत्पादन चीजों का मूल्य तय करना है तो उसके लिये आई.ए.एस. आफिसर्स हैं। ये अफसर कहां से ले आये जो मूल्य निर्धारण करेंगे?

सभापति महोदय, आप कृषि मंत्री जी से कहिये कि उनके अफसर जरा जूता पहनकर खेत के चारों तरफ जो घेराबंदी होती है, उसका चक्कर लगाकर घूम जायें तो उन्हें धन्यवाद दूंगा कि वे कृषि नीति को सफल कर सकते हैं। किसान क्या करे, डूबने में, सूखने में और कर्जा अदा करने में वही मरता है। सरकार ने बड़े–बड़े व्यवसायियों को कर्ज दिया है लेकिन वित्त मंत्री जी उनसे वसूल नहीं कर रहे हैं। यदि एक किसान को 10–15 हजार का कर्जा दिया गया, तो उससे वसूलने के लिए उसके बैल खोल लिये जाते हैं। अगर वह अरैस्ट कर लिया जाता है तो जेल जाता है। जो उसे खाना दिया जाता है, वह जेल की तरफ से नहीं मिलता। सरकार की तरफ से कोई खाना उसे नहीं मिलता। जितना उसका कर्जा होता है, उसके लिये वारंट जारी हो जाते हैं, कुर्की कर दी जाती है, सारा पैसा उससे वसूल कर लिया जाता है। सालभर का सूद जोडकर उससे वसूल कर लिया जाता है।

सभापति जी, कृषि मंत्री जी क्या करना चाहते हैं। मैं उनसे हमदर्दी रखता हूं। यहां पर माननीय सदस्यों ने सभी

[श्री राजो सिंह]

बिन्दुओं को छुआ है। उनमें व्यवसायी, खेत मजदूर हैं। मैं सारे साथियों द्वारा कही गई बातों का समर्थन करते हुए आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप जरा बिहार की तरफ देखिये। वहां 10 लाख हेक्टेयर जमीन जल–प्लावित है। टाल क्षेत्र में जहां फसलें होती हैं, वे सही समय पर नहीं होतीं। पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। गंगा का उत्तरी भाग जल जमाव से पीड़ित है। किसानों को मालगुजारी देनी पड़ती है। राजस्व का महकमा कृषि मंत्री के पास नहीं है। सरकार ने सीलिंग लगाई हुई है। जिस गरीब किसान के पास 2–3 या 5 एकड़ से कम जमीन है, वह नहीं जानता कि ऊनी कपड़ा क्या होता है। उसके पास रजाई नहीं है। वह पुआल को जलाकर रात बिताता है लेकिन सुबह उठकर अपनी कर्तव्य–परायणता का परिचय देता है, अपने जानवरों को खिलाता है। क्या आप विचार करेंगे कि जो सब्सिडी आप देते थे, इस कारण वह किसानों के लिए कितनी बढ़ जायेगी। कृषि मंत्री जी आप जानते हैं कि सब्सिडी वापस लेने से यूरिया पर 12 रुपये, डी.ए.पी. पर 22 रुपये और पोटाश पर दश रुपये ज्यादा देने होंगे। बिहार में बरौनी का जो कारखाना था, उसे आपने बंद कर दिया और कहते हैं कि खाद विदेश से मंगायेंगे। क्या हिन्दुस्तान में किसान ऐसी स्थिति में हैं कि विदेश से मंगाई हुई महंगी खाद खरीद सकें। आप लोन की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। श्री जनार्दन रेड्डी, आंध्र प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य मंत्री रहे हैं, उन्होंने कहा कि नाबार्ड आपके कब्जे में नहीं है, वह श्री जसवंत सिंह जी के कब्जे में है। नाबार्ड आपकी बात नहीं सुनता है। बिहार में एक कोआपरेटिव संस्था थी, जो ब्लॉक लैवल पर किसानों को शुद्ध खाद देती थी। उसे भी आपने पुनर्जीवित करने का प्रयास नहीं किया।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब आप इधर रहते हैं तो समय ज्यादा मिल जाता है और जब वहां जाते हैं तो तिरछी नजर करके हम लोगों को देखते हैं– बड़ी मुश्किल है, क्या करें। मैं कृषि मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हालात सुधारने के लिए आप कृषि सहायता फंड का प्रावधान कीजिए। छोटे और मार्जिनल किसानों के लोन की वसूली को अभी टाला जाए। जो छोटे किसान हैं, जिनके जिम्मे लोन है, उसकी वसूली पर आप रोक लगायें। साहूकारों की उधार देने की नीति को सख्ती से रोका जाए। साहूकार को पैसा देते जाते हैं। एक प्रश्न के उत्तर में वित्त मंत्री जी ने कहा था कि जो 25 हजार तक के लोन वाले छोटे किसान हैं या जिन पर पचास हजार रुपये का लोन है, यदि वे मार्च तक एक साल में लोन नहीं देते हैं तो उसे बढ़ाया जायेगा। कृषि मंत्री जी आप इंजीनियर भी हैं। कोई किसान पचास हजार का लोन लेकर क्या खेती करेगा। आज बैल कितने महंगे हो गये हैं। बिहार के सोनपुर में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। उस मेले में जो बैलों की जोड़ी बिकी है, वह 35 हजार रुपये से 40 हजार रुपये के बीच में बिकी है। अब आप बताइये कि सात एकड़ क्षेत्र रखने वाला किसान साल भर में जो उपज की बढ़ोतरी होगी, उसे उससे कितना बचेगा। वह अपनी बीवी की साड़ी नहीं खरीद सकता, अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता, अपने बदन पर ऊनी कपड़ा नहीं ओढ़ सकता, ऐसी स्थिति में वह रजाइ भी नहीं ओढ़ सकता।

ट्रेजरी बैंचिज पर बैठे हुए लोगों का कहना है कि आप भाषण दे देते हैं। आपकी भी सरकार थी। यह हम भी कहते हैं, आप भी कहते हैं और सभी माननीय सदस्य खड़े होकर कहते हैं। सभापति महोदय आप भी कहते हैं कि जब हम कृषि की बात करते हैं तो राजनीति नहीं करते हैं। जो यहां चुनकर आये हुए लोग हैं, क्या ये बिना राजनीति किए हुए जिंदा रह सकते हैं। चाहे कृषि नीति हो, उद्योग नीति हो, राजनीति तो सबने करनी ही है। राजनीति ही हम लोगों का पेशा है। हम लोगों के नाम के आगे लिखा जाता है कि पेशा लिखिये, हम क्या लिखें। यदि गृहस्थ लिखें तो कोई क्या कहेगा कि मूर्ख, देहाती आदमी है, गृहस्थ है। यदि उसमें प्रोफेसर लिख दें तो समझेगा कि मध्यम क्लास का है। यदि उसमें लिख दें कि व्यवसायी है तो बड़ी इज्जत हो जायेगी, कहेंगे आइये साहब कुर्सी पर बैठिये। साल भर में आपका कितने करोड़ का लेन–देन का हिसाब है।

आज आपने किसानों की क्या स्थिति बनाकर रख दी है। किसान जो अन्नदाता कहलाता है, जो सबको अन्न देता है। क्या आपने किसी बड़े व्यवसायी को नोटों का घर बनाते देखा है। क्या किसी को मुंह में सोना–चांदी खाते हुए देखा है। सब आदमी गेहूं, चावल और रोटी खाते हैं। आजकल लोगों को शुगर की बीमारी हो जाती है, इसलिए लोगों ने चावल खाना बंद कर दिया है। वे कहते हैं गेहूं चाहिए, गेहूं कहां से आयेगा, गेहूं कौन देगा। हमारी उपज का उचित मूल्य आप नहीं देते हैं। हमारी लागत के बराबर का पैसा कृषि मंत्री जी आप नहीं देते हैं। कृषि मंत्री जी आपका धन्यवाद है। आप बड़े सुयोग्य नेता के सुपुत्र हैं। आदरणीय चौधरी चरण सिंह किसान नेता कहलाते थे। लेकिन आप अभी किसान नेता नहीं कहला रहे हैं। आप किसानों के दुख–दर्द को देखिये और

सचमुच जो आत्मा कहती है, जैसे आप किसानों की कठिनाई को अनुभव करते हैं, उसे व्यक्त करिये। भारत ने किसको पूजा है। यहां शंकर की पूजा हुई, भगवती की पूजा हुई–इनकी पूजा क्यों हुई, क्योंकि जो लोग समाज के लिए कठिनाइयों से लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, उसी की भारत में पूजा करते हैं। यही हमारी संस्कृति है। हम भी किसान के प्रतिनिधि और किसान के बेटे होने की हैसियत से आपकी पूजा करेंगे, बशर्ते किसानों के दर्द को आप सुनें।

महोदय, ऊर्जा मंत्री जी अभी आए हैं। गीते जी से मैं कहना चाहूंगा कि आपने स्वयं ऊर्जा मंत्रालय ले लिया और दूसरे साथी को इंडस्ट्रीज दे दीं। बिजली से इंडस्ट्रीज को बढ़ाना चाहते हैं और किसान को बिजली नहीं देना चाहते हैं, प्रतिबंध लगाना चाहते हैं। कहते हैं प्रधान मंत्री की स्कीम है। आप बिजली देकर किसानों की खेती को बढ़ाइए। डीजल हमें नहीं मिलता है। डीजल के बिना खेती कैसे होगी? बैल किसके पास है? आप चलकर देखिये, अभी भी खेतों में एक तरफ बैल जुतता है और दूसरी तरफ किसान की बहू कंधा लगाकर हल जोतती है। आप उसके दर्द को समझने की कोशिश कीजिए। वोट तो 51 और 49 का खेल होता है– 51 मिलेंगे तो उधर बैठेंगे, 49 मिलेंगे तो इधर बैठेंगे। यही डैमोक्रेसी है। अच्छा है या बुरा है मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमारी कठिनाई है, किसानों की कठिनाई है। बिहार में किसानों की बाढ़ और सुखाड़ से जो कठिनाई है उसको दूर करने का प्रयास करिये। फिर सोमवार को आपका मौका आएगा, आप 45 मिनट भाषण देंगे, हम सुनेंगे ही, हमें किस बात की चिन्ता है। सभापति जी, आपको एक बार फिर धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री प्रसन्न आचार्य (सम्बलपुर) : महोदय, आठ बजने में सिर्फ तीन मिनट बाकी हैं। मैं अपना भाषण तीन मिनट में समाप्त नहीं कर सकता।

सभापति महोदय : मैं तीन या चार और माननीय सदस्यों को बोलने के लिए समय देने हेतु सभा का समय आधा घंटा बढ़ा सकता हूं। आप कितना समय लेंगे?

श्री प्रसन्न आचार्य : मैं न्यूनतम दस मिनट का समय लूंगा।

सभापति महोदय : ठीक है।

श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम : उन्हें अपना भाषण पूरा करने दिया जा सकता है।

श्री प्रसन्न आचार्य : धन्यवाद, महोदय।

सभापति महोदय, वस्तुतः हम किसानों की समस्याओं पर चर्चा कर रहे हैं और मैं यह समझ नहीं पा रहा हूं कि आखिर कहां से शुरू करूं।

जैसा कि आपको पता है, इस देश के किसान हजारों समस्याओं से जूझ रहे हैं। वे सिर्फ एक या दो समस्याओं से नहीं जूझ रहे हैं, वे अनेक समस्याओं का सामना कर रहे हैं।

मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उड़ीसा के आदिवासी बहुल मयूरभंज जिले के घाटागांव खंड के तहत कुलाडेरा नामक सुदूर जुआंग जनजातीय गांव से अपनी बात शुरू करूं जहां मात्र 30 परिवार रहते हैं और उनमें से कुछ भूमिहीन किसान हैं जिन्होंने भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से हस्तक्षेप करने और तत्कालीन अपनी जीवन–रक्षा करने की गुहार लगायी है, अथवा मैं एक गरीब विधवा द्वारा उड़ीसा के मुख्यमंत्री को लिखे गए पत्र से शुरू करूं जिसकी एक प्रति स्थानीय प्रतिनिधि होने के नाते मेरे पास भेजी गयी है तथा जिसमें उसकी दुर्दशा का वर्णन है। उसके पति को, जो कि एक छोटा किसान था, जिला मुख्यालय में समाहर्त्तालय के समक्ष आत्महत्या करनी पड़ी क्योंकि वह गरीब किसान समय पर अपना धान नहीं बेच सका और इसके फलस्वरूप वह अपनी बीमार लड़की के लिए दवाएं नहीं खरीद सका जिसकी दवा के अभाव में मौत हो गयी। मैं इस देश के किसानों की दुर्दशा पर किस बिन्दु से अपनी बात शुरू करूं।

जैसा कि मैंने बताया, एक तरफ वह किसान जो इस देश को खिलाने की कोशिश कर रहा है, जो कभी हड़ताल पर नहीं जाता, भूखा मर रहा है और दूसरी तरफ प्रचुरता के उत्पादन करने वाला वही किसान आत्महत्या कर रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वह बाजार में अपना उत्पाद बेचने में असमर्थ है। कोई भी इसे खरीदने वाला नहीं है। यह किसानों के संबंध में इस देश में व्याप्त बहुत ही विचित्र स्थिति है।

आज इस सभा में अनेक माननीय सदस्य सरकार की खाद्यान्न खरीद नीति का उल्लेख कर रहे थे। मुझे खेद है कि माननीय खाद्य मंत्री यहां उपस्थित नहीं हैं। पिछले सप्ताह के दौरान जब हम सूखे की स्थिति पर चर्चा कर रहे थे तो

[श्री प्रसन्न आचार्य]

मेरे सहित अनेक माननीय सदस्यों ने इस समस्या का उल्लेख किया था। भारतीय खाद्य निगम जो कि भारत सरकार का एक उपक्रम है, पूर्णतः शांत बैठा है तथा किसानों की दुर्दशा का उस पर कोई असर नहीं है। आज उनके उत्पाद बाजार में नहीं बिक रहे हैं।

रात्रि 8.00 बजे

मैं अपने ही राज्य का उदाहरण देता हूं। यद्यपि वहां सूखे की स्थिति है फिर भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां किसानों ने धान का पर्याप्त उत्पादन किया है।

मेरी राज्य सरकार द्वारा काफी अनुरोध करने के पश्चात् भारतीय खाद्य निगम मात्र 20 खरीद केन्द्र खोलने पर सहमत हुआ है। उड़ीसा सरकार को दस लाख मीट्रिक टन धान की खरीद करनी है। इस प्रकार, वहां यह स्थिति है।

किसानों से संबंधित एक विचित्र स्थिति पैदा हो गई है। मेरे विचार से जहां तक खाद्यान्नों की खरीद का सवाल है, यह एक बहुत बड़ी समस्या है जिससे किसान जूझ रहे हैं। भारतीय खाद्य निगम ने एक शब्दावली निकाली है– 'एफ.ए. क्यू.' उत्तम, औसत और गुणवत्ता (फेयर, एवरेज एंड क्वालिटी)। जब वे किसानों के पास खरीद के लिए जाते हैं तो वे यह तर्क देकर किसानों के सम्पूर्ण धान को खरीदने से मना कर देते हैं कि यह एफ.ए. गुणवत्ता के अनुरूप नहीं है। किन्तु दूसरी ओर उसी बाजार में निजी मिल मालिक और व्यापारी उसी धान को किसानों से काफी कम कीमत पर खरीदते हैं। वे इस धान की कुटाई करके इसे चावल में बदल देते हैं और भारतीय खाद्य निगम उसी प्रकार मिल मालिक से उसी चावल को खरीद लेता है। उस समय वे एफ. एस. गुणवत्ता के बारे में भूल जाते हैं। इस प्रकार, इस देश के गरीब किसानों के साथ इसी तरह का बर्ताव किया जाता है। यह एक उदाहरण है जिसका मैं उल्लेख करना चाहता हूं।

माननीय कृषि मंत्री यहां उपस्थित हैं। अनेक माननीय सदस्यों ने इस बात का उल्लेख किया है कि इस देश में पर्याप्त भंडारण सुविधा के अभाव में प्रतिवर्ष करीब 50,000 करोड़ रुपये से भी अधिक का खाद्यान्न नष्ट हो जा रहा है। यह एक विशेष समस्या है जिसे देश झेल रहा है। एक के बाद एक राज्य सरकार भारतीय खाद्य निगम, खाद्य मंत्रालय और भारत सरकार से अपील कर रही है कि वे नई भंडारण सुविधाएं उपलब्ध करायें और देश में नयी गोदाम प्रणाली प्रारम्भ करें, परन्तु मुझे नहीं मालूम कि भारतीय खाद्य निगम, खाद्य मंत्रालय और भारत सरकार इस समस्या की ओर बहुत ही उत्साहहीन रुख क्यों दिखा रही है।

जहां तक मेरे राज्य का सवाल है, मैं यह बताना चाहूंगा कि हाल ही में भारतीय खाद्य निगम ने एक नयी नीति बनाई है कि निजी पार्टियां, व्यक्ति विशेष अथवा निजी कम्पनियां गोदाम का निर्माण कर सकती हैं। कुछ राज्यों में भारतीय खाद्य निगम ने यह योजना शुरू की है कि वे गोदामों के उपयोग हेतु सात वर्ष की गारंटी देंगे। परन्तु मैं महसूस करता हूं कि भारतीय खाद्य निगम और खाद्य मंत्रालय उन राज्यों के बीच भेदभाव कर रहे हैं जहां एक या दो राज्यों–मैं यहां उनका नाम नहीं लेना चाहता–को सात वर्ष की गारंटी योजना और सात वर्ष के गारंटी उपयोग की सुविधा प्रदान की गई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि आखिर हमारे राज्य को यह सुविधा क्यों नहीं दी जा रही है? भारत सरकार और उसके विभिन्न मंत्रालयों द्वारा अनेक अवसरों पर देश के अनेक पिछड़े राज्यों और खासकर पूर्वी राज्यों के साथ–सिर्फ मेरे राज्य उड़ीसा के साथ ही नहीं बल्कि अनेक राज्यों–जो विकासशील हैं, गरीब हैं, जहां सूखे और बाढ़ की स्थिति है, तथा जो वित्तीय संकट झेल रहे हैं, सौतेला व्यवहार किया गया है। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा उनके साथ भेदभावपूर्ण बर्ताव किया जा रहा है।

मैं यहां एक और बात का उल्लेख करना चाहता हूं। जैसा कि अपराह्न में पश्चिमी बंगाल के एक माननीय सदस्य सही ही कह रहे थे, इस वर्ष धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में कोई वृद्धि नहीं की गयी है। मेरे विचार से जो मूल्य पिछले वर्ष लागू था, वही मूल्य अब लागू है। सूखे की स्थिति की वजह से मात्र 20 रु. की अतिरिक्त राहत दी जा रही है तथा यह राहत इस वर्ष 31 दिसम्बर तक लागू रहेगी। इस महीने के पश्चात् यह व्यवस्था समाप्त हो जाएगी और अनेक राज्यों खासकर मेरे राज्य में धान की खेती देर से शुरू होने की वजह से धान का पूर्ण उत्पादन नहीं हुआ है तथा किसान 31 दिसम्बर तक अपना धान बेच पाने में समर्थ नहीं हो पायेंगे। इसलिए अनेक राज्य सरकारें भारत सरकार से इस सुविधा की अवधि बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं।

माननीय कृषि मंत्री यहां उपस्थित हैं। मैं उनके माध्यम से भारत सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि वह इस संबंध में शीघ्र कार्यवाही करे। परन्तु, मुझे पता नहीं है कि यह मामला उनके मंत्रालय के अधीन आता है अथवा खाद्य मंत्रालय के। इसलिए, मैं मांग करता हूं कि इस सुविधा की अवधि बढ़ाई जाए ताकि किसान अपना धान लाभकारी मूल्य पर बेचने में सक्षम हो सकें।

महोदय, मैं यहां एक या दो समस्याओं का उल्लेख करना चाहता हूं। हम किसानों की समस्याओं का समाधान करने की बात कर रहे हैं। इस देश की कितने प्रतिशत कृषि योग्य भूमि को सिंचाई की सुविधा मुहैया करायी गयी है? मैं समझता हूं हम मुश्किल से 34 से 37 प्रतिशत भूमि को ही यह सुविधा मुहैया कराने में सफल रहे हैं। मेरे राज्य में यह मात्र 27 प्रतिशत है जो राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। मुझे पता है कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना के समय से ही अनेक मध्यम और बृहत सिंचाई परियोजनाएं लम्बित पड़ी हैं। मैं सिर्फ एक उदाहरण का उल्लेख करूंगा और दुर्भाग्यवश वह परियोजना मेरे अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में है। वह परियोजना है– औंग बांध परियोजना। आपने महान इंजीनियर, स्वर्गीय श्री अयोध्या नाथ खोसला का नाम अवश्य सुना होगा जो कुछ समय के लिए मेरे राज्य सहित कुछ राज्यों के राज्यपाल भी रहे थे। उन्होंने सिंचाई के उद्देश्य से मध्य प्रदेश (अब छत्तीसगढ़) से उड़ीसा को बहने वाली औंग नदी पर एक बांध का निर्माण करने की योजना बनायी थी। यह परियोजना पांचवीं पंचवर्षीय योजना के समय से ही लम्बित पड़ी है। मैं इसका कारण नहीं समझ पाया हूं। यह उड़ीसा, छत्तीसगढ़ अथवा मध्य प्रदेश जैसी राज्य सरकारों के लिए असंभव है कि वे इतनी बड़ी परियोजनाओं को अपने संसाधनों के बल पर पूरा करे। भारत सरकार ऐसी परियोजनाओं को शुरू करने से लगातार मना कर रही है।

एक तरफ तो हम किसानों के विकास और उनकी समस्याओं का समाधान करने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम ऐसा कर रहे हैं। जब तक हम देश में सिंचाई क्षमता को बढ़ाने में सफल नहीं होते तब तक आप किसानों की समस्याओं को सुलझाने के बारे में कैसे सोच सकते हैं। आपका देश में कैसे उत्पादकता बढ़ाने का विचार है? क्या आपका विचार कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का है? मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह कम से कम ऐसी पुरानी परियोजनाओं को क्रियान्वित करे जो उसके पास दशकों से लंबित पड़ी हुई हैं और तत्संबंधी वित्तीय सहायता भी दें।

मैं यहां एक और बात का उल्लेख करना चाहता हूं। अनेक परियोजनाएं शुरू की गई हैं। अनेक बड़ी बांध परियोजनाएं शुरू की गयी हैं। तथा किसान अपनी जमीन खो रहे हैं। सरकार द्वारा उनकी जमीन को अधिगृहीत किया जा रहा है। सरकार कोयला खानों सहित अन्य अनेक खानों हेतु किसानों की भूमि अधिगृहीत कर रही है और दशकों से किसानों को मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है। इसकी वजह से किसानों को अत्यंत परेशानी हो रही है। मैं समझता हूं कि आपने हीराकुंड बांध परियोजना का नाम अवश्य सुना होगा। मेरे विचार से यह पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी जिसका निर्माण स्वतंत्रता के तुरंत बाद किया गया था और जिसे हमारे पूर्व प्रधान मंत्री स्व. श्री जवाहर लाल नेहरू द्वारा शुरू किया गया था। यह उनकी संकल्पना थी। इस परियोजना के पूरा होने के 45 वर्ष बाद अभी ऐसे परिवार व किसान हैं जो अपना मुआवजा प्राप्त करने में असफल रहे हैं। किसानों की ऐसी दुर्दशा है। यह सिर्फ किसी एक सरकार का रवैया नहीं है बल्कि एक के बाद एक सभी सरकारें ऐसा ही करती रही हैं। किसानों की ऐसी दुःखद स्थिति है।

मैं यह कहते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि हम प्रत्येक सत्र में, प्रत्येक वर्ष और प्रत्येक संसद में किसानों की समस्याओं पर विचार करते रहे हैं परन्तु इस संबंध में अब तक कोई भी स्थायी और दीर्घकालिक समाधान नहीं कर सके हैं।

मैं भूतपूर्व प्रधान मंत्री, माननीय श्री एच. डी. देवगौड़ा द्वारा आज यहां व्यक्त किये गये विचारों के बारे में एक अंतिम वाक्य का उल्लेख करना चाहता हूं। मैं उनके विचारों की प्रशंसा करता हूं। हमें अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धताओं से ऊपर उठना चाहिए। हमें कम से कम देश में इस समस्या को राजनीति से दूर रखना चाहिए। अभी–अभी मेरे पूर्व वक्ता श्री राजो सिंह भी यही बात कह रहे थे। हम राजनीतिज्ञ जब कभी भी जो कुछ भी बात कर रहे होते हैं इसमें राजनीति घुसा देते हैं। परन्तु हमें कम से कम देश में किसानों की इस समस्या पर दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर विचार करना चाहिए। इस संसद और इस सरकार को इस देश के किसानों की विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु दीर्घावधि कार्य योजना तैयार करनी चाहिए।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य श्री राममूर्ती वर्मा पांच मिनट के लिए बोलना चाहते हैं क्योंकि वह सोमवार को नहीं आ सकेंगे। वह पांच मिनट के लिए बोल सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री राममूर्ती सिंह वर्मा (शाहजहांपुर) : सभापति महोदय, बसुदेव जी ने नियम 193 के तहत किसानों की समस्याओं पर जो चर्चा शुरू की है, उस पर बोलने के लिए आपने मुझे मौका दिया, मैं आपका बहुत आभारी हूं।

हिन्दुस्तान को आजाद हुए लगभग 55 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन जो स्थिति गांवों में रहने वाले किसानों और

[श्री राममूर्ती सिंह वर्मा]

खेतिहर मजदूरों की आजादी से पहले थी, वही स्थिति आज है, क्योंकि आजादी के टाइम पर जब स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई चल रही थी, उस समय देश के गांवों में रहने वाले किसान मजदूर सभी लोगों ने बराबर का हिस्सा लेकर इस देश को आजाद कराने का काम किया है, लेकिन आजादी मिलने के बाद केवल चन्द लोगों को फायदा मिला है। उसकी वजह यह रही है कि जैसे ही देश आजाद हुआ तो सरकारी तंत्र में जो अंग्रेजों के मुखबिर थे, उनके पिछलग्गू थे, उन्होंने ही आकर यहां बड़े–बड़े ओहदों को संभाला । इसी तरह सरकारी तंत्र में बड़े–बड़े अधिकारी आये, उनको भी किसान के दुख–दर्द की चिन्ता इसलिए नहीं थी, क्योंकि उनको पता नहीं था कि खेती किस तरह से की जाती है, किस तरह से हल चलाया जाता है, किस तरह से धान की रोपाई होती है। इस तरह से किसान का दुर्भाग्य रहा और आज आजादी को 54–55 वर्ष हो गये। अगर किसान की किसी ने बात की है, किसान के विकास के लिए तो वह इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी ने की थी। किसान उन्हें अपना भगवान मानते थे। आज उनके सुपुत्र माननीय अजित सिंह जी कृषि मंत्री हैं, लेकिन उन्होंने यह जो सूखा पड़ा है, इस देश में सूखे से त्राहि–त्राहि मची हुई है, कागजों पर तो लम्बी–लम्बी घोषणाएं होती हैं, लेकिन सूख के नाम पर हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश में केवल 10 किलो अनाज आधा एकड़ के काश्तकार को दिया जा रहा है और इससे ऊपर के काश्तकार को शायद 20 किलो देने की व्यवस्था की गई है। वह भी अभी सब लोगों को नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वहां जो सरकारी तंत्र है, वह बिचौलियों से घिर गया है।

मैं यहां केन्द्रीय सरकार से, माननीय अजित सिंह जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इन्होंने जो भी राहत उत्तर प्रदेश में दी है, इसे सही तरीके से किसान तक ठीक से पहुंचाने की सही व्यवस्था करने का प्रावधान किया जाये। इससे पहले भी जब 1977 में और 1978–79 में सूखा पड़ा था, उस समय पर सूखे से निपटने के लिए भारत सरकार ने खाद्यान्न योजना के अंतर्गत एक योजना शुरू की थी, जिससे कि गावों में रहने वाले किसान और खेतिहर मजदूर भुखमरी के शिकार न हों। तमाम तालाब और नहरे खुदवाने का काम खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत किया गया था। आज किसान भूख से मर रहे हैं, सरकार के गोदाम अन्न से भरे हुए हैं, लेकिन यह सरकार उन गोदामों को किसान तक खाली करके पहुंचाने का काम नहीं कर रही है।

इसी तरह देश के बड़े–बड़े लोग, उद्योगपति लोग किसानों की जमीन का अधिग्रहण कराकर, फार्म हाउस बनाकर भी किसानों पर कुठाराघात कर रहे हैं। हम सरकार से मांग करना चाहते हैं कि सूखे की स्थिति को देखते हुए, जो भी लगान है, मय इस वर्ष में जो खाद पर किसान ने ऋण लिया है, उसे माननीय कृषि मंत्री जी माफ करने की घोषणा करें। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में खासतौर पर पानी की व्यवस्था बहुत ही खराब है, उसे सुधारने हेतु ट्यूबवैल के लिए कनैक्शन नहीं दिया जा रहा है, इस कनैक्शन को कैम्प लगाकर किसानों को आवंटन कराने का कार्य किया जाये, जिससे कि खेती की सिंचाई आसानी से हो सके। अभी तक किसान अपने गेहूं आदि की बुवाई नहीं कर पाया है।

इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। नहरों में पानी टेल तक पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार केवल कागजों पर घोषणाएं कर रही हैं, लेकिन पानी टेल तक नहीं पहुंच रहा है और खुदाई के नाम पर भी कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए हमारा आग्रह है कि जहां पीने के पानी का स्तर बहुत नीचे चला गया है, वहां नल लगाने की व्यवस्था की जाए।

सभापति महोदय : अब सभा कल पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

रात्रि 8.15 बजे

तत्पश्चात लोक सभा गुरुवार, 5 दिसम्बर, 2002/14 अग्रहायण, 1924 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)
बुधवार, 4 दिसम्बर,2002 /13 अग्रहायण 1924 (शक)
का
शुद्धि - पत्र

कॉलम सं	पंक्ति सं	के स्थान पर	पढ़िए
108	3	श्री वी के. पार्थसारथी	श्री बी.के.पार्थसारथी
283	13	श्री अकबाल अहमद सरडगी	श्री इकबाल अहमद सरडगी
329	20	बसराज, श्री जी.एस.	बसवराज, श्री जी.एस.
342	29	संसद भवन के	संसद भवन के निकट
357	8	श्री एरा. चिन्नासामी	श्री एम.चिन्नासामी

© 2002 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय
लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित
और सनलाईट प्रिन्टर्स, दिल्ली–110006 द्वारा मुद्रित।